संग्रह ज़ाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०

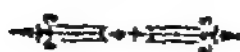
अर्थात
भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली, व्यवहार,
एवं उपयोगी मसविदों, कानूनों तथा
सूचनाओं सहित

प्रकाशक
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित
कानून प्रेस, कानपुर
सन १९२७ ई०

प्रथम संस्करण २०००]   [मूल्य ५) डा० ।।।)

प्राक्कथन



हिन्दी प्रेमी पाठकोंकी सेवामें बिल्कुल नये ढंग और नये सङ्कलनसे यह जाबता दीवानी हिन्दीमें उपस्थित करता हूँ । जाबता दीवानी अर्थात् (Civil Procedure Code) सिविल प्रोसीजर कोडमें प्राय प्रत्येक विषय भिन्न भिन्न स्थानों में इस रूपसे फैला हुआ है दफाओंका सम्बन्ध आर्डरोंसे या आर्डरोंका सम्बन्ध दफाओंसे बहुत कुछ अभिन्न है । वकील लोग कायदेसे पढ़ने और नित्यके प्रयोग करनेसे अभ्यसित होनेके कारण विषयको इसमेंसे ढूढ निकालते हैं। हमारे हिन्दी प्रेमी भाइयोंके लिये यह कठिनही नहीं बल्कि दुस्तर और असाध्य कार्य है कि वे उस प्रकारसे कानूनका ज्ञान हर समय रख सकें । एक या दो बार जाबता दीवानी पढ जानेसे न तो भली प्रकार विषयका ज्ञान होता है और न पढ़े हुए विषयका स्मरणही रह सकता है । हमने बडे ही परिश्रमसे इस कानूनको ऐसे नये ढंग और नये सङ्कलनसे बनाया कि प्रत्येक विषयका तत्सम्बन्धी ज्ञान पाठकों को एक ही जगह पर हो जाय । इधर उधर ढूंढना न पडे और संक्षिप्तसे वे सब बातें जो उस विषयके लिये जानना आवश्यक है उसी जगह पर मालूम होजाय।

जाबता दीवानीका अर्थ है दीवानी अदालतोंकी कार्यवाही अर्थात् दीवानी अदालतोंकी कार्यप्रणालीकी विधि । जैसे जाबता फौजदारी, फौजदारी अदालतों की कार्य प्रणालीका विधान है उसी प्रकार दीवानी अदालतोंके लिये जाबता दीवानी भी है । दीवानी अदालतोंमें काम करनेके लिये इस कानूनका जानना बहुत जरूरी है । आपको इस ग्रन्थके पढ़ते ही यह बात मालूम हो जायगी कि आपके लिये यह कानून हर समय पास रखना कितना जरूरी और लाभदायक है । दीवानी अदालतोंमें काम आने वाले दूसरे कानून और नमूने आदि हजारों बातोंका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है । हम अधिक इस विषयमें कहना नहीं चाहते क्योंकि आप इस कानूनकी प्रधानता जानते हैं । सूचीपत्रसे ही आप हमारे परिश्रमका अनुभव कर सकेंगे कानून पेशा भाइयोंके लिये इससे बड़ी सहायता मिलेगी हमें विश्वास है कि हमारे हिन्दी प्रेमी भाई इसके द्वारा लाभ उठाकर हमारे परिश्रमको सफल करेंगे ।

ता० १ मार्च सन १९२७ ई०

निवेदक

चन्द्रशेखर शुक्ल

संग्रह ज़ाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई०

—०—

विषयानुक्रमणिका

वकालतनामा

फरीकैन और दावाकी बिनाय मुखासमत

अर्जीदावा

भाग २.

नालिशका दायर करना

अर्जीदावा मंजूर कर लिये जानेके बादकी कार्रवाई समनकी तामीली

समन तामील होजानेके बादकी कार्रवाई

समनकी तामील होजाने और हाजिर होजानेके बादकी कार्रवाई

विषय पेज

उमूर तनक़ीहतलव का फ़ैसला होजानेके वादकी कार्रवाई

गवाहोंका तलब किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशीका बढ़ाया जाना

बहस और नजीरोंका पेश किया जाना

विषय पेज

फैसला-डिकरियां-खर्चा

डिकरियों और हुक्मोंकी इजरा

इजराकी दरख्वास्त

खास खास हालतोंकी नालिशें



भाग २

(ज़मीमा और रूल्स)

—○※○—

रेफरेन्स-नज़रसानी और निगरानी

अपीलें और मुक़द्दमेंकी वापिसी

न्यूनता पूरक कार्रवाई

हुक्म दर्मियानी और विविध विषय



भाग २

(ज़मीमा और रूल्स)

—∝※∞—

संग्रह जाब्ता दीवानी

ऐक्टनं० ५ सन १६०८ ई०

परिशिष्ट २

पंचायत

दफावार सूची

व्याख्या और नजीरें

सवालात और जिरह

जिरह

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

नं० १६ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

दूसरा प्रकरण

(शिरस्ता रजिस्ट्री)

तीसरा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेजोंके विषयमें)

चौथा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें)

पाचवां प्रकरण

(रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें)

छठवा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें)

सातवां प्रकरण

(दस्तावेज लिखनेवालों तथा गवाहोंकी हाजिरीके विषयमें)

आठवा प्रकरण

(वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामाके पेश किये जानेके सम्बन्धमें)

नवां प्रकरण

(वसीयतनामोंके अमानतमें जमा करनेके विषयमें)

दसवां प्रकरण

दफा	विषय	पेज

ग्यारहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषयमें)

दफा	विषय	पेज

बारहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री किये जाने से इनकार किये जानेके विषयमें)

तेरहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री, खोज और नकलोंकी फीसके विषयमें)

चौदहवां प्रकरण

(दण्डके विषयमें)

पंद्रहवां प्रकरण

(विविध)



व्याख्या और नजीरें

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट

नं० ९ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

दूसरा प्रकरण

(नालिशों, अपीलों, और दरख्वास्तोंकी मियाद)

तीसरा प्रकरण

(मियादकी मुद्दतका शुमार

चौथा प्रकरण

(दखलके जरिये मिल्कियतका हासिल करना)

पांचवा प्रकरण

(बचत और मंसूखी)

नये मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

नये मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

इण्डियन वालिंटियर्स ऐक्ट
नं० २० सन १८६९ ई०

दफावार सूची

न्यूज़ पेपर ऐक्ट
नं० ८ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

स्टेट आफेंसेज़ ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

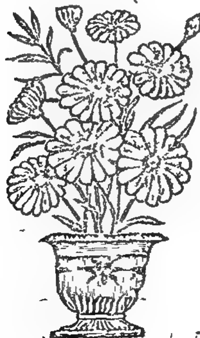
दफावार सूची

भाग ३

प्लीडिङ्गस्, अर्जियों और दस्तावेजों आदिके नमूने

अर्जीदावा और बयान तहरीरी

विषय	पेज



कोर्टफीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०

—:o:—

इति।

संग्रह जाब्ता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०



अर्थात

भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली व्यवहार,
एवं उपयोगी मसविदों, कानूनों तथा
सूचनाओं सहित।

प्रकाशक
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मवक्किल और वकीलके



कर्तव्य

उद्देश्य—आज हम जाब्ता दीवानीको हिन्दीमें लिखनेके लिये उद्यत होते हैं। यह केवल अनुवाद नही है बल्कि भिन्न भिन्न स्थानोंमें फैले हुए विषय एक जगह करके तत्सम्बन्धी विषयको भाइयोंके लिये सरल हिन्दी द्वारा परम उपकारी एक नये ढगका ग्रन्थ है। अगरेजीके अच्छे विद्वान वकीलोंके लिये हम इस ग्रन्थके लिखनेका परिश्रम नही कर रहे है, हमारा परिश्रम हिन्दी जानने वाले तथा अदालती काम करने वाले भाइयोंके निमित्त है।

नोटबुक—हमारे देशमे जनता अगरेजी कानूनसे बहुत कुछ अज्ञान है अदालतोंमे जो लोग किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमे आते हैं वे बहुधा होशियार और कानून जानने वाले नही होते इसी लिये वे दलालों, अयोग्य मुहर्रिरों तथा वकीलों द्वारा खूब ठगे जाते हैं उनके हितका वास्तवमें काम बहुत कम होता है। यदि भाग्यवश उनको किसी काम या मामलेमे सफलता मिल गई तो लोग अपनी योग्यता या पैरवीका फल बताकर शुकराना या इनाम आदिका हक पेश करते है। नीचे हम अपने भाइयोंके हितके निमित्त कुछ बाते संक्षेपमें लिखते हैं जिनके जान लेनेसे और उन पर अमल करनेसे उनके मामलेको अच्छी तरह विधिपूर्वक लड़े जानेके लिये बहुत सहायता मिलेगी।

अगर आप कोई भी भाषा लिखना पढ़ना नही जानते तो अपने किसी अभिन्न हृदय मित्रसे, और यदि आप लिखना पढ़ना किसी भाषाका जानते हैं तो स्वयं,जो मामला अदालतमें जानेवाला है उसकी सब बातें एक साफ कोरे कागजमें पहले लिखते जाय। ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप नोटबुक अर्थात जेब या बगलमें रखने लायक चौपतिया बनाकर उसमें अपने मामलेकी सब बातें लिखें। वह नोटबुक अपने पास रखें उसमें एक पेन्सिल भी लगी रहे रास्तेमें या जहां कहीं आपके ध्यानमें कोई नई बात याद आजाय उसी समय उस नोटबुकमें लिखलें। इस तरहकी लिखावट बेतरतीब होगी इस बातका आप जरा भी ध्यान न दें। जहां तक हो सके नोटबुकके अन्दर जहां पर मामलेकी बातोंका लिखना

आपने शुरू किया है उसी जगहसे आगेके पेजमें उन बाते लिखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समयपर उस जगहपर लिखी बाते देखनेसे छूट जाती है जो सिलसिलेको छोडकर इधर उधर लिखी गई हे इसलिये मामलेका सब बातें एक ही सिलसिलेमें होना चाहिये। आप पहले यह ख्याल न करे कि अमुक बात हमारे मतलबकी नहीं है या अमुक बात हमारे खिलाफ है या अमुक बात इस मामलेसे सम्बन्ध नहीं रखती। पहले जो जो बाते आपको अपने पक्ष या अपने विरुद्ध याद आती जावे सबको सब उस नोटबुकमें सिलसिलेसे लिखते रहे। आप जब किसी दूसरे से अपने मामलेकी कोई बात पूछे या कोई अपनी तरफसे उस मामलेकी बात कहे और ऐसी बात जो नोटबुकमें उस समय तक नही लिखी गई है तो आप फौरन उस बातको या उन बातोंको नोटबुकमें लिख ले। साथ ही यह भी लिखले कि वे बाते किसके जरिये आपको मालूम हुयी और तारीख भी उसी जगह लिख लें। आप तारीख और नाम लिखना सम्भवत निरर्थक समझेंगे परन्तु निरर्थक नहीं है। आपको उसके देखनेसे समय और उस व्यक्तिका स्मरण आजायगा और बहुत सम्भव है कि उन बातोंमेंसे कोई ऐसी बात फिर आपको जाननेकी जरूरत पड जाय या उन बातोंमेसे कोई अपूर्ण बात रह गई हो या ऐसी विशेष घटना पैदा हो जाय जिसके कारण आपको उस व्यक्ति और समयको खोज करना पडे। मेरा कहना तो यह है कि आप अपने मामलेके बारेमें रोजाना जो काम करें उसकी एक जानने योग्य सूची नित्य लिख लिया करें। ऐसी डेली रिपोर्ट अर्थात दिनचर्यासे बडा भारी काम निकलता है कभी कभी ऐसा काम निकलता है कि जो हजारो रुपया खर्च करनेसे नही निकलता। मामले पर इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। आपको वाकिफकारी हर समय ठीक ठीक बनी रहेगी। सच्ची घटनाओंका चिट्ठा हर समय सामने रहेगा। अक्सर जरूरी बाते वकीलको समझाते समय भूल जाती है, पीछे याद आनेसे लाभ कुछ नही होता।

मवक्किल अकसर कोरे कागजकी बहुत किफायत करते है। कोरे कागजका खर्च उनको भाप अच्छा नहीं लगता। अपने मामलेकी बाते एक ही कागजमें बडी सकेतीके साथ लिखते है चाहे फिर उन्हीसे पढ़े न चले या वही पीछे समझ न सके। हम आपको सलाह देते हैं कि कोरे कागजकी बचतकी अपेक्षा आपका मामला बहुत कीमती होता है और यह किफायत बेहद बुरी, बहुत खराब और बहुत ही निंदनीय है। मवक्किलों की बाते तो है ही, पर हमने कतिपय वकीलोंको ऐसा करते देखा है। वकीलोंकी बातका हम उनके प्रसङ्गमें उल्लेख करेंगे यहा पर हमें अपने भाइयोंसे कहना है कि आप कोरे कागजकी किफायतको कभी दिल पर न आने दें। अपने पास आवश्यकतासे कुछ अधिक अच्छे कागज हर समय रखे और अपने वकीलको भी अपने कामके मतलबसे देते रहें। सरकारी छपा प्रत्येक फार्म अपने पास रखें।

नोटबुक उपरोक्त अमबद्ध रीतिसे जैसी जैसी तय्यार हो ती जाय वैसे वैसे नोटबुकसे अपने मामलेकी बातोंका तारीखवार रीतिसे इतिवान शुरू करते चलना चाहिये। एक बड़ा रजिस्टर बना लेना अच्छा होता है। यदि बहुत छोटा मामला है तो रजिस्टरकी जरूरत नहीं है सादे अलग अलग कागजों पर ही यह काम हो जायगा।

समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण—नोटबुकमें लिखी या न लिखी सब बातोंकी घटनाओंको समयके अनुसार तरतीबवार लिखलेना चाहिये। जिसबात या घटनाके पीछे जो बात या घटना हुई हो उसको उसके पीछे क्रमसे लिखे। जैसे सन् १९०१में जो बातें हुई हों उसके पीछे १९०२ या बाद वाले सनकी बातोंको लिखे। सनसे मतलब दिन, तारीख और महीनासे है। यदि अंगरेजी सन याद न हो तो तिथि और मास तथा सम्वत लिखिये। यदि यह भी याद न हो तो और निश्चित होना सम्भव न हो तो आप पहिलेकी घटनाको पहिले लिखें उसके बादकी घटनाको पीछे लिखे। यदि आपको किसी घटनाकी तारीख या सन दोनों याद हैं और पीछेकी घटनाओंको याद नहीं है तो जो याद है उसके आगे पीछे जो घटना हुई उस उसी प्रकारसे लिखलें। ऐसा न करें कि एक या कई घटनाओंकी तारीखें आदि याद हैं और कइकी नहीं याद है तो सबकी तारीखें छोड़ जाय। लिखनेमें जहां सन और तारीखका जिकर करना चाहिये और आपको इस वक्त याद नहीं है तो थोड़ीसी जगह इसी मतलबसे उस जगह पर छोड़ दें ताकि जब याद आजावे तब उस जगह पर लिख दी जाय। ज्यादा अच्छा हो कि जहांपर इस मतलबसे जगह छोड़ी जाय उस छोड़ी हुई जगहमें ऐसी (.) बिंदियां लगादें ताकि दूसरे फौरन मालूम हो जाय कि इस जगह कुछ लिखनेसे छूटा है।

समयके अनुसार मुकद्दमेका विवरण लिखना सहज काम नहीं है। विवरणमें समयके क्रमसे मामलेकी आजतककी सब बात ऐसे ढंगसे आजाना चाहिये कि पढ़नेवाला मामलेकी असलियतको फौरन समझ जाय। हम जानते हैं कि सब मवक्किल यह विवरण नहीं लिख सकते किन्तु बहुतेरे हिन्दी जानने वाले परम चतुर और योग्य हैं तथा हमारी सूचनाओंसे उन्हें मदद मिलेगी। जिस कागज पर यह विवरण लिखा जाय उसके बायें तरफ हिन्दी और अङ्गरेजी लिखनेमें व दाहिनी तरफ उर्दू लिखनेमें एक चौथाई कागज लम्बाईमें छोड़ दिया जाय। ऐसे छूटे हुए कागजको हाशिया कहते हैं। जिस समयकी बात आप लिखें उस समयकी तारीख व सन आदि हाशिये पर लिख दें। लेकिन हाशिये पर सिवाय तारीख व सनके और कुछ न लिखें ताकि फौरन निगाह उसपर पड़ जाय। वाक़ियातको अन्दर लिखें। जहां कागजोंका हवाला आवे वहां उस कागजकी तारीख व सन व वह कागज कहां का है इसका जिकर बराबर करते जांय। एक बात जो पहले लिख चुके हैं उसे फिर दुबारा न लिखें यदि भूल गये हों तो फौरन काट कर ठीक करदें जिस घटनाका जिकर करें उसे वहीं खतम

रदें। यदि उसका सम्बन्ध पीछे आवश्यक हो तो कोष्टके अन्दर उसी जगह
र सकेत कर दें। इस तरह पूरा मुकद्दमा लिख जाने पर बार बार उसे पढ़ें,
वचारें और सोचें फिर उसे ठीक करते रहें। इस ढंगसे काम करने पर आपके
मामलेकी कोई बात नहीं छूटेगी।

विषय और समयके अनुसार विवरण—समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण बन जाने पर आप विषयवार एक विवरण और तय्यार करें। ऊपर सब विषयोंको समयके अनुसार क्रमबद्ध किया गया। अब वाकियातों और कागजों को विषयवार करदें जैसे—पटवारी या कोई खास किस्मके कागजात हैं तथा समयके अनुसार बीच बीचमें आगये हैं तो उन्हें एक एक किस्मको उनके समयके अनुसार इसी तरह पर कर दीजिये। यह विषयवार खाता बन जायगा।

वकीलको समझाना और नकलें—मवक्किलको चाहिये कि विश्वासनीय वकीलसे सब बातें कह दे। जितनी बातें वे अपनी बात या दावाके समर्थनमें समझते हों चाहे वे कानूनी हों या न हों सब बातें वकीलसे कहें। यदि उपरोक्त रीतिसे लिख लिया है तो उसे देदें। अपने खिलाफ भी सब बातें बतादें, कागजात दिखा दें, नोट करादें, क्योंकि खिलाफ बात जाननेसे शत्रु पक्षका बल मालूम होता है और बचाव ठीक सोचा जा सकता है।

मवक्किलको जरूरी है कि अपने सब कागजातकी नकलें करले या करा ले। नकलोंमें इस बातका पूरा ध्यान रहे कि असल कागजमें जैसा जहांपर लिखा हो वैसे ही नकल की जावे। नकलके बाद मिलान कर ले। एक हरफका या निशानका फरक न पडे। असल कागजकी पुश्तपर जो इबारत हो उसको उसी तरह पर लिखले। नकल बडी होशियारीसे करना चाहिये कितने ही मुहर्रिर ऐसी नकल नहीं करते, वे इस कौशलको नहीं जानते इसलिये मवक्किलको इन बातोंसे सचेत रहना चाहिये। अपने और शत्रुके सब कागजोंकी ठीक नकलें जो अदालतमें दाखिल हो लेना जरूरी है। सब मिसिल एक तरतीबसे इकट्ठा रहना चाहिये। मवक्किलको एक ऐसी मिसिल अपने पास रखना भी चाहिये।

अदालतका खर्चा—खर्चा समय पर न देनेसे बड़ा नुकसान हो जाता है यही दशा काम खर्च दाखिल करनेमें होती है इसलिये मवक्किलको चाहिये कि अदालतका खर्चा वकीलके पास जमा कर दे ताकि ठीक समय पर दाखिल करनेकी जिम्मेदारी वकील पर हो जाय। ज्यादा अच्छा यह है कि रजिस्टर बनवाकर वकील साहबको दिया जाय जिसमें मुकद्दमेके नोट और अन्य सब बातें तथा खर्चा वगैरहका हिसाब लिखा रहे इससे कागजोंको खो जानेका डर नहीं रहता खचापी रसीद प्राय वकील लोग अपनी बचतके ख्यालसे नहीं देते खर्चा आदिका सब काम प्राय मुहर्रिर करते हैं। रजिस्टरमें अपने सामने लिखा

वकील पर विश्वास—मवक्किलका यह विश्वास गलत है कि बड़े वकील जोर मुकद्दमा जीत लेते हैं। बात यह है कि अच्छे वकीलके हाथसे अच्छा मुकद्दमा खराब नहीं होता और अयोग्य वकीलसे अच्छा मुकद्दमा बरबाद हो जाता है। अच्छा वकील कर लेनेके बाद यह न सोच लेना चाहिये कि बस अब सब काम वकील साहब कर लेंगे। वकीलके पास बहुत मामले रहते हैं इससे प्रत्येक बातमें उसे याद दिलाकर आज्ञानुसार सब काम बड़ी मुस्तैदीसे टाइम पर कर देना चाहिये, वकीलको बराबर सूचित करते रहना चाहिये जरूरी बातोंके नोट डायरी रजिस्टर या नोटबुकमें कराते रहना चाहिये।

मुहर्रिरका कर्तव्य—यदि मवक्किलने ऊपर बताये हुए नियमोंका ठीक पालन नहीं किया या कुछ नहीं किया तो मुहर्रिरको चाहिये कि वह उपरोक्त विधिसे मामलेको तय्यार कर ले ताकि उसके वकीलका टाइम नष्ट न हो। आजकल अकसर मुहर्रिर, तहरीर या फीसकी फिक्रमें ही रहते हैं मामलेकी बातको समझना या तय्यार करना वे वकीलका काम समझते हैं। वे अपना धर्म सिर्फ यह समझते हैं कि जो कुछ वकील साहब मसविदा लिख देंगे, हम साफ करके दाखिल कर देंगे या जो वे बोल देंगे हम लिख देंगे। हम अपने भाई मुहर्रिरोंसे विनय करते हैं कि उनका पेशा बहुत ऊंचा है, वे वकीलके प्रधान अङ्ग हैं, वकीलको वे खतरेसे बचाये रख सकते हैं। इल्मो लियाकत, कानूनकी जानकारी, कार्य कौशलता, मवक्किलके प्रति सद्व्यवहार, ईमानदारी, काम करनेकी योग्यता आदि उन्हें यश और आमदनीका स्त्रोत खोल देती है।

वकीलकी कार्य प्रणाली—जब मवक्किल वकीलके पास आवे तो उसे चाहिये कि मामलेके वाकियातको अच्छी तरह समझ ले मवक्किलकी सब बातोंको बगौर सुने और यह देखे कि क्या जो वाकियात वह बतला रहा है उससे स्पष्ट विनाय मुखासमत दावाकी पैदा होती है? या क्या उन वाकियातोंके आधार पर अदालतमें उसके सफल होनेकी आशा है? मामलेको समझते हुए वकीलको यह न भूल जाना चाहिये, अकसर मवक्किल अपने वकीलको अपने पक्षके समर्थन की बातें बताते समय उमंगमें बिना इरादेके भी कमजोर बातें बताना भूल जाता है जिनका जानना कानूनी वकीलके लिये बहुत जरूरी है ताकि वह सही राय [illegible]यम कर सके। मवक्किलकी बातोंको आवश्यतासे अधिक विश्वास न कर लेना [illegible]ाहिये। वकीलके लिये न तो यह जरूरी है कि वह मवक्किलकी बातका [illegible]रे और न यह कि सबपर विश्वास ही करले। अकसर मुकद्दमेबाज [illegible]त वकीलको नहीं बताते बल्कि जोशमें आकर गलत बयान [illegible]तें छिपाते हैं, इससे वकीलको बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। [illegible]को चाहिये कि वह जिरहकी तौर पर सवालात करता [illegible] पता चल जाय। इसके लिये यह जरूरी है कि वह [illegible]सकी तारीफ करे और निश्चय दिलावे कि मैं तुम्हारे

प्लीडिङ्गस



(अर्थात मसविदा)



मसविदा तैयार करना—मामलेके वाकियातको अच्छी तरह समझ लेनेके बाद वकीलको चाहिये कि वह जाबता दीवानीके आर्डर ६ और ७ मे बतलाये हुये नियमोंके अनुसार अर्जीदावाका मसविदा तैयार करे।

केवल अनुभव और अभ्याससे ही मसविदा तैयार करनेकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। एक नये वकीलके लिये सबसे अच्छा तो यह होगा कि वह कार्यारम्भ करनेके समयसे बराबर अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अर्जियां वगैरा स्वयं लिखा करे और अदालतमे पेश करनेके पहले उसे किसी अपनेसे बडे वकील को दिखा दे और दुरुस्त कराले। जो वकील सब काम अपने हाथसे करनेका अभ्यास करेगा, वह उस वकीलकी अपेक्षा जो गैर जुम्मेदार मुहर्रिरों और दूसरे आदमियोंसे मसविदा कराता है, अच्छा मसविदा तैयार करनेका ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकता है। अगर वह तमाम अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अर्जियां वगैरा, जाबता दीवानीमे बतलाये हुये नियमो तथा दूसरे कानूनोंके अनुसार तैयार करता है तो यह आशा की जाती है कि वे सब अच्छी तरहसे काममे लाये जानेके योग्य होंगे। उसे पारिभाषिक शब्दों और कानूनी भाषाके लिये अधिक व्यग्र न होना चाहिये। अगर वे और सब तरहसे ठीक है और कानूनके मुताबिक तैय्यार किये गये हैं, तो उनमे इन कानूनी और पारिभाषिक शब्दोंके न होनेसे कोई खराबी पैदा न होगी। ज्यों ज्यों अपने काममे उनका अनुभव बढता जायगा उसे पारिभाषिक शब्दों और स्थानीय भाषाका ज्ञान धीरे धीरे होता जायगा जो प्लीडिङ्गसमे अक्सर देखी जाती है।

एक बात और है जो एक नौसिखिया वकीलको करना चाहिये। वह यह है कि वह उन तमाम मसविदोंकी नकलें जमा करे और अपने पास रख छोडे जो बड़ होशियारीके साथ तैयार कीगई मालूम हों और जो भिन्न भिन्न विषयोंके सम्बन्धमे हो। इनसे उसे बहुत बडी सहायता मिलेगी और आरम्भमे होनेवाली बहुत सी दिक्कतोंसे छुटकारा मिल जायगा। प्लीडिङ्गस अर्थात अर्जीदावा, बयान तहरीरी इत्यादि, के सम्बन्धी वे नियम जो जाबता दीवानीमे बतलाये गये हैं उनको तैय्यार करते समय, स्मरण रखने चाहिये।

यह कहनेकी आवश्यकता नही है कि मुफस्सिलमे प्लीडिङ्गस तैयार करनेकी कला अभी अपनी असली हालतको नही पहुंची है। अर्जीदावा और जवाब दावा अभी उसी तरहपर तैयार किये जाते है जैसे पहले किये जाते थे। बहुधा देखनेमे आता है कि प्लीडिङ्गसमे ऊट पटांगकी बातें भरी रहती हैं, और जिनमे पक्की

बात कई बार लिखी हुई होती हैं और बहुत सी असगत बाते लिखी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अकसर उनका मसविदा तैयार करनेवाले, वकीलोंके मुहर्रिर हुआ करते हैं जिनको कानूनका उतना ही कम ज्ञान होता है जितना कि और बातोंका। प्लीडिङ्गस हिन्दुस्तानी भाषामे लिखी जाती है, और मुहर्रिर लोग, जिन्होंने कुछ प्रचलित फिकरे और महाविरे रट लिये हैं, उनको हरएक मामलेके अन्दर प्रयोगमे लानेकी कोशिश करते हैं और उसमें अपने कयास को खूब दौडाते हे। नतीजा यह होता है कि इससे मामलेके असली वाकियातको एकत्र करने और उमूर तनकीह ढूँढ़नेमें बहुत सा समय नष्ट होजाता है और कभी कभी बहुत बड़ी बडी भूले और अशुद्धियां रह जाती हैं। यह परमावश्यक है कि प्लीडिङ्गसका मसविदा स्वयं वकीलोंको ही तैयार करना चाहिये और उसे अदालतमे पेश करनेके पहले बगौर देख जाना चाहिये। वकीलोंकी इस मामलेमें बहुत बडी जुम्मेदारी होती है, क्योंकि उसका मुवक्किल प्लीडिङ्गसमें लिखी गई हरएक बातसे बाध्य होगा और उसमे गलती अथवा भूलका परिणाम बहुत ही भयङ्कर होजाता है। मैंने बहुत से अवसरोंपर वकीलोंको प्लीडिङ्गसमे लिखी गई बातोंके आवश्यक और अवश्यम्भावी परिणामोंको यह कहकर टालते हुये देखा है कि इससे हमारा मतलब उस मतलबसे बिल्कुल भिन्न था जो इस समय लगाया जारहा है। लेकिन जिस शख्सने असलमें ये शब्द लिखे हैं उसने भूलकी है और वह मंशाको ठीक तौरसे जाहिर नहीं कर सका है। वास्तवमें मुकद्दमेके समय इस तरहकी कोशिश बिल्कुल बेसूद है। इससे केवल वकीलके नामपर धब्बा ही नहीं आता है बल्कि सारा मुकदमा मिट्टीमें मिल जाता है, क्योंकि इससे जाहिर यह होता है कि वह अपनी जुम्मेदारियोंसे बचना चाहता है। प्लीडिङ्गस तैयार करने मे बहुत बडी होशियारी रखनी चाहिये, क्योंकि वही उस मामलेका असली ढाचा है और इन्ही प्लीडिङ्गसके कारण मुकद्दमेकी बहुत कुछ कामयाबी और नाकामयाबी रहती है। अभी एक हालके मुकद्दमेमे चीफ जस्टिस मियर्सने कहा है —

"इस अदालतमे वकालत करनेवाले सभी वकील साहबान इस बातसे सहमत होंगे कि गत दो वर्षोंमें एक भी सप्ताह खाली नहीं गया है जिसमे किसी न किसी ओरके वकीलने यह बात स्वीकार न की हो कि वह जिस ढङ्गसे नीचेकी अदालतमें मुकद्दमा चलाया गया है उसके कारण बडी कठिनाईमें पडगया है, और उनकी यह शिकायत केवल किसी कानूनी बुनियादपर ही नहीं होती है बल्कि एक बहुत बडे महत्वकी और आवश्यक बातके आधारपर, जैसे मामलेके बारेमें बहस करनेमें बहुत बड़ी कमीका होना आर्डर ६—रूल ४ और ५ के अनुसार जाचता दीवानीका आवश्यक बातों का प्राप्त न कर सकना, मुद्दई या मुद्दाअलेह अथवा और किसी जरूरी गवाहको तलब करनेमें असावधानी करना या जानबूझकर ( ) या हिसाबकी किताबोंका छिपा रखना।" देखो 68 I C 812 F B, 20; A L J 674

प्लीडिङ्गस —जाबता दीवानी सन १९०८ ई० का आर्डर ६, जो प्लीडिङ्गस के सम्बन्धमें है, बिलकुल नया है । इसमें प्लीडिङ्गसके सम्बन्धी कुछ नियम हैं जो प्लीडिङ्ग लिखनेके उसी ढङ्गके आधारपर जारी किये गये हैं जो इङ्गलैण्डमें न्यायालय सम्बन्धी कानूनों (Judicature Acts) द्वारा रायज किया गया है। वकीलको चाहिये कि यह उसे खूब ध्यानपूर्वक पढ़ जाय और उसमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ही अपना मसविदा तैयार करे। अकसर यह देखा जाता है कि प्लीडिङ्गसमें बहुत सी व्यर्थकी और असङ्गत बातें भरी रहती हैं और ऐसी दशामें इन व्यर्थ और ऊट पटांगकी बातोंसे असली वाकियातको अलग करना मुश्किल होजाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उमूर तनकीह बढ़ जाते हैं और उस समय प्लीडिङ्गससे जो मन्शा होता है वह सबका सब नष्ट होजाता है। मुकद्दमाके फैसले होनेमें देर होजाती है और फरीकैनको व्यर्थका खर्च उठाना पड़ता है और कभी कभी उनका मुकद्दमा खारिज भी होजाता है। प्लीडिङ्गसके सम्बन्धमें नियमोंके बनानेका उद्देश्य यह है कि मौजूदा हालतको और अधिक उन्नत बनाया जाय। और यह आशा की जाती है कि प्लीडिङ्गस तैयार करनेमें विशेष ध्यान रखा जायगा। प्लीडिङ्गस संक्षिप्त (मुख्तसर) और ठीक ठीक होना चाहिये। इस व्यवस्थाका असली प्रयोजन यह है कि फरीकैनको तनकीहों का जवाब ढूढनेमें आसानी हो और उनका व्यर्थमें धन और समय नष्ट न हो, खासकर उस शहादतके सम्बन्धमें जो दोनों ओरसे मुकद्दमेके वक्त पेशकी जानी चाहिये।

प्लीडिङ्गसका अर्थ है अर्जीदावा, बयान तहरीरी, आर्डर ८ के रूल ४ और ५ के अनुसार लिखी जानेवाली बातें, किसी दावा मुकाबिलका जवाब, जायद बयान तहरीरी इत्यादि। प्लीडिङ्गमें असली वाकियातका संक्षिप्त वर्णन होना चाहिये जिनके ऊपर फरीक मुकद्दमा अपने दावा या सफाईको पेश करना चाहता है, वह शहादत नहीं जो उनको साबित करनेके काममें लाई जानेको है; और आवश्यकता पड़नेपर यह ऐसे पैराग्राफोंमें बांट दी जायगी जिनमें सिलसिले वार नम्बर डाल दिये जायँगे। तारीख, रकम और नम्बर अंकोंमें लिखे जाने चाहिये शब्दोंमें नहीं (देखो, आर्डर ६, रूल २)। नमूनाके सम्बन्धमें देखो जाबता दीवानीका परिशिष्ट (ए)। जरूरी बातोंमें वे वाकियात शामिल नहीं हैं जिनको साबित करनेका मुकद्दमेके समय किसी फरीकको हक है (देखो 22 C L J 245)। आर्डर ७, रूल १ (ई) का कहना यह है कि अर्जीदावामें वे बातें होनी चाहिये जो कि दावाकी बिनाय मुखासमत पैदा करती हैं। इसलिए अर्जीदावाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसमें हानि इत्यादिकी सम्बन्धी बातें बढ़ाकर दर्ज की जायँ और न यही आवश्यक है कि बयान तहरीरीमें हानि (नुकसान) को घटाकर बतलाया जाय (देखो, आर्डर ८, रूल ३)। प्लीडिङ्गस में कोई बात ऐसी न लिखी जानी चाहिये जो विरोधी पक्षके उत्तरके बारेमें पहले से ही सोच लीगई हो। फरीकोंको वही बातें लिखनी चाहिये जो मुकद्दमेके प्रारम्भमें आवश्यक हैं (देखो 1893 1 Q B 571) प्लीडिङ्गसमें विरोधी पक्षके

इक़बालको नहीं लिखना चाहिये, क्योंकि यह इक़बाल सिर्फ़ शहादत ही है (देखो 7 Ch D 473)।

मुद्दईको यह अधिकार है कि वह बहुतसे भिन्न भिन्न अधिकारोंको काममें लावे, फिर चाहे वह असंगत ही क्यों न हो देखो लार्ड जस्टिस ब्रेटका फैसला 4 Q B D 127, 134—इसी तरह मुद्दाअलेह भी जितनी चाहे उतनी तरहकी और असंगत सफ़ाई पेश कर सकता है। अगर दो अलग अलग मुक़द्दमे क़ायम किये गये हैं तो उन दोनोंके वाक़ियात एकमें शामिल न कर देने चाहिये, इसलिए कि विरोधी पक्ष हरएक मामलेसे सम्बन्ध रखनेवाले वाक़ियातको छाट लेगा, किन्तु वाक़ियात अलग अलग बतलाये जाने चाहिये ताकि उनसे यह जाना जासके कि किन वाक़ियातके ऊपर किस दादरसीके लिये दरख़्वास्त की गई है (देखो 3 Ex D 251, 255 मे लार्ड चीफ जस्टिस थे सीजरका फैसला तथा आर्डर ८, रूल ७)। हिन्दुस्तानमे इसके लिये कोई दूसरा नियम नहीं है। मुद्दई अलग अलग अपने बहुतसे अधिकारोंका प्रयोग कर सकता है, यद्यपि वे असंगत ही क्यों न हो (देखो 34 Cal 51 F B 24 C W N 145) । लेकिन जैसा 15 Cal 684 मे जुडीशल कमेटीने बतलाया है, मुद्दईको बिल्कुल एक दूसरेके विरोधी वाक़ियातको अपने दावामें लिखनेकी इजाजत न दी जायगी, जिनमे एक दूसरेका घातक हो (देखो, 22 C L J 254, 21 C W N 939, 22 C L J 309) अगर सफ़ाई ऐसी है, जिससे मामलेमें बडी गड़बडी पडती हो तो अदालतको यह अधिकार होगा कि वह आर्डर ६, रूल १६ के अनुसार यह हुक्म दे कि उन दो असम्बद्ध सफ़ाईके बयानोंमेसे एक उड़ा दिया जाय (देखो 7 I C 167, 15 I C 382)।

उन प्लीडिङ्गसके पेश करनेकी इजाजत तो है जो एक दूसरेसे असम्बद्ध हैं, लेकिन यह मुद्दई या मुद्दाअलेह, जो अपने असम्बन्ध बातोंको पेश कर सकनेके अधिकारका प्रयोग करना चाहता है और उन दोनों बातोंको ऐसे जबानी सुबूतसे साबित करना चाहता है जो बिल्कुल प्रतिकूल पडता है तो वह अपने आपको ऐसे संकटके गढेमें डालना चाहता है जिसमेंसे उसका निकलना असम्भव नहीं तो कष्ट सम्भव तो अवश्य ही होजाता है, क्योंकि जो शहादत ऐसे दो मामलोंका समर्थन करनेके लिये पेश कीगई हो जो एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न है और एक दूसरेके नाशक हैं, उसपर मुश्किलसे विश्वास किया जासकता है (देखो 28 C W N 131)।

उन तमाम हालतोंमे, जिनमे प्लीडिङ्गस पेश करनेवाला फरीक़ किसी गलत बयानी, धोखा, ख़यानत, जानबूझकर किये गये क़सूर अथवा अनुचित दबाव डालनेके आधारपर अपना मामला चलाना चाहता है, और उन तमाम हालतों में, जिनमे मामलेकी खास खास बातें सविस्तार लिखी जाना आवश्यक है, वे तमाम बातें प्लीडिङ्गसमें तहरीरकी जानी चाहिये (देखो, आर्डर ६, रूल ४), अदालतको अधिकार होगा कि वह उस प्लीडिङ्गमें कोई और विशेष बात और उससे अच्छी

ऐसी शर्त, जो पहले की है और जिसके पूरा करनेके ऊपर वाद-विवाद किया जानेको है, साफ साफ लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ६)। किसी मुआहिदेका इनकार कर दिया जाना सिर्फ उस तहरीर या फेलसे इनकार कर देना है। इससे यह कदापि न समझा जाना चाहिये कि यह इनकारी उसके जवाज (Legality) से या इस बातकी इनकारी है कि उसपर कानूनी कारवाई नही की जासकती (देखो, आर्डर ६, रूल ९)। लेकिन कभी कभी ठीक ठीक शब्दोंका लिखा जाना आवश्यक है अर्थात् किसी की जबानी या तहरीरके जरिये हतक इज्जती (मान हानि) करनेके मामलेमे वे शब्द लिखे जाने चाहिये जो मान हानि करनेके लिये प्रयोगमे लाये गये हैं। अगर मामलेकी बुनियाद अदावत, खराब मन्शा या ऐसी ही और किसी बातपर हो तो उनके अलग अलग वाकियात की तरहपर तहरीर किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १०)। अगर किसी नालिशकी बुनियाद कोई नोटिस है तो उसे बतोर एक वाकियेके दर्ज किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ११)। अगर बहुत से पत्रों (चिट्ठियों) या जबानी बात चीत आदिसे कोई मुआहिदा या कोई सम्बन्ध साबित होता हो तो ऐसे मुआहिदा या सम्बन्धको बतौर वाकियाके तहरीर करना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १२)।

दस्तखत और तस्दीक

हर एक प्लीडिङ्ग के ऊपर फरीक और उसके वकीलके (अगर कोई हो) हस्ताक्षर (दस्तखत) होंगे। लेकिन जब फरीक गैर हाजिर होने या और किसी कारण से दस्तखत नही कर सकता तो उस पर किसी ऐसे आदमीके दस्तखत होंगे जिसको उस पर दस्तखत करने, नालिश दायर करने या उसकी ओर से किसी मुकदमेमे सफाई वगैरा पेश करने के लिये बाकायदा इजाजत दीगई हो (आर्डर ६, रूल १४)।

१—हर एक प्लीडिङ्गके नीचे प्लीडिङ्ग दाखिल करने वाले फरीक की या उनमे से किसी एक फरीककी या किसी दूसरे ऐसे शख्सकी तस्दीक होगी जिसकी निस्बत अदालत को यह यकीन दिला दिया जाय कि वह मामलेके वाकयात से बखूबी वाकिफ है।

२—तस्दीक करने वाले शख्स को चाहिये कि वह प्लीडिंगके नम्बर शुदा पैरा ग्राफोंका उल्लेख करते हुये उनमे यह लिखे कि कितने की तस्दीक वह अपनी जाती जानकारीसे करता है और कितनेकी तस्दीक उस इत्तला के ऊपर करता है जो उसे मिली है और जिसके सही होनेकी निस्बत उसे यकीन होगया है (देखो 6 C 675, 7 C L R 413, 15)

३—इस तस्दीक के ऊपर तस्दीक करने वाले के दस्तखत होंगे और उसमें तस्दीक करने की तारीख और मुकाम भी लिखा रहना चाहिये, (देखो, आर्डर ६, रूल १५)।

जब कि तस्दीक़ करने वाला शख्स फरीक़ मुक़द्दमा या दरख्वास्त कुनिन्दाके अलावा कोई दूसरा शख्स हो तो एक हलफ़नामा इस बातका दाखिल किया जाना जरूरी है कि वह शख्स मामलेके वाक़यातको बखूबी जानता है। साधारणतः यह भी हुआ करता है कि तस्दीक़ करने के लिये अदालतसे इजाजत मांगने के लिये दरख्वास्त दी जाय लेकिन यह कोई लाजिमी बात नहीं है (देखो 28 C W N 687)। यही बात इजरा की दरख्वास्त की तस्दीक़ के सम्बन्धमें है देखो आर्डर २१, रूल ११ (२) आम तौर पर तस्दीक़ इस तरह पर होना चाहिये'—

मैं (मुद्दई या उनका बाजाबता मुकर्रर किया हुआ वकील या मुख्तार) इस मामलेके वाक़यातसे बखूबी वाक़िफ़ हूँ और इस तहरीरके जरिये, यह इजहार करता हूँ कि पेरा में बतलाये गये वाक़यात और उसमें लिखी गई बातोंकी निस्बत मुझे खुद इल्म है कि सही है और यह कि पेरा . में लिखी हुई बातोंको मैं इत्तला और यक़ीनसे (जैसा कुछ हो,) जानता हूँ कि वे सही हैं, और मैं अपने मकान मुकाम (या अपने वकीलके मकान) के ऊपर आज तारीख माह सन् ई० को बवक्त बजे दिनके इस पर दस्तखत करता हूँ।

दस्तखत

(या अलामत या निशानी अंगूठा) नाम का

बक़लम .

दस्तखत और तस्दीक़ कर चुकने पर बयान तहरीरी और अर्जीदावा वगैरा एक मुख्तार दाखिल या पेश कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी पर भी दुबारा उसके दस्तखत नहीं हो सकते। यदि अर्जीदावा या बयान तहरीरीमें दस्तखत न हों तो सिर्फ दस्तखत न करने से ही अर्जीदावा नाजायज नहीं हो जाता। यभी जाबते की है और वह किसी समय भी संशोधनके जरिये ठीक की जा सकती है, (देखो 22 A 55, 19 C W N 1159, 19 C W N 220 Notes, 17 C W N 989, 2 C L J. 11)। जब मुद्दईने सिर्फ तस्दीकके ऊपर दस्तखत किये हों लेकिन अर्जीदावाकेऊपर दस्तखत न किये हों, तो वह अर्जीदावा दस्तखत करने के लिये वापस कर दिया जाना चाहिये या खुली अदालतमें दस्तखत करा लेना चाहिये, परन्तु वह खारिज नहीं किया जा सकता, (देखो 165 P W R 1911, 1912 M W N 1207)।

अगर तस्दीक़ गलत कीगई है तो उसके लिये जाबता दीवानीकी दफा १९१ के अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिये, देखो 6 A 626 किसी कारपोरेशन की ओरसे या उसके खिलाफ की जाने वाली नालिशोंमें प्लीडिंगके ऊपर उस कारपोरेशनके सिक्रेटरी या किसी डाइरेक्टर अथवा किसी दूसरे प्रधान अधिकारी के दस्तखत होने चाहिये जो मामले के वाक़यातसे वाक़िफ़ हो।

प्लीडिंगस का संशोधन और उसका नष्ट कर देना—

अदालत मुकद्दमेके दौरानमें किसी भी समय प्लीडिंगमें लिखी हुई किसी भी बातको नष्ट कर दिये जाने या उसका संशोधन कर दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो आवश्यक या निन्दित हो या जिनसे उस मुकद्दमेमें स्वतन्त्र न्याय होनेमें कोई बाधा पड़ती हो अथवा दिक्कत या देर होती हो (आर्डर ६, रूल १६)। अदालत मुकद्दमे की किसी भी अवस्थाम दोनों फरीकैन में से किसी को भी यह आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंगस को इस तरह पर और ऐसी शर्तों पर बदल दे या उनका संशोधन कर दे जो उचित हों और ऐसे समस्त संशोधन इस तरहके होंगे जो फरीकैनके दर्मियानी झगड़ेके असली प्रश्नको तय करने के लिये आवश्यक होंगे (देखो आर्डर ६, रूल १७) । अगर कोई फरीक नियत समयके भीतर संशोधन न कर देगा तो उसको उस समयके खतमहो जानेके बाद या अगर कोई समय निश्चित नहीं हुआ है तो हुक्मकी तारीखसे चौदह दिनके भीतर संशोधन न कर देने पर उसे फिर दुबारा मौका इसके संशोधन कर देनेके लिये न दिया जायगा। अदालत इस मुद्दतको बढ़ा सकती है (देखो आर्डर ६, रूल १८)।

यद्यपि अदालत मुकद्दमेकी किसी भी अवस्थामें संशोधन करनेकी इजाजत दे सकती है तो भी दरख्वास्त जहां तक हो सके मुनासिब वक्त के अन्दर ही दे देनी चाहिये और जैसा कि नियम है प्लीडिंगस खतम होनेके पहिले ही, क्योंकि यह बात अदालतकी इच्छा पर है कि वह चाहे प्रार्थना स्वीकार करे चाहे न करे। अगर संशोधन देरमें पेश किया गया हो तो अदालतको अधिकार होगा कि वह संशोधनको नामंजूर कर दे। जिस संशोधनके लिये प्रार्थना की जाय वह (१) ऐसा न हो जो दूसरे पक्ष (फरीक) के साथ अन्याय करता हो और (२) ऐसा होना चाहिये जो फरीकैन के दर्मियानी झगड़े के असली प्रश्न को तय कराने के लिये आवश्यक हो और (३) वह नेकनीयतीके साथ किया जाना चाहिये। अदालत इस संशोधन की बाबत् दूसरे फरीकको खर्चा दिला सकती है। 'फरीकेनके दर्मियानी झगड़ेका प्रश्न' कानूनी नहीं बल्कि वाकयाती है तथा उसका तात्पर्य ऐसे प्रश्नसे है जिसको दोनों फरीक वास्तवमें तय करना चाहते हों, ऐसे प्रश्न से नहीं जो मुकद्दमेके दौरानमें किसी एक फरीककी ओरसे पहले पहल पैदा किया गया हो, (देखो, रोल्स बनाम डेविस 28 L J Ex 287) अगर संशोधन करने का अभिप्राय एक किस्म की नालिश को दूसरे किस्मकी नालिशमें तबदील कर देनेका है तो ऐसा संशोधन नामंजूर कर दिया जासकता है, फिर चाहे जिस अवस्था में उसके लिये प्रार्थना कीगई हो इससे कोई मतलब नहीं, (देखो 19 B 303, 9 C 526, 12 B 431)

जब किसी अर्जीदावामें कोइ संशोधन किया जाय तो मुद्दाअलेहको भी अपने बयान तहरीरीमें संशोधन करने या नया बयान तहरीरी दाखिल करने और नये दावा का खण्डन करनेके लिये, तथा शहादत पेश करनेके लिये

मौका दिया जाना चाहिये (देखो 16 I C 785, 12 C. L J 556, 24 I C 822, 20 C W N 547)

जो संशोधन अदालतकी आज्ञासे किया गया हो वह कानून मियादकी दफा २२ के अर्थमें इजाफा या किसी दूसरे नये मुद्दईका बना दिया जाना समझा जायगा, (देखो 19 C W N 1913) । ऐसे संशोधन की इजाजत नहीं दी जासकती जिससे किसी फरीकका अपने ऊपर किये गये दावाकी मियादके आधारपर पैरवी करनेका अधिकार नष्ट होजाय (देखो-20 C W N 475, 36 A 370, 29 M L J 464)।

दूसरी अपीलमें संशोधनकी इजाजत न दी जानी चाहिये जबकि उसमें नई शहादत और नए सवालात शामिल हो (देखो 12 I C 200, 36 C. 481) कभी कभी फरीकैनका बढाये जानेके लिये दूसरी अपीलमें संशोधन करनेकी इजाजत दी जासकती है (देखो 12 B 158, 6 B 670)।

नोट—एक बात और भी वकीलको ध्यान रखना चाहिये कि जिस मुकद्दमेकी पैरवी वह जाब्ताके तहरीर के अनुसार कर रहा है उसमें कोई ऐसी निजा या झगड़ा है जिसका सम्बन्ध उस वकीलकी किसी खास जायदाद या हक से है और वह वकील उस मामले में अपनी जायदाद सम्बन्धी या हक सम्बन्धी प्रश्नों न उठावे और पीछे से नए मामले में भिन्न रूप से पैदा करे तो वह वकील ऐसा मामला फिर नहीं उठा सकता इस विषय पर अनेक मामले फैसल हो गए हैं।

वकालत नामा

वकीलकी नियुक्त

१—जाब्ता दीवानीके अनुसार किसी शख्सकी ओरसे किसी मुकद्दमे में हाजिर होने, कोई दरख्वास्त वगैरा दाखिल करने या कोई नालिश दायर करने के लिये किसी वकीलकी नियुक्ति बजरिये एक तहरीरी वकालतनामाके होगी और उस पर उस शख्सके या उसके मुख्तार मजाजके या किसी ऐसे दूसरे आदमीके दस्तखत होंगे जिसको बजरिये मुख्तारनामा उसकी ओरसे ऐसा करनेका अधिकार दिया गया हो। (२) ऐसा हर एक वकालतनामा अदालतमें दाखिल होना चाहिये और वह उस समय तक जारी समझा जायगा जब तक कि वह अदालत की इजाजत से किसी ऐसी तहरीरके जरिये उसको मसूख न कर दिया जाय जिस पर उस मुवक्किल या वकील(जैसा कुछ हो)के दस्तखत होंगे और जो अदालतमें दाखिलकी जायगी, या जब तक कि मुवक्किल या वकील मर न जाय या जब तक कि उस मुवक्किल के सम्बन्धकी उस मुकदमेकी सारी कार्रवाई खतम न हो जाय। (३) किसी हाईकोर्ट या चीफकोर्ट के ऐडवोकेट या किसी बैरिस्टरको ऐसा कोई वकालतनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है, (देखो आर्डर ३,रूल ४)।

नोट—मदरास में आर्डर ३, रूल ४ में सब रूल (४) भी जोड़ दिया गया है।

वकालतनामा कैसे मजूर किया जा सकता है ?

किसी वकालतनामा को मजूर करते समय जिसकी तकमील स्वय किसी मुवक्किलने ही की है वकीलके लिये यह लाजिमी है कि वह इस बातका इतमीनान कर ले कि उसकी तकमील उसीने की है और जब उस मुवक्किलकी ओरसे किसी तीसरे आदमीने उसे लिखा हो तो उसके लिये इस बातका निश्चय कर लेना लाजिमी है कि उस शख्सको मुवक्किलने वकील मुकर्रर करने के लिये बाजाबता इजाजत दे दी है और यह कि उसीने यह 'वकालतनामा' लिखा है। वकालतनामा दाखिल करते समय प्लीडर या वकीलको चाहिये कि वह उसकी पुश्त पर (अ) वकालतनामा मजूर करनेकी तारीख (ब) उस शख्सका नाम जिससे वह प्राप्त हुआ है और (स) अगर वह ऐसा शख्स है जो न तो मुवक्किल है और न वकील, प्लीडर या मुख्तार तो उस शख्सके अधिकारके बारेमे (४) मय तारीखके लिख दे। अगर 'वकालतनामा' की तकमील करने वाला शख्स पढा लिखा आदमी है तो उस वकालतनामाके ऊपर अलामत या अगूठेका निशान बनवा लेना चाहिये और उस पर कोई दूसरा आदमी उसका नाम लिख देगा और अपना बकलम लिखकर उसपर दस्तखत करनेकी तारीख डाल देगा।

जो वकालतनामा किसी एक वकीलने दाखिल किया है उसे बादमे दूसरा वकील ले सकता है, जिसका नाम उस 'वकालतनामा' पर पहले से मौजूद हो, अगर उसे ऐसा करनेके लिये वह शख्स अधिकार दे जिसने कि वह वकालतनामा लिखा हो। उसकी तकमीलकी हो,(देखो V Rule C No 5 of 1916 Post)। लेकिन ऐसे बाद वाले वकालतनामा की मजूरी करनेकी दशाम उसकी पुश्त पर तस्दीक की जाने वाली बात वही रहेगी जो पहली बार लिखी गई थी।

तस्दीक का फार्म

१—मुसम्मा से, जिसके बारे मे मुझे यह यकीन हो गया है कि वह मुद्दई। मुद्दाअलेह न० है और जिसने बाजाब्ता इस वकालतनामा को लिख दिया है वसूल पाया और उसे मजूर कर लिया।

वकील

(तारीख)

२—वह वकालतनामा, जिसे मुसम्मा .. मुद्दई। मुद्दाअलेह न० ने बाजाबता लिख दिया है, मुसम्मा से, जो, मुझे यकीन होगया है, उसका मुख्तार मजाज या बाजाबता मुकर्रर किया हुआ कारिन्दा है, पाया और उसे मजूर किया।

(वकील)

(तारीख)

३—यह 'वकालतनामा' जिसे मुसम्मा . . मुद्दई। मुद्दाअलेह न० ने बाजाबता लिख दिया है, मुसम्मा से, जो मुझे यक़ीन हो गया है उसका भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख़ तहरीरी अख़्त्यारनामा उसे पेश करने का दिया गया है, पाया और उसे मजूर किया।

... (वकील)

. (तारीख़)

४—बाद में वकालतनामा का मजूर करना मुसम्मा . .. .. से, जो, मुझे यकीन हो गया है, मुद्दई। मुद्दाअलेह न० . है और जिसने बाजाबता वकालतनामा लिख दिया है [या मुसम्मा . से, जो, मुझे यक़ीन हो गया है, मुद्दई। मुद्दाअलेह न० . . तकमील कुनिन्दा का भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख़ ... . का तहरीरी अख़्त्यारनामा मौजूद है] वकालतनामा मजूर किया।

(वकील)

(तारीख़)

—हाईकोर्टों को छोड भिन्न प्रान्तोंके लिये दीवानी या फौजदारी अदालतोंमें वकालतनामा पर लगाया जाने वाला मुनासिब कोर्ट फीस एक रुपया या आठ आना या दो रुपया भिन्न भिन्न है।

उस चिट्ठी के ऊपर जो मुवक्किलने अपने वकीलको अपील दायर करनेके लिये लिखा था, मुनासिब कोर्ट फीस लगाया गया था और वह दाखिल कीगई थी। तय हुआ कि यह माकूल अधिकार पत्र(इजाजत नामा है) देखो 1 C. W N Cevm

अगर कोई वकील बीमार या और जरूरी कामोंकी वजहसे हाजिर न हो सके तो वह अपने मुवक्किलके मुकद्दमेको जबानी दूसरे वकीलके हवाले कर सकता है, जो उसकी ओरसे उस मुकद्दमेमें पैरवी करेगा, यद्यपि चाहे उसका नाम वकालतनामामे पहिले से मौजूद न हो, (देखो 8 A 613, 22 B 654, 35 C 799; 12 C W N 888, देखो 20 B 293, 20 C W N 283 भी)

जिस 'वकालतनामामें' वकीलका नाम न हो वह अधूरा है और जो कोई भी कार्रवाई उसके अनुसार की जायगी वह नाजायज होगी, देखो 36 A 46, 11 C L J 285, और 37 C 399 में यह तय किया गया है कि अगर मुख़्तारनामा में कोई भूल मालूम हो तो अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उसका सशोधन करनेकी इजाजत दे देवे तथा उसका पहले जैसा ही असर होगा।

आर्डर ३, रूल ४ के अनुसार, किसी वकील की नियुक्त बजरिये तहरीर के होनी चाहिये, परन्तु उसका मजूर करना तहरीरी होना आवश्यक नही है, देखो 5 C W N 816—जिस वकीलका नाम वकालतनामामें है उसका मजूर

करना या उसका कार्य, अगर अदालत जिसके लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे आज्ञा दे दे तो जायज और असर रखने वाला होगा, चाहे वकीलने उस वकालतनामाके प्रश्न पर तहरीरके जरिये तस्दीक नभी की हो। लेकिन हाईकोर्टके रूल ४६ की, जिसमे तस्दीक करके मंजूर करनेकी व्यवस्था कीगई है, पाबन्दी करना आवश्यक है। यह रूल बहुत मुफीद है और बतलाई हुइ रीतिसे सब जगह उसकी पाबन्दी की जानी चाहिये। मुफस्सिलकी अदालतोंको राजीनामा या रुपया अथवा कागजात की वापसीमे इस रूलका प्रयोग करने में विशेष सावधानीका ध्यान रखना चाहिये। अदालतोंको चाहिये कि वे उन वकीलों द्वारा इस रूलकी पाबन्दी किये जाने पर जोर दें जो उनकी इजलासमे आकर वकालत करते हों, और जो वकील उसकी पाबन्दी न करें तो उसकी बातोंकी समात न करे, (देखो 20 C W N 287, 23 C L J 297, 43 Cal 884

जब कि एक वकीलने, जिस पर बिना इजाजत एक मुकद्दमाको फिरसे दायर करनेके लिये दरख्वास्त देनेका इल्जाम लगाया गया था, अपनी सफाईमे यह कहा कि मुझे फरीकके मुख्तार के एक मुहर्रिरने ऐसा करनेके लिये कहा था और यह कि मुझे गलतीसे यह बतलाया गया कि जो वकालतनामा प्रारम्भिक मुकद्दमेंमे लिया गया था उसमें मेरा नाम भी मौजूद था, तय हुआ कि उसने लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्टकी दफा १३ (ए) को उल्लंघन किया। यह कि अगर 'वकालतनामा' मे वकीलका नाम था तो भी सिर्फ जबानी मंजूरी हाईकोर्ट रूलसके रूल ४६, क्लॉज (ई) की पाबन्दी न होगी।

जस्टिस रिचर्डशन—वकालतनामा सम्बन्धी जो नियम हैं उनकी नीचेकी अदालतोंमें तामील किया जाना आवश्यक है। जजको अख्त्यार रहता है कि वह किसी ऐसे वकीलकी बातोंको सुनने या उसको काम करने देनेसे इन्कार कर दे जिसने बतलाये हुये नियमोंके अनुसार वकालतनामा दाखिल नही किया है। जजका यह भी एक कर्तव्य है कि वह इस रूलका उल्लंघन करनेके सम्बन्ध मे, जो उस समय उसे मालूम न हो सके, और जिसकी सूचना उसे बादको मिले जो कुछ उचित कार्रवाई समझे करे देखो 20 C, W N 283 तथा 2 Pat L J 259

यह नियुक्ति अदालतकी इजाजत लेकर एक तहरीरके जरिये मंसूख की जा सकती है जिस पर मुवक्किलके दस्तखत होंगे और जो अदालतमे दाखिल कर दी जायगी, देखो 36 C 609

डिक्रीकी इजरा करनेके लिये लिखे गये 'वकालतनामा' मे अदालतके बाहर रुपया लेने का भी अधिकार रहता है, देखो 22 I C 277

वकालतनामाके सम्बन्धमें ज़िम्मेदारी

वकालतनामोंकी, चाहे उन्हे असली फरीकैन मुकद्दमा ने लिया हो या उसके मुख्तारों और कारिन्दोंने, और उन मुख्तारनामोंकी जिनके अधिकारियों

के आधार पर ये वकालतनामे लिखे जाते हैं, हलफके जरियेसे तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम दस्तावेजोंकी, जो बाकायदा और सही सही लिखे गये हों, पूरी पूरी जिम्मेदारी वकीलों और प्लीडरोंकी होती है। यह नियम उन अवस्थाओंमें लागू नहीं होते जिनमें मुख्तार या एजेण्ट नियुक्त किये जाते हैं। ऐसी सभी दशाओंमें मुखतारनामों की हलफ पर तस्दीक किया जाना आवश्यक है, सिवाय उन मुख्तारनामोंके जो उन मुख्तारोंको लिखे गये हैं जिन्होंने उस समय प्रचलित कानूनके अनुसार सार्टीफिकट प्राप्त किया हो, देखो R 46 Ch XI G R C O

हाईकोर्टमें वकालत करनेवाले वकील अपने वकालतनामोंके ऊपर मुख्तारों या दूसरे आदमियोंके नाम नोट करलेंगे जिनसे उन्हें वकालतनामे प्राप्त हुए हैं।

वकालतनामा मन्जूर कर लेनेमें जुम्मेदारी—तमाम डिस्ट्रिक्ट जज और बाहर के तमाम मुन्सिफ सभी दर्जेके वकीलोंको यह समझा देंगे कि जिन अदालतोंमें वे वकालत करते हैं उनमें स्वयं फरीकैन मुकद्दमा या उनलोगोंकी ओरसे, जिनका यह कहना है कि उनको आम या खास मुखतारनामाके जरियेसे दूसरे लोगोंकी ओरसे कार्य करनेका अधिकार दिया गया है, दिये गये वकालतनामोंके मंजूर करनेमें उनकी क्या जुम्मेदारी है (देखो, R 46 A)

वकीलोंकी जुम्मेदारीपर अदालतें 'वकालतनामा' ले सकती हैं। उस वकीलको जो कोई ऐसा 'वकालतनामा' मजूर कर रहा हो जिसे स्वयं मुवक्किल ने ही लिखा हो, लाजिम है कि वह इस बातका इतमीनान करले कि उसकी तकमील वास्तवमें मुवक्किलने ही की है। जब उसके मुवक्किलकी ओरसे किसी तीसरे आदमीने वकालतनामा लिखा हो तो उसे यह देखलेना जरूरी है कि उस शख्सको मुवक्किल, वकील मुकर्रर करनेके लिए बाकायदा इजाजत दी है और यह कि उसी ने वकालतनामा लिखा है,

कोई भी वकील या प्लीडर फरीक मुकद्दमा, या उसके मुख्तार मजाज या उस शख्सके, जिसको उसकी ओरसे काम करनेके लिए बजरिये मुखतारनामा अधिकार दिया गया है, या उसके नौकर या रिश्तेदार या प्लीडर या वकील या मुख्तारके सिवा जिसको इस सम्बन्धमें तहरीरके जरियेसे खास इजाजत दीगयी है किसी दूसरे शख्सके दिये हुए वकालतनामाको मंजूर नहीं कर सकता (देखो R 46 C Rule no. 5 of 1916)।

जब एकसे अधिक फरीक हों और वे अलग अलग वकालतनामा लेकर आवें तो उनमेंसे किसी एक का 'वकालतनामा' मंजूर किया जासकता है जिसको उसके दिलानेका अधिकार हो लेकिन अगर वे एक ही वकालतनामा लेकर आवें, वह उनमेंसे किसी एक की ओरसे या किसी ऐसे आदमीकी ओरसे लिया जासकता है जिसको उनमें से किसी एकने, जिसको दूसरोंकी ओरसे काम करनेका खास अधिकार है, बाजाबता अधिकार दिया [illegible] 0 of 1916.

जब वकालतनामा किसी वकील या प्लीडरने दाखिल किया हो, तो वह उसकी पुश्तपर उसके मजूर करनेकी तारीख, उन लोगोंक नाम लिखेगा जिनसे वह मिला है और अगर ऐसा शख्स, न तो खुद मुवक्किल है और न वकील, प्लीडर या मुख्तार तो वह तारीखके सहित उस शख्सका अधिकार कैसा और क्या है यह लिखेगा (देखो R 46 o)

जो 'वकालतनामा' अदालतमे दाखिल किया गया है उसको बादमे कोई वकील या प्लीडर मंजूर कर सकता है जिसका नाम उस 'वकालतनामा' मे उस समय मौजूद था जिस समय वह पहले पहल दाखिल किया गया था, बादमे वकालतनामा मंजूर करनेपर उसकी पुश्तपर उसी तरह तस्दीक करनी चाहिये जैसी कि पहलेबार कीगई थी (देखो R 46 F)।

मुकदमोंम वकीलोंके अधिकारकी हद—मुकद्दमोंमे वकील और प्लीडर बिना किसी खास अधिकारके वह रकम नहीं लेसकता जो डिकरियोंकी इजरामे वसूल कीगई हो। डिकरीके अमलमे आते ही अर्थात् अदालतमें रुपया अदा कर दिये जानेपर (अगर डिकरी रुपयेकी बाबत है) वकील या प्लीडरको दिये गये अख्त्यारात खतम होजाते हैं । अदालतके बाहर रुपया लेना, इसके बादकी और दूसरी बात है और किसी वकील या प्लीडरको वह रुपया वसूल करनेकी इजाजत नही देनी चाहिये सिवाय उस दशाके जबतक कि उसके 'वकालतनामा' मे कोई खास फिक़रा या कोई दूसरी तहरीर ऐसी न हो जो उसे ऐसा करनेकी इजाजत देती हो। बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमे अगर वे कागजात जिनके साथमें वकालतनामा या वह दूसरी तहरीर नत्थी है, जिलेके मुहाफ़िजखानेको भेज दिये गये हैं और ऐसे अधिकारको बिना उनके साबित न किया जासकता हो तो, उससे सम्बन्ध रखनेवाले वकील या प्लीडरके लिए यह आवश्यक है कि वह डिकरीका मतालबा वसूल पानेके लिये दीगई अर्जीपर इस बातका एक सार्टीफ़िकट लिख दे कि उसे इसके दाखिल करनेके लिये आवश्यक अधिकार दिया गया है (देखो R 47 Ch XI G R C O)

नोट—आज कल अदालतोंमें वकील साहबान जो वकालतनामा दाखिल करते हैं उनमें रुपया उठाने की शर्त लिख दिया करते हैं। इस कार्रवाई में वकालतनामे मे रकमकी बचत जरूर है मगर यदि किसी भ्रष्ट-चरित्र वकील से काम पड़ा तो मुवक्किलको रुपयेके लिए खतरा भी है। समझ बूझ कर यह शर्त लिखी जाना चाहिए।

फरीकैन और दावा की बिनाय मुखासमत

फरीकैन और बिनाय मुखासमत दावा का शामिल किया जाना

जाबता दीवानी ऐक्ट न० ५ सन १९०८ ई० का आर्डर न० १ रूल १ शामिल किया जाना मुद्दइय्यानका, और आर्डर १ रूल ३ शामिल किया जाना मुद्दाअलेहुम का, तथा आर्डर २ रूल ३ शामिल किया जाना बिनाय मुखासमत

दावा की व्यवस्था करता है। वकील साहबान को चाहिये कि वे इन कायदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनमें बतलाये सिद्धान्तों को खूब समझ कर प्रत्येक वैसे मामलेमें निश्चय करलें जो फरीकन बनाने और दावा की बिनाय मुखासमत कायम करनेके बारे में बनाये गये है। हम नीचे संक्षेप से सबके समझानेका प्रयत्न करते हैं।

कौन लोग मुद्दई बनाए जासकते हैं?—एक मुकद्दमेमें तमाम ऐसे आदमी मुद्दई बनाये जा सकते हैं जिनको एकही मुकद्दमे या किसी मामले के सम्बन्धमें हक दादरसी हासिल हो, फिर वह चाहे एक में हो या अलग, या ऐसा न होने की दशामें उस समय जब, अगर ऐसे लोगों ने अलग अलग मुकद्दमें दायर किये हों तो, कानून या वाकयात का कोई मुश्तरक सवाल पैदा हो, (देखो, आर्डर १ रूल १) या यों कहिये कि आर्डर १, रूल १ एकही हक दादरसी रखने वाले बहुत से मुद्दइयों को यह अधिकार देता है कि वे अलग अलग मुकद्दमे दायर करने के बदले एकही मुकद्दमे में शामिल हो जाय।

इस रूल की 31 M 252 मे स्पष्ट व्याख्या करदी गई है। किन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जब किसी मुकद्दमे मे बहुत से आदमियों का सम्मिलित स्वार्थ हो तो उनका स्वार्थ एकसा ही समझा जायगा, एक दूसरेका विरोधी नहीं (देखो 16 B 119, 28 B 91, 22 C 833 and 33 C 367) अगर उनका हक दादरसी एकही दावा या मामले से पैदा नहीं होता या अगर कानून अथवा वाकयात का प्रश्न भिन्न भिन्न है, तो वे एकही मुकद्दमेमें बतौर मुद्दई शामिल नहीं हो सकते। उन्हे उस अलग अपनी नालिशें दायर करनी चाहिये।

अलग, अथवा एक साथ और अलग अलग जिम्मेदार है। ऐसे मामलोमे शामिलातमे या अलग अलग नालिश दायर करनेमे कानूनी परिणाम क्या होता है, इस सम्बन्धमे देखो 3 C 353; 5M 37, 25 B 378, 22 A 307, जब मद्युनान की जिम्मेदारी सिर्फ शामिलात मे ही हो तो मुद्दईको चाहिये कि वह उस मुआहिदा मुश्तरका लिखने वाले सभी आदमियों के ऊपर नालिश दायर करे, 5 C 291, देखो कानून मुआहिदा की दफा ४३

जब गल्ती से नालिश किसी गलत मुद्दईके नामसे दायर कीगई हो तो अदालतको अधिकार है कि वह दूसरे अन्य लोगो के नाम मुद्दइयान मे दर्ज कर दिये जाने या जोड दिये जाने के लिए इजाजत दे दे। अदालतको यह भी अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी से या किसी फरीक के दरख्वास्त देने पर किसी ऐसे आदमी का नाम निकाल दे जिसका नाम गलत तौर से शामिल कर दिया गया है या किसी ऐसे आदमीका नाम बढ़ादे जो शामिल किया जाना चाहिये था। देखो आर्डर १, रूल १०

जहां पर कुछ आदमी किसी तरहका कोई हक़ रखते हों और दूसरे कुछ आदमी उस हककी मुखालिफत करते हों, तो इनमे से एक या अधिक आदमी आर्डर १ के रूल ८ के अनुसार अदालतकी आज्ञा (इजाजत) लेकर नालिश कर सकते हैं या उन पर नालिश दायरकी जा सकती है या वे अपनी बचतके लिये पैरवी कर सकते हैं। इस तरहके मुकदमे की, जो बाकी हक़ रखने वाले आदमियोंकी ओर से दायर किया गया है, घोषणा कर देनी चाहिये।

शामिल न किया जाना या बेजा शामिल किया जाना—बेजा शामिल किया जानेका अर्थ है किसी ऐसे शख्सका शामिल किया जाना जो मुद्दई या मुद्दाअलेहकी तौर पर शामिल नालिश नही किया जाना चाहिये था, या किसी ऐसे शख्सको बतौर मुद्दई शामिल कर लेना जिसको बतौर मुद्दाअलेह शामिल करना चाहिये था और ऐसाही इसके विपरीत भी समझना चाहिये। फरीकैनका बेजा शामिल किया जाना उसी हालतमे होता है जब आर्डर १ के रूल और २ का ठीक ठीक पालन नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स, जिसका शामिल करना आवश्यक था, शामिल न किया गया हो तो यह शामिल न किया जाना कहा जायगा।

बेजा शामिल किये जानेकी गलतीका सुधार आर्डर १ रूल १० के अनुसार किया जा सकता है और इससे बिनाय दावा या बिनाय जवाब दही पर कोई खास असर नही पडता (देखो 34B B P 20) शामिल न किया जाने का सुधार आर्डर १ रूल ९ के अनुसार किया जाना चाहिये। फरीकैनका बेजा शामिल किया जाना और शामिल न किये जाने के सम्बन्धमें उज्रदारी जहा तक जल्द हो सके करनी चाहिये, जब तककि बादमे कोई वजह पैदा न होगई हो (देखो आर्डर १, रूल १३)। यह उज्रदारी अपीलमे नही की जा सकती देखो 14 M 492, 16 B 119, 6 A 632

कोई भी नालिश किसी फरीक़के बेजा शामिल कियेजाने या न शामिल किये जाने की वजहसे नाकामयाब हो जायगी और अदालतको यह अधिकार होगा कि वह उस मामलेको, जहां तकभि इसका सम्बन्ध फरीकैनके हकूक और हिस्सेसे है जो उसके सामने पेश किया गया हो, तय करे (आर्डर १, रूल ९) अदालत उन फरीकैनके हककको तय कर देगी जो उसके सामने पेश होंगे, बशर्ते कि वे तय किये जा सकते हों। यह रूल उस जगह पर लागू नहीं हो सकता जहां पर बहुतसे आदमियोंके विरुद्ध विनाय मुखासमत साथ साथ पैदा होती हो (देखो 35 A 630, 6 C 815) आर्डर १, रूल ९, आर्डर ३४ रूल १ के आधीन है। अगर किसी रेहननामाके ऊपर कीगई नालिशमें जरूरी फरीक़, मुकद्दमेमें शामिल न किये गये हो तो वह नालिश खारिज करदी जा सकती है, देखो 9 A L J. 86, 1 Pat L J 468, और देखो 10 A L J 1341 भी आर्डर ३४ रूल १ में यह छूट रखी गई है कि अगर मुरतहिन अव्वलको नालिशमें फरीक़ न बनावे तो दावा चल सकता है।

कौन कौन लोग मुद्दाअलेह बनाये जा सकते है? एकही मुकद्दमे मे वे सभी आदमी मुद्दाअलेह बनाये जा सकते हैं अगर वह हक दादरसी, जो उनके विरुद्ध बतलाई जाती है, एकही फेल या मामलेसे पैदा होती हो फिर वह चाहे एक साथ हो या अलग अलग अथवा किसी दूसरी बातके बदलेमें हो, और अगर उनके ऊपर अलग अलग नालिशे दायर कीगई होतीं तो कानूनी या वाकयाती सवाल एकसा पैदा होता (देखो, आर्डर १, रूल ३)।

एकही मुकद्दमेमे भिन्न भिन्न विनाय मुखासमतके ऊपर जो एकही नालिश मे शामिल करदी गई है, बहुत से मुद्दाअलेहोंको शामिल करदेनेके पहले दो शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, अर्थात् (१) यहकि उन तमाम मुद्दाअलेहोंके खिलाफ हक दादरसी एकही फेल या मामलेसे पैदा होता हो। और (२) यहकि अगर इन लोगो पर अलग अलग नालिशे दायर कीगई थी तो, कानून या वाकयात सम्बन्धी कोई ऐसा सवाल पैदा हुआ हो जिससे उन सबका सम्बन्ध है (अर्थात् मुश्तरक सवाल पैदा हुआ हो) देखो, 13 Bom L R 1061 मुद्दई को अधिकार होगा कि वह एक मुकद्दमे मे बहुतसे मुद्दाअलेहों के विरुद्ध पैदा हुये बहुतसे विनाय मुखासमतको शामिल करदे, अगर वे "इन विनाय मुखासमत मे से किसी एकके लिए या सबके लिये शामिलातमे जिम्मेदार है"—उनका उस मुकद्दमेके मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध हो। यह आवश्यक नही है कि उन तमाम दादरसियों से, जिनके लिये दरख्वास्त कीगई है, हर एक मुद्दाअलेह का सम्बन्ध हो (देखो आर्डर १, रूल ५), लेकिन यह आवश्यक है कि एक ऐसी विनाय

उन सभी विनाय मुखासमतों को एकही मुकद्दमे में शामिल करदे, (देखो आर्डर २, रूल ३)। लेकिन जहां पर विनाय मुखासमतें ऐसी हैं, जिनपर एक ही मुकद्दमेमें सुविधाके साथ विचार न किया जा सकता हो, तो उस दशामें अदालत उनका मामलेकी अलग अलग समाअत किये जाने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर २, रूल ६)

(२) जहांपर दो या अधिक मुद्दई हों और दो या अधिक विनाय मुखासमत हों, तो उस दशामें वे सभी मुद्दई ऐसी तमाम विनाय मुखासमतोंको एकही मुकद्दमेमें शामिल कर सकते हैं अगर उन सब मुद्दइयोंका या एक ही मुद्दाअलेह या कई मुद्दाअलेहों के विरुद्ध सम्मिलित स्वार्थ है। अगर उन सभी का सम्मिलित सम्बन्ध उन सभी विनाय मुखासमतोंमें है, तो ऐसी दशामें मुद्दइयान और विनाय मुखासमतका बेजा शामिल किया जाना कहा जायगा ।

(३) जहां पर दो या अधिक मुद्दाअलेह या अधिक विनाय मुखासमतें हैं तो मुद्दई उन सभी मुद्दाअलेहोंके ऊपर एक ही में नालिश कर सकता है, अगर विनाय मुखासमत एक ही है और अगर मुद्दाअलेहों के ऊपर मुश्तरका जिम्मेदारी है।

अगर किसी मुकद्दमेमें भिन्न भिन्न विनाय मुखासमतें भिन्न भिन्न ऐसे मुद्दाअलेहोंके खिलाफ शामिल कर दी जाय जो एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते तो इस तरह मुद्दाअलेहों और विनाय मुखासमतका शामिल करना इस्तेमाल बेजा (Misjoinder) होगा (देखो आर्डर १, रूल ३ तथा आर्डर १, रूल ३),

नि सन्देह रूल ३ मुद्दईको यह अधिकार देता है कि वह एक ही नालिश में एकही मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध बहुत सी विनाय मुखासमतोंको शामिल कर सके, लेकिन यह मुद्दईको बहुत सी ऐसी विनाय मुखासमतोंको एक ही मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंको शामिल करने का अधिकार नहीं देता, जिनमें उन सबका कोई सम्मिलित सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी दशामें उनका स्वार्थ भिन्न भिन्न और अलग है, 'सम्मिलित' शब्दका अर्थ यह है कि किसी मुकद्दमेके सभी मुद्दाअलेह एक मात्र और सभी विनाय मुखासमत के सम्बन्धमें एक ही साथ जिम्मेदार हों जिन्हें मुद्दई उन मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध एक ही नालिश में शामिल करता है। मुद्दइयानको बहुत से मुद्दाअलेहोंके खिलाफ एकही नालिश में कई एक विनाय मुखासमतें शामिल करनेकी आज्ञा दिये जानेके पहिले शर्त यह है कि उन सभी मुद्दाअलेहोंका उस प्रश्नमें सम्मिलित स्वार्थ हो जो उस मुकद्दमेमें उठाया गया है। देखो 6 A 106; 5 A 163, 23 C 821, P 826, 34 B 358, 8 W R 15 (P C)

विनाय मुखासमतके बेजा शामिल किए जाने की हालतमें कार्रवाई—विनाय मुखासमतके बेजा शामिल किए जानेके सम्बन्धमें उज्रदारी जहां तक जल्द मुमकिन हो की जानी चाहिए और तमाम उन हालतोंमें जब उमूर तनकीह का फैसला हो गया हो तो ऐसे फैसले पर या उससे पहिले जबकि उज्रदारीकी बिना

वादको पैदा हुई हो। और जो उज्रदारी इस तरह पर पेश न की जायगी तो उसके सम्बन्धमें यह समझा जायगा कि उज्रदारने अपना हक छोड़ दिया है, देखो आर्डर २ रूल ७ जो आर्डर १ रूल १३ के ही समान है।

अगर ऐसे विनाय मुखासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे कोई अर्जीदावा सही नहीं है तो अदालत आर्डर ६ रूल १७ और १८ के अनुसार उसमें सशोधन किये जाने के लिये आज्ञा दे सकती है। तरीका कार्रवाईके बारे मे देखो 34 C 662, 9 A 221 या वह आर्डर २३ रूल १ के अनुसार उसके उठा लेनेके लिए आज्ञा दे सकती है, जब कि उसमे वतलाई हुई वजहें वहां पर मौजूद हो। एक मुकदमा, जो बिनाय मुखासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे गलत था, दूसरी अपीलमें भी अर्जीदावा मे सशोधन किये जानेके लिए वापस कर दिया गया देखो 2 C L J 602, 20 W R 240, 18 A 131 उज्रदारी जाया हो जाने के सम्बन्धमे देखो 13 Bom L R 1061 and 30 I C 24

बिनाय मुखासमतके बेजा शामिल किये जाने का सुधार जाबता दीवानी की दफा ९९ के अनुसार किया जा सकता है, अगर इससे मुकद्दमेके रूयदाद या अदालतके अख्त्यार समाअतके ऊपर कोई असर न पड़ता हो।

पञ्जावमें रूल ८ आर्डर ७ में शामिल कर दिया गया है यह बात छोड कर कि जहा पर आर्डर २, रूल ७ के अनुसार उज्रदारी कीगई हो, अदालत मुद्दईको ऐसी बिनाय मुखासमत चुन लेने की, जिसके ऊपर वह कार्रवाई करेगा, और सशोधित अर्जीदावा पेश करनेकी इजाजत दे देगी।

अर्जीदावा

अर्जीदावाका मजमून—अर्जीदावामे नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिये —

(१) उस अदालतका नाम जिसमे नालिश दायर कीगई है,

(२) मुद्दईका नाम, वल्दियत, उमर, कोम पेशा और सकूनत वगैरा,

(३) मुद्दाअलेहका नाम, वल्दियत, उमर, कौम पेशा और सकूनत वगैरा, जहा तक वे मालूम हो सकें,

(४) जब कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह नाबालिग हो या उसका दिमाग सही न हो, तो इस बातका विवरण, तथा वलीका नाम, वल्दियत, कौम, पेशा, रिश्ता व सकूनत वगैरा।

(५) वे बातें जिनसे दावा पैदा होता है (बिनाय मुखासमत दावा) और यह कि वह कब और कहा पर पैदा हुआ;

(६) वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत को अख्त्यार समाअत हासिल है—

(७) वह दादरसी जिसके लिये मुद्दई दावीदार है,

(८) जब मुद्दईने कुछ रकम मुजरा दे दी हो या अपने दावाका एक हिस्सा छोड़ दिया हो, तो मुजरा दीगई या छोड़ दीगई रकम, और तारीख आदि,

(९) अख्त्यार समाअत या कोर्ट फीस की गरजसे दावाकी मालियतकी तफ़सील, जहां तक उस मामलेमें आती हो [देखो आर्डर ७ रूल १]

जब मुद्दई प्रतिनिधिकी हैसियतमें दावा करे—अर्जीदावामें सिर्फ़ यही नहीं दिखलाया जायगा कि उसके दावाकी मालियतसे वास्तवमें कोई सम्बन्ध है बल्कि उसमें यह बात भी लिखी रहेगी कि उसने तमाम आवश्यक कारवाइ कर ली है जिसके कारण अब उसे उसके सम्बन्धमें दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है [देखो आर्डर ७ रूल ४]

अर्जीदावामें क्या क्या बातें रहनी चाहिये— (१) अर्जीदावामें यह बात होनी आवश्यक है कि जिस सम्बन्धमें दावा किया जाता है, उससे मुद्दाअलैहका क्या सम्बन्ध है और उसे दावाका जवाब देनेके लिये क्यों तलब करना चाहिये [देखो आर्डर ७, रूल ५]

२ जब दावा मियादकी मुद्दत खतम होनेके बाद दायर किया गया हो, तो अर्जीदावामें यह बात दिखलाई जानी चाहिये कि किस बिना पर मियाद खतम होनेके बाद दावा दायर किया जारहा है [देखो आर्डर ७ रूल ६]

नोट—जिन सूरतोंमें दावाकी मियाद खतम हो जानेके बाद दावा दायर किया जासक्ताहै उनका वर्णन कानून मियादकी दफा ५ व १ में किया गयाहै। अगर अर्जीदावामें मियाद खतम होनेके बाद दावा दायर करनेका कोई खास वजह न दिखलाई जायगी और उस अर्जीदावामें जो कुछभी लिखा गयाहै उससे यह मालूम होगा कि दावाकी मियाद आखिर हो गइ है तो अर्जीदावा खारिज कर दिया जायगा [देखो आर्डर ७ रूल ११] अगर मुद्दईने अर्जीदावामें एसा कोइ कारण नहीं दिखलाया है तो बादमें वह उसे पेश नहीं कर सकता और न उस से कोई लाभ उठा सकता है [देखो 31 C 195 8 C W N 171], अगर अर्जीदावामें वजह दिखलाइ तो गई है लेकिन उसकी निस्बत खास तौरसे दावा नहीं किया गया है तो अर्जीदावा खारिज न किया जायगा [देखो 12 C, W N 617, 14 C W N 128, 60 I C 772 (Lah)] अगर एक वजह दिखलाई गइ हो तो मुद्दई दूसरी वजह भी पेश कर सकता है बशर्ते कि वह असङ्गत न प्रतीत हो [देखो 10 B L R 346, 13 C L J 139] आर्डर ७ रूल ५ का सन्दाभ देना चाहिये [देखो 46 I C 495 (Lah)]

३ अर्जीदावामें सक्षेपमें सिर्फ़ उन खास खास बातोंका वर्णन होना चाहिये जिनके आधार पर मुद्दईने अपना दावा दायर किया है। किन्तु उसमें वह शहादत न होगी जिससे उन बातोंकी पुष्टि होती है [देखो आर्डर ६ रूल २],

४ अगर जरूरत हो तो अर्जीदावाके अलग अलग पैराग्राफ किये जासक्ते है, जिनपर सिलसिलेवार नंबर पड़े होंगे, और उसमें कुल तारीख रकम और नम्बर अङ्कोंमें लिखे जाने चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल २]

५ अर्जीदावाका मसविदा तैयार करते समय पीछे दिये हुए परिशिष्टमें फार्मों का या इसी तरहके फार्मोंका इस्तेमाल किया जाना चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ३]

रातमे गुजराती, महाराष्ट्रमे मरहठी, बङ्गालमें बङ्गाली, बिहारमे बिहारी, किन्तु सयुक्त प्रान्तमे उर्दू लिपि और भाषाका प्रयोग बहुतायतसे होता है। यद्यपि प्रान्तीय लिपि और भाषा हिन्दी है पर श्री लार्ड मेकडानल्ड महोदयके समयमे सरकारी आज्ञासे अदालतामे हिन्दी लिपि की रुकावट दूर हो चुकी है तथा अदालतोंमे हिन्दी लिपि और भाषाके जन्म सिद्ध अधिकारियों तथा हिन्दी जानने वाले वकील और अमलाकी अधिक सख्या है तिसपर भी शोक है कि हिन्दी लिपिका प्रयोग इस प्रान्तमे नहीं हो रहा है। प्रात कालके नक्षत्रोंकी तरह कुछ सज्जन अपने कागजात हिन्दी लिपिमें दाखिल करते हैं। एक ओर हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और हिन्दीका अधिकार क्षेत्र अधिक बढ़ रहा है। देशी हिन्दू राज्योंमे सब जगहों पर हिन्दी है और जहा पहले न थी वहा भी अब हिन्दीका प्रयोग होने लगा। श्री जोधपुर श्री बीकानेर नरेश इस विषयमे अधिक प्रशसाके पात्र हैं। सी० पी० मे पहले ही से हिन्दीका प्रयोग होता है। इस किताबके पाठकोंसे हम नम्र निवेदन यही करेंगे कि वे यथा साध्य हिन्दीमें अपना काम काज करके हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनानेमें सहायता दें।

अर्जीदावा वगैरा किस कागजके ऊपर लिखा जाना चाहिये और दस्तखत —वे तमाम प्लीडिङ्गस और अर्जियां, जो दीवानी मुकद्दमोंके दौरानमे दाखिल की जायगी फुलस्केप आकारके एक सादे वाटर मार्क कागजपर लिखी जानी चाहिए या टाइप की जानी चाहिए या छापी जानी चाहिए। कागजके सिर्फ एक ही ओर चौथाई हाशिया और ऊपर नीचे कमसे कम एक इच की जगह बिना लिखी छोडकर लिखना चाहिये।

जिस कागज़का ऊपर जिक्र किया गया है, वह आमतौर पर वाटर मार्क कागजके नामसे प्रसिद्ध है और हर एक स्टाम्प फरोशके पास एक पैसा या दो पैसाके हिसाब से बिका करता है। यह वाटर मार्क कागज सरकारी होता है स्टाम्प फरोश या वकीलोंके बस्तेमे टिकट लगाने वाले अपना कमीशन बढाकर मवक्किल को दिया करते हैं। आम तौरसे यह कागज खजानेमे रहता है और कहीं कहीं पर अदालतोंमे रहता है।

अर्जीदावेके ऊपर दस्तखत करना और उसकी तस्दीक ठीक होना चाहिये तथा सम्मनकी तामील आर्डर ५ के रूल १४ और १५ की पूरी पूरी की जानी चाहिए।

"दस्तखत" शब्द मे अपने नामके केवल आदिके अक्षर ही न लिखने चाहिए पूरा नाम लिखना ठीक है देखो 23 C 896

उसके वकीलके दस्तखत अर्जीदावाके हर एक सफाके होने चाहिये। उसकी तस्दीक आखिरी सफाके नीचेकी –

यह जरूरी है कि दस्तखत होनेके पहले लिखा गया हो। किसी सादे कागजके ऊपर दस्तखत

और नाजायज माना जायगा (देखो 15 A 59; 25 A. 442 तथा 19 C W. N 220)

जिस अर्जीदावाके ऊपर किसी ऐसे शख्स ने हस्ताक्षर (दस्तखत) किये हों जिसके पास हस्ताक्षर करनेके लिये बाजाब्ता आम मुख्तारनामा है, वह अर्जीदावा बाकायदा दस्तखत किया हुआ माना जायगा, लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान हो जाना जरूरी है कि मुद्दईके अलावा जो शख्स अर्जीदावा की तस्दीक कर रहा है, वह उस मुकदमेके हालातको अच्छी तरहसे जानता है, [देखो 4 B 468, 25 A 435]

जो अर्जीदावा कोई मुख्तार मजाज पेश करे उस पर भी उस मुख्तारके दस्तखत होने चाहिए [देखो 3 C L R. 579, 3 C L R. 15]

यह जरूरी नहीं है कि वे कुल आदमी, जो किसी मुकदमेमें बतौर मुद्दई के शामिल है, अर्जीदावाके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक करें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई शख्स जो किसी मुकदमेमें शामिलाती मुद्दई है, उस समय तक मुद्दई न समझा जायगा जब तक कि वह अर्जीदावाके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक न कर दे [देखो 17 C 580; 1 B L R 100, 10 W R 145] मगर जहा तक हो सके सबके दस्तखत होना चाहिये, खास सूरतोंके अलावा।

जो शख्स जेलखानेमें है, वह किसी दूसरे शख्स को दस्तखत करनेका अधिकार देसकता है [देखो 40 A 147] जो नालिशे भारतमन्त्रीके द्वारा या उनके विरुद्ध दायर की जाय, उनमें अर्जीदावा या बयान तहरीरीके ऊपर ऐसे शख्सके दस्तखत होंगे जिसे सरकार, खास या आम हुक्मके जरिए, ऐसा करने के लिये नियत (मुकर्रर) करे, और कोई भी ऐसा शख्स उसकी तस्दीक कर सकेगा जिसे सरकारने इस कामके लिये मुकर्रर किया हो और जो उस मामलेके वाकयातको पूरी तौरसे जानता हो [देखो आर्डर २७ रूल १, तथा 5 C L J 34]

जो नालिशे किसी कारपोरेशनकी ओरसे या उसके विरुद्ध दायर कीजाय, उनमें किसी प्लीडिंगके ऊपर उस कारपोरेशनकी ओरसे कारपोरेशनका सिक्रेटरी या उसका कोई डाइरेक्टर या उसका दूसरा खास अफसर, जो उस मामले के वाकयात को बयान कर सकता है, दस्तखत कर सकता है और उसकी तस्दीक भी कर सकता है [देखो आर्डर २९, रूल १]

दस्तखत करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि दस्तखत इस तरह से किए जाय कि जिस तरह वह आम तौरसे पहले सब कागजों पर करता है जिसकी लिखावट एक सा हो हरफोंमें फरक न हो। अर्थात दस्तखतकी गति विधि उसी तरह की हो जैसी हमेशा होती है। दस्तखत करनेके लिए शब्द 'दस्तखत' लिखना जरूरी नहीं है। अकसर लोग अपने नामके पहले शब्द 'दस्तखत' लिखकर पीछे अपना नाम लिखते हैं और अन्तमें लिखते हैं 'बकुलम खुद'

या 'खास' । दस्तखतसे मतलब नाम का है देखो जाबता दीवानीकी दफा २ (२०)

अक्सर लोग अपने दस्तखत उस लिपिमें करते हैं जिस लिपिमें कागज लिखा होता है । अङ्गरेजी के लिखे कागज पर अङ्गरेजीमें और उर्दूमें लिखे कागज पर उर्दूमें पर्व । मगर ज्यादा अच्छा यह है कि दस्तखत उस लिपिमें किए जावें जिस लिपिमें उन्हे सबसे ज्यादा अभ्यास हो और जिस लिपिमें वे प्राय दस्तखत करते रहते हों ।

कुछ लोगोंको ऐसा देखा है कि वे अङ्गरेजी लिखे कागज पर अङ्गरेजीमें दस्तखत करते हैं और उर्दू लिखे कागज पर उर्दूमें मगर उन्हे अङ्गरेजी और उर्दू का ज्ञान नहीं है वे हिन्दी जानते है । वे इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें लोग अङ्गरेजी और उर्दू जानने वाला जाने । ऐसा करना केवल भूल नहीं है बल्कि बहुत बडी खराबी का कारण है । उन्हे उसी लिपिमे दस्तखत करना चाहिए जिसमें उन्हे सर्वोपरि अभ्यास हो ।

तस्दीकका तरीका और उसका फार्म—तस्दीक करने वाले शख्सको चाहिये कि वह यह लिखे कि जिन पैरा ग्राफ़ा (दफाओ) की तस्दीक वह अपने इल्मसे करता है और किनको वह दूसरोंके बतलाने पर सही मानता है ।

जब अर्जीदावामें अपमान सूचक वाक्य भरे हों तो मुद्दईको स्वय उस अर्जीदावा पर दस्तखत और उसकी तस्दीक करना चाहिये [देखो 6 C 268 I P जब मुद्दई भारी धोखेका इल्जाम लगाता हो या जब कि मामलेका सारा दारमदार उस मुद्दईकी निजी जानकारीके ऊपर हो, तो उसकी तस्दीक उसीको करनी चाहिये [देखो 8 C 885, 24 W R 210 और 9 A 505]

जिन कागजातपर तस्दीक लिखना जरूरी कर दिया गया है उनमें तस्दीक लिखते समय, तस्दीक करने वाले व्यक्तिको खुद बड़े गौरसे हर एक दफा या मजमून पढ़ते जाना चाहिये और हर एक दफा या मजमूनके टुकड़ेको दो भागों मे विभक्त करके लिखते जाना चाहिये । यदि तस्दीक करने वाला व्यक्ति पढ़ा नहीं है या इतनी समझ नहीं रखता तो वकील या मुहर्रिरको धीरे धीरे दफाओं को पढ़ते और उसे समझते तथा यह समझाते हुये कि वह उसे समझ गया है, इल्म और यकीनके वाक्योंको तरतीबवार लिख ले । तस्दीक बड़ी होशियारीसे करना जरूरी है कभी कभी तस्दीक पर से ही सारा मुकद्दमा उलट हो जाता है भविष्यकी बातों पर विचार करके [illegible] चाहिये ।

तस्दीकमें यह लिखना चाहि[illegible] [illegible] और इतनी दफाए या मजमूनका इतना हिस्सा [illegible] इतनी दफाए या मजमून [illegible] दफाए या [illegible] बतलाने पर सही [illegible] यह [illegible] कीगयी ।

[illegible] एगाना— [illegible] जो कोर्ट फीस

पेस्टके [illegible] चाहिये

को छापा

हो देखो

जब कोर्ट फीसकी रकम १०) रु० से कम हो और वह अकेला एक स्टाम्प चिपका कर लगाई जा सकती हो, तो ऐसा कोर्ट फीस उतने रुपयेका एक स्टाम्प चिपका कर लगा दिया जायगा। अगर स्टाम्प फरोशके पास उतनी कीमतका एक स्टाम्प न हो तो कई स्टाम्प भी उसकी कैफियतके साथ लगाये जा सकते हैं। जब कोर्ट फीसकी तादाद १०) रु० या उससे ज्यादा हो और उस रकमका एक अकेला स्टाम्प मिल सकता है तो उतनी रकमका छपा हुआ स्टाम्प अर्जीदावा पर लगा दिया जायगा। अगर यह कोर्ट फीस एक छपे हुये या चिपकाये हुये स्टाम्पकी शकलमें न लगायी जा सकती हो तो उससे कम कीमत वाले छोटे छोटे एक या अधिक स्टाम्प लगा कर यह कमी पूरी कर दी जायगी।

अर्जी दावा, कोर्ट फीस ऐक्टकी दफा ६ में बतलाया हुआ कागज (Document) है (देखो 24 C W N 98 P C) और कोई भी किसी किस्मका कागज, जिस पर उस ऐक्टके परिशिष्ट (१) और (२) में बतलाये अनुसार स्टाम्प लगाया जाना चाहिये, किसी अदालतमें उस वक्त तक न दाखिल किया जायगा और न लिया जायगा जब तक कि उस पर पूरा कोर्ट फीस अदा न कर दिया जाय [देखो दफा ६] इस लिये किसी भी शख्सको अधिकार नहीं है कि वह बिना काफी कोर्ट फीस लगाये कोई अर्जीदावा अदालतमें दायर करे और न अदालत उसे लेनेके लिये बाध्य ही है। लेकिन अदालतको अधिकार है कि उचित कारणों के होते हुये वह किसी अर्जी दावा को, उस पर बिना काफी कोर्ट फीस लगाये हुये, दाखिल करनेकी इजाजत दे दे और उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो जाबता दीवानीकी दफा १४९] अगर कोई अदालत किसी ऐसे अर्जी दावा को मञ्जूर कर ले जिस पर काफी स्टाम्प नहीं लगा है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि आर्डर ७ रूल ११ (सी) के अनुसार अर्जी दावाको खारिज करनेके पहिले उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो 27 C W N 566] अदालत एकसे अधिक बार वक्त बढ़ा सकती है [देखो 34 C 20 F B, 45 A 518, 51 I C 154] पुराने जाबता दीवानीमें बहुतसी विरोधी नजीरें थीं और वर्तमान जाबतेकी दफा १४९ ने इस प्रश्नको हल कर दिया है। समय बढ़ानेके सम्बन्धमें अदालतोंके अधिकारको बढ़ा दिया है [देखो 21 I C 866, 16 C L J 34] समय बढानेके लिये जो खास वजह होगी वह धोखेसेकी हुई गलती होगी [देखो 57 I C 215] नालिश दायर करनेकी तारीख, वह तारीख है जब कि अर्जीदावा दाखिल किया गया था, वह तारीख नहीं जब कि कमी कोर्ट फीस लगाया गया था [देखो 1 I C 780] इस बातके झगड़े अकसर पड़ जाते हैं, तमादीका सवाल पैदा हो जाता है इस लिये इस बातको याद रखना चाहिये, जहा तक हो पूरा कोर्ट फीस साथ ही लगाया जाय यदि धोखेसे रह जाय तो जिस तारीखको मियादके अन्दर वह कमी पूरी की जायगी तो दूसरा पक्ष तमादी (यदि पैदा होती होगी) का उजुर पेश कर सकता है।

जब समय बढ़ा दिया गया हो लेकिन हुकमकी तामील न की गई हो, तो दफा १४९ मुद्दईकी कुछ भी सहायता न कर सकेगी और अगर कमी कोर्ट फीस

मियादकी मुद्दत खतम होनेके बाद लगाया गया हो तो नालिश खारिज कर दी जानी चाहिये (देखो 13 C L J 78)

उस हुक्मकी अपील हो सकेगी जिससे अर्जीदावा इस बिना पर खारिज कर दिया गया हो कि उस पर काफ़ी स्टाम्प नहीं लगा हुआ है (देखो 12 C L R 148)

21 C W N 934 में यह तय किया गया है कि जाबता दीवानी के आर्डर ७ रूल ११ (सी) ताकीदी है अगर मुकर्रर मियादके अन्दर मुद्दई कमी कोर्ट फीसको पूरा नहीं कर सकता तो अर्जीदावा अवश्य खारिज कर देना चाहिये। अदालतको यह अख्तयार न होगा कि वह किसी अर्जीदावाकी निस्बत यह हुक्म दे सके कि उसमेंसे कोई दादरसीकी मांग निकाल दी जाय जिससे कि वह अर्जीदावा एक ऐसे कागज पर लिखा हुआ समझा जा सके जिस पर काफी स्टाम्प लगा हुआ है, माना जा सके।

उन दस्तावेजोंका पेश करना और शामिल मिसिल करना जिसके आधार पर मुद्दईका दावा है—अगर मुद्दई किसी दस्तावेजके ऊपर नालिश करता है तो उसे चाहियेकि वह उस दस्तावेजको या उसकी एक नकल इस लिये दाखिल करे कि वह शामिल मिसिल की जाय।

अगर मुद्दईके पास अदालतमें पेश करनेके लिये कोई दूसरा दस्तावेज हो (चाहे वह उसके कब्जेमें या अधिकारमें हो अथवा न हो), तो उसे चाहियेकि वह दस्तावेजका इन्दराज उस फेहरिस्तमें कर दे जो अर्जी दावाके साथ नाथी कर दी जायगी (वही आर्डर ७ रूल १४)

इस रूलके (मुतअल्लिकात) रूल १८ (१) में मिलेंगे। जो रूल इस रूलके साथ पढ़ा जाना चाहिये इसमें उन दस्तावेजों (कागजात) के निस्बत जिक्र किया गया है जो मुद्दाअलेहके गवाहके ऊपर जिरह करने या मुद्दाअलेहकी ओरसे कही गई किसी बातके जवाब देनेके लिये या कानून शहादतकी दफा १५९ के अनुसार यादाश्तको ताजा करनेके लिये पेश किये गये हों)

(२) अगर ऐसा कोई दस्तावेज (कागज) मुद्दईके कब्जे या अधिकारमें न हो, तो वह अगर मुमकिन होगा तो, वह लिखेगा कि वह किसके कब्जे या अधिकारमें है (देखो आर्डर ७ रूल १५)

(३) अगर वह दस्तावेज (कागज), जिसके आधारपर मुद्दईने नालिशकी है, किसी दूकानकी किताब (बहीखाता) या दूसरी किताबका इन्दराज है, तो मुद्दईको चाहिये कि वह अर्जी दावा पेश करते वक्त उस किताब या हिसाबको मय उसकी एक नकलके दाखिल करे। अदालत या ऐसा अफसर जिसे अदालत नियुक्त करे फौरन उस कागजके ऊपर पहिचानके लिये निशान डाल देगा और उस नकलकी जांच करने और असलसे उसका मिलान करनेके बाद, अगर वह

सही मालूम हो तो, उसके ऐसा होनेका सार्टीफिकट दे दे और असल मुद्दईको वापस कर दे तथा नकलको दाखिल दफ्तर करनेका हुक्म दे दे (देखो आर्डर ७ रूल १७)

वकीलके मुहर्रिरको चाहिये कि जब वही खाते या ऐसी किताबके आधार पर नालिश की जाय जिस किताबका जिक्र ऊपर किया गया है तो एक साफ नकल उस खातेकी या नकल वहीकी या खाते, नकल और रोकड़ वहीकी जहा तक कि हिसाब दावासे सम्बन्ध रखता हो अदालतमें पेश करे और मिलान कराकर असल वापिस ले ले। नकलमें गलती न रहने पावे। आज दफा देखा गया है कि हरफ तो कुछ नहीं छूटे मगर जगह ऐसे ढगसे उसके हिसाबमें छोड़ी गयी थी कि जिससे हाकिमको आइन्दा जाल बनानेका शक मजबूत हो गया था। असलमें जहा पर कटा हुआ शब्द हो तो नकलमें भी वैसा ही होना चाहिये।

अर्जीदावाकी नकलों या दावाके संक्षिप्त विवरणका दाखिल करना—अगर अर्जी दावा मजूर कर लिया जाय, तो मुद्दईको चाहिये कि वह सादे कागजके ऊपर लिखकर उसकी उतनी प्रतिया दाखिल करे जितने कि मुद्दाअलेह हों। अगर अर्जीदावा बहुत बड़ा हो या मुद्दाअलेहोंकी सख्या अधिक हो या कोई दूसरे पर्याप्त कारण हों, तो मुद्दई अदालतकी आज्ञासे, उपरोक्त प्रतियाके बदले उसकी उतनी ही सक्षेपमें लिखी हुई प्रतिया दाखिल कर सकता है। इस संक्षिप्त विवरण में दावाकी किस्मका या दादरसीकी किस्मका वर्णन होना चाहिए (देखो आर्डर ७, रूल ९)

जब मुद्दई किसी प्रतिनिधिकी हैसियतसे दावा करे या जब किसी मुद्दा-अलेहके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतमें दावा किया जाय, तो इस संक्षिप्त विवरणमें यह बात लिखी जानी चाहिये कि किस हैसियतसे मुद्दईने दावा किया है या किस हैसियतमें मुद्दाअलेहके ऊपर दावा किया गया है (देखो आर्डर ७, रूल ९)

अदालतका सिरिश्तेदार इन नकलों या संक्षिप्त विवरणकी प्रतियोंपर, अगर वे सही मालूम हों, अपने दस्तखत कर देगा (देखो आर्डर ७, रूल ९)

यद्यपि जाबता दीवानीके आर्डर ७ रूल ९ में यह बतलाया गया है कि नकलें और संक्षिप्त विवरण अर्जीदावा मजूर हो जानेके बाद दाखिल की जानी चाहिये, लेकिन आम रिवाज यह है कि वे अर्जी दावाके साथ नत्थी कर दी जाती हैं और उसीके साथ दाखिल की जाती हैं।

अर्जीदावाकी नकलोंके दाखिल करनेमें इन बातका ध्यान मुहर्रिर या वकीलको भले प्रकार रखना चाहिये कि वे सब नकलें सही हों, उनमें कोई बात किसी जगह पर छुट न गई हो, साफ साफ लिखी हों, ऐसे कागज पर लिखी हों कि वह मामूलीसे खराब न हो। अक्सर मवक्किलके कहने सुननेमें आकर या अपनी मेहनत बचानेके लिये बेगारकी तौर पर मुहर्रिर अर्जी दावाकी ऐसी नकलें दाखिल कर देते हैं कि जो सही होने पर भी पढ़ी नहीं जाती। कभी तो वे इसी इरादेसे ऐसा लिखते हैं कि प्रतिपक्षी पढ न सके और कभी वे किसी नातजुर्बेकार

या किसी लडकेसे लिखा लेते है जिनमे ऐसे दोष हो जाते है कभी मवक्किलके खुश करनेके लिये जान बूझ कर न पढा जाने वाला हरफ लिखते हैं और कहते हैं "देखो मैने ऐसा लिखा है कि वे पढ़ी नही सकेंगे"। मूर्ख मवक्किल चाहे ऐसी हर-कतासे प्रसन्न हो मगर उन्हे सोचना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि इससे मुकद्दमेमे बड़ा बुरा असर पड़ता है। दूसरे फरीक़ को मोहलत मिल सकती है। दुबारा नक़ले दाखिल करनेका हुक्म हो सकता है हाकिमका मिजाज बिगड सकता है और अन्य बाते भी हो सकती है। इसलिये अर्जीदावाकी नकले, सही, साफ और योग्य रीतिसे लिखकर दाखिल करना जरूरी है। नक़ल अकसर मुहर्रिर ही लिखते हैं इसलिये उन्हे सचेत रहना चाहिये कि अपने मुकद्दमे और अपने वकीलके यशको रक्षित रखे।

भाग २



नालिशका दायर करना

अर्जीदावाका पेश करना—ऊपर बतलाये अनुसार अर्जीदावा लिख जाने, उसकी तस्दीक हो जाने और उसपर काफ़ी स्टाम्प लग जाने के बाद, उस अर्जीदावाको अदालत या किसी ऐसे अफ़सरके पास, जिसे वह इस सम्बन्धमें नियुक्त करे, पेश करके नालिश दायर कीजानी चाहिये (देखो दफा २६ और आडर ४, रूल १ जाबता दीवानी।

'पेश करने' का अर्थ यह नहीं है कि अर्जीदावा बजरिये डाक भेज दिया जाय बल्कि इसका मतलब यह है कि वह असालतन या वकीलके जरिये अदालतमें पेश किया जाय देखो 18 M 354 अदालत किसी अर्जीदावाको इतवार या दूसरे छुट्टी के दिन ले सकती है। अगर अर्जीदावा मजिस्ट्रेट अथवा जजके मकान पर या किसी दूसरे स्थानपर पेश किया जाय और वह उसे मजूर कर ले, तो वह जायज होगा (देखो 79 I C 1017) अगर मियाद खतम होती हो या दूसरी कोई ऐसी ही जरूरत हो तो उस हाकिमके घर पर या जहां पर हाकिम हो अर्जीदावा दाखिल किया जा सकता है।

अर्जीदावा पेश करनेका अधिकार—अर्जीदावाको या तो मुद्दई खुद पेश कर सकता है या उसका वकील अथवा मुख्तार मजाज (आडर ३, रूल १)

जिन लोगोंके पास ऐसा मुख्तारनामा हो, जिसमें उन्हें फरीकेनकी ओरसे हाजिर होने दरख्वास्त वगैरा पेश करने और काम करनेका अख्त्यार दिया गया हो या जो लोग ऐसे हों जिनके पास मुख्तारनामा नहीं है मगर वे उन फरीकेनकी ओर से या उनके नाम से व्यापार अथवा कारबार करते हों जो उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं, वे अधिकार प्राप्त मुख्तार माने जावेंगे (देखो आर्डर ३, रूल २)

आर्डर ३ रूल २ (ए) के अनुसार कोई भी ऐसा शख्स, जिसके पास आम या खास मुख्तारनामा है, मुख्तार मजाज है (इसमें मुख्तार तथा दूसरे ऐसे ही लोग शामिल हैं) खास मुख्तारनामा के ऊपर कोई भी शख्स अदालतमें हाजिर होकर कार्य कर सकता है। अगर कोई शख्स खुद जाकर कोई अर्जीदावा पेश करे, तो उसके लिये इस बातकी जरूरत है कि कोई योग्य व्यक्ति उसकी शिनाख्त करे। किसी मुख्तार मजाज का यह अख्तयार न होगाकि वह मामलेमें बहस कर सके और गवाहों पर जिरह कर सके।

ऐसे मुख्तारोंके ऊपर हुक्मनामोंकी तामीलका यही असर होगा मानो वह स्वयं फरीकके ऊपर ही तामील हुआ है (देखो आर्डर ३ रूल ३ और ५)

नालिश वहीं दायर की जायगी जहां जायदाद मुतनाजा वाके हो—(१) नीचे लिखी नालिशें उन अदालतोंमें दायरकी जायगी जिनके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर वह जायदाद वाके हो जिसकी निस्बत दावा है—

(क) वे नालिशें, जो बाबत कब्जा जायदाद गैर-मनकूलाके दायर कीगई हों,

(ख) जो जायदाद गैर-मनकूलाके बटवारा के लिये कीगई हों,

(ग) रेहन नामाकी हालतमें या जायदादके ऊपर किसी तरह का कोई बार होने पर जो बयबात, नीलाम या फकरेहनी की बाबत दायर कीगई हों,

(घ) जो किसी जायदाद गैर मनकूलामें किसी हक या हिस्सेको तय करनेके लिये दायर कीगई हों,

(ङ) जो जायदाद गैर-मनकूलाको पहुंचाये गए नुकसानका मुआविजा दिलापानेके लिये दायर कीगई हों,

(च) जो उस जायदाद गैर मनकूलाके दिलापानेके लिए दायर कीगई हों, जो कुर्क या जब्त करली गई हों (देखो जाबता दीवानीकी दफा १६)

जाबता दीवानीकी दफा १६ मे यह व्यवस्था कर दीगई है कि जब, जिस दादरसीके लिये दावा किया गया है, वह मुद्दाअलेह की जात खासले ही हासिल हो सकती हो, तो ऐसी नालिश उस अदालतमें दायर की जासकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर मुद्दाअलेह रहता है। उदाहरणार्थ हुक्म इम्तनाई जारी करनेके लिए कीगई नालिश (देखो 13 C W N 846)

(२) वे नालिशें, जो ऐसी दादरसी के लिए दायर कीगई हों जिसका सम्बन्ध ऐसी जायदाद गैर मनकूला से है जो कई एक अदालतोंके अधिकार-क्षेत्र की सीमामें वाके हों, उन अदालतोंमें दायर की जा सकती है जिनके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर उस जायदादका कोई हिस्सा वाके हो (देखो जाबता दीवानीकी दफा १७)

(३) जहांपर इस बातमें सन्देह होकि दो अथवा अधिक अदालतोंमें से किस अदालतके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर कोई जायदाद गैर-मनकूला वाके है, तो उनमें से कोई भी अदालत, इस बातका इतमीनान हो जाने पर कि

इस सन्देहके लिए कोई कारण है, इस सम्बन्धमें एक तहरीर लिख देनेके बाद उस नालिशकी समाअत करेगी (देखो पृष्ठ १८)

अख्त्यार समाअतके सम्बन्धमें सन्देह होनेके लिए उचित कारण होना चाहिए। देखो C L J 154

(४) वह नालिश जो किसी हानिके लिये मुआविजा दिलानेकी बाबत कीगई हो जो किसी शख्सको या जायदाद मनकूलाको पहुंचाई गई हो, या तो उस अदालतमें दायर की जायगी, जिसके अधिकार क्षेत्रमें वह हानि पहुँचाई गई थी, या उस अदालतमें जिसके अधिकार क्षेत्रम मुद्दाअलेह रहता है या व्यापार करता है (देखो दफा १९)

५ बाकी सभी नालिशें [सिवाय उनके जो ऊपर बतलाई जा चुकी है] उस अदालतमें दायर की जायगी जिसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर—
(अ) मुद्दाअलेह या हर एक मुद्दाअलेह या कोई भी मुद्दाअलेह (जब कि एक से अधिक मुद्दाअलेह हो) रहता हो या रोजगार करता हो या मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो, या विनाय मुखासमत, कुल या किसी अंशमें पैदा हुई हो [देखो दफा २०]

"सकूनत' से मतलब ऐसे स्थान से है जहां पर कोई शख्स खाता, पीता और सोताहो, या जहा उसके घर वाले अथवा नौकर खाते, पीते और सोते हों, देखो 13 C L J, 221 "रोजगार करता हो" और "मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो' के अर्थके लिए देखो 40 C 308, 18 B 290, 8 C 678, 14 C 256 रोजगारका मतलब सिर्फ व्यापार ही नहीं है, देखो 14 B 541, 18 B, 291 "रोजगार करता हो" से "खुद कोई काम करता हो" बिलकुल भिन्न अर्थमे प्रयोग किया गया है। इससे यह तात्पर्य नहीं कि वह शख्स अपने शरीर से ही उपस्थित (हाजिर) हो या कोशिश करता हो। कोई शख्स बिना उस स्थान पर स्वयं गए हुए अपने नौकरों या एजेन्सीके द्वारा 'रोजगार' कर सकता है, देखो 19 A L J 696

'विनाय मुखासमत' का अर्थ यह है कि जहा पर नालिश करनेकी विना पैदा हुई हो। उदाहरणार्थ —एक शख्स ने स्थान 'अ' से मालके मगानेके लिये आर्डर दिया और माल स्थान 'ब' से बजरिये वी० पी० भेजा गया और उसकी कीमत स्थान 'ब' पर अदा कीगई ऐसी दशामें दोनों जगह पर नालिश हो सकेगी। और देखिए जैसे—महेशदत्त एक व्यापारी कानपुरमें है, रामचन्द्र कलकत्तेमें कारबार करता है रामचन्द्रने कलकत्तेसे महेशदत्तको लिखा कि आढ़त पेटे इतना माल रेलसे भेजो। महेशदत्तने उसके अनुसार माल रेलके हवाले किया तो कानपुर और कलकत्ते में दोनों जगह नालिश रुपया वसूल करने की हो सकती है। देखो 42 A 619

कार्पोरेशनकी सकूनत उस स्थान पर समझी जायगी जहा पर उसका कारबार होता हो। अगर किसी बैंक की पचास ब्राच भिन्न भिन्न स्थानों मे

हो, तो उसपर इनमें से किसी भी अधिकार-क्षेत्रके अन्दर नालिश दायर की जासकती है, देखो 48 I C 943

अधिकार क्षेत्रके सम्बन्धमें एतराज—अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी उज्र प्रारम्भिक अदालतमे पेश किए जायगे और वह भी जहा तक जल्द मुमकिन हो। अन्यथा अदालत अपीलमे ऐसा उज्र खारिज कर दिया जायगा।

जो नालिशे एकसे अधिक अदालतोमे दायर कीगई हो उनको मुन्तकिल करने सम्बन्धी अधिकारोके बारेमे देखो जाबता दीवानीकी दफा २२ और २३, और हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्टकोर्ट (अदालत जिला) द्वारा मुकद्दमोंका मुन्तकिल किये जाने और उनको वापस लिये जाने के सम्बन्धमे देखो दफा २४।

प्लीडिङ्गसका निकाल देना और उसका सशोधन—(१) अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय किसी प्लीडिगकी उन बातोंको निकाल दे या उनका सशोधन कर दे जो आवश्यक अथवा अपमान सूचक हो अथवा जिससे मामलेमें निष्पक्ष जाच होनेमे किसी तरह की हानि, रुकावट अथवा विलम्ब होने की सम्भावना हो [देखो आर्डर ६, रूल १६]

२ अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय पर किसी फरीक को अपनी प्लीडिङ्गसका इस तरह और ऐसी शर्त पर सशोधन करने या उसको बदल देनेकी इजाजत दे देवे जैसी मुनासिब मालूम हो और ऐसे तमाम सशोधन कर दिए जायगे जो झगडे सम्बन्धी कुल प्रश्नोंको तय करनेके लिये काफी होंगे [देखो आर्डर ६ रूल १७ और दफा १५३]

सशोधन—रूल १६ उन सशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीक अपने विरोधी पक्षकी प्लीडिङ्गसमें करना चाहता हो और रूल १७ उन सशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीक स्वय अपनी प्लीडिङ्गमे बनाना चाहता हो।

सशोधनकी किस्में—नीचे लिखे किस्मके सशोधनोंके लिये जाबता दीवानी मे इजाजत दी गई है—

(क) फैसलो, डिकरियों या हुक्मोंमे लिखनेकी अथवा अङ्कोंका सशोधन [देखो दफा १५२]

(ख) किसी मुकद्दमेमें की जाने वाली किसी कार्रवाई में हुई किसी गलती या भूल का इस गरज से कि फरीकैनके बीच पैदा हुए झगडेका निपटारा हो जाय, सशोधन करनेका आम अख्तयार (देखो दफा १५३)

(ग) फरीकैनको निकाल देने या शामिल करने सम्बन्धी अदालतका अख्तयार (देखो आर्डर १, रूल १०)

(घ) विरोधी पक्षकी प्लीडिगसका खारिज कर देना या उसका सशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १६]

(ङ) किसी फरीककी खुदकी प्लीडिगसका सशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १७]

रूल १७ अदालतको इस सम्बन्धमें बहुत विस्तृत अधिकार देता है कि वह प्लीडिंगसमें संशोधन करनेके लिये इजाजत दे सके, देखो 15 C L J 439 जब यह रूल दफा १५३ के साथ शामिल कर दिया जाता है, तो इससे संशोधन की इजाजत देने सम्बन्धी अदालतोंके अधिकार बढ जाते हैं। इसलिये बहुतसे मामले जो दफा ५३ के अनुसार फैसल किए गए है वे कानूनकी दृष्टिसे ठीक नहीं हैं। अन्तिम वाक्यके आज्ञासूचक शब्दोंसे यह स्पष्ट है कि मुकद्दमेके दौरानमें किसी भी समय संशोधनोंके लिये इजाजत दी जा सकती है, जो दो शर्तोंको पूरा करता है, अर्थात् (१) यह कि दूसरे पक्षके साथमें अन्याय न होना और (२) यह कि वास्तविक झगडेके प्रश्नको तय करने के लिए आवश्यक होना, देखो 33 B 644 प्रत्येक वकीलको इस नजीरको पढ जाना चाहिए देखो 16 C W N 128, 11 C L J 188, 22 C W N 611 संशोधनकी नामंजूरी उस समय देनी चाहिए जब कि (१) कोई दावा या दादरसी जान बूझकर छोड दीगई हो, (२) जब कि दरख्वास्त नेकनीयतीसे न दीगई हो, (३) जब कि इससे मुकद्दमेकी असलियत बिल्कुल बदल जाती हो और (४) जब कि वह गैर कानूनी हो और अनावश्यक हो, [देखो 17 C W N 311 11 I C 827, 10 C W N 622, 14 C L J 83] पहली गलती चाहे जितनी ही लापरवाहीसे क्यों न कीगई हो और इसके लिए प्रार्थना चाहे जितनी ही देरमें क्यों न कीगई हो, संशोधनके लिए इजाजत अवश्य दी जानी चाहिए, जब तक कि दूसरे पक्षको ऐसी हानि न पहुंच रही हो, जिसका मुआविजा खर्चेसे पूरा न किया जा सकता हो।

जब संशोधन करनेकी इजाजत दे दीगई हो तो दूसरे पक्ष को भी इस बातका मौका दिया जाना चाहिए कि वह संशोधन के द्वारा या नई शहादत तलब करके उसका जवाब दे सके [देखो 16 I C 785, 12 C L J 550, 20 C W N 547]

संशोधनका सम्बन्ध उसी तारीखसे होगा जिस तारीखको नालिश दायर कीगई थी [देखो 62 P R 1914, 19 C W N 1193] जिस संशोधनसे किसी पक्षका, मियादके आधार पर अपनी पैरवी करनेका अपहरण होता हो, उस संशोधनके लिए इजाजत न देनी चाहिए [देखो 25 C W N 280, P C, 20 C W N 175, 26 C W N 73)

मियाद—संशोधन करने से वह अर्जीदावा या बयान तहरीरी आदिका दाखिल होना उसी तारीखसे समझा जायगा जिस तारीखको वह अन्वल दफे दाखिल हुआ है मगर अर्जीदावामें किसी मुद्दाअलेहके नए लिखे जानेकी दशा में उस बढे हुए मुद्दाअलेह के मुकाबिलेमें वह अर्जीदावा उस तारीखमें दाखिल हुआ समझा जायगा कि जिस तारीखको उसका नाम नए सिरेसे बनाया गया है।

हुक्म मिलनेके बाद संशोधन करनेका परिणाम—(१) अगर कोई शख्स हुक्म होने के बाद निश्चित समय के भीतर अथवा जहां पर ऐसा समय निश्चित नहीं

किया गया है वह १४ दिनके भीतर संशोधन नहीं कर देता, तो उसे जब तक कि अदालत समयको बढा न देवे संशोधन करने का अधिकार न होगा [देखो आर्डर ६, रूल १८] लेकिन इस रूलसे अदालतोंके संशोधन करने सम्बन्धी साधारण अधिकारोंके ऊपर कोई असर नहीं पडता जो उन्हें जाबता दीवानी की दफा १५३ के अनुसार प्राप्त है । संशोधन करनेकी इजाजत, अपील या खास अपीलमें दी जासकती है [देखो दफा १०८]

२ दफा १४८ जाबता दीवानी के अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह उस मुद्दतको बढा दे जो जाबता दीवानीके अनुसार निर्द्धारित या अज्ञप्त (आज्ञा प्राप्त) कार्योंके करनेके लिए मुकर्रर कीगई हो [देखो 17 C W N 515]

अर्जीदावाकी वापसी—मुकद्दमेके दौरानमें किसी भी समय अर्जीदावा मुनासिब अदालतमें पेश किए जानेके लिए इस कारणसे वापस किया जा सकता है कि जिस अदालतमें वह पेश किया गया है उसे उसकी समाअत करनेका अधिकार नहीं है (देखो आर्डर ७ रूल १०)

किसी मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए किसी अर्जीदावाको वापस करते हुए, जजको चाहिए कि वह उसकी पीठ पर ये बातें लिख दे'—(१) पेश किए जाने और वापसीकी तारीख, (२) पेश करने वाले शख्स या शख्सोंका नाम, (३) वापस करनेके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण [देखो आर्डर ७, रूल १०]

उस हुक्मकी अपील हो सकती है जिसके अनुसार मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस किया गया हो देखो आर्डर ४३

अर्जीदावा का खारिज किया जाना—नीचे लिखी हालतों में अर्जीदावा खारिज किया जा सकता है —

१ जब कि उसमें बिनाय मुखासमत जाहिर न की गई हो,

२ जब कि दादरसी की मालियत मुनासिब से कम लगाई गई हो और मुद्दई, अदालत से इस बात का हुक्म मिलने पर कि वह उसकी रकम को ठीक करे, ऐसा न कर सके,

३ जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कागज पर लिखा गया हो जिसपर काफी स्टाम्प न लगाया गया हो और मुद्दई अदालत द्वारा मुकर्रर किए गये समय के अन्दर कमी कोर्ट फीस को पूरा न कर सके,

४ जब कि नालिश के बारे में यह मालूम होता हो कि 'किसी कानून' के अनुसार उसकी मियाद खारिज होगई हो [देखो आर्डर ७, रूल ११]

नजीरें (१)—कोई नालिश इस बिनापर खारिज कर दी जा सकती है कि अर्जीदावा में बिनाय मुखासमत दावा दिखलाई नहीं गई है, यद्यपि ऐसी बिना वकील की बहस में दिखलाई गई है, मुद्दा अलेह के बयान तहरीरी में नहीं, देखो 3 C W N 220 अदालत किसी अर्जीदावा को अंशतः खारिज नहीं कर सकती है, देखो 29 A 325

क्लॉज (२)—अगर जिस दादरसी के लिए दरख्वास्त की गई है, उसकी मालियत कम लगाई गई है, तो अदालत को चाहिए कि वह मुदई को यह हुक्म दे कि वह अपनी दादरसी की, जो कि वह चाहता है, मालियत ठीक करे और इसके बाद, अगर मुद्दई दादरसी की तादात कम दिखलावे तो, अदालत इस दफा का प्रयोग करके उसका अर्जीदावा खारिज कर सकती है। लेकिन अदालत को खुद दादरसी की मालियत ठीक करने का अधिकार नहीं है [देखो 13 B 517, 33 M 262]

क्लॉज (३)—अगर मुद्दई उस मुद्दत के अन्दर जो अदालत ने निश्चित की है, स्टाम्प, जो उससे तलब किया गया है अदा नहीं करता है, तो अदालत को रूल ११ के अनुसार यह अधिकार है कि अर्जीदावा को उस समय भी खारिज कर दे जब कि उसपर नम्बर डाले जा चुके हों और वह बतौर नालिश के रजिस्टर में चढ़ा लिया गया हो देखो 12 A 553, 27 C 376, 18 M 338, 11 C W N 38 जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कारण से खारिज कर दिया गया हो, जिसका वर्णन आर्डर ७, रूल ११में किया गया है, तो मुद्दई उसी चीज की बाबत आर्डर ७, रूल १३ के अनुसार फिर से दावा दायर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तमादी आरिज न होगई हो, देखो 14 W R 289, 12 A 553, 21 B 91, 6 B 447

क्लॉज (४)—"किसी कानून' शब्दों में सग्रहीत कानून और केस लॉ (नजीरों का कानून) दोनों शामिल हैं। अर्जीदावा किसी समय खारिज किया जा सकता है, 12 A 553 18 M 388, 34 Cal 20 F B

इस रूल के अनुसार दिये हुए हुक्म की अपील डिकरी की तरह पर की जा सकती है, देखो जाब्ता दीवानी की दफा २ (२)

अर्जीदावा मंजूर कर लिए जाने के बाद की कार्रवाई

सम्मन की तामीली

अर्जीदावा की रजिस्ट्री—नालिश दायर होने के बाद अदालत उसके सम्बन्ध की कुल बातों को दीवानी मुकद्दमा के रजिस्टर में दर्ज करा देगी। नालिशों का नम्बर उसी सिलसिले में होगा जिसमें अर्जीदावा लिए गए हैं (देखो आर्डर ४, रूल ४)

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने के बाद हरएक वकील को फर्द हुक्म देख लेना चाहिए और अपनी डायरीमें मुकद्दमेके आखिरी फैसला या तनकीहात तय करने के लिये मुकर्रर की गई तारीख और मुकद्दमे के नम्बर को नोट कर लेना चाहिये।

जिन हुक्मों में फ़रीकैन या उनके वकीलों की ओर से कोई बात किए जाने की हिदायत की गई हो उनपर वहीं पर फ़रीकैन या उनके वकीलों के दस्तख़त हो जाने चाहिए [देखो G R and C O Vol 1 Chap 3 R 18)

मुद्दाअलेह के नाम सम्मन का जारी करना—(१) अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर हो जाने के बाद, मुद्दाअलेह के नाम इस बात का सम्मन जारी किया जा सकता है कि वह उसमें बतलाए हुए समय पर हाजिर होकर दावा की निस्बत अपना जवाब पेश करे (देखो दफ़ा २७ और आर्डर ५, रूल १)

(२) सम्मन जारी करने के वक्त अदालत यह तय करेगी कि वह सम्मन सिर्फ़ तनकीहों के तय करने के लिए ही होगा, या मुक़दमे का अन्तिम निर्णय (आख़िरी फैसला) करनेके लिए, और इसीके अनुसार सम्मन जारी किया जायगा [देखो आर्डर ५, रूल, ५]

(३) अदालत ख़फ़ीफा में दायर की गई नालिशों में सम्मन मुक़द्दमे का आख़िरी फैसला करने के लिए होगा [देखो आर्डर ५, रूल ५] लगान की नालिशों में सम्मन मुक़द्दमे के आख़िरी फैसले के लिए होगा, जब तक कि अदालत की यह राय न हो कि सम्मन सिर्फ़ तनकीह तय करने के लिए होगा (देखो दफ़ा १८८ 'सी') रुपये पैसे की नालिशों में सम्मन प्राय आख़िरी फैसले के लिए ही होता है। वक़ीयत रेहन नामा या दूसरे मुक़द्दमों में सम्मन तनकीहों को तय करने के लिए होता है।

(४) सम्मन में मुद्दा अलेह को यह हुक्म दिया जायगा कि वह वे कुल काग़जात जोकि उसके क़ब्जे या अधिकार में हों और जिनके आधार पर वह अपना दावा पेश करता है, पेश करे और अगर सम्मन मुक़द्दमे के आख़िरी फैसला के लिए हो, तो उसमें मुद्दाअलेह के लिए यह भी हुक्म होगा कि वह अपनी हाज़िरी के दिन, जो मुक़र्रर किया गया है, अपने गवाह भी हाजिर करे [देखो आर्डर ५, रूल ७ और ८]

(५) मुद्दाअलेह या तो असालतन हाजिर हो सकता है या बज़रिये किसी वकील के जिसको बाक़ायदा मामले के हालात समझा दिए गए हों और जो मुक़द्दमे से सम्बन्ध रखने वाले तमाम आवश्यक प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो, या बज़रिये किसी ऐसे वकील जिसके साथ, कोई दूसरा आदमी हो जो ऐसे तमाम सवालों का जवाब दे सकता हो [देखो आर्डर ५, रूल १, क्लॉज २]

(६) जहां पर अदालत की राय में मुद्दा अलेह की असालतन हाजिरी आवश्यक हो, वहां पर सम्मन में यह हुक्म होगा कि वह असालतन हाज़िर हो [देखो आर्डर ५, रूल ३]

(७) हरएक सम्मन के साथ अर्जीदावा की एक नक़ल या अगर ऐसा हुक्म हो तो, एक संक्षिप्त विवरण भी भेजा जायगा। [देखो आर्डर ५ रूल (२)]

(८) किसी भी शख्सको असालतन हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा जब तक कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर न रहता हो या इस सीमा के बाहर किन्तु ऐसे स्थान पर, जो अदालत से ५० मील या जहा पर कि रैल या स्टीमर वगैरा की आमदरफ्त है वहां २०० मील से कम फ़ासले पर न रहता हो।

(९) मुद्दाअलेहकी हाजिरीका दिन इन बातोंका खयाल रखकर मुकर्रर किया जायगा—(१) यह कि अदालत के पास इस समय कितना काम है, (२) मुद्दाअलेह की सकूनत कहा है और (३) यह कि सम्मन की तामीली के लिए कितने समय की जरूरत है [देखो आर्डर ५ रूल ६] इस रूल के अनुसार मुद्दालेह काफ़ी वक्त पाने का हकदार है जिससे कि वह असालतन या बज़रिये वकील के हाजिर हो सके।

जब सम्मन बिना तामील हुए वापस आये और उसके बाद तीन महीने तक मुद्दई दूसरे सम्मन के लिए दरख्वास्त न दे, उस समय क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए देखो आर्डर ९, रूल ५, जिसका संशोधन एक्ट नं० २४ सन १९२० ई० के अनुसार हो चुका है। सम्मन अदालत से जारी किये जाते हैं संयुक्त प्रान्त की अदालतो का काम कम करने के लिये अब यह हुक्म जारी किया गया है कि सम्मन की खाना पूरी पेशी की तारीख आदि को छोड़ कर सब उस वकील के द्वारा की जावे जिसकी दरख्वास्त पर सम्मन जारी होना है।

तलबाना दाखिल करना—जाब्ता दीवानी के अनुसार जो भी हुक्म नामा जारी किया जायगा वह उस फरीक़ के खर्च से जारी किया जायगा जिसकी ओर से वह जारी कराया जा रहा है, जब तक कि अदालत इससे विपरीत कोई आज्ञा न दे उसपर जो कोर्ट फीस लगाया जाना चाहिए, वह उस मियाद के अन्दर अदा किया जाना चाहिए जो हुक्म नामा जारी किये जाने के पहले मुकर्रर की जायगी [देखो आर्डर ४८, रूल १]

जब कि सम्मन डाक द्वारा भेजा जाय, तो पोस्टेज और रजिस्टरी का खर्च उस मियाद के अन्दर अदा कर दिया जाना चाहिए जो उसके भेजे जाने से पहिले मुकर्रर हो [देखो दफा १४३],

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने और मुद्दअलेह के ऊपर सम्मन जारी किए जाने का हुक्म दिए जाने के बाद मुद्दई के वकील का यह काम होगा कि वह ख़याल रखे कि सम्मन की तामीली का खर्चा जहा तक जल्द हो सके अदा करदे। आर्डर ९, रूल २ के अनुसार नालिश खारिज हो जा सकती है, अगर मुद्दई खर्चा अदा नही करता है।

सम्मन तामीली की दरख्वास्त देने के समय तलबाना का रुपया पहिले ही जमा कर दिया जाना चाहिए और वह स्टाम्प की शक्ल म होगा जो उसी अर्जीपर उस स्टाम्प के अलावा लगाया जायगा जो कि उस अर्जी के लिए ही जरूरी है।

वकीलों के मुहर्रिरों का यह काम हुआ करता है कि वे तलवाना आदि लगावें। अकसर वे बेपरवाही कर जाते हे या मवक्किल से लेने में गफलत कर जाते हैं जिससे पीछे हानि होती है। मवक्किलों को चाहिए कि वह अदालती कुल खर्चा वकील साहब को दे दें ताकि देरी होने के कारण या न दाखिल होने के कारण जो हानि हो उसकी जिम्मेदारी उनपर न रहे। यह बड़ी मुश्किल है कि प्राय वकील लोग खर्चे क पाने की रसीद नही देते बल्कि महनताना की भी देने मे उन्हे क्षोभ होता है। जब कभी मुहर्रिर साहब कुछ गबन करके भाग जाते हैं तो मवक्किलों के पास कोई आधार नही रहता कि उन्होंने कितना रुपया उसे दिया था। उचित तो यही है कि रसीद दी जाय।

सम्मन की तामीली—सम्मन की तामीली की फीस अदा हो जाने और सम्मन के छपे हुए फार्म (जिनकी खाना पुरी हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार बाकायदा तौर पर कर दी गई हैं) दाखिल कर दिये जाने के बाद, हर एक वकील का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातकी जाच करे कि क्या सम्मन तामील के वास्ते नाजिर के दफ्तर को भेज दिये गये है। और तामील करने के लिए वे मजकूरी (चपरासी) को दे दिए गए हैं। इससे वह अपने मवक्किल को इस बात की सूचना दे सकेगा कि वह किसी सिनाख्त करने वाले को, जिसे प्राय "निशादिहिन्दा" कहते हैं, लेकर तैयार रहे जो मुद्दाअलेह की शिनाख्त कर सके, और उस चपरासी की इस बारे में सहायता करे ताकि वह मुद्दाअलेह पर असालतन सम्मन की तामील कर सके।

हुक्मनामा के फार्म को दाखिल करना—फरीकैन को चाहिए कि वे हाजिरी के लिए हुक्म नामा जारी करने की दरख्वास्त के साथ साथ उसके छपे हुए फार्म भी दाखिल करें जिनकी खाना पुरी हाईकोर्ट के तलबी सम्बन्धी नियमों के अनुसार कर दी गई हो। हाजिरी की तारीख और हुक्म नामा की तारीख का खाना खाली छोड देना चाहिए। इनकी खाना पुरी दफ्तर में की जायगी। फरीकैन या उनके वकील उस फार्म पर नीचे की तरफ बाई ओर अपने दस्तखत करेंगे और वे इस बात के लिए जुम्मेदार रहेंगे कि वह सब ठीक और सही है। फार्म मे मोटे, साफ और ऐसे अक्षरों को लिखना चाहिए जो अच्छी तरह से और जल्दी पढ़े जा सके।

तलबी के लिए आवश्यक फार्म फरीकैन या उनके वकीलो को बिना खर्चे के मुफ्त दिए जायगे।

इलाहाबाद हाईकोर्टकी सीमाके अन्दरमे सम्मनके लिए दरख्वास्त एक इसके लिए मुकर्रर फार्म मे लिखी जायगी। दूसरे फार्म मे दरख्वास्त न ली जायगी।

भाषा—जो हुक्मनामे अदालत दीवानी से जारी किए जाय वे प्राय उस भाषा मे लिखे जाने चाहिए जो उस जिले मे प्रचलित है जिसमे कि वह अदालत वाके है, अर्थात (कुछ हालतों को छोडकर) उस भाषा म जिसमे ऐसी अदालतों का काम होता है। लेकिन जब हुक्मनामा तामील के लिए किसी

जिला की अदालत को भेजा जाता हो, जहां पर आमतौर से उससे भिन्न किसी दूसरी भाषा का प्रयोग होता हो, तो उस हुक्मनामा के साथ किसी दूसरी वैसी भाषा या अंग्रेजी में अनुवाद (तर्जुमा) भी रहेगा जिसके ऊपर वह अदालत जो, उसे भेज रही है, यह तस्दीक करेगी कि वह सही है। किन्तु ऐसी अवस्थाओं में इस हुक्म नामा के साथ अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र (खत) होना चाहिए जिसमें उसकी तामीली की निस्बत लिखा गया हो। जिन हुक्मनामों का अंग्रेजी मजमून हाईकोर्ट ने निश्चित किया है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे यूरोपियन लोगों के पास उसी भाषा में भेजे जाय।

तामीलका तरीका—(१) सम्मनकी तामील उस सम्मनकी एक प्रति (नकल) देकर या चस्पा करके की जानी चाहिये [देखो आर्डर ५, रूल १०] जहां कहीं ऐसा सम्भव होगा, सम्मनकी तामील मुद्दा अलेहके ऊपर असालतन की जायगी, जब तक कि उसका कोई मुख्तार ऐसा न हो जिसे सम्मन लेनेका अधिकार दिया गया हो। जब एकसे अधिक मुद्दाअलेह हों, तो हर एक मुद्दाअलेहके ऊपर अलग २ तामील की जायगी सिवाय उस दशाके जब कि इससे भिन्न कोई व्यवस्था की गई हो (देखो आर्डर ५, रूल ११)

पंजाबमें मुद्दई पहिले रजिस्टर्ड पोस्टसे सम्मनकी तामील करनेकी कोशिश कर सकता है (देखो परिशिष्ट आर्डर ५, रूल १० की शर्त)

(२) जब तामील करनेवाला अफसर सम्मनकी एक प्रति स्वयं मुद्दाअलेह को देता है या उसके मुख्तार अथवा किसी दूसरे शख्सको, जिसे उसकी ओरसे ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त है, तो वह उस सम्मनके पानेकी रसीद असली सम्मनकी पीठ पर लिखवा कर उसके दस्तखत करवा लेगा, और तामील करने वाले अफसरको चाहिये कि वह सभी हालतोंमें असली सम्मनके ऊपर या उसके साथ तामीलका समय तरीका तथा शिनाख्त करनेवाले और गवाहोंके नाम लिख कर, या लिखवा कर भेज दे (देखो आर्डर ५, रूल १६, और १८)

(३) जबकि मुद्दाअलेह या उसका मुख्तार रसीद पर दस्तखत करनेसे इन्कार करे या जब कि वह सभी "उचित और सम्भव उपायों" का प्रयोग करने पर भी मिल न सके, तो आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार उसके मकानके बाहरी दरवाजा पर चस्पा करके सम्मनकी तामील की जायगी।

(४) जब आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार कोई सम्मन वापस आजाय तो अदालत अगर जरूरी होगा तो, मुनासिब तामीलकी निस्बत इतमिनान कर लेगी और फिर या तो यह घोषित कर देगी कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील हो गया है या ऐसी दूसरी तामीलका हुक्म देगी जिसे वह मुनासिब समझेगी (देखो आर्डर ५, रूल १९)

(५) जब कि मुद्दाअलेह भाग रहा हो या और किसी कारणसे सम्मनकी तामील न होती हो, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह यह हुक्म दे देवे कि इसकी जगह सम्मन कचहरीमें और उस स्थान पर जहां पर आखिरमें मुद्दा

अलेहकी सदूनत रही हो, चस्पा करके तामील किया जाय (देखो आर्डर ५, रूल २०)

(६) जब कि मुद्दाअलेह ढूडे न मिलता हो और उसका कोई मुख्तार भी न हो तो सम्मनकी तामील उसके घरके किसी भी बालिग आदमी पर की जा सकती है जो उसके साथ रहता हो। नौकर, इस घरका आदमी नहीं माना जाता है (देखो आर्डर ५, रूल २०)

(७) जबकि मुद्दा अलेह उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो, लेकिन मैनेजर या एजेण्टके जरिये ऐसी स्थानीय सीमाके भीतर कारबार करता हो, तो ऐसे मैनेजर या एजेण्टके ऊपर की गई तामीली काफी समझी जायगी (देखो आर्डर ५ रूल १३)

(८) जायदाद गैर मनकूला सम्बन्धी नालिशोंमें, तो मुद्दाअलेहके किसी भी एजेण्ट पर, जिसकी सिपुर्दगीमें वह जायदाद गैर-मनकूला है, की गई तामीली काफी समझी जायगी, जब कि सम्मनकी तामील मुद्दाअलेहके ऊपर असालतन न की जा सके और उसका कोई ऐसा मुख्तार (एजेण्ट) न हो, जिसे सम्मन लेनेका मजाज हो (देखो आर्डर ५, रूल १४)

(९) जब कि नालिश किसी कारपोरेशनके ऊपर दायर की गई हो, तो सम्मनकी तामीली (अ) कारपोरेशनके सेक्रेटरी, या किसी डाइरेक्टर या दूसरे खास अफसरके ऊपर अथवा (ब) कारपोरेशनके पतेसे उसके रजिस्टर्ड आफिसमें या (स) अगर रजिस्टर्ड आफिस नहीं है, तो उस स्थान पर, जहां वह कारपोरेशन अपना कारबार करता है, छोड़ देने या बजरिये डाक भेज देनेसे की जा सकती है (देखो आर्डर २९, रूल २)

अगर नालिश किसी रेलवे कम्पनी पर की जावे तो आम तरीकेसे सम्मन तामील करनेके साथ साथ आर्डर २९, रूल २ (बी) के अनुसार सम्मनकी एक प्रति (नकल) बजरिये डाक भेज देनी चाहिये [देखो G R &C O Ch 1 R 22]

(११) अगर किसी साझेदारीमें काम करनेवालोंके ऊपर दावा किया जाय तो सम्मनकी तामील या तो (अ) एक या ज्यादा हिस्सेदारों (साझीदारों) के ऊपर की जायगी या (ब) उस मुकाम के ऊपर, जहा पर कार बार (व्यापार) किया जाता है, किसी ऐसे आदमी पर, जो उस कारबारका प्रबन्धकर्ता हो [देखो आर्डर ३०, रूल ३]

जिन मामलोंमे सम्मनकी तामीली असालतन हो सके उन सबमे असालतन ही तामीली करनी चाहिये (देखो 29 M 324) फरीकैनको चाहिये कि वे तामील करने वाले चपरासी (मजकूरी) को असालतन तामीली करनेमे सहायता दें, क्योंकि अगर अदालतको सम्मनकी तामीलीकी निस्बत इतमिनान न हुआ तो उनको नए सिरेसे तामीली करनेमे दिक्कत और खर्चा उठाना पड़ेगा। शिनाख्त करनेवालोंको चाहिये कि वे इस बातका हलफ-नामा दाखिल करें कि तामीली बाकायदा तौर पर हो गई है। उनको इस पर कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी।

जो लोग मुद्दा अलैहका कार बार देखते हों, वे मुख्तार नहीं कहे जा सकते (देखो 17 W R 33) मुख्तार लोगोंको सम्मन लेनेका अख्तियार होना चाहिये। 'बालिग' का मतलब उस आदमीसे है जिसकी उमर १६ सालसे ज्यादा हो (देखो 35 C 286)। 'बालिग' में औरत नहीं आती है। इस बात का अनुमान नहीं किया जा सकता कि औरत मुद्दाअलैहको वे तमाम बातें बतला देगी जो उसकी अदम मौजूदगीमें हुई हैं (देखो 21 B 223)। इस बातका भी कोई अनुमान नहीं हो सकता कि लड़का अपने बापको सूचित कर देगा (देखो 35 C L J 205)

सम्मन चस्पां उसी समय किया जा सकता है, जब "मुनासिब और सम्भव कोशिश" करने के बाद मुद्दाअलैह "मिल न सके"। सिर्फ इस बातसे कि मुद्दाअलैह थोड़े समयके लिए मकानसे बाहर गया हुआ है, सम्मनका उसके दर वाजे पर चस्पा कर देना ठीक न होगा। सम्मनकी तामील करने वाले मजकूरी (चपरासी) को चाहिए कि वह कोशिश करके उस शख्सको तलाश करे देखो 26 C 101; 19 C 201; 5 C L J 12 n, 30 B 623; 38 C 391, 21 M 119, 21 A 302, 21 B 223, 23 C L J 183; 3 C W N 307) 19 C 201 में चीफ जस्टिस पेथेरमने कहा है—"यह सच है कि तुम (चपरासी) किसीके मकानके ऊपर जाते हो और उसे वहां पर नहीं पाते हो, परन्तु यह उसको तलाश करनेकी कोशिश करना नहीं है, तुम उसके मकान पर जाओ, वहां उसे दरयाफ्त करो और अगर जरूरी हो तो जहां वह गया है वहां पर जाओ। तुम्हें इस बातका पता लगाना चाहिए कि वह मकान पर कब तक आ जायगा और तुम उसके मकान पर उस समय जाओ जब उसके मिलने की सम्भावना हो।' जो हलफनामा मजकूरी (चपरासी) दाखिल करे उसमें यह बात अवश्य दिखाई जानी चाहिए कि सम्मन चस्पा करनेके पहिले मुद्दा अलैहको ढूंढनेके लिए काफी कोशिश कर लीगई थी [देखो 26 C 101] अगर चपरासी इस सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका पालन न कर सका, तो इस बातकी इत्तला अदालतको मिलनी चाहिए, ताकि फिरसे सम्मन तामील करनेका हुक्म दिया जा सके और उसका खर्चा मुद्दईको दुबारा फिर न देना पड़े, अगर किसी तरहका उसका कोई कुसूर नहीं है।

आज कल अदालत प्रायः यह किया करती हैं कि, अगर सम्मन चस्पा हो जानेके बाद मुद्दाअलैह हाजिर नहीं होता है तो वे रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील किया करती हैं। चिट्ठी भेजने का खर्चा वगैरा सब मुकर्रर मियादके अन्दर दाखिल किया जाना चाहिए। जस्टिस मुकर्जीने 19 C W N 1231 में जो फैसला दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत, रजिस्ट्री डाकसे सम्मनकी तामील कर सकती है। पञ्जाबमें आर्डर ५, रूल १० का संशोधन कर दिया गया है और मुद्दई चाहे तो रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील करने की कोशिश कर सकता है।

किसी अपीलाण्टको इस बातके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह शिनाख्त करने वालेको पेश करे। जिस शिनाख्त करने वाले का जिक्र आर्डर १०, रूल १८ मे है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह फरीकका दिया हुआ हो। ऐसा आदमी उसी गांवका रहने वाला होना चाहिए और जो मुद्दाअलेह जानता हो, देखो 64 I C 49

जाबता दीवानी में पर्दा नशीन औरतोंके ऊपर सम्मनकी तामीलीकी निस्बत कोई खास व्यवस्था नहीं कीगई है और जहां पर देशके रस्म रिवाजकी वजहसे उन तक पहुँचना असम्भव हो, वहां पर चस्पां किए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 2 M. L A. 263, 19 C W N. 1231

इस सम्बन्धमे, कि आर्डर ५, रूल १० के अनुसार सम्मन चस्पां किस समय किया जासकता है, देखो 38 C 394, 13 C L J 221; 9 C. L J 244, 11 Ch J 580, 1 C W N 104

जो हलफनामा तामील करने वाला चपरासी या शिनाख्त करने वाला शख्स तामीलीकी निस्बत दाखिल करे, उसमे यह बात लिखी होनी चाहिए कि सम्मनोंकी तामील उसी तरहसे कीगई है जिस तरह आर्डर ५ मे बतलाया गया है, अर्थात् अगर सम्मनको मुद्दाअलेहने स्वय ले लिया है और उसकी रसीद लिख दी है, तो जिस अफसरने तामील की है वह हलफनामासे उसकी तस्दीक करेगा और उस शख्सकी शिनाख्त का सुबूत भी उस शख्सके हलफनामासे मिल जाना चाहिए जो उस शख्सने दाखिल किया है जो उस शख्सको, जिस पर सम्मन तामील किया गया है, अच्छी तरहसे जानता था। अगर रूल १२ के अनुसार सम्मनकी तामीली किसी मुख्तार (ऐजण्ट) के ऊपर कीगई है, तो हलफनामासे यह बात साबित की जानी चाहिए कि मुख्तार (ऐजण्ट) को सम्मन लेनेका अख्त्यार था, अगर तामीली रूल १५ के अनुसार कीगई है, तो हलफनामासे यह बात साबित होनी चाहिए कि वह शख्स मिल नहीं सका और न उसका कोई मुख्तार ही था, और यह कि जिस शख्सको सम्मन दिया गया है वह उस शख्स (फरीक) के घरका आदमी है जो बालिग है और उसीके साथ रहता है, अगर तामीली रूल १७ के अनुसार कीगई है तो हलफसे यह बात साबित की जानी चाहिए कि माकूल कोशिश करने के बाद भी मुद्दाअलेह नहीं मिल सका और यह कि उसका कोई मुख्तार वगैरा भी नहीं था और इसी तरह दूसरे रूलोंके निस्बत भी है।

दूसरे जिलेमें सम्मनकी तामीली—इस बातके लिये कि, जब मुद्दाअलेह किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें रहता हो, उस समय सम्मनकी तामीली किस तरह पर की जानी चाहिये, देखो आर्डर ५, रूल २१

आर्डर ५, रूल २१ के अनुसार जारी किया हुआ सम्मन आम तौरसे उस मुन्सिफकी अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्रमे मुद्दाअलेह या गवाह रहता हो (देखो G R & C O Chap I R 40) सम्मन भेजने वाली अदालत अक्सर अपने से कम दर्जे की अदालतमें या, यदि कम दर्जे की

अदालत न हो तो बराबरकी अदालतमें भेजती है। यदि ऐसा भी न हो तो बड़े दर्जेकी अदालतको भी भेज सकती है।

प्रेज़ीडेन्सी टाउन्स या दूसरे स्थानोंमें सम्मनकी तामीली—जब कोई सम्मन, जो किसी ऐसी अदालत द्वारा जारी किया गया हो जो कलकत्ता, मदरास, बम्बई और रङ्गून शहरकी सीमाके बाहर वाक़े है, और किसी ऐसी सीमाके भीतर तामील किए जानेको हो, तो वह उस अदालत ख़फ़ीफ़ा के पास भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्र में उसकी तामीली की जानेको हो[देखो आर्डर ५, रूल २२]

प्रेज़ीडेन्सी टाउन्समें तामील किए जानेके लिए हुक्मनामा जारी करते समय, हर एक अदालतके प्रिज़ाइडिंग अफ़सरको इस बातका इतमीनान कर लेना चाहिए, कि हुक्मनामामे उस शख़्सका, जिसे तलब किया गया है, वह कुल ब्योरा लिखा हुआ है जिससे अब इस बातकी सम्भावना नहीं है कि प्रज़ीडेन्सी टाउन्सका चपरासी उस आदमीकी हुलिया पहिचाननेमे ग़लती कर जायगा। अगर तलब किया हुआ शख़्स यूरोपियन या यूरेशियन है, तो उसका पूरा ईसाई (क्रिश्चियन) नाम, अगर सम्भव हो तो उसके नामके अक्षर, पेशा या रोज़गार और पूरा पता (अर्थात् सड़क या मुहल्ला का नाम, और मकानका नम्बर) सही सही लिखा जाना चाहिए। अगर वह शख़्स हिन्दुस्तानी है, तो सम्मनमें उसका नाम, बापका नाम, जात, पेशा और पता लिखा जाना चाहिए तथा, इसके साथ दूसरी और बातें भी लिखी जानी चाहिए जो प्रिज़ाइडिंग अफ़सरकी रायमें सम्मनकी तामीलीमें सहायता करेंगी। सम्मन उस समय तक जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शख़्स, जिसकी ओरसे सम्मन जारी किया जा रहा है, कुल बातें बतला न दे (देखो G R & C O Chap 1 R 38

बम्बईमें रूल २२ के साथ एक शर्त जोड़ दीगई है, जिसमे रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील करनेका हुक्म दिया गया है।

दूसरी हालतोंमे सम्मन तामील करनेका तरीका—जब मुद्दाअलेह जेलखानेमें हो, उस समय तामील किस तरह कीजाय, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २४ और २९। सम्मन जेलके अफ़सर इन्चार्जके पास भेजना चाहिये, देखो प्रिज़नर्स ऐक्ट न० ३ सन् १९०० ई० की दफ़ा ३४ से ४८ तक।

जब मुद्दाअलेह दूसरे प्रान्त (सूबे) में रहता हो उस समय सम्मनकी तामीली के तरीक़ेके बारेमे देखो ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा २८ और २९। दफ़ा २८ यह है कि सम्मन तामीलके वास्ते किसी दूसरे सूबेकी अदालतमें ऐसे तरीक़े पर भेजा जायगा जो उस सूबेके नियमोंके अनुकूल हो और सूबेकी अदालत वैसे ही कार्रवाई करेगी मानो सम्मन उसीने जारी किया है। तथा रिपोर्ट लिखकर सम्मन भेजने वाली अदालत को वापस कर देगी।

जब मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारतके बाहर रहता हो और उसका कोई भी मुख्तार भारत वर्षमें न हो जो सम्मन ले सकता हो, उस समय सम्मन तामील

करने के लिये लिफ़ाफ़ेमें बन्द होकर मुद्दाअलेहके पास उसके घरके पतेसे डाकसे भेजा जायगा, अगर उसके मकानसे उस मुक़ाम तक, जहां अदालत वाक़े है, डाक जारी हो, देखो आर्डर ५, रूल २५। किसी दूसरेके राज्यमें पोलिटिकल एजण्ट अथवा अदालत द्वारा सम्मन तामील किये जावेंगे जो हिन्दुस्तानमें वाक़े है। इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २६ तथा G R & C O Ch 1 R 42 ब्रिटिश भारतकी अदालत द्वारा जारी किये हुये सम्मन की तामील मैसूरकी किसी भी दीवानी अदालत के ऊपर की जा सकती है। निजाम हैदराबाद के राज्यमें जारी किये हुये सम्मन बंगाल प्रेजीडेन्सी और आसाममें बिना किसी पृष्ठांके तामील किये जा सकते हैं (देखो G R. & C O Ch & V 9)

किसी सिविल पब्लिक अफ़सर या किसी रेलवे कम्पनी अथवा स्थानीय अधिकारीके ऊपर सम्मन तामील करने के तरीक़े के सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २७। इसका साराश यह है कि, अगर मुद्दाअलेह अफ़सर सरकारी हो या किसी रेलवे कंपनीका मुलाजिम हो तो सम्मन उसके प्रधान दफ्तरमें भेजा जायगा। जिसमें मुद्दाअलेह मुलाजिम हो, और सम्मनकी एक नक़ल मुद्दाअलेहको दी जायगी।

इलाहाबादमें आर्डर ५, रूल २७ के साथ में दो नोट—नं० १ और २ जोड़ दिये गये हैं।

फ़ौजी सिपाहियोंके ऊपर सम्मनकी तामीलीके तरीक़े के बारेमें देखो आर्डर ५, रूल २८ अर्थात् सिपाहीका सम्मन उसके कमाण्डिङ्ग अफसरके पास भेजा जायगा। भारत मन्त्री इस बातकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वह आर्डर ५, रूल २८ के अनुसार किसी फौजी अफसरके ऊपर, जो यूरोपमें रहता है, जारी किये हुये सम्मनकी तामीली करवा देंगे, देखो G R & C. O Ch 1 R 43

फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, रूस इत्यादिसे आने वाले या वहांको जाने वाले विदेशी सम्मनोंकी तामीलीके सम्बन्धमें देखो G R & C O Ch 1 R 44,45

इङ्गलैण्डमें सम्मनकी तामीलीके तरीकेकी निस्बत देखो 9 C L J 244

सूरत—जो सम्मन रजिस्ट्री डाकसे भेजा गया है उसकी तामीली साबित करनेके तरीकेके सम्बन्धमें देखो क़ानून शहादतकी दफा १६ और ११४ (एफ) तथा 16 W R 223, 15 C. 681, 21 B 412 P 416, 35 B 213 and 23 A 99

सम्मन तामील हो जानेके बाद की कार्रवाई।

जो तारीख़ सम्मनमें मुद्दाअलेह की हाजिरी और दावाका जवाब देनेके लिए मुक़र्रर की गई है, उस तारीख़ को फरीक़ैन मुक़दमा असालतन या बजरिए वकीलके कचहरीमें हाजिर होंगे। और इसके बाद मुक़दमेकी सुनाई की जायगी

जब तक कि फरीकैनकी दरख्वास्त के ऊपर अदालत पेशीकी तारीख़ किसी आगे दिनके लिये न बढ़ा दे (देखो आर्डर ९, रूल १)

जब मुद्दईके खर्चा न देनेके कारण सम्मनकी तामील न हो सकी हो—अगर उस रोज, जो सम्मनमें मुकर्रर किया गया है, यह मालूम हो कि वह सम्मन मुद्दईके कोर्ट फीस अथवा डाक खर्च वगैरा, जो उसे सम्मन की तामीली के लिये अदा करना चाहिये था, अदा न करने के कारण, तामील नहीं हो सका है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह नालिश खारिज कर दे, जब तक कि मुद्दाअलेह असालतन या अपने वकील के मारफत हाजिर न हो जाय (देखो आर्डर ९ रूल २)

मुद्दाअलेहकी हाजिरीके लिये जो तारीख़ मुकर्रर की गई है उस रोज मुद्दई के वकील का सबसे पहले और जरूरी काम यह होगा कि वह तामील करने वाले चपरासी (मजकूरी) का रजिस्टर देखे या मिसिल मुकद्दमामें उसकी रिपोर्ट देखे और यह देखे कि मुद्दाअलेह पर सम्मनकी तामील हुई है या नहीं। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि सम्मन बिना किसी उचित कारणके बिना तामील हुये ही वापस आया है या यह कि वह तामील किये जानेके लिये नाजिर के सरिश्तेसे जारी ही नहीं किया गया है, यद्यपि तलबाना समयके भीतर जमा कर दिया गया था, तो वकीलको चाहिये कि वह फौरन् इस बातकी इत्तला अदालतको करे और उससे जल्दी सम्मन तामील करने के लिये प्रार्थना करे। अगर सम्मन कतई तामील ही नहीं हुआ है या यह कि मुद्दईके कोई शिनाख्त करने वाला न देने के कारण या उसकी किसी दूसरी भूलके कारण वह जायज तौरसे तामील नहीं हुआ है, तो मुद्दईको चाहिये कि वह फिर से सम्मन तामील किये जानेके लिये अदालतसे प्रार्थना करे। उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार कोई भी सम्मन की तामीली न की जा सकेगी, जब तक कि मुद्दई फिरसे तलबाना दाखिल न करेगा, जो ऐसी तामीलीके लिये जरूरी हो। जहां पर यह मालूम हो कि तामीलके लिये सम्मन जारी ही नहीं किया गया था, यद्यपि तलबाना समय के अन्दर ही दाखिल कर दिया गया था, तो फिरसे तलबाना दाखिल करनेकी जरूरत नहीं होगी। अगर सम्मनकी तामीली, मुद्दईके तलबाना न अदा करने या सम्मन न देनेके कारण, नहीं हुई है, तो इस बातका कारण बतलाना चाहिये कि तलबाना क्यों नहीं दाखिल किया गया अथवा सम्मन क्या नहीं दिया गया, और तलबाना अदा करने और सम्मन दे देने के बाद सम्मनकी तामीलीके लिये अदालतसे दरख्वास्त करनी चाहिये।

अगर सम्मन मुद्दईकी गलतीसे तामील नहीं हो सका है, तो अदालत, अगर वह फिरसे सम्मन तामील करनेकी दरख्वास्त मंजूर न करे, तो, नालिश खारिज कर देगी। यह रूल उस समय लागू होता है जब सम्मन की तामीली कुल मुद्दाअलेहों या किसी एक मुद्दाअलेह के ऊपर न हुई हो।

आर्डर ९ का रूल २, आर्डर ४८, रूल १ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमें यह बतलाया गया है कि तलबाना जमा करने के लिये एक तारीख़

मुकर्रर कर दी जानी चाहिये। अदालत तलबाना न जमा करने के कारण कोई नालिश खारिज नहीं कर सकती, जब तक कि वह इसके लिये कोई समय नियत नहीं कर देती देखो 8 B L R Ap 25, 11 W R 290

आर्डर २ के अनुसार दिया हुआ खारिजीका हुक्म काबिल अपील है, देखो 9 C 627, 38 A. 357.

उस समय भी नालिश खारिज कर दी जायगी, अगर तामील करने वाले अफसर के द्वारा सम्मन बिना तामील किया हुआ वापस आनेके बाद तीन महीनेके अन्दर (देखो ऐक्ट नं० २४ सन् १९२० ई०) मुद्दई फिरसे सम्मन जारी करनेके लिये दरख्वास्त न दे (देखो आर्डर ९ रूल ५)।

बम्बईमें यह मुद्दत ६ मास है।

मियादका हिसाब उस तारीखसे लगाना चाहिये, जिस तारीखको आखिरी बार सम्मन बिना तामील हुये वापस आया हो, देखो 2 Lah L J 774

जब कोई नालिश उपरोक्त रूलके अनुसार खारिज होगई हो, तो कानून मियादकी पाबन्दी में रहते हुये मुद्दई नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है।

जब मुद्दई और मुद्दाअलेह कोई भी हाजिर न हो—जब मुकद्दमेकी पेशी को न मुद्दई हाजिर हो और न मुद्दाअलेह, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह मुकद्दमा खारिज किये जानेके लिये हुक्म दे दे (देखो आर्डर ९, रूल ३)

जज इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह किसी फरीकका अदालत बन्द होने तक इन्तजार करे, देखो 7 M 356

रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिसके अनुसार कोई नालिश खारिज कर दीगई हो, काबिल अपील नहीं है; क्योंकि दफा २ में 'डिकरी'की जो परिभाषा कीगई है उसमें यह कहा गया है कि, उसमें अदम पैरवीमें नालिश खारिज करने का हुक्म शामिल नहीं है (देखो 18 C W N 604, 33 C 341) और न उस समय उसकी नजरसानी ही हो सकती है जब मुद्दई रूल ४ के अनुसार दरख्वास्त न देवे (देखो 2 C W N 318; 26 C 598 लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान दिलाने पर, कि उसके हाजिर न हो सकनेके पर्याप्त कारण थे, मुद्दई आर्डर ९, रूल ४ के अनुसार नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है या उसकी फिरसे समाअत किये जानेके लिये प्रार्थना कर सकता है। कानून मियादके आर्टि० १६३ के अनुसार मियादकी मुद्दत ३० दिन है। जिस हुक्मसे अपीलकी खारिजी रद्द करने से इन्कार कर दीगई हो, उसकी अपील नहीं हो सकती (देखो 27 C L J 117) और जिस हुक्मसे मुकद्दमा फिर मंजूर कर लिया गया हो, उसकी भी अपील न हो सकेगी, देखो 10 M 270; 35 A 427.

जब सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होवे—अगर मुकद्दमेकी पेशीपर सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होता है, मुद्दाअलेह हाजिर नहीं होता, तो नीचे लिखी कार्रवाई की जावेगी —

(क) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील होगया है, तो अदालत एक तरफा कार्रवाई शुरू कर देगी ।

(ख) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन तामील तो हुआ लेकिन समय इतना नहीं था कि मुद्दाअलेह पेशीकी तारीख पर हाजिर होकर मुकद्दमे की जवाब देही कर सकता, तो अदालत पेशीकी तारीख किसी आगे दिनके लिये बढ़ा देगी और यह हुक्म देगी कि इस पेशीकी तारीख बढ़ाये जाने की इत्तला मुद्दाअलेहको की जाय ।

(ग) अगर अदालतको यह मालूम हो जाय कि सम्मन बाकायदा तामील नहीं हुआ या मुद्दईकी ढिलाईके कारण ठीक समयमें तामील नहीं हो सका, तो अदालत मुद्दईको इस तारीख बढ़ाये जाने के कारण कुल खर्चको अदा करनेका हुक्म देगी (देखो आर्डर ९, रूल ६)

इस नियम (क) के अनुसार मुद्दाअलेह के ऊपर कानूनन एक तरफी डिकरी न दी जा सकेगी, जब तक कि अदालतको इस बातका इतमीनान न हो जावे कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील किया गया है। किसी मुकदमेंमें एक-तरफी कार्रवाई करनेमें अदालत सिर्फ इसी बातको देखनेके लिये बाध्य नहीं है कि मुद्दाअलेह के ऊपर सम्मनकी बाकायदा तामीली साबित होगई है बल्कि उसे यह बात भी देखनी चाहिये कि मुद्दईका मुकद्दमा साबित होगया है। सिर्फ मुद्दा-अलेहके हाजिर न होनेसे ही यह अनुमान नहीं कर लिया जा सकता कि मुद्दई जो कुछ कहता है वह सब ठीक ही है । एक तरफी कार्रवाई का मतलब है मुद्दा-अलेहके अनुपस्थित होने की दशामें शहादतकी सहायता से मुद्दईके दावा का तय करना ।

अगर तामील करने वाला चपरासी (मजकूरी) पेशी की तारीख को जवाब लेकर न आवे, तो अदालत एक-तरफी कार्रवाई न करेगी, यद्यपि मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मनकी तामीलीकी बात और तरह पर साबित हो जाय । ऐसी हालतोंमें अदालतको अधिकार है कि वह मुद्दईके दरख्वास्त देने पर आगे दिनके लिये पेशीकी तारीख बढ़ा दे। एक तरफी मामलोंमें, फैसला सुनाये जानेके पहिले मुद्दईको, शिनाख्त करने वाले का हलफनामा पेश करके या उसके जबानी बयान लेकर, यह साबित करना होगा कि सम्मन की बाकायदा तामील होगई है।

अगर पेशीकी तारीखसे १४ दिन पहिले सम्मनकी तामील न हुई हो, तो बकाया लगानकी बाबत कीगई नालिशकी एक तरफा पुकार और समाअत नहीं की जा सकेगी, (देखो G R & COCh 1 R. 6) इसी तरह जिस नालिश की समाअत अदालत खफीफा द्वारा की जानी चाहिये, उसकी एक तरफी समा अत उस समय तक न की जा सकेगी जब तक कि पेशीकी तारीख से ७ दिन पहिले सम्मनकी तामील न होगई हो।

अगर नालिशकी एक तर्फा समाअत करनेमें ऊपर लिखी हुई कोई बाधा पड़ती नहीं है, तो अदालतको अधिकार है कि वह उस नालिशकी एक-तरफी समा-अत करना शुरू कर दे ।

जब पेशी बढ़ाई हुई तारीखको मुद्दाअलेह हाजिर हो जावे—अगर अदालतने मुक़द्दमेकी एक तर्फा समाअत करना मुल्तवी कर दिया हो और पेशीकी तारीख़ बढ़ा दी हो, तथा ऐसी तारीख़ को या उससे पहिले मुद्दाअलेह हाजिर होकर अदालतको इस बातका इतमीनान दिला देता है कि उसके पहिली पेशी पर हाजिर न हो सकने के लिये काफ़ी वजूहात थे, तो अदालत दावाके जवाबमें उसके बयान ले सकती है और उसे अपना बयान तहरीरी दाखिल करने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर ९, रूल ७)

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार वह मुद्दाअलेह जो मुक़द्दमेकी पहिली पेशीकी तारीख़ को हाजिर न हो सका हो, बादकी किसी तारीख़को, जिसके लिये पेशीकी तारीख बढ़ा दीगई है, हाजिर होकर अपने मुक़द्दमेकी पैरवी कर सकता है, अगर वह अदालतको इस बातका विश्वास दिला सके कि पहिली पेशीकी तारीख़को उसके हाजिर न हो सकनेके लिये पर्याप्त कारण थे। अगर वह इसका कोई उचित कारण न बतला सका, तो दूसरी पेशी की तारीख़को उसे हाजिर होने और अपने बयान दाखिल करने का हक़ नहीं रहता और उसे इसके लिये इजाजत नहीं दी जा सकती और उसके खिलाफ मामलेमें एक तरफ़ी कार्रवाई की जायगी [देखो 18 W R 400 roid to in 1 B 217] कानून उसको यह इजाजत नहीं देता कि वह जिस समय चाहे, हाजिर होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है।

किन्तु अगर मुद्दाअलेह पेशीकी बढ़ाई हुई तारीख को हाजिर होकर मुद्दई के गवाहोंके ऊपर जिरह करके और उस शहादतको पेश करके, जो कि उस समय उसके पास मौजूद है, दावाके खिलाफ लड़ना चाहता है, जब कि उसकी इस बातके लिये दीगई दरख्वास्त, कि उसकी पेशीकी तारीख बढ़ाई जाय, खारिज कर दीगई हो, तो कोई भी कारण नहीं कि उसको ऐसा करने की इजाजत न दी जाय।

अगर मुद्दाअलेहकी यह दरख्वास्त, कि उसके मामले की फिरसे समाअत कीजाय, खारिज हो जानेके बाद एक तरफ़ी डिकरी दे दी जाय, तो वह आर्डर ९ रूल १३ के अनुसार दरख्वास्त दे सकता है या अपील कर सकता है (देखो 21 M 324, 8 C 272, 9 M 445)

जब अकेले मुद्दाअलेह ही हाजिर हो—अगर मुक़द्दमेकी पेशीके दिन सिर्फ मुद्दाअलेह ही हाजिर होवे, मुद्दई हाज़िर न हो, तो अदालत नालिशको खारिज किये जानेका हुक्म दे देगी, जब तक कि मुद्दाअलेह मुद्दईके दावाको या उसके किसी हिस्सेको मजूर न कर ले, जिस हालतमें कि अदालत मुद्दाअलेहके इक़बाल के अनुसार डिकरी दे देगी। अगर दावाका एक हिस्सा ही मजूर किया गया है तो बाक़ी हिस्सा खारिज कर दिया जायगा (देखो आर्डर ९, रूल ८)। अदालत को यह भी अधिकार है कि वह आर्डर १२ रूल ६ के अनुसार, मुक़द्दमेमें किसी भी समय दूसरे झगड़ेके प्रश्नों को बिना तय किये हुये ही, इक़बाल के ऊपर फ़ैसला दे देवे।

अगर मुद्दईके हाजिर न हो सकनेके कारण किसी नालिशका कुल या एक अंश खारिज कर दिया गया है, तो आर्डर ९, रूल ८के अनुसार वह यह दरख्वास्त दे सकता है कि खारिजीका यह हुक्म रद्द किया जाय और अगर वह अदालतको इस बातका विश्वास दिला सके कि उसके गैर हाजिर होनेकी काफी वजह थी, तो अदालत उस हुक्मको मन्सूख कर देगी जिसके अनुसार उसने उसकी नालिश खारिज कर दी है (देखो आर्डर ९, रूल ९)

किसी नालिशके खारिज करने वाले हुक्मको मन्सूख करनेके लिये दी जाने वाली दरख्वास्तकी मियाद ३० दिन है, देखो कानून मियाद ऐक्ट नं० ९ सन् १९०८ ई० का आर्टि० १६३।

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार अदालत नालिश खारिज करने वाले हुक्मको मन्सूख न कर सकेगी, जब तक कि मुद्दईकी दरख्वास्तकी नोटिस मुद्दाअलेहके ऊपर तामील न कर दीगई हो।

हाजिर होना क्या है, इस सम्बन्धमें देखिये 23 B 414, 34 C 403 जब किसी वकीलको सिर्फ इतनी ही हिदायत कीगई हो कि वह पेशीकी तारीख बढ़ाए जानेकी दरख्वास्त दे जिसके इन्कार कर दिये जाने पर वह वापस चला आता है, तो यह हाजिर होना न कहा जायगा देखो 23 B 414, 34 C 403, 22 A 66, 30 M 276, 68 I C 942, 47 I C 27, 54 I C 715

कौन सी "वजह काफी" है और कौन सी काफी नहीं है, यह बात हर एक मामलेके वाकयात के ऊपर निर्भर करती है। घरमें किसी आदमीका सख्त बीमार हो जाना काफी वजह है किन्तु गाडीका छूट जाना काफी वजह नहीं है, देखो 19 I C 234—भाई की बीमारी काफी वजह नहीं है, देखो 71 I C 847 (P C) एक फरीक उस समय, जबकि अदालतमें एक दूसरे आदमीका मुकद्दमा पेश था, यह समझ कर, कि "आज मेरे मुकद्दमेकी पेशी न होगी" अदालतसे चला गया। उसके अदालतसे चले जानेके बाद मुकद्दमा खारिज कर दिया गया। तो यह काफी वजह नहीं थी, देखो 19 C W N 25, 1 B 12, 2 C W N 490—वकीलका हाजिर न होना काफी वजह नहीं है। फरीकोंकी अपेक्षा वकीलोंके साथ कम रिआयत करनी चाहिये, क्योंकि वकीलोंका यह काम है कि वे अदालतमें ठीक समय पर आ जाया करें और अपने रोजानाके कामको ठीक तौर से किया करें [देखो 62 I C 253, 33 B 475, 66 I C 789, 62 I C 378]

आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार किसी नालिशके खारिज हो जाने से उसी बिनाय मुखासमतके ऊपर नई नालिश नहीं दायर की जा सकती। अगर दो नालिशोंमें मांगी गई दादरसी अलग अलग है तो इससे उनकी बिनाय मुखासमत की समानतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता, देखो 15 C 422 P C, 14 C W N 298—जब दो मुकद्दमोंमें बिनाय मुखासमत एक जैसी ही नहीं है बल्कि

अलग अलग है, तो नई नालिश दायर की जासकती है। रूल ८ के अनुसार किसी नालिशका खारिज कर दिया जाना प्राङन्याय (Resjudicata) नहीं है, देखो 16 C 98 P C तथा 10 B 28, 9 C 426; 12 C L R 29

जब आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार कोई मुकद्दमा खारिज कर दिया गया हो तो बिना आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार पहिले से दरख्वास्त दिये ही उसकी नजरसानी की जा सकेगी, देखो 26 Cal 598, 58 I C 191 (P C)

कई मुद्दई या मुद्दाअलेहोंमें स बहुत या किसी एक का हाजिर न होना—जब एक से अधिक मुद्दई या मुद्दाअलेह हों, और उनमें से एक अथवा अधिक हाजिर हो, तो वह या वे बाकी आदमियोंकी तरफसे जो कि हाजिर नहीं है, मुकद्दमेकी पैरवी कर सकता है या कर सकते हैं, [देखो आर्डर ९, रूल १० और ११]

आर्डर ९, रूल ११ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे आर्डर ९, रूल १३ के प्रयोगमें कोई विरोध पड़ता हो या जो उसके प्रयोगको सीमाबद्ध करती हो, और इस पिछली दफ़ाका प्रयोग उस मामलेके लिए सीमाबद्ध नहीं कर दिया गया है जिसमें एक ही मुद्दाअलेह है और वह हाजिर नहीं हुआ है या जहां पर एक से अधिक मुद्दाअलेह हों और उनमें से कोई भी हाज़िर न हुआ हो, देखो 8 C W N 621, 10 C W N 40

बढाई हुई पेशीकी तारीख़को फरीकैनका हाजिर न होना—पहिली पेशीकी तारीख को मुद्दई या मुद्दाअलेह अथवा दोनों के हाजिर न होने का जो परिणाम होता है, उसकी व्यवस्था आर्डर ९, में कीगई है। आर्डर १७, रूल २ और ३ में उसकी कार्रवाई का वर्णन किया गया है जो उस समय की जानी चाहिए जब कि पेशी की बढ़ाई हुई तारीख को फरीकैन मुकद्दमा हाजिर न हों।

अगर पेशीकी बढ़ाई हुई तारीख़को फरीकैन मुकद्दमा या उनमें से कोई एक फरीक हाजिर न हो सके, तो अदालतको अख्त्यार है कि वह आर्डर ९ में बतलाए हुए किसी एक तरीकसे फ़ैसला कर दे या जैसा वह मुनासिब समझे वैसा हुक्म दे देवे (देखो आर्डर १७ रूल १)

जब पेशीकी तारीख़ किसी फरीकके दरख्वास्त करने पर बढाई गई हो, इसलिये कि वह शहादत पेश कर सके या अपने गवाहोंको हाजिर कर सके या कोई दूसरा काम कर सके जो उसके दावा की पुष्टि करने के लिये आवश्यक हो, और वह फरीक उस कामको या उन कामोंको नहीं करता जिसके लिये या जिनके लिये समय दिया गया था, तो अदालतको अधिकार है कि, इन सब बातोंके होतेहुये भी वह फौरन् उस मामले का फैसला कर दे (देखो आर्डर १७, रूल ३)

"हाजिर न हो सके" शब्दका अर्थ जाननेके लिये देखो 23 B 414, 22 A 66 रूल २ में उस कार्रवाईका जिक्र किया गया है जो उस समयकी जानी चाहिये जब कि फरीकैन पेशीकी बढ़ाई हुई तारीखको हाजिर न होवें अगर

दोनों फरीक हाजिर न होसकें तो आर्डर ९, रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज कर दी जायगी। अगर मुद्दई गैर हाजिर हो तो नालिश इस रूल और आडर ९, रूल ८ के अनुसार खारिज की जा सकती है और आडर ९, रूल ९ के अनुसार वह फिर दायर की जा सकेगी (देखो 1 M 287, 36 C 189)—अगर मुद्दाअलेह गैर हाजिर हो तो आर्डर १७, रूल २ तथा आडर ९, रूल ६ के अनुसार मुकद्दमें म एक तरफी डिकरी दे दी जायगी और आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दरख्वास्त देने पर वह डिकरी रद्द की जासकगी [देखो 23 C 738 F B, 20 B 380, 20 A 195]—रूल ३ उस समय लागू नहीं होता जबकि पेशीकी तारीख अदालतकी इच्छासे बढ़ाई गई हो। रूल ३ में उस समय की जाने वाली कार्रवाईका वर्णन है जब किसी फरीकको उसके दरख्वास्त देने पर मुहलत दी गई हो, इसलिये कि वह अपने मुकद्दमेकी पैरवीमें कुछ ज्यादा कोशिश कर सके अर्थात शहादत पेश कर सके या अपने गवाहोंको हाजिर कर सके। और वह इस कामको न कर सके, ऐसी दशामें, अगर कुछ जरूरी जरूरी बातें दर्ज कागजात हो चुकी हैं, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह इन्हीं बातोंके आधार पर मुकद्दमेका फैसला कर दे और मुकद्दमेकी जायदाद के ऊपर फैसला सुना दे (देखो 41 C 956, 19 C L J 535 6 Pat L J 313)—ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमे रूल २ और ३, दोनों का कुसूर किया गया हो, अर्थात जिस मुद्दईने मियाद बढ़ाने का समय लिया वह सिर्फ यही करनेमें कुसूर नही करता बल्कि पेशीकी तारीख पर खुद भी हाजिर नहीं होता। तो अब ऐसी दशामें अदालतको किस रूलके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये? बम्बई और मदरासमें यह तय किया गया है कि ऐसे मामलेमें रूल २ लागू होता है (देखो 20 B 736, 33 M 241, 41 M 286)—इलाहाबाद और कलकत्तामे यह तय किया गया है कि ऐसी दशा में रूल ३ लागू होता है (देखो 25 A 194, 34 C 235, 41 C 956,) कलकत्ता हाईकोर्ट ने 34 C 235 में यह तय किया है कि अगर कागजातसे कोई मामला नही मिलता तो रूल २ के अनुसार कार्रवाई करना मुनासिब होगा लेकिन अगर फैसला देने भरको सामान है तो अदालतको चाहिये कि वह रूल ३ के अनुसार कार्रवाई करे। इन रूलोंमें क्या भेद है यह बात ध्यानमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके विस्तारम भेद है और उनके लिये उपाय भी भिन्न भिन्न होता है। अगर रूल २ के अनुसार कोई नालिश खारिज कर दी जाय, तो उस नालिशको बहाल करने के लिये आडर ९, रूल ९ के अनुसार उसी अदालतमें दरख्वास्त दी जा सकेगी। अगर रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज कीगई हो तो उस फैसलेकी अपील या नजरसानी की जा सकेगी।

"मुकद्दमेकी पेशी" के सम्बन्धमें देखो 57 I C 748 P C जबकि किसी मुकद्दमेकी बढ़ाई गई पेशीकी तारीखको मुद्दई तारीख बढ़ाये जानेके लिये दरख्वास्त दे और इस दरख्वास्तके खारिज हो जाने पर वकील चला जाता है (वैद

रहता है) तो यह खारिज करना रूल २ के अनुसार है [देखो 34 C. 235, 30 M 274, 74 I C, 942, 46 I C 488]

यह रूल इजराकी कार्रवाईमे लागू नहीं होता और उसके खारिज हो जाने पर नई दरख्वास्त दी जा सकेगी देखो 18 M 131, 18 B 429, 15 A 84, 20 C 755

जब मुद्दई या मुद्दाअलेह असालतन हाजिर होने को हुक्म होने पर हाजिर न हों—जब कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह, जिसे असालतन हाजिर होने का हुक्म दिया गया है [आर्डर ५, रूल ३] हाजिर नहीं होता या हाजिर न हो सकने की कोई काफी वजह नहीं दिखलाता जिससे अदालत को इतमीनान हो जाय, तो (अगर वह मुद्दई है तो) आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार उसकी नालिश खारिज कर दी जायगी तो (अगर वह मुद्दाअलेह है तो) आर्डर ९, रूल ६ [आर्डर ९, रूल १२] के अनुसार उस मुकद्दमे मे एक तरफी डिकरी दे दी जायगी।

जब वली दौरान मुकद्दमा नाबालिग को हाजिर न कर सके, तो उस समय अदालत को रूल १२ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, देखो 55 I C 945 जब रूल १२ के अनुसार मुकद्दमा खारिज कर दिया गया हो या एक तरफा डिकरी दे दी गई है, तो उस समय इसके विरुद्ध मे यही कार्रवाई की जा सकती है जो आर्डर ९ मे बतलाई गई है।

एकतरफा डिकरी का मसूख किया जाना—अगर किसी मुद्दाअलेह के ऊपर एक तरफी डिकरी दे दी गई हो, तो वह उसी अदालत को, जिसने वह डिकरी दी है, उस डिकरी को मसूख करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और अगर वह अदालत को इस बात का इतमीनान करा देता है कि "उसपर बाकायदा सम्मन तामील नहीं किया गया था या यह कि किसी काफी वजह के सबब मुकद्दमे की पेशी के समय हाजिर न हो सका" तो अदालत (क) उसके ऊपर दीगई डिकरी को, अदालत में खर्चा दाखिल करने सम्बन्धी या दूसरी ऐसी शर्तोंपर, जिन्हें वह मुनासिब समझे, मसूख करने का हुक्म दे देगी, और (ख) मुकद्दमे की समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर कर देगी। लेकिन शर्त यह है कि, जब डिकरी ऐसी है कि वह सिर्फ उतने ही अंश मे मसूख नहीं की जा सकती जिसका सम्बन्ध सिर्फ ऐसे मुद्दाअलेह से है, तो उसका वह अंश भी मसूख कर दिया जा सकेगा जिसका सम्बन्ध कुल मुद्दाअलेहो से या उनमे से किसी एक मुद्दाअलेह से है, [देखो आर्डर ९, रूल १३]

ऊपर बतलाए अनुसार कोई भी एक तरफी डिकरी मसूख न की जा सकेगी, जबतक कि मुद्दाअलेह की दरख्वास्त की नोटिस मुद्दई पर तामील न हो जाय [देखो आर्डर ९, रूल १४]

जिस शख्स के ऊपर एकतरफी डिकरी दी गई है, वह या तो जाब्ता दीवानी की (१) दफा ९६ के अनुसार इसकी अपील कर सकता है, या (२) दफा ११४ के अनुसार फैसले की नजरसानीके लिए दरख्वास्त कर सकता है, या

(३) आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार उसके मसूख किए जाने के लिए दरख्वास्त कर सकता है। किसी भी मुद्दाअलेह को, यद्यपि उसने कोई बयान तहरीरी दाखिल किए हों, इस बात का अधिकार है कि वह इस रूल के अनुसार किसी एकतरफा डिकरी को मसूख किए जाने के लिये दरख्वास्त कर सके। "मुद्दाअलेह" शब्द में "कानूनी प्रतिनिधि" भी शामिल है जो दफा १४६ के अनुसार प्रतिनिधि बनाया गया हो। 'काफी वजह के सबब हाजिर न हो सका" के अर्थ के सम्बन्ध म देखो 13 B 12 काफी वजह की बात ऐसी है जो हरएक मामले के वाकयात के ऊपर निर्भर करती है। "हाजिरी" शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है और इससे तात्पर्य है मुकद्दमे की पैरवी करने के लिए असालतन या बजरिये वकील के हाजिर होना। जब कोई वकील मुकद्दमे की तारीख बढ़ाए जाने के लिए दरख्वास्त दे जो खारिज हो जाय लेकिन उसे अपने मुवक्किल की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी करने का हुक्म न मिला हो, तो जावता दीवानी के अर्थ में वह हाजिर होना नहीं है, यद्यपि वह फरीक असालतन हाजिर था, देखो 1 Pat 188

इस सम्बन्ध में बहुत सी विरोधी नजीरें थीं कि, कई एक मुद्दाअलेहों में से सिर्फ एक मुद्दाअलेह के दरख्वास्त देने पर कुल डिकरी मसूख कर दी जानी चाहिए, या उसका सिर्फ उतना ही हिस्सा जिसका सम्बन्ध उस दरख्वास्त देने वाले से है। सन् १९०८ ई० के जावता दीवानीमें दी गई शर्त (Proviso) से यह कठिनाई दूर हो जाती है। यह प्रश्न कि डिकरी कुल मुद्दअलेहों के खिलाफ मसूख कर देनी चाहिए या सिर्फ दरख्वास्त देने वालेही के खिलाफ, हरएक मुकद्दमे के वाकयात के ऊपर निर्भर करता है। मुमकिन है कोई डिकरी ऐसी हो जिसके खण्ड न हो सकते हों या अगर वह एक मुद्दाअलेह के सम्बन्धमें मसूख की जाय तो सम्भव है उससे एक दूसरी डिकरी से विरोध पड़ जाय, या सम्भव है बिना सब की एक हो। इन दशाओं में डिकरी कुल मुद्दाअलेहों के सम्बन्ध, में खारिज कर दी जानी चाहिए, देखो 6 C L J 226 और 31 Mad 454 जिनमें सिद्धान्त के ऊपर बहस की गई है।

अपील—एकतरफी डिकरी को मसूख करने वाले हुक्म की अपील हो सकती है, देखो 16 C 426, 19 A 355, 23 W R 147 उस हुक्म की अपील हो सकती है जिसके अनुसार एकतरफा डिकरी मसूख करनेसे इन्कार कर दी गई हो, देखो 2 Bom 644, आर्डर 43, रूल १ क्लॉज (डी)

मियाद—किसी एकतरफी डिकरी को मसूख करने के लिये किसी मुद्दअलेह की ओर से दी जाने वाली दरख्वास्त की मियाद डिकरी की तारीख से से ३० दिन है या जब सम्मन की बाकायदा तामील न हुई हो तो उस समय से जब कि सायल (दरख्वास्त देने वाले) को डिकरी का पता मिला हो।

एकतरफी डिकरी में मुद्दाअलेह की गैर हाजिरी में मुकद्दमे का खारिज होना शामिल नहीं है, देखो 2 C W N 639 इसमें वह डिकरी शामिल है

फिर वह कानूनी हो या अदालत की मर्जी से दिया हुआ (देखो 2 Mad H. C 296, 19 C W N 1183, 2 C L J 73, 9 C W N 178, 17 C W N 1060, 18 C W N 426 P. C 19 C. W N 1183, 19 C W N 1060)

अदालत का फरीक़ैन के बयान लेना

अदालत को चाहिए कि वह पहिली पेशीकी तारीखको हरएक फरीक या उसके वकीलसे यह बात अच्छी तरह जाच करले कि, जो बात अर्जीदावा या बयान तहरीरीमे लिखी गई है उनसे इकबाल किया गया या इन्कार। अदालत ऐसे इकबाल या इन्कार को लिख लेगी (देखो आर्डर १०, रूल १)—यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कोई भी फरीक अपने वकील की इन्कारी या इकबाल के लिए बाध्य नही है जो कानून की किसी बात के ऊपर किया गया हो, देखो 9 B L R, 377 P 401 P C, 18 W R 357, 21 All 285 and 27 Cal 156 pp 162-63)—वकील जो कुछ बयान बहैसियत वकीलके देगा, अदालत उसे स्वीकार करेगी, लेकिन वह उसे हलफ के लिए बाध्य नही कर सकती (देखो 3 C W N 694) अदालत को अधिकार है कि वह मुकद्दमे की पहिली अथवा बाद की किसी पेशी के दिन किसी फरीक या उसके साथी के (अगर अदालत मे हाजिर हो तो) जबानी बयान ले सके। अदालत ऐसे सवालात पूछ सकती है जो किसी फरीक ने तजवीज किए हों। ऐसे बयान का सारांश अदालतका जज लिखलेगा (देखो आर्डर १०, रूल २ और ३)

आर्डर १०, रूल २ अदालतको सिर्फ यह बात तय करनेमे सहायता करता है कि फरीकैनमे किस बातका झगड़ा है, और उसके बनानेका मंशा हलफके ऊपर आम तौरसे लिये जाने वाले बयानके स्थानकी पूर्ति करनेका नहीं है। जो बयान कोई शख्स इस रूल के अनुसार बयान ऐसे पक्ष देवे, उससे वही शख्स बाध्य होगा जिसने वह बयान दिया, देखो 2 A L J 777 जब वकील या ऐसा कोई साथी, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूलमे कर दिया गया है, किसी जरूरी सवालका जवाब देनेसे इनकार करे या जवाब न दे सके और अदालत यह समझती हो कि अगर उस फरीकके असालतन बयान लिये जाय तो सम्भव है कि वह उसका जवाब दे सके, तो उसे अधिकार है कि वह पेशीकी तारीख बढा दे और यह हुक्म कर दे कि वह फरीक उस रोज अदालतमे असालतन हाजिर हो। अगर वह फरीक बिना किसी जायज (कानूनी) उज्रके उस तारीख मुकर्ररा पर हाजिर न हो सके, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उसके खिलाफ फैसला दे दे या और कोई दूसरा हुक्म कर दे (देखो आर्डर १० रूल ४)

उमूर तनकीह तलबका फैसल करना और खतम करना पहिली पेशी पर

यह आवश्यक नहीं है कि सब हालतोंमे उमूर तनक़ीह तैयार किये जांय और उनका फैसला किया जाय। साधारण लगान और रुपयेकी नालिशोंमें तथा शफ़ीफ़ाकी नालिशोंमें आम तौरपर तनक़ीहे तैयार करनेकी जरूरत नहीं होती है। इस बातकी जरूरत केवल हकीयत वाली तथा दूसरी नालिशोंमें ही है, जिनमें क़ानूनी या वाक़यातके पेचीदा सवालात पदा होते हैं, कि तनक़ीहे तैयार की जानी चाहिये। कलकत्ता हाईकोर्टके एक सर्कुलर आर्डरके अनुसार, मजिस्ट्रेटोंको यह हिदायत कीगई है कि वे मुकद्दमा करने के पहिले रुपयेकी नालिशों और रेहननामाकी नालिशोंमें तनक़ीहे तयार कर लें।

मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मन जारी करने के समय, अदालतको चाहिये कि वह यह तय करे कि सम्मन वास्ते तय करने उमूर तनक़ीहके होगा या मुकद्दमे का आखिरी फैसला करने के लिये, और उस सम्मनमें इसीके अनुसार लिख दिया जायगा (देखो आर्डर ५, रूल ५)

तनक़ीहे तैयार करने का उद्देश्य यह है कि हर एक फरीक़ यह बात अच्छी तरहसे समझ जावे कि किन किन सवालोंके ऊपर बहस की जानी है, ताकि वे उन तनक़ीहोंसे सम्बन्ध रखने वाला शहादत पेश कर सकें (देखो 22 Cal 324, P C 30 Bom 173, 12 C L R 174)

तनक़ीहोंका तैयार करना—तनक़ीहे उस समय पैदा होती हैं जब क़ानून या वाक़यात सम्बन्धी किसी जरूरी बातको एक फरीक़ तो मान ले, लेकिन दूसरा फरीक़ उससे इन्कार कर दे। प्रत्येक जरूरी बातके आधार पर, जिसे एक फरीक़ ने मान लिया है लेकिन दूसरे ने इन्कार कर दिया है, अलग अलग तनक़ीह क़ायम की जा सकती है। तनक़ीहें दो प्रकार की होती हैं—(१) वाक़यात सम्बन्धी और (२) क़ानून सम्बन्धी (देखो आर्डर १४, रूल १)

अदालत इन तनक़ीहोंको (क) अर्जीदावा और बयान तहरीरीमें बतलाई हुई बातों से, (ख) उन बयानोंसे जो हलफ पर फरीक़ैनने या उन आदमियों ने दिये हों जो उनकी ओरसे हाजिर हुये हैं या जो उनके वकीलोंने दिये हैं, (ग) सवालोंके जवाबमें कही हुई बातोंसे, (घ) फरीक़ैनके पेश किये हुये दस्तावेजों के मजमून से तथा, (ट) उन बयानोंसे तैयार करेगी जो फरीक़ैन ने अदालतके बयान लेने पर दिये हों (आर्डर १४, रूल १, ३)—अगर अदालत यह समझती है कि किसी शख्सके बयान लिये बिना या किसी दस्तावेजका मुलाहिजा किये बिना तनक़ीह तैयार नहीं की जा सकती, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उस शख्सको हाजिर किये जाने या उस दस्तावेजके पेश किये जानेका हुक्म दे सके (देखो आर्डर १४ रूल ४)

जिस बातको किसी फरीकने अपनी प्लीडिंगस् मे स्वीकार कर लिया हो उसके साबित किये जानेकी आवश्यकता नहीं है और उसके ऊपर किसी तनकीहके तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तनकीहे सिर्फ उन बातोंके सम्बन्धमे ही तैयार की जानी चाहिये जिन्हे एक फरीकने स्वीकार कर लिया हो लेकिन दूसरेने इन्कार कर दिया हो। किन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि तनकीहे उन तमाम बातोंके ऊपर तैयार की जाय जिनके ऊपर झगड़ा है, बल्कि सिर्फ उन बातोंके ऊपर ही जिनके ऊपर उस मुकद्दमेका सही फैसला निर्भर करता है। आम तौर पर तनकीहोंका मसविदा दोनो फरीकोंके वकील तैयार करते हैं और जजके सामने उसे पेश करते है जो आवश्यक जाचकर लेनेके बाद जज उनको तैयार कर देता है। मुद्दई या उसके वकीलके लिये यह जरूरी है कि वह तनकीहोंके तय करने के लिये मुकर्रर हुये दिनको अदालतमे हाजिर हो। तनकीहे तैयार उसी समय की जायगी जब दोनों फरीकैन हाजिर हों। अदालत उस समय तनकीहे तैयार करने के लिये बाध्य नहीं है जब कि मुद्दाअलेह हाजिर न हो बल्कि उसे चाहिये कि वह अपने मामलेमें एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दे (देखो 1 W R, 145) इसी प्रकार यदि मुद्दाअलेह हाजिर हो और मुद्दई हाजिर न हो तो बिना किसी तनकीहके तैयार किये हुये नालिश खारिज कर दी जानी चाहिये। तनकीहे तय करने के लिये मुकर्रर की हुई तारीख आर्डर ९ रूल ८ के अर्थमे पेशीकी तारीख होती है (देखो 48 I C 192)—जब पहिली पेशीकी तारीख को यह मालूम हो जाय कि फरीकैन किसी भी कानूनी या वाकयात सम्बन्धी बातके ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहते हैं तो अदालतको चाहिये कि वह फैसला सुना दे (देखो आर्डर १५, रूल १) जब तनकीहे तय होजाने के बाद यह मालूम हो जाय कि सिवाय उस सुबूत या दलीलके जो फरीकैन उस समय पेश कर सकते हैं ऐसी तनकीहोंके सम्बन्धमे जो उस मुकद्दमेके फैसले के लिये काफी है और किसी सुबूत या दलीलकी जरूरत नहीं है, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फौरन् उन तनकीहोंका तय करना शुरू करदे और मुकद्दमेका फैसला सुना दे, फिर चाहे सम्मन सिर्फ तनकीहे जारी करने के लिये ही जारी किया गया हो या मुकद्दमेके आखिरी फैसलाके लिये। लेकिन शर्त यह है कि फरीकैन या उसके वकील हाजिर हों और उनमें से किसीको भी उसपर एतराज न हो (देखो आर्डर १५, रूल २)—लेकिन अगर काफी सुबूत नहीं है और कोई फरीक सुबूत पेश करना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह मुकद्दमेकी तारीख बढ़ाये जाने के लिए दरख्वास्त दे और गवाहों पर सम्मन तामील करने के लिए जरूरी कार्रवाई करे। अगर तनकीहे तैयार करने से इन्कार कर दी गई हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी (देखो 4 C 531;35 M. 1)

जब कि सम्मन वास्ते इनफिसाल मुकद्दमेके हो और कोई भी फरीक शहादत पेश न कर सके तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फौरन् फैसला सुना दे या तनकीहे तैयार करके शहादत पेश करने के लिए मुकद्दमेकी तारीख बढ़ा दे (देखो आर्डर १५, रूल ४)—जब कोई नालिश इस रूलके अनुसार खारिज हो

जाय तो मुनासिब कार्रवाई, जो करनी चाहिए अपील करना है। आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार दरख्वास्त देना नहीं है (देखो 8 C W N 97)

पहिले कानूनकी तनकीहें तयकी जानी चाहिये—जब किसी मुकदमेमें अदालत की राय यह हो कि यह मुकदमा या उसका कोई हिस्सा सिर्फ कानूनकी तनकीह के ऊपर ही फैसल किया जा सकता है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि पहिले उन्हीं तनकीहों पर विचार करे और उसे यह अधिकार होगा कि वह कानूनकी तनकीहोंके तय न हो जाने तक वाकयात सम्बन्धी तनकीहोंपर विचार करना स्थगित रखे (देखो आर्डर १४, रूल २)

तनकीहोंका संशोधन करने और खारिज कर देनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार—अदालत को अधिकार है कि वह डिकरी देनेके पहिले किसी भी समय तनकीहोंमें तरमीम कर दे या और जायद तनकीहें तैयार कर दे, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसीभी ऐसी तनकीहको खारिज करदे जो उसे गलत तौर पर तैयार किया हुआ या पेश किया गया मालूम होवे (आर्डर १४, रूल ५)

उमूर तनकीह तलबका फैसला होजानेके बादकी कार्रवाई

वकीलको चाहिये कि फैसले के लिये पैदा हुए भिन्न भिन्न प्रश्नोंके तय होजाने और तनकीहें बन जानेके बाद वह उस शहादत के ऊपर विचार करे जिससे वह अपने दावाको साबित कर सकता है या अपने विरोधीके दावाका जवाब दे सकता है। उसे चाहिये कि वह उन तमाम दस्तावेजोंको और उन तमाम शहादतको अपने पास जमा कर ले जो उसके मवक्किलके पास मौजूद हो। लेकिन साथ ही इसके मुकदमेकी मजबूती के लिये उसे चाहिये कि वह अपने मुखालिफ फरीकसे तमाम जरूरी जरूरी बातोंकी जानकारी हासिल करले और इस बातको अच्छी तरह से जान ले कि उसके मुखालिफ फरीकके पास कोई ऐसे कागजात तो नहीं है जिससे उसके मुकदमेमें कोई मदद मिलता हो या जो उसके मुकदमेमें कोई खराबी पैदा करता हो। यह बात जाबता दीवानीमें बतलाये हुये "Discovery and Inspection" तथा Admission (अर्थात इन्किशाफ और मुआइना दस्तावेज तथा उसका इकबाल कर लेना) के अनुसार बड़ी आसानीसे की जा सकती है (देखो आर्डर ११ और १२)—अगर ठीक समय पर इसका प्रयोग कर लिया जाय तो मुकदमे बाजी बहुत कुछ कम हो सकती है और बहुत सा वक्त मेहनतका और बहुत सा रुपया बच सकता है। लेकिन बद किस्मतीसे प्रेसीडेन्सी टाउन्सके बाहर रहने वाले वकील बहुत कम इन करार बतलाये हुये नियमोंका पालन करते है। अगर वकील साहबान इन

नियमोका पालन करे तो उनको फौरन् मालूम हो जायगा कि उनसे कितना लाभ होता है।

चन्द सवालोंके जरिये जांच करना—किसी भी मुकदमेमे मुद्दई या मुद्दाअलेह को अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञासे मुखालिफ फरीकके बयान लेने के लिये मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखने वाली बातोंके सम्बन्धमें लिखित सवाल पेश करे (देखो आर्डर ११ रूल १)—रूल १-११ जांचकी पहिली शाखा से सम्बन्ध रखते है, अर्थात सवालोका जवाब देने से। सवाल करनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि मुखालिफ पार्टी से जवाब पानेके कारण खर्चोंसे बचना। १२ से १९ तकके रूल जांचकी दूसरी शाखा से सम्बन्ध रखते हैं जो कागजातके सम्बन्धमें हैं।

किसी मुकद्दमेके हर एक फरीक को यह अधिकार है कि वह इस बातको जाने कि उसके मुखालिफ फरीकके मामलेकी हालत क्या है, ताकि उसे पहिलेसे यह बात मालूम होजाय कि उसे किन किन बातोंका सामना करना है। मुद्दई, मुद्दाअलेह पर इस लिये सवाल कर सकता है कि उसे ऐसी बातोंका पता चल जाय जो उसके मुकद्दमेकी ताईद करती हों। मुद्दईके वकीलको चाहिए कि वह जहां कहीं उसे इस बातका इतमीनान होजाय कि मुद्दाअलेहको कोई ऐसी बात मालूम है या उसके पास कोई ऐसा कागज़ात है जिनके मिल जानेसे उसके मव क्किलका मुकद्दमा जोरदार हो जायगा, मुद्दाअलेह से सवालात करे। इसी तरह मुद्दाअलेहके वकीलको चाहिये कि वह बयान तहरीरी दाखिल हो जानेके बाद जहां कहीं उसे ऐसा करनेकी ज़रूरत मालूम पड़े, मुद्दईके पास सवालात, भेजने के लिये दरख्वास्त दे। इङ्गलिश लॉके अनुसार सवालात इस बातका इत मीनान करने के लिये पूछे जाते है कि फरीक मुखालिफके मुकद्दमेकी हालत क्या है। लेकिन 17 कलकत्ता 840 मे (जो सन् १८८२ ई० के जाबता दीवानीके अनुसार फैसल किया गया है) यह तय हुआ था कि सवालात प्लीडिंगसकी कमी को पूरा करने या इस बातका निश्चय करने के लिये तैयार नही किये जाते है कि फरीक मुखालिफके मुकद्दमे की हालत क्या है. देखो 23 Cal. 117. लेकिन,जैसा कि 11 कलकत्ता 6मे बतलाया गया है, कि इङ्गलैण्ड और हिन्दुस्तानके रिवाजमे अब कोई भेद नही रखा गया है। यद्यपि हर एक फरीकको यह अधि कार है कि वह अपने मुकद्दमेके सम्बन्धमे जानकारी हासिल करनेकी गरजसे दूसरे फरीकसे सवालात पूछे, उसे यह इजाजत नही दी जा सकती कि वह उन बातोंके सम्बन्धमे जानकारी हासिल करनेके लिये सवाल पूछे जो उसके विरोधी पक्ष वाले के मुकदमेकी शहादतमे पेश की जायगी। ऐसे सवालात करनेकी इजाजत नही दी जा सकती जो सिर्फ इसी गरजसे किये जाते हो कि उसे अपने विरोधी पक्ष (फरीक मुखालिफ) के मुकद्दमेमे कोई नुक्स मिलता है या नही (देखो 17 Cal 840)

"फरीक मुखालिफ" का अर्थ केवल उसी फरीकसे नही है जिसका नाम मिसिलमे बतौर फरीक मुखालिफके दर्ज है। अगर उनके दर्मियान कोई ऐसी बात है तो एक एक मुद्दाअलेह दूसरे मुद्दाअलेहसे सवाल पूछ सकता है

(देखो 18 Q B D 193) "फरीक मुखालिफ" का मतलब उस मुद्दाअलेह से भी नहीं है जो किसी दावा की जवाब देही करने के लिये हाजिर नहीं होता है। मुद्दई ऐसे शख्सों या मुद्दाअलेहोंसे सवाल नहीं कर सकता जो उसके पक्ष का समर्थन करते हों (देखो 63 I C 256) आर्डर ११ नाबालिगोंके सम्बन्धमें है (देखो आर्डर ११, रूल २३)

सवालोंका मसविदा करनेके सम्बन्धमें नियम—[१] सवालात उन बातोंके सम्बन्धमें होने चाहिए जिनकी बाबत झगड़ा है और नालिश कीगई है। वे हुक्म के लिए तैयार किए जाने चाहिए और जिन बातोंकि निस्बत जाच कीगई है वे ऐसे होने चाहिए जिनका पूछा जाना उस समय आवश्यक है जिस समय वे पूछे गये हैं (देखो आर्डर ११, रूल १)। (२) किसी भी फरीकको, अदालत की आज्ञाके बिना एक से अधिक सेट सवालातके एक ही फरीकसे पूछनेकी इजाजत नहीं है (देखो आर्डर ११, रूल १)। (३) जब एक से अधिक आदमी ऐसे हों जिन पर सवाल किए जाते हो, तो उन सवालातमें यह बात लिख दी जायगी कि उनमें से किसका जवाब कौन दे (देखो आर्डर ११, रूल १), (४) ऐसे सवालात जाबता दीवानीके परिशिष्ट (Appendix) (सी) मे बतलाए हुए फार्म नं० २ के नमूनेके होंगे और अवस्थानुसार उसमे परिवर्तन एवं परिवर्धन कर दिये जायंगे (देखो आर्डर ११, रूल ४)। (५) ये सवालात मामलेको बहुत तूल देने वाले, तकलीफ देने वाले और अनावश्यक अथवा वाहियात न होंगे (देखो आर्डर ११, रूल ७)

सवालातके जवाब—(१) सवालातोंके जवाब बयान हलफीमें दिये जायगे जो दस रोजके भीतर या ऐसे समय के भीतर दाखिल किया जायगा जिसके लिये अदालत इजाजत दे (आर्डर ११ रूल ८)

[२] जो हलफ नामा सवालोंके जवाबमें दाखिल किया जायगा वह परिशिष्ट (सी) के फार्म नं० ३ में होगा और उसमे आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन (इजाफा) कर दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल ९)। [३] सवालोंके जवाबमें पेश किये हुये किसी हलफनामा की निस्बत कोई एतराज न किया जा सकेगा, लेकिन अगर ऐसे किसी हलफनामा के काफी होने की निस्बत कोई एतराज किया जायगा तो अदालत उसे तय करेगी (देखो आर्डर ११, रूल १०)। [४] अगर वह शख्स, जिसे सवालात किये गये हैं किसी सवालका जवाब नहीं देता है या ऐसा जवाब देता है जो काफी नहीं है तो उस शख्सके दरख्वास्त देने पर, जिसने कि सवालात किये हैं, अदालत उसे हुक्म देगी कि वह बजरिये हलफनामा या जबानी उस सवालका जवाब दे या बाकी और जवाब दे (देखो आर्डर ११, रूल ११) [५] जिस शख्ससे सवाल पूछे गए हैं वह किसी भी सवालका इस बिनापर जवाब देने से इन्कार कर सकता है कि वह (अ) तोहमत लगाने वाला, या (ब) असंगत है, अथवा (स) वह दावाकी गरजके लिए पूछा नहीं गया है, या (द) यह कि जो बातें पूछी गई है उनका मुकदमेकी इस अवस्था मे पूछा जाना अनावश्यक है (देखो आर्डर ११, रूल ६)। [६] अदालत

को अधिकार होगा कि वह, उस शख्सके दरख्वास्त देने पर, जिससे कि सवालात पूछे गए हैं, किसी भी सवालको इस बिनायपर खारिज करदे कि वह बिना जरूरत या हैरान करने के लिए पूछा गया है, या उसे इस बिनाय पर हटा दे कि वह मामले को तूल देने वाला, तङ्ग करने वाला, अनावश्यक या तोहमत लगाने वाला है (देखो आर्डर ११, रूल ७)

कागजातकी खोज—अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी फरीक़के दरख्वास्त देने पर उस मुकद्दमेके किसी भी दूसरे फरीक़को यह हुक्म दे देवे कि वह हल्फके साथ उन कागजातकी खोज करे जो उसके कब्जे या अधिकारमें हैं और उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हैं जिनकी बाबत झगडा है। लेकिन शर्त यह है कि अगर अदालतकी यह राय हो कि मुकद्दमेका इन्साफ के साथ फैसला होने या खर्चेकी बचतके लिये ऐसी खोजकी जरूरत नहीं है, तो ऐसी खोजका हुक्म न दिया जायगा। (देखो आर्डर ११, रूल १२)

जिस शख्सको कागजात पेश करने के लिए हुक्म दिया गया है वह एक हल्फनामेके साथ परिशिष्ट (सी) के फार्म ५ मे उन कागजातको तफसीलवार दर्ज करेगा और अगर किसी कागज के पेश करनेमे कोई एतराज होगा तो वह भी लिख दिया जायगा। (देखो आर्डर ११, रूल १३)

नोट—यह हो सकता है कि किसी मुकद्दमेके किसी फरीक़के कब्जे या अधिकारमें ऐसे कागजात हों, जो उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हों जिनकी बाबत झगडा है। यह रूल उसके मुखालिफ फरीकको यह अधिकार देता है कि वह मुआइनाके लिये उन कागजातको हासिल कर सके और उस कार्रवाईका विधान करता है जो ऐसी अवस्थामें की जानी चाहिए। वह कार्रवाई संक्षेपमें इस प्रकार है —जो शख्स कागजात चाहता है, वह बिना कोई हल्फनामा दाखिल किये हुए अदालतसे यह प्रार्थना कर सकता है कि वह उस शख्सको, जिसके कब्जे या अधिकारमें वह कागज है, बयान हल्फी दाखिल करने का हुक्म दे जो 'बयान हल्फी कागजात' के नामसे प्रसिद्ध है [आर्डर ११ रूल १३] और जिसमें यह बात लिखी होगी कि उस मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखने वाले कौन कौनसे कागजात उसके कब्जे या अधिकारमें हैं। ज्यों ही अदालत ऐसा हुक्म दे देगी, त्यों ही वह शख्स, जिसके कब्जे या अधिकारमें वे "कागजात" हैं, अपना बयान हल्फी कागजात दाखिल करनेके लिये बाध्य होगा। जो कागजात अब उसके कब्जेमें नहीं हैं बल्कि पहले किसी समय थे उनके सम्बन्धमें उसे यह लिखना चाहिये कि वे क्या हुए, ताकि फरीकसानी उन्हें उस शख्ससे हासिल कर सके जिनके कब्जेमें वे अब हैं। अगर वह उस हुक्मकी तामील नहीं करता, तो वह आर्डर ११, रूल २१ में बतलाए हुए दण्डका भागी होगा।

कागजातका पेश किया जाना—कागजातके सम्बन्धमें बयान हल्फी (देखो आर्डर ११ रूल १३) दाखिल करने के बाद वह शख्स जिसकी दरख्वास्तपर कागजात पेश किए जानेका हुक्म दिया गया है, अपने मुखालिफ फरीक़को इस बातके लिए बाध्य कर सकता है कि वह उसके मुलाहिजे के लिए ऐसे कागजात पेश करे जिनके देखने के लिये वह कानूनन अधिकारी है (देखो आर्डर ११, रूल १८)

कागजात पेश करने का हुक्म उमूर तनकीह तैयार करने के पहिले भी दिया जा सकता है (देखो 14 C W N 117) कागजात पेश करने का

हुक्म सिर्फ इस रूल के अनुसार ही दिया जा सकता है । मुलाहिजेका हुक्म आर्डर १८ के अनुसार दिया जाना चाहिए (देखो 14 I C 51)

अगर कोई ऐसे कागजात हैं जिनके पेश करने के सम्बन्धमें उस शख्सको एतराज है, तो उसे चाहिये कि वह रूल १३ के अनुसार अपने बयान हल्फीमें उन्हें उस एतराज की वजूहात के साथ बतला दे । इस सम्बन्धमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी फरीक अपने मुखालिफ फरीकके मुलाहिजाके लिए (अ) कोई ऐसा कागज, जो खुद उसके दावा या सफाईयतकी शहादत है (ब) कोई भी गुप्त लिखा पढ़ी जो उसके और उसके कानूनी सलाहकारके दरमियान हुई हो (देखो कानून शहादतकी दफा १२६ और १२९) और कोई भी ऐसा सरकारी कागज, अगर उसके प्रकट हो जाने से सार्वजनिक हितमें कोई बाधा उपस्थित होती हो, पेश करने के लिए बाध्य नहीं है (देखो कानून शहादतकी दफा १२३—१२४)

कागजातका मुलाहिजा—मुकदमेके किसी फरीकको किसी भी समय उन तमाम कागजात के देखनेका अधिकार है जिनका उल्लेख फरीकसानीके अर्जीदावा, बयान तहरीरी, या बयान हल्फीमें किया गया है और उस फरीकके ऊपर इस बातकी नोटिस तामील करने के बाद, कि वह उसके मुलाहिजाके लिये कागजात पेश करे, उनकी नकलें पानेका अधिकार है। नोटिस परिशिष्ट (सी) फार्म नं० ७ में होनी चाहिए। जो शख्स नोटिस तामील होने के बाद भी कागजात पेश नहीं करता, वह उनके न पेश किए जानेके लिए माकूल वजह बतलाए बिना उन कागजातको शहादतमें पेश कर सकने का अधिकारी नहीं है (देखो आर्डर ११ रूल १५, १६)। इसी तरह की व्यवस्था कानून शहादतकी दफा १६४ में की गई है। जब नोटिस दिए जानेके बाद कोई फरीक किसी दस्तावेजको पेश करे और दूसरा फरीक उसका मुलाहिजा करे तो वह फरीक उसे बतौर सुबूतके देनेके लिये बाध्य है, अगर उसका मुखालिफ ऐसा चाहता है तो (देखो कानून शहादतकी दफा१६३) ।

नोट—आर्डर ११ के १५ से १८ तक के रूल, केवल उन कागजात से सम्बन्ध रखते हैं जिनका जिक्र किसी फरीक के अर्जीदावा, बयान तहरीरी, या बयान हल्फी में किया गया हो। १२ से १४ तक के रूलों में तमाम ऐसे कागजात की खोज और उनके पेश किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जो किसी फरीक के कब्जे या अधिकार में हों और जो उस मुकदमे से सम्बन्ध रखते हों, चाहे ऐसे कागजात का उल्लेख प्लीडिंग्स में किया गया हो या नहीं। रूल १५ में उन तमाम कागजात के फौरन् ही मुलाहिजा करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख प्लीडिंग्स या बयान हल्फी में किया गया है। रूल १५ के अनुसार दरख्वास्त मुकदमे के आरम्भ में दी जानी चाहिए। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सिवाय किसी फरीक या उसके वकील के और किसी भी शख्स को रूल १५ के अनुसार कागजात का मुलाहिजा करने का अधिकार नहीं है। "फरीक" शब्द में उसका मुख्तार ममाम भी शामिल है, लेकिन अदालत ऐसे मुख्तार को मुलाहिजा करने की आज्ञा नहीं देगा, अगर वह पहिले फरीकसानी के पास नौकर था और उसके कागजात का ॰ चार्ज था (देखो 25 c 294) उस कार्रवाई के, जानने के लिए, जो कागजात के मुलाहिजा (मुआइना) के

लिए व्यवस्था करता है, अर्थात मुआइना का समय, मुआइना का हुक्म, व्यापार की तस्दीक शुद प्रतियों का मुआइना इत्यादि, देखो रूल १६, १७, १८ और १९। अगर जिस मुलाहिज़ा के लिए दरख्वास्त की गई है उसका समय अभी नहीं आया है और अदालत को इस बात का इतमीनान होगया है कि मुलाहिज़ा करने का हुक्म उस समय पैदा होता है जब कोई ऐसी तनक़ीह या सवाल तय होजाय जिससे निरस्त झगड़ा है, तो अदालत को चाहिए कि वह उस तनक़ीह या सवाल के फैसल न होने तक मुलाहिज़ा करने की इजाज़त न दे [देखो आर्डर ११ रूल २०] मुद्दाअलेह उन कागज़ात का मुलाहिज़ा करने का हक़दार नहीं है जिन्हें मुद्दई ने बयान तहरीरी दाखिल करने के पहिले अपने दावा का आधार माना था, देखो 24 C W N 302

मुलाहिज़ा (मुआइना) के लिए दिए हुए हुक्म की अपील नहीं हो सकती [देखो 11 Bom L R 248, 9 B H C 298]

खोज या मुलाहिज़ा के हुक्म की तामील न करने के लिए दण्ड—जब कोई शख्स, जिसे सवालात का जवाब देने अथवा कागजात की खोज या मुलाहिज़ा के सम्बन्ध में हुक्म दिया गया है, ऐसे हुक्म की तामील न करे, तो उसका, अगर मुद्दई है तो, मुक़द्दमा अदम सुबूत में खारिज कर दिया जायगा, और अगर वह मुद्दाअलेह है तो उसकी सफ़ाई मसूख़ कर दी जायगी। इस रूल के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील हो सकती है।

इक़बाल—कागजात और वाक़यात के इक़बाल के सम्बन्ध में जाबते का वर्णन आर्डर १२ के रूल १ से ७ तक में किया गया है। इस जाबते के अनुसार कार्य करना अनिवार्य (लाज़िमी) नहीं है, लेकिन यह सम्भव है कि इसके अनुसार कार्य करने से मामले का फैसला जल्द हो सके। इसलिए यह मुनासिब मालूम होता है कि हरएक वकील को बहस तलब मामलों में इस जाबते के अनुसार कार्य करना चाहिए। "इक़बाल" (Admission) शब्द की परिभाषा के लिए देखो कानून शहादत की दफ़ा १७। भिन्न भिन्न प्रकार के इक़बालों और उनके सुबूत के लिए देखो कानून शहादतकी दफ़ा १८–३१। दीवानी मुक़द्दमों में इक़बाल जायज़ न माना जायगा, अगर वह इस प्रकट अथवा अप्रकट शर्त के ऊपर किया गया है कि वे शहादत में पेश न किए जायगे [देखो कानून शहादत की दफ़ा २३] ऐसे इक़बाल को "इक़बाल बिला तरफ़दारी (Admission without prejudice)" कहते हैं। आमतौर पर वह लिखा पढ़ी या बातचीत, जो फ़रीक़ैन के बीच, नालिश दायर होने के पहिले इस इरादे से की गई हो कि आपस में राजीनामा हो जाय या मामला पचायत से फैसल करा लिया जाय, इसी के अन्तगत मानी जाती है। जिन बातों का इक़बाल मुद्दाअलेह ने नालिश दायर होने से पहिले और नालिश दायर होनेकी तारीख़को मुद्दईके वकील से किया था, वह क़ाबिल तस्लीम माना गया, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रकट अथवा अप्रकट शर्त नहीं थी कि वे शहादत में पेश न की जायगी [देखो 20 C W N 1217]

जावते का इकबाल नीचे लिखे तरीकों से किया जा सकता है—(१) प्लीडिंग्स के ऊपर, फिर वह चाहे प्रकट हो अथवा अप्रकट, (देखो आर्डर ८, रूल ३, ४, ५) (२) सवालों के जवाब मे (देखो आर्डर ११, रूल २२), (३) पेशी होने के पहिले तहरीरी इकरारनामाके जरिये, (४) नोटिसके जरिये (देखो आर्डर १२, रूल १, २, ४), (५) पेशी के वक्त फरीक मुकद्दमा या उसके वकील की ओर से (देखो कानून शहादत की दफा ५८)

इकबाल करने का जावता—(१) मुकद्दमे का कोई भी फरीक लिखित नोटिसके जरिये दूसरे फरीकको यह इत्तला दे सकता है कि वह उसके कुल या कुछ हिस्से दावा को सही मानता है [देखो आर्डर १२, रूल १] कोई भी फरीक लिखित नोटिस के जरिये, दूसरे फरीक को किसी ऐसे कागज (आर्डर १२, रूल २) या किसी खास बात या बातों को स्वीकार करने के लिए लिख सकता है जिसकी नोटिस पेशीकी तारीख से अधिकसे अधिक ९ दिन पहिले दी जायगी (देखो आर्डर १२, रूल ४)। अगर कागजात या वाकयात का इकबाल करने के लिए नोटिस न दी गई हो, तो ऐसे कागजात को साबित करने का खर्चा न दिलाया जाय [देखो आर्डर १२, रूल २,४] (३) वाकयातका इकबाल करने के लिए दी जाने वाली नोटिस फार्म न० १० में होनी चाहिए और वाकयात का इकबाल जावता दीवानी के परिशिष्ट (सी) के फार्म न० १० में होना चाहिए। (४) जब आर्डर १२, रूल ४ के अनुसार वाकयात का इकबाल कर लिया गया हो तो कोई भी फरीक मुकद्दमे की किसी भी अवस्था में अदालत से उसी इकबाल के ऊपर फैसला देने के लिए प्रार्थना कर सकता है [देखो आर्डर १२, रूल ६]

कागजातका पेश करना, उनका अदालत के कब्जेमें, रखना, वापस और तलब करना

कागजी शहादत पेश करने सम्बन्धी नियम—(१) फरीकैन या उनके वकीलों को चाहिये कि वे मुकद्दमेकी पहिली पेशी को (क) वह तमाम कागजी शहादत पेश करें जो उनके कब्जे या अधिकार में है और जो वे अपने दावा की ताईद (समर्थन) में पेश करना चाहते हैं और जो पहिले पेश नहीं की गई थी, तथा (ख) तमाम ऐसे कागजात पेश करें जिनके पेश करने के लिये अदालतने हुक्म दिया है (२) इस तरह पेश किये गए हुए कागजात के साथ साथ उनकी एक सही फेहरिस्त दाखिल की जानी चाहिये जो एक मुकर्रर नमूने की तैयार की जायगी [देखो आर्डर १३, रूल १] (३) जो कागजात पेश तो किये जाने चाहिए था लेकिन जो (आर्डर १३ रूल १) नियमानुसार पेश नहीं किये गए हैं, वे मुकद्दमे की किसी भी बाद की अवस्था में शहादत में पेश न किये जा

सकेंगे, जबतक कि मुनासिब समयपर उनके पेश न किए जाने की काफी वजह न दिखला दीगई हो [देखो आर्डर १३, रूल २].

अदालत को किसी भी ऐसे कागज के खारिज कर देनेका अधिकार है जो गैर जरूरी है या और किसी तरह नाकाबिल तस्लीम है।

उन कागजात मे, जिनके आधार पर दावा किया गया है, तथा उन कागजात मे, जो दावा के सुबूत मे पेश किये जाने को है, बहुत बडा अन्तर है । ऐसा देखा गया है कि पहिली किस्म वाले कागजात अर्जी दावा के साथ ही पेश किये जाते है [देखो आर्डर ७, रूल १४, १८ (१) । लेकिन दूसरे तमाम कागजात, जो सबूत मे पेश किए जाने को है, अर्थात् जिन्हे वे अपने मुकद्दमें की ताईद मे बतौर जायद शहादत के पेश करना चाहते है, मुकद्दमे की पहिली पेशी के दिन पेश किए जाने चाहिए (रूल १), और रूल २ के अनुसार जो कागज़ात उस रूल की शर्तो के अनुसार पेश नही किए गए है, उन्हे अदालत बाद मे किसी भी वक्त शहादत मे पेश किये जाने की इजाजत न देगी, जब तक कि उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम न होजाय कि पहिले उनके पेश न किये जाने की कोई माकूल वजह थी। सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी ने इस रूल को बहुत कुछ बदल दिया है, और आर्डर १३, रूल १ और २ के अनुसार, जो सन् १८८२ ई० के जाबता दीवानी की दफा १३८ से भिन्न है, किसी भी ऐसे कागज के लेने की कतई मनाही करदी गई है जो पहिली पेशी के दिन पेश नही किया गया था, जब तक कि उसके उस समय पेश न किये जा सकने का समुचित कारण न बतलाया जाय (देखो 70 I C 278) इस लिये हर एक वकीलको उपरोक्त रूल की शर्तें ध्यान मे रखनी चाहिये, क्योंकि अगर बिना समुचित कारण के फरीकैन् पहिली पेशी की तारीख को वह तमाम कागजी सबूत पेश न कर सके जो वे अपने दावा की सफाई की ताईद मे पेश करना चाहते थे, तो उन्हे इस बात का बिल्कुल अधिकार न रहेगा कि वे उसे बाद मे किसी भी समय पेश कर सके।

आर्डर १३ का रूल १, आर्डर ८ के रूल १८ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमे इस रूल से भिन्न व्यवस्था है और जिसमे यह इजाजत दी गई है कि कुछ कागजात किसी भी समय पेश किये जा सकते है। "पेश करना" शब्द का अर्थ है निगाह के सामने या इत्तला मे लाना, इसका मतलब दाखिल करना नही है। फरीकैन के लिये यह जरूरी है कि वे कागजात अदालत मे अपने साथ लावे लेकिन उन्हे उस समय तक पेश करने की इजाजत नही है जब तक कि वे तलब न किये जाय, देखो। B L. R 120, 10 W R 179, 12 C W N 312; 8C L J 174 अगर कोई कागज (Document) ऐसा है जिसका इन्दराज किसी खत, किताब या दूकानकी किताब अथवा किसी दूसरी हिसाबकी किताब मे है जो उस समय रोजाना काममें लाई जाती है, तो उसकी एक नकल पेश की जानी चाहिए जिसका आर्डर ७, रूल १७ मे बतलाए तरीकेसे मिलान और उसकी तस्दीक किए जायगे [देखो आर्डर१३,रूल५] "पहिली पेशी" का, उस मुकद्दमे मे, जिसमें मुकद्दमेका आखिरी फैसला करनेकी गरजसे समान जारी किया गयाहै,

साधारणतः अर्थ उस तारीख पेशीसे होगा जो उस सम्मनमें दीगई है, और जिस मुकद्दमेमें सम्मन उमूर तनकीहका फैसला करनेके लिए जारी किया गयाहै, उसमें उसका अर्थ होगा वह तारीख जो तनकीहाका फैसला हो जाने के बाद मुकर्रर की गई है।

पहिली पेशीका अर्थ जाननेके लिए देखो 14 A 524 P 526 कलकत्ता हाईकोर्टके एक मुकद्दमेमें यह तय किया गया है कि "पहिली पेशी"का अर्थ है वह तारीख जब पहिले पहल मुकद्दमा विचारके लिए पेश किया गया हो, और वास्तव में उस पर विचार भी किया गया हो वह तारीख नहीं जो मुकद्दमेकी पेशीके लिए मुकर्रर की गई है लेकिन जिस रोज उस पर विचार नहीं किया गया है (देखो 50 I C 296)। अगर इन शब्दोंका यही अर्थ हो तो वास्तवमें इसका अर्थ आखिरी तारीख पेशीसे होगा अर्थात वह दिन जिस दिन मुकद्दमेकी सचमुच समाप्त की जायगी । इस अर्थसे रूल १ और २ की बातें रद हो जाती है, क्योंकि इस रूलका उद्देश्य यह है कि फरीकैनको मजबूर किया जाय कि वे कुल कागजात पहिली पेशी की तारीखको पेश कर दें, वरना वे वापस दिए जायंगे, अगर किसी बादकी तारीखको पेश किये गये। इस रूल का मुख्य उद्देश्य है मुख्तया कागजात पेश करने के छलसे बचाना, जाबतेकी शहादतको छुपा किये जानेसे बचाना नहीं, जैसे सरकारी कागजात या अदालतोंके कागजातकी तरह सरकारी कागजात (Public documents)की तसदीक शुद नकलें । इसलिये ऐसे कागजात शहादतमें लिये जा सकते हैं, अगर वे पहिली पेशीके दिन पेश नहीं किये गये हैं (देखो 23 W R 29, 6 C L J, 621, 12 C W N 312 12 C. W N 31में यद्यपि पहिली पेशीकेवक्त कागजात पेश न करने के लिये कोई भी जायज वजह नहीं दिखलाई जा सकी थी, अदालतने अपने इख्त्यारसे सरकारी कागजात बादको भी कुबूल कर लिये थे । इसे इस बातके लिये प्रमाण न मान लेना चाहिये कि सरकारी कागजात मुकद्दमेकी किसी भी अवस्था में पेश किये जा सकते हैं, फिर चाहे कितनी ही देर क्यों न होगई हो । जैसा कि चीफ जस्टिस मिलरने कहा है "इस मुकद्दमेके सिद्धान्तको जरूरतसे ज्यादा विस्तार न देना चाहिये और यह कि सिर्फ यह बात, कि नालिश दायर होने के बहुत पहिले से वह कागज मौजूद था, इस बातके लिये काफी वजह नहीं है कि बादमें किसी भी समय उसके पेश करने की इजाजत दे दी जाय (देखो 78 C L J 489)"। अदालत को अख्त्यार है कि अगर वह चाहे तो, बाद में किसी भी समय कागजात ले सकती है (देखो 27 C L J 119, 22 C W N 50 P C) लेकिन इस अधिकारका प्रयोग में लाना एक मात्र पहिली पेशीके समय उसके पेश न कर सकने के लिये अच्छी वजह दिखलाने पर निर्भर करता है।

"उनके कब्जे या अधिकारमें" शब्द बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। उपरोक्त रूलें सिर्फ उन्हीं कागजात के फौरन् पेश किये जाने के लिये व्यवस्था की गई है जो असलमें उस फरीकके कब्जे या अधिकार में हों। अगर कागजात उस

फरीक़ के कब्जे या अधिकार मे नही है और इसलिये वे पहिली पेशी के दिन पेश नही किये जा सकते तो अदालतको अधिकार है कि वह उनको बादमे पेश किये जाने के लियेइजाजत दे देवे। वे उस फरीक़के कब्जे या अधिकारमे न समझे जायगे, अगर वे किसी दूसरे मुक़द्दमेमे दाखिल किये गये है पर अगर वे उस अदालतकी मिसिलमे नही है जहा से उनकी नक़ले ली जाती है ऐसी दशामे फरीकैनको चाहिये कि वे उन कागजात की एक सही फेहरिस्त दाखिल करे और अदालतसे यह दरख्वास्त करें कि उन्हें उनके बादमे दाखिल करने की इजाजत दी जावे।

कागजातकी पुश्तके ऊपर कुछ बातोंका लिखा जाना—उन कागजातके ऊपर, जो या तो शहादत मे कुबूल कर लिये गये है या नाक़ाबिल तस्लीम समझकर वापस कर दिये गये हैं, उनकी पुश्त पर अदालतको कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिये और वे किस प्रकार लिखी जानी चाहिये, इस सम्बन्धमे देखो आर्डर १३ के रूल ४ से ७ तक।

अदालतोंकी ओरसे कागजातको अपने कब्जेमें लिया जाना—अदालतको अधिकार है कि, अगर वह माकूल वजह मालूम पडे तो, किसी भी ऐसे कागज या किताबके सम्बन्धमे, जो कि उसके सामने किसी मुक़द्दमेमे पेश किया गया है, यह हुक्म दे देवे कि वह हिफाजतमे रखा जावे और अदालतके किसी भी अफसर की सिपुर्दगीमें उतनी मुद्दतके लिए और उन शर्तों के साथ दे दिया जावे जिसे अदालत मुनासिब समझे [देखो आर्डर १३, रूल ८]

नोट—हर एक वकीलको चाहिये कि वह, कोई कागज दाखिल करने से पहले, यह देख ले कि उसपर काफी स्टाम्प लगा है या नहीं और उसकी तकमील ठीक तौर से कीगई है। अगर उस कागज पर काफी स्टम्प नहीं लगा है तो अदालत उसे उस समय तक न लेगी जब तक कि उसके सम्बन्धमे वह कुल रसूम और तावान, जिसका विधान स्टाम्प ऐक्ट (नं० २ सन १८९९ ई०) मे किया गया है, अदा न करँ दिये जाय।

वर्तमान स्टाम्प ऐक्टके जारी होनेसे पहले लिखे गए दस्तावेज—ऐसे बिना स्टाम्प लगे या नाकाफी स्टाम्प लगे हुये दस्तावेजोंके ऊपर विचार करनेमें, जो इस वर्तमान स्टाम्प ऐक्टके जारी होने के पहिले लिखे गये थे, जो कार्रवाई की जानी चाहिए और जो तावान उस पर लगाया जाना चाहिए, उनके लिए पुराने क़ानूनो के अनुसार नियम नही बनाने चाहिए, जो मंसूख कर दिये गये है, बल्कि नये क़ानूनोंके अनुसार बनाने चाहिये (देखो G R & C O Chap II R 46)

इक़बाल कर लिए गए कागजातका वापस करना—कोई भी शख्स, जो किसी भी ऐसे कागजको वापस लेना चाहेगा जो कुबूल कर लिया गया है और दर्ज कागजात कर लिया गया है, उसके वापस पानेका हक़दार होगा, (क) जहा पर मुक़द्दमा ऐसा हो जिसकी अपील नही हो सकती, जब कि मुक़द्दमा फैसल हो गया है और (ख) जिसमे अपील हो सकती है उसमे उस समय जब अपील का वक्त खतम होगया हो या अगर अपील दायर कीगई है तो अपीलका फैसला

मालूम हो तो, यह तय करे कि उसे उस कागजको पेश किए जाने का हुक्म दे या न दे (देखो G R and. C O Chap III note 1 to 23).

अगर कोई कागज ऐतिहासिक या प्राचीन हो, तो अदालतको चाहिये कि वह उस पर इन्विजबिट नम्बर डाल कर या अपनी अदालतकी मोहर छाप कर उसे खराब होने से बचानेका यथाशक्ति प्रयत्न करे (देखो G L No 6Of 1917, Note 2 to rule 23) जो कागजात हर एक फरीककी ओर से शहादत में कुबूल किये गये हों उनका अफसर इञ्चार्ज रेकर्ड, फार्म न० (M) 171 Vol II G R & C O में एक अलग फेहरिस्त तैयार करेगा और उस पर प्रिजाइडिंग जजके दस्तखत होंगे। इस फेहरिस्त में वे कागजात उसी क्रम से दर्ज किये जायगे जिस क्रम से वे लिये गये हैं और उन पर निशान डाले गये हैं (देखो G R & C O Chap III R 24) (अ) जो कागजात मुद्दई या मुद्दइयानकी ओर से पेश किये गये हैं, उनपर अदालत उसी क्रम से नम्बर डालेगी जिस क्रम से ये स्वीकार किये गये हैं, जैसे१,२,३,४ इत्यादि, और जो कागजात मुद्दाअलेहकी ओर से पेश किये गये हैं उन पर अंग्रेजीके बड़े अक्षर डाल दिये जायगे, जैसे A B C इत्यादि। (ब) जब दो या दो से अधिक लोग मुद्दाअलेह हों, तो पहिले मुद्दाअलेहके कागजात पर A 1, B 1, C 1 इत्यादि निशान डाले जाते हैं और दूसर के कागजात पर A 2, B 2, C 2 इत्यादि निशान (देखो G R & C O Chap III R 25)। जो कागजात दाखिल किये गये हैं, उन्हें अदालत के हाकिमों को खराब नहीं करना चाहिये, सिवाय उसके जिसके लिये कानून उन्हें आज्ञा देता है, अर्थात् उस पर यह लिख देंगे कि अमुक मुकद्दमे में वह पेश किया गया है [देखो G R & C O Chap III Note to rule 25]

जब एकही किस्मके बहुत से कागजात पेश किये गये हों, उदाहरणार्थ लगान की बहुत सी रसीदें, तो उन कुल कागजात के ऊपर एक निशान बड़े अङ्क या अक्षरसे डाला जायगा और मुख्य अङ्क या अक्षरके नीचे एक छोटा अङ्क या अक्षर लिख दिया जायगा और उनके बीचमें एक लकीर खींच दी जायगी ताकि उनमें से हर एक कागज अलग किया जा सके (देखो G R &C O Chap III R 26)।

जब कोई असली कागज, उस पर पहचान के लिये निशान डाल दिये जाने के बाद, वापस कर दिया जाय और आर्डर ७, रूल १७ अथवा आर्डर १३ रूल ५ जाबता दीवानी में बतलाये अनुसार उनकी एक नकल रख ली जाय, तो उस फेहरिस्त में, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूल में किया गया है, यह लिख दिया जायगा कि असली कागज वापस कर दिया गया है (देखो G R & C O, Chap III R 27)।

जब कोई भी सरकारी कागज (जो किसी मुकद्दमे की मिसिल या अदालत की कार्रवाईका कागज नहीं है) अथवा कोई ऐसा कागज, जो सरकारी हिफाजत में है किसी सम्मनकी तामील में अदालत में पेश किया गया हो और जिस शख्सकी मुहाफिजत में वह कागज था वह उसे जल्द से जल्द वापस मांगता हो, तो उस कागजका मुआइना हो जाने या शहादत में उसके पेश हो जानेके बाद

अदालतको चाहिये कि वह उसकी नकल लेकर, जिसकी अदालतको बावत दीवानी के आर्डर १३, रूल ५ (२) के अनुसार जरूरत हो, उसे जहां तक जल्द मुमकिन हो उस अफसरके पास वापस कर दे। इस नकलके तैयार करनेका खर्चा वह शख्स देगा जो उसे शहादत में पेश करना चाहता है (देखो G R & C O Chap III Note to rule 27)। जिस कागजको मुकदमे के किसी फरीक ने पेश किया हो लेकिन वह शहादत में दाखिल न किया गया हो, वह मुकदमा खतम होने पर उस शख्सको, जिसने उसे पेश किया है, अथवा उसके वकील को वापस कर दिया जायगा। वकील इस बात के लिये बाध्य है कि वह उन कागजात को वापस ले जिन्हें उसके मवक्किलने दाखिल किया हो और जिन्हें वापस किये जाने के लिए अदालत ने इस रूलके अनुसार, हुक्म दे दिया हो, और उनके लिये फेहरिस्तके मुताबिक खाने में रसीद लिख दे (देखो G. R. & C. O Chap III R. 28 A)

(क) अगर कोई बाहरी आदमी, जो मुकदमे में फरीक नहीं है, सम्मन की पाबन्दी करते हुये अदालत में कोई कागज दाखिल करे, तो उसे वह पता लिख देना होगा जिस पते से वह कागज वापस किया जाना चाहिये, अगर वह उसे खुद आकर नहीं ले लेता।

(ख) अगर कोई कागज शहादत में पेश न किया जाय या कुबूल न किया जाय, तो वह उस शख्सको, जिसने उसे पेश किया है, असालतन या बजरिये रजिस्टरीशुदा डाकके फौरन् वापस कर दिया जायगा।

(ग) अगर कोई कागज शहादत में, कुबूल कर लिया जाय तो उसकी एक तस्दीकशुदा नकल मिसिल में नत्थी करदी जानी चाहिये। इसके बाद वह असली कागज, असालतन या बजरिये रजिस्टर्ड डाकके, उस शख्सको वापस कर दिया जायगा जिसने उसे पेश किया है, जब तकयि उस कागजकी असलियतके बारेमें कोई झगड़ा न हो, जिस दशामें असल कापी मुकद्दमा फैसल हो जाने के बाद वापस की जायगी, अगर अदालतने इसके लिये कोई और हुक्म न दे दिया हो, अथवा अगर मुकद्दमेकी अपीलके लिये इजाजत दी गई है तो अपीलके लिये काफी मौका देने के बाद वापस किया जायगा, या अगर अपील दायर की जा चुकी है तो उस अपीलका फैसला हो जाने के बाद वापस किया जायगा।

(घ) अगर कागजात, जो पेश किए गये हैं बहुत ज्यादा हैं, जैसे हिसाब की बहियां, या जमींदारी के कागजात, जो सुविधा के साथ रजिस्टर्ड डाक से वापस नहीं किए जा सकते, तो जिस शख्स ने उन्हें दाखिल किया है उसे, अगर वे कागजात उसे फौरन् वापस नहीं कर दिए गए हैं तो, रजिस्टर्ड डाक से यह सूचना दी जायगी कि वह किसी भी समय उन्हें ले जा सकता है, और यह कि उसे मुताबिक सफर खर्च वगैरा दिया जायगा। यही कार्रवाई उस समय भी की जायगी जब कागजात दाखिल करने वाले शख्स ने यह तहरीर लिख दी हो कि कागजात बड़े कीमती हैं और वह उन्हें खुद आकर ले जायगा।

(ङ) अगर कागजात दाखिल करने वाले शख्सके कोई ऐसा वकील या मुख्तार है जिसे कागजात वापस लेने का अख्त्यार है, तो वे कागजात उसी वकील या मुख्तार को वापस कर दिए जायंगे, जब तककि उस शख्सने कागजात दाखिल करते समय लिखकर यह इजहार न कर दिया हो कि वे असालतन या रजिस्टर्ड डाक से उसी को वापस दिए जाय।

(च) मुकद्दमेके किसी फरीककी ओर से उपरोक्त उप नियम (क) मे बतलाए हुए किसी कागज के तलब किए जाने के पहिले उस फरीक को उसमे होने वाला खर्चा जमा कर देना होगा, जिसमे रजिस्टर्ड डाक से उस कागज की वापसी का खर्च, उप नियम (ग) के अनुसार तस्दीक शुद नकल तैयार करने का खर्च और उप नियम (घ) की दशा मे उस शख्स के सफर का खर्च शामिल है जिसने कागजात दाखिल किए हों। उप नियम (घ) मे बतलाई हुई अवस्था मे सफर खर्च मय उस रजिस्टर्ड खत के, जिसका उल्लेख किया गया है, उस शख्स को दे दिया जायगा जिसने कागज दाखिल किया हो (देखो G. R & C O Chap III R 30-Rule No 6 of 1924)

ये नियम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दफा १२२ के अनुसार तय किए है—आर्डर १३ के साथ रूल १२ और १३ और जोड़ दिए गए हैं।

गवाहों का तलब किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशी का बढ़ाया जाना

गवाहों का तलब करना—मुकद्दमा दायर किए जाने के बाद किसी भी समय फरीकैन, शहादत देने के लिए या कागजात पेश करने के लिए गवाहों की हाजिरी के वास्ते सम्मन जारी किए जाने के लिये दरख्वास्त दे सकते है (देखो आर्डर १६, रूल १)

सम्मन जारी करने की दरख्वास्त हमेशा जहा तक जल्द मुमकिन हो दी जानी चाहिये। इसमें सन्देह नही कि किसी मुकद्दमे के फरीकको मुकद्दमेका आखिरी फैसला होने के पहले किसी भी समय अपने गवाहो के नाम सम्मन जारी कराने का अधिकार है, लेकिन अदालत को यह अधिकार है कि वह गवाहों के हाजिर न हो सकने की वजह से मुकद्दमे की पेशी बढ़ाने से इन्कार कर दे जो जायज होगी, अगर सम्मन जारी करने के लिये मुनासिब वक्त के अन्दर दरख्वास्त नही दी गई है, देखो 16 A 218, 15 B 86, 20 C 740, 63 I C 736, 8 I C 418 उस समय भी सम्मन जारी करने से इन्कार करदी जा सकती है जब दरख्वास्त ठीक तौर से न दी गई हो (देखो 28 M 28) या जब उस दरख्वास्त का मशा न्याय मे बाधा पहुँचाने का हो। (देखो 4 I.C. 797)

सम्मन जारी होने के पहले गवाहों के सफ़र वगैरह का ख़र्च अदालत में एक मुनासिब मियाद के अन्दर दाख़िल कर दिया जाना चाहिये, जो मियाद अदालत तय करेगी। अदालत को अधिकार है कि वह किसी Expert (वह शख्स जो किसी के दस्तखत या निशान अंगूठाकी पहचान करता है) को मुनासिब मुआविज़ा उसकी मेहनत का दिया देवे (देखो आर्डर १६, रूल २, आर्डर ४८ रूल १)। भिन्न भिन्न प्रान्तों की हाईकोर्टों ने भिन्न भिन्न श्रेणियोंके गवाहोंके लिए ख़र्चकी भिन्न भिन्न क़िस्में मुकर्रर्की हैं और इसलिए जो रुपया जमा किया जावे वह इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अनुसार ही जमा किया जाना चाहिये [देखो आर्डर १६, रूल २] इस तरह पर जमा किया हुआ रुपया सम्मन की तामील के वक्त गवाह को अदा कर दिया जायगा (देखो आर्डर १६ रूल ३)

जब कोई सिविल सरकारी अफसर या किसी स्थानीय अधिकारी वर्ग का नौकर या किसी रेलवे कम्पनी का नौकर शहादत में तलब किए जानेको हो, तो सम्मन उस मोहकमके आला अफ़सरके मारफ़त जारी किया जायगा जिस मोहकमे में वह गवाह काम करता है (देखो आर्डर ५ रूल २७)। अगर कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जाय, तो सम्मन की एक नकल उसके अफ़सर के पास भी उसकी जानकारी के लिए भेज दी जानी चाहिये [देखो Cal H C C O No 1 of 17 1 1883] जब कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जावे तो वह अपनी तनख्वाह पाने का हकदार नहीं है, देखो 38 C L J 149 कलकत्तामें आर्डर १६, रूल २ (१) के साथ नीचे लिखी शर्त जोड़ दी गई है —"लेकिन शर्त यह है कि जब कोई सरकारी नौकर सरकार की ओर से तलब किया जावे तो इस रूलके अनुसार अदालत को उसके सफ़र वगैराका खर्च अदा करने की जरूरत न होगी" और यह शर्त, आगे लिखी दूसरी शर्त आर्डर १६, रूल ३, के साथ, जोड़ दी गई है लेकिन शर्त यह है कि इस रूल के अनुसार उस सरकारी नौकर को रुपया न दिया जायगा जिसकी माहवारी तनख्वाह १०) रुपये से अधिक होगी या जिसका हेडक्वार्टर अदालत से ५ मील से अधिक फासले पर वाक़ हो, जब कि वे किसी ऐसे मामले में, जिसमें सरकार मुद्दई या मुद्दाअलेह है, ब हैसियत सरकारी नौकर के तलब किए गए हों।"

तलबी के सम्मन के साथ साथ या ऐसे वक्त के अन्दर, जिस में तामील की जा सके, तलबाना और सम्मनके लिये दी गई दरख्वास्त भी दाख़िल कर दिये जाने चाहिये, नहीं तो सम्मन जारी न किया जायगा। अक्सर सम्मन पेश करने में बड़ी ढिलाई की जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि पेशी की तारीख़ को यह देखा जाता है कि मुद्दई-मुद्दाअलेह सम्मन तामील न हो सकने के कारण हाजिर नहीं हो सके। इस के कारण इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि पेशी की तारीख़ को एक दूसरी दरख्वास्त दी जाय जिसमें इस बात की माकूल वजह दिखलाई जावे कि सम्मन हुक्मनामा जारी करके क्यों तामील किया जावे और अगर वह दरख्वास्त मंजूर करली जायगी तो सारी कार्रवाई

मुल्तवी कर दी जायगी। लेकिन अदालत को अधिकारहै कि वह सम्मन तामील करने मे गफलत होने की वजह से पेशी की तारीख बढ़ाने के लिये दी गई दरख्वास्त को ना मजूर कर दे। अगर सम्मन और तलबाना पेशी की तारीख से थोड़े ही दिन पहिले दाखिल किये गये हों तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीककी जिम्मेदारीपर जारी किया गया है और पेशीकी तारीख फिर बढाई न जायगी (देखो 1 Pat L J 173) जब कोई गवाह किसी खास कागज के पेश करने के लिये तलब किया गया हो, तो सम्मन मे इस का साफ तौर से और सही सही हवाला होगा (देखो आर्डर १६ रूल ५) ताकि गवाह को यह मालूम हो जाय कि कौनसा कागज तलब किया गया है। ऐसा हुक्म जारी करना कि अमुक मामले से सम्बन्ध रखने वाली कुल चिट्ठया या कुल कागजात पेश किये जाने चाहिये, बिलकुल वाहियात होगा।

अगर कोई शख्स अदालत में हाजिर है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उसे वही पर उसी समय शहादत देने या वे कागजात पेश करने का हुक्म देदेवे जो उस समय वहा पर उस के पास मौजूद हों (देखो आर्डर १६ रूल ७)।

सम्मनकी खिलाफ वर्जी—जब जान बूझ कर किसी सम्मनके हुक्मकी तामील न कीगई हो या तामील बचाई गई हो तो अदालतको अधिकार होगाकि वह उसकी हाजिरी के लिये इश्तहार जारी करे और साथही गवाहकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या गैर जमानती वारण्ट जारी करे तथा उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उसकी जायदाद की कुर्की के लिये भी हुक्म देदे जो कुर्की के खर्चे और उस जुर्माने के रुपये से ज़ायद न हो जो कि उसपर लगाया जावे (देखो आर्डर १६ रूल १०)।

किसी गवाह की हाजिरी के वास्ते ये कार्रवाइयां किये जाने के लिये दरख्वास्त देने का काम उस शख्स का है जो उस शख्स की शहादत चाहता है, अदालत का यह काम नही है (देखो 11 W R 99, 13 W R 324) जब ऐसा आदमी हाजिर न हो या हाजिर तो हो पर अपने पहिले हाजिर न हो सकने की कोई कानूनी वजह न दिखला सके, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उस पर जुर्माना, जो ५००) रु० से अधिक न हो, करदे और उस जुर्माने को उसकी जायदाद की कुर्की या नीलाम से वसूल करे [देखो आर्डर १६ रूल १२]।

रूल ११ में ऐसे मामले के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिसमे अदालत को उस शख्स ने यह इतमीनान करा दिया हो कि हुक्म की तामील न कर सकने में उसका कोई खास इरादा ऐसा न कर सकने का नहीं था। रूल १२ उस दशा में लागू होता है जब कि वह इस बात का इतमीनान न दिला सके कि वह जवाबदेही के लिये हाजिर हो रहा है या नहीं। लेकिन दोनों हालतों मे, चाहे बात रूल ११ में आती हो या रूल १२ मे, अदालत जायदाद कुर्क हो जाने के बाद

कार्रवाई कर सकती है, देखो 31 C L J 363, 57 I C 302 (C) और 55 I C 425 (C)

अगर मुद्दई या मुद्दाअलेह को इस बात का भय हो कि जो गवाह उसने पेश किया है और जो पहिली पेशी को हाजिर हो गया है वह बाद मे बढाई जाने वाली किसी पेशी के रोज हाजिर न होगा, तो वह अदालत से इस बात की दरख्वास्त कर सकता है कि दूसरी पेशी पर हाजिर होने के लिए उससे जमानत या मुचलका ले लिया जाय (देखो आर्डर १६, रूल १६)।

किसी भी गवाह के असालतन हाजिर होने के लिये उस समय तक हुकम नही दिया जायगा, जब तक कि वह शख्स अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर न रहता हो या, अगर उस सीमा के बाहर भी रहता हो तो, ५० मील से कम की दूरी पर या (जहा पर रेलवे, स्टीमर या ऐसी ही कोई दूसरी सवारी हो) २०० मील से कम फासले पर न रहता हो (देखो आर्डर १६, रूल १९)।

जब किसी मुकद्दमे का कोई फरीक, जो अदालत मे हाजिर है, बिना किसी जायज वजह के शहादत देने या किसी ऐसे कागज को पेश करने से, जो उस समय उसके पास मौजूद है, इन्कार करता हो, तो अदालत को अधिकार है कि वह उसके खिलाफ अपना फैसला सुना दे (देखो आर्डर १६ रूल २०)। जो नियम उन गवाहों के सम्बन्ध मे लागू होते है जो शहादत देने या कागजात पेश करने के लिए तलब किये गए हों, वे ही नियम मुकद्दमे के फरीकैन के सम्बन्ध में लागू होते हैं (देखो आर्डर १६ रूल २१)।

पेशी की तारीखों का बढाया जाना—काफी वजह दिखलाने पर अदालत किसी भी समय एक समय से दूसरे समय के लिए मुकद्दमे की पेशी की तारीख बढ़ा सकती है। पेशी बढ़ाने से जो खर्चे पैदा होजाय उनके सम्बन्ध मे अदालत जैसा उचित समझे नियम बनावेगी। जब शहादत का लिया जाना एक बार शुरू हो जायगा तो वह, जब तक कि अदालत किसी कारण से, जो लिख दिए जायग, पेशी की तारीख का बढाया जाना जरूरी न समझ ले, हर रोज बराबर जारी रहेगा [देखो आर्डर १७ रूल १]।

फरीकैन या उनके वकीलों को चाहिए कि जब वे मुकद्दमे की तारीख बढ़ाए जाने के लिए दरख्वास्त दें तो उसमें उन वजहों को दिखलावें जिन पर वे पेशी की तारीख बढवाना चाहते है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी दरख्वास्त की ताईद मे हलफनामें या किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनरके सार्टीफिकेट पेश करने होंगे। मुकद्दमें की तारीख बढ़ाना या न बढ़ाना अदालतकी मर्जी पर है, फरीकैन अपनी इच्छा से तारीख नही बढ़वा सकते (देखो 10 I C 748)

"काफी वजह,, क्या है यह बात हर एक मुकद्दमे की हालत पर निर्भर करती है। अदालत को उन खर्चों के सम्बन्ध मे पूरा अख्त्यार रहता है जो मुकद्दमे की तारीख बढ़ाये जाने के कारण पैदा हुये हों। वह तारीख बढ़ाने की बात को ना मंजूर कर सकती है, जब तक कि दूसरे फरीक को फौरन् ही खर्चा

अदा न कर दिया जाय। वह यह भी कर सकती है कि मुकद्दमें की बढ़ाई हुई तारीख के सम्बन्ध में यह शर्त लगा दे कि वह उस तारीख के पहिले खर्चा अदा कर देने पर ही मुकद्दमे की समाअत करेगी और अगर खर्चा अदा न किया जाय तो वह मुकद्दमा खारिज कर सकती है (देखो 36 C 566, 13 C W N 525; 49 I C 272, 14 C W N 40 n)

जब किसी फरीकने मुकद्दमे की तारीख से केवल दो रोज ही पहिले तलबाना जमा किया हो, तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीक की जिम्मेदारी पर ही जारी किया गया है और ऐसी दशा में मुकद्दमेकी पेशी बढ़ाई न जा सकेगी, देखो । Pat L J 173

जब मुकद्दमे की बढ़ाई हुई तारीख को दोनों फरीकैन या उनमें से कोई एक हाजिर न होसके या शहादत पेश न कर सके अथवा कोई दूसरा ऐसा काम पूरा न कर सके जिसके लिये तारीख बढ़ाई गई थी, तो अदालत को अख्त्यार होगा कि वह आर्डर ९ के साथ पढ़े गए आर्डर १७ रूल २, ३ के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दे।

पेशी बढ़ाये जाने के जिस खर्चे के लिये आर्डर १७ रूल १ (२) में यह हुक्म दिया गया है कि उसे अमुक (फलां) फरीक अदा करे वह उन कामों से बाहर न खर्च किया जाना चाहिये जिन में खर्च किये जाने का उनका मंशा था अर्थात् दूसरे फरीक के उस खर्चे को भरने में खर्च किया जाय जो मुकद्दमें की तारीख बढ़ाये जाने के कारण उसे उठाना पड़ा हो। किसी फरीक या किसी उसके मुख्तार मजाज द्वारा की गई अदायगी या वसूली रकम की बात मुकद्दमें की मिसिल में दर्ज करदी जानी चाहिये (देखो G R & C O Chap VI R 3) जब कि अदालतों को हर एक मुकद्दमे में अपने अख्त्यार बर्तने का पूरा पूरा अधिकार है, हाईकोर्ट की राय यह है कि अगर कोई खास बात नहीं है तो, और जब जो रुपया दिलाया गया है वह सिर्फ थोड़ा सा ही रुपया है तो, यह उचित है कि जो फरीक मुकद्दमें की तारीख बढ़ाना चाहता है वह अपने मुखालिफ फरीक को उन तमाम बातों के लिये मुआविजा देने के लिये तैयार हो जाय, जो उस पेशी के बढ़ाये जाने के कारण पैदा हुई हैं, और यह कि अदालत का इस शर्त पर मुकद्दमें की पेशी बढ़ाना बिल्कुल ही उचित होगा कि रुपया वहीं अदा कर दिया जाय।

मुकद्दमेंकी पेशी और गवाहोंके बयान लिए जाना

मुकद्दमें का आरम्भ और शहादत का पेश किया जाना—जिस तारीख को वाकई मुकद्दमेकी समाअत शुरू होनेको हो उस तारीखको उस शख्सके वकीलको, जिसे मुकद्दमा शुरू करने का हक है, चाहिए कि वह मुकद्दमे की कार्रवाई शुरू करे, अर्थात यह कि वह संक्षेप में वे तमाम जरूरी जरूरी बातें बतला दे जिनसे उसकी बिनाय मुखासमत दावा या सफाई, जैसा कुछ हो, पैदा होती है। इसे उस शहा-

दत का भी साराश बतला देना चाहिए जिससे वह अपने दावा की मजबूती करना चाहता है। उसे आरम्भ में कोई भी ऐसी बात न बतलानी चाहिए जिसको वह समझता हो कि वह साबित नही कर सकेगा। चूंकि मुकद्दमे का आरम्भ करने वाले फरीक को इतना लाभ रहता है कि मुकद्दमे की कुल शहादत गुजर जाने पर वह आमतौर पर कुल मामले के सम्बन्ध मे जवाब दे सकता है, इसलिए उसे इसबात की कोशिश नही करनी चाहिए कि वह आरम्भ में ही सारी बातें बयान कर दे। उसे अखीर म जवाब देने का जो हक रहता है उससे उसे इस बात का मौका मिल जाता है कि वह अपने विरोधी पक्ष की शहादत कितनी जोर-दार है, इस बात का अनुमान कर सके, और उसे इसबात मे मदद देता है कि वह अपने विरोधी पक्ष के मुकद्दमे की कमजोर बातो की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कर सके।

मुकद्दमा आरम्भ हो जाने के बाद, जिस फरीक ने मुकद्दमा शुरू किया है उसे चाहिए कि वह अपना तमाम सुबूत, जबानी हो या कागजी, उन बातों की ताईद मे पेश करे जिनके साबित करने का बार उसके ऊपर है।

दूसरे फरीक को (अर्थात् वह शख्स जिसने मुकद्दमा शुरू नही किया है) चाहिए कि उसी तरह से अपना मुकद्दमा पेश करे और कुल मुकद्दमे के ऊपर बहस करे।

- इसके बाद मुकद्दमा शुरू करने वाले फरीक को हक है कि वह कुल मुकद्दमे के सम्बन्ध मे अपना आखिरी जवाब दे देवे [देखो आर्डर १८, रूल २]

आमतौर पर मुकद्दमे के आरम्भ करने का हक मुद्दई को होता है, मुद्दा अलेह को सिर्फ उसी दशा मे मुकद्दमा शुरू करने का हक है जब उसने मुद्दई के दावा को स्वीकार कर लिया हो और उसका यह कहना हो कि कानूनी बिना पर या किसी दूसरी बिना पर मुद्दई उस दादरसी के किसी भी हिस्से के लिए हकदार नहीं है जिसके लिए वह दावेदार है (देखो आर्डर १८, रूल १)। "आरम्भ करने का हक" का अर्थ है मुकद्दमे के शुरू करने का अधिकार। जो सिद्धान्त इस प्रश्न के सम्बन्ध मे लागू होते है कि, "आरम्भ करने का हक" किसे हासिल है या यह किसका कर्तव्य है, उनका प्रयोग बहुत ही कठिन है। पहिला तो नियम यह है कि, जिस शख्स के ऊपर मुकद्दमे के सुबूत का बार हो वही उस मुकद्दमे को शुरू करे (देखो Taylor on Evidence Vol I P 293) कानून शहादत की १०१ से ११२ तक की दफाएं बार सुबूत के सम्बन्ध मे है। मुकद्दमे का बार सुबूत उस शख्स पर होता है, जिसका मामला नाकामयाब हो जाने की सम्भावना हो, अगर किसी ओर से कोई भी शहादत न गुजरे (देखो कानून शहादत की दफा १०२) अगर किसी दावा का कोई जुज हो इकबाल (स्वीकार) किया जाय तो उस दशा मे मुकद्दमे का आरम्भ करने का हक नहीं

पेश करे कि प्राङ्न्याय (resjudicata) के सिद्धान्तानुसार मुकद्दमा आरिज मियाद होगया है, तो मुकद्दमें केआरम्भ करने का हक उसका होगा (देखो 12 B 454)। उस शख्स के लिए, जिसका मुकदमा जोरदार है और जिसके पास अच्छी शहादत भी है, मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक एक और बडी भारी और प्रत्यक्ष सहायता है, क्योंकि उस हालत मे वह न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) के दिमाग मे पहिले से अपनी सारी बातें जमा दे सकता है, और अगर शहादत फरीक् सानी की ओर से पेश करदी गई, तो इससे उसे जवाब देने का हक मिलता है और इस तरह पर वह अपनी अन्तिम बात उस न्यायाधीश के कानों तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर किसी फरीक् का मुकद्दमा कमजोर हो, अगर उसके पास बिल्कुल मामूली शहादत है या बिल्कुल कोई शहादत नही है, जो वह उसके सुबूत मे पेश करे, और वह, अगर मुद्दाअलेह हैं तो अदालत मे इस आशा से जाता है कि शायद मुद्दई का दावा अदम पैरवी मे खारिज हो जाय, या यह कि शायद फरीक् सानी का मुकद्दमा अपनी ही कमजोरियो से गिर जाय, या उसे इस बात का विश्वास है कि वह जूरी को समझा लेगा, तो यह सम्भव है कि उसका मुकद्दमे का आरम्भ करना उसके मुकद्दमे के लिए घातक सिद्ध हो।

जब एक से अधिक बातें साबित करने को हों, और उनमे से किसी एक के साबित करने का भार दूसरे फरीक पर हो, तो मुकद्दमा आरम्भ करने वाले फरीक् को अधिकार होगा कि वह (क) या तो उन बातों के सम्बन्ध मे स्वय शहादत पेश करे या (ख) दूसरे फरीक् की ओर से पेश की जाने वाली शहादत का जवाब देने के लिए उसे रख छोडे (देखो आर्डर १८, रूल ३)

कभी कभी एक अथवा अधिक बातों के सुबूत करने का भार मुद्दई के ऊपर होता है और बाकियों के सुबूत करने का भार मुद्दाअलेह के ऊपर। ऐसी दशा में मुद्दई को अधिकार है कि वह या तो सारे मामले के ऊपर पहिलेही कार्रवाई कर दे या सिर्फ उतनी ही बातों के सम्बन्ध मे सुबूत पेश करे जिनके लिए वह स्वय बाध्य है, और अपने विरोधी पक्षवाले की बातों का खण्डन करने का अपना अधिकार रख छोडे, अगर कहीं वह उन बातों के समर्थन मे, जिनको साबित करने का भार उसपर है, कोई बात जाहिरा मे पेश करना चाहता हो। आमतौर पर यह अखीर मे बतलाया हुआ तरीका ही अख्त्यार किया जाता है, और अगर इसका अनुकरण किया गया, तो मुद्दाअलेह को मुद्दई की हरएक नई शहादत पर जवाब देने का अधिकार होगा और मुद्दई कुल मुकद्दमे के सम्बन्ध मे जवाब देने का हकदार होगा। लेकिन अगर शुरू में मुद्दई मुद्दाअलेह के मुकद्दमे को रद करने की गरज से कोई शहादत तलब करना चाहता है, तो उसे जवाब के तौर पर आगे और शहादत पेश करने की इजाजत न दी जा सकेगी। दूसरे शब्दो मे, वह अपने मुकद्दमे की सारी बाते फिर खोलकर उनका स्पष्टी-करण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी मुद्दई को ऐसा अधिकार दे

दिया जाय, तो सम्भव है कि मुद्दाअलेह भी इसके लिये दावा करे, जिसका नतीजा यह हो कि मुकद्दमे की सारी कार्रवाई किसी अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित हो जाय (देखो Taylor on Evidence 10th Ed Vol I. p 298)

गवाहों के बयान लिए जाना—मुकद्दमा शुरू हो जाने के बाद फरीकैन अपने अपने गवाह तलब करेंगे और खुली अदालत मे उनके जबानी बयान लिए जायगे [देखो आर्डर १८, रूल ४)

यह अदालत का काम नही है कि वह तय करे कि किन किन गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए। फरीकैन को चाहिए कि वे अपने अपने गवाहों का चुनाव स्वय करें और अदालत से सिर्फ उन लोगों के बयान लेने की दरख्वास्त करे जिन्हें वे इस काम के लिए पेश करें। हर एक फरीक को अख्त्यार है कि वह मुकद्दमे के वक्त बयान लिए जाने के लिए गवाहों को तैयार रखे, देखो 8 W R 231, 18 W R 185, 8 W R 304, 8 W R 505, 17 W R 172, 9 B 146 किसीका नाम गवाहोंकी उस फेहरिस्तमे नहीं लिखा गया था जो अदालत मे पेश की गई थी, इस बात की कोई वजह नहीं है कि उसका बयान बाद मे क्यो न लिया जावे, देखो 12 W R 455 इसके लिए साधारणत नियम यह है कि उसके बयान लेने के लिए एक दरख्वास्त दी जाय।

खुली अदालत मे बयान लिए जाने के बदले गवाहों के बयान "कमीशन" के जरिये भी लिए जा सकते हैं और किसी भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी मुकद्दमे मे किसी ऐसे शख्स के बयान लेने के लिए "कमीशन" जारी कर दे जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है और जो इस जाबता के अनुसार अदालत में हाजिर होने से मुस्तसना कर दिया गया है या जो बीमारी या कमजोरी की वजह से अदालत म हाजिर हो सकने के काबिल नही है, (देखो आर्डर २६, रूल १) किन किन लोगो के बयान लेने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है, इस सम्बन्ध मे देखो आर्डर २६, रूल ४ और ५

गवाहों के पेश किए जाने और बयान लिए जाने का हुक्म—उस कानून के अनुसार दिया जायगा जो क्रमश जाबता दीवानी और फौजदारी के सम्बन्ध में उस समय प्रचलित हो, और अगर ऐसा कोई कानून न हो तो अदालत की मर्जी से (देखो कानून शहादतकी दफा १३५)। साधारणतया यह बात वकील की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपने गवाहों के बयान लिए जाने के क्रम को निश्चित कर दे, लेकिन कानून शहादत की दफा १३५ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह उस क्रम को निश्चित कर दे जिस क्रम मे किसी फरीक के गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए, देखो 10 C W N 265, 37 Cal 245

अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा—अदालत अपनी इच्छा से या किसी फरीक के हुक्म देने पर तमाम गवाहों को, सिवाय उस शख्स के जिसका बयान लिया जा रहा है, अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे सकती है। कहा जाता है कि यह नियम अदालत में उपस्थित फरीक़ैन या मुकदमे में लगे हुए वकीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। जो गवाह इस हुक्म को न मानेगा, उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने अदालत की तौहीन की, लेकिन इस बिना के ऊपर जज उसके बयान लेने से इन्कार नहीं कर सकता, यद्यपि जूरी के सामने इसपर यह रिमार्क दिया जा सकता है, देखो Best on Evidence sec 636

हलफ और इकबाल—कानून हलफ (Oaths Act) (नं० १० सन् १८७३ ई०) की दफा ६ में यह खासतौर पर बतला दिया गया है कि कोई भी शख्स बहैसियत गवाह के किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता, सिवाय हलफ या इकरार सालेह के ऊपर, देखो 10 All 307; 11 All 183

हलफ या इकरार सालेह के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो फार्म मुकर्रर किया है, उसके सम्बन्ध में देखो G. R & C O. Ch I P 61

कौन से गवाह काबिल शहादत लिए जाने के हैं और कौनसे नहीं, इस के लिए देखो कानून शहादत की दफा ११८। गवाहों को गुप्त पत्र व्यवहार व्यापारिक पत्र-व्यवहार, कागजात वगैरा दिखलाने के सम्बन्ध में क्या अधिकार है इस सम्बन्ध में देखो M C Sarkar's Evidence Act, 2 nd Ed SS 122-132 (pp 1002—1139)

गवाहों की हाजिरी का रखना—(१) फरीक़ैन को नाजिर के पास उन गवाहों की एक फेहरिस्त (जो आमतौर पर अदालत की भाषा में "हाजिरा" कहलाती है) दाखिल करनी होगी जो उनकी ओर से शहादत देने के लिए हाजिर हैं। नाजिर या नायब-नाजिर उन फेहरिस्तों की तस्दीक कर लेने और उनपर अपने दस्तखत कर देने के बाद उन्हें उस अदालत के बेन्च क्लर्क के पास भेज देगा जिसकी इजलास में मुकदमा हो रहा है। अदालत के प्रिजाइडिंग अफसर गवाहों की इन फेहरिस्तों के दाखिल करने के लिए कोई न कोई समय नियत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहां पर एक से अधिक इजलासें हों, वहां पर सीनियर अफसर ही यह वक्त मुकर्रर करेगा।

(२) अगर कोई नया आदमी, जिसका नाम उस फेहरिस्त में नहीं है जो नाजिर ने अदालत के पास भेजी है, शहादत में पेश किया जाय, तो केवल इस कारण से कि उसका नाम फेहरिस्त में नहीं है, वह शहादत देने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी शख्स को उसकी उस दिन की हाजिरी का खर्चा न दिलाया जायगा, जिसका न तो उस फेहरिस्त में नाम है और न दफाई उसके बयान लिए गए हैं।

उपरोक्त नियम से गवाहों की इस जुम्मेदारी पर कोई असर नहीं पडता कि, उन्हें हर रोज अदालत में उस समय हाजिर रहना चाहिए जिस समय के लिए वे तलब किए गये हैं (देखो G R & C O Chap I Rule 5)

शहादत लिखने का तरीका—देखो आर्डर १८ के रूल ५ से १४ तक। अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से या दरख्वास्त देने पर, अगर कोई खास कारण हो तो, किसी खास सवाल और जवाब या किसी उज्रदारी को लिख ले (देखो रूल१०)। जब किसी ऐसे सवालपर जो पूछा गया है कोई एतराज किया गया हो और अदालत ने उसके पूछे जाने की इजाजत देदी हो, तो वह उस सवाल को, उसका जवाब, उस उज्र (एतराज) और उस शख्स के नाम को लिख लेगी जिसने वह उज्र किया है, मय उस फैसले के जो अदालत ने उस पर दिया है (देखो रूल ११)। गवाहो आचरण और ढंग के सम्बन्ध मे अदालत जैसे आवश्यक समझे रिमार्क लिख सकती है (देखो रूल १२)। दूसरे जजके सामने ली गई शहादत के ऊपर विचार करने सम्बन्धी अधिकारके बारे मे देखो रूल१५। उसकी आयन्दा वक्त के ख्याल से किसी शहादत के लेने (de ben esse examination) के सम्बन्ध मे देखो रूल १६। गवाहों के फिर तलब किये जाने के सम्बन्ध में देखो रूल १७।

कागजी शहादत—जो कागजात गवाहों द्वारा साबित किये जाने को है और जो उनके बयान के दौरान में सुबूत होगये हैं, उन पर उसी क्रम से इन्डिजिट नम्बर डाल दिया जाता है जिस क्रम से वे पेश किये गये हैं। वकील को चाहिये कि अपने गवाहोंके बयान खतम होजाने के बाद, तमाम ऐसे कागजात पेश करदे जिन्हें वह अपने मुकदमे के सुबूत में पेश करना चाहता है और जो बिना किसी सुबूत के कानून शहादत हिन्द या किसी दूसरे कानूनके अनुसार काबिल तस्लीम हैं। उदाहरणार्थ, रोवट, डिकरियोंकी तस्दीक शुद नकलें इत्यादि, ३० (तीस) साल पुराने कागजात इत्यादि इत्यादि। हर एक ऐसा कागज, जो शहादतमें कुबूल कर लिया गया है, या उसकी नकल, जब कि आर्डर १३ रूल ५ के अनुसार असल के बजाय उसकी एक नक्ल ही नत्थी कर दी गई हो, उस मुकदमे की मिसिल में शामिल कर दिया जायगा। जो कागजात शहादत में लिए नहीं गए है, वे मिसिल में शामिल नहीं किये जायगे और उन उन लोगो को वापस कर दिये जायगे जिन जिन लोगों ने उन्हें पेश किया है (देखो आर्डर १३ रूल ७)। वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कागजात जज ने खारिज (नामंजूर) कर दिए हैं उनकी पुश्त (पीठ) के ऊपर उसने आर्डर १३ रूल ६ में बतलाए अनुसार सब बातें लिख दी हैं या नहीं, ताकि इस पेश किए जाने और खारिज किये जानेकी बातका उल्लेख अदालत अपीलमे किया जा सके। अमूमन् इस आशय की एक दरख्वास्त दे दी जाती है कि कागजात पेश किए गए हैं। किसी कागज के काबिल तस्लीम होनेके सम्बन्ध मे किया जाने वाला कोई भी उज्र उस समय कुबूल किया जा सकता है जिस समय मुखालिफ फरीक ने उसे पेश किया हो (देखो 9 C W N 111), मातहत अदालत द्वारा कागजों और दस्तावेजों का

लिया जाना, जब तक कि उसी समय पर उज्रदारी पेश न करदी गई हो, खास अपीलके बिना नही हो सकती (देखो 11 W R 165, 36 C 833. P C)। किसी कागज की किसी ऐसी नकल के काबिल तसलीम होने के सम्बन्ध में कोई भी उज्रदारी अदालत अपीलमें कुबूल न की जायगी जो नीचे की अदालत में बिना किसी उज्रके ले ली गई थी (देखो 9 C 666, 670, 31 C 155, 158, 19 A 76 P C 23 C 335 338, 8 C W N 101)। गलती से किसी ऐसी शहादतके ऊपर उज्र न करने से जो कि कानून शहादतके अनुसार नाकाबिल तसलीम है, वह शहादत काबिल तसलीम नही हो जाती, देखो 19 A 76 P C, 40 C L J 39, 34 C L J 107, 35 C L J 473)। कोई भी मुद्दई, जो किसी कागज को दाखिल कर रहा हो, उसके नाकाबिल तसलीम होने की निस्बत कोई उज्र नही कर सकता (देखो 24Mad 427)। अगर किसी कागज के पेश करते समय ही, जिस के सबूत की जरूरत है, अदालतें फरीकसानी से यह दर्याफ्त कर लिया करे कि यह उसे बिना बाजाबता सुबूत के कुबूल करेगा अथवा नही तो बहुत कुछ दिक्कत दूर हो सकती है, देखो 15 W. ,R 490

कानून शहादत की दफा ६५ के अनुसार कागजात शहादत मनकूली में पेश किए जा सकते हैं, अगर वे कानून शहादत की दफा ६६ के अनुसार पेश किए जानेके लिए दी गई नोटिसके बाद भी पेश न किये जाय।

जो शहादत किसी कमीशन के जरिये ली गई हो, वह उस शख्स की ओर से दीगई शहादत की तरह पर पेश की और पढी जायगी जिसकी ओर से वह ली गई थी (देखो 30 Cal 999, 7 C W N 784, 9 C W N 794) दूसरे बहुत से मुकद्दमों में यह तै किया गया है कि जो शहादत न तो पेश की गई है और न पढी गई है वह उस मामले में दीगई शहादत समझी जानी चाहिये (देखो 26 C 591, 35 C 28, 15 C W N 525)

कागजात साबित करने के तरीके के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा ६१ से ७८ तक।

बहस और नजीरोंका पेश किया जाना

बहस—फरीकैनके अपने अपने सुबूत और सफाई खतम कर चुकनेके बाद और कुल शहादत—जबानी और कागजी—गुजर जानेके बाद, उनके वकीलोंको चाहिए कि वे जाबता दीवानीके आर्डर १८, रूल २ में बतलाये क्रमानुसार अदालत को सम्बोधन करें। यह कहना बिलकुल व्यर्थ है कि मुकदमेके दौरानमें अदालत को सम्बोधन करते समय वकीलको बहुत ही शिष्टता और विनम्रतासे काम लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि किसी भी समय उसे आपे से बाहर न होना चाहिये। अगर कोई बात ऐसी है जिसका विरोध करना है, तो उसे उसका विरोध दृढता पर नम्रताके साथ करना चाहिये। यह भाव मुकदमेके आरम्भसे अन्त तक

पना रहना चाहिये, चाहे वह गवाहोंके बयानोंके समय हो या अदालतको सम्बोधन करते समय। वकीलोंकी नजीरें हमेशा प्रमाण मान ली जाती हैं। अच्छे वकीलके लिये यह आवश्यक है कि उसका मिजाज बहुत ही शांत और बिगड़ उठने वाला न हो। उसे चाहिये कि वह अदालतको सम्बोधन करते समय हमेशा शिष्ट भाषा का व्यवहार करे। उसके बात करनेका ढङ्ग भी बहुत ही शिष्टता पूर्ण, सभ्य और शान्त होना चाहिये। उसे इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वह अश्लील शब्दोंका प्रयोग करके या अनुचित रीतिसे व्यवहार करके अदालतमें बैठे हुए न्यायाधीश (जज) को रुष्ट या असन्तुष्ट न कर दे। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि अदालत उसकी बातोंसे सहमत नहीं है या किसी विषयपर उसके तर्कको माननेके लिये तैयार नहीं है, तो उसे बिगड़ न उठना चाहिये या ऐसी कोई बात कह या कर न देना चाहिये जो अदालतका अपमान करने वाली समझी जाय। ऐसी दशाओंमें उसे बड़े ही धैर्य और आत्म-संयमसे काम लेना चाहिये और अदालतको, जहां तक स्पष्ट हो सके, अपने तर्कसे अपनी बातोंकी सत्यता समझानेकी कोशिश करनी चाहिये।

ऐसी बहस करने के लिये, जिसका कि कुछ प्रभाव पड़ सके, यह आवश्यक है कि वकीलको मुकद्दमेके हालात की पूरी पूरी वाक़फ़ियत (जानकारी) हो और उसे उसमें लागू होने वाले कानूनके सिद्धान्तोंका भी पूरा पूरा ज्ञान हो। अगर उसने अपने मुकद्दमेके हर एक पहलूको अच्छी तरहसे समझ लिया है और अच्छी तरह से तैयार होकर अदालतमें आया है तो उसे अपने मुकद्दमेको साबित करने में कोई भी कठिनाई न होगी और वह उसे ऐसी अच्छी तरह साबित कर सकेगा जैसे कोई रेखागणितकी किसी साध्य(शक्ल)को सिद्ध करता है। यह बात अक्सर देखने में आई है कि जब मुद्दई या मुद्दाअलेहका वकील अदालतको कुछ समझाता होता है तो उसका विरोधी हर बार उसकी बातमें बाधा डालनेकी कोशिश करता है। इसकी जितनी ही निन्दा की जाय थोड़ी है। हर एक फरीक़ को अपनी अपनी बात कहनेका मौका मिलता है और इसलिये जिस समय एक शख़्स मामलेमें बहस कर रहा हो उस समय दूसरे शख़्सको कोई बात कहने या टीका टिप्पणी करनेका मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जजको भी गुस्सा मालूम होता है, जो बात कही जा रही है उसका भी सिलसिला बिगड़ जाता है, विरोधी पक्ष वाले को भी बुरा लगता है और व्यर्थमें समय भी नष्ट होता है। इस प्रकार बीच में बाधा देना उस समय उचित समझा जायगा जिस समय कोई गलत बात कह कर या मामले को तोड़-मरोड़ कर जज को धोखा देने की कोशिश की जा रही हो या जब वकील किन्हीं ऐसी बातों का हवाला दे रहा हो जिनका इन्दराज उस मुक़द्दमे की मिसिल में नहीं है।

जब उमूर तनक़ीह तैयार हो जाय, तो पहिले उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करनी चाहिए जिनके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और उन्हीं के ऊपर एक एक करके बहस शुरू करनी चाहिये। जिन उमूर तनक़ीहका एक दूसरे

के साथ सम्बन्ध है, उन पर एकही साथ मे विचार करना चाहिये। प्रारम्भिक अदालत के सामने मुकद्दमे मे बहस करते समय यह आवश्यक नहीं है कि कुल शहादत पढ़कर सुनाई जाय क्योंकि जज के हाथ की लिखी होने के कारण वह उसे करीब करीब याद रहती है। शहादत के सिर्फ उसी हिस्से की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट करना काफी होगा जो उसके मुकद्दमे का समर्थन या विरोधी पक्ष वाले का खण्डन करता है। जो बाते सन्देह युक्त या अस्पष्ट होने के कारण उसके विरुद्ध मे जा रही हों, उनको वही पर होशियारी के साथ स्पष्टी करण करदेना चाहिये, ताकि उनका वास्तविक भाव ठीक तौर से समझ मे आजाय।

जिन बातों पर आप विशेष जोर देना चाहते हैं, उनकी एक याददाश्त या नोट रख लेना अच्छा होगा, ताकि जिन बातों को आप बहस करते समय अदालत के दिमागमे भर देना चाहते हैं वे छूट न जाय। इनमे उन बातोंको तो जरूर और खास तौरपर नोट कर लेना चाहिये जिनपर आप खास जोर देना चाहते हैं, ताकि कोई ऐसी बात छूट न जाय। आपको यह याददाश्त या नोट अपने सामने रखना चाहिये जिससे किसी खास बात के ऊपर टीका टिप्पणी करना आप भूल न जायं। स्मरणशक्ति अक्सर धोखा दे जाया करती है और इसलिये जब तक इस तरह याददाश्त ताजा बनाए रखने के लिए यह उपाय काममे न लाया जायगा पेचीदा और बड़े मुकद्दमों मे कुछ बाते छूट जानेकी पूरी सम्भावना रहती है। जब आप को अपने विरोधी पक्ष की बातों का जवाब देना हो और अन्त मे मामले म बहस करना हो, तो आपको चाहिये कि आप अपने विरोधी की बाते बड़े ध्यान पूर्वक सुनें और उन बातों को नोट करते जाय जिनका खण्डन करने की जरूरत है और उस नोट मे एक हेडिंग कायम करते जाय तथा उनमें कोई ऐसा निशान बनाते जायं जिससे आपकी निगाह पड़ते ही वह जरूरी बात फौरन् समझमे या स्मरणमे आ जाय मुद्दाअलेहके मामलेमें बड़ी होशियारीके साथ काम करने की जरूरत होती है। विरोधी पक्ष वाले की कमजोर बातो को खतम कर चुकने और जोरदार बातो का बड़ी सतर्कता के साथ खण्डन कर चुकने के पश्चात् मुद्दाअलेह का मुकद्दमा सफाई के साथ एक क्रम मे पेश किया जाना चाहिये मुकद्दमे की ऐसी बातों की ओर भी जिनके होने की सम्भावना है, तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली परिस्थिति की ओर भी, अदालत का ध्यान दिला देना चाहिये। चूंकि आम कायदा यह है कि मुद्दई को जवाब देने का हक रहता है, इस लिये आप के विरुद्ध जो जो बाते कही जानेको हों उनका आप पहिलेसे ही अनुमान करलें। इसी के साथ साथ जो बातें जोरदार हों वे जज को खूब अच्छी तरह समझा दी जानी चाहिये।

बहस मे जो कुछ भी बाते कही जाय, वे साफ हों, माकूल हों, साबित कर देने वाली और थोड़ी हों और यद्यपि इसमे कोई सन्देह नहीं कि वक्तृत्वशक्ति परमोपयोगी है तथापि यह उचित नहीं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी वक्तृत्व शक्ति

का परिचय देने के लिए ही लम्बी चौड़ी बहस शुरू कर दे। यथार्थ शक्ति से ही कोई सफल क़ानून जानने वाला नहीं हो जाता। उसे अपने व्यवसाय की कला का पूर्ण ज्ञान रखने की परमावश्यकता है। बहस उन्हीं बातों के आधार पर होनी चाहिये जो साबित हो गई हैं और स्वीकार कर ली गई है और जिनका इन्दराज मिसिल में हो चुका है। मुक़द्दमे की जरूरी जरूरी बातें पहिले लेना चाहिये और इसके बाद छोटी छोटी बातों को ताकि अदालत बातें सुनते सुनते अधीर न हो उठे। अगर अदालत के सामने सिर्फ़ वही बातें पेश की जायें जिनसे उसके मुक़द्दमें का समर्थन और विपक्षीकी बातोंका खण्डन होता है,सो भी काफ़ी होगा सारहीन,टिक न सकने वाली बातोंके ऊपर बहस न करना एक बड़ा अच्छा गुर है। यह बात हमेशा स्मरण रखिये कि बहुत सी सन्देहयुक्त,भ्रमपूर्ण बातों की अपेक्षा एक बात कहीं अच्छी है, यदि वह अच्छी और सारपूर्ण है। जो बातें आपके विरुद्ध जा रही हों, उनका फौरन् स्पष्टीकरण करदेना चाहिये ताकि उनकी वास्तविकता (असलियत) प्रकट हो जाय। लेकिन बहस करने के पहिले आपको इस बात को देख लेना चाहिये कि आप की कौनसी बात सब से ज्यादा कमजोर है।

सबसे बड़ी जरूरी बात है बातों का ठीक ठीक एक ढंग और क्रम से रखना। आपको मुक़द्दमे की वे तमाम बातें समझ लेनी चाहिये जो जांच के वक्त बतलाई गई हों। जब तक कि आप को मुक़द्दमे के वाक़यात और उससे सम्बन्ध रखने वाली क़ानून अच्छी तरह से मालूम न होंगे, आपको उस समय बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा जिस समय जज किसी खास विषय के सम्बन्ध में आप से कोई बात पूछेगा या किसी खास सवाल की निस्बत आप से जवाब तलब करेगा। उमूर तनक़ीह और उसे शहादत को, जिसके आधार पर वह तैयार किया गया है, अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। वाक़यात को बाक़ायदा साफ़ साफ़ और क्रमानुसार बयान करना अभ्यासके ऊपर निर्भर करता है, जिसका अभ्यास करना उन लोगों के लिए परमावश्यक है, जो ऐसा करने के अभ्यस्त (आदी) नहीं हैं। जहां कहीं किसी घटना या कागजात की तारीखों की आवश्यकता हो, तो उन्हें एक ऐतिहासिक क्रमानुसार दिखलाना चाहिये,ताकि उन्हें नोट करके तजवीज मुक़द्दमा तैयार करते समय जज उनको चेक कर सके। उन बातों को बड़ी सावधानीके साथ बचा देना चाहिये जो असंगत हों। अच्छे क़ानूनदां की चतुरता इसी में है कि वह अपने मुक़द्दमे की जोरदार बातों को चुन ले और जितनी जल्दी हो सके जज को वे बातें समझा दे।

वकील को चाहिये वह किसी भी हालत में उन बातों के बाहर कोई बात न करे जिनका इन्दराज मिसिल में होगया है या अदालत को कोई भी ऐसी बात न समझावे जो उसमें (मिसिल में) पाई न जावे। किसी मामले में बहस करते समय उसे हमेशा सच्ची और न्याय पूर्ण बात ही कहनी चाहिये, कभी भी वह अदालतसे कोई ऐसी बात न छिपावे जिसका जानना अदालत के लिये उस मुक़द्दमे का सही फैसला करने की गरज से जरूरी है। उसे यह अधिकार है कि

वह किसी बात का अपना भिन्न अर्थ लगावे, किन्तु उसे कभी भी कोई बात गलत बयान करने या अदालत को धोखा देने के लिये नहीं करनी चाहिये। अगर कोई तर्क विरुद्ध बहसकी जायगी या कोई ऐसी बात कही जायगी जो शहादतसे साबित नहीं होती है,तो जज या उसका विपक्षी इन बातों को चेक करके उनका परिणाम आपके विरुद्ध लगा सकता है। तवालत बढ़जाने के अलावा इससे हाकिम अदालत के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा,जिसका परिणाम केवल यही न होगा कि उस मुक़द्दमें में सफलता की आशा बहुत कुछ कम होजाय बल्कि इससे उस वकील के नाम को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। जज का उसपर से विश्वास उठजायगा जिससे मुक़द्दमे में कामयाबी या नामवरी कोई भी हासिल नहीं हो सकती।

लार्ड एशर एम०आर० ने एक बड़ेही प्रसिद्ध मुक़द्दमे में कहा था:—"वकील की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। उसे वह सब बातें नहीं कह देना चाहिये जो वह जानता है, वह इन बातोंका जवाब देने के लिये नहीं आता है, जिन बातोंके ऊपर वह विचार कर रहा है वे सही हैं अथवा गलत। उसे चाहिये कि वह सिर्फ़, जहां तक अच्छी तरहसे वह बहस कर सके, अपने मामलेमें बहस करे और कोई भी बात ऐसी न कहे जिसका कहना उसके लिये उचित नहीं है, ताकि अपने मवक्किलके लिये वह जिस बातको चाहता है उसे वह हासिल कर सके। अगर गर्मागर्म बहसके दौरानमें उससे यह पूछ दिया जाय कि, जो बात आप कहते हैं वह सही है अथवा गलत, यह कि जो कुछ भी आप कहते हैं वह संगत है अथवा असंगत, तो उस समय उसका दिमाग इस क़दर उलझनमें पड़ जायगा कि वह उस कामको न कर सकेगा जिसके लिये वह बुलाया गया है। वह मामलेमें अदालतसे रक्षा चाहता है। अगर क़ानूनका रूल विपरीत है, तो बेचारे निर्दोष वकीलको व्यर्थके लिये हैरान होना पड़ेगा और इसलिये अच्छा हो कि क़ानूनका रूल इतना विस्तृत और कड़ा बनाया जाय कि नये वकीलोंको कभी दिक्कत न उठानी पड़े, यद्यपि उसको इतना कड़ा बनानेसे उसमें वे वकील भी आ जाते हैं जो अदावत और खराब चाल चलनके अपराधी सिद्ध हुये हैं।"

प्रमाणोंका पेश किया जाना—प्रमाण (नजीरों) के पेश करने में वकीलोंको बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। उन्हें चाहियेकि वे सिर्फ वेही नजीरें पेश करें जो साफ़ तौरसे उनके पक्षमें हों। आम तौरपर ऐसा देखा जाताहै कि वकील लोग किसी बातके समर्थनमें पेश की जाने वाली नजीरोंको सिर्फ मुक़द्दमों के हेड-नोटोंको देखकर ही चुन लेते हैं जैसे कि वे भिन्न भिन्न डाइजेस्टों, लॉ रिपोर्टों और क़ानूनकी किताबों या उनके सटीक संस्करणोंमें दिये हुये होते हैं। ऐसा कभी भी न करना चाहिये, क्योंकि इन हेड नोटोंसे अक्सर लोगोंको धोखा होजाता है और उनपर पूरा पूरा भरोसा करने से इस बातका भय रहता है कि वे कहीं ऐसी नजीरें न पेश कर जाय जिनमें बहुत कम ऐसी बातें हैं जो उसके मामलेका समर्थन करती हैं या जो [illegible] उनकी [illegible] विरुद्ध सिद्ध होती हों। सबसे उत्तम ढंग यह होगा कि पहिले [illegible] या क़ानूनकी किताबों में

दी है, देखकर कुछ नजीरें चुन ली जाय और उसके बाद लॉ रिपोर्टरोंमें दी हुई इन मुकद्दमोंकी पूरी रिपोर्टें ध्यान पूर्वक पढ़ ली जाय। रिपोर्टरोंमें जिन मुकद्दमों की रिपोर्टें छपी हैं उनके वाकयातको ध्यानपूर्वक पढना चाहिये, क्योंकि मुक़द्दमोंके वाकयात ही से फैसलेमें अन्तर पड जाता है।

महारानी बनाम लेथम 1901 A. C 495; 506, में कही हुई लार्ड हाल्सबरीकी बातोंका ध्यानमें रखना बहुत जरूरी है —"एक ही प्रकारकी दो बातें हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ—एक यह, कि हरएक फैसला उन्हीं बातोंके सम्बन्ध में लागू समझना चाहिये जो साबित होगई हैं या साबित हुई मान ली गई हैं क्योंकि जो जो बातें उसमें बतलाई जाती हैं वे पूरे कानूनका स्पष्टीकरण नहीं हैं, बल्कि वे केवल उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें लागू होती हैं जिनके बारेमें वे कही गई हैं। दूसरी यह कि कोई मुकद्दमा उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें नजीर माना जासकता है जिन्हें उसमें तय किया गया है। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि यह उन बातोंके सम्बन्धमें भी नजीर माना जायगा जो उससे सिद्ध होती हैं।"

रिपोर्ट में वकील की बहस भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हालतों में फैसलों का निश्चय उस बहस के सम्बन्ध से किया जाता है जो पैदा हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में की गई है। किसी मुकद्दमे के सम्बन्ध में किसी जज की इजहार राय को उस समय तक प्रमाण न मान लेना चाहिए जब तक कि वह बिल्कुल ठीक लागू न होती हो। अच्छी रिपोर्ट को गौर के साथ पढ लेने से मुकद्दमा साफ तौर से उसकी समझ में आ जायगा, जिससे उसको इस निर्णय करने में कोई कठिनाई न होगी कि उस प्रमाण (नजीर) को पेश करने से मेरे मवक्किल का मुकद्दमा जोरदार हो जायगा या नहीं।

ऐसी नजीरें पेश नहीं करनी चाहिए जिन्हें प्रिवी कौंसिल ने रद्द या खारिज कर दिया है या जो कानून बदल जाने से रद्द या बेकार होगई हैं। जब किसी विषय के ऊपर कई भिन्न भिन्न नजीरें हों, तो इस बातको तय करने में, कि वह इस मामले में लागू होती है या नहीं, उन प्रमाणों में कौनसी प्रधान है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई मुकद्दमा विपरीत फैसल हुआ हो, तो उनमें से सब से हाल वाली नजीर या ऐसी नजीर पेश की जानी चाहिए जिसका दूसरी हाईकोर्टें समर्थन करती हों। जब किसी फैसले के सम्बन्ध में सभी हाईकोर्टों का मत एक न हो, तो वकील को उस हाईकोर्ट की नजीर पेश करना चाहिए जिस हाईकोर्ट के मातहत वह अदालत है जिसमें वह मुकद्दमा चल रहा है, क्योंकि हरएक जज उस हाईकोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य है जिसके कि वह मातहत है (देखो 10 C 82 P 85, 13 C L R 256, 15 B 410; 17 B 355 और 25 C 488, 1 C W N 172)

जिस फैसले की रिपोर्ट नहीं निकली है, वह भी एक ऐसी नजीर माना जायगा जिसको मानने के लिए अदालत बाध्य है (देखो 28 Cal 289, 5 C

W N 326 Contra 1 C W N 732). इण्डियन लॉ रिपोर्टस् । एक्ट नं० ३७ सन् १९७१ ई० की दफा ३ । किसी जज को किसी प्राइवेट रिपोर्ट में दी हुई किसी नजीर को मानने से मना नहीं करती । इसमें सिर्फ यही बतलाया गया है कि जज उस नजीर को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो इण्डियन लॉ रिपोर्टस में नहीं निकली है । जज को यह अधिकार है कि वह किसी रिपोर्ट में न आई हुई हाईकोर्ट नजीर को न माने या उसपर दूसरी नजीर को तर्जीह दे, लेकिन वह उसे रद्दी नहीं समझ सकता (देखो C. W N) किसी फुलबेंच का फैसला मानने के लिए तमाम डिविजन कोर्टस बाध्य हैं, जब तक कि वह किसी स्पेशल बेंच का न हो या जबतक कि प्रिवी कौंसिल इसके विपरीत अपना कोई फैसला न दे दे, (देखो 5 C L J 42)

अगर जज को वकील की बहस का नोट मिल जाय, तो वह नोट किसी तरफ का वकील, बिना दूसरी तरफ के वकील के सामने पहिले पेश किए, जज के सामने पेश नहीं कर सकता (देखो 37 C. L. J 42)

नोट—लोग कहते हैं कि अच्छे वकील मुकद्दमा जीत दिया करते हैं । भाइयो यह बात आप ख्याल से निकाल दें । मेरी समझ में यह बात इस प्रकार है कि अच्छा मुकद्दमा अच्छे वकील के हाथमें देने से खराब होने की आशा बहुत कम होती है और अच्छा मुकद्दमा खराब वकील के हाथमें देने से खराब हो जाने की आशा ज्यादा रहती है । तजरुबेकार वकील को चाहिये कि वह बहस करते समय अगर यह देखले कि उसके विरुद्ध पक्ष का वकील बेतजरुबेकार और नया है तो यदि वह मुद्दई का वकील है या उसे पहले बहस करने की इजाजत जज ने दी है तो मुकद्दमे के वाकियात कानूनी और शहादत को इस ढंग से संक्षेप में पेश करे कि बातोंको तो निर्देश कर जाय पर विस्तार न करे क्योंकि उसे जवाब देने का मौका मिलेगा । विपक्षी वकील अपने कम तजरुबे के कारण उन बातों पर ज्यादा जोर न देगा क्योंकि उसे विश्वास है जो पहली बहस में संक्षेप की गयी है वह समझेगा कि पहली बहसमें इस लिये वकील ने जोर नहीं दिया कि वह बातें उसके ध्यानमें कमजोर हैं । जब मौका जवाब का मिले तो उन बातों को जो नयी प्रकाशित की गयी हैं या नये तरहसे उसके अर्थ किये गये हैं या अन्य कोई बात जरूर याद रखना चाहिये कि अगर विपक्षी ने आपके संक्षेप का जवाब ही न दिया तो भारी मुश्किल पैदा होगा क्योंकि उसे खोल न सकेगा । बड़ी तर्कणा से काम लेना उचित है ।

अगर जज ने पहले ही से खिलाफ राय कायम करली है चाहे वह किसी कारण हो और वह जज बे कानूनी फैसला करने पर तुला हुआ है तो वकील को चाहिये कि बहुत ही कम बहस करे या वाकियात जाहिर करके अर्जी दे दे कि मैं इसमें बहस करना वृथा समझता हूं जब कि जज ने पहले से खिलाफ राय कायम करली है ।

फैसला—डिकरियां—खर्चा

फैसला—मुकद्दमे की समाप्ति हो जाने के बाद फौरन् या बाद को किसी दिन जिसकी बाकायदा नोटिस फरीकैन या उनके वकीलोंको देदी जायगी, खुली

अदालत में मुकद्दमे का फैसला सुना दिया जायगा [देखो आर्डर २० रूल १], फैसला सुना देने के बाद जज, उसपर तारीख डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा और इसके बाद सिवाय जाबता दीवानी की १५२ मे बतलाए अनुसार या निगरानीमें उसमे किसी तरहकी कोई रद्द-बदल या इजाफा (परिवर्तन या परिवर्धन) न किया जा सकेगा [देखो आडर २०, रूल ३]।

अगर किसी फैसला, डिकरी या हुक्म मे लिखने अथवा अङ्कोंमे कोई गलती होजाय या किसी तरह गलत कलम चल जाने या कुछ लिखनेमें छूट जानेसे कोई गलती हो जाय तो वह अदालत की मर्जी से या फरीकैन के दरख्वास्त देने पर किसी भी समय दुरुस्त की जा सकेगी (देखो जाबता दीवानी की दफा १५२) लिखने की गलती या इसी तरह सयोग वश भूल से होजाने वाली किसी गलती को हाकिम अदालत का उत्तराधिकारी भी दुरुस्त कर सकता है (देखो 63 I C 840, 55I C 963)—दूसरी वजूहात पर डिकरियों की दुरुस्ती या तरमीम (सशोधन) बजरिये निगरानीके ही की जा सकतीहै। अदालतको यह भी अधिकार है कि वह जाबता दीवानी की दफा १५१ के अनुसार किसी डिकरी का सशोधन करदे या उसे बदल दे ताकि वह फैसलेसे मेल खा जाय (देखो 37Cal 649, 14 C L J 481,23I C 906) अगर किसी फैसले डिकरी या हुक्ममें कोई लिखनेकी भूल या अशुद्धि होजाय तो उसकी दुरुस्ती वह अदालत न कर सकेगी जो उसकी इजरा कर रही हो,उसका सशोधन स्वय नालिशमे ही कर दिया जाना चाहिये (देखो 19 C L J 517) डिकरी की दुरुस्ती के पहिले फैसलेकी दुरुस्ती हो जानी चाहिए (देखो 11 I C 896) जो डिकरी अपील में बहाल रखी गई हो तो उसका सशोधन अदालत अपील ही कर सकती है मातहत अदालत नही (देखो 11 A 667 F B, 11 C L J 155, 11 C L J 8, 11 C L J. 560 P C; 18 M 214 F B) लेकिन 21 B 548; 9 M 854 और 10 All 51 मे यह तय हुआ है कि किसी अपील के खारिज हो जाने से मातहत अदालत की डिकरा ज्यो की त्यों बनी रहेगी और उस समय उसका सशोधन मातहत अदालत ही कर सकेगी देखो 62 I C 910 दफा १५२ के अनुसार किए गए सशोधन से उस डिकरी की इजरा की मुद्दत नही बढ़ सकती, देखो 27 A 575 किसी डिकरीमें हुई भूल का सशोधन करने के लिये नालिश दायर की जा सकती हैं देखो 8 C W N 478 बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद में ऐसा होता है कि फैसला शार्ट हैण्ड राइटर को बोल दिया जाता है। आर्डर २० रूल १ के साथ सब रूल २ अलग से जोड दिया गया है।

डिकरी—फैसले में जो हुक्म दिया जाता है उसी के अनुसार डिकरी तैयार की जाती है। वह फैसले के अनुकूल होगी तथा उसमें उन बातों की तफसील रहेगी जिनकी बाबत दावा किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह लिख दिया जायगा कि कौनसी दादरसी दी गईहै। उसमें खर्चकी तादाद लिखी होगी और यह भी लिखा होगा कि किस शख्स द्वारा अथवा किस जायदाद में से और किस अनुपात (हिस्से रसदी) यह खर्चा अदा किया जायगा। (देखो दफा

३५) अदालत को अधिकार होगा कि वह इस बात का हुक्म दे देवे कि जो रुपया किसी एक फ़रीक़ से दूसरे फ़रीक़ को बाबत खर्चा वाजिबुल् अदा है वह उस रक़म में मोजरा दिया जायगा जो उस पहिले फ़रीक़ का दूसरे फ़रीक़ पर बाक़ी है (देखो आर्डर २० रूल ६) अदालत डिकरी में ऐसी शरहपर व्याज अदा करने का हुक्म दे सकती है जो उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ३४) डिकरी क ऊपर वह तारीख़ पड़ी होनी चाहिये जिस तारीख़ को कि फ़ैसला दिया गया था [देखो आर्डर २० रूल ७]

डिकरी में सारी बातें पूरी और साफ़ साफ़ लिखी होनी चाहिये और वह इस तरह पर तैयार की जानी चाहिये कि बिना किसी दूसरे काग़ज़ का हवाला दिये हुये ही उसकी इजरा की जा सके (देखो 8 C 975, 12 W R 99) दोनों पक्ष वालों का यह काम है कि वे देख लें कि डिकरी बाक़ायदा तौर पर तैयार की गई है अथवा नहीं (देखो 8 C 687) अगर कोई ऐसे नक़शे या दूसरे काग़ज़ात हैं जिनमें हुक्म की शर्तें लिखी हैं और जो उस डिकरी का एक अंग हैं तो वे सब उसी के साथ नत्थी रहने चाहिये। जब डिकरियां तैयार की जाती हैं तो दोनों पक्षों के वकीलों को इसकी इत्तला दी जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि वे उनको देख लेने के बाद उनपर अपने हस्ताक्षर कर दें। वकीलों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वे डिकरी के ऊपर जज के दस्तख़त हो जाने के पहिले अच्छी तरह से यह देख लें कि डिकरी फ़ैसले में दिये हुये हुक्म के अनुसार है या नहीं। इसमे असावधानी करने से सम्भव है कि मवक्किलों को कोई नुक़सान पहुंच जाय। अगर डिकरी की इजरा के समय कोई ग़लती पकड़ मिले तो केवल निगरानी में ही दुरुस्त की जा सकती है सिवाय उस दशा के जबकि वे ग़लतियां लिखनेकी अथवा अंकों की हों। यह दिक्कत और परेशानी दूर हो सकती है अगर जज के दस्तख़त होने के पहिले वकील महाशय इन डिकरियों को पढ़ जाया करें। आज कल वकील साधुवान प्राय अपने दस्तख़त कर देते हैं उनका कर्तव्य तो यह है कि डिकरी पर तब दस्तख़त करें जब वे सिर से अन्त तक उसे पढ़ जाय, और जांच कर जाय, और मिलान कर जाय। अपने मवक्किलके लाभकी बातें और वे बातें जिनसे डिकरी सही मानी जाय सब गौरसे देखलें। यह भी जरूरी है कि वे नोट करलें और अपने मुहर्रिर को पीछे नोट करा दें। मुहर्रिर सावधान फ़ौरन् मिसिल में नोट कर लें। और यदि जरूरी हो तो मवक्किल को सूचित कर दें।

रेहनकी डिकरी—रेहन नामा के मुक़द्दमे में पहिले एक प्रारम्भिक डिकरी तैयार की जाती है और इसके बाद मुतहिन के दरख्वास्त देने पर क़तई डिकरी तैयार की जाती है प्रारम्भिक डिकरी द्वारा दिये गये समय की तारीख़से ६ महीने तक मियाद की मुद्दत है। हिसाब-किताब के मुक़द्दमों में ऐसी प्रारम्भिक डिकरी भी दी जाती हैं जिनमे हिसाब किताब लिखने और काग़ज़ात हवाले कर देने के लिये हुक्म दिया गया हो। इसके बाद क़तई डिकरी दी जाती है। बटवारा के मुक़द्दमों में प्रारम्भिक डिकरी में यह हुक्म दिया जा सकता है कि बटवारा करा

देने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाय (देखो आर्डर २० रूल १८ और आर्डर २६ रूल १३) अदालत कमिश्नर की रिपोर्ट को या तो ज्यों की त्यों मान लेतीहै या उसे बदल देती है और कतई डिकरी दे देती है। कतई डिकरी स्टाम्प ऐक्टकी दफा २ (१५) के अनुसार स्टाम्प लगे हुये कागजोंपर लिखी जानी चाहिये। हक शिफा की नालिश में या किसी मुआहिदा की तामीलो की बाबत नालिशों में कुछ शर्तों पर डिकरी दी जाती है और अदालत एक ऐसी मुद्दत मुकर्रर कर देती है जिसके अन्दर रुपया अदा कर दिया जाना चाहिये। "हिस्से-रसदी की अदायगी" की बाबत कीगई नालिशोंमें डिकरीमेंउस रकमकी तफसील होनी चाहिये जो हर एक मदियून डिकरीको अदा करना चाहिये। जायदाद गैर-मनकूला वापस दिला पानेकी डिकरी में लिखी जाने वाली बातोंके सम्बन्धमें आर्डर २०, रूल ९, जायदाद मनकूलाके लिये रूल १०, और कब्जा और वासिलातकी डिकरियोंके सम्बन्धमें देखो रूल १२, मदरासमें रूल १२ के साथ क्लॉज (३) जोड़ दिया गया है। "प्रबन्ध सम्बन्धी" नालिशोंमें (रूल १३) "हक-शफा की नालिशोंमें (रूल १४), 'हिस्सेदारी तोड़ देने सम्बन्धी नालिशों" में (देखो रूल १५) और मालिक और ऐजण्टके बीच होने वाली नालिशोंके सम्बन्ध में (देखो रूल १६) "रुपयेकी नालिशोंमें" अदालतको अधिकार होगाकि वह डिकरी देते समय यह हिदायत कर दे कि रुपया किस्तोंमें अदा किया जायगा, (देखो आर्डर २० रूल ११), यह रूल लगान सम्बन्धी डिकरियोंमें लागू नहीं होता (देखो 11 C W N 857) प्रारम्भिक (इब्तदाई) या कतई डिकरीके फार्म वगैराके लिये देखो जाब्ता दीवानीके परिशिष्ट १ का जमीमा (डी)।

जाब्ता दीवानीका कभी भी यह मंशा नहीं है कि नालिश या कार्रवाई इजराके दौरानमें दिये गये किसी अस्थायी हुक्मके बाद डिकरिया तैयारकी जाय। जाब्ता दीवानीकी दफा १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिये गये हुक्म अधिकांशमें इसी तरहके हुक्म हैं और उनमें डिकरिया तैयार करनेकी हिदायत नहीं है।

आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१, ९२, ९९, १००, १०१—आर्डर ४१ के रूल १९, २१, २३ और आर्डर ४७ के रूल १ के अनुसार दिये हुये हुक्म हकीयतोंके सम्बन्धमें या दावाके जवाबमें पेश कीगई सफाई के सम्बन्धमें दिये गये फैसलेके उदाहरण हैं, लेकिन इन सभी हालतोंमें डिकरिया तैयार करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे खाली हुक्म हैं और जाब्ता दीवानी इस बातके लिये बाध्य नहीं करता कि डिकरियोंकी किस्म में हुक्म दिये जाय। जो हुक्म वास्तवमें फैसलेके लिये दिए गए हैं, वे कतई फैसला समझे जा सकते हैं।

डिकरिया तैयार करनेके सम्बन्धमें हाईकोर्टके नियम—कलकत्ता हाईकोर्टने नीचे लिखे हुये नियम बनाए हैं—

दीवानी अदालतोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि वह डिकरियो को इस तरह पर तैयार करे कि उनके समझने और उनकी इजरा करने में किसी

तरहके किसी दूसरे दस्तावेज या कागजका हवाला देने की जरूरत बाकी न रहे, सिवाय उस दशाके जब कोई नकशा वगैरा उस अदालतकी आज्ञासे तैयार किया गया,हो या अदालतने उसे कबूल कर लिया हो और जिसका हवाला उस हुक्म की शर्तोंको बतलानेके लिये जरूरी हो। ऐसा कोई भी कागज या दस्तावेज डिकरी के साथ नत्थी रहेगा और उस पर जजके हस्ताक्षर होंगे (देखो G R & C O Chap I R 78)

जजोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जो डिकरी उन्होंने दी है उसमें साफ तौर पर किस्म दादरसी या मुकदमेका दूसरा तस्फिया लिखा हुआ है, जिसका लिखा जाना जाबता दीवानीके आर्डर २०, रूल ६ के अनुसार जरूरी है, और यह कि डिकरीके आरम्भमें दावाकी खास खास बातें साफ तौर पर लिख दीगई हैं जैसा उस नालिशके रजिस्टरमें लिखी हुई है, (देखो G. R & C O Chaq I R 78)

नोट—जहां भी कहीं पर भी सारीकी सारी प्लीडिंगको डिकरीमें नकल देने की प्रथा जारी हो वहां से वह मिटा दी जाना चाहिये।

जाबता दीवानीके आर्डर २२के ६ से १९,तकके रूलोंको ध्यान पूर्वक पढ़ने से जजोंको, बहुतसे मामलोंमें, बहुत सी ऐसी बातें मिल जायगी जिनकी आवश्यकता डिकरियोंको तैयार करने के लिए पड़ती है और जहां पर किसी मामलेके लिए स्पष्ट विधान न भी किया गया हो वहां भी उसमें दिए हुए नियम लागू होंगे (देखो G R ,& C O Chap. L R 80),

दोनों पक्षके वकीलोंके लिये यह आवश्यक होगा कि वे मुफस्सिलकी अदालतोंकी डिकरियों पर, जजके दस्तखत होनेसे पहिले, अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर दें। अगर कोई वकील किसी डिकरी पर हस्ताक्षर न करेगा, तो उस डिकरी पर उसके हस्ताक्षर न करनेका कारण लिख दिया जायगा (देखो G R. & C O Chap I R ,81)

हस्ताक्षर करते समय जजको उस डिकरी पर हस्ताक्षर करनेकी तारीख भी डाल देनी चाहिये (देखो G R &, C O Chap I R 82)

यह एक साधारण नियम बना दिया जा सकता है कि जाबता दीवानी का मंशा यह है कि किसी हक, जिसकी निस्बत दावा किया गया है, या दावाके विरोधमें पेश कीगई सफाइ के ऊपर दिए गए फैसलोंका प्रदर्शन करने के लिये डिकरी तैयार की जाय, जब कि इन फैसलोंमें कोई नालिश या अपील फैसल कीगई हो। रजिस्टर पर चढ़ा लिये जानेके बाद किसी अर्जीदावाके खारिज हो जाने पर भी डिकरी दी जा सकती है, अगर मुद्दाअलेह हाजिर हो जाय और खर्चा अदा कर दिया जाय।

(१) जायदाद गैर मनकूलाका कब्जा वापस दिलापानेकी बाबत कीगई नालिशमें और लगान या वासिलातकी नालिशों, प्रबन्ध सम्बन्धी नालिशों, और बटवाराकी नालिशों में, जिनमें आर्डर २० के रूल १२ से १८ तक के रूलोंके, अनु

सार प्रारम्भिक डिकरियां दीगई है, कतई डिगरी उस कार्रवाईसे होने वाले नतीजेके अनुसार तैयार की जानी चाहिये जो उस प्रारम्भिक डिकरीके ऊपर की गई हो। इसी तरह, जब आर्डर ३४ के अनुसार कोई प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिकरी किसी रेहनकी बेबात, या किसी जायदाद मरहूनकी नीलाम या फक रेहनीके लिये दीगई हो तो कुछ समयके बाद उस प्रारम्भिक डिकरीकी कतई डिकरी बन जायगी।

(२) जाब्ता दीवानी यह आज्ञा नहीं देता कि किसी नालिश या इजरा की कार्रवाईके दौरान में दिए गए किसी अस्थायी हुक्मके बाद डिकरी तैयार कर दी जाय। जाब्ता दीवानी की दफा १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिए गए हुक्म ज्यादातर इसी किस्म के हुक्म है और इसलिए इनमें डिकरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

(३) आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१ ९२, ९९, १००,—१०१ आर्डर ४१ के रूल १९ २१, २३, और आर्डर ४७के रूल १के अनुसार दिए गए हुक्म उन फैसलों के उदाहरण हैं जो हकूक या दावा के अभाव में कही हुई बातों के सम्बन्ध में दिए गए हों, लेकिन इनमें डिकरी तैयार किए जाने की जरूरत नहीं है। ये हुक्म है और जाब्ता दीवानी इस बातके लिए बाध्य (मजबूर) नहीं करता कि कि डिकरी की किस्म में हुक्म दिए जायं। जो हुक्म वास्तव में फैसले हैं, वे कतई फैसला समझे जा सकते हैं।

(४) लेकिन अगर ऊपर बतलाया हुआ कोई हुक्म या जाब्ता दीवानी के आर्डर २१, रूल २ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, इजरा किए जाने के काबिल हों या इजरा करता हो, जैसे कि किसी एक फरीक द्वारा किसी दूसरे फरीक को अदा किए जाने वाले खर्चे के सम्बन्ध में दिया हुआ हुक्म, तो ऐसी हालतों में यह आवश्यक नहीं है कि बाजाब्ता तौर पर उस फैसले का वर्णन किया जाय। अगर कोई शख्स किसी हुक्म की इजरा कराना चाहे, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह तजवीज फैसले की नकल ले। खर्चे की निस्बत दिए हुए हुक्म में, जैसे कि वह डिकरी की तरह पर दिया गया हो, संक्षेप में अदालत का फैसला रहना चाहिए, खर्च की तादाद, और अगर आवश्यक हो तो, उसकी तफसील लिखी होनी चाहिए।

वासिलात (Mesne Profits)—पुराने जाब्ता दीवानी के अनुसार अगर किसी कब्जा दिलापाने की नालिश में वासिलात आइन्दा दिलाए जाते थे, तो वे इजरा की कारवाई में तय किए जाते थे। अब आर्डर २०, रूल १२ के अनुसार वासिलात, अगर दिलाए जावें तो, बाद में जांच करके डिकरी से ही तय कर दिए जाते हैं, इजरा में नहीं। अगर वासिलात तय करने के लिए दी गई दरख्वास्त अदम पैरवी में खारिज हो जाय, तो फिर दुबारा दरख्वास्त नहीं दी जा सकती (देखो 16 C L J 3, 62 I C 747) अगर कब्जेकी बाबत पहिले कोई नालिश की गई हो, तो उससे वासिलात के लिए की जाने वाली दूसरी

नालिश की मियाद खारिज नहीं होती, क्योंकि इस नालिश की विनाय मुखासमत दूसरी है (देखो 8 I C 445; 60 I C 65) अदालतको इस बात का अख्त्यार है कि वह वासिलात के ऊपर सूद (व्याज) दिलावे या न दिलावे (देखो 27 C 951 P C 34 C L J 415, 44 A 479) रूल १२ मे तीन साल की मुद्दत का शुमार आखिरी डिकरी की तारीख से करना चाहिए (देखो 34 C L J 415) इस मामले मे सभी हाईकोर्टों का मत एक नहीं है कि उस हालत मे अदालत को वासिलात की रकम तय करने का अधिकार है अथवा नहीं, जब कि वह रकम उसके अख्त्यार समाअत माली से बाहर हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ मामला मे इसका जवाब "हा" मे दिया है (देखो 21 C 550, 40 C 50) 13 C L J 493, 43 C 650, 38 C L J 142 मे इससे विपरीत फैसल हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसारही अपनी राय कायमकी है, देखो (2Pat L T 648, 2P L J 394, 60I C 346) मियाद के सम्बन्धमे यह तय हुआ है कि नए जाबतेके अनुसार, आर्डर २०, रूल १२ (सी) के अनुसार दी हुई वासिलात की डिकरी एक ऐसे मुकद्दमे की जाच के समान है जिसकी अभी आधी ही समाअत की गई हो, और इसलिए इसमें आर्टि० १८१ लागू नहीं होती (देखो 77 I, C, 497)

व्याज—रुपएकी अदायगीके सम्बन्धमे दीगई डिकरियोंमे अदालतको अधिकार है कि वह नालिश दायर होनेकी तारीख से डिकरी की तारीख तकका, किसी भी मुनासिब तरह पर जो कि वह ठीक समझे, मूलधन (असल रकम) के ऊपर व्याज दिला दे और साथ ही इसके वह व्याज भी दिला दे जो नालिश दायर होनेके पहले उस असल रुपए पर लगाया गया हो, मय उस कुल रुपयेके सूद आइन्दाके, उस शरह पर जो वह मुनासिब समझे, जो डिकरीकी तारीखसे रुपयेकी अदायगी तक या इससे पहले किसी वक्त तकके लिये, जो अदालत मुनासिब समझे, लगाया जायगा (देखो दफा ३४)।

नोट—नालिशकी तारीख से डिकरीकी तारीख तकके और डिकरीकी तारीख से रुपएके वसूली की तारीख तक के व्याज (सूद) की दर (शरह) तय करना अदालतके अख्त्यारमें है (देखो 12 C 569 18 C 164) दफा ३४ उसी समय लागू होती है जब डिक्री रुपयेकी अदायगी के लिये हो। किसी रेहननामामें रेहनकी हुई जायदादके ऊपर दायर कीगई नालिशके सम्बन्धमें लागू नहीं होती।

खर्चा—कुल मुकद्दमेके फैसलेका खर्चा अदालतकी मर्जी पर है। अगर अदालत यह हुक्म दे कि खर्चेका तस्फिया फैसले पर नहीं होगा, तो उसे इसके लिए लिखित कारण बतलाना चाहिए। अदालत खर्चेके ऊपर व्याज भी दिला सकती है जिसकी शरह ६) रु० सैकडा सालानासे अधिक न होगी (देखो दफा ३५)

मावजेके किस्मके खर्चे—ऐक्ट न० ९ सन् १९२२ ई० की दफा ३५ (ए) के अनुसार अब अदालतोंको यह अधिकार दिया गया है कि झूठा या तोहमत लगाने

वाला दावा या सफाई पेश करनेकी हालतमें वह एक हजार रुपये तकका मुआविजा दिला सके। यह दफा जाबता फौजदारीकी दफा २५० के समान है।

दफा ३५ (ए) इस प्रकार है—

१ अगर किसी नालिश या दूसरी कार्रवाईमें, जो कि अपील नहीं है, कोई फरीक इस बिनाके ऊपर किसी दावा या सफाईके ऊपर आपत्ति करता है कि दावा या सफाई या उसका कोई हिस्सा, जो उज्रदारसे सम्बन्ध रखता है, झूठा या तोहमत लगाने वाला है और जिस शख्सने उसे पेश किया है उसको इस बातका इल्म है, और अगर इसके बाद वह दावा या सफाई, जिसका सम्बन्ध उज्रदारसे है, कुल या किसी अंशमे नामंजूर कर दिया जाय या छोड़ दिया जाय अथवा वापस लिया जाय, तो अदालतको अधिकार है कि वह, अगर उज्रदारी पहिले ही पेश कर दीगई है और अगर उसे उसके न्यायानुकूल होनेका इतमीनान हो जाय तो, इस बातकी वजह लिखनेके बाद कि वह ऐसे दावा या सफाईको क्यों झूठा या तोहमत लगाने वाला समझती है, उस शख्सको, जिसकी ओरसे वह दावा या सफाई पेश किया गया हो, यह हुक्म दे कि वह उसे बतौर मुआविजा खर्चा अदा करे।

२ कोई भी अदालत किसी ऐसी रकमकी अदायगीके लिये ऐसा हुक्म नहीं दे सकेगी, जो रकम एक हजार रुपये से ज्यादा हो या उस अदालतके अख्त्यार समाअत मालीसे जायद हो, फिर इनमे से जो रकम भी कम हो।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी ऐसी अदालतको, जो प्रान्तीय कानून अदालत खफीफा सन् १८८७ ई० के अनुसार अदालत खफीफाके अधिकार बर्त रही हो और जो उस कानूनके अनुसार तयार की हुई अदालत न हो, अख्त्यार समाअत मालीकी रकम २५०) (दो सौ पचास) रुपया से कम हो, तो हाईकोर्ट ऐसी अदालतको अधिकार दे सकती है कि वह इस दफाके अनुसार कोई भी रकम, जो २५०) रु० से अधिक न हो और उस रकमसे एक सौ रुपयेसे ज्यादा न हो, बाबत खर्चके दिला दे।

यह भी शर्त है कि हाईकोर्ट को उस रकमकी तादाद मुकर्रर कर देनी चाहिये जो कोई अदालत या किस्म अदालत इस दफाके अनुसार खर्चकी बाबत दिला सकती है।

३ कोई भी शख्स, जिसके विरुद्ध इस दफाके अनुसार कोई हुक्म दिया गया है, इस हुक्मकी वजहसे, किसी दूसरे फौजदारी जुर्मसे छुटकारा नहीं पा जाता जिसके लिए वह किसी दूसरे दावा या सफाईके सम्बन्धमें, जो उसने पेश किया है, जिम्मेदार ठहरता है।

४ इस दफाके अनुसार किसी झूठे या तोहमत लगाने वाले दावा या सफाईकी बाबत दिलाए गए मुआविजे की रकमका बादको किसी भी नालिशमें ख्याल रखा जायगा जो ऐसे दावा या सफाई की बाबत हर्जा या मुआविजा के लिये दायर की जायगी।

नोट—यह उज्र, कि अमुक दावा या सफाई झूठा या तोहमत लगाने वाला है, जहां तक जल्द हो सके पेश किया जाना चाहिये। अगर उज्रदार मुद्दाअलेह है तो बयान तहरीरीमें ही इसका लिख देना काफी होगा लेकिन अगर वह मुद्दई है तो बयान तहरीरी दाखिल कर चुकनेके बाद फौरन् ही उसे एक दरख्वास्त में लिखकर यह उज्रदारी पेश करनी होगी।

डिकरियों और हुक्मों की इजरा

डिकरी के रुपये की अदायगी—डिकरी का रुपया नीचे लिखे अनुसार अदा किया जाना चाहिए —

(क) उस अदालत में जिसका काम उस डिकरी की इजरा करना है, या (ख) अदालत से बाहर, या (ग) किसी दूसरे तरीक़ से जिसके लिए अदालत आज्ञा दे।

जब क्लॉज (क) के अनुसार रुपया जमा किया गया हो, तो इसकी इत्तला डिकरीदार को अवश्य कर दी जानी चाहिए (देखो आडर २१, रूल १)

जब रुपया अदालत के बाहर अदा किया जाय, या और किसी तरह डिकरी का मतालबा चुकता किया जाय, तो डिकरीदार उसपर अपना सार्टीफिकट देगा और अदालत उसी के अनुसार इसका इन्दराज कागजात में कर लेगी। मदियून डिकरी को भी अधिकार है कि वह अदालत को डिकरीदार के नाम इस बात की नोटिस निकालने की दरख्वास्त दे कि अदायगी या बेबाकी तस्दीक़ की हुई (Certified) क्यों समझी जाय। जिस अदायगी या बेबाकी की निस्बत ऊपर बतलाए अनुसार तस्दीक न की जायगी या जिसका इस तरह पर इन्दराज न कर लिया जायगा उसे इजरा करने वाली कोइ भी अदालत स्वीकार न करेगी [देखो आर्डर २१, रूल २]

रूल २, जाबता दीवानी सन् १८८२ ई० की दफा २५८ के समान है जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिस अदायगी की तस्दीक न की जायगी, "उसे कोई भी अदालत, जो उस डिकरी की इजरा कर रही हो, उस डिकरी की अदायगी या बेबाकी तस्लीम न करेगी"। "अदायगी या बेबाकी" शब्द के न होने से यह बात साफ हो जाती है कि डिकरी की इजरा करने वाली कोई भी अदालत या किसी भी कामके लिए ऐसी अदायगी या बेबाकीको तस्लीम न करेगी जिसकी तस्दीक़ नहीं की गई है। पुराने जाबता दीवानी में बहुत से मामलों में यह तय हुआ था, कि, यद्यपि ऐसी अदायगी, जिसकी तस्दीक़ न की गई हो, डिकरी की बेबाकी न समझी जायगी, तो भी डिकरीदार मियाद सम्बन्धी उज्रदारी का जवाब देने के लिए उसे साबित कर सकता है (देखो 28 A 36, 17 A 42, 21 C 542, 21 B. 122) उपरोक्त शब्दों को निकाल देने से यह बात साफ हो जाती है कि जिस अदायगी या

बेबाकी की तस्दीक़ नही की गई है, उससे क़ानून मियाद के अ
दर्ख्वास्त देने के लिए मियाद की मुद्दत नही बढ़ सकती (देखो
312, 16 C W N 396, 15 C L J 88, 15 C L J
C 215, 30 I C 51, 18 A L J 666) किन्तु इजरा कर
को छोड़ बाक़ी सब अदालतें ऐसी अदायगी को तस्लीम कर सकत
तस्दीक़ न कीगई हो। इसलिए बिना तस्दीक़ शुद अदायगी या बेबाक
कत स्वीकार (तस्लीम) कर सकती है जिसमे ऐसी अदायगी या बेबाक
आधार पर कोई नालिश दायर की गई हो (देखो 7 A 124, 20
B 419, 16 C 504, 25 B 252);

डिकरी का रुपया अदा होने पर भी डिकरी जारी

सम्भव है किसी डिकरी की अदायगी या बेबाक़ी अदालत के बाह
और डिकरीदार ने अदालत में उस डिकरीकी अदायगी या बेबाक़ी की [illegible]
करने का वादा कर देने पर भी ऐसा न किया और जालसाजी करके [illegible]
डिकरी के ऊपर इजरा करा दी। क्या ऐसी दशा मे मदियून [illegible]
दीवानी की दफ़ा ४७ के अनुसार इस बिना पर इजरा का [illegible] कर सकता
कि डिकरी की बेबाकी अदालत के बाहर कीगई थी। [illegible]
हाईकोर्टों का इस मामले मे मतैक्य है कि [illegible] के [illegible]
रूल २ मे जो व्यवस्था है वह बिल्कुल स्पष्ट है और [illegible] है
लिए बाध्य नही है कि वह अदालत के बाहर की गई [illegible] को
तस्लीम करे और दफ़ा ४७ के अनुसार उसकी जांच [illegible] डिकरीदार की
ओर से कितनी ही जालसाजी क्यो न की गई हो। [illegible] C L J 423,
24 C L J 462, 36 M 357, 17 M L J [illegible] M [illegible], 21 M
409, 16 C W N 923, 15 C L J [illegible] C L J [illegible], 14 A
L J 370, 63 I C 535, 1921 Pat [illegible] C L J 248 मे इसके
311, 46 B 226, 12 C W N [illegible] C L J 248 मे [illegible], 76 I C
भिन्न फैसला हुआ है। बम्बई हाईकोर्ट ने [illegible] कि [illegible] पर [illegible]
साजी की गई हो, वहा पर अदालत [illegible] [illegible] की गई [illegible]
यगियो को मान ले और दफ़ा ४७ के [illegible] जांच करे (देखो [illegible] W
303, 34 B 579, 68 I C [illegible] [illegible], 12 C W N [illegible] 325, 4
और 30 C L J 249 मे [illegible] P L
C 437 मे यह मत [illegible] किया [illegible]
मे लाने से नही रोकती। [illegible] [illegible] र दी
दी गई अदायगी या बेबाक़ी [illegible], [illegible] डिकरी [illegible]
है, क्या बिना [illegible] ४७ के अनुसार [illegible]

का एलान करने के लिए, कि डिकरी का रुपया बेबाक हो गया है, और डिकरी की इजरा की बाबत डिकरीदार के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करने के लिए नालिश करने की इजाजत नही है (देखो 31 C. 480, 21 C 437; 15 M 302 तथा 25 Cal 718, 17 Bom 23, 16 P R 1910, 42 P R 1914) डिकरी की इजरा में की जाने वाली नीलाम को इस बिना पर मुल्तवी करने के लिए भी, कि डिकरी का रुपया अदालत के बाहर अदा कर दिया गया है, नालिश दायर नही की जा सकती (देखो 20 All 254) तस्दीक करने के लिये किये गये मुआहिदे तोड़ देने से होने वाले नुकसान के लिये मदियून डिकरी दावा दायर कर सकता है (देखो 21 M 409, 23 B. 394, 10 C 354, 30 A 464) उस रुपये के वापस पाने के लिए दावा दायर हो सकता है जो अदालत के बाहर अदा किया गया हो और जिसके लिए सार्टिफिकट न दिया गया हो, देखो 11 I C 1, 13 W R. 69 F B अदालत के बाहर डिकरी का रुपया ले लेने के बाद जालसाजी से उस डिकरी की इजरा करने पर फौजदारी मुकद्दमा चलाया जा सकता है, (देखो 16 C 126, 10 B 288, 34 B 374)

मियाद—मदयून डिकरीको चाहिए कि वह रुपया अदा होने के बाद नब्बे (९०) दिन के भीतर दरख्वास्त दे, जैसा कि कानून मियाद के आर्टि० १७४ में बतलाया गया है, अन्यथा इजरा की कार्रवाई मे उसकी उज्रदारी की समाअत न की जायगी। डिकरीदार आर्टि० १८२ के अनुसार, अदायगी की तारीख से तीन साल के भीतर किसी भी समय दरख्वास्त दे सकता है (देखो 35 C L J 71, 20 C W N 272, 50 I C 364, 20 C L J 131, 10 C L J 467, 21 B 122) यह तय किया गया है कि कानून मियाद की इस सधारण कानूनकी पाबन्दी मे रहते हुए, कि सार्टिफिकट ऐसे समय के भीतर दिया जाना चाहिये जिससे दरख्वास्तकी मियाद आरिज न हो जाय, डिकरीदार किसी भी समय अपना सार्टिफिकट दे सकता है (देखो 23 C W N 320) जरडिकरीके एक हिस्सेकी अदायगी और उसकी तस्दीक (Certification) इजरा की दरख्वास्त को तमादी आरिज हो जाने के पहिले कर दी जानी चाहिए (देखो 35 C L J 566 26 C W N 534 24 I C 215 12 A L J 825)

अगर किसी डिकरी के रुपये का कुछ हिस्सा डिकरी की तारीख से तीन साल के अन्दर अदा कर दिया जाय और अगर इस अदायगी की तारीख से तीन सालके अन्दर इजराकी दरख्वास्त दीगई हो, तो वह दरख्वास्त अन्दर मियाद है और कानून मियाद के आर्टि० १८५ (२) के अर्थ मे डिकरीदार को मियाद की नई तारीख मिल जाती है देखो 46 C 22 इस मुकद्दमे मे जो हेड-नोट दिया हुआ है उसकी शब्द योजना ठीक नही है, क्योकि यह दरख्वास्त अदायगी की तस्दीक करने के लिए है, एक हिस्से अदायगी की तस्दीकके लिए नही, जो अदायगी कि तदबीर मुआविन इजराहै। अदा की हुई रकमोंकी तस्दीकके लिए दीजाने

वाली ऐसी दरख्वास्त इजरा की दरख्वास्त के ही साथ, सिर्फ उसमे उन रकमो को दिखला कर, जो कि अदा की गई है, दी जा सकती है। अगर 46 C 22 में दी हुई नजीर का यह अर्थ है, जैसा कि जाहिरा मे मालूम होता है, कि अदालत के बाहर एक हिस्सा जर-डिकरी के अदा हो जाने से मियाद के लिए एक नई तारीख मिल जाती है, तो इसपर भारी आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि किसी डिकरी के अनुसार अदा की जाने वाली कुल रकमे, जो मियाद की मुद्दत बढ़ाने के लिए अदा की जाती है, कानून मियाद की दफा २० के अनुसार अदा की जानी चाहिए। सन् १९०८ ई० के कानून मियादके अनुसार दफा २० के साथ जो 'विवरण' जोड दिया गया है उसमे साफ तौर से यह बतला दिया गया है कि "कर्ज मे यह रकम शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुक्म के बमूजिब वाजिबुल् अदा है।" इसलिए अगर डिकरी मे कोई व्याज नही लगाया गया है और उसका थोड़ा सा हिस्सा अदा किया जाता है, या अगर डिकरी मे व्याज है और थोडा सा रुपया असल की बाबत अदा किया गया है, तो वह रकम ऋणी के हस्ताक्षर से अदा की जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा हिस्सा जर डिकरी का अदा किया गया है और अगर दफा २० के नियमों का पालन किया जाता है, तो डिकरीदार इजरा के लिए दरख्वास्त देने से पहिले या खुद इजराकी दरख्वास्त मे ही उस थोडी सी अदा की हुई रकम की निस्बत अपना सार्टीफिकट दे सकता है। लेकिन इससे कानून मियाद की दफा २० के ऊपर किसी तरह का भी कोई असर नही पडता, (देखो 22 C W N 325 , 26 C W N 534)

46 C 22 मे सिर्फ यह तय हुआ है कि सार्टीफिकट देने के लिए दरख्वास्त का दिया जाना तदबीर मुआविन इजरा है। मुकद्दमे का हेड-नोट भ्रमोत्पादक है।

मदयून डिग्री ने जर डिकरी की बाबत कुछ रकम अदा की, लेकिन यह रकम न तो व्याज की मद्द मे अदा की गई थी और न इस अदायगी मे ऋणी के दस्तखत थे। इसके अलावा कोई सार्टीफिकट भी नही था। तय हुआ कि चूंकि इस रकम की अदायगी मे वे शर्त पूरी नही की गई है जो कानून मियाद की दफा २० मे बतलाई गई है इसलिए वह अदायगी तदबीर मुआविन इजरा नही है, देखो C M. S A 92 of 1922, 46 M L J 57

रकम की अदायगी की तस्दीक (Certification) की निस्बत जाबता दीवानी में कोई खास नमूना नही रखा गया है। यह तस्दीक इजरा की दरख्वास्त में की जा सकती है और इसकी इत्तला कर देना ही काफी है, देखो 20 C W N 272, 20 C L J 131, 20 C L J 632, 22 C W N 325; 4 Pat L J 159, 41 M 251, 35 C L J 71, 45 B 91, 55 P L R 1919

जाबता दीवानी का आर्डर ९, रूल ९ आर्डर २१ रूल २ के अनुसार दी गई दरख्वास्त के सम्बन्धमे लागू नही होता जो कि खारिज कर दी गई हो, देखो 63 I C 855, 28 C W N 32 n

रेहननामा की डिकरी—नए जाबता के अनुसार डिकरी कतई बनाने के लिए दी गई दरख्वास्त इजरा की कार्रवाई नहीं है बल्कि वह नालिश की कार्रवाई है (देखो 25 C W N 595, 40 A. 235) और कतई डिकरी देते समय अदालत उस अदायगी को सही मान सकती है जो अदालत के बाहर की गई है और जिसके लिए कोई सार्टिफिकट दाखिल नहीं किया गया है (देखो 57 I C 473 (P), 44 A 668 तथा 25 C L J. 553, 42 M 61)

कई डिकरीदारों में से किसी एक को रुपया का अदा किया जाना—अगर कई डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही आदमी इस बात का सार्टिफिकट दे देवे कि डिकरी का कुल रुपया अदा हो गया है, तो उसके लिए बाकी लोग बाध्य नहीं है, देखो 26 A 334, 15 M 343, 3 A L J 49 एक डिकरीदार सिर्फ अपने हिस्से की बेबाकी का ही सार्टिफिकट दे सकता है, देखो 26 A 318, 9 C 831

इजरा होने वाली डिकरियाँ—जिस डिकरीकी इजरा किए जानेको है वह एक बाजाबता और सही डिकरी होनी चाहिए। जो डिकरी जाहिरामें बेजाबता मालूम होती हो, उसकी इजरा नहीं हो सकती। उसकी मियाद खारिज नहीं होने देना चाहिए। जिस डिकरीकी इजरा की जानेको है, वह अन्तिम अदालतकी डिकरी होनी चाहिए। जब कोई अपील खारिज हो जाय, तो जिस डिकरीकी इजरा हो सकती है वह वह डिकरी होगी जिसके खिलाफ अपील कीगई है (देखो 36 All 350 P C) अगर अदालत अपील डिकरीको बहाल रखे, तो मियादकी तारीख उस अदालतकी डिकरीकी तारीखसे शुरू होगी, जब अदालत अपीलको बदल दे, मंसूख कर दे या उसमें कोई संशोधन कर दे, तो जो डिकरी काबिल इजरा है वह अदालत अपीलकी डिकरी होगी।

इजराकी दरख्वास्त—इजराकी दरख्वास्त या तो,

(अ) उस अदालतको दी जानी चाहिये जिसने डिकरी दी है या उस अफसरको (अगर कोई हो) जो इस बातके लिये मुकर्रर किया गया हो या,

(ब) अगर डिकरी दूसरी अदालतको भेज दीगई है तो उस अदालतको या उसके किसी मातहत अफसरको (देखो आर्डर २१, रूल १०)

"उस अदालतको, जिसने डिकरी दी है" के अर्थके लिए देखो जाबता दीवानीकी दफा ३७।

इजरा की दरख्वास्त

इजरा की हर एक दरख्वास्त लिखी हुई होनी चाहिये और उसपर सायल (दरख्वास्त देने वाले) या किसी दूसरे शख्स के दस्तखत और तस्दीक होनी चाहिये जिसकी निस्बत अदालत के इतमीनान के लिये यह साबित होगया हो कि

यह उस मुकद्दमे के हालात को बखुबी जानता है, और उसमे नीचे लिखी बातें लिखी रहनी चाहिये, अर्थात्

(क) मुकद्दमे का नम्बर,

(ख) फरीकैन के नाम,

(ग) डिकरी की तारीख,

(घ) यह कि क्या डिकरी की अपील की गई है,

(ङ) यह कि क्या डिकरी के बाद कोई रकम और (अगर हां तो) कितनी रकम उस मामले की अदायगी या बेबाकी की निस्बत तय की गई है जिसकी निस्बत फ़रीकैन के बीच झगडा है,

(च) यह कि क्या इससे पहिले डिकरी की इजरा के लिये कोई और (अगर हा तो) कोनसी दरख्वास्तें दीगई हैं, उन दरख्वास्तो की तारीखे और उनका परिणाम,

(छ) रकम मय उस ब्याज के जो डिकरी के ऊपर वाजिब हो या उससे जो दादरसी दी गई है, मय उस डिकरी के हालात के जो मुखालिफ मे दीगई है, चाहे वह उस डिकरी के दिये जाने के पहिले या बाद में दीगई हो जिसकी इजरा कराई जाती है;

(ज) उस खर्चे की तादाद जो दिलाया गया है (अगर कोई हो),

(झ) उस शख्स का नाम जिसके खिलाफ़ इजरा की दरख्वास्त है,

(ञ) यह कि किस किस तरह पर अदालत की सहायता चाही जाती है—

१—किसी जायदाद को दिला कर जिसके लिये खास तौर से डिक्री दी गई है।

२—किसी जायदाद को कुर्क और नीलाम कराके या बिना कुर्क किए हुये ही नीलाम करा के,

३—किसी शख्स को गिरफ्तार करवा के जेलखाने मे रखकर,

४—रिसीवर को नियुक्त करके,

५—और किसी तरहसे जैसाकि दी हुई दादरसी की वजह से आवश्यक जान पडे।

अदालत दरख्वास्त देने वालेको यह हुक्म देनेका अधिकार रखतीहै कि वह डिकरी की सार्टीफिकट शुदा नक्ल दाखिल कर [देखो आर्डर २१ रूल ११ (३)]

जब डिकरी बाबत अदायगी जर नक़द के हो और डिकरी दिए जाने के समय मदियून-डिक्री अदालत की सीमाके अन्दर हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह डिकरी दिए जाने के समय डिक्रीदार की जबानी दरख्वास्त पर उस डिकरी की फौरन् इजराके लिए हुक्म दे, कि मदियून डिकरी बिना वारन्टके

गिरफ्तार किया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)]। जो डिकरी बकाया लगानकी बाबत दीगई हो उसमें भी अदालत डिकरीदारकी जबानी दरख्वास्त पर इजराका हुक्म जारी कर सकती है [देखो बगाल टिनेंसी ऐक्ट की दफा १४८ (१)]

आर्डर २० रूल ७ के अनुसार डिकरी की तारीख का मतलब उस तारीख से है जिसको फैसला सुनाया गया हो।

अगर किसी जायदाद मनकूला को, जो मदियून-डिकरी की मिल्कियत है, (लेकिन जो उसके कब्जेमे नही है), कुर्कीके लिये दरख्वास्त दी जाय, तो उसके साथ जायदाद मकरूका (कुर्ककी हुई जायदाद) की एक फेहरिस्त भी नत्थी कर देनी चाहिये जिसमें उस जायदादका तफसीलवार ठीक २ हवाला दिया हुआ हो। इसे फर्द तालुका कहते है (देखो आर्डर २१, रूल १२)। फार्मके लिये देखो जाबता दीवानीके परिशिष्ट १ के जमीमा (ई) का फार्म नं० ९।

जब वह जायदाद मनकूला मदियून डिकरीके कब्जेमें हो, तो उन चीजों की, जो डिकरीदार कुर्क करवाना चाहता है, एक फेहरिस्त भी दाखिल करनी चाहिये [देखो जाबता दीवानीके जमीमा (ई) का फार्म न० ८] जिसमे उनकी अन्दाजन् कीमत लिखी हुई हो और खाना १० मे यह बात लिख दीजानी चाहिये कि अमुक अमुक जायदाद ही कुर्क की जानी चाहिये।

नकद रुपएकी डिकरीमें कुर्की

नकद रुपयेकी डिकरीमे कुर्ककी जाने वाली जायदाद की मालियत जहां तक हो सके उस रुपयेके लगभग ही होनी चाहिये जो बाकी है (देखो आर्डर २१, रूल १७) जब तक फेहरिस्त न दाखिलकी जाय, अदालत इस बातको नही तय कर सकती कि कुर्क की जाने वाली जायदाद की मालियत करीब करीब उतनी है जितनी कि डिकरीके रुपये की तादाद है। अगर उन चीजोंकी, जिनकी कुर्की किये जानेके लिये दरख्वास्त कीगई है, कीमत २०) रु० से अधिक है, तो जाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा दरख्वास्तके साथ ही अदा कर दिया जाना चाहिये।

जाबता दीवानीके आर्डर २१, रूल १० के अनुसार उस जायदाद मनकूला की कुर्कीके लिये दरख्वास्त देते समय, जोकि मदियून डिकरीके कब्जेमें है, डिकरी दारको चाहिये कि वह उसी आर्डरके रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा अदालतमे जमा कर दे, सिवाय उस हालतके, जबकि जिस जायदादको वह कुर्क करवाना चाहताहै उसकी कीमत वह बीस २०)रु० अधिक न न बतलाता हो। इस हालतमें, अगर जायदादकी कीमत, जो कि रूल ९२ के अनुसार तय हुई है, बीस रुपयेसे अधिक मालूम हो तो, अदालत डिकरीदारको यह

हुक्म देगी कि वह कुर्कीकी नोटिस पाते ही फौरन् इश्तहार नीलामका खर्चा जमा कर दे (देखो G R & C O. Chap I R 91)

गैर मनकूला जायदादकी कुर्की

उस जायदाद गैर मनकूलाकी, जो कि मदियून डिकरीकी मिल्कियत है, कुर्कीके लिये दी जाने वाली दरख्वास्तमें इतनी बातें लिखी जानी चाहिये — (क) उस जायदादका विवरण जो उसकी शिनाख्तके लिए काफ़ी हो और (ख) उस जायदादमें मदियून डिकरीका कितना हक़ या हिस्सा है (देखो आर्डर २१ रूल १३)

लेकिन शर्त यह है कि नक़द रुपयेकी डिक्रीमें कुर्क होने वाली जायदाद की क़ीमत करीब करीब उस रक़मके बराबर होनी चाहिये जो उस डिकरीकी बाबत वाजिबुल वसूल है (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्तें)

जब कुर्ककी जाने वाली आराजी ऐसी आराजी है जिसकी मालगुजारी अदा की जाती है तो अगर अदालत ऐसा जरूरी समझे तो कलक्टरके रजिस्टरसे एक सार्टीफिकेट शुद नक़ल पेश की जानी चाहिये जिसमें रजिस्टरमें दर्ज मालिकोंके नाम और उस जायदादमें उसका क्या हिस्सा है यह लिखा रहेगा (देखो आर्डर २१ रूल १४)

जब दरख्वास्त किसी मालगुजारी माफ़ आराजीकी या उस आराजीके किसी हिस्सेकी कुर्कीके लिये हो, उस समय जाब्ता दीवानीके आर्डर २१ रूल १३ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके साथ साथ उन सभी हालतोंमें, जिनमें ये सारी बातें कलक्टरके रजिस्टरमें दर्ज कर ली गई हैं, दरख्वास्तमें वह सारी बिना तथा मालगुजारी आराजीका रकबा लिखा जाना चाहिये ।

जब अदालत दीवानीसे किसी ऐसी आराजी या हिस्से आराजीकी कुर्कीके लिये दरख्वास्त दीगई हो, जिसका किसी जिले के रजिस्टर मालगुजारी में इन्दराज है तो जाब्ता दीवानीके आर्डर २१ रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके अलावा वह सालाना मालगुजारी भी लिखी जायगी जो उस कुल आराजीकी बाबत वाजिबुल् अदा है । इसके लिये कलक्टरके दफ्तरके रजिस्टरकी एक तस्दीक़ शुद नकल पेश करनी पड़ेगी (देखो G R & C O Chap I. R 92)

इजराकी दरख्वास्त पानेपर कार्रवाई—इजराकी दरख्वास्त पाने पर अदालत इस बातको तय करेगी कि वह जाब्ता दीवानीके आर्डर २१ के रूल ११ से रूल १४ तक की शर्तोंको पूरा करती है या नहीं । अगर वह इन शर्तोंको पूरा करती है तो अदालत, इजराका हुक्म जारी करनेकी आज्ञा दे सकती है (देखो आर्डर २१ रूल १४), अगर वह इन शर्तोंको पूरा नहीं करती है तो अदालतका अधिकार

गिरफ्तार किया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)] । जो डिकरी बक़ाया लगानकी बाबत दीगई हो उसमें भी अदालत डिकरीदारकी जबानी दरख्वास्त पर इजराका हुक्म जारी कर सकती है [देखो बंगाल टिनेंसी ऐक्ट की दफ़ा १४८ (१)]

आर्डर २० रूल ७ के अनुसार डिकरी की तारीख का मतलब उस तारीख़ से है जिसको फ़ैसला सुनाया गया हो।

अगर किसी जायदाद मनकूला को, जो मदियून डिकरी की मिल्कियत है, (लेकिन जो उसके क़ब्जेमें नहीं है), कुर्कीके लिये दरख्वास्त दी जाय, तो उसके साथ जायदाद मक़रूक़ा (कुर्ककी हुई जायदाद) की एक फ़ेहरिस्त भी नत्थी कर देनी चाहिये जिसमें उस जायदादका तफ़सीलवार ठीक २ हवाला दिया हुआ हो। इसे फर्द तालुक़ा कहते हैं (देखो आर्डर २१, रूल १२)। फ़ार्मके लिये देखो जाब्ता दीवानीके परिशिष्ट १ के जमीमा (ई) का फ़ार्म नं० ६।

जब वह जायदाद मनकूला मदियून डिकरीके क़ब्जेमें हो, तो उन चीजों की, जो डिकरीदार कुर्क करवाना चाहता है, एक फ़ेहरिस्त भी दाखिल करनी चाहिये [देखो जाब्ता दीवानीके जमीमा (ई) का फ़ार्म नं० ८] जिसमें उनकी अन्दाजन् क़ीमत लिखी हुई हो और खाना १० में यह बात लिख दीजानी चाहिये कि अमुक अमुक जायदाद ही कुर्क की जानी चाहिये ।

नक़द रुपएकी डिकरीमें कुर्की

नक़द रुपयेकी डिकरीमें कुर्ककी जाने वाली जायदाद की मालियत जहां तक हो सके उस रुपयेके लगभग ही होनी चाहिये जो बाक़ी है (देखो आर्डर २१, रूल १७) जब तक फ़ेहरिस्त न दाखिलकी जाय, अदालत इस बातको नहीं तय कर सकती कि कुर्क की जाने वाली जायदाद की मालियत क़रीब क़रीब उतनी है जितनी कि डिकरीके रुपये की तादाद है। अगर उन चीजोंकी, जिनकी कुर्की किये जानेके लिये दरख्वास्त कीगई है, क़ीमत २०) रु० से अधिक है, तो जाब्ता दीवानीके आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा दरख्वास्तके साथ ही अदा कर दिया जाना चाहिये ।

जाब्ता दीवानीके आर्डर २१, रूल १० के अनुसार उस जायदाद मनकूला की कुर्कीके लिये दरख्वास्त देते समय, जोकि मदियून डिकरीके क़ब्जेमें है, डिकरी दारको चाहिये कि वह उसी आर्डरके रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा अदालतमें जमा कर दे, सिवाय उस हालतके, जबकि जिस जायदादको वह कुर्क करवाना चाहता है उसकी क़ीमत वह बीस २०)रु० अधिक न न बतलाता हो। इस हालतमें, अगर जायदादकी क़ीमत, जो कि रूल ९३ के अनु सार तय हुई है, बीस रुपयेसे अधिक मालूम हो तो, अदालत डिकरीदारको यह

नहीं थी। 2 P. 328 मे यह तय किया गया है कि जब डिकरी जिन्दा हो तो पहिली फ़ेहरिस्त के साथ दूसरी चीजें शामिल करके उसकी तरमीम करनेकी इजाजत दी जा सकती है। 74 I C 144 (P) में तय हुआ है कि जहा आर्डर २१ रूल १७ के अनुसार दरख़्वास्त दर्ज रजिस्टर कर लीगई है तो इसके बाद उसकी तरमीम मुमकिन नहीं है और असबाब (जायदाद) की नई फ़ेहरिस्त दाख़िल करनेकी दरख़्वास्त इजराकी दरख़्वास्तकी तरमीम नहीं है। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आर्डर २१ रूल १७ यह अधिकार देता है कि तरमीम सिर्फ़ रूल ११—१४ के ही नियमानुसार की जानी चाहिये और इसमें रूल १५ या किसी दूसरे रूलमें होने वाला नुक़्स शामिल नहीं है (देखो 53 I, C 803)

कौनसी अदालतें डिकरीकी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुन्तक़िली—किसी डिकरीकी इजरा या तो वह अदालत करती है जिसने वह डिकरी दी है या वह अदालत जिसके पास वह इजरा के लिए भेजी गई है (देखो जाबता दीवानीकी दफा ३८)

जिस अदालतने डिकरी दी है वह डिकरीदारके दरख़्वास्त देने पर, उसे जाबता दीवानीकी दफा ३९ मे बतलाई हुई किसी भी बिनाके ऊपर उसकी इजरा के लिए दूसरी अदालतको भेज सकती है या अपने ही इच्छा से उसे इजराके लिए किसी मातहत अदालतके पास, जिसे ऐसा करनेका अख़्त्यार हो भेज सकती है (देखो जाबता दीवानीकी दफा ३९)

जब कोई डिकरी इजराके वास्ते किसी दूसरी अदालतमें भेज दीगई हो तो डिकरी भेजने वाली अदालत को उस डिकरीकी एक नक़ल साथमें भेज दीजानी चाहिए और डिकरीके बेबाक न होने पर या उसका कुछ हिस्सा बेबाक होनेका सार्टीफिकट और इजराके किसी हुक्मकी नक़ल या इस बातका सार्टीफिकट दे दे (देखो आर्डर २१ रूल ६) तथा उस अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा डिकरीकी इजरा होने को है।

जब वह अदालत जिसके पास इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी जाने को हो, उसी जिलेमें वाक़ हो जिसमें कि वह अदालत जिसने डिकरी दी है, तो वह उसीके पास भेजी जायगी। अगर वह दूसरे जिलेमें वाक़े है तो वह जिलेकी अदालतमें भेजी जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ५), वह अदालत उसे किसी भी मातहत अदालतके पास भेज सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ८)।

जब कोई जायदाद ग़ैर मनकूला ऐसी रियासत या हक़ीयत हो जो दो या अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थनीय सीमा के भीतर वाक़े है, तो इनमें से कोई भी अदालत उस कुल रियासत या हक़ीयत को कुर्क और नीलाम कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३)।

प्रांतीय खफ़ीफाकी अदालतों को इजराके वास्ते डिकरियों की मुन्तक़िली के सम्बन्ध मे देखो आर्डर २१ रूल ४। हाई कोर्ट द्वारा डिकरियों की इजरा के के सम्बन्ध मे देखो रूल ९।

है कि वह वहीं पर और उसी समय या किसी ख़ास वक्तके अन्दर जिसे वह मुक़र्रर करेगी उस दरख़्वास्तकी कमीको पूरा करनेकी आज्ञा दे दे या उसे ख़ारिज कर दे। जब इस तरह किसी दरख़्वास्तका संशोधन कर दिया जाय तो उसकी निस्बत यह समझा जायगा कि वह क़ानूनके अनुसार तैयार की हुई दरख़्वास्त है और "उस तारीख़को दाख़िल कीगई है जिस तारीख़को कि वह पहिले दाख़िल कीगई थी" (देखो आर्डर २१ रूल १७ (२))—अदालत दरख़्वास्तके इस नुक्सको दूर करने के वक्त को बढ़ा सकती है (देखो दफ़ा १४८)- अगर दरख्वास्त ख़ारिज कर दी जाय तो डिकरीधारको यह अधिकार है कि वह बाक़ायदा तैयार की हुई एक दूसरी दरख़्वास्त दे, अगर उसकी मियाद ख़ारिज नहीं होगई है।

जब दरख्वास्त मंजूर कर ली गई हो तो अदालतको चाहिये कि वह दरख़्वास्तके मुताबिक़ डिकरीकी इजराका हुक्म दे दे (देखो आर्डर २१ रूल १७)

नोट—इजराकी दरख्वास्त देनेके पहले वकीलको इस बातका पूरा २ इतमीनान कर लेना चाहिये कि उसमें वे तमाम बातें लिख दीगई हैं जिनके लिखे जानेकी जरूरत है और कुल खानोंकी बाक़ायदा ख़ानापूरी कर लीगई हैं। अगर उसमें कोई नुक्स हो या कोई बात छूट गई हो तो अदालतको इतना अख्त्यार है कि वह उस दरख्वास्तको ख़ारिज कर दे और उसे दुरुस्त किये जानेके लिये वापस भी कर दे। अगर किसी डिकरीकी इजरा की कोई ऐसी दरख्वास्त ख़ारिज करदी जाय जिसकी मियादकी मुद्दत करीब आगई है तो सम्भव है कि दूसरी दरख्वास्त पेश किये जानेके पहले उसकी मियाद ख़ारिज हो जाय और जिस डिकरी की मियाद दरख्वास्त देनेके बाद ख़तम हो जाती है उसकी इजरा न हो सकेगी।

जो दरख़्वास्त दफा २२५ (आर्डर २१ रूल ११) मे बतलाये नियमानुसार दी गई है लेकिन नीचे जायदादका हवाला नहीं दिया है जो दफा २३७ (आर्डर २१ रूल १३) मे बतलाया गया है, वह दफा २३० (आर्डर २० रूल १०) में बतलाई हुई दरख्वास्तें है। अगर ऐसी दरख्वास्त उस मियादके अन्दर दुरुस्त न कर दी जाय जो अदालतने इसके लिये दिया है तो वह क़ानूनके अनुसार दरख़्वास्त न समझी जायगी जिससे मियादकी मुद्दत की नई तारीख़ मिलती हो (देखो 17 C 631, F B 14 C 124 Over-Ruled, और 18 C L J, 538 V) एक डिकरी तारीख़ १८ ११ १९११ ई० को दीगई और उसकी इजरा दरख्वास्त तारीख़ २३-११-१९१४ ई० को दीगई जो क़ानूनके मुताबिक़ थी। लेकिन मदियून डिकरीके उज्रदारी करने पर यह मालूम हुआ कि जो चीजें बतलाई गई हैं वे कुर्क नहीं की जा सकती और डिकरीदारने तारीख़ १४ १-१९१५ ई० को यह दरख्वास्त दी कि उस दरख्वास्त की तरमीम करने की इजाजत दी जाय और जायदाद की नई फ़ेहरिस्त ले ली जाय। तय हुआ कि फ़ेहरिस्त उस पहिली दरख़्वास्त का ही हिस्सा समझ कर ले ली जाय, देखो 22 C W N 540 इस सम्बन्धमे 17 I C. 631 और 18 C L.J 538 केमुक़द्दमे इस बिनापर भिन्न माने गये कि चीजोंकी कोई फ़ेहरिस्त दाख़िल न कीगई थी और जो दरख़्वास्त दी गई थी वे क़ानूनके मुताबिक

नही थी। 2 P. 328 मे यह तय किया गया है कि जब डिकरी जिन्दा हो तो पहिली फ़ेहरिस्त के साथ दूसरी चीजें शामिल करके उसकी तरमीम करनेकी इजाजत दी जा सकती है। 74 I C 144 (P.) मे तय हुआ है कि जहा आर्डर २१ रूल १७ के अनुसार दरख्वास्त दर्ज रजिस्टर कर लीगई है तो इसके बाद उसकी तरमीम मुमकिन नहीं है और असबाब (जायदाद) की नई फ़ेहरिस्त दाखिल करनेकी दरख्वास्त इजराकी दरख्वास्तकी तरमीम नही है। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आर्डर २१ रूल १७ यह अधिकार देता है कि तरमीम सिर्फ़ रूल ११—१४ के ही नियमानुसार की जानी चाहिये और इसमें रूल १५ या किसी दूसरे रूलमें होने वाला नुक्स शामिल नही है (देखो 53 I, C 803)

कौनसी अदालतें डिकरीकी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुन्तक़िली—किसी डिकरीकी इजरा या तो वह अदालत करती है जिसने वह डिकरी दी है या वह अदालत जिसके पास वह इजरा के लिए भेजी गई है (देखो जाबता दीवानीकी दफा ३८)

जिस अदालतने डिकरी दी है वह डिकरीदारके दरख्वास्त देने पर, उसे जाबता दीवानीकी दफा ३९ मे बतलाई हुई किसी भी बिनाके ऊपर उसकी इजरा के लिए दूसरी अदालतको भेज सकती है या अपने ही इच्छा से उसे इजराके लिए किसी मातहत अदालतके पास, जिसे ऐसा करनेका अख्तियार हो भेज सकती है (देखो जाबता दीवानीकी दफा ३९)

जब कोई डिकरी इजराके वास्ते किसी दूसरी अदालतमें भेज दीगई हो तो डिकरी भेजने वाली अदालत को उस डिकरीकी एक नक़ल साथमें भेज दीजानी चाहिए और डिकरीके बेबाक न होने पर या उसका कुछ हिस्सा बेबाक होनेका सार्टीफिकट और इजराके किसी हुक्मकी नक़ल या इस बातका सार्टीफिकट दे दे (देखो आर्डर २१ रूल ६) तथा उस अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा डिकरीकी इजरा होने को है।

जब वह अदालत जिसके पास इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी जाने को हो, उसी जिलेमे वाक़ हो जिसमे कि वह अदालत जिसने डिक्री दी है, तो वह उसीके पास भेजी जायगी। अगर वह दूसरे जिलेमे वाक़े है तो वह जिलेकी अदालतमे भेजी जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ५), वह अदालत उसे किसी भी मातहत अदालतके पास भेज सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ८)।

जब कोई जायदाद गैर मनक़ूला ऐसी रियासत या दकीयत हो जो दो या अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थनीय सीमा के भीतर वाक़े है, तो इनमें से कोई भी अदालत उस कुल रियासत या दकीयत को कुर्क और नीलाम कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३)।

प्रांतीय खफ़ीफ़ाकी अदालतों को इजराके वास्ते डिकरियों की मुन्तक़िली के सम्बन्ध मे देखो आर्डर २१ रूल ४। हाई कोर्ट द्वारा डिकरियों की इजरा के के सम्बन्ध मे देखो रूल ९।

उपरोक्त बातें हो जाने के बाद डिक्रीदार उस अदालत को इजरा की दरख्वास्त दे सकता है (देखो आर्डर २१ रूल १०)

जो अदालत जाबता दीवानी की दफा ३९ के अनुसार दूसरी अदालत को इजरा के वास्ते डिकरिया भेज रही हो उसे जाबता दीवानी के आर्डर २१ रूल ६ के क्लॉज (सी) की शर्तोंको भूल न जाना चाहिये [देखो G R &C O Chap I R 85]

जो डिकरिया दफा ३९ के अनुसार हाईकोर्ट के पास इजरा के लिये भेजी जायगी और जिन सार्टीफिकटों द्वारा दफा ४१ के अनुसार इजरा की कार्रवाई के नतीजे की इत्तला हाईकोर्ट को दी जाती है वे सब बद लिफाफे के अन्दर भेजी जानी चाहिये [देखो G R & C O Chap I R 86)

कूचबिहार और बरोदाकी दीवानी और माल की अदालत की डिकरियों की ब्रूटिश इंडिया में इजरा—जाबता दीवानी की दफा ४४ के अनुसार सपरिषद् गवर्नर जनरल ने घोषणा निकालने की कृपा है कि कूच बिहार की दीवानी और माल की अदालतों की और बरौदा की दीवानी अदालतो की इजरा ब्रूटिश भारत मे उसी प्रकार की जा सकती है मानो कि वे ब्रूटिश भारत की ही अदालतों द्वारा दी गई हो (देखो G R & C O Chap I R 88)

ब्रूटिश राज्य की अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की देशी रियासतों की अदालतों में इजरा—इस सम्बन्ध मे भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव नं० २४० तारीख २८ अगस्त सन् १८६८ ई० मे दी हुई हिदायतो को देखो जो G R & C O Chap 1 R 89 मे प्रकाशिक की गई है ।

आम कायदा यह है कि अंग्रेजी राज्यकी डिकरी की तामील देशी रियासतों मे, देशी रियासतों के राज्य कानूनके अनुसार होती है। अकसर जिस कदर स्टाम्प उस देशी रियासत में उस किस्म की डिकरी की इब्तिदाई नालिश में लगाना जरूरी था उस कदार स्टाम्प दाखिल करके एक प्रकार नये सिरे से मुकद्दमा चलाकर वहा की डिकरी हो जाती है और अंग्रेजी राज्य की डिकरी बतौर सुबूत के मान ली जाती है। पीछे उस डिकरी को राज्य के कानून के अनुसार इजरा कराया जाता है कभी कभी अंग्रेजी डिकरी को ही इजरा कर देते है ।

हर एक राज्यमें भिन्न भिन्न कानून है हम इसका वर्णन अन्यत्र विस्तार से करेंगे।

अंग्रेजी अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की फ्रासीसी राज्यमें इजरा—दीवानी अदालतों को इजरा के लिये डिकरिया फ्रासीसी अदालतों मे नही भेजना चाहिये बल्कि उन्हे उन फरीकैन को जो उन डिकरियों से सम्बन्ध रखते हो इस बात की हिदायत कर देनी चाहिये कि वे खुद उन अदालतों मे दरख्वास्त दें ।

अदालत इजरा के अख्त्यारात—जिस अदालत को इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी गई हो उसे उसकी इजरा करने मे वही अख्त्यारात हासिल होंगे मानो वह डिकरी उसी अदालत से दी गई थी (देखो जाबता दीवानी की [illegible])

यह एक बिलकुल तय बात है कि अदालत इजरा को डिक्री की नये सिरे से जाच परताल करने का अख्त्यार नहीं है वह डिक्री के जायज होने मे कोई एतराज नहीं कर सकती और न उसके कानूनी होने के सम्बन्ध मे ही कोई एतराज कर सकती है [देखो 23 A 181 P C, 11 B 528, 31 C 922, 24 C L J 375, 20 C L J. 512, 14, C L J 83,30 M 402, 5 A 53,15 A 334, 15 C W N 725, 10 M 283 13 C W N 1182 P C, 21 C W N 1104)-अदालत इजरा किसी डिक्री की इस बिना पर इजरा करने से इनकार नहीं कर सकती कि वह एक नाबालिग के खिलाफ दी गई है जिसका कोई वली मुकद्दमे मे उसका प्रति निधि नहीं बनाया गया था देखो 78 I C 460 लेकिन 50 I C 529, 4 Pat L J 240 F B और 26 M 31 में यह तय किया गया है कि अदालत इजरा उस डिकरी पर ऐसा विचार करने के लिये बाध्य नही है जो बिलकुल नाजायज और बे जाब्ता है। अदालत इजरा उस अदालतके अख्त्यार समाअतकी निस्बत कुछ नहीं कह सकती जिसने डिकरी दी है (देखो 28 B 378, 17 A 478, 10 B 65, 43 M 475 F B) और न वह जालसाजी के ही विषय मे कुछ कह सकती है (देखो 15 B 216, 4 M 324)

इजरा की दरख्वास्त कौन दे सकता है—(१) इजरा की दरख्वास्त डिकरीदार या डिकरीदारों को देनी चाहिये। . .

(२) अगर डिकरी एक से अधिक लोगो के हक मे शामिलात मे दी गई है तो (जब तक डिकरी में इससे भिन्न कोई व्यवस्था न की गई हो) उनमे एक अथवा अधिक आदमी उन सब लोगोंकी या उनके कानूनी प्रतिनिधियोंकी ओर से उस सारी की सारी डिकरी की इजरा की दरख्वास्त दे सकते है।

(३) अगर डिकरीदार ने तहरीरी वसीयतके जरिये या कानूनकी रू से डिकरी को मुन्तकिल कर दिया हो तो मुन्तकिलअलेह उस अदालत मे इजरा की दरख्वास्त दे सकता है जिसने डिकरी दी है। लेकिन शर्त यह है कि इस दरख्वास्त की इत्तला इन्तकाल कुनिन्दा और मदियून डिकरी दोनों को दी जानी चाहिये और उसपर उज्रदारी अगर कोई हो तो सुनी जायगी। यह भी शर्त है कि जब दो या अधिक आदमियों के ऊपर दी गई रुपये की अदायगी की डिकरी उन मे से किसी एक शख्स के हक मे मुन्तकिल कर दी जाय तो बाकी लोगों के खिलाफ उसकी इजरा न हो सकेगी [देखो आडर २१ रूल १६]

(४) अगर डिकरीदार मर जाय तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को उस डिकरी की इजरा की दरख्वास्त देने का हक होगा [देखो दफा १४६]

(५) अगर किसी महाजन को कुर्की मे कोई डिकरी मिली हो तो वह महाजन उस डिकरी की इजरा के लिये दरख्वास्त दे सकता है [देखो आर्डर २१ रूल ५३ (७)]

नोट—शामिलाती डिकरी का मतलब ऐसी डिकरी से है जो दो या अधिक आदमियों के हक में दी गई हो यद्यपि उस डिकरी या जायदाद डिकरी में उनका हक या हिस्सा अलग अलग हो।

जहां पर शामिलाती डिकरीदारों मे से सिर्फ कुछ ही आदमी इजरा की दरख्वास्त दे उस हालत मे अदालत को अख्तयार है कि वह उस दरख्वास्त को मजूर करे या ना मजूर, देखो 7 C L R. 537—अदालत के लिये यह लाजिमी नही है कि वह इस रूल के अनुसार हुक्म देने के पहिले हर एक डिकरी के बाकी शामिलाती डिकरीदारों के नाम नोटिस जारी करे, देखो 33 C 306 यद्यपि अदालत की इजाजत लेकर कई डिकरी दारों में से सिर्फ एक ही डिकरीदार शामिलाती डिकरी की इजरा करा सकता है पर इजरा उस कुल डिकरीकी होनी चाहिये उसके किसी एक हिस्सेकी नही और अदालत को अधिकार होगा कि बाकी डिकरीदारोंके हकूक की हिफाजत (रक्षा) का प्रबन्ध करने के बाद वह इजरा की दरख्वास्त को मजूर करले देखो 7 W R 10, 22 W R 354, 15 W R 159—अकेला एक डिकरीदार सिर्फ अपने ही हिस्सेकी इजरा नही करा सकता। इजरा की इजाजत उसी समय दी जा सकती है जब वह कुल डिकरीदारों के फायदे के लिये कीगई हो। अगर यह बात लिख न दी जायगी तो इजरा की दरख्वास्त ठीक न मानी जायगी और फिर रूल १७ के अनुसार उसकी इजरा भी न हो सकेगी [देखो 53 I C 803]—शामिलाती डिकरी के डिकरीदारों मे से सिर्फ एक ही डिकरी दार अपने हिस्से की ही बाबत उस डिकरी की इजरा नही करा सकता देखो 7 W R 535, 5 All 27.

कई मुश्तरका मदियूनान डिकरीमें से किसी एक द्वारा किसी रुपएकी डिकरी के खरीद लिये जाने पर बाकी मदियूनान डिकरीकी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रह जाती, देखो 5 A 27, 10 A 570, 11 C 393; 31 B 308, 15 C 187

इस रूलके अनुसार कई मुश्तरका डिकरीदारोंमें से किसी एक को किसी मुश्तरका (शामिलाती) डिकरीके इजरा करनेकी इजाजत देने या न देने सम्बन्धी जो हुक्म है वह दफा ४७ के अनुसार डिकरी है और डिकरीदार और मदियून डिकरीमे झगडा हो जानेकी दशामें उसके खिलाफ अपील की जा सकेगी, देखो 17 M 394 लेकिन जब झगड़ा खुद डिकरीदारोंमे ही हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी, देखो 23 B 623

डिकरीदारको अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार कुल डिकरीकी इजरा किसी भी एक मदियून डिकरीके खिलाफ करा दे। अगर किसी मुश्तरका डिकरीमें कोई मदियून डिकरी, डिकरीसे बरी कर दिया जाय, तो इससे दूसरे मदियूनान डिकरी बरी नही हो सकते, देखो 11 C L J 354

डिकरीके मुन्तकिलअलेहकी ओरसे दरख्वास्त—पुराने जाबता दीवानीकी दफा २३२, जो आर्डर २१, रूल १६ के बराबर है, पुराने जाबते से "अगर अदालत उचित समझे" इन शब्दोंके निकाल देने से यह बात स्पष्ट होगई है कि किसी डिकरीके मुन्तकिल अलेहको अब डिकरीकी इजरा करा पानेका अधिकार है। पुराने जाबताके अनुसार जो फैसले दिये गये थे उनकी इस बातसे सहमति नहीं है

कि कई एक मुश्तरका डिक्रीदारोंमें से एक शख्सका हक मुन्तकिल हो सकता है। नीचे दिये हुये मामलोंमें कुछ सन्देह प्रकट किया गया, और यह तय हुआ कि किसी डिकरीके एक हिस्सेकी मुन्तकिली से मुन्तकिल अलेहका हक पैदा नही होता, (देखो 24 W R 11, 28 M 64, 5 A 27, 25 W R 343, 10 A 570) कुछ दूसरे मुकदमोंमे इससे भिन्न फैसला दिया गया है (देखो 24 W R 245, 17 C 341, 19 M 306)

नये जाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल १६ में "डिकरीमें किसी डिकरीदार का हिस्सा" शब्दोंके जोड़ देने से यह बात साफ हो जाती है कि किसी डिकरी के एक हिस्सेकी मुन्तकिली जायज है (देखो 19 M 306, 33 M 80, 44 M 919) रुपये और खर्चेकी अदायगीकी डिक्री एक डिकरी है और उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते और सिर्फ खर्चा वसूल करनेके हक की मुन्तकिलीसे मुन्तकिल अलेहको डिकरीकी इजरा का हक पैदा नहीं होजाता, देखो 35 A 204 डिकरीकी जो मुन्तकिली की जाय वह बजरिए तहरीर की जानी चाहिये देखो 15 B 307

आर्डर २१ रूल १६ की शर्तें ताकीदी है, देखो 63 I C 884 "मुन्तकिली" का अर्थ है इन्तकाल कुनिन्दाके कुल हकूककी मुन्तकिली। इसमें रेहन नामा द्वारा किसी डिकरीके हकूक की मुन्तकिली शामिल नहीं है, देखो 66 I C 679 जायदादका मुन्तकिल अलेह, डिकरीका मुन्तकिलअलेह नहीं, डिकरी की इजरा पानेका हकदार नहीं है, देखो 66 I C 878; 17 I C 512; 3 Pat L T 625

इन्तकाल कुनिन्दा और मदियून डिकरीको दरख्वास्तकी नोटिस देना निहायत जरूरी है, देखो 11 C L J 354, 57 I C 250 जब कोई मदियून डिकरी इजराकी पहिली दरख्वास्त के ऊपर, उसकी नोटिस न देने के सम्बन्धमें कोई एतराज न करे, तो वह बाद में होने वाली इजरा के सम्बन्धमें कोई एतराज नहीं कर सकता, देखो 57 I C 707

इस बातकी जांच करनेकी इजाजत दीगई है कि मुन्तकिल अलेह मदियून डिकरीका 'बयनामीदार' तो नहीं है। अगर वह 'बयनामीदार' है, तो रूल १६ के अनुसार अदालत इजराकी दरख्वास्त नामजूर कर देगी, देखो 54 I C 941, 40 M 296 'बयनामीदार' कमसे कम उन सूरतोंमें इजरा करा सकता है जब जायदाद गैर-मनकूलाकी हकीयतकी निस्बत कोई झगड़ा न हो, देखो 43 I C 801

बयनामीदार—बयनामीदार उसे कहते हैं कि जब किसी शख्सने अपने रुपए से अपने लिए कोई जायदाद खरीदी हो या ली हो मगर खरीदी हो और ली हो दूसरे के नामसे। अर्थात उसका नाम फर्जी हो मालिक असली दूसरा हो। इसी तरहपर डिकरी खरीदारको भी समझना। जब किसी ने दूसरेके नामसे डिकरी खरीदी हो तो उस डिकरीकी इजरा न होगी। जरूरी बात यह है कि बयनामीदार वह शख्स

न हो जिसके हकमें डिक्री मुन्तकिल कीगई है। बेनामीका मामला विस्तारसे देखो, चन्द्रशेखर कृत हिन्दू लॉके 'बेनामी' प्रकरणमें।

बंगाल टिनेंसी ऐक्टकी दफा १४८ क्लॉज़ (एच) के अनुसार किसी लगानी डिकरीका मुन्तकिल-अलैह उस डिकरीकी इजराके लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता जब तक कि जमीदारका यह हक जो उसे आराज़ीमें हासिल है, उसके हकमें मुन्तकिल न कर दिया जाय।

लगानी डिकरी क्या है, इस सम्बन्धमे देखो 4 C W N 357 F B, 4 C W N. 605, 18 C. W N 747; 31 C. 550, 3 C W. N 604 35 C 737.

एक ही साथ इजराकी कई दरख्वास्तें—रुपयेकी अदायगीकी हर एक डिकरी की इजरा मदियून डिकरीको कैदमें बन्द रख कर या जायदादकी कुर्की और नीलाम कराके या दोनों तरहसे की जा सकती है (देखो आर्डर २१, रूल ३०, दफा ५१) लेकिन अदालतको अख्त्यार है कि वह मदियून डिकरीके जिस्म और जायदाद दोनोंके खिलाफ चाही जाने वाली इजराको नामजूर कर दे (देखो आर्डर २१, रूल २१)

दूसरी अदालतके नाम हुक्म जारी करके इजरा—जब किसी डिकरीदारको इस बात का भय हो कि मदियून डिकरी, अपनी जायदाद किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमे हटाकर उसे अपनी डिकरीके फलसे वंचित कर देगा, तो वह उस अदालतसे, जिसने डिकरी दी है, यह दरख्वास्त कर सकता है कि वह मदियून डिकरीकी जायदाद कुर्क कर लेनेके लिये उस दूसरी अदालतको हुक्मनामा भेज दे (देखो दफा ४६)

केवल खास खास हालतोंमे ही डिकरीदार को यह आज्ञा दी जा सकती है कि वह एक ही साथ कई अदालतोंमे इजराकी कार्रवाई जारी रख सके, देखो 14 M L A 529 p 540, 6 C 687, 37 M 231

मुखालिफ डिकरियों और मुखालिफ दावोंकी इजरा—मुखालिफ डिकरियों (Cross decrees) और एकही डिकरीके सम्बन्धमे मुखालिफ दावों (Cross Claims) की इजराके सम्बन्धमे देखो आर्डर २१रूल१८और१९,रूल१८ और १९ के नियम रेहननामाकी डिकरियोंके सम्बन्धमे भी लागू होंगे [देखो आर्डर२१रूल२०] 'मुखालिफ डिकरी' उसे कहते हैं कि जो डिकरी एक फरीक पर दूसरेकी और दूसरे पर उसकी हो।

किसके विरुद्ध इजराकी दरख्वास्त दीजा सकती है—(१) इजराकी दरख्वास्त मदियून डिकरी या मदियूनान डिकरीके विरुद्ध दी जानी चाहिये।

२ अगर डिकरीकी बेबाकी होनेके पहिले मदियून डिकरी की मृत्यु हो जाय, तो डिकरीदार उसके कानूनी प्रतिनिधियोंके विरुद्ध इजरा के लिए दरख्वास्त दे सकता है (देखो दफा ५०) ऐसी दशामें नोटिस कानूनी प्रतिनिधियोंके नाम आर्डर २१ रूल २२ के अनुसार जारी की जानी चाहिए।

(३) जब कानूनी प्रतिनिधिके खिलाफ इजराकी दरख्वास्त दीगई हो, तो वह मुतौफी मदियून डिक्रीकी सिर्फ उसी कद्र जायदादकी निस्बत जिम्मेदार होगा जो उसको मिली है और जिसका बाकायदा तौरसे तस्फिया नही हुआ है। ऐसी दशामे अदालत ऐसे कानूनी प्रतिनिधिसे ऐसा हिसाब किताब जायदादका पेश करवा सकती है जैसा कि उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ५०)

(४) जब किसी शख्सके ऊपर किसी मुतौफीके कानूनी प्रतिनिधिकी हैसियतसे मुतौफीकी जायदादमे से रुपया अदा करनेकी बाबत, डिक्री दीगई हो, तो उसकी इजरा ऐसी जायदादकी कुर्की और नीलाम कराके की जा सकती है। अगर जायदाद उसके कब्जेमे नही है और वह इस बातका इतमीनान नही दिला सकता कि उसने जायदादको अच्छी तरह पर लगा दिया है, तो उस डिक्रीकी इजरा उसके खिलाफ उसी कद्र जायदादकी निस्बत की जा सकती है जिसके बारेमे वह इतमीनान नही दिला सकता है, मानो वह डिक्री खुद उसीके ऊपर दीगई थी (देखो दफा ५२) हिन्दू लॉ के अनुसार "मुतौफी की जायदाद" कौन है इस सम्बन्धमे देखो जाबता दीवानी की दफा ५३।

दफा ५० उस समय लागू होती है जब डिक्री दिये जानेके बाद और उसकी बेबाकी होजाने के पहिले मदियून डिक्रीकी मृत्यु हो जाय। दफा ५२ उस समय लागू होती है जब मुद्दाअलेहकी मौत मुकदमेके दौरानमें होजाय और उसके कानूनी प्रतिनिधि फरीक मुकदमा बना दिये जाय या जब असली ऋणीके मर जानेके बाद कानूनी प्रतिनिधियोंके ऊपर नालिशकी गई हो और उनके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतसे डिक्री दे दीगई हो, और यह कि डिक्री मुतौफीकी जायदादमे से रुपयेकी अदायगी करनेके लिये दीगई हो। अगर कोई मुद्दाअलेह मुकदमा खतम होने और फैसला सुनाए जानेके बीच मरजाय तो वह डिक्री उसके मरनेके पहले दीगई डिक्री समझी जायगी (देखो आर्डर २२ रूल ६), और यह दफा ५० के अनुसार इजराके काबिल है। लेकिन अगर मुद्दाअलेह, मुकदमा खतम होनेके पहले ही मर जाय और बिना उसकी जानकारीके डिक्री दे दी जाय तो वह डिक्री नाजायज समझी जायगी और उसकी इजरा नही हो सकती (देखो 17 C L J 634, 50 I C 529 F B, 20 B 317, 48 I C 859)

दफा ५० का "दरख्वास्त देसकता है" वाक्य "दरख्वास्त देगा" के समान है देखो 68 I C 667 "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ केवल प्रबन्धकर्त्ता (Administrators) तामील कुनिन्दा (Executors) और वारिस (Heirs) ही नही है बल्कि उसम कोई भी ऐसा शख्स आ जाता है जो कानूनके अनुसार मुतौफी की जायदादका प्रतिनिधि हो (देखो 8 C W N, 843, 11 C W N 593 F B), इसलिये अगर कोई दूसरा बाहरी आदमी जायदाद पर काबिज होजाय तो उसपर सिवाय बाकायदा नालिश दायर करके, इजरा की कारवाई नही की जा सकती (देखो 17 M 180)

दफ़ा ५० उस समय भी लागू नहीं होती जब मदियून डिक्री जायदाद कुर्क होने के बाद और नीलामके पहले मर जाय। कुर्की उसकी मौतके साथ ही खतम नहीं हो जाती और नीलामके पहले उसके कानूनी प्रतिनिधियोंका नाम दर्ज कागजात न करनेसे नीलाम नाजायज नहीं होजाता देखो 12A 440F B ,23C 686,19B 276,17A 162,11C W N 163,23C W N 608, और 6M 180, 15M 399,22M 119 हालमें मदरास हाईकोर्टके एक मुकद्दमेमें यह तय हुआ है कि मुतौफ़ा मदियून डिकरीके कानूनी प्रतिनिधियोंके बिना इजराकी कार्रवाई नाजायज होगी और उस हालतमें नीलाम मसूख़ किए जाने की जरूरत नहीं है। यह बतलाया गया है कि हुक्मके पहले की मौत और हुक्मके बादकी मौतमें कोई अन्तर नहीं है, देखो 68 I C 667 लेकिन एक दूसरे मुकद्दमेमें यह तय किया गया है कि जब मदियून डिकरी इजराकी कार्रवाईके दौरानमें मर जाय, तो उस दशामें डिकरीदारके लिए यह अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है कि वह उसके वारिसोंको फरीक़ बनावे, नहीं तो उसकी डिकरी रुक जायगी । क़ानूनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस बातकी व्यवस्था करती हो कि किसी मदियून डिकरीके मर जाने पर उसके ऊपर होने वाली इजराकी कार्रवाई बन्द होजायगी, देखो 42 A 570

इजराका हुक्म देनेकेपहले नोटिस—नीचे लिखी सूरतोंमें वजह जाहिर करने के लिए इजराकी नोटिस दिया जाना जरूरी है—

(क) जब इजराकी दरख्वास्त डिकरीकी तारीखसे एक सालसे ज्यादा समय मे दीगई हो, या

(ख) डिकरी के किसी फरीक़ के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ दीगई हो।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखी हालतोंमें नोटिस देनेकी जरूरत न होगी—

(क) अगर दरख्वास्त उस तारीख से एक सालके भीतर दीगई हो जिस तारीख़को इजराकी पहले वाली किसी दरख्वास्तके ऊपर अन्तिम हुक्म दिया गया हो, या

(ख) अगर उसी शख्स के विरुद्ध दी गई इजरा की पहिली दरख्वास्त पर अदालत ने इजरा का हुक्म दे दिया है।

लेकिन अगर अदालत को यह यकीन हो जाय कि नोटिस से अनावश्यक विलम्ब होजाने या न्याय मे बाधा पहुँचने की सम्भावना है, तो वह नोटिस का जारी करना बन्द कर सकती है।

जब डिकरी रुपये की अदायगी की बावत हो और मदियून-डिकरी की गिरफ्तारी से उसकी इजरा चाही जाने को हो, तो अदालत, अपने अधिकार से इजरा का हुक्म देने के पहिले उसके नाम यह नोटिस जारी कर सकती है कि वह आकर वजह जाहिर करे कि उसकी गिरफ्तारी क्यो न की जाय [देखो

आर्डर २१, रूल ३७] हाजिर होने के बाद होने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध मे मे देखो रूल ४०।

नोटिस न देने से बाद मे होने वाली नीलाम नाजायज हो जाती है। नोटिस से अदालत इजराको नीलाम करनेका अधिकार मिल जाता है (देखो 20 C 370, 42 C 72 P C 27 C L J 528, 19 C W N 152, 24 C L J 523, 2 Pat L T 401) कुछ मुकद्दमों मे जो राय कायम की गई है, कि नोटिस न देने से नीलाम नाजायज हो जाता है, वह 42 C 72 मे प्रिवी कौंसिल के दिए फैसले के बाद से, अच्छा फैसला नही माना जा सकता।

केवल नोटिस का जारी कर देना ही काफी न होगा। उसकी तामील हो जाना जरूरी है, देखो 25 C W N 972, 61 I C 822, एक बार किसी नोटिस के तामील हो जाने पर रूल २२ मे इसबात की व्यवस्था नही है कि इजरा की हर एक ऐसी दरख्वास्त के लिए, मदियून डिकरीके खिलाफ आखिरी हुक्म की तारीख से एक साल से ज्यादा समय मे दी गई हो, नई नोटिस देने की जरूरत नही है, देखो 74 I C 838 नोटिस के जारी करने से मियाद के लिए नई तारीख मिल जाती है, देखो 15 A 84, 25 C 594 F B

नोटिस जारी करने के बाद की कार्यवाई—जिस शख्स के नाम रूल २२ के अनुसार नोटिस जारी किया गया है, वह डिकरी की इजरा के सम्बन्ध उज्रदारी कर सकता है और अदालत ऐसी उज्रदारी पर विचार करके जैसा हुक्म वह मुनासिब समझे देगी, [देखो आर्डर २१, रूल २३]

उपरोक्त प्रारम्भिक कार्रवाई खतम होजानेके बाद अदालतको जब तककि उसे इसके विपरीत कोई कार्रवाई करने का कोई कारण न मालूम हो, डिकरी की इजरा के लिए हुक्मनामा जारी कर देगी [देखो आर्डर २१, रूल २४]

ऐसे समय मे अदालत हुक्मनामा जारी करेगी अर्थात वह या तो जायदाद गैर-मनकूला या मनकूला की कुर्की का हुक्म देगी या डिकरीदार की दरख्वास्त के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी (देखो आर्डर २१, रूल २४, २५), वकीलो को इसबात का ध्यान रखना चाहिए कि तलबाना और सम्मन अदालत द्वारा नियत (मुकर्रर) किए हुए समय के भीतर दाखिल कर दिए गए हैं या नही, नहीं तो इजरा की कारवाई खारिज हो जाने की सम्भावना है।

इलाहाबाद मे आर्डर २१, रूल २५ (२) की जगह रूल २५ (२) कर दिया गया है।

इजरा की मुल्तवी—जिस अदालत [redacted] इजरा के लिए डिकरी भेजी गई है, वह काफी वजह दिखलाए जाने पर इजरा मुल्तवी कर सकती है जिससे मदियून डिकरी उस अदालत से, जिसने डिकरी दी है, या अदालत अपील से इजरा करने की मुल्तवी का हुक्म ला सके। इजरा मुल्तवी करने के पहिले, अदालत काफी जमानत तलब कर सकती है [देखो आर्डर २१, रूल २६-२७ और २८]

डिकरीदार और मदियून डिकरी के बीच होने वाले मुकद्दमे के दौरान में इजरा की कार्रवाई मुलतवी करने के सम्बन्ध में देखो २१, रूल २९।

कोई अपील किसी ऐसी डिकरी या ऐसे हुक्म के अनुसार, जिसकी अपील की गई है होने वाली इजरा की कार्रवाई को मुलतवी न समझी जा सकेगी, सिवाय उस हद तक जिसके लिए अदालत अपील हुक्म दे, और न अपील दायर होजाने से ही इजरा मुलतवी कर दी जायगी; लेकिन अदालत अपील, काफी वजूहात होने पर, इजरा मुलतवी किए जाने के लिए हुक्म दे सकती है। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" वह आर्डर ४१, रूल ५ की पाबन्दी में रहते हुए, काफी वजूहात दिखलाए जाने पर, इजरा मुलतवी कर सकती है। उस डिकरी की इजरा के हुक्म के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, देखो आर्डर ४१, रूल ६। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" इसके अर्थ के सम्बन्ध में देखो दफा ३७। पंजाब में आर्डर २१ के साथ एक रूल २९ (अ) और जोड़ दिया गया है।

इजरा की मियाद की मुद्दत—हर तरह की डिकरियों की, जिनमें रेहननामा की डिकरियां भी शामिल हैं, सिवाय उन डिकरियों के जो वास्ते हुक्म इम्तनाई के दी गई हैं, इजरा की मियाद जाबता दीवानी की दफा ४८ के अनुसार १२ साल है, सिवाय उस दशा में जब कोई धोखेबाजी (जालसाजी) या जबर्दस्ती की गई हो। बारह साल की इस मुद्दत का शुमार (क) डिकरीकी तारीख से या (ख) जब डिकरी या बादवाले किसी हुक्म से किसी खास समय पर, किसी रुपये की अदायगी या जायदाद के हवाले करने के लिए हिदायत की गई हो तो, उस तारीख से किया जाना चाहिए, जिस तारीख को वाजिब होने पर भी अदायगी न की गई हो या माल हवाले न किया गया हो। इस दफा से कानून मियाद के आर्टि० १८२ पर कोई असर नहीं पड़ता और न इससे उसकी कोई सीमा ही बंध जाती है।

वकील साहबान को चाहिए कि वे नए जाबता दीवानी की दफा ४८ को ध्यान पूर्वक पढ़ जाय। "रुपये की अदायगी या दूसरी जायदाद के हवाले किए जाने की डिकरी" शब्दों को निकाल देने से इसका क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया है। इसके बाद पहिले वाली दफा के अनुसार मियाद सम्बन्धी नियम का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक था कि इजरा की दरख्वास्त इसके 'अनुसार' दी और "मंजूर" की जाय। अब ये दोनों शब्द निकाल दिए गए हैं। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि दफा ४८ में जो मियाद सम्बन्धी नियम दिया हुआ है वह लागू हो सकता है, चाहे दरख्वास्त मंजूर करली जाय या खारिज कर दी जाय अथवा चाहे दरख्वास्त इस दफा के अनुसार हो या न हो। क्या इस दफा से, पहिले होगई बातों के ऊपर भी कोई असर पड़ता है? इस सम्बन्ध में देखो 40 C 704, 45 B 365, 47 I. C 143, 21 I C 923 जिनमें इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया गया है। इसके विपरीत फैसले के लिए देखो 32 A 499

"बाद वाला हुक्म" उसी अदालतका दिया हुआ होना चाहिए जिसने डिकरी दी है और उसे उसने उसी अदालत की हैसियत से, अदालत इजरा की हैसियत से नहीं, दिया हो, देखो 58 I C 393, 40 A 198। १२ साल की मियाद डिकरी की तारीख से शुरू होती है जैसा कि आर्डर २० रूल ६१ द्वारा मुकर्रर किया गया है, देखो 34 C L J 167, 22 C W N 145—जब कोई डिकरी तर्मीम की गई हो तो तर्मीम की तारीख उस डिकरी की तारीख समझी जायगी, देखो 60 I C 318 बारह साल की इस मियाद को अदालत इजरा, कानून मियाद की दफा १५ के अनुसार उसमें वह मुद्दत शामिल करके, जिसमें अदालत का पहिले से हुक्म लेकर इजरा मुलतवी करा दी गई थी, बढ़ा नहीं सकती, देखो 70 I C 396

"तदबीर मुआविन इजरा"—तदबीर मुआविन इजरा "से मियाद की नई तारीख मिल जाती है। कानून मियाद के आर्टि० १८२ (५) में जो यह बात लिखी हुई है उसके सम्बन्ध में बहुत से फैसले हैं पर यह बात अवश्य मान लेनी पड़ती है कि इस विषय में जितनी भी नजीरें (केस लॉ) हैं, वे भ्रमोत्पादक हैं और अच्छी तरह से समझ में नहीं आतीं। "तदबीर मुआविन इजरा" का अर्थ है डिकरी की इजरा जारी रखने के लिए अदालत से किसी हुक्म का हासिल करना, देखो 30 C 761 नीचे लिखे कुछ उदाहरण तदबीर मुआविन इजरा के सम्बन्ध में दिए जाते हैं—

डिकरी के एक हिस्से की बेबाकी का इन्दराज करने के लिए आर्डर २१, रूल २ के अनुसार डिकरीदार की ओर से दरख्वास्तका दिया जाना। (देखो 12 A 399, 12 C 608, 2 C 696)

पेशी की तारीख बढ़ाए जाने की दरख्वास्त ताकि डिकरीदार नोटिस की तामील का सुबूत पेश कर सके (देखो 14 C W N 486), खर्चा वसूल पाने की दरख्वास्त (देखो 15 B 245)

उन लोगों के खिलाफ इजरा की दरख्वास्त जिनमें से कुछ लोग मर गए हैं (देखो 2 C L J 544)

कलक्टर के रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में दरख्वास्त (देखो 14 C W N 481)

मदियून डिकरी की ओर से इस बात की दरख्वास्त कि इस बिना पर इजरा की कार्रवाई खारिज कर दी जाय कि डिकरीदार के साथ कुछ समझौता कर लिया गया है (देखो 5 C 515, 3 A 320) बोली बोलने की इजाजत लेने के सम्बन्ध में दरख्वास्त (देखो 10 C W N 209, 22 A 399, 21 B 331, 30 C 761, 12 C W N 626।)

किसी डिकरी के एक हिस्से की इजरा की दरख्वास्त (देखो 26 C 888; 15 B 242)

कुर्क की हुई रकम को वसूल पाने की दरख्वास्त (देखो 16 M 452, 10 C W N 354, 35 M L J 575)

रुपया की अदायगी के लिए डिकरीदार की जबानी दरख्वास्त (देखो 22 B. 340).

नीलाम में खरीदी हुई जायदाद पर कब्जा दिलापाने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 19 All 477, 13 C W. N 694) नीलाम का इश्तहार जारी करने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 10 C 851 F B., 15 Bom 405, 28 M 399).

मुतोफी मदियून डिकरी के वारिसों को फरीक बनाने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 1 C W. N. 676)

डिकरी की मुन्तकिली के लिए दरख्वास्त (देखो 2 C. W. N. 415; 1 A 625 F B., 20 C 29; 35 A 389)

बिना डिकरी की नकल के इजरा के लिए दरख्वास्त (देखो 40 All 209, 5 Pat L W 205)

उन चीजों को अलग करने के लिए दीगई दरख्वास्त जिनके खिलाफ इजरा न की जायगी, सिलसिले में पेश की गई कोई सहायक (जमीमी) फेहरिस्त पहिली दरख्वास्त के सिलसिले में समझी जायगी (देखो 22 C W N 540)

लेकिन अगर इजरा की दरख्वास्त के साथ चीजों की फेहरिस्त बिलकुल दाखिल ही न की जाय, तो वह दरख्वास्त कानून के अनुसार न समझी जायगी (देखो 17 Cal 631 F B, 18 C L J 538, 37 A 527)

डिकरी की इजरा के सम्बन्ध में की गई उज्रदारी खारिज करने के लिए दीगई दरख्वास्त (देखो 40 A 668)

डिकरीदार की ओर से मदियून डिकरी की उज्रदारी की समाअत करने के लिए, गवाहों की फेहरिस्त का दाखिल करना (देखो 22 C W N 1027)

आर्टि० १८२क्लाज ६ में नोटिस जारी करने की तारीख वह तारीख है जिस तारीख को असल में नोटिस जारी किया गया हो अर्थात वह तारीख जिस तारीख को उसपर शिरिश्तेदार के दस्तखत हुए हों, वह तारीख नहीं जिसको अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया हो। देखो 10 C W N 303, 6 C W N 656; 23 B 35; 30 M 30, 3 Pat L J 285, 45 I C 203, 42 B 553)

इश्तहार का मसविदा दाखिल करनेके लिये और पेशी की तारीख बढ़ाए जाने के लिये दीगई दरख्वास्त (देखो 38 M 695, 33 I C 79)

डिकरीदार की ओर से पेश की गई वह दरख्वास्त जिसमें उस डिकरी के एक हिस्से की अदायगी का सार्टीफिकट दिया गया हो (देखो 20 C W N 615, 16 C 22)

ऐसे शख्स के खिलाफ इजरा की दरख्वास्त जिसका पता मालूम नहीं है (देखो 36 A 482)

वे दरख्वास्तें तदवीर मुआफिक इजरा नहीं हैं—नीलाम की तस्दीक करने के लिये दी गई दरख्वास्त (देखो 31 C 1011, 11 C L J 356)

नीलाम बन्द कर देने की दरख्वास्त (देखो All 757)

एक शिलिंग प्रति पौंड के हिसाब से ली जाने वाली फीस (Poundage fee) लेने के लिये दरख्वास्त (देखो 22 C 827, 23 C 196)

डिकरीदार की ओर से जायदाद मकरूका (कुर्क की हुई जायदाद) के किसी हिस्से को छोड देने के लिये दरख्वास्त (देखो 20 C 255, 8 C W. N 251).

दाखिल की हुई डिकरी की नकल की वापसी के लिये दरख्वास्त (देखो 23 Bom 311).

वक्त के लिये दी गई दरख्वास्त (देखो 8 C L J 193, 27 C 285 3 C L J 240)

नीलाम मुलतवी करने के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दीगई दरख्वास्त की मजूरी देना (देखो 28 M 40)

मदियून डिकरी की शिनाख्त करने के लिए तामील के चपरासी के साथ जाना (देखो 20 C L J 15, 13 C W N 1288)

कानूनी प्रतिनिधि की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) का सार्टीफिकट पाने के लिये दीगई दरख्वास्त (देखो 37 B 559)

भिन्न भिन्न प्रकार की डिकरियों की इजरा के तरीके

[१] (क) रुपये की अदायगी की डिकरी की इजरा के जाबते और तरीके के सम्बध मे देखो आडर २१ रूल ३०,

(ख) जायदाद मनकूला खास की डिकरी की इजरा के जाबता और तरीके के सम्बध में देखो रूल ३१,

(ग) तामील मुअय्यन (Specific Performance) की पतिपत्नी सम्बन्धी अधिकारोंकी वापसी (Restitution of Conjugal rights) की और हुक्म इम्तनाई की डिकरीकी इजरा के जाबता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल ३२ और ३३,

(घ) दस्तावेज की तकमील या दस्तावेजात काबिल बय व शरी (Negotiable instrument) की तस्दीककी डिकरीकी इजरा के जाबते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आडर २१ रूल ३४,

कुर्क की हुई रकम को वसूल पाने की दरख्वास्त (देखो 16 M 452, 10 C W N 354, 35 M L J 575)

रुपया की अदायगी के लिए डिकरीदार की जवानी दरख्वास्त (देखो 22 B 340)

नीलाम मे खरीदी हुई जायदाद पर कब्जा दिलापाने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 19 All 477, 13 C W. N 694) नीलाम का इश्तहार जारी करने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 10 C 851 F B., 15 Bom 405, 28 M 399)

मुतौफी मदियून डिकरी के वारिसों को फरीक बनाने के लिए दी गई दरख्वास्त (देखो 1 C W. N. 676)

डिकरी की मुन्तकिली के लिए दरख्वास्त (देखो 2 C. W. N 415; 1 A 625 F. B; 20 C 29, 35 A 389)

विना डिकरी की नकल के इजरा के लिए दरख्वास्त (देखो 40 All 209, 5 Pat L W 205)

उन चीजों को अलग करने के लिए दीगई दरख्वास्त जिनके खिलाफ इजरा न की जायगी, सिलसिले में पेश की गई कोई सहायक (जमीमी) फेहरिस्त पहिली दरख्वास्त के सिलसिले मे समझी जायगी (देखो 22 C W N 540)

लेकिन अगर इजरा की दरख्वास्त के साथ चीजों की फेहरिस्त बिलकुल दाखिल ही न की जाय, तो वह दरख्वास्त कानून के अनुसार न समझी जायगी (देखो 17 Cal 631 F B , 18 C L J 538, 37 A 527)

डिकरी की इजरा के सम्बन्ध मे की गई उज्रदारी खारिज करने के लिए दीगई दरख्वास्त (देखो 40 A 668)

डिकरीदार की ओर से मदियून डिकरी की उज्रदारी की समाअत करने के लिए, गवाहों की फेहरिस्त का दाखिल करना (देखो 22 C W N 1027)

आर्टि० १८२क्लाज ६ मे नोटिस जारी करने की तारीख वह तारीख है जिस तारीख को असल मे नोटिस जारी किया गया हो अर्थात वह तारीख जिस तारीख को उसपर सिरिश्तेदार के दस्तखत हुए हो, वह तारीख नही जिसको अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया हो। देखो 10 C W N 303, 6 C W N 656; 23 B 35; 30 M 30, 3 Pat L J 285, 45 I C 203, 42 B 553)

इश्तहार का मसविदा दाखिल करनेके लिये और पेशी की तारीख बढ़ाए जाने के लिये दीगई दरख्वास्त (देखो 38 M 695, 33 I C 79)

डिकरीदार की ओर से पेश की गई वह दरख्वास्त जिसमें जर डिक्री के एक हिस्से की अदायगी का सार्टीफिकट दिया गया हो (देखो 20 C W N 615, 46 C 22)

ऐसे शख्स के खिलाफ इजरा की दरख्वास्त जिसका पता मालूम नहीं है (देखो 36 A 482)

वे दरख्वास्तें तदबीर मुताबिक इजरा नहीं है—नीलाम की तस्दीक करने के लिये दी गई दरख्वास्त (देखो 31 C 1011, 11 C L J 356)

नीलाम बन्द कर देने की दरख्वास्त (देखो All 757)

एक शिलिंग प्रति पौंड के हिसाबसे ली जाने वाली फीस (Poundage fee) लेने के लिये दरख्वास्त (देखो 22 C 827, 23 C 196)

डिकरीदार की ओर से जायदाद मकरूका (कुर्क की हुई जायदाद) के किसी हिस्से को छोड देने के लिये दरख्वास्त (देखो 20 C 255, 8 C W N 251)

दाखिल की हुई डिकरी की नकल की वापसी के लिये दरख्वास्त (देखो 23 Bom 811)

वक्त के लिये दी गई दरख्वास्त (देखो 8 C L J 193, 27 C 285 3 C L J 240)

नीलाम मुलतवी करने के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दीगई दरख्वास्त की मजूरी देना (देखो 28 M 40)

मदियून डिकरी की शिनाख्त करने के लिए तामील के चपरासी के साथ जाना (देखो 20 C L J 15, 13 C W N 1288)

कानूनी प्रतिनिधि की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) का सार्टीफिकट पाने के लिये दीगई दरख्वास्त (देखो 37 B 559)

भिन्न भिन्न प्रकार की डिकरियों की इजरा के तरीके

[१] (क) रुपये की अदायगी की डिकरी की इजरा के जाबते और तरीके के सम्बध में देखो आर्डर २१ रूल ३०,

(ख) जायदाद माकूला खास की डिकरी की इजरा के जाबता और तरीके के सम्बध में देखो रूल ३१,

(ग) तामील मुखतस (Specific Performance) की पतिपत्नी सम्बन्धी अधिकारोंकी वापसी (Restitution of Conjugal rights) की और हुक्म इम्तनाई की डिकरीकी इजरा के जाबता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल ३२ और ३३,

(घ) दस्तावेज की तकमील या दस्तावेजात काबिल बय व शरी (Negotiable instrument) की तस्दीकवी डिकरीकी इजरा के जाबते और तरीके के सम्बन्ध में, देखो आर्डर २१ रूल ३४।

दफा ६० में किया गया है और उस दफाकी पावन्दीमें रहते हुए कुल जायदाद जो नीलाम किये जानेके काबिल है चाहे मनकूला हो या गैर मनकूला, और जो मदियून डिकरीकी मिल्कियत है या जिसके रेहन, बय या और किसी तरह पर मुन्तकिल कर देनेका अख्त्यार उसे है जिसका इस्तेमाल वह अपने कामके लिये कर सकता है मदियून डिकरीके खिलाफ डिकरीकी इजरामें कुर्क और नीलाम कर दिये जानेके काबिल है।

जाबता दीवानीकी दफा ६० इस प्रकार है—

दफा ६० जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम बइल्लत इजरा डिकरी—(१) जो जायदादकि बइल्लत इजरा डिकरी काबिल कुर्की और नीलामके हैं तफसील उसकी यह है-यानी आराजियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाब और जर नकद और बैङ्क नोट और चिक यानी रुक्का और बिल आफ एक्सचेंज और हुण्डियात और प्रामेसरी नोट और नोट सरकारी और तमस्सुकात या दीगर किफालत नाम जात जर नकद और जर कर्जा और हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफ्तका और सिवा उन अशियाके जिनका जिक्र आइन्दा है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला या गैर मनकूला काबिल फरोख्त जो मदियून डिकरीकी हो या जिसपर या जिसके मुनाफे पर उसको ऐसा अख्त्यार तसर्रुफका पहुंचता हो कि वह उसको अपनी मुनफियतके लिये अमलमें ला सके ख्वाह वह उसके नामसे हो या बतौर उसकी अमानत के या मिनजानिब उसके दूसरे शख्सके पास हो।

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्जा जैल काबिल कुर्की या नीलाम के न होगी यानी—

(ए) जरूरी पोशाक और पकानेके बरतन और पलंग और बिस्तर मदियून डिकरी और उसकी जौजा और अतफालके और ऐसे जेवर जिनको कोई औरत मुताबिक अपने रसूम-मजहबीके जुदा न कर सकती हो—

(बी) अहल हर्फाके औजार और अगर मदियून डिकरी जराअत पेशा हो तो जराअतके आलात और ऐसे मवेशी और तुख्म गल्ला जो बदानिस्त अदालत मदियून डिकरीकी वजह मआशके लिये जरूरी हो और उस कदर हिस्सा पैदावार जराअत या किसी किस्म खासकी पैदावार जराअतका जो दफा ६१ के बमूजिब कुर्की व नीलामसे मुस्तसना कर दिया गया है—

(सी) मकानात व दीगर इमारत (मय उनके माल मसाला और आराजी मौकाके और उस आराजीके जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमालके लिये जरूरी हो) ममलूका व मकबूजा काश्तकार—

(डी) बहीखाता—

(ई) महज हक रुजूअ नालिश खिसारा—

(एफ) हर हक जाती खिदमतका—

(जी) वजीफ़ा और अतीयात पिंशनदारान सरकारी या वह जो सर्विस फ़ेमिली पिंशन फण्डसे मिलते हों जिसकी बाबत इस बारेमें गजट आफ़ इण्डियामें इश्तहार मिनजानिब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल शाया हो गया हो और पिन्शन सीगः पोलीटिकल—

(एच) अलाउन्स यानी जर मवाजिब (जो तनख्वाहसे कम हो) किसी ओहदेदार सरकारीका या किसी रेलवे कम्पनी या हाकिम मुक़ामीके मुलाजिम का जब कि अपने कामसे गैरहाजिर हो—

(आई) तनख्वाह या अलाउन्स बराबर तनख्वाहके किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाजिम का जिसका जिक्र फ़िक़रे (एच) में है जब कि वह काम पर हो ताहद मुफ़स्सिला ज़ैल यानी—

१ कुल तनख्वाह अगर बीस रुपये माहवारसे ज्यादा न हो—

२ बीस रुपये माहवार, जब कि तनख्वाह बीस रुपये माहवारसे ज्यादा हो मगर चालीस रुपये से ज्यादा न हो—

३ निस्फ़ तनख्वाह किसी और सूरतमें—

(जे) तनख्वाह और अलाउन्स उन लोगोंके जिनसे आईन लश्करी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक़ है—

(के) जुम्ला जरूरी डिपाजिट व दीगर रक़ूम जो किसी ऐसे फण्ड (सर्माया) में जमा हों या ऐसे फण्डसे हासिल की जाय जिससे ऐक्ट मुतअल्लिक़ प्राविडेण्ट फण्ड मजरीया सन् १८९७ ई० बरवक्त मुतअल्लिक़ हो जहां तक कि रक़ूम मजकूर ऐक्ट मजकूरके जरिये से गैर क़ाबिल क़ुर्की क़रार दीगई हो—

(एल) उजरत मजदूरान और मुलाजिमान खानगीकी ख्वाह रुपया या कोई चीज दीजाय—

(एम) उम्मेद विरासत बहालत पसमांदिगी या और हक़ या इस्तिहक़ाक़ जो महज मौक़ूफ़ बवक़ूअ अम्र दीगर या वहैयत इमकान हों।

(एन) हक़ नान व नफ़क़ा आइन्दा का।

(ओ) वह अलाउन्स जो किसी क़ानून मजरीया तहत ऐक्ट कौन्सिल हाय हिन्द सन् १८६१ ई० व सन् १८९२ ई० की रू से क़ुर्की व नीलाम बइल्लत इजराय डिकरीसे मुस्तसना कर दिया गया हो।

(पी) अगर मदियून डिक्री मालगुजार सरकार हो तो कोई जायदाद मनक़ूला जो किसी क़ानून नाफ़िजुलवक्त मुतअल्लिक़ शख्स मजकूरकी रू से ऐसे नीलामसे मुस्तसना कर दीगई हो जो बगरज वसूली बक़ायाय मालगुजारी अमलमें आये।

तशरीह—वजीफ़ा वगैरा मुतजिक्करा फ़िक़रात (जी) व (एन) (आई) व (जे) व (एल) और (ओ) क़ुर्की व नीलामसे मुस्तसना हैं क़ब्ल, या बाद वाक़ई वाजिबुल अदा होने के—

दफा ६० में किया गया है और उस दफाकी पाबन्दीमें रहते हुए कुल जायदाद जो नीलाम किये जानेके काबिल है चाहे मनकूला हो या गैर मनकूला, और जो मदियून डिकरीकी मिल्कियत है या जिसके रेहन, बय या और किसी तरह पर मुन्तकिल कर देनेका अख्त्यार उसे है जिसका इस्तेमाल वह अपने कामके लिये कर सकता है, मदियून डिकरीके खिलाफ डिकरीकी इजरामें कुर्क और नीलाम कर दिये जानेके काबिल है।

जाबता दीवानीकी दफा ६० इस प्रकार है—

दफा ६० जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम बइल्लत इजरा डिक्री—(१) जो जायदादकि बइल्लत इजरा डिकरी काबिल कुर्की और नीलामके हैं तफसील उसकी यह है-यानी आराजियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाब और जर नकद और बेङ्क नोट और चिक यानी रुक्का और बिल आफ एक्सचेंज और हुण्डियात और प्रामेसरी नोट और नोट सरकारी और तमस्सुकात या दीगर किफालत नाम जात जर नकद और जर कर्जा और हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफ्तका और सिवा उन अशियाके जिनका जिक्र आइन्दा है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला या गैर मनकूला काबिल फरोख्त जो मदियून डिकरीकी हो या जिसपर या जिसके मुनाफे पर उसको ऐसा अख्त्यार तसर्रुफका पहुंचता हो कि वह उसको अपनी मुनफियतके लिये अमलमें ला सके ख्वाह वह उसके नामसे हो या बतौर उसकी अमानत के या मिनजानिब उसके दूसरे शख्सके पास हो ।

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्जा जल काबिल कुर्की या नीलाम के न होगी यानी—

(ए) जरूरी पोशाक और पकानेके बरतन और पलंग और बिस्तर मदियून डिकरी और उसकी जोजा और अतफालके और ऐसे जेवर जिनको कोई औरत मुताबिक अपने रसूम-मजहबीके जुदा न कर सकती हो—

(बी) अहल हर्फाके औजार और अगर मदियून डिकरी जराअत पेशा हो तो जराअतके आलात और ऐसे मवेशी और तुख्म गल्ला जो बरानिस्त अदालत मदियून डिकरीकी वजह मआशके लिये जरूरी हों और उस कदर हिस्सा पैदावार जराअत या किसी किस्म खासकी पैदावार जराअतका जो दफा ६१ के बमूजिब कुर्की व नीलामसे मुस्तसना कर दिया गया है—

(सी) मकानात व दीगर इमारत (मय उनके माल मसाला और आराजी मौकाके और उस आराजीके जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमालके लिये जरूरी हो) ममलूका व मकबूजा काश्तकार—

(डी) बहीखाता—

(ई) महज हक रुजूअ नालिश खिसारा—

(एफ) हर हक जाती खिदमतका—

(जी) वजीफ़ा और अतीयात पिंशनदारान सरकारी या वह जो सर्विस फ़ेमिली पिंशन फण्डसे मिलते हों जिसकी बाबत इस बारेमें गजट आफ़ इण्डियामें इश्तहार मिन्जानिब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल शाया हो गया हो और पिन्शन सीग. पोलीटिकल—

(एच) अलाउन्स यानी जर मवाजिब (जो तनख्वाहसे कम हो) किसी ओहदेदार सरकारीका या किसी रैलवे कम्पनी या हाकिम मुकामीके मुलाजिम का जब कि अपने कामसे गैरहाजिर हो—

(आई) तनख्वाह या अलाउन्स बराबर तनख्वाहके किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाजिम का जिसका जिक्र फ़िक़रे (एच) में है जब कि वह काम पर हो ताहद मुफ़स्सिला ज़ैल यानी—

१ कुल तनख्वाह अगर बीस रुपये माहवारसे ज्यादा न हो—

२ बीस रुपये माहवार, जब कि तनख्वाह बीस रुपये माहवारसे ज्यादा हो मगर चालीस रुपये से ज्यादा न हो—

३ निस्फ़ तनख्वाह किसी और सूरतमें—

(जे) तनख्वाह और अलाउन्स उन लोगोंके जिनसे आईन लशकरी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक़ है—

(के) कुल्ला जरूरी डिपाजिट व दीगर रकूम जो किसी ऐसे फण्ड (सर्माया) में जमा हों या ऐसे फण्डसे हासिल की जाय जिससे ऐक्ट मुतअल्लिक़ प्राविडेण्ट फण्ड मजरीया सन् १८९७ ई० बरवक्त मुतअल्लिक हो जहां तक कि रकूम मजकूर ऐक्ट मजकूरके जरिये से गैर क़ाबिल कुर्की करार दीगई हो—

(एल) उजरत मजदूरान और मुलाज़िमान खानगीकी ख्वाह रुपया या कोई चीज दीजाय—

(एम) उम्मेद विरासत बहाऊत पस्मांदिगी या और हक़ या इस्तिहक़ाक़ जो महज मौकूफ़ बवकूअ अम्र दीगर या बहैयत इमकान हो।

(एन) हक़ नान व नफ़क़ा आइन्दा का।

(ओ) वह अलाउन्स जो किसी कानून मजरीया तहत ऐक्ट कौन्सिल हाय हिन्द सन् १८६१ ई० व सन् १८९२ ई० की रू से कुर्की व नीलाम बइल्लत इजराय डिक्रीसे मुस्तसना कर दिया गया हो।

(पी) अगर मदियून डिक्री मालगुजार सरकार हो तो कोई जायदाद मनकूला जो किसी कानून नाफ़िजुल्वक्त मुतअल्लिक शख्स मजकूरकी रू से ऐसे नीलामसे मुस्तसना कर दीगई हो जो बगरज वसूली बकायाय मालगुजारी अमलमें आये।

तशरीह—वजीफा वगैरा मुतजिक्करा फ़िक़रात (जी) व (एच) (आई) व (जे) व (एल) और (ओ) कुर्की व नीलामसे मुस्तसना है कब्ल, ख्वाह बाद वाक़ई वाजिबुल अदा होने के—

(२) इस दफाकी किसी इबारतसे यह मफ़हूम न होगा कि—

(ए) मकानात न दीगर इमारत (मय उनके माल मसाला और आराजी मौकाके और उस आराजीके जो उनसे बिलकुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमाल के लिये जरूरी हो) डिकरी जर लगानके इजरामें जो उसी मकान या इमारत या आराजी मौका या आराजी मुत्तस्लिकी निस्बत हो कुर्की व नीलामसे मुस्तसना।

(बी) न इबारत मजकूर ऐक्ट मुतअल्लिका फौज या उस किस्मके और कानून नाफिजुल वक्तमें खलल अन्दाज होगी।

जो जायदाद कुर्क नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन दफा ६० (१) की शर्त (ए) से लेकर शर्त (बी) तक में किया गया गया है। खेती बारीके कामोंमें लगे हुये जानवर कुर्कीसे बरी (मुस्तसना) न समझे जायगे जब तक कि अदालत उसे ऐसा होनेकी घोषणा न कर दे (देखो 10 C 397)—अदालतको यह बात तय करनी चाहिये कि वे खेतीके कामोंके लिये आवश्यक है या नहीं। इस बातसे कि मवेशी किसीके पास रेहन है, दफा ६० की कार्रवाईमें कोई रुकावट नहीं पड़ती (देखो 61 I C 777)—खेती की पैदावारका कौन सा अंश बरी है कौनसा नहीं, इस सम्बन्धमें देखो दफा ६१, बेसार (बोआईके लिये रखा हुआ गल्ला), गल्ला और मवेशी कुर्कीसे बिल्कुल मुस्तसना नहीं है। जब मदियून डिकरी बिल्कुल गरीब (निर्धन) न हो और उनकी जगह नई चीजें खरीद सकता हो तो वे कुर्क किये जा सकते हैं, देखो 25 I C 117—किसी दर्जीकी कपड़ा सीने वाली मशीन कारीगरीका एक औजार है, देखो 65 I C 416, जब किसी मदियून डिकरीकी जीविका का साधन सिर्फ खेती ही न हो तो वह किसान न समझा जायगा और इसलिए दफा ६० (सी) के अनुसार किसी भी मुस्तस्नियात का (छूटका) मुस्तहक नहीं है, देखो 63 I C 681,—दफा ६० (ग) ऐसी जायदादकी नीलाम को नहीं रोकता जो खास तौरसे रेहन कर दी गई हो यद्यपि यह जायदाद किसी ऐसे मकानका सामान हो जो किसी किसानके कब्जेमें हो या जिसपर कोई किसान काबिज हो, देखो 4 B. 25, 34A 25 F 13 इसके विपरीत देखो 33 A 136; 51 I C 553 (A) 1

जायदाद मनकूलाकी कुर्कीका तरीका—उस जायदाद मनकूलाकी, जो मदियून डिकरी के कब्जेमें है और जो खेतोंसे होने वाली पैदवार नहीं है, कुर्की उस जायदाद पर वास्तविक कब्जा करके की जा सकती है। जब जायदाद अपने आप और जल्द खराब हो जाने वाली हो, या जब उसके रखनेके खर्चेके उसकी कीमत से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो वह फौरन् बेच दी जा सकती है (देखो आडर २१, रूल ४३)—किसी रेहनके मकानमें रखी हुई जायदाद मनकूलाकी कुर्की (जब्तीके सम्बन्धमें देखो दफा ६२)

२ जिराअती (खेतोंमें होने वाली) पैदावार और खड़ी हुई फसलकी कुर्की के तरीके के सम्बन्धमें देखो आडर २१ रूल ४४-४५, जिराअती पैदावारके किसी हिस्सेको कुर्कीसे बरी कर देने सम्बन्धी स्थानीय सरकारके अधिकारोंके सम्बन्धमें देखो जाब्ता दीवानीकी दफा ६१।

३ किसी क़र्ज़े, किसी कार्पोरेशनकी पूंजीके हिस्से और दूसरी जायदाद मनक़ूलेकी जो मदियून डिकरीके कब्ज़ेमें नहीं है, कुर्कीके तरीक़ेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४६।

४ मदियून डिकरीके उस जायदाद मनक़ूला के हिस्सेकी, जो उसकी और उसके दूसरे शरीकदारकी मिल्कियत है, कुर्कीके तरीक़ेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४७।

५ सरकारी नौकर, किसी रेलवे कम्पनीके या स्थानीय अधिकारी वर्ग के नौकरके वेतन (तनख्वाह) या भत्ता की कुर्कीके तरीक़े के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४८, दफ़ा ६०, क्लॉज (एच), (आई) और (जे)

६ साझेदारीकी जायदाद की कुर्कीके तरीक़े और किसी फ़र्म (दूकान) के ऊपर दीगई डिकरीकी इजराके तरीक़ेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४९-५०।

७ दस्तावेजात क़ाबिल बय व शरी की कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५१।

८ अदालत या सरकारी अफ़सरकी सिपुर्दगीमें रखी हुई जायदादकी कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५२।

९ क़र्ज़ या रेहनकी डिकरियोंकी कुर्की के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५३

'क़र्ज़ा' से मतलब उस क़र्ज़े से है जो असलियतमें क़र्ज़की सूरत रखता हो अर्थात ऐसा क़र्ज़ा जो किसी खास मुद्दतके लिये बतौर क़र्ज़के दिया गया हो, ऐसा रुपया नहीं जो भविष्यमें किसी समयमें दिया जा सकता है या नहीं या जिसका अदा करना किसी विशेष अवस्थापर निर्भर करता है। जो सम्भव है कभी आए अथवा न आए, देखो 4 C W N. 87, 9 C W N 703, 30 A 246 सालाना मिलने वाला वज़ीफ़ा (वज़ीफ़ा) जिसका रुपया अभी वाजिबुल् अदा नहीं है, क़र्ज़ा नहीं है, देखो 11 C L J 129 —वह माहवारी भत्ता जो किसी मदियून डिकरीसे वाजिबुल्अदा वसूल हो, क़र्ज़ा है, देखो 9 C W N 703. गुज़ाराकी बक़ाया क़र्ज़ा है, देखो 8 W R 41 —लेकिन गुज़ाराका ऐसा हक़ जो पैदा होनेवाला है (जिसके पैदा होनेकी आशा है) कुर्क नहीं किया जा सकता, देखो 23 W R 427 —जो क़र्ज़ा बना हुआ है लेकिन जिसका रुपया आगे चलकर अदा किया जाने को है, वह कुर्क किए जानेके क़ाबिल है, देखो 14 M I A 40, 50—जो क़र्ज़ा मदियून डिकरीको ऐसे शख्ससे मिलना हो जो अदालत इजराके अधिकार क्षेत्रमें नहीं है, उसकी कुर्की वह अदालत नहीं कर सकती, देखो 39 C 104

किसी प्राइवेट नौकर की तनखाह उस वक्त कुर्क नहीं हो सकती जबतक कि वह वाजिबुल् वसूल होकर क़र्ज़ा न बन जाय देखो 21 M 393 लेकिन एक सरकारी नौकर की तनखाह कुर्क हो सकती है, परन्तु उसमें दफ़ा ६० (१) (आई) में बतलाई हुई रुकावटें अवश्य लागू होंगी । आर्डर २१ रूल ४८ के अनुसार अदालत को अब पूरा अख्त्यार है कि वह किसी सरकारी

नौकर, किसी रेलवे कम्पनी के नौकर या किसी स्थानीय अधिकारी वर्ग के नौकरकी तनख्वाह कुर्क करले, चाहे मदियून डिकरी या रुपया देने वाला अफ़सर अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाके भीतर रहता हो या न रहता हो।

वासिलातकी डिकरीका नीलाम—दफ़ा ६० के अनुसार वासिलातकी डिकरी नीलाम नहीं की जा सकती। इसके लिए जावता सिर्फ़ यह है कि वह कुर्क करली जाय और फिर आर्डर २१, रूल ५४ के अनुसार उसकी इजरा करा दी जाय, देखो 48 I C 183

२०) से कमकी चीजका नीलाम— जब उस अफ़सर का, जिसने आर्डर २१ के रूल ४३ से ४५ तकके रूलोंके अनुसार जायदाद कुर्क की है यह विश्वास हो कि जायदाद मकरूका (कुर्क की हुई जायदाद) २०) रु० से ज्यादा कीमतकी नहीं है, तो उसे चाहिए कि वहमदियून डिकरी को या, उसके न होनेकी दशामें, उसके घरके किसी बालिग शख्सको, जो मौजूद हो, यह सूचना दे देवे कि वह जायदाद आर्डर २१ के रूल ६६ के अनुसार इश्तहार जारी किए बिना ही नीलाम आम मे फौरन् बेच दी जायगी। अगर डिकरीदार, या मदियून डिगरी या उसकी ओर से कोई दूसरा शख्स इसबात के ऊपर एतराज करे, तो कुर्की करने वाला अफ़सर उस गिर्द नवाह के कम से कम तीन बालिग और प्रतिष्ठित बाशिन्दों की एक पचायत इकट्ठा करेगा जिसमे से एक आदमी तो उस गाव का मुखिया होगा, और उन लोगों से उस जायदाद की कीमत ठहराने को कहेगा। अगर वे यह तय करदें कि उसकी कीमत २०) रु० से ज्यादा है, तो वह उसमें उन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा जो स्थानीय सरकार (जाबता दीवानी, ऐक्ट न० १४ सन् १८८२ ई०, की दफ़ा २६९ के, जो कि आर्डर २१, रूल ४३ के समान है) तैयार करेगी, अन्यथा वह फौरन् उस जायदादको, जायदाद खरीदने का इरादा रखने वालो को ऐसा नोटिस देने के बाद जो कि वह उस दशा मे दे सकता है, नीलाम मे फरोख्त कर देगा (देखोG R & C O Chap I R. 93)

रूल १—१४ के लिए, जिन्हे स्थानीय सरकार ने (जाबता दीवानी सन् १८८२ ई० की दफ़ा २६९ के अनुसार, जो कि मौजूदा जाब्ता दीवानी के आर्डर २१, रूल ४३ के बराबर है) तैयार किया है, देखो G R & C O Chap I Note to Rule 93, p p 32 34

जायदाद गैर मनकूला की कुर्की का तरीका—अगर जायदाद गैर मनकूला हो, तो उसकी कुर्की एक ऐसे हुक्म के जरिये की जा सकती है जिसमें मदियून डिकरी को इस बात की हिदायत कर दी गई हो कि वह किसी तरह से जायदाद को न मुन्तकिल करे और न उसके ऊपर कोई बार पैदा करे, और कुल आदमियो को ऐसी मुन्तकिली या बार-किफ़ालत से फायदा उठाने से मना कर दिया गया हो।

इस हुक्म की मुनादी उस जगह पर, जहा कि जायदाद है, या उसके करीब में ही की जानी चाहिए, और उस हुक्म की एक नकल उस जायदाद के

खुले हुए हिस्से पर और इसके बाद कचहरी के खुले हुए हिस्से पर जिस पर आम लोगों की निगाह पड़ती हो चस्पाँ कर दी जानी चाहिए (देखो आर्डर २१, रूल ५४)

अगर कुर्की के दौरान में मदियून डिकरी अदालतकी मारफत डिकरी का मतालबा चुकता कर दे, तो कुर्की वापस ले ली गई समझी जायगी, वरना जायदाद नीलाम करदी जायगी।

किसी रेहननामा की बाबत दी हुई नीलाम की डिकरी रूल ५४ के अर्थ में जायदाद गैर मनकूला न समझी जायगी, देखो 8 A L J 1327 फक-रेहनी की डिकरी इस रूल के अनुसार नहीं बल्कि रूल ५३ (२) के अनुसार कुर्क की जा सकती है, देखो 10 Bom 444 किसी राहिन का हक इन्फिकाक इस रूल के अर्थ में, जायदाद गैर-मनकूला है, देखो 21 B 226

किसी रेहननामा की डिकरी इजरा में जायदाद गैर मनकूला के कुर्क किए जाने की जरूरत नहीं है। डिकरी में लिखा हुआ नीलाम का हुक्म खुद नीलाम के लिए काफी सुबूत है देखो 4 B 515; 26 C 127, 8 B 561, 15 B 222 P C

कुर्की कर लेने के बाद आर्डर २१, रूल ६६ के अनुसार उसकी नीलाम का इश्तहार तैयार किया जाना चाहिए और फिर वह रूल ६७ के अनुसार प्रकाशित किया जाना चाहिए]

रियासतकी कुर्की—(अ) जब दरख्वास्त किसी ऐसी रियासतके किसी हिस्सेकी कुर्कीके लिए दीगई हो, जिसकी मालगुजारी माफ है, तो आर्डर२१,रूल १३के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा हर ऐसी हालत में जब इस बात का इन्दराज कलक्टर के रजिस्टर में कर लिया गया हो, दरख्वास्त में उस रियासतका पूरा रकबा वगैरा लिखा जाना चाहिए। (ब) जब कोई दरख्वास्त किसी दीवानी अदालत को ऐसी रियासत या उस रियासत के हिस्से की कुर्की के लिए दी गई हो, जो किसी जिले की फेहरिस्त मालगुजारी में चढ़ी हुई है, तो उपरोक्त आर्डर के रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा दरख्वास्त में वह मालगुजारी भी लिखी जानी चाहिए जो उस रियासत की बाबत हरसाल अदा की जाती है और उसके समर्थन में कलक्टर के रजिस्टर से उसकी एक तस्दीक शुदा नकल पेश करनी चाहिए, देखो G R & C O Chap I R 92 (यू०पी० में इसे सेपरेट कहते हैं)

रियासतों और रियासतों के हिस्सों की कुर्की के सम्बन्ध में दिए हुए दीवानी अदालतों के कुल हुक्मों की इत्तला फौरन् उस जिले के कलक्टर को दे दी जानी चाहिए जिस जिले में कि वह रियासत या उसका कोई हिस्सा वाके है (देखो G R & C O Chap I R 94)

विवरण—उपरोक्त नियम (रूल) से वह हुक्म तहरीरी रद्द नहीं हो जाता जो जाब्ता दीवानी के आर्डर २१, रूल ५४ के सब-रूल (२) के अनुसार कल-

क्टर के दफ्तर में पेश किया जाना चाहिए, जब कोई आराजी या उसका कोई हिस्सा कुर्क कर लिया जाय।

जब किसी रियासत या उसके हिस्से की कुर्की कानूनन और जाबते से वापस ले ली गई हो, तो उसी तरह इस वापसी की इत्तला कलक्टर को दे दी जानी चाहिए (देखो G R & C O. Chap I. R 95)

इलाहाबाद में रूल ५५ की जगह रूल ५५ (१) कर दिया गया है।

कुर्की का बन्द होजाना—किसी भी जायदाद की कुर्की उस समय बन्द होजायगी जब डिक्रीदार की असावधानी के कारण अदालत इजरा की दरख्वास्त में आगे कार्रवाई करने में असमर्थ हो और इसलिये अदालत उसे खारिज कर दे (देखो आर्डर २१ रूल ५७)।

इस नये रूल से अब उस विरोध का अन्त होजाता है जो इस सम्बन्ध में जजों की रायों में रहा करता था और उसमें यह व्यवस्था करदी गई है कि किसी इजरा की दरख्वास्त के खारिज होजाने पर आप से आप कुर्की खतम होजाती है। असावधानी" शब्द का बहुत सकुचित अर्थ न किया जाना चाहिये। इसका मतलब सिर्फ हाजिर होने या तलबाना जमा करने इत्यादि में हो जानेवाली असावधानी की गई है, तो दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिये और कुर्की उस समय चली जाती है चाहे अदालत और फरीकैन का यही इरादा क्यों न हो कि वह बनी रहे (देखो 15 C W N 428 तथा 44 A 274)—

अगर असावधानी "असावधानी" से मतलब है उस काम का न करना जिसका करना डिकरीदार के लिये अपनी दरख्वास्त को जारी रखने और जायदाद को नीलाम कराने के वास्ते जरूरी था (देखो 67 I C 543),

खारिज करदेने से कुर्की चली जाती है (देखो 24 Bom L R 442)

जब डिकरीदार डिकरी के बाबत थोड़ा रुपया ले लेवे और मदयून डिक्री को बाकी की अदायगी के लिये कुछ मौका दे और उस समय इजरा का मुकद्दमा खारिज होजाय तो कुर्की बनी नहीं रह सकती (देखो 71 I C 881)

रूल ५७ उन कुर्कियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जो फैसला होने के पहिले करवा ली जाती हैं (देखो 16 C L J 86, 22 I C 311, 42 M 1 F B, 80 I C 106

कुर्की के बाद मुन्तकिली—जायदाद कुर्क होजाने के बाद खानगी तौर पर किसी शख्स को जायदाद या रुपया की कीगई मुन्तकिली या हवालगी, उन तमाम दावों के मुकाबिले में नाजायज समझी जायगी जो उस कुर्की की निस्बत किये किये जाने को हो (देखो दफा ६४),

मुन्तकिली में हर तरह से की जाने वाली जायदाद की अलाहदगी शामिल है जैसे बय, हिबा, रेहन, वगैरा। इस दफा का उद्देश्य क्या है इस सम्बन्ध में देखो 23 C L J 111, दफा ६४ का जो विवरण है उसमें यह बतलाया गया है कि कुर्की की निस्बत किये जाने वाले दावों में दफा ७३ के अनुसार असासा (सम्पति) हिस्से रसदी बटवारा भी शामिल है स्मरण रखना चाहिये कि कुर्की

से पास कीगई मुन्तकिली बिल्कुल ना जायज नहीं होजाती बल्कि उसका सिर्फ उतना हिस्सा नाजायज हो जाता है जिसके लिये उस कुर्की के आधार पर दावा किये जाने को हो। जब एक टिकरीदार ने जायदाद कुर्क करवा ली और दूसरे डिक्रीदारों ने बिना कुर्की के हिस्से रसदी बटवारा के लिये दरख्वास्त दी और मदियून डिकरी ने जायदाद मुन्तकिल करदी और डिकरी की बेबाकी करदी, तब हुआ कि दूसरे डिक्रीदार मुन्तकिली के ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकते (देखो 6 I C 846)

फरीकैन की ओर से कुर्की की निस्बत उज्रदारी—वे तमाम सवालात जो उस मुकद्दमे के जिसमे यह डिकरी दी गई थी फरीकैन या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा हों और जो उस डिकरी की इजरा, बेबाकी या अदायगी से सम्बन्ध रखते हैं जाबता दीवानी की दफा ४७ के अन्दर आते हैं। इसके सम्बन्ध मे बहुत नजीरें हैं वकील साहबान को चाहिये कि वे दफा ४७ के अनुसार उज्रदारी दाखिल करने के पहिले जाबता दीवानी का पूर्ण संस्करण ध्यान पूर्वक पढ़ जाय, दफा ४७ के अनुसार दिया हुआ हुक्म डिकरी का जैसा असर रखता है और इस लिये वह काबिल अपील है। उसकी मुखतहरी या उसके करने मे कोई बेकायदगी या जालसाजी की बिना पर नीलाम मसूख किए जाने के लिये दीगई दरख्वास्त अब आर्डर २१ रूल ९० मे आती है। दूसरी तरहकी जालसाजी दफा ४७ मे आती है।

जायदाद मरहूना की निस्बत दावा—जब किसी डिकरी की इजरा में कीजाने वाली किसी जायदाद की कुर्की की निस्बत कोई उज्रदारी की गई हो या जायदाद मकफूका की निस्बत कोई दावा किया गया हो तो आर्डर २१ रूल ५८ के के अनुसार अदालत इस मामले की जाच करेगी। दावा मुकद्दमे के फरीकैन या उनके प्रतिनिधि अथवा कोई बाहरी आदमी कर सकते हैं। जो दावा कोई बाहरी करेगा वह आर्डर २१ रूल ५८ के अन्दर आता है। फरीकैन या उनके प्रतिनिधियों की ओर [redacted] इजरा के खिलाफ की गई उज्रदारियां दफा ४७ के अन्दर आती हैं। जब अदालत को इस बात का इतमीनान हो जायगा कि जायदाद मदियून डिकरी या उसकी ओर से किसी दूसरे शख्स के कब्जे मे थी तो वह उस दावा को नामंजूर कर देगी (देखो आर्डर २१ रूल ६१)—अगर दावेदार नाकामयाब हो जाता है तो वह आर्डर २१ रूल ६३ के अनुसार एक साल के अन्दर (देखो कानून मियाद का आर्टि० ११) अपनी हकीयत कायम करने के लिये बाकायदा नालिश दायर कर सकता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वह हुक्म जिससे दावा खारिज कर दिया गया है कतई हो जायगा।

यह तय किया गया था कि दफा ६१ के अनुसार दिये जाने वाले हुक्म का तात्पर्य तहकीकात के बाद दिये हुये हुक्म से है और अगर अदम पैरवीमे कोई दावा खारिज कर दिया जाय तो एक साल की मियाद लागू नहीं होती (देखो 12 C 108, 1 B 21, 31 M 5, 34 C 491 18 C W N 770) लेकिन बाद मे यह तय पाया है कि रूल ६३ पहिले जाबता दीवानी की दफा २८३ की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और उसमे वे मुकद्दमे भी आजाते हैं जिन मे कोई तहकीकात

नहीं की गई है (देखो 27 I C 944; 31 M L J 241, 45 A 438, 41 M 985, 45 C 785) — यह भी तय किया गया है कि आर्डर २१ रूल ५८ की शर्तों के अनुसार दिया हुआ हुक्म रूल ६३ और कानून मियाद के आर्टि० ११-(१) में आता है (देखो 41 M. 895, F B)

जब किसी शख्स की दरख्वास्त सिर्फ यह हो कि बिना तहकीकात कराये उसकी उजरदारी दर्ज कागजात कर ली जाय और अदालत उसे स्वीकार कर ले तो वह हुक्म दफा ६३ के अनुसार नहीं है (देखो 52 I. C. 938)

कुछ जमीन तारीख ४ ११-१९१० ई० को कुर्क कर ली गई । मदियून डिकरीकी स्त्रीने उसकी निस्बत एक दावा दायर किया जो खारिज होगया । और इसी तरह इसके थोड़े दिन बाद इजराकी कार्रवाई भी खारिज होगई । इसके बाद दूसरी इजरा में जायदाद फिर कुर्क कीगई जिसे डिकरीदारने खरीद लिया और उस पर अगस्त सन् १९१८ ई० मे अपना कब्जा कर लिया । दावेदार नेतारीख २३-११ १८ ई० को नालिश दायर की । तय हुआ कि ऐसी दशामे कानून मियाद का आर्टि० ११ लागू नहीं होता (देखो 51 C 584)

रूल ६३ उन दावोंके ऊपर दिए हुए हुक्मोंके सम्बन्धमें लागू होता है जो फैसलेके पहले कुर्क की हुई जायदादकी बाबत दायर किए गए हों (देखो 41 M 849; 41 M. 23 Overruled)

उस जायदादके ऊपर दावा नहीं किया जासकता जिसके लिए किसी रेहन नामाकी डिकरीके अनुसार नीलामका हुक्म हो गया हो (देखो 18 B. 98, 26 C W N 50 5-I C 895, 50 I C 448), और न लगान (किराया) सम्बन्धी नीलाम के ऊपर ही दावा किया जा सकता है (देखो बगाल टिनेंसी ऐक्टकी दफा १७०)—नीलाम से किसी मुर्तहिन के हक्कूक पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वह दरख्वास्त दे सकता है कि नीलामके वक्त उसके रेहननामाके सम्बन्धमे नोटिस निकाल दिया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ६६ (सी)]—जो दरख्वास्त कोई मुर्तहिन किसी ऐसी जायदादके निस्बत दे जो नीलामके लिए कुर्क कर लीगई है जिसमे उसके रेहननामाकी घोषणा करदी जायगी वह आर्डर २१ रूल ५८ के अनुसार दी हुई दरख्वास्त समझी जायगी और अगर जांच (तहकीकात) के बाद या और किसी समय वह खारिज कर दीजाय तो एक सालके बाद फिर वह उस रेहननामाके अनुसार नालिश दायर न कर सकेगा (देखो 52 I C 720)

नीलाम आम—(१) जायदाद कुर्क हो जानेके बाद, डिकरीकी इजरा करने वाली अदालतको अधिकार होगा कि वह उस जायदादके नीलाम किए जाने और नीलामसे वसूल हुई रकम उस शख्सको दे दिये जानेका हुक्म दे दे, जो उस डिकरीके अनुसार उसके पानेका हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ६४)

२ हर एक ऐसी नीलाम आम नीलाममें की जायगी और उसे अदालतका कोई अफसर या कोई दूसरा ऐसा शख्स करेगा जिसे अदालत इस कामके लिये नियत करे (देखो आर्डर २१, रूल ६५)

३ कुछ मनकूला और गैर मनकूला जायदादोंकी निस्बत सबसे पहली बात जो करनी है वह यह होगी कि उस होने वाली नीलाम की निस्बत इश्तहारका जारी करना जिसमें १- नीलामका वक्त और मुकाम २—नीलाम होने वाली जायदाद ३—उस जायदाद पर बांधी गई मालगुजारी (अगर कोई हो), ४—वह बार जो उस जायदाद पर है (अगर कोई हो तो), तथा ५—दूसरी ऐसी बातें लिखी होगी जिन्हें अदालत खरीदारके लिये उस जायदादकी किस्म और मालियत जाननेकी निस्बत जानकारीके वास्ते जरूरी समझे। यह इश्तहार डिक्री दार और मदियून डिकरी को नोटिस दे दिये जाने के बाद जारी किया जाना चाहिये ।

४ नीलामके हुक्म के लिये दीगई हर एक दरख्वास्तके साथ एक नकशा पेश किया जाना चाहिये जिस पर तस्दीक और दस्तखत उसी तरह पर किये जाने चाहिये जिस तरह पर प्लीडिंगके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक करनेके लिये बतलाया गया है (देखो आर्डर २१ रूल ६६)

ऐक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई० के अनुसार नीलामका इश्तहार उस समय तैयार किया जाना चाहिये जब मदियून डिकरी और डिकरीदार को इसकी इत्तला (नोटिस) दे दीगई हो और उसमें वे सब बातें लिखी जानी चाहिये जिनका वर्णन रूल ६६ में किया गया है। इश्तहारमें, नीलाम होने वाली जायदाद की कीमत साफ साफ और सही तौर पर लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्त) अन्यथा सिर्फ इसी बिना पर नीलाम मसूख किया जा सकता है, (देखो 20 A. 412 P C, 2 C W N 550, P C 23 M 628 & 568, 6 C W N 836, 8 C, W N 27, तथा 16 C C W N 704 P 709 और 14 C L J 541)

जायदाद मनकूलाके सम्बन्धमें उस समय नीलाम का इश्तहार निकालने की जरूरत नहीं है जब जायदादकी कीमत २०) रु० से अधिक न हो ।

५ नीलामका इश्तहार तैयार हो जाने और तस्दीक शुद नकशा दाखिल कर दिये जानेके बाद यह इश्तहार आर्डर २१ रूल ५४ (२) में बतलाये अनुसार प्रकाशित कर दिया जायगा, [देखो आर्डर २१ रूल ६७]

अगर अदालत ऐसी इजाजत दे, तो वह इश्तहार स्थानीय सरकारी गजट अथवा किसी दूसरे स्थानीय समाचार पत्र (अखबार) में या दोनोंमें प्रकाशित कर दिया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ६७)—अदालत इस बातको तय करेगी कि ये बातें किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाय अथवा नहीं, लेकिन अगर अदालत, समाचार पत्र में इन बातों के प्रकाशित करने की बातको तय कर दे तो, जिला जजको अधिकार होगा कि वह इस कामके लिये किसी खास अखबारको छांट ले (देखो G R & C O Chp I Rule 100C)

जब नीलाम की जाने वाली जायदाद कई एक टुकड़ोंमें बांट दीगई हो, तो यह जरूरी न होगा कि हर एक टुकड़े के लिये अलग अलग इश्तहार निकाला

जाय देखो आर्डर २१ रूल ६७ (३)—रूल ६७ का सब रूल इस बातके लिये बनाया गया है कि 12 B 368, और 12 C W N 757, 11 C 714 में दिये हुये विरोधी फैसलोंका समाधान हो जाय। 12 C W N 757 मे इस विषयसे सम्बन्ध रखने वाले कुल मुकद्दमोंका उल्लेख कर दिया गया है और उन पर बहस भी कर ली गई है।

६ बिना मदियून-डिकरीकी लिखित स्वीकृति (मंजूरी) के कोई भी जायदाद, उस तारीखसे, जिस तारीखको नीलाम इश्तहार अदालतकी इमारत पर चस्पा कर दिया गयाहै, कमसे कम ३० दिन पहिले और अगर वह जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिन पहले नीलाम न की जा सकेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६८)

७ काफी वजूहात होने पर अदालत को अख्त्यार होगा कि वह किसी खास दिन या घण्टेके लिये किसी नीलामको मुलतवी कर दे, लेकिन अगर वह ७ (सात) दिनसे अधिक मुद्दतके लिये मुल्तवीकी जाय तो एक नया इश्तहार जारी किया जाना चाहिये सिवाय उस दशाके जब मदियून-डिकरी इस हकको छोड देनेके लिये तैयार हो। अगर नीलाम की बोली खतम होनेके पहले डिकरी की रकम और खर्चा अदा कर दिये जाय तो हर एक नीलाम बन्द हो जायगे (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि रूल ६९ जायदाद मरहूना तथादूसरी क़िस्मकी सभी जायदादोंके नीलामके सम्बन्धमे लागू होता है (देखो 31 C. 863, 8 C W N 648)

अगर रुपयेकी अदायगीके लिये वक्त दिया गया है और इस दरख्वास्त पर नीलाम मुल्तवी कर दिया गया है कि उस नीलाम से सम्बन्ध रखने वाले शख्सको कोई एतराज नहीं है अगर नीलाम दूसरे दिन किया जाय तो ऐसी दरख्वास्त "सभी मदियून डिकरी की ओर से होनी चाहिये नहीं तो नीलामका नया इश्तहार जारी करनेकी जरूरत न होगी।

८ जो खरीदार क़ीमत खरीद का रुपया अदा न कर सकेगा, वह नुकसानके लिये जवाबदेह होगा जो उसके दुबारा नीलामसे हो और अदालतको दरख्वास्त देकर कमी रुपया वसूल किया जा सकेगा (देखो आर्डर २१ रूल ७१)

९ बिना अदालतकी आज्ञाके किसी डिकरीदारको जायदादके खरीदने या उसके लिये बोली बोलनेका हक़ नहीं है लेकिन अगर वह बिना अदालतकी इजाजत लिये हुये जायदाद खरीद लेगा तो मदियून डिकरी या किसी दूसरे शख्सके जिसको इस नीलामसे क्षति पहुंची हो, दरख्वास्त देने पर अदालत नीलामको मसूख कर सकती है और दुबारा नीलाममें होने वाला खर्चा और घाटा डिकरीदारको देना पड़ेगा। जब डिकरीदार ही खरीदार हो तो खरीदका रुपया डिकरी में मेजरा दिया जायगा या अगर खरीद का रुपया डिकरीके रुपये से ज्यादा है तो खरीदके रुपयेमें डिकरीका रुपया दे दिया जायगा। (देखो आर्डर २१ रूल७२)

इजाजत देते समय अदालत जो शर्त चाहे लगा सकती है अर्थात् यह कि डिकरीदार की सब से कम बोली डिकरी की रकम होनी चाहिये (देखो 15 C W N 488, 5 C W N 264) या यहकि इतनी २ रकम जो उस जायदाद की निस्बत दूसरे शख्स की बाकी है अदालत में जमा कर दी जाय (देखो 1 Pat 235)

-बम्बईमें रूल ७२ (ए) और जोड दिया गया है जिसके अनुसार अदालत को मुर्तहिनको बोली बोलनेकी इजाजत देते समय एक खास रकम मुकर्रर कर देनी चाहिए।

अगर डिक्रीदार की ओरसे नीलाममें बोली बोलनेकी इजाजत मांगनेकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाय और उस हालतमें वह बिना इजाजत जायदाद खरीद कर ले तो वह खरीद नाजायज न होगी, लेकिन अगर मदियून डिकरी या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे, जिसका उस डिकरीसे कोई सम्बन्ध है, इसके लिए दरख्वास्त दी जाय, तो वह खरीद नाजायज ठहराई जा सकती है (देखो 67 I C 914, P C)—जो मदियून डिकरी दफा ७२ के अनुसार नीलाम मसूख करनेके लिए दरख्वास्त देता हो, वह इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि नुकसान को साबित करे (देखो 62 I C 854)—जो खरीद अदालतकी बिना इजाजत के कर लीगई है उसके खारिज करने के लिए की जाने वाली नालिश जाबता दीवानीकी दफा ४७ के अनुसार दायर की जा सकेगी (देखो 22 B 271, 5 M 217, 11 B 588, 16 M 287, 21 C 279 और 23 A 478)

१० किसी भी ऐसे अफसर या दूसरे शख्स को जो नीलामके सम्बन्धमें कोई काम कर रहा है, नीलाममें जायदादके खरीदने या उसके लिए बोली बोलनेकी इजाजत नहीं है, (देखो आर्डर २१, रूल ७३)

फरीकैनके वकीलोंको किसी डिकरीकी इजरामें नीलाम होने वाली जायदादके खरीदनेकी मुमानियत नहीं है (देखो 10 M 111) लेकिन जब वकील ने अनुचित कार्रवाई की तो नीलाम मसूख कर दिया गया, (देखो 15 M 389, 23 C 805)—लेकिन वकील लोग उन डिक्रियोंकी इजरामें होने वाली नीलाम में कोई चीज नहीं खरीद सकते जिनमें उनका कोई स्वार्थ हो, (देखो 13 W R 209)

कलकत्ता हाईकोर्टके बनाए हुए रूल

जायदादकी नीलामके सम्बन्धमें (देखो जाबता दीवानीकी दफा ६५ से ६७ तक और आर्डर २१ के रूल ६६ से ७३ तक) कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए हुए नियम (रूल) (देखो Rule 99 to 116 of G R & C O Ch I) इस प्रकार है —नीचे 'क०' से मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट है।

क० रूल ९९—अगर आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करने के बाद, नीलाम होने वाली जायदादके सम्बन्धकी कोई लिखा पढ़ी अदालतको मिल जाय, जिसे वह खरीदारके जानने के लिए जरूरी समझती हो तो जिस समय जायदाद नीलामके लिए रखी जायगी उस समय अदालत उस लिखा पढ़ीको पढ़कर सुनावेगी।

क० रूल १००—(अ) अगर नीलाम होने वाली जायदाद कोई ऐसा इलाका या इलाकेका हिस्सा है जो सरकार (गवर्नमेण्ट) को मालगुजारी अदा करता है और ऐसे इलाके या इलाकेके हिस्से की बाबत अदाकी जाने वाली मालगुजारी ५००) से ज्यादा है, तो नीलामका इश्तहार स्थानीय सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जायगा।

(ब) इस रूलसे अदालतके उन अधिकारों को कोई बाधा न पहुँचेगी जो आर्डर २१ रूल ६७ (२) के अनुसार, जब कभी वह उचित समझे, किसी डिकरीकी इजरामें कुर्ककी हुई किसी दूसरी जायदाद या किन्हीं दूसरी जायदादों की होने वाली नीलामके इसी तरह प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(स) हर एक जिलेमें जिला जज उस स्थानीय समाचार पत्र या उन समाचार पत्रोंको तय करेगा जिसमें या जिनमें, उस कुल जिले या उस कुल जिले के भिन्न भिन्न भागोंके लिए, जाबता दीवानीके आर्डर २१, रूल ६७ के अनुसार नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जाने चाहिए, और जनता तथा मातहत अदालतोंके कुल अफ्सरोंको इस तरह चुने हुए समाचार-पत्र या पत्रोंके नामसे सूचित कर देगा। इसके बाद जब कभी हर एक मातहत अदालतका जज अपने अधिकारोंका प्रयोग करके किसी स्थानीय समाचार-पत्रमें किसी नीलामके इश्तहारके प्रकाशित किए जानेका हुक्म दे देगा, तो वह यह हिदायत कर देगा कि जिस समाचार पत्रको जिला जजने चुना है उसीमें उस जिले, या जिलेके उस हिस्सेके लिए नीलामका इश्तहार प्रकाशित किया जाय जिसमें वह अदालत वाके है।

क० रूल १०१—(१) आर्डर २१ रूल ४३ की शर्तोंकी पाबन्दीमें रहते हुए डिकरियोंकी इजरामें होने वाली जायदादकी नीलाम हर एक जिलेकी हर जगहकी अदालतोंमें (जो कि खफीफा की अदालतें नहीं हैं) हर महीनेकी किसी खास तारीखको की जायगी।

(२) अ—सदरकी अदालतोंके लिये ऐसे दिनको जिला-जज नियत करेगा।

ब—वर्दवान, मिदना पुर, हुगली, चौबीसपरगना, जैसोर, ढाका, मैमनसिंह फरीदपुर, बाकरगञ्ज, टिपरा, चटगाङ्ग और सिलहटके जिलोंमें यह बात जिला-जजके अधिकारमें होगी कि वह सदरकी अदालतोंको कई श्रेणियोंमें विभाजित करदे और हर एक श्रेणीके लिए लगातार तारीखें नीलामके लिए नियत कर दे।

३ बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें नीलाम शुरू होनेका दिन जिला जज उन अदालतोंके जजों या उनमें से किसी के साथ, जैसा कुछ वह उचित समझे, परामर्श करके नियत करेगा।

क०रूल १०२—कुल जायदाद, सिवाय उस जायदादके जिसका वर्णन जाब्ता दीवानीके आर्डर २१ रूल ४३ की शर्त या नीचेके रूल १०६ में किया गया है जो नीलामके हर स्थान पर नीलाम किए जाने को है, हर एक स्थानकी फेहरिस्तमें चढ़ा ली जायगी और जायदाद मनकूला तथा जायदाद गैर मनकूलाकी फेहरिस्तें अलग अलग होगी। ये फेहरिस्तें इस तरह पर तैयार की जायगी कि उनमें हर एक अदालतकी डिकरियोंकी इजरामें अलग अलग नीलाम होने वाली जायदादकी हर एक मद एक ठीक क्रमसे लिखी होनी चाहिये। ऐसी फेहरिस्तें उन अदालतोंमें, जिनमें नीलाम होनेको है, हर एक नीलामके शुरू होनेकी तारीख से कमसे कम ७ दिन पहले, अगर नीलाम होने वाली जायदाद गैर मनकूला है तो। और अगर ऐसी जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिनपहले चिपका दी जानी चाहिये।

क०रूल १०३—प्रत्येक नियत तारीखको फेहरिस्तमें बतलाये हुये समय पर नीलाम शुरू होगा और यह नीलाम उसी क्रमसे किया जायगा जो क्रम उपरोक्त फेहरिस्तोंमें बतलाया गया हो। सूर्यास्तके बाद कोई भीनीलाम जारी न रह सकेगा, लेकिन नीलाम हर रोज जारी रहेगा सिवाय उस दशामें कि जब कचहरी बन्द हो या जब तक कि कुल फेहरिस्तें खतम न हो जाय। लेकिन शर्त यह है कि इस रूलसे किसी खास नीलामके कानूनके अनुसार मुल्तविल किये जाने के सम्बन्धमें कोई बाधा न पड़ेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

क०रूल १०४—साधारणतया जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके नीलाम के लिये एक ही तारीख मुकर्रर न की जायगी।

क०रूल १०५—सिवाय उस किस्मकी जायदादके, जिसका वर्णन आगे वाले रूलमें किया गया है, सदरकी कुल अदालतोंकी डिकरियोंकी इजरामें होने वाला नीलाम जिला जजकी अदालतमें या किसी दूसरे चीफ जुडिशल अफसरकी अदालतमें किया जायगा। अगर दूसरे स्थानोंमें दो अथवा अधिक मातहत अदालतें हों, तो उस स्थानमें होने वाले नीलाम ऐसी किसी भी एक अदालतमें किये जायगे जिसे जिला जज साहब निश्चित करें। जब सिर्फ एक ही अदालत हो तो नीलाम उसी अदालतमें किये जायगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरीकी इजरा करने वाली अदालत, अगर वह उचित समझे तो, उन्हीं कारणोंसे, जो लिखकर बतलाए जायगे, फरीकैनके फायदेके ख्यालसे, यह हुक्म दे सकती है कि नीलाम किसी भी दूसरे समय और स्थान पर हो, जो उसके अधिकार क्षेत्रमें है और इस अन्तिम शर्तके अनुसार कार्रवाई करते समय, समय और स्थानका चुनाव करनेके सम्बन्धमें, मदियून डिकरीकी इच्छाओं के अनुसार काय करेगी सिवाय उस हालतके जब इसके विपरीत कार्य करनेके लिये माकूल वजह हो।

क० रूल १०६—जानवरों, खेतीकी पैदावार, उस स्थानमें बनी हुई चीजों तथा दूसरी चीजोंका जो आम तौर पर देहातके बाजारोंमें बिका करती हैं, नीलाम जब तक अदालत इसके विपरीत हुक्म न दे, उस स्थानके, जहां पर कि माल

फ० रूल ९९—अगर आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करने के बाद, नीलाम होने वाली जायदादके सम्बन्धकी कोई लिखा पढ़ी अदालतको मिल जाय, जिसे वह खरीदारके जाननेके लिए जरूरी समझती हो तो जिस समय जायदाद नीलामके लिए रखी जायगी उस समय अदालत उस लिखा पढ़ीको पढ़कर सुनावेगी।

फ० रूल १००—(अ) अगर नीलाम होने वाली जायदाद कोई ऐसा इलाका या इलाकेका हिस्सा है जो सरकार (गवर्नमेण्ट) को मालगुजारी अदा करता है और ऐसे इलाके या इलाकेके हिस्से की बाबत अदाकी जाने वाली मालगुजारी ५००) से ज्यादा है, तो नीलामका इश्तहार स्थानीय सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जायगा।

(ब) इस रूलसे अदालतके उन अधिकारों को कोई बाधा न पहुँचेगी जो आर्डर २१ रूल ६७ (२) के अनुसार, जब कभी वह उचित समझे, किसी डिकरीकी इजरामें कुर्ककी हुई किसी दूसरी जायदाद या किन्हीं दूसरी जायदादों की होने वाली नीलामके इसी तरह प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(स) हर एक जिलेमें जिला जज उस स्थानीय समाचार पत्र या उन समाचार पत्रोंको तय करेगा जिसमें या जिनमें, उस कुल जिले या उस कुल जिले के भिन्न भिन्न भागोंके लिए, जाबता दीवानीके आर्डर २१, रूल ६७ के अनुसार नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जाने चाहिए, और जनता तथा मातहत अदालतोंके कुल जजोंको इस तरह चुने हुए समाचार पत्र या पत्रोंके नामसे सूचित कर देगा। इसके बाद जब कभी हर एक मातहत अदालतका जज अपने अधिकारोंका प्रयोग करके किसी स्थानीय समाचार पत्रमें किसी नीलामके इश्तहारके प्रकाशित किए जानेका हुक्म दे देगा, तो वह यह हिदायत कर देगा कि जिस समाचार पत्रको जिला जजने चुना है उसीमें उस जिले, या जिलेके उस हिस्सेके लिए नीलामका इश्तहार प्रकाशित किया जाय जिसमें वह अदालत वाकै है।

फ० रूल १०१—(१) आर्डर २१ रूल ४३ की शर्तोंकी पाबन्दीमें रहते हुए डिकरियोंकी इजरामें होने वाली जायदादकी नीलाम हर एक जिलेकी हर जगहकी अदालतोंमें (जो कि खफीफा की अदालतें नहीं हैं) हर महीनेकी किसी खास तारीखको की जायगी।

(२) अ—सदरकी अदालतोंके लिये ऐसे दिनको जिला-जज नियत करेगा।

ब—बर्दवान, मिदनापुर, हुगली, चौबीसपरगना, जैसोर, ढाका, मैमनसिंह फरीदपुर, बाकरगञ्ज, टिपरा, चटगाङ्ग और सिलहटके जिलोंमें यह बात जिला-जजके अधिकारमें होगी कि वह सदरकी अदालतोंको कई श्रेणियोंमें विभाजित करदे और हर एक श्रेणीके लिए लगातार तारीखें नीलामके लिए नियत करदे।

३ बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें नीलाम शुरू होनेका दिन जिला जज उन अदालतोंके जजों या उनमें से किसी के साथ, जैसा कुछ वह उचित समझे, परामर्श करके नियत करेगा।

क०रूल १०२—कुल जायदाद, सिवाय उस जायदादके जिसका वर्णन आर्डर दीवानीके आर्डर २१ रूल ४३ की शर्त या नीचेके रूल १०६ में किया गया है जो नीलामके हर स्थान पर नीलाम किए जाने को है, हर एक स्थानकी फेहरिस्तमें चढ़ा ली जायगी और जायदाद मनकूला तथा जायदाद गैर मनकूलाकी फेहरिस्तें अलग अलग होंगी। ये फेहरिस्तें इस तरह पर तैयार की जायंगी कि उनमें हर एक अदालतकी डिकरियोंकी इजरामें अलग अलग नीलाम होने वाली जायदादकी हर एक मद एक ठीक क्रमसे लिखी होनी चाहिये। ऐसी फेहरिस्तें उन अदालतोंमें, जिनमें नीलाम होनेको है, हर एक नीलामके शुरू होनेकी तारीख से कमसे कम ७ दिन पहले, अगर नीलाम होने वाली जायदाद गैर मनकूला है तो। और अगर ऐसी जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिनपहले चिपका दी जानी चाहिये।

क०रूल १०३—प्रत्येक नियत तारीखको फेहरिस्तमें बतलाये हुये समय पर नीलाम शुरू होगा और यह नीलाम उसी क्रमसे किया जायगा जो क्रम उपरोक्त फेहरिस्तोंमें बतलाया गया हो। सूर्यास्तके बाद कोई भीनीलाम जारी न रह सकेगा, लेकिन नीलाम हर रोज जारी रहेगा सिवाय उस दशामें कि जब कचहरी बन्द हो या जब तक कि कुल फेहरिस्तें खतम न हो जाय। लेकिन शर्त यह है कि इस रूलसे किसी खास नीलामके कानूनके अनुसार मुल्तविल किये जाने के सम्बन्धमें कोई बाधा न पड़ेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

क०रूल १०४—साधारणतया जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके नीलाम के लिये एक ही तारीख मुकर्रर न की जायगी।

क०रूल १०५—सिवाय उस किस्मकी जायदादके, जिसका वर्णन आगे वाले रूलमें किया गया है, सदरकी कुल अदालतोंकी डिकरियोंकी इजरामें होने वाला नीलाम जिला जजकी अदालतमें या किसी दूसरे चीफ जुडिशल अफसरकी अदालतमें किया जायगा। अगर दूसरे स्थानोंमें दो अथवा अधिक मातहत अदालतें हों, तो उस स्थानमें होने वाले नीलाम ऐसी किसी भी एक अदालतमें किये जायगे जिसे जिला जज साहब निश्चित करें। जब सिर्फ एक ही अदालत हो तो नीलाम उसी अदालतमें किये जायगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरीकी इजरा करने वाली अदालत, अगर वह उचित समझे तो, किन्हीं कारणोंसे, जो लिखकर बतलाए जायगे, फरीकैनके फायदेके ख्यालसे, यह हुक्म दे सकती है कि नीलाम किसी भी दूसरे समय और स्थान पर हो, जो उसके अधिकार क्षेत्रमें है और इस अन्तिम शर्तके अनुसार कार्रवाइ करते समय, समय और स्थानका चुनाव करनेके सम्बन्धमें, मदियून डिकरीकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करेगी सिवाय उस हालतके जब इसके विपरीत कार्य करनेके लिये माकूल वजह हो।

क० रूल १०६—जानवरों, खेतीकी पैदावार, उस स्थानमें बनी हुई चीजों तथा दूसरी चीजोंका जो आम तौर पर देहातके बाजारोंमें बिका करती हैं, नीलाम जब तक अदालत इसके विपरीत हुक्म न दे, उस स्थानके, जहां पर कि माल

अदा न की जा सके। दफा ८४ के अनुसार अदा की जाने वाली चौथाई कीमत खरीद के अदा न होने पर दुबारा नीलाम किए जाने के लिए नए इश्तहार नीलाम की जरूरत न होगी, क्योंकि ऐसी दशा में जायदाद फौरन् नीलाम कर दी जायगी (देखो 12 M 454)

ताल्लुकों (रियासतों) का नीलाम—(क) दीवानी अदालतों को, जिन्होंने किसी ताल्लुका या ताल्लुका के किसी हिस्से के नीलाम की सूचना कलक्टर को दी हो, चाहिए कि उसकी मजूरी मिल जाने के बाद, हर महीने के पहिले हफ्ते से बराबर उस इलाके के उस हिस्से की नीलाम का ब्यौरा कलक्टर के पास भेज दिया करे, जिनकी मंजूरी पहिले महीने मे मिल चुकी है। अगर नीलाम की मजूरी नहीं मिली है तो सादा नकशा ही भेज देना चाहिए।

(ख) यह नक्शा फार्म नं० (M) 104 Vol II G R & C O में तैयार करके कलक्टरके सामने पेश किया जाना चाहिए (देखो R 108 Ch I G. R. & C. O)

बिना बटी हुई जायदाद गैर-मनकूला के किसी हिस्सेदार की बोली को किसी दूसरे शख्स की बोली पर तर्जीह दी जायगी, जब कि बोली की रकम एक ही हो (देखो आर्डर २१, रूल ८८)। यह रूल आर्डर २१ रूल ७७ (३) के समान है जो जायदाद गैर मनकूला के सम्बन्ध मे लागू होता है।

जायदाद मरहूना की नीलाम के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए हुए नियम (rules) —

(१) अगर अदालत कोई ऐसा हुक्म दे कि जायदाद या उसका कोई हिस्सा नीलाम किया जायगा, तो वह नीलाम का एक इश्तहार जारी करेगी और उस तरीके से, जैसा कि जायदाद गैर मनकूला के सम्बन्ध मे इश्तहार की तामील के लिए बतलाया गया है, उसे तामील करावेगा।

(२) आर्डर ३४, रूल ५ (२) के अनुसार दीजाने वाली दरख्वास्त एक तस्दीक शुद अर्जी के जरिए दी जायगी जिसमें कुल बातें दर्ज होंगी।

(३) जाबता दीवानी के आर्डर २१ के ६५ से ६९ तक के और ७१ से ७३ तक के रूल, जिनमें ये दोनो रूल शामिल है, ऐसे नीलामो के सम्बन्ध मे लागू होते है।

(४) दफा ६५, ६६ और ७४ तथा जाबता दीवानी के आर्डर २१ के रूल ८२ से ८८ तक और ९० से १०३ तक जिनमे ये दोनों रूल शामिलहैं किसी रेहन नामा के अनुसार होने वाले नीलामके बाद होने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमे लागू होंगे।

(५) जाबता दीवानी के आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दीगई डिकरियोंकी इजरा में, की जाने वाली कार्रवाई वही होनी चाहिये जो उस जाबते में बतलाई गई है।

नोट—उपरोक्त रूल पहिले कानून इन्तकाल जायदाद सन् १८८२ ई० (ऐक्ट नं० ४ सन् १८८२ ई०) के दफा १०४ के अनुसार तैयार किए गए थे। सम्भवत अब उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं रही है क्योंकि उस कानून की दफा ८९ और ९० जाबता दीवानी में शामिल करदी गई हैं, लेकिन उनमें ऐसी काट छांट करने के बाद व प्रकाशित की गई है जिस काट छांट की आवश्यकता थी [देखो G R & C O Chap I R 109]

जायदाद मनकूला के नीलाम का मसूख करना—किसी भी हालत में जायदाद मनकूला का नीलाम इस बिना पर मसूख नही किया जा सकता कि उसके इश्तहार देने या करने मे कोई बेकायदगी की गई है। जिस शख्स को इस बेकायदगी से कोई नुकसान पहुचा हो उसके लिये सिर्फ यही चारा है कि वह उस शख्स के ऊपर मुआविजे का दावा करे जो इस बेकायदगी के लिये उत्तरदायी है लेकिन अगर ऐसा शख्स खुद खरीदार ही हो, तो जिस शख्स को नुकसान पहुचा है वह उस जायदाद के वापस पाने के लिये और जायदाद के वापस न किए जाने की दशा मे मुआविजे के लिये दावा कर सकता है (देखो आर्डर २१ रूल ७८)

जाबता दीवानी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नही है कि किसी भी हालत मे जायदाद मनकूला का नीलाम मसूख न किया जा सकेगा लेकिन रूल ७८ मे ही सिर्फ यह व्यवस्था की गई है कि नीलाम म बेकायदगी हो जाने से वह नीलाम नाजायज नही होजाता, देखो 2 B 258 P 266 तथा 6 C W N 5

जायदाद गैर मनकूला के नीलाम का मसूख किया जाना—

(१) (अ) कोई भी शख्स जो उस जायदाद का मालिक है या कोई शख्स जिसे किसी ऐसी हकीयत की वजह से जो नीलाम के पहिले हासिल की गई है ऐसी जायदाद मे कोई हक हासिल है, नीलाम की तारीख से ३० दिन के भीतर ५) रु० सैकडा के मुआविजे के सहित डिकरी का रूपया अदालत में जमा करके नीलाम मसूख किये जाने के लिये दरख्वास्त दे सकता है (देखो आर्डर २१ रूल ८९)

(ब) डिकरीदार या कोई शख्स जो दफा ७३ के अनुसार सम्पत्ति (जायदाद) के हिस्से रसदी बटवारा म हिस्सा पाने का हकदार है या जिसके हक़ूक को नीलाम से नुकसान पहुचा है इस बिना पर नीलाम मसूख किए जाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि नीलाम की मुश्तहरी या उसके करने मे बहुत बड़ी बेकायदगी या जालसाजी की गई है (देखो आर्डर २१ रूल ९०)।

(स) खरीदार इस बिना पर भी नीलाम की मसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि मदियून डिकरी को उस जायदादमे कोई भी ऐसा हक हासिल नही था जो नीलाम किया जा सके (देखो आर्डर २१ रूल ९१)।

(२) रूल ८९, ९० और ९१ के अनुसार कोई नीलाम मसूखकिए जाने के पहिले उन तमाम लोगों को इसकी नोटिस दी जानी चाहिए जिनके ऊपर इससे कोई असर पडता हो (देखो आर्डर २१ रूल ९२ की शर्त और 11 C L J 86)

(३) नीलाम मन्सुख कर दिए जानेके बाद खरीदार ब्याज सहित या बिना ब्याज के जैसा कुछ अदालत हुक्म दे उस शख्स से जिसको कि वह अदा किया गया है खरीद का रूपया वापस दिला पाने का हक़दार है (देखो आर्डर २१ रूल ९३)

रूल ८९ के अनुसार नीलाम का मसूख किया जाना—रूल ८२ सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी मे अधिक विस्तृत कर दिया गया है । पहिले "कोई भी शख्स जिसकी जायदाद गैर मनकूला नीलाम की गई है" दरख्वास्त दे सकता था । अब (अ) कोई भी ऐसा शख्स जो जायदाद का मालिक है या [ब] कोई भी ऐसा शख्स जिसे नीलामके पहिले हासिलकी हुई किसी हकीयतकी वजह से उस जायदादमे कोई हक़ हासिल हो दरख्वास्त दे सकता है। अगर जायदादका मालिक मदियून डिकरीके अलावा और कोई आदमी है तो पुराने ऐक्टके अनुसार वह इस बिना पर दरख्वास्त नही दे सकता था कि नीलाम से उसके हक़ पर कोई भी असर नही पड़ता । अब यह शख्स नीलामकी मसूखी की दरख्वास्त दे सकता है । इस तरह पर नये रूल के अनुसार पहिले कोई खानगी तौर पर खरीद करने वाला शख्स मौहूब अलेह (Donee) मुर्तहिन, पहिले का खरीदार नीलाम मुकर्रिदार असामी, सब रैय्यत, बयनामीदार, वह मालिक, जिसको जायदाद से फायदा उठाने का हक़ हासिल है इत्यादि नीलाम की मसूखी के लिये दरख्वास्त कर सकते है । यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्की के बाद और नीलाम, के पहिले मदियून-डिकरी से जायदाद खरीद कर ली है उसे ऐसी दरख्वास्त दे सकने का हक़ है (देखो 26 C L J 127, 30 B 575)

जिस शख्सने मदियून डिकरी से जायदाद नीलाम होनेके बाद (लेकिन उसकी मजूरी मिलने के पहिले) खरीदी है, वह नीलाम की मसूखी के लिये दरख्वास्त नही दे सकता (देखो 49 C 454, 26 C W N 149)—मद्रास हाईकोर्ट मे यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने नीलाम के बाद लेकिन उसकी मजूरी मिलने से पहिले मदियून डिकरी से खानगी तौर पर जायदाद खरीद की है वह तो दरख्वास्त दे सकता है लेकिन मदियून डिकरी जिसने अपने हकूक बेच दिये है दरख्वास्त नही दे सकता (देखो 54 I C 753) जिस मदियून डिकरी ने इजरा मे अपनी जायदाद के नीलाम होजाने के बाद, जायदाद किसी दूसरे शख्स के हाथ बेच दी हो वह मसूखी नीलाम के लिये दरख्वास्त दे सकता है (देखो 51 I C 873, 25 B 631, 40 B. 559, 44M 554 F B Contra 34A 186,38M 775) खानगी फरोख्तके बाद मदियून डिकरी तो दरख्वास्त दे सकता है लेकिन खरीदार ऐसी दरख्वास्त नही दे सकता (देखो 53 I C 344,) नीलामके बाद खरीद करने वाला कोई दूसरा आदमी भी दरख्वास्त नही दे सकता (देखो A I R 1922 (Lah) 302 अदालती नीलाम के बाद मदियून-डिकरी ने एक शख्स के हाथ जायदाद बेच दी और रूल ८९ के अनुसार दरख्वास्त दी । दरख्वास्त देने की तारीख मे दस्तावेज बयनामा की रजिस्ट्री नहीं हुई थी । इसके बाद मदियून डिकरी ने दूसरा

बयनामा लिखा और उसकी रजिस्ट्री करा दी। तब हुआ कि मदियून-डिकरी नीलाम की मसूखीके लिये दरख्वास्त दे सकता है और बादमें लिखे गये दस्तावेज से इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ती (देखो 42 M 503) जिस शख्स के हकमें जायदाद के बय कर देने का इकरार किया गया हो या जिस शख्स ने कुर्कीके बीचमें जायदाद खरीद कर ली हो वह ऐसी दरख्वास्त नहीं दे सकता देखो A I R 1923 (Mad) 659—जिस शख्स के हाथ डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम के बाद मदियून डिकरी ने जायदाद बेच दी हो या रेहन करदी हो वह शख्स दरख्वास्त नहीं दे सकता (देखो 1 C W N 279) क्योंकि नीलामके पहिले वह कोई हक़ीयत हासिल नहीं कर सका था (देखो विपरीत फैसला 30 M. 214 तथा 30 M 507)—वह मालिक जिसको जायदाद से फायदा उठाने का हक़ है उस समय दरख्वास्त दे सकता है जब वह नीलाम बेनामीदार के ऊपर दी गई डिकरी के सम्बन्ध में किया गया हो (देखो 1 C W. N 135.)—दखीलकारमुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है (देखो 25 O C 78, 35 B 288,)—किसी ऐसे कब्जा या जोतका मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है जो बक़ाया लगान (किराया) की डिकरी की इजरामें नीलाम किया गया हो (देखो 5 C W N. 821 F B)—मुतहिन ऐसी दरख्वास्त दे सकता है यद्यपि नीलाम रेहन के काबिल भी हो (देखो 53 I C 958)—ऐसा मुतहिन जिसे मदियून डिकरी ने नीलामके बाद जायदाद ट्रस्ट में दे दी है दरख्वास्त नहीं दे सकता है (देखो 58 I C 856 F B)

शिकमी हकदार कब्जाकी दरख्वास्त दे सकता है (देखो 23 C W N 597) पट्टीदार जमीदार जिसके पास ऐसी डिकरी है जिसकी मियाद आरिज हो गई है उस नीलाम के सम्बन्ध में दरख्वास्त दे सकता है जो दूसरे पट्टीदारो की ओर से की गई हो (देखो 23 C W N 619)—कुर्क कराने वाला महाजन दरख्वास्त दे सकता है [22 C W N 899]—कब्जमें मदाखिलत पैदा करने वाला शख्स दरख्वास्त देसकता है (देखो 79 I C 874)

रुपया बिना किसी शर्त के ही जमा किया जाना चाहिए, देखो 16 C W N 904,72 I C 907—जब रुपया जमा किया जानेके बाद यह दरख्वास्त की जाय कि रुपया आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दीगई दरख्वास्त की समाप्त होने तक जमा रखा जाय, तो नीलाम मसूख कर दी जानी चाहिए, देखो 8 C W N 355—अदालत में रुपया जमा करने का मतलब अदालत दीवानी में रुपया जमा करने से है, देखो 40 A 425—जहांपर अदा किए जाने वाले रुपये का तखमीना अदालत के किसी हाकिम ने लगाया हो, तो नीलाम मसूख कर दिया जाना चाहिए, यद्यपि बाद में यह बात मालूम भी हो गई हो कि वह रकम थोड़ी सी कम थी, देखो 18C 255,25C 609,11C W N 116—लेकिन जहां पर रुपया कम न हो और अदालत की कोई गल्ती न हो वहां पर रुपये का जमा करना नाजायज नहीं है, देखो 26 C 449 F B, 23 Bom L R 847—जहां पर पाउण्डेज फीस (फीस ब हिसाब १ शिलिंग फी पौंड)

की बाबत कुछ रुपया वाजिबुल वसूल था, वहाँ पर नीलाम मसूख कर दिया गया, देखो 20 M 158 —कोई मदियून-डिकरी उस जमा किए हुए रुपये से फ़ायदा नहीं उठा सकता जो उसके शरीकदार मदियून डिकरी ने उनसे अलग जमा किया है, देखो 65 I C 983, 39 M 429

तलब की हुई रकम के जमा करने के लिए, दीगई दरख्वास्त, किसी नीलाम के मसूख किए जानेके लिए दीगई दरख्वास्त समझी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि वह दरख्वास्त लिखी हुई हो, देखो 63 I C. 140— दरख्वास्त जबानी भी हो सकती है लेकिन, चाहे जबानी हो या तहरीरी वह मियाद के अन्दर होनी चाहिए। सिर्फ रुपये का जमा कर देना ही काफी नहीं है, देखो 9 A L J 12 —बिना ३० दिन के अन्दर जबानी या तहरीरी दरख्वास्त पेश किए हुए नीलाम मसूख नहीं किया जा सकता, देखो 32 I C 788—यह तय हुआ है कि नीलाम की मसूखी के लिए बाजाबता दरख्वास्त का दिया जाना जरूरी है, सिर्फ फेहरिस्त का दाखिल कर देना ही काफी नहीं है, देखो 66 I C 44 —३० दिन के अन्दर रुपया जमा किया जाना चाहिए, उस समय के भीतर दरख्वास्त दिए जाने की जरूरत नहीं है, देखो 7 Bom L R 263

आर्डर २१ रूल ८९ अब रेहननामों की डिकरियों की इजरा में होने वाले नीलाम में सम्बन्ध में लागू होता है (देखो 24 C W N. 1032.)

आर्डर २१ रूल ८९ के अनुसार दी जाने वाली दरख्वास्त की नोटिस उन कुल आदमियों को दीजानी चाहिए जिनका उससे सम्बन्ध हो, अर्थात डिकरीदार, खरीदार नीलाम वगैरा को (देखो आर्डर २१, रूल ९२ की शर्त) रुपया जमा करने की मियाद नीलाम की तारीख से ३० दिन है (देखो क़ानून मियाद का आर्टि० १६६)—नीलामकी तारीख से मतलब उस तारीख से है जिस तारीखको जायदाद नीलाम में रखी गई हो और सब से ज्यादा बोली बोलने वाले शख्स के नाम खतम करदी गईहो। इसका मतलब मंजूरी की तारीख (Date of conjumation) से नहीं है (देखो 29 C 626)

आर्डर २१ रूल ८९ के शब्द "जो उस जायदाद का मालिक" का अर्थ है वह शख्स जो शख्स दरख्वास्त की तारीख को जायदाद का मालिक हो, वह शख्स नहीं जो नीलाम की तारीख को उसका मालिक हो, देखो 54 I C 753, 38 M 775

रूल ९० के अनुसार नीलामों का मसूख किया जाना —जालसाजी या नीलाम के करने या कराने या मुश्तहरी के सम्बन्ध में कीगई बेक़ायदगी की० बिना पर नीलामों की मसूखी की बात अब आर्डर २१, रूल ९० के अन्दर आती है, जाब्ता दीवानीकी दफा ४७ में नहीं।

आर्डर २१ रूल ९० सिर्फ उस जालसाजी या बेक़ायदगी के सम्बन्ध में लागू होता है जो नीलाम के करने या उसकी मुश्तहरी करने में की गई हो। जो नीलाम किसी दूसरे तरह की बेक़ायदगी या जालसाजी, जैसे—इजरा की गई

डिक्री में देते समय सम्मन की तामील न किए जाने (देखो 23 C 686), अख्तयार समाअत के न होने (देखो 18 A 14; 36 M 775), इत्यादि, की वजह से नाजायज हो गया हो। वह इस रूल के अन्दर नहीं आता। इस बिना पर नीलाम मसूख कराने के लिए कि डिक्री जाल-फरेब से हासिल की गई थी, नालिश दायर की जा सकती है (देखो 26 C 326)

नीलाम मसूखीकी दरख्वास्त कौन शख्स दे सकता है—डिकरीदार या कोई भी शख्स जो दफा ७३ के अनुसार हिस्से रसदी बटवारेका हकदार है या "कोई शख्स जिसके हक्क को नीलाम से नुकसान पहुँचा हो" दरख्वास्त दे सकता है। "कोई शख्स जिसकी जायदाद गैर-मनकूला नीलाम कर दी गई हो" के स्थान में, जो सन् १८८२ ई० के जाब्ता दीवानी में मौजूद था, उपरोक्त इस " " निशान के अन्दर लिखे हुए वाक्य के बदल देने से इस रूल का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह परिवर्तन उस अर्थ के अनुसार किया गया है जो पुराने जाब्ता दीवानी के शब्दों का 15 C 488 F B और 16 M 476 में किया गया है। इसलिए, जिन शख्सों के हकूक को नीलाम से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, नीलाम मसूखी की वे दरख्वास्त नहीं दे सकते। इस तरह पर जो शख्स मदियून डिकरी के खिलाफ हकीयत के लिए दावीदार हो या जिसकी हकीयत मदियून डिकरी की हकीयत से बड़ी हो, वह दरख्वास्त मसूखी नीलाम की नहीं दे सकता, क्योंकि नीलाम से उसके हकूक पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिस शख्स ने कुर्की के पहिले मदियून डिकरी से जायदाद खरीद की है, वह रूल ९० के अनुसार मसूखी नीलाम की दरख्वास्त नहीं दे सकता, क्योंकि उस खरीद से हासिल हुए उसके हकूक पर नीलाम से कोई असर नहीं पड़ता (देखो 15 C 488)—लेकिन वह रूल ८९ के अनुसार ऐसा कर सकता है। 22 C 802 में यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्की के पहिले कोई भी हकीयत किसी मदियून डिकरी से खरीद की हो जिसका उस हकीयत का हिस्सा किसी उस हिस्से के बाकीया लगान की डिकरी की इजरा में नीलाम कर दिया गया है, वह शख्स रूल ९० के अनुसार नीलाम की मसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, (देखो 15 C 488)—वह शख्स जिसके हक में, डिक्री के पहिले किसी दखीलकारी जोत के हिस्सा की मुन्त किली किसी बिना रजिस्ट्री शुद इन्तकाल नामा से कर दी गई है, वह शख्स इन्दराज शुद असामी के ऊपर दी गई डिक्री की इजरा में होने वाली नीलाम की मसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है (देखो 13 C W N 98)—किसी दखीलकारी जोत का मुलहिन दरख्वास्त दे सकता है (देखो 11 C W N 312)

"जिनके हकूक पर नीलाम से कोई असर पड़ा हो" वाक्य से मतलब मौजूदा हक से है। इसका प्रयोग महाजनों के दावा के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इजरा की कारवाई में किए गए दावा का सुबूत आ जाता है, देखो 35 I C. 530, 19 C W N 326

"डिकरीदार" का मतलब उस डिकरीदार से है जो उस जायदाद को नीलाम पर चढ़ा सकता है, दूसरे डिकरीदारों से नही (देखो 4 C W N 542, 15 C 488) —जायदाद कुर्क कराने वाला डिकरीदार दरख्वास्त दे सकता है। "हक़" शब्द का अर्थ सिर्फ हक़-मिलकियत या हक़ दखीलकारी ही नही है बल्कि उसमे दूसरे हक़ूक़ भी शामिल है (देखो 28 C W N 899)—इससे पहिले वाले एक मुकद्दमे मे यह तय किया गया है कि कुर्की कराने वाला महाजन नीलाम की मंसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, देखो 4 C W N. 542, 8 C W N 57

खरीदार नीलाम दरख्वास्त दे सकता है, देखो 38 M. L J. 228, 65 I C 875, 55 I C 33 इसके विपरीत फ़ैसले के लिए देखो 74 I C 760, 19 C W N 1291 —जब नीलाम किसी ऐसी डिकरीके सम्बन्धमे किया गया हो, जो किसी जाहिरा मालिकके ऊपर दीगई है, तो वह मालिक दरख्वास्त दे सकता है जिसको जायदादसे फ़ायदा उठा सकनेका हक़ है, देखो 20 C 418, 19 M 167 —किसी मुश्तरका जायदादका हिस्सेदार दरख्वास्त दे सकता है देखो 5 A 42—किसी हिन्दू बेवाका रिवर्सनर (वारिस माबाद) दरख्वास्त दे सकता है देखो 51 I C 359 —बेवाकी बिक्री की जानेके बाद मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है, देखो 13 C 346, 8 C. L J 367 —किसी लगान (किराया) की डिकरीकी इजरामें नीलाम कीगई जायदादका मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है, देखो 1 C L J 454

इसी तरह किसी नाकाबिल इन्तकाल जोत (क़ब्जा) का मुर्तहिन खरीदार भी दरख्वास्त दे सकता है, देखो 31 I C 859

वह शख्स जिसने मुक़द्दमेका फ़ैसला होनेके पहले जायदाद कुर्क कराई हो दरख्वास्त नही दे सकता, देखो 17 C W N 80

रूल ९० का यह वाक्य कि "कोई भी शख्स जिसके हक़को नीलामसे नुक़सान पहुँचा हो," रूल ८९ के इस वाक्यसे कि, "वह शख्स जिसे नीलामकी हुई जायदादमे कोई हक़ हासिल हो" अधिक विस्तृत है, देखो 19 C W N 326

आर्डर २१ रूल ९० का विस्तार—यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि रूल ९० के अनुसार किसी नीलामके मंसूख किये जानेके लिये यह परमावश्यक है कि नीलामके करने या उसकी मुश्तहरी करने मे (क) कोई भारी बेक़ायदगी या फ़रेब किया गया हो, और (ख) यह बेक़ायदगी या फ़रेब नीलामकी मुश्तहरी या उसके करनेमें हुआ हो, (ग) कोई भारी क्षति पहुँची हो और (घ) ऐसी क्षति नीलाम की मुश्तहरी करने और नीलामके करनेमे कीगई, भारी बेक़ायदगी या फ़रेबके कारण ही पहुँची हो। इन चार बातोंका होना निहायत जरूरी है।

"नीलामकी मुश्तहरी या नीलामके करनेमे" शब्द क्रमश आर्डर २१ के रूल ६६ और उस अफ़सरके कार्योंसे सम्बन्ध रखते है जिसने नीलाम की है (देखो 32 B 572 —रूल ९० मे वह फ़रेब भी आ जाता है जो इश्तहार नीलाम के

प्रकाशित होने के बादमें किया गया हो—उदाहरणार्थ रुपया अदा करने के लिये समय देनेका इकरार हो जानेके बाद कपटसे जायदाद का बेच डालना, देखो 8 Pat L J 645 —"बेक़ायदगी" शब्दमें "बेजाबतगी" शामिल नहीं है, (देखो 32 C 1101; 16 C W N 193; 20 A 412 P C)—डिक्रीकी इजराय होने वाला नीलाम फ़रेब की बिना पर मंसूख़ किया जा सकता है, यद्यपि यह न भी साबित हुआ हो कि उस फ़रेब-साजीमें ख़रीदार नीलामका भी कोई हाथ था, देखो 72 I C 625 —अदालत इजराको, सिवाय उन उज्रदारियोंके, जो कि दरख्वास्तमें साफ साफ लिख दीगई हैं, और दूसरी उज्रदारियों पर विचार न करना चाहिए, देखो 53 I C 794

भारी बेक़ायदगी—कुर्क़ीका न किया जाना या बेक़ायदा तौर पर कुर्क़ीका किया जाना भारी बेक़ायदगी है, लेकिन इससे कोई नीलाम बिल्कुल नाजायज नहीं हो जाता, देखो 2 Pat 207; 18 C 188, 34 C 78, 18 M 437, 30 M 255, 68 I C 613, 21 A 311; तथा 5 A 86, 7 A 38; 10 A 506; 8 W R 415

आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नोटिसका जारी न करना बेक़ायदगी है, देखो 18 I C 715; 75 I C 103 —रूल ६७ के अनुसार नीलामका इश्तहार न जारी करना भारी बेक़ायदगी है, देखो 18 C 482

अन्दाजन क़ीमतका गलत लिखना एक भारी बेक़ायदगी है, देखो 52 I C 23, 20 A 412 P C, 8 C W N 257 —कुछ मामलोंमें जान बूझकर गलत क़ीमत लिख देनेसे फ़रेबका सन्देह करना उचित होगा, देखो A I R 1922 (Pat) 269 —क़ीमतका न लिखना कोई भारी बेक़ायदगी नहीं है, देखो 67 I C 885, 70 I C 308 किसी जोतका लगान या मकानका किराया न लिखना कोई भारी बेक़ायदगी नहीं है, (देखो 7 C 723)—जमीनकी मालगुजारी न लिखना भारी बेक़ायदगी है, देखो 75 I C 546 P C

नीलामका समय न लिखना भारी बेक़ायदगी है, देखो 6 C W N 48, 31 C 815 P 818, 34 C 709 P C, 24 C 291, 6 C W N 44

भारी बेक़ायदगी और भारी क्षति—भारी बेक़ायदगी या फ़रेब खुद उस डिक्री के मंसूख किए जाने के लिए काफी नहीं है। यह बात भी साबित की जानी चाहिए कि ऐसी बेक़ायदगी या फ़रेब के कारण कोई भारी क्षति हुई है। उदाहरणार्थ, सिर्फ क़ीमत का ठीक न लिखना या इश्तहार नीलाम का चस्पा न करना, या माल की क़ीमत कम लगाना बिना अदालत की इजाजत से होने वाले नीलाम को मंसूख़ कर देने के लिए काफी नहीं है। अदालत को उन बातों के ऊपर जो कि साबित की गई हैं, इस बात का इतमीनान हो जाना चाहिए कि उस शख्स को, जो दरख्वास्त दे रहा है, इस बेक़ायगी की वजह से भारी नुक़सान पहुंचा है। 21 C 66 P C में यह तय हुआ था कि कोई प्रत्यक्ष

शहादत न होने की दशा मे, साबित हो चुके बेकायदगी और नुकसान से यह अनुमान नही कर लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष शहादत न होने की वजह से ही यह बेकायदगी और उसकी वजह से नुकसान हुआ। 11 C 200 F B, 7 C. 466; 3 C 542, 9 C. 656, 20 C. 599 तथा दूसरे मुकदमों में यह तय हुआ था कि जहां पर माल नाकाफी कीमत पर बेच दिया गया है और अगर यह बात भी साबित हो जाय कि नीलाम की मुश्तहरी करने या नीलाम के करने मे भारी बेकायदगी की गई है, तो वहां पर ठीक नतीजा यही निकाला जा सकता है कि बेकायदगी की ही वजह से दाम कम आया है। प्रिवी कौंसिल के ऊपर बतलाए हुए मुकद्मे (21 C 66) मे यह तय किया गया है कि शहादत न होने की दशा मे ऐसा अनुमान नही करना चाहिए। इस प्रिवी कौंसिल के मुकद्मे का उल्लेख 24 C 291 मे किया गया था जिसमें यह बतलाया गया था कि "प्रत्यक्ष शहादत" से मतलब ऐसी शहादत से है जिसमें यह बतलाया गया हो कि यह भारी नुकसान बेकायदगी का ही परिणाम है। यही राय 20 M 159 मे भी जाहिर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे भिन्न राय कायम की थी और उसमे प्रिवी कौंसिल के फैसले का जो अर्थ किया गया था वह यह था कि "प्रत्यक्ष शहादत" ऐसी होनी चाहिए जो नुकसान का सम्बन्ध बेकायदगी के साथ स्थापित करती हो (देखो 18 A 37, 18, A 141)

सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी मे "जब तक कि साबित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान न होजाय" शब्दों के बढ़ा दिए जाने से अब सारा विरोध शान्त हो गया है। इसलिए नुकसान और बेकायदगी के बीच कारण-वश होने वाले सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष शहादत की बिल्कुल आवश्यकता नही है। जिस बात की जरूरत है वह सिर्फ यह है कि अदालत को चाहिए कि वह उन बातों के ऊपर जो उसके सामने साबित हुई हैं, खुद अपना नतीजा निकाले।

एक हालके मुकद्मे मे यह बतलाया गया है कि 22 C 66 P C मे जाबता दीवानी की पुरानी दफा ३११ का उल्लेख किया गया जिसका संशोधन अब "जब तक कि साबित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान नहीं होजाय" शब्दोंसे कर दिया गया है, क्योंकि प्रिवी कौंसिल के मुकद्मे मे "प्रत्यक्ष शहादत" मे जिस बात की जरूरत बतलाई गई है उसके लिए यह सम्भव है कि उसका गलत अर्थ कर दिया जाय। अब इस बात की जरूरत नही है कि "प्रत्यक्ष शहादत" में यह दिखलाया जाय कि कम दाम भारी कीमत के कारण ही आया है, अगर साबित की गई बातों के ऊपर अदालत को यह इतमीनान होजाय कि एक दूसरे का स्वाभाविक परिणाम है (देखो 76 I C 168 Pat.)

किसी हक का छोड़ देना—अगर कोई शख्स जानता हुआ भी बेकायदगी के ऊपर कोई एतराज नही करता है, तो वह अपने हक के छोड़ देने के बराबर है

और बाद में वह नीलाम की निस्बत कुछ भी न कह सकेगा (देखो 12 M 19 P C; 38 M. 387; 26 W R 41 P. C, 19 W R 227; 2 C. L J 584; 29 C 577; 6 C L J 176; 28 A 273, 14 C L. J 519; 32 I C 990).—लेकिन बिना नया इश्तहार नीलाम जारी किए और डुग्गी पिटवाए अथवा बिना किसी बेक़ायदगी को बतलाए नीलाम की मुल्तवी के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दी गई दरख़ास्त से वह बेक़ायदगी की बिना पर नीलाम के निस्बत कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता (देखो 6 C W N. 42; 6 C W N 48, 7 C 613, 17 M 304)—इसकी परीक्षा सिर्फ यही है कि क्या वह उस बेक़ायदगी को जानता था जिसके ऊपर आपत्ति करने के लिए वह बाध्य था (देखो 6 C L J 62; 13 C L J 192, 14 C L J. 634, 6 C W N 42)—जब मदयून डिकरी को ज़र डिकरी अदा कर देने की शर्त पर समय दिया गया, तो उसकी निस्बत यह तय हुआ कि उसके लिए नीलाम के जायज़ होने के सम्बन्ध में एतराज़ करने की कोई रुकावट नहीं है, देखो 29 C 577; 36 C 422.

मियाद—चाहे नीलाम मंसूख़ करने की दरख़्वास्त आर्डर २१ रूल ९० के अनुसार दी गई हो या दफ़ा ४७ के अनुसार अब मियाद का सवाल क़ानून मियाद के आर्टि० १६६ के अनुसार (नीलाम की तारीख़ से एक महीना) तय किया जाना चाहिये आर्टि० १८१ के अनुसार नहीं (तीन साल) देखो 77 I C 631, 46 C 975, 77 I C 368, 61 I C 822, 28 C W N 144 — संशोधित आर्टि० १६६ क़ानून मियादके अन्दर जाबता दीवानीके अनुसार नीलाम की मंसूख़ी के लिये दीगई कुल दरख़्वास्तें आजाती हैं। अगर किसी तरह का कोई फ़रेब किया गया है तो मियाद की मुद्दत उस तारीख़ से शुमारकी जानी चाहिये जिस तारीख़ को दरख़्वास्त देने वाले शख़्स को पहिले पहल उस फरेब का पता चला था, देखो 17 C 769 F B, 30 C. 142—क़ानून मियादकी दफ़ा १८ से फ़ायदा उठानेके लिये उसे चाहियेकि वह यह दिखलावेकि फ़रेब करके उसे दरख़्वास्त दे सकनेकी बात जानने नहीं दीगई देखो 51 I C 447, 1 C W N. 67 —ऐसे फ़रेब के मामले में, जिसमें सम्मन छिपा रखा गयाहै या गलत नक़शा दाख़िल किया गया है मियाद की मुद्दत उस तारीख़से शुरू होतीहै जिस तारीख़ को दरख़्वास्त देने वाले शख़्स को सिर्फ नीलाम की ही बात नहीं मालूम हुई थी बल्कि कुल बात साफ़ साफ़ मालूम हो गई थी जिससे फ़रेब (Fraud) भी शामिलहै और यह बात दिखलाना दूसरे आदमीका काम है कि उस (दरख़्वास्त देने वाले) शख़्स को इन बातों का पता उस समय चल गया था जिससे दरख़्वास्त की मियाद जाती रही, देखो 48 C 119, 16 C W N 1266, 3 P L T. 501—इस बात के साबित करने का भार उसी शख़्स पर है जिसने फरेब किया है कि जिस शख़्स को नुकसान पहुंचा है उसे वे कुल बातें जिनसे फरेब की बात पैदा होती है इतने समय पहिले मालूम हुई थीं और वह अब अदालत से किसी तरह की मदद पाने का हक़दार नहीं है देखो 27 C L J 528.

17 B 141 P C में यह बतलाया गया था कि सिर्फ यह बात कि जिस शख्स को नुकसान पहुंचा है उसको कुछ ऐसी बातों का आभास मिल गयाथा कि अगर उनका दृढ़ता के साथ पीछा किया गया होता और वास्तवमें उनपर अमल किया गया होता तो यह सम्भाव था कि उस से पूरी पूरी बात मालूम होगई होती, इस बात के कहने के लिये काफी नही है कि उसको फरेब (छल) की बातों का पूरा पूरा पता नही हो गया था।

अपील—जिस हुक्म से कोई नीलाम मसूख कर दिया गया हो या नीलाम मसूख कर देने से इन्कार कर दी गई हो वह आर्डर ४३ रूल १ क्लॉज (एफ) के अनुसार दिए गये हुक्म की तरह पर काबिल अपील है और दूसरी अपील करने का अधिकार अब छीन लिया गया है [देखो दफा १०४ (२)]—जब दरख्वास्त दफा ४७ के अनुसार दीगई हो तो दूसरी अपील हो सकती है।

जब कोई दरख्वास्त हाजिर न हो सकने की वजह से खारिज हो गई हो और उसको फिर से समाअत किये जाने की दरख्वास्त खारिज कर दीगई हो तो उस हुक्मके विरुद्ध अपील न की जा सकेगी (देखो 29 A 596,31 C. 207)

राजीनामा (समझौता)—किसी नीलाम के मसूख किए जाने के लिए दी गई दरख्वास्त मे किए गए राजीनामा का इन्दराज आर्डर २३ रूल ३ के अनुसार कर लिया जाना चाहिये देखो 62 I C 608

नोटिस—नीलाम मसूख किये जाने के पहिले इस बात की नोटिस आर्डर २१ रूल ९२ के अनुसार उन सभी आदमियों को दी जानी चाहिये जिनके ऊपर उस नीलाम की मसूखी से कोई असर पडता हो देखो 39C 687;13C L J 585, 39C 881)—खरीदार नीलाम एक जरूरी फरीक है (देखो 50I C 5,3Lah L J 463, 62 I C 986] और खरीदार नीलाम को नोटिस दिये बिना नीलाम के मसूख कर दिये जानेमे वह उस मन्सूखी से बाध्य नही हो जाता [देखो 62 I C 113]— पटना हाईकोर्ट के एक हाल के मुकद्दमे में यह तय पाया है कि इस रूल में कही पर भी यह नही बतलाया गया है कि खरीदार नीलामको जरूर फरीक बनाया जाना चाहिये। यह काम दरख्वास्त देने वाले का है कि वह अदालत से इस बात की दरख्वास्त करे कि जिन लोगोंपर उस मंसूखी नीलामसे कोई असर पडता है उनके नाम वह नोटिस जारी करे, अदालत इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह अपनी ओर से नोटिसे जारी करे। अगर दरख्वास्त देनेवाला इस बारे मे कुछ भी कार्रवाई नही करता तो अदालत को अधिकार है कि वह दरख्वास्त खारिज कर दे। नोटिस जारी करने के लिये कोई मुद्दत नही है देखो 75 I C 430— जो नीलाम मदियून डिकरी और डिक्रीदार के बीच हुये समझौते के कारण मसूख किया गया हो उसके माननेके लिये खरीदार नीलाम बाध्य नही है (देखो 62 I C 986)— रूल ८९ के अनुसार रुपया जमा कर दिया गया, लेकिन खरीदार नीलाम बाजाबता तौर पर फरीक नही बनाया गया यद्यपि दरख्वास्त मे यह बतला दिया गया था कि जायदाद उसने खरीद की है। तय हुआ कि इतना कर देना नियम की पूरी पाबन्दी कर देना था और इसके

ऊपर ख़रीदार नीलाम के नाम नोटिस जारी किया जा सकता है, देखो A I R 1923(Cal)394 ख़रीदार नीलामको उसी समयके भीतर फरीक़ बना लेना चाहिये जो मियाद दरख़्वास्त देने के लिये मुक़र्रर है, देखो 62 I C 61, 50 I C 5 Contra—रूल ९२ के अनुसार नोटिस दिये जाने के लिये कोई मियाद मुक़र्रर नहीं है देखो 68 I C 238 तथा 75 I C 430

रुपये की वापसी—आर्डर २१ रूल ९३ के अनुसार जब कोई नीलाम मसूख़ कर दिया जाय तो ख़रीदार अपना रुपया वापस पानेका हक़दार है। मज़ जाबता दीवानी के अनुसार रुपया वापस पानेके लिये अलग दरख्वास्त नहीं दी जा सकती देखो 27 C W N 183; 28 C W N 20 और 40 A 411 — रुपया वापस दिला पाने के हुक्म की इजरा दफा ३६के अनुसार डिकरी की तरह पर ही की जा सकती है (देखो 47 I C 670)

नीलाम का सर्टीफ़िकेट—नीलाम क़तई होजाने के बाद जैसा कि रूल ९२ में बतलाया गया है, ख़रीदार नीलाम सर्टीफ़िकेट पाने का हक़दार है (देखो आर्डर २१ रूल ९४) नीलाम क़तई होजाने के बाद नीलाम की तारीख़ से ही जायदाद में ख़रीदार का हक़ पैदा हो जाता है (देखो दफा ६५)

जाबता दीवानी की दफा ६६ में यह व्यवस्था की गई है कि सर्टीफ़िकेट पाये हुये ख़रीदार के ऊपर इस बिना पर नालिश नहीं की जा सकेगी कि जायदाद मुद्दई की ओर से ख़रीद की गई थी।

ज्योंही नीलाम क़तई क़रार दे दिया जाय त्योंही ज़िलाके मुहाफ़िज़ ख़ाने में काग़ज़ात भेजे जाने के पहिले नीलामके सर्टीफ़िकेट (क़िबाला) का मसविदा तैयार किया जायगा। जब किसी सर्टीफ़िकेट के लिये दरख्वास्त दी गई हो तो इस मसविदे से असल सार्टीफ़िकेट तैयार किया जायगा उन मामलों के सम्बन्ध में जिन में नीलाम की मंज़ूरी की तारीख़ से छ साल के अन्दर सर्टीफ़िकेट के लिए दरख़्वास्त न दी गई हो, तैयार किया हुआ सर्टीफ़िकेट का मसविदा उस मुद्दत के ख़तम हो जाने पर नष्ट कर दिया जायगा।

नीलाम के सर्टीफ़िकेटों में लिखी जाने वाली बातें—न्यायालयों के अधिकारियों (जुडिशल अफसरों) को चाहिए कि वे अपने मातहत के लोगोंको यह हिदायत कर दें कि जायदाद ग़ैर मनकूला की नीलाम के कुल सर्टीफ़िकटों (क़िबालों) में नीलाम हुई जायदाद को इतने ब्योरेवार लिख दिया करें जितना कि वे हर एक मामले में कर सकते हैं और उन्हें इस बात के लिए ख़ास तौर पर हिदायत कर दें कि वे उस तारीख़ को उसमें जरूर लिख दें जिस तारीख़ को नीलाम क़तई क़रार दिया गया था (देखो आर्डर २१ रूल ९४) [G R &C O Ch 1 R 112]

हर एक मामले में नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिए—

१–उस शख़्सका "पता व निशान" (जैसा कि ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ ई० की दफा २ में उसकी परिभाषा कीगई है)जो ख़रीदार बतलाया जाता है।

२-वे बातें जो जायदादकी शिनाख्तके लिए काफीहों जैसाकि ऐक्ट न०
१६ सन् १९०८ ई० की दफा २३ (२) के अनुसार आवश्यक है।

३-रजिस्ट्रीके हरएक हलके (Subdistrict) का नाम जिसमें उस
जायदादका कोई हिस्सा वाके है (देखो G R.&C O Ch I; R 113)

नीलाममें वसूल हुई रकम-उसका हिस्से रसदी बटवारा—जब किसी मदियून डिकरीकी जायदाद किसी अदालतके कब्जेमें हो और "जायदादके पाने या नीलाम होनेके पहिले एक से अधिक आदमियोंने उस अदालतको 'रुपयेकी अदायगीके लिए डिकरियो" की इजराकी दरख्वास्त दी हो जो उसी एक ही मदियून डिकरीके ऊपर दीगई है, तो दफा ७३ में बतलाए अनुसार वह जायदाद उन लोगों मे हिस्से रसदी बांट दी जायगी।

रामजस बनाम गुरुचरणके मुकद्दमें (देखो 11 C L J 67 P 73) में जस्टिस मुकर्जीने कहाः—"किसी डिकरीदारके, डिकरीदारकी हैसियतमें समझे जाने और वसूल हुए रुपए में हिस्सा पाने का हकदार होनेके लिए, नीचे लिखी शर्तोंका होना जरूरी है—

(क) जिस डिकरीदारने हिस्से रसदी बटवाराके लिए दावा किया है, उसने अपनी डिकरीकी इजराके लिए उस अदालतको दरख्वास्त दी हो जिसके पास वसूल हुआ रुपया जमा है।

(ख) ऐसी दरख्वास्त असासा वसूल होनेके पहिले गई दी हो।

(ग) वह रुपया किसी डिकरीकी इजरा मे नीलामके जरिए या और किसी तरहपर वसूल किया गया हो।

(घ) जायदाद कुर्क कराने वाले डिकरीदार और वे डिकरीदार, जो उस रुपएके हिस्से रसदी बटवाराके लिए दावेदार हो, रुपएकी अदायगीकी डिकरी रखते हों।

(ङ) ऐसी डिकरियां एक ही मदियून डिकरीके ऊपर दीगई हों।

इस दफाके अनुसार उस समय तक हिस्से रसदी बटवारा न किया जा सकेगा, जब तक ऊपर बतलाई हुई सारी शर्तें मौजूद न हों।

सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानीमें "इजरामें नीलामसे या और किसी तरह पर वसूल हुआ रुपया" की जगह "वह रुपया जो किसी अदालतके कब्जेमें हो" कर देनेसे दफा ७३ का विस्तार बहुत कुछ बढ़ गया है और अब उसमें कोई भी रकम शामिल समझी जा सकती है, चाहे वह किसी भी तरहसे अदालतके कब्जेमें आई हो, देखो 35 C L J 327; 27 C W N 169; 40 C 619—इस वर्तमान कानूनके अनुसार जिन शर्तोंकी जरूरत है, वह यह है कि वह रकम अदालतके पास (कब्जेमें) हो, फिर चाहे वह कार्रवाई इजरामें वसूल कीगई हो या और किसी तरह पर 136 B 156 जिसका 41 M 616; 21 Bom L R 996, 978 में खण्डन किया गया है- तथा दूसरे बहुतसे मुकद्दमोंमें जो इसके

विपरीत स्थिर किया गया है, वह वर्तमान रूलके शब्दोंके अनुकूल नहीं है। 41 M. 221 में जो फ़ैसला दिया गया है, वह 44 M 100 में दिए हुए फ़ैसले से रद्द हो गया है।

दरख्वास्त उस अदालतको, जिसके पास रुपया (माल) जमा है, उस मालके मिलनेसे पहिले दी जानी चाहिए (देखो 5 B, 198, 9 C L J 210, 11 C L J 69, 4C W N 27—जिस बातकी जरूरत है वह सिर्फ़ यह है कि डिक्रीकी इजरा की दरख्वास्त आर्डर २१ रूल ११ में बतलाये हुए फ़ार्ममें दी जानी चाहिये। यह जरूरत नहीं है कि डिक्रीदार उस जमा हुए माल (Assets) की कुर्क़ीके लिए भी दरख्वास्त दे, (देखो 9 C L J 210)—किसी इजराके मुक़द्दमेको मुन्तकिल करनेके लिए किसी बड़ा अदालतको दीगई दरख्वास्त दफ़ा ७३ के अर्थमें खुद दरख्वास्त नहीं है, देखो 25 C W N 872, 18 C 242, 34 M 25; 18 C W N 1311—अगर कुर्की तारीख़से पहिले करा लीगई है, तो इजरा कराने वाला डिक्रीदार हिस्से रसदी बटवारे का हक़दार है, यद्यपि उस अदालतको, जिसके पास माल जमा है, इजराकी दरख्वास्त न भी दीगई हो, देखो 63 I C 11

माल उस समय मिल सकता है, जब कुल क़ीमत ख़रीद—(एक चौथाई नहीं)—जमा कर दीगई हो, (देखो 15 C W N 872, 18 C 242, 34 M 25, 18 C W N. 1311)—जब कोई जायदाद कई बार करके नीलाम कीगई हो, तो रुपया उस समय वसूल किया जासकता है जब कुल क़ीमत ख़रीद अदा कर दी जाय (देखो 33 C L J, 7, 26 M 179)—कई तारीख़ोंमे जायदाद मनक़ूलाके नीलामके सम्बन्धमें दूसरे नियम लागू होते हैं, (देखो 44 C 789)

इस रसदी बटवारामें डिक्रीका ही रुपया दिया जायगा, इजराका ख़र्चा न दिया जायगा, जब तक कि रुपया मिलनेसे पहिले इस बातका हुक्म न दे दिया गया हो कि डिक्रीके रुपएके साथ ख़र्चा भी शामिल कर दिया जायगा, देखो 47 C 515

जब मुन्सिफ़ और सब जजकी अदालतोंने एक ही जायदाद कुर्ककी हो, तो नीलाम बड़ी अदालत करेगी। लेकिन जहां पर नीलाम मुन्सिफ़ने किया हो, उस समय सब-जज उन्हें इस बातका हुक्म नहीं दे सकते कि नीलामसे वसूल हुआ रुपया उनकी (सब-जजकी) अदालतको भेज दिया जाय, लेकिन वह ज़िला जजसे इस बातकी दरख्वास्त कर सकते हैं कि वह रुपया उनकी (सब जजकी) अदालतको भेज दिया जाय और उसके बाद उसका बहिसाब रसदी (हिस्से रसदी) बटवारा किया जाना चाहिए, देखो 27 C L J 145

अपील—जिस हुक्मके जरिये भिन्न भिन्न डिक्रीदारोंके बीच झगड़ा होजाने के कारण हिस्से-रसदी बटवारा करनेसे इन्कार कर दीगई हो: वह इजराकी कार्यवाईमें दिया हुआ हुक्म है और इसलिए उसकी अपील नहीं हो सकती, (देखो

19 C W. N 1202,) लेकिन अगर जिस सवालका फैसला हुआ है, वह डिक्रीदार और मदियून डिक्रीके बीच पैदा हुआ हो, तो उस समय दिया हुआ हुक्म, दफा ४७ के अन्दर आ जाता है और इसलिए उसकी अपील हो सकेगी, (देखो 36 B 156, 327 M 570)

खरीदारको कब्जा देनेका तरीका—जब वह जायदाद गैर मनकूला, जो खरीद कीगई है, मदियून डिक्रीके कब्जेमे हो या उसकी ओरसे कोई दूसरा शख्स या कोई ऐसा शख्स, जो कुर्कीके बाद हासिल की हुई हकीयतके जरिये दावेदार हो उस पर काबिज हो, तो दरख्वास्त देने पर अदालत उस जायदाद पर कब्जा दिला देगी, (देखो आॅर्डर २१ रूल ९५)

जब जायदाद किसी आसामी या दूसरे आदमीके कब्जेमे हो, जो उस पर कब्जा रखनेका हकदार है, तो उस पर नीलामका एक सर्टीफिकेट चस्पा करके और डुग्गी पिटवा कर उस जायदाद पर कब्जा दिलाया जायगा (देखो आॅर्डर २१ रूल ९६ तथा आॅर्डर २१ रूल ३५)

रूल ९५ का मशा यह है कि मदियून डिकरी या किसी दूसरे शख्सका जो उसके जरिये दावेदार हो, जायदाद पर से कब्जा हटाकर खरीदारको खास कब्जा दिला दिया जाय। रूल ९६ का मशा यह है कि कानूनी कब्जा दिला दिया जाय, क्योंकि जायदाद किसी आसामीके, जो उसको अपने कब्जेमे बनाये रखने का हकदार है, कब्जेमे होनेसे उस पर असली कब्जा (दखल) नही दिलाया जा सकता। इसलिये उस समय से खरीदार लगान (किराया) वगैरा वसूल करके उस जायदाद पर अपना कब्जा बनाये रख सकता है। और खरीदार के असली कब्जे और कानूनी कब्जेसे उसके हकूक पर एक जैसा ही असर पडता है। रूल ९५ के अनुसार खरीदारको कब्जा मिल जाने के बाद मदियून डिकरीको दखल एक मदाखिलत बेजा करने वाले शख्स का जैसा रह जायगा, (देखो 66 I C 817)

कानून और असलियतकी दृष्टिसे यह कानूनी कब्जा फरीकैनके बीच कब्जे की पूरी मुन्तकिली का असर रखता है और इससे मदियून डिकरी तथा दूसरे आदमियोंके ऊपर जो डिकरीके जरिये देनदार है मियादकी नई तारीख पैदा हो जाती है, यद्यपि जहा तक तीसरे फरीक का सम्बन्ध है इस कब्जेका कोई भी महत्व नही है (देखो 5 C 584 F B, 22 C W N 330 P C, 7 C 418, 8 C W N. 49, 19 A 499, 24 C 715, 21 A 269, 28 A 722, 17 M L J 598, 2 Pat L T 743, 71 I C 999, 46 B 710, Contra;—परन्तु कुछ मुकद्दमोमे यह तय किया गया है कि खरीदारको जायदाद पर सिर्फ कानूनी कब्जा दिला देने से मदियून-डिक्री के हकमे मियाद की मुद्दत का जारी रहना बन्द नही हो जाता जब कि वह (मदियून डिकरी) हकीकतमे उस जायदाद पर काबिज रहा हो, देखो 36 B 373 F B, 43 B 559, 40 A 520, 43 All 520, 36 B 373 के ऊपर 46 B 710 मे सन्देह किया गया है।

जब खरीदारकी ओरसे कब्जा दिला पाने के लिए दीगई दरख्वास्त रुकावट डाल देनेके कारण खारिज कर दीगई हो, तो वह आर्डर २१ रूल ९७ के अनुसार दरख्वास्त दिये बिना कानून मियादके आर्टि० १६७ में दी हुई मियादके अलावा नई मियादकी मुद्दत के लिये हकदार है, देखो 19 I C 150

आर्डर २१ रूल ९५ के अनुसार दिये हुये हुक्मकी अपील नहीं होसकती, देखो 10 A 216

जायदाद पर कब्जा दिलापानेके लिये दिये जाने वाले हुक्मके फार्मके लिये देखो जाब्ता दीवानीके जमीमा (ई) का फार्म नं० २९।

कब्जा दिये जानेका विरोध—जब किसी डिक्रीदारको, जिसे कब्जेके लिये डिकरी दीगई है, या खरीदार नीलामको जायदाद पर कब्जा करने से रोका गया हो, तो वह शख्स इस बातकी रिपोर्ट अदालतमें कर सकता है और फिर इस *मामलेकी जांच (तहकीकात) की जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ९७)*—जो शख्स कब्जा करनेमें रुकावट डाल रहा है वह ३० दिन तक कैदमें रखा जा सकता है, (देखो आर्डर २१ रूल ९८, दफा ७४)—जब इस तरह रुकावट डालने वाला शख्स (जो कि मदियून डिकरी नहीं है) ऐसा आदमी हो जो नेकनीयतीके साथ अपने बल पर या मदियून डिकरीके अलावा किसी दूसरे शख्सके बल पर, उस जायदाद पर कब्जा दिला पानेका दावेदार है, तो वह दरख्वास्त खारिज कर दी जायगी, (देखो आर्डर २१ रूल ९९)

"अपने बल पर", जो रूल ९९ में आया है, सिर्फ उसी आदमीके सम्बन्धमें लागू हो सकता है जो अपनी हकीयतके ऊपर कब्जे के लिये दावेदार हो। अगर किसी जमींदारको किसी असामीके खिलाफ कब्जे की बाबत डिकरी मिले और उसे कोई ऐसा शख्स जो उस जायदादपर बतौर शिकमी आसामीके काबिज है कब्जा करने से रोके, तो वह शख्स रूल ९९ के आधार पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता, देखो 23 Bom L R 1316—47 C 907 में इससे विपरीत फैसला दिया गया है।

अगर किसी डिकरीदार को डिकरी की इजरा में रोका गया हो, तो वह फिर कब्जा दिला पाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है और अगर वह फिर रोका गया तो वह इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, देखो 13 C W N 724

जिस हुक्म के जरिये कब्जा दिलापाने की मंजूरी या इन्कारी की गई हो, वह आर्डर ४७ के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं है और उसकी अपील नहीं हो सकती, देखो 29 C L J 48

खरीदार द्वारा बेदखल किया जाना और कब्जा दिया जाना—जब मदियून डिकरी के अलावा कोई शख्स डिकरीदार या खरीदार नीलाम की ओर से जायदाद गैर मनकूला से बेदखल कर दिया गया हो, तो वह शख्स इस आशय की दरख्वास्त देकर, अगर वह अदालत को इत्मीनान दिला सके कि

वह अपने हक के बलपर या मदियून डिक्री को छोड़ दूसरे शख्स के बलपर उस जायदाद पर काबिज था, आर्डर २१, रूल १०० के अनुसार सरसरी कार्रवाई से कब्जा हासिल कर सकता है (देखो आर्डर २१, रूल १०० १०१)—रूल ९९ और १०१ उन मुन्तकिल अलेहा के सम्बन्ध मे लागू नही होते जिनके नाम दौरान मुकद्दमा मे जायदाद मुन्तकिल की गई हो (देखो आर्डर २१, रूल १०२)—जिस शख्स को रूल ९८ ९९ या १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म से कुछ दु ख पहुचा हो, वह अपनी हकीयत कायम करने के लिए नालिश दायर कर सकता है, लेकिन ऐसी नालिश के नतीजे के अनुसार वह हुक्म कतई हुक्म होगा (देखो आर्डर २१, रूल १०३)

असली कब्जा दे देना ही रूल १०० के अर्थ मे बेदखल करना है देखो 33 C 487—बांसों का लगाना और काबिज लोगो के नाम इस बातकी घोषणा निकाल देना कि उस जायदाद पर दूसरे शख्स को डिकरी दे दी गई है, काफी बेदखली है, देखो 11 W. R 191, 3 C L J 293 —"मदियून डिकरी" मे उसके प्रतिनिधि और वे तमाम लोग शामिल है जो उस डिकरी का रुपया अदा करने के लिए जुम्मेदार है, देखो 2 Pat L J 478 —किसी मुर्तहिन के जरिये कब्जा पाना इस रूल के अनुसार दावा दायर करने के लिए काफी है, देखो 20 W R 373, 33 C 487 —जो मुर्तहिन किसी रेहननामा के अनुसार किसी जायदाद पर काबिज हो, उसके लिए यह कहा जायगा कि वह "अपने बलपर" काबिज है, देखो 2 A 94 इसी तरह किसी असामी का मुर्तहिन भी "अपने बलपर" काबिज समझा जायगा, देखो 19 C L J 13

जब कोई सोलह आने का जमीदार किसी लगानी डिकरी की इजरा मे कोई दखीलकारी जोत को खरीद करे, तो असामी से खरीद करने वाला शख्स रूल १०० के अनुसार दरख्वास्त दे सकने का हकदार नही है, देखो 43 I C 969

रूल १०० के अनुसार दी गई दरख्वास्त के सम्बन्ध मे की जाने वाली कार्रवाई वैसी ही है जैसी कि आर्डर २१, रूल ५८ के अनुसार दी गई दावे की दरख्वास्त के सम्बन्ध मे की जाने वाली कार्रवाई। जिस प्रश्न पर विचार करना है वह सिर्फ दखल का प्रश्न है (देखो 2 A 94, 19 C L J 13)—कानून मियाद के आर्टि० १६५ के अनुसार दरख्वास्त बेदखली की तारीख से ३० (तीस) दिन के अन्दर दे देनी चाहिए। रूल १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील नहीं हो सकती (देखो 41 I C 891)—रूल १०३ के अनुसार दायर की जाने वाली हकीयत की नालिश की मियाद, कानून मियाद के आर्टि० ११ के अनुसार, हुक्म की तारीख से एक साल है (देखो 26 B 730) जब कोई दरख्वास्त अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई हो, तो उसकी निस्बत कोई जाच नही होती और वहा पर एक साल की मियाद की बात लागू नही होती, देखो 34 C 191, 1 P L T 559

आर्डर २१ रूल १०१ के अनुसार दिया जाने वाला हुक्म या तो सायल को कब्जा दिए जाने के लिए हो सकता है या ऐसा करने से इन्कार के लिए हो सकता है, देखो 42 B 10—जब रूल १०१ के अनुसार हुक्म एक तर्फा दिया जाय, तो आर्डर ९, रूल १३ लागू नहीं होता और इसके लिए इलाज सिर्फ यही है कि रूल १०३ के अनुसार बाकायदा नालिश दायर की जाय, देखो 41 C इससे विपरीत फैसले के लिए देखो 2 P 872, 71 I C 484, 43 I C 951

वापसी जायदाद (Restitution)—(१) जब और जहा तक कोई डिकरी उलट दी गई हो या उसमें कोई रद्द बदल कर दी गई हो, प्रारम्भिक अदालत, किसी ऐसे फरीक की दरख्वास्त पर जो वापसी जायदाद या और तरह पर किसी रियायत का हकदार है, ऐसी वापसी के लिए हुक्म दे देगी, जिस हुक्म से, जहा तक सम्भव हो, फरीकैन उसी हालत मे पहुच जायगे जिस हालत म वे उस समय पहुचे होते, अगर वह डिकरी या उसका हिस्सा उलट न दिया गया होता या उसमें रद्द बदल न की गई होती। इस काम क लिए अदालत कोई भी हुक्म दे सकती है, जिसमे खर्चे की वापसी और ब्याज, नुकसान, मुआविजा और वासिलात की, जो इस परिवर्तन (डिकरी के बदल जाने) या रद्द बदल के कारण अवश्य ही पैदा हो जाते हो, अदायगी के लिये दिये हुये हुक्म शामिल है।

(२) किसी भी ऐसी वापसी या दूसरी दादरसी के पाने के लिए नालिश दायर नही की जा सकेगी जो उप दफा (१) के अनुसार दरख्वास्त देकर प्राप्त की जा सकती है (देखो दफा १४४)।

जब कोई शख्स, जिसके खिलाफ कोई डिकरी हासिल की गई हो और जिसकी कोई जायदाद या रुपया उस डिकरी की इजरा मे ले लिया गया हो, बाद मे जीत जाय और वह डिकरी उलट दी जाय, या उसमे कोई संशोधन या रद्द बदल कर दी जाय, तो वह शख्स कानूनन उस चीज के वापस पाने का हकदार है जो उससे ले ली गयी थी। जाब्ता दीवानी की दफा १४४ मे वह जाब्ता बतलाया गया है जिससे वह चीज वापस ली जा सकती है। इसीका नाम "वापसी जायदाद (Restitution)" है जिसका मतलब है किसी चीजको फिर दे देना या वापस कर देना जो किसी शख्स से कानून के खिलाफ ले ली गई हो। वापसी जायदाद के सिद्धात के नियम के सम्बन्ध मे देखो 23 M 306, 32 A 79, 13 C L J 243 p 247; 15 C L J 187, 9 W R 402, L R 3 P C 465, 28 A 665—नियम यह है कि यह वापसी जहा तक सम्भव हो सके इस तरहपर की जानी चाहिये कि फरीकैन अपनी उसी असली हालत पर आ जाय जिसमे कि वे गलती से दीगई उस डिकरी या हुक्म के पहले थ, देखो 26 C W N 408, 37 I C 863, 21 C W N 564, 35 I C 356—इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और मामले को तय कर देना है, देखो 16 C L J 135 दफा १४४ के अनुसार वापसी जायदाद की इजाजत देना ताकीदी है यह अदालत की इच्छा पर निर्भर नही करता, देखो 42 I C 523

किसी और तरह से जायदाद पर कब्जा कर लिया हो, देखो 42 A 568, 22 I C 84 (c), 23 A 348, 16 C L J 135

मद्रास हाईकोर्ट मे यह तय हुआ है कि जाबता दीवानी की दफा १४४ के अनुसार की जाने वाली वापसी जायदाद, अपील में डिकरियेा के उलट दिए जाने तक ही सीमाबद्ध नहीं है बल्कि तमाम ऐसे मामलो में उसका एक जैसा ही प्रयेाग किया जा सकता है जिनमे किसी दूरिवर्ती कार्रवाई के कारण कोई डिकरी उलट दी गई हो, देखो 40 M 299, 33 I C 739 —इसलिए अगर किसी एकतर्फा डिकरी की इजरा मे डिकरीदार को, डिकरी की रकम मिल जाय और इस कारण बाद मे वही अदालत उस डिकरी को मसूख कर दे, तो मदियून डिकरी उस जायदाद को वापस पाने का हकदार है जो इजरा मे उसके हाथ से निकल गई है, लेकिन इसपर विचार करना व्यर्थ है कि ऐसी दशा मे दफा ४७ लागू होती है या दफा १४४, देखो 44 B 702—एक दूसरे मुकद्दमे मे यह तय हुआ है कि जिस हुक्म के अनुसार वह नीलाम मसूख किया जा रहा हो जो किसी एकतर्फा डिकरी की निस्बत किया गया हो, वह हुक्म जाबता दीवानी की दफा ४७ या १४४ या १५१ के अनुसार दिया जा सकता है, देखो 43 B 235 —लेकिन पटना हाईकोर्ट मे यह तय किया गया है कि इस दफा १४४ के "प्रारम्भिक अदालत" शब्द साफ तौर पर यह जाहिर करते है कि इसका प्रयेाग सिर्फ उन्ही हालतों मे किया जा सकता है जिनमे डिकरी किसी बड़ी अदालत द्वारा बदली गई हो, देखो 34 I C 747, 1 Pat L J 43

अदालत के वापसी जायदाद का हुक्म देने सम्बन्धी अधिकार का प्रयेाग सिर्फ उन्ही मामलों तक सीमाबद्ध नही है जो दफा १४४ मे आते है। अदालत को यह अधिकार सदैव से प्राप्त है कि वह वापसी जायदाद का हुक्म दे सके और किसी सच्चे मामले में अन्याय होने से रोके। वह ऐसे हुक्म दे सकती है जिनकी आवश्यकता उस मामले मे पूर्ण न्याय करने के लिए हो, देखो 15 C L J 187, 21 C L J 624, 29 A 153, 6 C W N 710, 11 C L J 533, 32 A 79

उसे वह रुपया वापस मांगने का भी पूरा अधिकार है जो नामुनासिब तौर पर अदा किया गया है, देखो 35 C L J 53 तथा उसे डिकरीदार को उस मुद्दत के वासिलात की रकम दिला पाने का अधिकार है जिसमे वह इजरा की मुलतवी के लिए दिए गए हुक्म के अनुसार जायदाद से अलग रखा गया है, देखो 63 I C 43 (L)

जब प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिकरी मसूख हो गई हो, तो वह फरीक वह रुपया वापस पाने का हकदार है जो अन्तिम (कतई) डिकरी के आधार पर वसूल किया गया था, देखो 27 C L J 451.

अगर वह जायदाद, जो ले ली गई है, इस काबिल न हो कि वापस की जा सके, तो पहिले वाला डिकरीदार नुकसान क... R

रुपये के, मय व्याज वापस लिए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 63 I C 513 (A); 19 I C 1, 15 Bom L R 41, 40 M 299, 41 M 316, 2 Pat L J 349

जब रकम के हिस्से रसदी बटवारे के लिए दिया हुआ हुक्म अपील में उलट दिया गया हो, तो वापसी जायदाद के लिए हुक्म नहीं दिया जा सकता, देखो 67 I C 546 (M); 67 I C 369 (M)

जाबता दीवानी की दफा १४४ उस समय लागू नहीं होती, जब कब्जा डिकरी के विरुद्ध और उससे बिलकुल अलग हासिल किया गया हो, देखो 39 I C 933

कार्रवाई की किस्म और मियाद—वापसी जायदाद की कार्रवाई न तो नालिश है और न इजरा में की जाने वाली कार्रवाई। यह एक मुतफर्रकात की कार्रवाई है जिसके सम्बन्ध में वे नियम लागू हैं। जबकि उस अपीलाण्टने जिसकी अपील जीत गई थी, पहिले तो वापसी जायदाद के लिए दरख्वास्त दी और इसके बाद अपील की डिकरी से तीन साल के अन्दर वासिलात के लिए दूसरी दरख्वास्त पेश की, तय हुआ कि आर्डर २० रूल २ से अथवा कानून मियाद के आर्टि० १८१ के अनुसार वह मियाद बाहर नहीं है, देखो 47 I C 47 (P)—लेकिन एक दूसरे मुकदमे में यह तय किया गया था कि कानून मियादका आर्टि० १८१ लागू होता है, देखो 2 P 277, 72 I C 912—बर्मा हाईकोर्ट में यह तय किया गया है कि कानून मियाद का आर्टि० १८१ लागू होता है, देखो 30 I C 680, 8 Bur L T 165

बम्बई हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि वापसी जायदादके लिये दीगई दरख्वास्त डिकरीकी इजराकी दरख्वास्त है और इसलिये कानून मियादका आर्टि० १८२ लागू होना चाहिये, देखो 45 B 1137, 62 I C 233, 41 B 625, 43 B 235—यही फैसला पंजाब (देखो 67 P R 1918, 44 I C 301,) और मद्रास (देखो 33 M L J 413, 42 I C 530, 40 M 780) की हाईकोर्टोंमें हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि जाबता दीवानी की दफा १४४ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई इजराकी कार्रवाई है, देखो 44 A 407

कोर्ट फीस—वापसी जायदादके लिये दीगई दरख्वास्त पर कोर्ट फीस स्टाम्प लगा होना चाहिये जिसका वर्णन कोर्ट फीस ऐक्टके परिशिष्ट २ के आर्टि० १ में मामूली दरख्वास्तोंके ऊपर कोर्ट फीस ऐक्ट लगाये जानेके सम्बन्धमें किया गया है। हाईकोर्ट में की जाने वाली अपीलके ऊपर लगाये जाने वाले कोर्ट फीस स्टाम्प के लिये देखो 21 C W N 544

नोट—इजराका विषय बड़ा ही जटिल और पेचीदा है। यदि हम सब कानूनोंकी सब बातों को इसी जगह वर्णन करें तो एक भारी पुस्तक बन जायगी। जितनी जरूरी और हर समय काम पड़नेकी बातें थीं उन्हें नई नजीरोंके साथ बड़े ही परिश्रमसे यथा स्थान उद्धृत कर दिया है। तथा जाबता दीवानी

हम हिन्दी में सविस्तार व्याख्या और मुकम्मिल नजीरों सहित छाप रहे हैं। उसके साथ इस किताबको पढ़ने से पाठकोंको कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती।

खास खास हालतों की नालिशें

सरकार या सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें, जबकि वे सरकारी कर्मचारीकी हैसियतमें हों।



(१) सरकार की ओर से तथा उसके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें सपरिषद् भारत-मन्त्री द्वारा या उनके विरुद्ध दायर की जानी चाहिये (देखो जाबता दीवानी की दफा ७९)।

(२) कोई भी नालिश भारत मन्त्री या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उस कार्य के सम्बन्ध मे जो कि ऐसे कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो उस समय तक नहीं दायर की जा सकती जब तक कि उस तारीख से, जिस तारीख को उसपर बाजाबता तरीके से नोटिस तामील की गई हो, दो महीने का समय बीत न जाय (देखो जाबता दीवानी की दफा ८०)।

(३) सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशों के सम्बन्ध में की जाने वाली विस्तृत कार्रवाई के लिये देखो आर्डर २७ रूल १-८।

"उस कार्य के सम्बन्ध में" इस वाक्यका केवल सरकारी कर्मचारी से ही सम्बन्ध है, भारत मन्त्री से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये कोई भी नालिश (फिर वह चाहे जैसी ही क्यों न हो) भारत मन्त्री के विरुद्ध न दायर की जा सकेगी, जब तक कि उन्हें बाकायदा नोटिस न दे दी जाय। इसकी कोई परवाह नहीं कि वह कार्य उन्होंने भारत मन्त्री की हैसियत से किया था अथवा नहीं, देखो 25 C 239; 40 B 392, 37 M 113—सरकारी कर्मचारियों के लिये नोटिस देने की उसी समय आवश्यकता है जब नालिश किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में दायर की गई हो जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो। उस समय नोटिस देने की आवश्यकता न होगी जब जिस काम की निस्बत शिकायत है वह उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से न किया हो। इस तरह पर जब कोई कर्मचारी किसी ऐसी जायदाद पर कब्जा कर ले जिसके कब्जे का उसे कोई अधिकार नहीं है और मदाखिलत बेजा करे तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो 36 C 28—इसी प्रकार किसी मातहत अफसरके ऊपर आक्रमण करने के हर्जे की नालिशों के सम्बन्ध में भी नोटिस देनेकी जरूरत नहीं है, देखो 7 A L J 301

7 C 499 में यह तय किया गया था कि नोटिस का देना सिर्फ उन्हीं हालतों मे जरूरी है जब किसी सरकारी कर्मचारीने अपने कर्तव्य पालन मे असावधानताके कारण कोई हानि पहुंचाइ हो और 16 C W N 145 मे यह तय हुआ था कि किसी ऐसे काम के बारे मे नोटिस देने की जरूरत नहीं है जो बदनीयती से किया गया हो लेकिन अब कई एक मुकदमा में यह तय किया गया है कि उस काम के सम्बन्ध में भी नोटिस देने की जरूरत है जो बदनीयती से किया गया हो और जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत म किया हो देखो 28 C W N 10, 24 C 584, 41 M 792 F B, 16 C W N 145, 32 C 1130, 7 C 499—अन्त वाले इस मुकदमे मे चीफ जस्टिस मेक्लिस ने तय किया था कि "कोई काम जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो" का अर्थ है "कोई काम जिसका मंशा यह दिखलाने का हो कि उसने उसे सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया है"।

नोटिस की सिर्फ उसी काम के सम्बन्ध मे जरूरत होती है जो किया गया हो और इसलिये जाब्ता दीवानी की दफा ८० ऐसी नालिश के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे काम के करने से रोकने के लिये हुक्म इम्तनाई जारी करने के वास्ते दायर की गई हो जिसके करने की उसने धमकी दी हो देखो 3 I C 28, 37 B 243, किन्तु भारत मंत्री के सम्बन्ध म ऐसी बात नहीं है देखो 35 B 36-, 26, B 424, 37 M 113

ऐसा नालिश मे सरकारी वकीलका मेमोरण्डम—हर एक ऐसी नालिश मे जिसम सरकारी वकील सरकार की ओर से पेश हुआहो चाहे उस समय जब कि सरकार स्वयं मुद्दई या मुदालेह हो या उस समय जबकि वह जाब्ता दीवानीके आर्डर २७ रूल ८ के अनुसार किसी ऐसी नालिश की जवाब देही करने के लिये खड़ी हुई हो जो किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर दायर की गई है। उसे चाहिये कि वह वकालतनामा के बदले एक बिना स्टाम्प लगे हुये कागज पर लिखकर मेमोरैण्डम पेश करे जिसपर उसके दस्तखत हों और जिसमे यह लिखा हो कि किस की ओर से वह हाजिर हो रहा है (देखो G R & C O Chap I R 142)

हर एक ऐसे मुकदमम जिसम सरकारी वकील किसी सरकारी अफसर या नौकरकी ओर से हाजिर होगा सिवाय उन मुकदमों के जिनमे सरकारने जाब्ता दीवानी के आडर २७ रूल ८ के अनुसार किसी नालिश का जवाबदेही करने का भार अपने ऊपर ले लिया है ऐसे वकील को उसी प्रकार वकालत नामा दाखिल करना होगा जैसेकि किसी दूसरे वकीलको (देखो G R & C O Chap I R 135 note)

इलाहाबाद मे सरकारी वकील के हाजिर होने सम्बधी नियमों के लिये देखो आर्डर २७ रूल ९।

विदेशिया का ओर स तथा विदेशी और देशी राजाओं की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिश—विदेशियों की ओर से तथा विदेशी और देशी राजाओं की ओर स या

उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशों के जाबते के सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८३ से ८८ तक ।

फौजी आदमियों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—फौजी आदमियों की ओर से या उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशो के जाबते के सम्बध में देखो जाबता दीवानी का आर्डर २८ ।

कारपोरेशनों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—प्लीडिङ्गस की तस्दीक और उस पर दस्तखत किये जाने तथा सम्मन की तामीलीके तरीके की निस्बत देखो जाबता दीवानी, आर्डर २९ ।

बिना रजिस्ट्री की हुई सभाओं की ओर से नालिश—किसी बिना रजिस्ट्री की हुई संस्था की ओर से दायर की जाने वाली नालिश उस संस्थाके कुल सदस्यों (मेम्बरों) के नाम से दायर की जानी चाहिये (देखो 20 A 167) अर्जीदावा के ऊपर कौन शख्स दस्तखत कर सकता है या कौन उसकी तस्दीक कर सकता इस सम्बन्धमे देखो 21 C 60.

फर्मों और ऐसे लोगों की ओरसे जो अपने नामसे व्यापार न करते हों,या उनके विरुद्ध नालिशें—सम्मनों की तामीली के तरीके और आम जाबते के लिये देखो जाबता दीवानी आर्डर ३ ।

मुश्तर्का जायदाद की कुर्की और फर्मों के खिलाफ दी गई डिकरियों की इजरा सम्बन्धी नियमों के लिये देखो आर्डर २१ रूल ४९ और ५० ।

ट्रस्टियों, मृत लेख प्रवर्तकों (तामील कुनिन्दों) और प्रबन्धकोंकी ओरसे या उनके विरुद्ध नालिशें —जब ऐसे लोग जिनको जायदाद से फायदा उठाने का हक हासिल है फरीक बनाये जाय उस सम्बन्ध मे और दूसरी बातों के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३१ जाबता दीवानी। उन लोगों को जिन्हे जायदाद से फायदा उठाने का हक है (मामूनअलेहों को) उस समय फरीक बनाना चाहिये कि जब ट्रस्टियों को उन लोगों के हुकूक के खिलाफ कोई हक हासिल हो (देखो M A 197)

पंजाब मे आर्डर ३० रूल १ के साथ में कुछ विवरण जोड़ दिया गयाहै ।

नाबालिग या ऐसे लोगों की ओर से या उनके विरुद्ध नालिश जिनके मस्तिष्क(दिमाग) में दोष (खलल) हो—किसी ना बालिगकी ओर से दायर की जाने वाली नालिश उसके वलीजायज (Next friend) के नाम से दाखिल की जानी चाहिये नही तो अर्जी दावा मिस्लिल से बाहर निकाल दिया जायगा और इन सबका खर्चा वकील या उस शख्स जो देना होगा जिसने उसे दाखिल किया है [देखो आर्डर ३२ रूल २)

जब मुद्दालेह नाबालिग हो तो मुकदमेके दौरानके लिये एक वली मुकर्रर कर दिया जाना चाहिये। वली मुकर्रर करने के लिये हुक्म उस नाबालिगके नाम से और उसकी ओर से या मुद्दई की ओर से दरख्वास्त देकर हासिल किया जा सकता है। इस दरख्वास्त के साथ उसकी ताईदके लिये एक बयान हलफी

दाखिल किया जाना चाहिये कि जिस शख्स को वली मुकर्रर करनेकी तजवीज कीगई है उसका उस नालिशसे कोई भी ऐसा ताअल्लुक नहीं है जो उस वलीके खिलाफ पड़ता हो और यह कि यह शख्स इस कामके लिये निहायत माकूल आदमी हो। सिवाय उस नाबालिग, और किसी ऐसे वलीको, जिसे किसी मुनासिब अफसर ने मुकर्रर किया हो या जहा कोई ऐसा वली नहीं है उसके बाप या दूसरे प्रकृति जन्य सरक्षक (वली) को या जहा बाप या कोई ऐसा प्रकृति जन्य सरक्षक नहीं है उस शख्स को जिसकी सरक्षता म वह नाबालिग है, नोटिस दिये जाने और उस उज्रदारी को सुन लेने क बाद, जो किसी ऐसे आदमीकी ओरसे पेश की गई हो, जिस पर इस तरह नोटिस तामील किया गया है, कोई हुक्म न दिया जायगा (आर्डर ३२ रूल ३)

कौन शख्स वली होने के काबिल है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ४ और देखो हिन्दी मे छपा हिन्दू लॉ, का प्रकरण "नाबालिग और वली" कोई भी शख्स बिना उसकी मजूरीके वली न मुकर्रर किया जासेगा। जब कोई दूसरा काबिल और वली का काम करने के लिये राजी होने वाला शख्स न मिल सके तो अदालत को अख्तयार है कि वह अपने में से किसी भी अफसर को मुकर्रर कर दे और यह हुक्म देदे कि कुल खर्चा मुद्दई की ओर से अदा किया जाय (आर्डर ३२ रूल ४),

नाबालिग की ओर से रफीक करीबतर (Nexfriend) या वली (Guardian) द्वारा ऐसी नालिश के लिये जिसमें सही सही आदमी फरीक बनाए गये है दी जाने वाली दरख्वास्ते और वकील की जिम्मेदारीके सम्बन्धमे देखो आर्डर ३२ रूल ५। रफीक करीबतर (Nextfriend) या वली (Guardian) द्वारा नाबालिग की जायदाद लियेजाने के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ६

बिना अदालतकी इजाजतके जो साफ साफ लिख दी जायगी कोईभी वली (Guardian) या रफीक करीबतर (Nextfriend) मुकद्दमेंमे राजानामा न कर सकेगाजो इकरारनामा या अहदनामा बिना अदालत की इजाजतके कर लिया जायगा वह नाबालिग के सिवा बाकी सभी लोगों के सम्बन्ध म जायज होगा देखो आर्डर ३२ रूल ७ (२)।

रफीक करीबतर (Nextfrien) के अलग हो जाने या हटाये जानेके सम्बन्ध में देखो आर्डर ३२ रूल ८-१४। रूल १-१४ उन लोगों के सम्बन्ध मे लागू होते हे जिनके दिमाग मे खलल है देखो आर्डर ३२ रूल १५।

जब मुद्दाअलेह नाबालिग हो तो मुद्दई पहिले एक दरख्वास्त देकर किसी शख्स को वली मुकर्रर किये जाने की तजवीज पेश करेगा और अपनी उस दरख्वास्त के समथन में एक हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें यह दिखलायेगा कि जिस शख्स को वली बनाने की तजवीज पेश की गई है उसका उस मुकदमे से कोई भी ऐसा सम्बन्ध नहीं है जो उस नाबालिग के खिलाफ पड़ता हो और यह कि वह शख्स वली मुकर्रर किये जानेके लिये एक निहायत माकूल आदमी

है। अगर उस शख्स और उस नाबालिग के दरम्यान कोई रिश्तेदारी है तो उसे भी लिख दिया जाना चाहिये। और यह भी लिख देना चाहिये कि किसकी देख रेख मे यह नाबालिग रहता है (देखो आर्डर ३२ रूल ३ क्लॉज ३)—इसके बाद उस शख्स के नाम इस बात का नोटिस निकाला जायगा कि वह तारीख मुकर्रर पर (यह तारीख उसी नोटिसमें लिखी रहेगी) अदालतमे हाजिर होकर अपनी उज्रदारी, अगर कोई हो दाखिल करे या अपनी रजामंदी जाहिर करे। कोई भी शख्स बिला उसकी रजामंदीके दौरान मुकद्दमाके लिये वली न मुकर्रर किया जायगा। और यह तय हुआ है कि उस शख्स की गैर हाजिरी से ही यह अनुमान न कर लेना चाहिये कि वह वली बनाया जाने के लिये राजी है। आर्डर ३२ रूल ४ मे रजामंदी का मतलब ऐसी रजामंदी से है जो जाहिरा तौर पर बतला दी गई हो। जिस शख्स के नाम नोटिस जारी किया गया है वह उस समय तक वली दौरान मुकद्दमा (Guardian ad litem) मुकर्रर नही किया जा सकता जब तक कि वह हाजिर होकर इस बात के लिये अपनी रजामंदी जाहिर न कर दे या और कोई ऐसी ही बात न करदे जो रजामंदी के बराबर मान लिये जाने लायक हो, उदाहरणार्थ नाबालिग की ओर से बयान तहरीरी का दाखिल करना इत्यादि (देखो 17 C W N. 219, 29 I C 579; 15 C L J 3, 9 C W N 201 P C, 24 C 25, 15 C L J 3, 18 C L J 18, 15 C L J 446, 16 C L J 318, 20 C L J 469, 26 C L J 258, 13C W N 1182P C, 17C W N 1165P C; 24C W N 541, 2C W N 525) वलीकी मंजूरी सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह ताकीदी है। जो शख्स बिना मंजूरीके वली मुकर्रर कर दिया गया है वह नाबालिगका प्रतिनिधि नही कहा जा सकता, देखो 34C L J 293, 37C L J 496—किसी सार्टीफिकटयाफ्ता वली की जाहिरा मंजूरी भी जरूरी है, देखो 34 C L J 293 और इसके विपरीत फैसलेके लिए 2 Pat 296। मदरास हाईकोर्टमे यह तय हुआ है कि जहां पर सार्टीफिकटयाफ्ता वली मौजूद हो और दूसरा शख्स मुकर्रर कर दिया गया हो, तो ऐसी हालतमे यह हुक्म खिलाफ कानून होगा, देखो 43 M 148

कुछ मुकद्दमोंमे यह तय किया गया है कि जाहिरा मंजूरी की जरूरत नही है, यह ऐसी भी हो सकती है जो दूसरी बातोंसे समझ ली जाय, देखो 2 Pat 296, 43 I C 63, 59 I C 671, (43 A 104, 71 I C 628M)

अब यह शख्स जो वली तजवीज किया गया है हाजिर न हो और अपनी मंजूरी न दे तो अदालत इस बातके लिये बाध्य है कि वह अपने मे से किसी हाकिमको वली दौरान मुकद्दमा (Guardian ad litem) मुकर्रर कर दे और उसे आर्डर ३२ रूल ४ के अनुसार रुपया वगैरा दे दे ताकि वह मुकद्दमेकी जवाब देही की निश्चय जांच कर सके या अगर जरूरी हो तो जवाब देही कर सके (देखो 37 A 179) कलकत्तेकी हाईकोर्टने यह हुक्म दिया है कि वकील वली मुकर्रर किए जाने चाहिए। किसी भी अदालतके अफसरको जो वली दौरान मुकद्दमामे मुकर्रर किया गया है उसकी मेहनतका मुआविजा न दिया जाना

चाहिए, (देखो 3 M I A 339)—अगर कोई शख्स वली दौरान मुकद्दमा मुकर्रर नहीं किया गया है और मुकद्दमेंकी डिकरी नाबालिगके खिलाफ दे दीगई है, तो वह डिक्री, जहां तक उसका सम्बन्ध उस नाबालिगसे है, नाजायज समझा जायगी और मसूखीके लिए बिना कोई कार्रवाई किए ही,वह रद्द समझी जायगी, (देखो 17 C W N 49)—यही नतीजा उस समय भी होगा जब कि वली नाम मात्रके लिए मुकर्रर किया गया हो लेकिन उसने ठीक तौर पर उस नाबालिगके प्रतिनिधिका काम न किया हो (देखो 17 A I 79, 39 C L J 496 और 71 I C 70)—जब किसी नाबालिगकी ओरसे दायर कीगई नालिशमें डिक्री इस बिना पर मंसूख या रद्द कर दीगई है कि उसकी ओरसे कोई प्रतिनिधि मुकद्दमेमें नहीं था तो पहिली नालिश पर फिरसे विचार किया जा सकता है, देखो 2 C L J 258, 78 I C 427

रुपयेकी अदायगीके लिए दीगई डिक्रियोंमें, पहिली नालिशमें मुकर्रर किया हुआ वली दौरान मुकद्दमा इजराकी कार्रवाईमें वली नहीं बना रह सकता जब तक वह फिरसे न मुकर्रर किया गया हो, देखो 28 C W N 963

राजीनामा—राजीनामा करनेके लिए हुक्म देते समय अदालतको चाहिए कि वह आर्डर ३२ रूल ७ (१) में बतलाए अनुसार अपना हुक्म लिखे। यह तय किया गया है कि जाहिरा हुक्म लिखनेकी कोई जरूरत नहीं है, जब कि अदालतने दरख्वास्तकी निस्बत नोट कर लिया है और डिकरी दे दी हो, देखो 72 I C 1019, 56 I C, 97 और 35 I C 67 एक मुकद्दमेमें यह तय हुआ है कि सिर्फ यह बात, कि राजीनामाके लिए दीगई दरख्वास्त से अदालतको इस बात का पता लग गया था कि नाबालिगके हककी नुकसान पहुंचगा और यह कि उसने डिकरी दे दी, इजाजत देना नहीं है। इस बातकी ओर अदालतका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया जाता और उस सम्बन्धमें उसकी स्वीकृति ले लेना परमावश्यक है, देखो 60 I C, 980—रिवाज यह है कि राजीनामाकी दरख्वास्तके साथ एक अलग दरख्वास्त दाखिल कीजाय और जिस हुक्मसे इजाजत दीगई हो वह फर्द हुक्म लिख दिया जाय।

मुफलिस (Pauper) की ओरसे नालिश—साधारण नियम तो यह है कि अदालत दीवानीमें नालिश करने वाला शख्स अर्जीदावा और नालिशमें बादको होने वाली कार्रवाईके लिए कानून द्वारा निश्चित किया हुआ कोर्ट फीस अदा करे। लेकिन सम्भव है कि कोई शख्स इतना गरीब हो कि वह रसूम अदालत अदा नहीं कर सकता है और इसलिए आर्डर ३३ का यह मंशा है कि ऐसे शख्स को बिना रसूम अदालत (कोर्ट फीस) अदा किये हुये नालिश दायर करने और उसके चलानेकी इजाजत दी जाय, (देखो 20 C 115)

आर्डर ३३ के रूल १ से ८ तक में उस जाब्तेका वर्णन है जो उस समय अमलमें लाया जाना चाहिये जब किसी नालिशके सीगा मुफलिसीमें दायर किये जानेकी तजवीज हुई हो।

मुफलिसोंकी नालिशोंमे दरख्वास्तमे लिखी जाने वाली बातों और उसकी तस्दीक के तरीकेकी निस्बत देखो रूल २।

सीगा मुफलिसीमे नालिश करनेकी दरख्वास्त सायलको असालतन पेश करनी चाहिये, सिवाय उस हालतके जब कि वह हाजिर होनेसे मुस्तस्ना कर दिया गया हो, देखो आर्डर ३३ रूल ३—यह दरख्वास्त आर्डर ३ रूल १ और आर्डर ११ रूल १४ में बतलाये अनुसार पेश नही की जा सकती, (देखो आर्डर ३३ रूल ४)

किन वजहात पर अदालत दरख्वास्त खारिज कर सकती है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर ३३ रूल ५। अगर रूल ५ के अनुसार दरख्वास्त खारिज नही कर दीगई है, तो अदालत शहादत लेनेके लिये कोई दिन नियत (मुकर्रर) करेगी (जिसकी नोटिस कमसे कम १० दिन पहिले सरकारी वकील और फरीक सानीको दे दी जायगी) [देखो रूल ६]—शहादत लेनेके बाद, अदालत या तो मुफलिस की हैसियतसे नालिश दायर करने की इजाजत दे देगी या ऐसी इजाजत देनेसे इन्कार कर देगी (देखो रूल ७)—अगर दरख्वास्त मंजूर कर ली जायगी, तो उस पर नम्बर डालकर वह बतौर अर्जीदावाके रजिस्टर पर चढा ली जायगी (रूल ८)—किन वजहोंपर मुद्दई मुफलिस नही करार दिया जा सकता है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३३ रूल ९।

अगर मुफलिस (Pauper) मुकद्दमेंमे जीत जायगा, तो सरकार कोर्ट फीसकी रकम उस शख्ससे वसूल कर लेगी जिसे डिक्रीके जरिये इस रकमके अदा करने का हुक्म दिया गया है, और यह रकम उस नालिशके मतालिबा पर पहला बार होगा, (देखो रूल १०)

अगर मुद्दई मुकद्दमा हार जाय या वह मुफलिस न करार दिया जाय या जब मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मन तामील किये जानेके लिये मुद्दईकी ओरसे तलबाना दाखिल न किये जानेके कारण नालिश उठा लीगई हो या खारिज होगई हो, तो अदालत उसे उस कोर्ट फीस के अदा करनेका हुक्म देगी जो उस पर बाकी है, (देखो रूल ११)

तमाम ऐसे सवालात, जो रूल १०, ११, १२ के अनुसार सरकार और किसी फरीकके बीच पैदा होंगे, जाबता दीवानीकी दफा ४७ के अन्तर्गत समझे जायगे (देखो रूल १३)—डिक्रीकी एक नकल कलक्टरके पास भेजी जानी चाहिए (देखो रूल १४)—सायलको बहैसियत मुफलिस नालिश करनेकी इजाजत देनेसे इन्कार कर दिए जाने पर बादमें फिर उसी हैसियतसे नालिश करने के सम्बन्धमें दरख्वास्त न दी जा सकेगी, लेकिन सायलको आम तौर पर नालिश दायर कर सकनेका अख्तयार होगा बशर्ते कि वह पहले अपनी पहिले वाली दरख्वास्तका खर्चा (अगर कोई हो) सरकार और फरीकसानी को अदा कर दे, (देखो रूल १५)

जब बहैसियत मुफलिस नालिश करनेकी इजाजत हासिल करने के लिये दीगई दरख्वास्त मंजूर करलीगईहो, तो मुद्दई किसी भी अर्जीके, वकीलकी नियुक्ति

अथवा किसी दूसरी कार्रवाईके सम्बन्धमे किसी कोर्ट फीसका देनदार न होगा। लेकिन सम्मनकी तामीलोंके लिए फीस तलबानाकी अदायगीसे वह नही बच सकता (देखो आर्डर ३३ रूल ८)

जब रूल ४ के अनुसार मुद्दईके बयान लिये गये हों, तो विरोधी पक्ष (फ़रीकसानी) को यह अधिकार है कि वह इस पर उसके दावाकी असलियतके सम्बन्धमें जिरह कर सके, देखो 60 I C. 738—तहक़ीक़ात (जाच) करने के वक्त अदालत रूल ४ के अनुसार उसके दावाकी असलियतके निस्बत सिवाय सायलके बयानों के और किसी की शहादत नही ले सकती, देखो 50 I C 676, 46 C 651

रूल ७ के अनुसार मुक़द्दमेकी समाअत करते वक्त अदालत मियादके सवालात फ़ैसल करने अथवा सायलकी मुफ़लिसीको छोड़ और किसी सवालको तय करने के लिए गवाहोंके बयान नही ले सकती, देखो 46 C 651, 50 I C 520.

साधारण तौर पर दायर की हुई नालिश सीगा मुफ़लिसीमे जारी रखी जा सकती है, देखो 20 C 319; 2 C 130; 8 B 615

मुद्दाअलेहको सीगा मुफ़लिसीमे दायर कीगई किसी नालिशमे पैरवी करने की इजाजत दी जा सकती है, देखो 5 C 819

किसी नाबालिग का शफ़ीक़ करीबतर (निकट वली Next friend) सीगा मुफ़लिसीमे नालिश दायर कर सकता है, देखो 3M 3,4B L R 373

कोई प्रबन्धक या तामील कुनिन्दा सीगा मुफ़लिसीमे नालिश कर सकता है, देखो 7 M 390, 18 B 237

किसी ऐसे शख़सके हक़मे जिसने सीगा मुफ़लिसीमे नालिश दायरकी है, फ़ैसला दे देने के बाद जज उस तारीख़से, जिसमें दिन डिकरी पर दस्तख़त किये गये थे, सात दिनके भीतर सरकारी वकीलको उस डिकरीकी एक नक़ल दे देगा, देखो G R & C O Chap I R 139

रेहननामोंके सम्बन्धमें नालिशें—ऐसी नालिशें जाबता दीवानीके आर्डर ३४ रूल १ से१५ तकके अनुसारकी जा सकती हैं। पहले ऐसीही व्यवस्था क़ानून इन्तक़ाल जायदादमे कीगई थी लेकिन चूंकि रेहननामाकी निस्बत कीगई नालिशकी इजरा के सम्बन्धमे जाबता दीवानी और क़ानून इन्तकाल जायदादमे कीगई व्यवस्थाके कारण कुछ गड़बड़ी पैदा होगई, इसलिये कुल बातें जाबता दीवानीमे ही कर दी गई हैं। क़ानून इन्तक़ाल जायदादमे आख़िरी (क़तई) डिकरी देनेके सम्बन्धमे कोई व्यवस्था नही थी और नीलामके लिये क़त, हुक्म दिये जानेके वास्ते दीगई दरख़ास्त इजराकी दरख्वास्त समझी जाती थी। अब आर्डर ३४ के रूल ३ (१), ५ (१) और ८ (१) से यह कमी पूरी कर दीगई है।

क़ानून इन्तक़ाल जायदादकी दफ़ा ५८ में रेहननामा की परिभाषा कीगई है। रेहननामामे जिन बातोंका होना जरूरी है वे ये हैं —

१ हकूककी मुन्तकिली,

२ जायदाद गैर मनकूला खासमें हकका होना, और

३ कर्जके रुपयेकी अदायगीकी जमानत। कानून इन्तकाल जायदादमें चार किस्मके रेहननामे बतलाये गये हैं जैसे—

(अ) सादा रेहननामा—इसकी जरूरी बातें ये हैं —

१ जायदाद गैर मनकूला खासमें हासिल हकूककी मुन्तकिली बतौर जमानत वास्ते अदायगी कर्जके,

२ रुपया अदा कर देनेका वादा,

३ इस बातका प्रकट अथवा अप्रकट इकरार कि रुपया न अदा होनेकी हालत में मुर्तहिनको जायदाद नीलाम करानेका अधिकार होगा। जायदाद बिल्कुल हवाले नहीं कर दी जाती है।

सादा रेहननामा रजिस्ट्री शुद दस्तावेजके ऊपर होना चाहिये यद्यपि कर्ज का रुपया (१००) रु० से नीचे ही क्यों न हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९)। बंगालमें इसे बंधकी या रेहनी खत कहते हैं, बम्बईमें 'दृष्ट बन्धक' या नजर गहन या तरन गहन, मद्रासमें दृष्ट बंधक या टणक (Tanaka) और संयुक्त प्रांतमें रेहन या मुस्तगरक कहते हैं।

बार किफालत और रेहननामामें सिर्फ अन्तर यह है कि बार किफालत (Charge) से हकीयतकी मुन्तकिली नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें सिर्फ यह अधिकार रहता है कि किसी खास रकम या जायदादसे रुपयेकी अदायगी की जाय, (देखो 33 C 985, 25 M 220, 35 C. 837, 36 A 201, 1 Pat 387 और कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १००)

सादे रेहनकी बाबत दायर कीगई नालिशमें, जितने पर मुर्तहिन को एक प्रारम्भिक डिकरी मिल जाती है जिसमें मुद्दाअलेहके लिये यह हुक्म दिया जाता है कि यह अधिकसे अधिक छ महीने के भीतर डिकरीका रुपया अदा कर दे, (देखो आर्डर ३४ रूल ४) —और अगर निश्चित समय (वक्त मुकर्रर) के भीतर वह रुपया अदा नहीं कर दिया जाता तो मुर्तहिनके दरख्वास्त देने पर, आर्डर ३४ रूल ५ के अनुसार नीलामकी डिकरी मिल जाती है। अदालतको समय बढ़ानेका कोई अधिकार नहीं है। इसमें बयबातका कोई हक नहीं है, (देखोकानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)। राहिन फकरेहनीके लिये दावा कर सकता है, (देखो आर्डर ३४, रूल ७)

नालिश करनेकी मियाद की व्यवस्था अब कानून मियादके परिशिष्ट २ के आर्टि० १३२ से (रुपया वापस कर देने की तारीखसे १२ साल) होती है, आर्टि० १४७ से नहीं (देखो 30 M 426 P C, 11 C W N 1005)

(ब) रेहननामा बशर्त बयनामा—इसमें होनेवाली जरूरी जरूरी बातें ये हैं — इस शर्तके ऊपर जाहिरा बयनामा होता है कि (क) अगर अमुक तारीख

को रुपया न अदा कर दिया जायगा तो बयनामा कतई हो जायगा, या (ख) इस रुपयेके अदा हो जाने पर बयनामा नाजायज हो जायगा, या (ग) यह कि खरीदार इस रुपयेके अदा कर दिये जाने पर जायदाद वापस कर देगा।

बंगालमें इसे 'कोट किवाला" या "कोट बधक" बम्बईमें "गहन लहन" मदरासमें "मुदतक्रियमे" या "मेदतु क्रियम" और संयुक्त प्रान्तमें "बय बिलवफा" कहते हैं। ऐसे रेहननामोंमें किसी खास तारीख का होना निहायत जरूरी है जिसपर रुपयेकी अदायगी हो जानी जरूरी है (देखो 11 C W W 400)

इस किस्मके रेहननामोंके सम्बन्धमें जो कुछ भी रिआयत हो सकती है वह सिर्फ बयबात के लिये नालिशका दायर करना है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)—पहले जाबता दीवानीके आर्डर ३४ रूल २ के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है और अगर डिक्रीका रुपया उस मुद्दतके अन्दर अदा न कर दिया गया जो अदालतने इसके लिये मुकर्रर कर दी है, तो मुर्तहिनके दरख्वास्त देने पर रूल ३ के अनुसार कतई डिक्री दे दी जायगी जिससे फिर फक रेहनीका हक मारा जायगा। अदालतको रुपयेकी अदायगीका समय बढ़ा सकने का अधिकार है, (देखो आर्डर ३४ रूल ३)

नालिश दायर करनेकी मियादकी व्यवस्था कानून मियादके आर्टि० १३५ के अनुसार होती है, (देखो 16 C 639, P. C, 27 C 185)

(स) रेहननामा दखली—इसकी जरूरी जरूरी बातें ये हैं —

१ जायदाद मरहूना के ऊपर दखल (कब्जा) का दे दिया जाना,

२ रेहन का रुपया अदा न कर देने तक मुर्तहिन अपना कब्जा बनाए रहता है

३ मुर्तहिन ब्याजके बदले या रेहनके रुपयके बदले अथवा कुछ ब्याजके बदले और कुछ रेहनके रुपये के बदले लगान और मुनाफेको तहसील वसूल करता है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५८)

दखली रेहननामे मे आम तौरपर रुपये कीअदायगी के लिए कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं की जाती है और रेहन के रुपयकी अदायगी न होने तक मुर्तहिन कब्जा बनाए रखता है। जब रुपयेकी अदायगी के लिए कोई खास तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, तो वह लिखा पढ़ी रेहननामा दखली और रेहन सादा दोनों हो जाती है, (देखो Pat 350, 3 P L T 322, 12 A 203)—अगर रुपयकी तादाद १००) रु० या अधिक हो तो दखली रेहननामा का रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज पर होना निहायत जरूरी है। अगर वह रुपया १००) रु० से कम है, तो या तो इसके लिए रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज लिखा जा सकता है या जायदाद पर दखल दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत मे वह बिना रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज के लिखा न जायगा (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९)—इस बातका स्मरण रखना जरूरी है कि, मुर्तहिन दखलीको इस हैसियतमें बयबात या नीलामके लिए दावा करने का हक नहीं है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७, 24 C 677, 11

A 367, 12 M 109), लेकिन उस हालतमे नीलामका हक पैदा होता है जब कि दस्तावेजमे इसके लिये कोई खास शर्त हो। 7 A 553 F B मे जस्टिस महमूदने कहा था कि रेहन दखली मे हक मिल्कियत की मुन्तकिली नही आती है। लेकिन इसी मुकद्दमेमें चीफ जस्टिस पेथेरमने भिन्न राय कायम की है।

बंगालमे रेहन दखलीको "खाय खलासी बधक" या "भोग बंधक" अथवा "दामशुदी इजारा" या 'गिरवी" या 'सुध भरन" और मदरासमें ,स्वाधीन आद मनुष' कहते है संयुक्त प्रांतमे 'दखली रेहन,' रेहन 'बाकब्जा' कहते है ।

मुर्तहिन को कर्जका रुपया अदा न होने तक पूराकब्जा बनाए रखनेका हक बना रहता है। राहिनके जायदाद पर कब्जा न देने पर वह रेहनके रुपयेकी या उस जायदाद पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश कर सकता है और इसमे राहिन या और कोई आदमी कोई आपत्ति न कर सकेगा, [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६८ (सी)]—अगर दखल पा जानेके बाद मुर्तहिन दखलीका कब्जा छिन जाय तो यह समझना चाहिए कि उसने ऐसा कब्जा हासिल नही किया था जिसमे कोई शख्स कोई आपत्ति न कर सकता, देखो 2 Pat L T 229—मुर्तहिन दखलीको बयबात या नीलामका कोई हक नही है, जब तक कि मुआहिदेके अन्दर प्रकट अथवा अप्रकट कोई ऐसी बात न हो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)—मुर्तहिन दखली जायदाद पर कब्जा दिला पाने तथा उस लगान और मुनाफाको वसूल पानेके लिए भी नालिश दायर कर सकता है जो राहिन ने उस बीचमें वसूल किया हो जब कि वह (मुर्तहिन) कब्जेसे बाहर रक्खा गया है, देखो कानून मियादका आर्टि० १२०, दफा २० (२) दखली राहिन फक रेहनी के लिए नालिश कर सकता है।

दखली राहिन बजात खुद कर्ज की अदायगी के लिए जुम्मेदार नही है, देखो 12 M 109, 24 C 677

(ई) रेहन अङ्गरेजी—आवश्यक शर्ते ये है —(१) राहिन किसी खास तारीख को रुपया अदा करने का वादा कर देता है और (२) जायदाद बिल्कुल मुर्तहिन को मुन्तकिल कर देता है, इस शर्त पर कि वह जायदाद, तारीख मुकर्रर पर रुपया अदा कर दिए जाने पर फिर उसको (राहिन को) वापस कर दी जायगी। यह करीब करीब रेहननामा बशर्त बयनामा- के समान है जिसका हमारे हिन्दुस्तान मे बहुत ज्यादा चलन है (देखो 25 M 220) अन्तर केवल इतना ही है कि इस किस्म के रेहननामा में इस बात की जरूरत नही है कि रुपया अस्मालतन हाजिर होकर जमा किया जाय ।

रेहननामा अंग्रेजी मे बयबात की नालिश दायर की जा सकती है और मियाद का ढङ्ग कानून मियाद के आर्टि० १४७ के अनुसार तय किया जाता है, देखो 30 M 426, P C , 11 C W N 1005

(ड) रेहन गैर मामूली—ऐसे भी रेहन होते है जो ऊपर बतलाए हुए किसी भी रेहन के अन्दर नही आते है लेकिन, इनमे से दो अथवा अधिक

क़िस्म के रेहनों का मिश्रण (मिलाव) होता है। अधिकतर रेहननामे इसी तरह हुआ करते हैं और वे रेहन "ग़ैर मामूली" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन रेहन नामों के अनुसार होने वाले अधिकारों और ज़ुम्मेदारियों का तस्फ़िया (निर्णय) फ़रीक़ैन के बीच हुए मुआहिदे से किया जाता है (देखो क़ानून इन्तक़ाल जायदाद की दफ़ा ९८, 27 M 600, 35 C L J 468 p C, 43 M 589 F B)

जब राहिन जायदाद पर क़ब्ज़ा दे देता है और किसी ख़ास तारीख़ पर रुपया अदा कर देने का वादा करता है, तो ऐसा रेहननामा सादा और दख़ली मिला हुआ रेहननामा है और ऐसी दशा में जायदाद के बय का हक़ पैदा होता है, देखो 27 M 526 F B—जब दख़ली रेहननामा बिल्कुल सादा हो, तो मुर्तहिन नीलाम के लिए नालिश दायर कर सकता है, देखो 11 M 232—जो रेहन किसी ख़ास मुद्दत मुक़र्रर के लिए किया गया हो, वह रेहन दख़ली रेहन नहीं कहा जा सकता बल्कि वह रेहन-ग़ैर मामूली है, देखो 12 A 203, 26 B 252 F B रेहन दख़ली और बशर्त बयनामा में मुर्तहिन बयबात के लिए नालिश कर सकता है जिसके लिए किसी केवल दख़ली रेहननामा में इजाज़त नहीं है, देखो 12 M 109

क़ानून मियाद का आर्टि० १३२ उस रेहन ग़ैर मामूली के सम्बन्ध में लागू होता है जिसमें रेहन दख़ली और रेहन सादा दोनों की शर्तें मौजूद हैं, देखो 2 P L T. 229

फ़रीक़ैन—तमाम ऐसे आदमी जिनको "जायदाद मरहूना" में या उस जायदाद का फ़क़ुर्रेहनी करने में कोई हक़ हासिल है उस रेहननामा के सम्बन्ध में होने वाली नालिश में फ़रीक़ बनाए जा सकेंगे।

विवरण—मुर्तहिन मावाद (मुर्तहिन दोयम) उस नालिश में पहिले मुर्तहिन को बिना फ़रीक़ बनाए हुए बयबात के लिए नालिश कर सकता है, और किसी बाद में दिए गए रेहन का फ़क़ुर्रेहनी की नालिश में पहिले मुर्तहिन को फ़रीक़ बनाने की ज़रूरत नहीं है [देखो आर्डर ३४, रूल १]

नोट—रेहननामों के सम्बन्ध में अर्ज़ीदावा तयार करते समय ज़ाबता दीवानी के जमामा (ए) के, परिशिष्ट (१) के फ़ार्म नं० ४५ और ४६ की शर्तों की तामील किया जाना निहायत ही ज़रूरी है। बय (नीलाम), बेबात या फ़क़ रेहन की नालिश उसी अदालत में दायर की जानी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह जायदाद वाक़े हो (देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १६)

आर्डर ३४, रूल १ के साथ अब जो नया विवरण जोड़ दिया गया है, उसमें अब यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली गई है जो पहिले से बहुत से मुक़द्दमों में तय की गई थी अर्थात् यह कि दूसरे रेहननामा के ऊपर की जाने वाली नालिश में पहिले मुर्तहिन का फ़रीक़ बनाया जाना ज़रूरी नहीं है (देखो 36 C 193, 1 C. L J 337, 30 C 599 F B, 29 M 84.)

ऐसे सभी लोग फरीक बनाए जाने चाहिए जिनकी जायदाद मरहूना से या हक इन्फिकाक-रेहन से कोई सम्बन्ध है। इसलिए आमतौर पर तमाम ऐसे आदमी, जिनका इन्फिकाक रेहन से और इस कारण हिसाब वगैरा के रखने से सम्बन्ध है, फिर चाहे वह बहैसियत राहिन के हो या उसे कानूनन हासिल हुए हकूक की वजह से, जैसे राहिन के हक इन्फिकाक रेहन में मुन्तकिलअलेह (Transferee) या मफ़ूजअलेह (Assignee) की हैसियत से हो उसका दीवाले का ट्रस्टी या रिसीवर (देखो आर्डर ३१, रूल १) उसके वारिस और प्रतिनिधि मुनासिब, फरीक़ हैं। आर्डर ३४, रूल १ सिर्फ मुद्दाअलेहों के सम्बन्ध में ही नहीं है बल्कि वह मुद्दई लोगों के सम्बन्ध में भी लागू होता है (देखो 41 C 727) जिस शख्स ने बाद मे जायदाद मरहूना को खरीद की हो चाहे इजरा मे की जाने वाली फरोख्त में या खानगी फरोख्त में वह एक जरूरी फरीक है (देखो 22 A 212, 21 A 235, 2 M 64—असली मालिक और बयनामीदार जरूरी फरीक़ हैं (देखो 18 A 69, 21 A 380, 24 C 34, 22 B 672) माल की कुर्की कराने वाला महाजन जरूरी फरीक़ है (देखो 23 A 467, 26 A 464, 37 M 418, 17 C W N 871)—अगर कोई ऐसा शख्स, जिसका जायदाद मरहूना में हिस्सा है, फरीक नहीं बनाया जाता है और वह बयनामा या नीलाम (फरोख्त) के पहिले जाहिर हो जाता है, तो उसको फक्करेहनी के लिए वे तमाम हकूक हासिल होगे जो उसको उस हिस्से के कारण प्राप्त हो सकते हैं। वह मुर्तहिन की ओर से अपनी डिकरी की इजरा में कराई गई नीलाम के बाद फक्करेहनी के लिए नालिश दायर कर सकता है (देखो 24 C. W N 954 P C)

जब कोई जरूरी फरीक़ छूट गया हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह आर्डर १, रूल १० (२) के अनुसार उसे फरीक़ बनाले या मुद्दई को यह हुक्म दे दे कि वह उसका नाम फरीकैन मे शामिल कर दे।

कुछ मुकद्दमों मे यह तय किया गया था, कि मिताक्षरा मे बतलाए हुए कुटुम्ब के सभी लोगों का उस मुकदमे मे फरीक बनाया जाना निहायत जरूरी है जो मुर्तहिन ने दायर किया हो (देखो 28C 517, 25A 162, 24 A 459, 41C 727, 40C 342) लेकिन इसके बाद में बहुत से मुकदमों मे यह तय किया गया है कि जब नालिश प्रतिनिधि की हैसियत मे दायर की गई हो तो बाकी लोगों का फरीक बनाया जाना जरूरी नहीं है (देखो 34 A 549 F B, 34 A 572, 36 A 383 P C, 21 C L J 452, 2 P L J 305, 71 I C 948, 63 I C 664) सम्मिलित कुटुम्ब (परिवार) का प्रबन्धकर्ता (मैनेजर) बाकी सब लोगों का प्रतिनिधि है और 41 C 727 मे जो फैसला दिया गया है उसके सम्बन्ध मे यह समझ लेना चाहिए कि वह अप्रकट रूप से 36 A 383 P C मे दिए गए फैसले से रद्द हो गया है (देखो 58 I C 849, 1 P L T 182) प्रबन्धकर्ता के बारे म विस्तार से देखो हिन्दी मे छपा हिन्दू-लॉ में मुश्तरका खानदान।

आर्डर ३४, रूल १, आर्डर १, रूल ९ के अधीन है और जो नालिश पहिले मुर्तहिन की ओर से, बिना बाद वाले मुर्तहिन को फरीक़ मुक़द्दमा बनाए, दाखिल की जायगी वह नाक़ाबिल क़ायम रहने क नहीं है, देखो 1922 (Pat) 326 अगर किसी राहिन के कुल वारिस फरीक़ मुक़द्दमा बनाए गए हैं, तो मुद्दई उन वारिसों के ऊपर जो फरीक़ मुक़द्दमा बनाये गये हैं जर रेहन की उस क़दर रक़मकी बाबत डिक्री दिला पानेके हक़दार हैं जो उन लोगोंके हिस्सेमें पड़ती है, देखो 25 C W N 594; 29 C W N 51

बयनामीदार किसी रेहननामे की बाबत नालिश कर सकता है (देखो 42 M 348 F B, 41 M 435; 36 M L J 68 P C, 29 C L J 431)

वह शख्स जो राहिन और मुर्तहिन से बढ़कर हकीयतके लिये दावेदार है जरूरी फरीक़ नहीं है। 'बढ़कर' हकीयत हासिल करनेके सवालका निपटारा ऐसी नालिशों स नहीं हो सकता देखो 40 A 584, 12 C 414 P C, 33C 425, 30 A 240; 31 A 11; 44 B 698; 31 C W N 301)

बाबत—बयबात की नालिश में (देखो आर्डर ३४ रूल २) नीलाम बय की नालिश (देखो आर्डर ३४ रूल ४), या फकरेहनीकी नालिशमें (देखो आर्डर ३४ रूल ७)—अदालत, अगर मुद्दई जीत गया है तो पहिले एक प्रारम्भिक डिकरी देगी जिसमें मुद्दाअलेह को यह हिदायत की जायगी कि वह एक मुक़र्रर मियाद के अन्दर जिसकी मुद्दत छ महीने से ज्यादा न होगी, डिकरी का रुपया अदा करके जायदादको फकरेहन करा ले। अगर उस मियादके अन्दर अदालतमें रुपया दाखिल नहीं कर दिया जाता तो मियाद की मुद्दत के अन्दर मुद्दई की ओर से दरख्वास्त दिये जाने पर अदालत कतई डिकरी दे देगी (देखो आर्डर ३४ रूल ३, ५, ८)— अगर मुद्दई या मुद्दालेह प्रारम्भिक डिकरीके बाद मर जाय तो क़ानून मियादका आर्टि० १७६ और १७७में बतलाई हुई मियाद (अर्थात ३ महीने) अन्दर उनकी जगह पर दूसरे लोगों को फरीक़ बनाए जाने के लिये जरूर दरख्वास्त दे दी जानी चाहिये नहीं तो वह मुक़द्दमा वहीं से खतम हो जायगा और फिर कतई डिकरी पाने का हक़ चला जायगा (देखो 25 C W N 595, 33 C. L J 115, 10 A 203, 68 I C 942; 50 I C 529)—छ महीने की इस मियाद का आरम्भ पहिली अदालत की डिकरी की तारीख से होगा अगर अदालतने सिर्फ अपील को खारिज कर दिया हो तो उससे नहीं देखो 25 C 311 11C W N679; 16 C W N 440

जाबता दीवानी में इस बात की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है कि कतई डिकरी देने के पहिले मुद्दाअलेह को इसकी इत्तला (नोटिस) दी जानी चाहिये। लेकिन यह उचित जान पड़ता है कि मुद्दाअलेह को ऐसी एक नोटिस अवश्य दे दी जाय ताकि अगर उसे कोई उज़्रदारी करनी हो तो वह कर सके। यह एक पक्का सिद्धान्त है कि किसी शख्स के ऊपर बिना उसे नोटिस दिए हुये कोई भी ऐसा हुक्म न दिया जाना चाहिए जिससे उसके ऊपर कोई असर पड़ता हो या उसे कोई नुकसान हो रहा हो। इसके अतिरिक्त किसी कतई हुक्मका

मशा यह होता है कि उससे राहिन को यह दिखलाने का मौका मिल सके कि प्रारम्भिक डिकरी का मतालबा अदा कर दिया गया है या नही। इसलिये कतई हुक्म के लिये दी जाने वाली दरख्वास्त इस सिद्धान्त के ऊपर कि जब कोई डिकरी किन्ही शर्तों के साथ दी गई हो तो मदियून डिकरी को पहिले से डिकरी दिये बिना डिकरी दार को इस बात के ऊपर इजरा के लिए न दे दी जानी चाहिये कि वह शर्त पूरी होगई है, राहिन के फायदे के लिये होती है देखो 10C L J 91, 100, 10 C W N 306, 9 C L J 271,32 C 250—जाबता दीवानी के जमीमा (डी) परिशिष्ट १ फार्म १० मे यह बतलाया गया है कि कतई डिकरी मुद्दई और मुद्दाअलेह के वकीलों की वार्ता को सुन लेनेके बाद दी जानी चाहिए इसलिए इस से यह मालूम होता है कि इसका मशा मुद्दाअलेह को नोटिस देने का है। इलाहाबाद मे प्रथा तो यह है कि नोटिस दिया जाय और हाई कोर्ट ने इस बात का समर्थन भी किया है देखो 82 I C 184—188

अदालतके बाहर रुपयकी अदायगी—जाबता दीवानीके आर्डर ३४ रूल २ और ४ मे "अदालत" मे रुपया अदा करनेकी हिदायत कीगई है और इसीलिए कुछ मुकदमोंमे यह तय किया गया है कि अगर अदालतके बाहर अदा किए गए रुपए के लिए आर्डर २१ रूल २ के अनुसार मियादके भीतर सार्टीफिकट नही दिया गया है तो कतई डिकरी देते समय वह माना नही जा सकता, (देखो 21 C, W N 920; 25 C L J 53, 42M 61)—लेकिन दूसरे मुकद्दमो मे यह तय किया गया है कि कतई डिकरीके लिए दीगई दरख्वास्त इजराकी कार्रवाई नही है, बल्कि एक चलते हुए मुकद्दमेमे कीगई कार्रवाई है। कतई डिकरी होनेके पहले अदालतको चाहिए कि वह उस रुपयकी तादाद जान ले जो कि वाजिबुल अदा है और वह अदालत के बाहर कीगई और तस्दीक न कीगई अदायगीको मान सकती है, (देखो 44 A 668; 668, 57 I C 473, 5 P L J 672, 2 P L J 533,)—इसमे सन्देह नही कि यह अन्तिम राय ज्यादा मजबूत मालूम होती है, क्योंकि सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी के अनुसार कतई डिकरी न दिए जाने तक कुल कार्रवाई चलते हुए मुकद्दमेमे कीगई कार्रवाई है और उसमे दीगई कतई डिकरी की दरख्वास्त इजराकी दरख्वास्त नही है, (देखो 25 C W N 595, 40 A 235

वयनातकी नालिशोंमे अदालतको समय बढ़ा सकने का अधिकार होगा, (देखो आर्डर ३४ रूल ३ की शर्त)—लेकिन नीलाम या फकरेहनकी नालिशों मे उसे ऐसा करनेका अधिकार न होगा। यद्यपि नीलाम (बय) की नालिशोंमे अदालत रिआयती दिनोंकी मुद्दत बढ़ा नही सकती, तो भी मदियून डिकरी, आर्डर २१ रूल ८९ के अनुसार रुपया जमा करके, नीलामके बाद जायदाद वापस ले सकता है, क्योंकि जाबता दीवानीकी डिकरियोंकी इजरा सम्बन्धी नियम अव-रेहनकी डिकरियोंके बारेमे, किये जाने वाले नीलामके सम्बन्धमे भी लागू होते है।

कतई डिकरी दे दिए जानेके बाद डिकरीदार आर्डर २१ के अनुसार इजरा की दरख्वास्त दे सकता है। रेहन सम्बन्धी डिकरियोमे जायदादकी कुर्की कर-

पाना जरूरी नहीं है। आर्डर ३१ में बतलाए हुए इजरा सम्बन्धी नियम अब पूरे तौर पर रेहन की डिक्रियोंमें लागू होते हैं, (देखो 37 C 907)

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि कानून इन्तकाल जायदादकी मसूख होई दफा ८९ में से इन शब्दोंके 'और इस पर मुद्दाअलेहका फक रेहनी कराने का हक और जमानत खोये जाते रहेंगे" निकाल दिये जाने से यह साफ जाहिर होता है कि आर्डर ३४ रूल ५ के अनुसार सिर्फ कतई डिक्री दिए जानेसे ही राहिन का हक चला नहीं जाता है जब तक कि सचमुच जायदाद नीलाम न हो जाय, (देखो 42 A 517, 3 P. L T 202)—इसलिए कतई डिक्रीके होते हुए भी राहिनको यह मौका मिलता है कि वह जब तक कि जायदाद नीलाम होकर जब नीलाम लोगों को तकसीम न कर दिया गया हो, रुपया जमा करके अपनी जायदाद फकरेहन करा सके, (देखो 6 5I C 801, 42 A 517, 56 I C 162)

मुद्दईकी डिक्री—इकबाली डिक्री, जिसमें किस्तवार रुपयेकी अदायगीके लिये हुक्म दिया गया हो, एक जायज रेहनी डिकरी है, लेकिन वह आर्डर ३४ रूल ५ में नहीं आती। इसलिए कतई डिकरी देनेकी जरूरत नहीं है, देखो 2 Pat 538, 72 I C 1049, 10 C L J 91, 2 Pat L T 38 और 27 C W N 621, 5 Lah L J 67, 57 I C 473, 58 I C 299, 11 C W N 1011 F B —अगर कोई ऐसी इकबाली डिकरी दीगई हो जिसमे मुद्दई को इजराके द्वारा कुल रुपया वसूल करनेका अधिकार दिया गया हो, तो इजरा के पहले नोटिस पर कतई हुक्म हासिल कर लेना चाहिए, देखो 28 C W N 550 पचायती डिक्री की इजरा बिना कतई डिकरीके भी हो सकती है देखो 2 Pat L T 694

कतई डिकरीके लिये मियाद—ऐसी दरख्वास्तमें कानून मियादका आर्टि० १८१ लागू होता है, अर्थात् कतई डिकरीके अनुसार कीगई अदायगीकी तारीखसे ३ साल की मियाद लागू होती है, देखो 39 A 641, 40A 203, 40 A 235,16 I C 794, A I R 1922 (Mad) 65, 19 C W N 470, 42 B 309, 44 M 714, 38 B 32 —मियादकी मुद्दत अदालत अपीलकी प्रारम्भिक डिकरीकी तारीखसे शुरू होती है प्रारम्भिक अदालतकी डिकरीसे नहीं। अदालत अपीलकी डिकरी प्रारम्भिक अदालतकी डिकरीसे बढ जाती है, जब कि उसने उस डिकरी को बदल दिया हो या केवल उसको स्वीकार कर लिया हो, (देखो 44 M 714, 10 A 203, 1 Pat 444, 42 I C 93, 37 C L J 453)—वह तारीख, जिसमें दरख्वास्त देने का हक पैदा होता है वह है जब रियायती मुद्दत खतम होती है देखो 4P L J 523

रेहनमें जाती डिक्री और गिरफ्तारी—जब जायदाद मरहूना के नीलाम से वसूल हुई रकम उस रुपयेको अदा करनेके लिए काफी न हो जो उस डिक्री की बाबत वाजिब है तो मुद्दई उस रुपये का जो मुद्दाअलेह से कानूनन वाजिबुल-

वसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके जिम्म (जात) के खिलाफ इजरा करा के वसूल करा लेने की डिकरी पाने का हक दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहूना को नीलाम कराले ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरख्वास्त दे सके [देखो 10 A 632, 17 C W N 1039, 51 I. C 84, 42, A 519]—ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की वाजिब तारीख़ से छ' साल की मियाद गुजर जानेके बाद दायर की गई हो (देखो कानून मियाद का आर्टि० ११६) या कानून मियाद की दफ़ा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में बढ़ाई हुई तारीख़ से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर कीगई हो (देखो 20 A, 336, 30 A 383,)—छ साल की इस मुद्दत का शुमार करने में नालिश की तारीख़ का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई दरख्वास्त की तारीख़ का नहीं (देखो 34 C. 672, 27, C 762, 12 C, 539,)। रेहन के जमानत दार पर अगर डिकरी है तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी होती है। जाती डिकरी मिलनेपर राहिन गिरफ्तार व कैद कराया जा सकता है।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तकिली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकली भी शामिल है देखो 58 I C 40 हक इन्फिकाक रेहनके खरीदार की जातके ऊपर मुर्तहिन कोई दावा नहीं रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P. C

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के वाजिबुल अदा होजाने के बाद और फकरेहनी की नालिश की तमादी खारिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिसे ऐसी नालिश दायर करने का हक है, उस रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को मुर्तहिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुर्तहिन एक तस्दीक शुदा अर्जी देगा जिस अर्जीमे उस समय वाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस वाजिब रकम की कुल बेबाकी समझते हुए मंजूर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत में दस्तावेज रेहननामा को अगर वह उस समय उसके कब्जे या अधिकार में हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरख्वास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह दस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जाबता दीवानी की दफा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ६० के अनुसार राहिन अदालत के बाहर रुपया दे सकता है। जाबता दीवानी की दफा ८३ राहिनो और उनके मुन्त

किल अलेहों को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की बावत वाजिब रुपये को अदालत में दाखिल कर सकें। अगर रुपया दाखिल करने का हक पदा हो चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर ब्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जानी चाहिये यह, वह रकम है जो रेहननामाकी बाबत वाजिब हो और उसमें उसका ब्याज भी शामिल है (देखो 16 C 307, P C)— यह रुपया बिना किसी शर्त के जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49,22B 761) — यह रुपया कई किश्तों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तहिन उस समय तक कोई नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जे को अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216, 24 A 461)—जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। इसको इसबात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुर्तहिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपएको कुल बेबाकी मतालिबा दस्तावेज समझे। इस बात में सन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्जे का कुल रुपया बेबाक नहीं होता और वह बाकी रुपये की बाबत नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती हैं, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुर्तहिन ने उस रुपये को लेकर रहननामा की बाबत वाजिब कुल रुपये की बेबाकी कर दी है या उसने वास्तव में ऐसा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कारवाई में कब्जा दिलाए जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे फरीकैन के हक पर कोई असर पड़ताहो तय किये जाने के लिये कोई हुक्म नहीदिया जा सकता। अदालत मुर्तहिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा देदेने के लिये मजबूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316)— अगर मुर्तहिन जमा किये हुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हकूक की निस्बत नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्यों का त्यों बना रहता है (देखो 21 A L J 545)— कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ९१ में उन आदमियों का वर्णन है जो फकरेहनी के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तस्फिया—कौन शख्स नालिश तस्फिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

वसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके जिस्म (जात) के खिलाफ इजरा करा के वसूल करा लेने की डिकरी पाने का हक़ दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहूना को नीलाम करादे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरखवास्त दे सके [देखो 10 A, 632, 17 C W N 1039, 51 I C. 84, 42, A 519]— ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की वाजिब तारीखसे छ साल की मियाद गुजर जानेके बाद दायर की गईहो (देखो कानून मियाद का आर्टि० ११६) या कानून मियाद की दफ़ा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में बढ़ाई हुई तारीख से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर कीगई हो (देखो 20 A, 336, 30 A 383,)—छः साल की इस मुद्दत का शुमार करने मे नालिश की तारीख का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई दरखवास्त की तारीख का नहीं (देखो 34 C 672, 27, C 762, 12 C, 339,) । रेहन के जमानत दार पर अगर डिकरी हैं तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी देती है। जाती डिकरी मिलनेपर राहिन गिरफ्तार व कैद कराया जा सकता है ।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तकिली (Assignment) मे आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकली भी शामिल है देखो 58 I C, 40 हक़ इन्फिकाक रेहनके खरीदार की जात के ऊपर मुर्तहिन कोई दावा नहीं रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P. C

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के वाजिबुल अदा होजाने के बाद और फक़्रेहनी की नालिश की तमादी खारिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिसे ऐसी नालिश दायर करने का हक़ है, उस रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को मुर्तहिनके हिसाब मे अदालतमें जमा कर सकता है।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुर्तहिन एक तस्दीक शुद अर्जी देगा जिस अर्जीमे उस समय वाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस वाजिब रकम की कुल बेबाकी समझते हुए मंजूर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत मे दस्तावेज रेहननामा को अगर वह उस समय उसके कब्जे या अधिकार मे हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरख्वास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह दस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जाबता दीवानी की दफ़ा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफ़ा ६० के अनुसार राहिन अदालत से बाहर रुपया दे सकता है। जाबता दीवानी की दफ़ा ८३ राहिनो और उनके मुन्त

किल मुर्तहिनों को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को अदालत में दाखिल कर सकें। अगर रुपया दाखिल करने का हक़ पैदा हो चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर ब्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जानी चाहिये यह, वह रकमहै जो रेहननामाकी बाबत वाजिब हो और उसमें उसका ब्याज भी शामिल है (देखो 16 C 807; P C)— यह रुपया बिना किसी शर्त के जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49,22 B 761) – यह रुपया कई किश्तों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तहिन उस समय तक कोई नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जे को अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216 24 A 461)—जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इसबात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुर्तहिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपए को कुल बेबाकी मतालिबा दस्तावेज समझे। इस बात में सन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्जे का कुल रुपया बेबाक नहीं होता और वह बाकी रुपये की बाबत नालिश करने का अपना हक़ बनाये रखता है ?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती है, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुर्तहिन ने उस रुपये को लेकर रेहननामा की बाबत वाजिब कुल रुपये की बेबाकी कर दी है या उसने वास्तव में ऐसा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में कब्जा दिलाए जाने या किसी दूसरे मदन के जिससे फरीकैन के हक़ पर कोई असर पड़ताहो तय किये जाने के लिये कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। अदालत मुर्तहिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा देदेने के लिये मजबूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316)— अगर मुर्तहिन जमा किये हुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हक़ की निस्बत नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्यों का त्यों बना रहता है (देखो 21 A L J 545)— कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ९१ में उन आदमियों का वर्णन है जो फकरेहनी के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तस्फिया—कौन शख्स नालिश तस्फिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

वसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके जिस्म (जात) के खिलाफ इजरा करा के वसूल करा लेने की डिकरी पाने का हक़ दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहूना को नीलाम करावे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरख्वास्त दे सके [देखो 10 A, 632, 17 C W N 1039; 51 I C 84, 42, A. 519]— ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की वाजिब तारीखसे छः साल की मियाद गुजर जानेके बाद दायर की गईहो (देखो कानून मियाद का आर्टि० ११६) या कानून मियाद की दफ़ा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में बढ़ाई हुई तारीख़ से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर कीगई हो (देखो 20 A, 336, 30 A 383,)—छ. साल की इस मुद्दत का शुमार करने में नालिश की तारीख़ का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई दरख्वास्त की तारीख़ का नहीं (देखो 34 C 672, 27, C 762, 12 C, 539,) । रेहन के जमानत दार पर अगर डिकरी है तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी होती है । जाती डिकरी मिलनेपर राहिन गिरफ्तार व कैद कराया जा सकता है ।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तकिली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकली भी शामिल है देखो 58 I C. 40 हक़ इन्फिकाक रेहनके खरीदार की जातके ऊपर मुर्तहिन कोइ दावा नही रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P. C

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के वाजिबुल अदा होजाने के बाद और फकूरेहनी की नालिश की तमादी खारिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिसे ऐसी नालिश दायर करने का हक़ है, उस रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को मुर्तहिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है ।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुर्तहिन एक तस्दीक शुदा अर्जी देगा जिस अर्जीमें उस समय वाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस वाजिब रकम की कुल बेबाकी व मंजूर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत में दस्तावेज रेहननामा को अगर वह उस समय उसके कब्जे या अधिकार में हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरख्वास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह दस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जाबता दीवानी की दफ़ा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफ़ा ६० के अनुसार राहिन अदालत के बाहर रुपया दे सकता है । जाबता दीवानी की दफ़ा ८३ राहिनों और उनके मुन्त

किल अल्हेहो को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को अदालत में दाखिल कर सके। अगर रुपया दाखिल करने का हक पैदा हो चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर ब्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जानी चाहिये वह, वह रकम है जो रेहननामाकी बाबत वाजिब हो और उसमें उसका ब्याज भी शामिल है (देखो 16 C 307, P C)— यह रुपया बिना किसी शर्तके जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49;22B 761) — यह रुपया कई किश्तों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तहिन उस समय तक कोई नोटिस लेनेके लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जेको अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216, 24 A 461)—जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इसबात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुतहिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपएको कुल बेबाकी मताल्लिका दस्तावेज समझे। इस बात में सन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्जे का कुल रुपया बेबाक नहीं होता और वह बाकी रुपये की बाबत नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती है, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुर्तहिन ने उस रुपये को लेकर रेहननामा की बाबत वाजिब कुल रुपये की बेबाकी कर दी है या उसने वास्तव में ऐसा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में कब्जा दिलाए जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे फरीकैन के हकूक पर कोई असर पड़ताहो तय किये जानेके लिये कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। अदालत मुतहिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा देदेने के लिये मजबूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316)— अगर मुर्तहिन जमा किये हुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हकूक की निस्बत नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्यों का त्यों बना रहता है (देखो 21 A L J 545)— कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ९१ में उन आदमियों का वर्णन है जो फक्करेहनी के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तस्फिया—कौन शख्स नालिश तस्फिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

दूसरी और बातों के लिये जो नालिश तस्फिया के अर्जीदावा में लिखी जानी चाहिये देखो जाबता दीवानी का आर्डर ३५ रूल १।

विस्तृत जाब्ते के लिये देखो आर्डर ३५ के रूल २ से ६ तक।

विशेष अवस्था—अदालत की राय के लिये मुकद्दमों को भेज देने के अधिकार के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३६ रूल १ से ५।

दस्तावेजात काबिल बय व रेहन वगैरह के ऊपर की जाने वाली सरसरी कार्रवाई—बिल आफ एक्सचेन्ज (हुण्डियों) या प्रामिसरी नोटों के ऊपर की जाने वाली नालिशों में की जाने वाली सरसरी कार्रवाई के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३७ रूल १-७।



प्रासंगिक कार्यवाही



कमीशन—कोई भी अदालत निम्नलिखित नीचे कामोंके लिये कमीशन जारी कर सकती है—

(क) किसी शख्सके बयान लेनेके लिये, (ख) किसी मौके की तहकीकात करने के लिये, (ग) हिसाब की जांच करने या उसे ठीक करने के लिये, या (घ) बटवारा करने के लिये (देखो दफा ७५)। इसका विस्तृत जाबता, जाबता दीवानी के आर्डर २६ मे बतलाया गया है।

आर्डर २६ के अनुसार नियुक्त किए गए कमिश्नरो के अधिकार क्या है इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६ रूल १६,१७, १८। कमीशन का खर्चा कमीशन जारी होनेसे पहिले नियत रुपये के भीतर अदालतमें जमाकर दिया जाना चाहिये (देखो आर्डर २६ रूल १५)—जाबता दीवानीकी दफा ३६के अनुसार कमिश्नर का खर्चा अदा करने के सम्बन्ध म दिये हुए अदालत के हुक्म की इजरा बतौर डिकरी के कराई जासकती है (देखो 28 C W. N 187; 10 C W N 234) मुआविजा सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा उस जज को करना चाहिये जिसकी अदालत मे मुकद्दमा चलता हो। जिला जज को कोई अधिकार नही है कि वह किसी ऐसे कमिश्नर द्वारा तलब किये गये मुआविजाके किसी हिस्से को नामजूर कर दे जो किसी सब जज की अदालत मे चलने वाले मुकद्दमे मे नियुक्त किया गया हो, देखो 44 I C 496

गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन—कोई भी अदालत किसी मुकद्दमे मे पूछे गए प्रश्नों (सवालात) अथवा अन्य बातो के सम्बन्ध मे नीचे लिखे आदमियो के बयान लेने के लिए कमीशन जारी कर सकती—

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतरका रहने वाला है या जो अदालतमे हाजिरासे बरी कर दिया गया है या जो बीमारी अथवा निर्बलता (कमजोरी) के कारण हाजिर होनेमे असमर्थ है (देखो आर्डर २६, रूल १)

किसी भी ऐसे शख्सके लिये जो उसके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो,

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उस तारीख के पहिले ऐसी सीमा को छोड़ने वाला हो जिस तारीख को अदालत मे उसके बयान लिए जाने को है,

सरकार के किसी भी मुल्की या फौजी अफसर के लिये, जो सरकारी कार्य को क्षति पहुचाए बिना अदालत मे हाजिर नही हो सकता (देखो आर्डर २६, रूल ३)

अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कमीशन किसी भी ऐसे शख्स के पास भेजा जा सकता है जिसे अदालत प्राण दण्ड देना उचित समझती है (देखो

दूसरी और बातों के लिये जो नालिश तस्फिया के अर्जीदावा मे लिखी जानी चाहिये देखो जाबता दीवानीका आर्डर ३५ रूल १।

विस्तृत जाबते के लिये देखो आर्डर ३५ के रूल २ से ६ तक।

विशेष अवस्था—अदालत की राय के लिये मुकद्दमें को भेज देने के अधिकार के सम्बन्ध मे देखो आर्डर ३६ रूल १ से ५।

दस्तावेजात काबिल बय व रेहन वगैरहके ऊपरकी जाने वाली सरसरी कार्रवाई—बिल आफ एक्सचेन्ज (हुण्डियों) या प्रामिसरी नोटोंके ऊपरकी जाने वाली नालिशों में की जाने वाली सरसरी कार्रवाई के सम्बन्धमे देखो आर्डर ३७ रूल १-७।

प्रासंगिक कार्यवाही



कमीशन—कोई भी अदालत किसे नीचे कामोंके लिये कमीशन जारी कर सकती है —

(क) किसी शख्सके बयान लेनेके लिये, (ख) किसी मौके की तहकीकात करने के लिये, (ग) हिसाब की जाच करने या उसे ठीक करने के लिये, या (घ) बटवारा करने के लिये (देखो दफा ७५) । इसका विस्तृत जाबता, जाबता दीवानी के आर्डर २६ मे बतलाया गया है।

आर्डर २६ के अनुसार नियुक्त किए गए कमिश्नरो के अधिकार क्या है इस सम्बन्ध मे देखो आर्डर २६ रूल १६,१७, १८। कमीशन का खर्चा कमीशन जारी होनेसे पहिले नियत रुपये के भीतर अदालतमे जमाकर दिया जाना चाहिये (देखो आर्डर २६ रूल १५)—जाबता दीवानीकी दफा ३६के अनुसार कमिश्नर का खर्चा अदा करने के सम्बन्ध म दिये हुए अदालत के हुक्म की इजरा बतौर डिकरी के कराई जासकती है (देखो 28 C W N 187;10C W N 234) मुआविजा सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा उस जज को करना चाहिये जिसकी अदालत मे मुकद्दमा चलता हो। जिला जज को कोई अधिकार नही है कि वह किसी ऐसे कमिश्नर द्वारा तलब किये गये मुआविजाके किसी हिस्से को नामजूर कर दे जो किसी सब जज की अदालत मे चलने वाले मुकद्दमे मे नियुक्त किया गया हो, देखो 44 I C 496

गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन—कोई भी अदालत किसी मुकद्दमे मे पूछे गए प्रश्नों (सवालात) अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध मे नीचे लिखे आदमियो के बयान लेने के लिए कमीशन जारी कर सकती —

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतरका रहने वाला है या जो अदालतम हाजिरीसे बरी कर दिया गया है या जो बीमारी अथवा निर्बलता (कमजोरी) के कारण हाजिर होनेमे असमर्थ है (देखो आर्डर २६, रूल १)

किसी भी ऐसे शख्सके लिये जो उसके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो,

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उस तारीख के पहिले ऐसी सीमा को छोडने वाला हो जिस तारीख को अदालत मे उसके बयान लिए जाने को है,

सरकार के किसी भी मुल्की या फौजी अफसर के लिये, जो सरकारी कार्य को क्षति पहुचाए बिना अदालत मे हाजिर नही हो सकता (देखो आर्डर २६, रूल ३)

अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कमीशन, किसी भी ऐसे शख्स के पास भेजा जा सकता है जिसे अदालत प्राण-दण्ड देना उचित समझती हो (देखो

आर्डर २६ रूल ३)—अदालत के अधिकार-क्षेत्र से बाहर के स्थानों के लिए कमीशन किसी भी अदालत को भेजा जा सकता है जो कि हाईकोर्ट नहीं है और जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह रहता है, या किसी वकील अथवा दूसरे आदमी के पास भेजे जा सकते हैं जिसे कमीशन जारी करने वाली अदालत नियत करे (देखो आर्डर २६, रूल ४)

ब्रिटिश भारत के बाहर गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में देखो रूल ५

कमीशन के द्वारा बयान लिए जाने के लिए हुक्म, अदालत या तो अपनी मर्जी से दे सकती है या किसी फरीक, या गवाह के दरख्वास्त देने पर, जिसका समर्थन, हलफनामा से या और किसी तरह पर किया गया हो (देखो आर्डर २६, रूल २)

कमीशन के बाकायदा काम कर चुकने के बाद, उसे गवाहों के बयानों के सहित उस अदालत को वापस कर देना चाहिए, जहां से कि वह जारी किया गया था और वे बयानात उस मुकद्दमे की मिसिल का हिस्सा समझे जायगे (देखो आर्डर २६, रूल ७)।

जो शहादत कमीशन के द्वारा ली गई है, वह उस मुकद्दमे में क्यों बतौर शहादत के पढ़ी जायगी, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६, रूल ८

जो लोग अदालत में असालतन हाजिर होने से मुस्तसना हैं उनमें वे स्त्रियां (औरतें) भी हैं जो देश की प्रथा और वहां के व्यवहार के अनुसार सर्व साधारण के सामने बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती (देखो जाबता दीवानी की दफा १३२) । कमिश्नर को चाहिए कि वह किसी बयान को उसी भाषा में लिखले जिसमें कि वह दिया गया है।

इस सम्बन्ध में आर्डर १६, रूल १९ के नियम स्मरण रखने चाहिए जिनमें यह बताया गया है कि किसी भी गवाह को असालतन हाजिर होने का हुक्म न दिया जायगा जब तक कि वह अमुक सीमा के भीतर का रहने वाला न होगा।

गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशनों के जारी किए जाने और उनकी वापसी सम्बन्धी नियम, उन कमीशनों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो बाहरी (विदेशी) अदालतों द्वारा जारी किए गए हों (देखो जाबता दीवानी की दफा ७८ और आर्डर २६, रूल ५)

जब किसी कमीशन के सामने कोई दस्तावेज पेश किया गया हो और उसके काबिल तस्लीम होने के बारे में कुछ भी एतराज न किया गया हो, तो मुकद्दमे की समाअत करने वाली अदालत के सामने ऐसा कोई भी एतराज न पेश किया जा सकेगा, देखो 6 C L R 109 —लेकिन अगर किसी बिना के ऊपर कमीशन के सामने उसके काबिल तस्लीम होने के सम्बन्ध में, कोई एतराज

किया जाता है तो उस शख्स को मुकद्दमे की समाअत के समय किसी दूसरी बिना के ऊपर एतराज करने की मनाही न होगी (देखो 9 C 939)

कमीशन के द्वारा लीगई शहादत उस समय भी शहादत समझी जायगी, जब वह समाअत करने वाली अदालत के सामने पेश हो यद्यपि वह बाजाब्ता तौर पर पेश और पढ़ी न भी गई हो, देखो 26 C 591; 9 C W N 794, 13 C W N 325, 36 C 566, 35 C 28, 18 C L J 150.

कमिश्नर किसी फरीक के एतराज करने पर किसी भी सवाल को नामंजूर नहीं कर सकता, लेकिन उसे उस एतराज को लिखलेना चाहिए, देखो 11 C W N 305 —अदालत अपने न्याय सम्बन्धी अधिकार कमिश्नर को नहीं दे सकती, देखो 15 C L J 17

किसी मुद्दई की ओर से स्वय उसके बयान लिए जाने के लिए कमीशन जारी करने की दरख्वास्त में और मुद्दाअलेह की ओर से स्वयं उसके बयान लिए जाने के लिए दी गई दरख्वास्त मे अन्तर है। मुद्दाअलेह की बातों पर उसी प्रकार कार्रवाई नहीं की जायगी जिस प्रकार कि मुद्दई की बातों पर जिसने अपनी अदालत चुनली, देखो 35 C L J 78,57 I C 955 —मुद्दाअलेह के यह कहने पर कि, मेरा गवाह, जो एक पर्दानशीन औरत है, उसके बयान उसी स्थान पर लिए जाय जहां पर मैं बतलाऊं या जहां पर कि वह कमीशन जारी किए जानेके समय उपस्थित हो। तय हुआ कि उसे ऐसा कहनेका अधिकार नहीं है, देखो 48 C. 448 —पर्दा नशीन औरतों का कमीशनके द्वारा उनके बयान लिए जाने का अधिकार इसलिए नष्ट नहीं होता कि कुछ अवसरों पर उन्होंने पर्दा का नियम भङ्ग कर दिया है, देखो 16 C W N 300 यही बात एक बड़े घराने की ऐसी स्त्री के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसने पर्दा तोड़ दिया है, देखो 22 C W N 147 —पर्दा नशीन औरतों को अपने रहन सहन का ढङ्ग पूरा पूरा बदल लेने का अधिकार है। जब इस प्रकार परिवर्तन हो जाय, तो वह जाब्ता दीवानी की दफा १३२ में बतलाए हुए अदालत में हाजिर न होने के अधिकार की निस्बत, बतौर अधिकार के कोई दावा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह वास्तव में एक पर्दा नशीन औरत है, तो उसका अधिकार इसलिए नहीं चला जाता कि वह इससे पहिले एक फौजदारी मुकद्दमे मे हाजिर हो चुकी है, देखो 45 C 697, 22 C W N 197, 26 C 650, 26 C 651, [illegible] C W N 753 —पर्दा नशीन औरतों की तरह रहने वाली औरतें वही हक नहीं रखती जो कि पर्दा नशीन औरतें रखती हैं। (Quasi Pardanoslun) के अर्थ के लिए देखो 5 C W N 1 P C

मुकामी तहकीकातके लिये कमीशन—अगर अदालत को मुकामी तहकीकात की जरूरत मालूम हो, तो वह किसी ऐसे मामले की जाच करने के लिए जिसकी निस्बत झगड़ा है, अथवा किसी जायदाद की बजारू कीमत या किसी वासिलात या नुकसान या असल सालाना मुनाफा की रकम तय करने के लिए, कमीशन जारी कर दे (देखो आर्डर २६, रूल ९)

कमिश्नर की रिपोर्ट और वह शहादत, जो उसने ली है (बिना रिपोर्ट के खाली शहादत नही) मुकद्दमे मे शहादत होगी। फरीकैन मे से कोई भी खुली अदालत मे कमिश्नर के बयान ले सकता है। जब रिपोर्ट असन्तोष जनक हो, तो अदालत और भी जांच करने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर २६, रूल १०)

अदालत किसी भी जायदाद या चीज का मुलाहिजा कर सकती है, जिसके सम्बन्ध मे कोई प्रश्न उठ खडा हो (देखो आर्डर १८, रूल १८)

इस वर्तमान रूल के अनुसार जज बिना अपनी असुविधाओं का ख्याल किए कमीशन जारी कर सकता है। आर्डर २६, रूल ९ जज द्वारा किसी मौके का मुलाहिजा किए जाने की मनाही नही करता, देखो *44 M. 640*—आर्डर १८, रूल १८ एक नया रूल है और वह अदालत को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी समय मौके की जांच करे इस सम्बन्ध मे देखो कानून शहादत की दफा ६० की शर्त। मौके की तहकीकात के लिए कमीशन प्राय आराजी की पैमाइश करने अथवा नकशे तैयार करने के अभिप्राय से जारी किए जाते है।

मौके का मुलाहिजा करने का उद्देश्य, उस प्रश्न को समझना है, जो कि उठाया गया है और उसकी निस्बत शहादत का लेना और उसकी जाच करना है। लेकिन कोई फैसला अकेले मौके की तहकीकात से मालूम हुई बातो के ही आधार पर नही दे दिया जाना चाहिए, देखो 39 I C 60, 58 I C 909, 61 I C 794, 61 I C 712 मौके की तहकीकात से जो कुछ भी बातें मालूम हो उन्हे दर्ज कागजात कर देना चाहिए, देखो 16 C W N 426.

हिसाब-किताब की जाच करनेके लिए जारी किया गया कमीशन—अदालत हिसाब किताब की जाच और उसके ठीक करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है (देखो आर्डर २६, रूल ११)—अदालत कमिश्नर को आवश्यक कागजात और ऐसी हिदायतें दे देगी जो उसे आवश्यक जान पडेगी (देखो आर्डर २६, रूल १२)

किसी माली लिखा पढी (मामले) में हिसाब किताब तैयार करने के लिए की गई नालिश में अदालत, कृतई डिकरी देने के पहिले, एक प्रारम्भिक डिकरी दे देगी जिसमे वह हिसाब किताब तैयार करने के लिए हिदायत करेगी (देखो आर्डर २०, रूल १६)

साझेदारी के मुकद्दमों मे तथा प्रबन्ध सम्बन्धी मुकद्दमों में अदालत हिसाब किताब तैयार करने की हिदायत कर सकती है (देखो आर्डर २०, रूल १५, १३)

अदालत को अधिकार है कि वह डिकरी द्वारा या इसके बाद किसी हुक्म के द्वारा, उस तरीके के सम्बन्ध मे खास हिदायतें कर सकती है जिस तरीके से कि हिसाब-किताब तैयार किया जाना चाहिए (देखो आर्डर २०, रूल १७)

प्रबन्ध सम्बन्धी और साझेदारी के मुकद्दमों में दी जाने वाली डिकरियों के फार्म के सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी का जमीमा (डी)

बटवारा कराने के लिए कमीशन—जबकि डिकरी किसी ऐसी मुस्तरका इलाके के बटवारे या अलग कब्जे की बाबत दीगई हो जिसपर सरकार को अदा की जाने वाली मालगुजारी बांधी गई है, तो बटवारा कलक्टर करावेगा (देखो आर्डर २०, रूल १८)—अगर डिकरी किसी दूसरी जायदाद गैर मनकूला या जायदाद मनकूला के सम्बन्ध में हो, तो अदालत एक प्रारम्भिक डिकरी दे सकती है जिसमें वह उस जायदाद में हक रखने वाले तमाम लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में घोषणा कर सकती है (देखो आर्डर २०, रूल १८)

प्रारम्भिक डिकरी दे दिए जाने के बाद अदालत ऐसे शख्स के नाम कमीशन जारी कर सकती है जिसे वह बटवारा कर सकने के योग्य समझती हो, (देखो आर्डर २६, रूल १३)

आवश्यक जांच कर लेने के बाद कमिश्नर, अदालत द्वारा बतलाए गए ढंग से जायदाद का बटवारा कर देगा, और, अगर उसे ऐसा अधिकार दिया गया है, तो वह हिस्सों की मालियत बराबर करने के लिए रुपया भी दिलवा सकता है। कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद, जिसमें नाप जोख करके और सीमा (हद) निश्चित करके बटवारा किए जाने की बात हो, अदालत, उज्रदारी, अगर कोई हो तो, सुन लेने के बाद उसे मंजूर कर लेगी, बदल देगी या रद्द कर देगी। अगर रिपोर्ट रद्द कर दीजाय, तो एक नया कमीशन जारी किया जा सकता है (देखो आर्डर २६, रूल १४)

जब कोई ऐसा फरीक, जिसे प्रारम्भिक डिकरी से हानि पहुंचती है उस डिकरी के विरुद्ध अपील नहीं करता है, तो किसी ऐसी अपील में, जो कि कतई डिकरी के विरुद्ध की गई हो, उसके सही होने के सम्बन्ध में, आपत्ति करने का उसे अधिकार न होगा (देखो दफा ९७)—बटवारे की डिकरी स्टाम्प लगे हुए कागज के ऊपर लिखी जानी चाहिए, जैसा कि स्टाम्प ऐक्ट (नं० २ सन् १८९९ ई०) के परिशिष्ट १ के आर्टि० ४५ और दफा २ (१५) में बतलाया गया है (देखो 32 C 483, 29 B 366)

हलफनामा—अदालत को अधिकार है कि वह किसी समय यह हुक्म दे देवे कि कोई बात या कोई बातें हलफनामा के जरिये साबित की जाय (देखो आर्डर १९, रूल १)

जाबता दीवानी के अनुसार दाखिल किए जाने वाले हलफनामा में (क) कोई भी अदालत या मजिस्ट्रेट या (ख) कोई अफसर अथवा दूसरा आदमी जिसे हाईकोर्ट इस काम के लिए नियत करे या (ग) कोई अफसर जिसे किसी दूसरी अदालत ने मुकर्रर किया हो, स्थानीय सरकार की ओर से अधिकार दिए जाने पर, बयान देने वाले शख्स को हलफ दिला सकता है (देखो दफा १३९)

हलफनामा दाखिल करने वाले शख्स की, उसके ऊपर जिरह किए जाने के लिए, हाजिरी का हुक्म दिए जाने और इस बात का हुक्म दिए जाने के

यह कि किसी मुकद्दमें के विषय मे अथवा किसी दावा के हिस्से के लिये नये सिरे से नालिश दायर करने की इजाजत देने के लिए काफ़ी वजहे है, तो उसे अधिकार है कि वह, ऐसी शर्तो पर जिन्हे कि वह मुनासिब समझे, मुकद्दमा से अलग होजाने या उसके किसी हिस्से को छोड देने की इजाजत दे दे और उन्हे नए सिरे से नालिश दायर करने का अधिकार भी दे देवे।

(३) अगर कोई मुद्दई सब रूल (२) के अनुसार आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई मुकद्दमा वापस ले ले या उसे छोड़ दे, तो वह उन बातों के सम्बन्धमे या दावा के ऐसे हिस्से के सम्बन्ध मे नए सिरे से नालिश दायर न कर सकेगा।

(४) इस रूल मे कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो अदालत को यह अधिकार देती हो कि वह कई एक मुकद्दमों मे से किसी एक शख्स को, बिना बाकी आदमियो की स्वीकृति लिए, मुकद्दमा उठा लेने की इजाजत दे सके (देखो आर्डर २३, रूल १)

विवरण—सब रूल (१) मे मुकद्दमे के उठा लेने की बात का जिक्र है। अगर मुद्दई बिना इस इरादे के, कि वह फिर नए सिरे से नालिश दायर करे, मुकद्दमा उठा लेना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से ही ऐसा कर सकता है। इस के लिए उसे सब रूल (१) मे अधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध मे अदालत की इजाजत लेने की जरूरत नही है। सब रूल (२) मे मुकद्दमे से अलग होजाने की बातका जिक्र है। अगर मुद्दई मुकद्दमसे अलग होजाना चाहता है, इसलिए कि वह नया मुकद्दमा दायर कर सके, तो उसे चाहिए कि वह सब रूल (२) के अनुसार इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे (देखो 32B 345)

अदालत को इसबात का कोई भी अधिकार नही है कि आर्डर (२३) रूल १ के अलावा मुकद्दमे से अलगहो जानेकी इजाजत दे सके, (देखो 13 M I A 160)—नया मुकद्दमा दायर करनेका अधिकार देतेहुए किसी शख्सको मुकद्दमे से अलग हो जाने की इजाजत दे सकने का अधिकार अदालत को उसी वक्त है जब कि मुकद्दमे मे सब रूल (२) के क्लॉज (क) और (ख) मे बतलाए हुए नुक़्स मौजूद हों। अदालत को मुकद्दमे से अलग हो जाने की इजाजत देने का अख्त्यार उस समय न होगा जबकि,

(क) मुकद्दमे मे कोई जाबते की कमी न रह गई हो या,

(ख) उसी तरह की दूसरी काफ़ी वजहे मौजूद नहीं (देखो 46I C 179)

यह तय किया गया है कि "दूसरी काफी वजहे" शब्दोंका अर्थ क्लॉज (क)की किस्मकी वजहे समझना चाहिए अर्थात क्लॉज (ख) मे बतलाई गई वजहे उसी किस्मकी होनी चाहिए जिस किस्मकी वजहे क्लाज (क) मे बतलाई गई है देखो 25 C L J 454, 46 I C 181, 48 I C 197, 61 I C 639

आर्डर २३ रूल १ का उद्देश्य यह यही है, कि उस समय मुकद्दमा उठानेकी इजाजत दी जाय जब कि मुद्दई मुनासिब तवज्जेह और मेहनत के साथ

मुकदमें की पैरवी कर सकने में नाकामयाब रहा हो और जब कि उसके गवाह उसके दावा का समर्थन न कर सकते हों ताकि मुद्दई को फिरसे मुकद्दमा चलाने का मौका मिल सके (देखो 16 C W N 1027, 35 I C 843, 11 A L J 733, 46 I C 179)--सिर्फ यों ही ऐसा कह देना कि जाबते की कुछ कमी (नुक्स) रह गई है, काफी न होगा। इस बात को जहां तक साफ साफ होसके जाहिर कर देना चाहिए और अदालत को इस बातका इतमीनानहो जाना चाहिये कि वास्तव में ऐसा कोई नुक्स मुकद्दमे मे मौजूद है (देखो 64 I C 556, 48 I B 197; 16 I C 179)—अदालत के लिए यह जरूरीहै कि वह मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमे से अलग होने की इजाजत देते समय अपने ऐसा करने के कारण लिख दे देखो 39 C L J 37

लेकिन अगर कोई अदालत गैर मुनासिब तरीके से मुकद्दमा उठालेने या मुकद्दमेसे अलग होजाने की इजाजत दे, तो जिस अदालतमे बादको कोई नालिश दायर की जाय उसको यह अधिकार नही है कि वह फैसले के सही होने की निस्बत कोई एतराज कर सके या इसबात पर विचार कर सके कि वास्तव में कोई जाबते का नुक्स मौजूद था या नही । वह फैसला चाहे गलत हो या सही, उस समय तक अवश्य मान्य होगा जब तक कि रद न कर दिया जाय, देखो 48 C 138, 24 C W N 723, 65 I C 704, 64 I C 387

जब कि मुद्दई इस बात के लिये दरख्वास्त दे कि उसे मुकद्दमा उठा लेने की इजाजत दी जाय, और नये सिरे से मुकद्दमा दायर करने का भी अधिकार दिया जाय और अदालत की यह राय हो कि इसके लिये कोई काफी वजह नही है तो उचित मार्ग यह है कि दरख्वास्त खारिज करदी जाय और किसी ऐसे हुक्मसे मुकद्दमेका फैसला नहो जायगा जिसमे मुकद्दमा उठा लेनेकी इजाजत तो दीगई हो पर नया मुकद्दमा दायर करने की इजाजत न दी गई हो (देखो 20 C W N 1011, 32 Bom 345)

अदालत अपील किसी ऐसे मुद्दई को जिसका मुकद्दमा खारिज कर दिया गया है, इस इजाजत के साथ मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमे से अलग हो जानेकी इजाजत दे सकती है कि वह फिर नया मुकद्दमा दायर कर सके (देखो 8 A 82 11 M 322, 14 W R 17, 20 W R 163, 37 A 326)। 27 M L J 211 म इससे भिन्न मत प्रकट किया गया है।

आर्डर २३ रूल १ डिकरियों की इजरा की दरख्वास्त के सम्बन्ध मे लागू नहीं होता देखो 17 All 106 P C

अदालत इस हुक्म के साथ मुकद्दमा उठा लिए जाने या उससे अलग हो जाने की इजाजत दे सकती है कि नया मुकद्दमा सिर्फ उसी समय दायर किया जा सकेगा जबकि पहिले खर्चा अदा कर दिया जाय। उसे चाहिये कि वह एक मियाद मुकर्रर कर दे और इस बात का हुक्म दे देवे कि अगर इस मियाद के अन्दर खर्चा अदा न कर दिया जायगा तो मुकद्दमा खारिज समझा जायगा।

लेकिन अगर कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है तो बाद में खर्चा अदाकर देने से इस बेकायदगी की बात दूर हो जाती है (देखो 31 C 965, 44 I C 79) अदालत को यह अधिकार है कि वह खर्चे की अदायगी के लिये मुकर्रर किए हुए समय को बढा सके देखो 29 M 370, 10 C W N 8

मुकद्दमे में राजीनामा—जब यह बात साबित हो जाय कि किसी कानूनी इकरारनामा या राजीनामासे किसी मुकद्दमेके कुल या एक अंशके निवस्त तस्फिया हो गया है या जब मुद्दाअलेह, मुद्दई को मुकद्दमे के कुल या कुछ हिस्से का मतालिया अदा कर दे तो अदालत यह हुक्म दे देगी कि ऐसा इकरार नामा राजीनामा या अदायगी मतालिबा की बात मिसिल मे दर्ज करली जाय और जहा तक उसका सम्बन्ध उस मुकद्दमे से है उसके अनुसार डिकरी देदेगी (देखो आर्डर २३ रूल ३)

यह रूल ऐसे मुकद्दमो के लिए तैयार किया गया था जहा पर फरीकैन के दरम्यान कोई कानूनी राजीनामा होजाने के बाद उनमें से किसी शख्स ने उन शर्तों के मानने से इन्कार कर दी हो। ऐसी दशा मे अदालत को यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध मे एक और तनकीह तैयार करे कि, क्या कानूनी राजीनामा हुआ है या नही ? (देखो 19 M 419)—जब कि फरीकैन ने किसी इकरारनामा के जरिये मुकद्दमे का तस्फिया कर लिया हो, तो अदालत उसके अनुसार डिकरी दे सकती है, फिर चाहे उनमे किसी फरीक को इस बात मे एतराज न हो कि राजीनामा मंजूर कर लिया गया है (देखो 24 C 908 F B,, 1 C W N 597, 21 C W.N. 366)

किसी वकील या मुख्तार को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मवक्किल की तरफ से, बिना उसकी लिखित आज्ञा के, किसी मुकद्दमे में राजीनामा कर ले, देखो 21 Mad 274 —बिना अदालत की इजाजत लिए जो साफ तौर पर मुकद्दमे की मिसिल मे दर्ज करली जायगी, किसी भी मुकद्दमे मे नाबालिग की ओर से राजीनामा न किया जा सकेगा (देखो आर्डर ३२, रूल ७, 9 C 810, 17 All 531)—वह वली, जिसको विलायत (वली होने) का सार्टीफिकट दे दिया गया है बिना अदालत की इजाजत के राजीनामा कर सकता है, देखो 8 C L J 266 —यही बाते उस वली के सम्बन्ध मे है जो कोर्ट आफ वार्डस की तरफ से मुकर्रर किया गया हो, देखो 25 C W N 797 P C

यह आवश्यक नही है कि उसे शहादत मे कुबूल किए जाने के काबिल बनाने के लिए किसी राजीनामा की रजिस्ट्री कराई जाय (देखो 2 C W N 660, 47 C 485, 57 I C 751)—रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ किसी अदालत की मुनासिब कार्रवाई के सम्बन्ध मे लागू नही होती, चाहे वह प्लीडिंग हों या वे हुक्म हों जो अदालत ने दिए हैं, देखो 20 All 171 P C, 34 C 837, 34 C 456, 62 I C 653 —अगर वह राजीनामा किसी ऐसी जायदाद से सम्बन्ध रखता है जिसका जिक्र मुकद्दमे मे नही है तो, उस जायदाद

की निस्बत दर्क़ीयत पैदा करने की गरज से, उस राजीनामा की रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 36 I C 193, 28 A. 78 और 58 I C 299

जो राजीनामा मुकद्दमें की हद से बाहर है उनके सम्बन्ध मे देखो 7 C L J 492, 5 C W N 485, 30 Mad 421, और 30 Mad 478

रूल ३ अदालत को उस समय डिकरी देने के लिए मजबूर नही कर सकता, जब कि राजीनामा की बात सन्तोषजनक रूप म सुबूत हो गई हो। अदालत को यह बात जरूर देख लेनी चाहिए कि यह राजीनामा एक कानूनी राजीनामा है, और इस बात को तय करने के लिए, कि वह राजीनामा ठीक है अथवा नहीं, वह उसकी असलियत पर विचार करेगी, देखो 53 I C 833 डिकरी की सिर्फ वही शर्ते अमल में लाई जा सकती है जो उस मुकद्दमे से सम्बन्ध रखती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि राजीनामा की अर्जी मे मुकद्दमे के बाहर की बाते रहती है और इसलिए ऐसी दशा मे उचित मार्ग यह है कि डिकरी मे उस राजीनामा की शर्तें पूरी पूरी लिख दी जाय, लेकिन उसके अनुसार डिकरी सिर्फ उतने ही हिस्से के सम्बन्ध मे दी जाय जितने का सम्बन्ध उस मुकद्दमे से है (देखो 38 C L J 72, 24 C W N 177, 46 I C 358)—सुलहनामाकी डिकरी की शर्तें जहां तक कि उनमें ऐसी बाते आती है जो उस मुकद्दमे के अन्दर नही थी, इजरा के समय अमल मे नही लाई जा सकती, लेकिन यह डिकरी उस इकरारनामा की शहादत होगी जो उन बातों के सम्बन्ध मे किया गया है (देखो 62 I C 653, 34 C 456 P 463)

आर्डर २१, रूल ९० के अनुसार की गई कार्रवाई इजरा की कार्रवाई नही है और ऐसी दशा में आर्डर २३, रूल ३ लागू होता है, देखो 62 I C 608

अदालत में रुपये की अदायगी—जब कि मुद्दई का दावा कर्जा या नुकसान के वसूल पाने के लिए हो, तो मुद्दाअलेह अदालत मे इतनी रकम जमा कर सकता है जिससे वह समझता है कि मुद्दई के दावा की पूरी पूरी बेबाकी हो जाती है (देखो आर्डर २४, रूल १)।

इस रकम जमा किए जानेकी नोटिस मुद्दईको अदालतके जरिये देदीजानी चाहिए, और ऐसी नोटिस मिल जाने के बाद मुद्दई को ब्याज न दिलाया जायगा (देखो आर्डर २४, रूल २ और ३)।

जब मुद्दई उस जमा किए हुए रुपये को लेकर उससे अपने दावा की कुल या कुछ बेबाकी मान ले, तो उस समय की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध मे देखो रूल ४

यह बात अवश्य ध्यान मे रखनी चाहिये कि जाब्ता दीवानी का आर्डर २४ केवल कर्ज या नुकसान की नालिशों के सम्बन्ध मे लागू होता है, दूसरे तरह के मुकद्दमों मे नहीं। यह हिसाब किताब की नालिशों के सम्बन्ध में लागू नही होता।

खर्च के लिए जमानत—जाब्ता दीवानी के आर्डर २५, रूल १ मे उन मामलों का वर्णन किया गया है जिनमे किसी मुकद्दमे मे मुद्दई से ऐसे सारे खर्च

की अदायगी के लिए जमानत तलब की गई हो जो, किसी मुद्दाअलेह को उठाना पडा हो या उसके उठाने की सभावना हो। यह रूल उन हालतों मे (जिनका वर्णन इस रूल में किया गया है) मुद्दाअलेह की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिनमे, मुद्दई का दावा खारिज हो जाने की दशा मे, उसको मुद्दई से अपना खर्चा वसूल करनेमें कठिनाईका सामना करना न पडे(देखो21Cal 836)

आर्डर २५ मे केवल ऐसी हालतों का वर्णन किया गया है जिनमें मुद्दाअलेह के खर्चे की निस्बत मुद्दई से जमानत तलब की गई हो। वकील सावधान को यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि दूसरी भी बहुत सी हालतें ऐसी हैं जिनमे जाबता दीवानीके अनुसार खर्चेकी जमानत तलबकी जा सकती है, उदाहरणार्थ मुद्दईको दीवालिया हो जाना (देखो आर्डर ३३), दस्तावेज काबिल रेहन व बयके ऊपर सरकारी मुकद्दमें (देखो आर्डर ४१, रूल ४), इजराकी कार्रवाई मुलतवी किये जाने पर जमानत (देखो आर्डर ४१ रूल ५), उस हालतमें जमानत जबकि उस डिकरीकी इजरा मुलतवी कर दीगई हो, जिसके विरुद्ध अपील दायर कीगई है (आर्डर४१,रूल६), अपीलाण्टसे जमानत (देखो आर्डर४१, रूल१०), प्रिवी कौंसिलमें अपील करने के लिए सार्टीफ़िकट दिए जाने के ऊपर जमानत (देखो आर्डर ४५, रूल ७)

जमानत दाखिल न कर सकने की हालत मे नालिश खारिज कर दी जायगी, लेकिन काफी वजह होने पर और मुद्दाअलेह को नोटिस दे दिए जाने के बाद नालिश की खारिजी का हुक्म मंसूख किया जा सकता है (देखो आर्डर २५, रूल २)

रेफ़रेन्स, नजरसानी और निगरानी

Reference, Review and Revision



रेफरेंस—जब किसी मुकद्दमा या अपील की समाअत के वक्त या उसके पहिले जिसमें डिकरी की अपील नही होती है या जब ऐसी डिकरी की इजरा में कानून या व्योहार सम्बन्धी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो जिसपर अदालत को उचित सन्देह हो तो अदालत को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से या किन्ही दूसरे फरीकैन की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट मे रेफरेन्स पेश कर दे (देखो जाबता दीवानी का आर्डर ४६ रूल १)।

रेफ़रेन्स के सम्बन्ध का विस्तार जाबता दीवानी के आर्डर ४६ के रूल२७ मे बतलाया गया है।

जब किसी अदालतको इस बातमे सन्देह हो कि अमुक मुकद्दमे की समाअत अदालत खफीफा कर सकती है, तो वह उस मामले को हाईकोर्टके फैसले

के लिए पेश कर सकती है (देखो आर्डर ४६ रूल ६) इस सम्बन्ध में, कि अपने किसी मातहत अदालत की कार्रवाई को निगरानी के लिए पेश करने का (जब कि ऐसी अदालत ने गलती से यह तय किया हो कि अमुक नालिशकी समाअत अदालत खफ़ीफ़ा के द्वारा होनी चाहिये या न होनी चाहिये) जिला की अदालत को क्या अधिकार है देखो आर्डर ४६ रूल ७।

नजरसानी—कोई भी ऐसा शख्स, जिसे —

(क) किसी ऐसी डिकरी या हुक्म से, जिसकी अपील हो सकती है लेकिन जिसकी अपील दायर नही की गई है, या

(ख) किसी ऐसी डिक्री या हुक्मसे जिसकी अपील नहीहो सकती, या

(ग) किसी अदालत खफ़ीफ़ा के पेश किए हुये रेफ़रेन्स पर दिये गये फैसले से जिसे दु ख पहुंचा हो, नीचे लिखी किसी भी बिनाके ऊपर उस फैसलेकी नजरसानी किये जाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है—

१ किसी नई और आवश्यक बात या शहादतका मिल जाना जोउसे मुनासिब कोशिश करने के बाद उस समय जब कि डिकरी या हुक्म दिया गया था, मालूम न हो सकी थी, जिसे वह उस समय पेश नही कर सका था, या

२ किसी ऐसी गलती या भूल के होजाने से जो मिसिल के देखने से साफ़ जाहिर होती हो, या

३ किसी दूसरी काफ़ी वजह पर (देखो आर्डर ४७, रूल १) जब हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत ने कोई डिकरी या हुक्म दिया हो।

(१) उपरोक्त पहली और दूसरी वजहके अतिरिक्त किसी दूसरी विनाके ऊपर नजरसानी के लिए दीजाने वाली दरख्वास्त उस जज को दी जायगी जिसने वह डिकरी या हुक्म दिया हो। यह दरख्वास्त उस जज को नहीं दीजा सकती जो उस पद पर उसका उत्तराधिकारी हो, लेकिन ऐसी किसी भी दरख्वास्त का फैसला उस जज का उत्तराधिकारी भी कर सकता है, जिसने कि डिकरी दी है अगर उस डिकरी देने वाले जजने आर्डर ४७ रूल ४ (२) (क) के अनुसार नोटिस जारी किए जाने का हुक्म दे दिया है।

(२) पहली और दूसरी बिना अर्थात् किसीनई और अवश्यकबात या शहादत के मिल जाने अथवा लिखने या अंको की गलती या भूल पर जो कि डिकरी से साफ़ जाहिर होती हो, की जाने वाली नजरसानी की दरख्वास्त उस जज को, जिसने कि फैसला दिया था अथवा उस जजको, दी जासकती है जिसके पद पर उसका उत्तराधिकारी हुआ हो (देखो आर्डर ४७, रूल २)-नजरसानी की कोई भी दरख्वास्त उस समय तक मंजूर न की जायगी जब तक कि दूसरे पक्ष को इसकी नोटिस न दे दीगई हो और जबतक कि नई बात या शहादत के मिलजाने के सम्बन्ध कहीगई बात ठीक ठीक साबित नहोजाय (देखो आर्डर ४७ रूल ४)।

दूसरी बातों सम्बन्धी जानकारी के लिए देखो आर्डर ४७ रूल ५ से ९ तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रूल १० और बढ़ा दिया गया है।

नजरसानी की दरख्वास्त मे जाबते की तीन अवस्थाएं हैं। पहिली अवस्था में से दरख्वास्तें आती हैं जो कि एकतर्फा हों। अदालत को अधिकार है कि उसे या तो फौरन् खारिज कर दे या इसबात की वजह दिखलाने के लिए कोई रूल की मंजूरी देदे, कि नजरसानी क्यों न मंजूर की जायगी। दूसरी अवस्था में रूल या तो मंजूर किया जायगा या खारिज कर दिया जायगा। अगर रूल कतई करार दे दिया गया तो तीसरी अवस्था पहुंच जाती है। मुकद्दमे की दुबारा समाअत उसकी रूयदाद के ऊपर की जायगी (देखो 30 B 56)

आर्डर ४७ रूल १ में दिए हुए " किसी दूसरी काफी वजह पर" शब्दोंसे अदालतको और भी अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और उसे इस बातका अवसर प्राप्त होजाता है कि वह मुनासिब और काफी वजहों पर नजरसानी की इजाजत दे देवे, अगर न्याय के लिए ऐसी वजहें आवश्य हों (देखो 2 C 31 P C, 33 C 1323, 9 A 36, 13 C 62)।

जुडीशल कमेटीने यह तय किया है कि "किसी दूसरी काफी वजह" शब्दों का अर्थ ऐसी वजहें समझना चाहिए, जो पहिलेके फ़र्जोंमें बतलाई गई हैं, देखो 26 C W N 697 P C इसलिए 'वजह' ऐसी होनी चाहिए जो ऊपरके दो फ़र्जोंमें बतलाई हुई अर्थात (१) नई और आवश्यक बात या शहादतका मिल जाना, या (२) किसी ऐसी गलती या भूलका होना जो मिसिलसे साफ मालूम होती हो, की किस्मसे हो, देखो 51 C 70

वकीलका गैर हाजिर होना काफी वजह नहीं है, देखो 62 I C 253। दरख्वास्त देने वालेकी लापरवाहीसे पैदा हुई गलती काफी वजह नहीं है, देखो 44 I C 61

फुलबेन्च या किसी ऊंची अदालत द्वारा किसी नए कानूनका निकलना नजरसानीके लिए काफी वजह नहीं है देखो 6 A 292, 24 Cal 334 —जिस फरीकको एकतर्फा डिकरी से दुःख पहुंचा हो, वह फैसलेकी नजरसानीकी दरख्वास्त दे सकता है, देखो 0 A 65, 20 W R 284, 20 B 281

आर्डर ४७ का रूल ८ यह बात बिल्कुल अदालतकी मर्जी पर छोड़ देता है कि, जब नजरसानीकी मंजूरी दी जाय तो उस समय उस कुल मुकद्दमेके ऊपर नए सिरेसे विचार किया जाना चाहिए न कि उसके केवल एक हिस्सेके ऊपर (देखो 27 C L J 326)

नजरसानी की दरख्वास्तमें साफ साफ वे वजहें लिख दी जानी चाहिए जिनपर एतराज (उज्र) है और उसके साथ उस हुक्मकी एक नकल भी नत्थी होनी चाहिए जिसकी नजरसानी कराई जाने को है। उसके ऊपर अपीलकी तरह उस वकीलकी तस्दीक होनी चाहिए जो कि उसे पेश कर रहा है।

नजरसानीकी दरख्वास्त, आधा कोर्ट फीस स्टाम्प देकर ९० दिनके भीतर (देखो कानून मियादका आर्टि० १७३) दी जानी चाहिए। अगर डिकरी या

हुक्म अदालत खफीफा का है, तो मियादकी मुद्दत १५ दिन होगी, (देखो कानून मियादका आर्टिकल १६१)

नजरसानी की दरख्वास्तको खारिज करने वाले हुक्म की अपील नहीं हो सकती, लेकिन जिस हुक्मसे दरख्वास्त मंजूर कीगई है उस पर इस बिना पर उज्रदारीकी जा सकती है कि यह (१) रूल २ के विरुद्ध है, या (२) रूल ४ के विरुद्ध या (३) उस समय, जब कि मियादकी मुद्दत गुजर चुकी थी, और बिना काफी वजहके दरख्वास्त दीगई थी, [देखो आर्डर ४७ रूल ७ और आर्डर ४३ रूल १ (डब्ल्यू)]

अदम पैरवीमें खारिज हुई नजरसानीकी दरख्वास्त फिर बहाल हो सकती है (देखो आर्डर ४७ रूल ७)

निगरानी—निगरानीके सम्बन्धमें हाईकोर्टके क्या अधिकार हैं, इसके लिए देखो जाब्ता दीवानीकी दफा ११५—अदालत खफीफाकी डिकरियों और उसके हुक्मोंके सम्बन्धमें हाईकोर्टके अधिकार,प्रान्तीय अदालत खफीफा ऐक्टकी दफाओं में बतलाए गए हैं।

जाब्ता दीवानीकी दफा ११५ के अनुसार की जाने वाली निगरानियोंमें हाईकोर्ट आम तौर पर वाक़यात सम्बन्धी फैसलेमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है अगर शहादतसे उसका अच्छी तरह से समर्थन हो गया है, (देखो 20 C W N 1110, 34 I. C 527, 27 Bom 563)—अगर वह फैसला अनुमान की हुई बातोंके आधार पर दिया गया हो जिसका समर्थन नहीं हुआ है, तो वह उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, देखो 14 A L J 890, 38 A 690, 27 A 531)

जिस हुक्मसे अदालत खफीफाने नजरसानीकी दरख्वास्त बेजा तौर पर खारिज कर दिया हो, उसकी नजरसानी हाईकोर्ट कर सकती है, (देखो 29 A 468, 31 A 610)

अपीलें और मुकद्दमेंकी वापसी



प्रारम्भिक डिकरियोंकी अपीलें—हर एक ऐसी डिकरीकी अपील, जो किसी प्रारम्भिक अधिकार रखने वाली अदालत द्वारा दीगई हो, उस अदालतमें की जा सकेगी जिसे ऐसी अदालतके फैसले की अपील सुननेका अधिकार है।

एकतर्फा प्रारम्भिक डिकरीके खिलाफ भी अपील हो सकती है। उस डिकरीकी अपील न हो सकेगी जिसे अदालतने फरीकैनकी रजामन्दी से दी हो, (देखो जाब्ता दीवानीकी दफा ९६)

कतई डिकरीके खिलाफ़ अपीलके सम्बन्धमे, जब कि प्रारम्भिक डिकरीके विरुद्ध अपील न कीगई हो, देखो जावता दीवानीकी दफा ९७

हर एक अपील एक मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील या मौजबात अपील) के रूपमे पेश की जायगी जिसपर अपीलाण्ट या उसके वकीलके हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ उस डिकरीकी, जिसके विरुद्ध अपील कीगई है, और (जब तक कि अदालत अपील उसे अलग न कर दे) उस फैसलेकी एक बाजाबता नकल भी होनी चाहिए। इस मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील) मे, सक्षेपमे और अलग मदोंमे, बिना किसी दलील या विवरणके वे वजहे लिखी रहेंगी जिनके ऊपर डिकरीके सम्बन्धमे एतराज किया जाता है, और इन वजहोंका नम्बर सिलसिले वार होगा (देखो आंर्डर ४१ रूल १)

अपीलमे कौनसी वजहे ली जा सकती है, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल २। याद्दाश्त अपील कब खारिज की जा सकती है, इस सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ रूल ३

कई एक मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंमे से एक ही शख्स कुल डिकरीको मसूख करा सकता है, जब तक कि उन सबकी बिना एक हो (देखो आर्डर ४१ रूल ४)

किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें, जिसकी अपील कीगई है, होने वाली कार्रवाई और इजराकी मुल्तवीके सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ रूल ५ से ८ तक।

अपीलके मजूर कर लिए जाने पर, की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ रूल ९ से १५ तक। बिना रैस्पाण्डेण्टको नोटिस दिए हुए भी अपील खारिज की जा सकती है, (देखो आंर्डर ४१ रूल ११)—समाअतके वक्त के जाबतेके सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ के रूल १६ से २९ तक।

अपीलमे दिए जाने वाले फैसलेके सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ के रूल ३० से ३४ तक। अपील मे दी जाने वाली डिकरी के सम्बन्ध मे देखो रूल ३५ से ३७ तक।

मुकद्दमेको वापस कर देने के लिए अदालतके अधिकारके सम्बन्धमे देखो आर्डर ४१ रूल २३

विवरण—अपीलकी दरख्वास्त पेश करने वाले वकीलको चाहिए कि वह उस याददाश्त अपीलके नीचे इस बातकी तस्दीक कर दे कि उसने मुकद्दमेके कागजात अच्छी तरहसे देख लिए हैं और यह कि उसकी रायमे अपील करने के लिए माकूल और काफी वजूहात हैं और यह कि वह इस बातका इकरार करता है कि वह अपीलकी समाअतके वक्त हाजिर होकर उन वजूहातकी निस्बत पैरवी करेगा जो कि याददाश्त अपीलमे बतलाए गए हैं।

जो डिकरियां अदालत खफीफाकी दी हुई हों उसकी अपील नही हो सकती। खास और उचित हालतोंमे प्रान्तीय अदालत खफीफा ऐक्टके अनुसार हाईकोर्ट उनकी नजरसानी कर सकतीहै।

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) की दफा ९ के अनुसार दिया हुआ हुक्म भी काबिल अपील नहीं है ।

अपील की तारीख वह तारीख है जिसको याददाश्त अपील अदालतमें दाखिल कीगई हो, वह नहीं जिस तारीखको कमी कोर्ट फीस अदा किया गयाहो। अपील पेश करनेमें देर होने और उसके मंजूर करने सम्बन्धी अदालतके अख्त्यारातके लिये देखो कानून मियादकी दफा ५—नकल लेनेके लिये मुकर्रर मियादके सम्बन्धमें, देखो कानून मियादकी दफा १२—कई एक मुश्तरका अपीलाण्टों या रैस्पाण्डेण्टोंमें से किसी एक के मर जाने से कुल अपील बन्द नहीं होजाती, (देखो आर्डर २२ रूल ११)

सिर्फ खर्चे की बाबत दिये गये हुक्मके ही खिलाफ अपील न हो सकेगी जब तक कि उसमें कोई सिद्धान्त (उसूल) की बात छिपी न हो, (देखो 28 Cal 567, 11 Cal 359, 34 Cal 878)

अदालत अपीलके अख्त्यारात के सम्बन्धमें देखो जाबता दीवानीकी दफा १०७, आर्डर ४१ रूल २३, २५, २७, २८, २९, ३३ ।

मुफलिसोंकी ओरसे की जाने वाली अपीलोंके सम्बन्धमें देखो आर्डर४५ ।

यह तय हुआ है कि मुकदमा वापस करनेके सम्बन्धमें अदालत अपीलके अधिकार सिर्फ आर्डर ४१ रूल २३ में बतलाए हुये मुकदमों तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि अदालतको दफा १५१ में स्वीकृत अधिकारोंके अनुसार मुकदमोंको वापस करनेका पूर्ण अधिकार है, देखो 44 C 929 F B, 45 C 94, 43 C 938, 46 C 738

दूसरी अपील—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकता है, उन अपीलोंके सम्बन्धमें लागू होंगे जो अदालत अपीलकी दीहुई डिकरियोंके विरुद्ध दायर कीगई हों, (देखो आर्डर ४२ रूल १)

१ हर एक ऐसी डिकरीकी अपील हाईकोर्टमें हो सकेगी जो उसकी मातहत किसी भी अदालतने नीचे लिखी किसी भी बिना पर अपीलमें दी हो, अर्थात्—

(क) यह कि फैसला कानून अथवा किसी रिवाज के, जो कि कानून का असर रखता है, विरुद्ध है,

(ख) यह कि फैसले में कानून अथवा रिवाज के, जो कानून का असर रखता है, किसी आवश्यक प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया है,

(ग) यह कि जाबता दीवानी अथवा उस समय प्रचलित किसी दूसरे कानून के द्वारा, निश्चित जाब्ते में कोई भारी भूल या नुक्स होगया है, जिससे सम्भव है कि रूयदाद के ऊपर उस मुकदमे के फैसले में भूल अथवा नुक्स हो जाय ।

२ अदालत अपील की एकतर्फी डिकरी की अपील हो सकती है (देखो दफा १००)

सिवाय उन वजूहात के ऊपर जो कि जावता दीवानी की दफ़ा १०० में वतलाई गई है, दूसरी अपील नहीं की जा सकती। (देखो दफ़ा १०१)

किसी भी ऐसे मुकदमें में, जिसकी समाअत अदालत खफ़ीफा में हो सकती है, दूसरी अपील न की जा सकेगी, जब कि प्रारम्भिक मुकद्दमें के दावाकी रकम या मालियत पांच सौ रुपये से अधिक न हो। (देखो दफ़ा १०२) ।

हुक्मों की अपील—ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०४ (१) के अनुसार नीचे लिखे हुक्मों की अपील हो सकेगी और, सिवाय उस दशा के जब कि जाबता दीवानी में या उस समय प्रचलित किसी दूसरे कानून में इस सम्बन्ध में कोई खास व्यवस्था कर दी गई हो, किसी भी दूसरे हुक्म की अपील न हो सकेगी।—

(क) वह हुक्म जिससे पंचायत का फैसला रद्द हो गया हो, जब कि अदालत द्वारा नियत किए गए समय के भीतर पंचायत ने अपना फैसला पूरा न कर दिया हो।

(ख) वह हुक्म जो किसी ऐसे पंचायती फैसले में दिया गया हो जिसमें कोई मामला खास मामला (स्पेशल केस) करार दिया गया हो,

(ग) वह हुक्म जिसमें किसी पंचायती फैसले की दुरुस्ती या उसमें कोई काट-छांट हुई हो।

(घ) वह हुक्म जिसमें किसी मामले को पंचायत में पेश करने सम्बन्धी इकरारनामा को मंजूर या इन्कार किया गया हो,

(ङ) वह हुक्म जिससे कोई मुकद्दमा मुलतवी कर दिया गया हो या उसके मुलतवी कर देने से इन्कार कर दी गई हो, जब कि उस मुकद्दमें को पंचायत में दे दिए जाने का इकरारनामा हुआ हो।

(च) वह हुक्म जिससे बिना अदालत के दखल के पंचायत में दिए हुए फैसले को मंजूर किया गया हो या मंजूर करने से इन्कार किया गया हो,

(छ) जाबता दीवानी की दफ़ा ९५ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(ज) जाबता दीवानी की किसी भी दफ़ा के अनुसार दिया गया हुक्म जिससे किसी पर जुर्माना किया गया हो या किसी शख्स की गिरफ्तारी या उसे दीवानी जेल में कैद रखने का हुक्म दिया गया हो, सिवाय उस दशा में जब कि ऐसी गिरफ्तारी या कैद का हुक्म किसी डिकरी की इजरा में दिया गया हो,

(झ) कोई भी ऐसा हुक्म जो उन रूलों के अनुसार दिया गया हो जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की रूल में खास व्यवस्था की गई हो।

जाबता दीवानी की दफ़ा १०४ (२) के अनुसार अपील में दिए गए किसी भी हुक्मकी अपील न हो सकेगी, देखो जाबता दीवानीकी दफ़ा १०४ (२)

जाबता दीवानी की दफ़ा १०४ के अनुसार नीचे लिखे हुए हुक्मों की अपील हो सकेगी, अर्थात्—

(१) वह हुक्म जो आर्डर ७ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसके जरिये मुनासिब अदालत में पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस कर दिया गया हो,

(२) हुक्म जो आर्डर ८ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसमे किसी फरीक़ के खिलाफ़ फैसला दिया गया हो,

(३) वह हुक्म जो आर्डर ९ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिससे ऐसे मामले मे, (जिसकी अपील हो सकती है) किसी मुकद्दमे के खारिज कर दिए जाने वाले हुक्म को मसूख़ कराने के लिए दीगई दरख्वास्त खारिज कर दी गई हो,

(४) वह हुक्म जो आर्डर ९ के रूल १३ के अनुसार दिया गया हो और जिससे (ऐसे मामले मे जिसकी अपील हो सकती है) एकतर्फी डिकरी की मसूख़ी का हुक्म जारी कराने के लिए दीगई दरख्वास्त खारिज कर दीगई हो,

(५) वह हुक्म जो आर्डर १० के रूल ४ के अनुसार दिया गया हो और जिससे किसी फरीक़ के खिलाफ़ फैसला दिया गया हो;

(६) आर्डर ११ के रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(७) जायदाद की कुर्की के लिए आर्डर १६, रूल १० के अनुसार दिया गया हुक्म;

(८) आर्डर १६, रूल २० के अनुसार दिया हुआ वह हुक्म जिससे किसी फरीक़ के खिलाफ़ फैसला दिया गया हो,

(९) वह हुक्म जो किसी दस्तावेज़ के या किसी तहरीर (Endorsement) के मसविदे के ऊपर की गई उज्रदारी के ऊपर आर्डर २१ रूल ३४ के अनुसार दिया गया हो,

(१०) किसी नीलाम को मसूख करने या मसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर२१के रूल७२ या रूल ९२ के अनुसार दिया गया हुक्म,

(११) वह हुक्म जो आर्डर २२ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो और जिससे इजाजत दी गई हो या देने से इन्कार की गई हो,

(१२) किसी मुकद्दमे के सकूत (बन्द होजाने) या उसकी खारिजी को मसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर २२, रूल ९ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१३) किसी इकरारनामा, राजीनामा या कर्जे की बेबाकी (Satisfaction) को दर्ज कागजात करते हुए या दर्ज करने से इन्कार करते हुए, आर्डर २३, रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१४) आर्डर २५ के रूल २ के अनुसार दिया गया हुक्म, जिससे (ऐसे मुकद्दमे मे जिसमे अपील हो सकती है) किसी मुकद्दमे की खारिजी को मसूख करने के लिए दी गई दरख्वास्त नामञ्जूर कर दी गई हो;

(१५) आर्डर ३४ के रूल ३ में रूल ८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे रेहननामा के रुपये की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने से इन्कार कर दी गई हो,

(१६) आर्डर ३५ के रूल ३, रूल ४, या रूल ६ के अनुसार तस्फिया की नालिशों मे दिए हुए हुक्म,

(१७) आर्डर ३८ के रूल २, ३ या ६ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१८) आर्डर ३९ के रूल १, २, ४ या रूल १० के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१९) आर्डर ४० के रूल १ या रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(२०) आर्डर ४१, रूल १९ के अनुसार, किसी अपील को दुबारा लेने, या आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दुबारा उसकी समाअत करने से इन्कार करने के लिए दिया हुआ हुक्म,

(२१) आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे कोई मुकद्दमा वापस किया गया हो, जब कि अदालत अपील की डिकरी के विरुद्ध अपील हो सकती है,

(२२) वह हुक्म जो हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत ने आर्डर ४५ के रूल ६ के अनुसार सार्टीफ़िकट देने से इन्कार करने के लिए दिया हो,

(२३) आर्डर ४७, रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिससे नजरसानी की दरख्वास्त मजूर की गई हो (देखो आर्डर ४३, रूल १)

नोट—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकेगा, उन अपीलों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो हुक्मों के विरुद्ध दायर की गई हैं (देखो आर्डर ४३, रूल २)

इलाहाबाद मे आर्डर ४३ के साथ रूल ३ जोड़ दिया गया है।

न्यूनतापूरक कार्यवाही

Supplemental Proceedings

इस अभिप्राय से, कि न्याय को बाधा न पहुंचने पावे, अदालतको अधिकार है कि वह, अगर ऐसा विधान है तो,

(क) कब्ल फैसला मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर दे,

(ख) उसकी जायदाद फैसला होने के कब्ल कुर्क करा ले,

(ग) थोड़े समय के लिये हुक्म इम्तनाई जारी कर दे,

(घ) रिसीवर नियुक्त कर दे,

(ङ) ऐसे दूसरे दरमियानी हुक्म दे देवे जो उचित और सुविधा जनक जान पड़े।

नोट— न्याय में बाधा न पहुंचने देने के अभिप्राय से मुकद्दमें के दौरानमें हुक्म देने सम्बन्धी अदालत के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन जाबता दीवानी की दफ़ा ९५ में किया गया है।

फैसला के पहिले गिरफ्तारी—जब कि हलफ़नामा से या और किसी प्रकार अदालत को इतमीनान हो जाय कि—

(क) मुद्दाअलेह मुकद्दमेमें देर करने, उससे बचने या उसमें रुकावट डालने के इरादे से (१) कहीं भाग गया है या (२) भाग जाने वाला है या (३) अदालत के अधिकार क्षेत्र से अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा हटा दिया है या अलग कर दिया है, या यह कि मुकद्दमें में रुकावट डालने या उसमें देर करने के इरादे से मुद्दाअलेह बृटिश भारत से बाहर चला जाने वाला है, तो वह मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकती है।

लेकिन शर्त यह है कि उस समय उसकी गिरफ्तारी न की जायगी, अगर वह वारण्ट की तामील करने वाले अफ़सर को इतनी रकम अदा करदे जो मुद्दई के दावा का मतालिबा बेबाक़ कर देने के लिए काफ़ी हो (देखो आर्डर ३८ रूल १)

फैसले के पहले कुर्की—१-जब अदालत को हलफनामा से या और किसी तरह पर इतमीनान होजावे कि किसी डिकरी की जो कि उसके ऊपर दीगई है, इजरामें रुकावट डालने या देर करने के लिये मुद्दाअलेह—

(क) अपनी कुल जायदाद या उसका कुछ हिस्सा अलग कर देने वाला है, या

(ख) उस कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्से को अदालत के अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर हटा देने वाला है,

तो अदालत को अधिकार है कि वह मुद्दाअलेह को जमानत दाखिल करने का हुक्म या इस बात का कारण दिखलाने के लिए हाजिर होने का हुक्म दे कि वह जमानत क्यों नहीं दाखिल कर सकता।

२ मुद्दई को चाहिए कि वह उस जायदाद को, जो कि कुर्क किए जाने को है, और उसकी अन्दाजन कीमत भी बता दे।

३ अदालत को यह भी अधिकार है कि वह, अपने उस हुक्म में इस तरह बतलाई हुई कुल जायदाद या उसके किसी हिस्से की, कुछ शर्तों के साथ, कुर्की का हुक्म दे दे (देखो आर्डर ३८, रूल ५)—विस्तृत जाबता के सम्बन्ध में देखो रूल ६ से ९ तक।

फैसले के क़ब्ल (पहिले) की हुई कुर्की से बाहरी आदमियों के उन हक़ पर कोई असर न पड़ेगा जो इस कुर्की के पहिले के हैं और न इससे किसी डिक्रीदार को नीलाम के लिए दरख्वास्त देने की रुकावट हो सकेगी (देखो आर्डर ३८, रूल १०)

फैसले के क़ब्ल (पहिले) कुर्क की हुई जायदाद डिक्री की इजरा में फिर दुबारा कुर्क न की जायगी (देखो आर्डर ३८ रूल ११)—खेतों की पैदा

(१५) आर्डर ३४ के रूल ३ में रूल ८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे रेहननामा के रुपये की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने से इन्कार कर दी गई हो,

(१६) आर्डर ३५ के रूल ३, रूल ४, या रूल ६ के अनुसार तस्फिया की नालिशों में दिए हुए हुक्म,

(१७) आर्डर ३८ के रूल २, ३ या ६ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१८) आर्डर ३९ के रूल १, २, ४ या रूल १० के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१९) आर्डर ४० के रूल १ या रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म।

(२०) आर्डर ४१, रूल १९ के अनुसार, किसी अपील को दुबारा लेने, या आर्डर ४१, रूल २१ के अनुसार दुबारा उसकी समाअत करने से इन्कार करने के लिए दिया हुआ हुक्म;

(२१) आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे कोई मुक़द्दमा वापस किया गया हो, जब कि अदालत अपील की डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है,

(२२) वह हुक्म जो हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत ने आर्डर ४५ के रूल ६ के अनुसार सार्टीफ़िकट देने से इन्कार करने के लिए दिया हो,

(२३) आर्डर ४७, रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिससे नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर की गई हो (देखो आर्डर ४३, रूल १)

नोट—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकेगा, उन अपीलों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो हुक्मों के विरुद्ध दायर की गई हैं (देखो आर्डर ४३, रूल २)

इलाहाबाद में आर्डर ४३ के साथ रूल ३ जोड़ दिया गया है।

न्यूनतापूरक कार्यवाही
Supplemental Proceedings

इस अभिप्राय से, कि न्याय को बाधा न पहुंचने पावे, अदालतको अधिकार है कि वह, अगर ऐसा विधान है तो,

(क) क़ब्ल फ़ैसला मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर दे,

(ख) उसकी जायदाद फ़ैसला होने के क़ब्ल क़ुर्क़ करा ले,

(ग) थोड़े समय के लिये हुक्म इम्तनाई जारी कर दे,

(घ) रिसीवर नियुक्त कर दे;

(ङ) ऐसे दूसरे दरमियानी हुक्म दे देवे जो उचित और सुविधा जनक जान पड़े।

नोट—न्याय में बाधा न पहुंचने देने के अभिप्राय से मुक़द्दमे के दौरानमें हुक्म देने सम्बन्धी अदालत के अधिकारों का संक्षिप्त बर्णन ज़ाबता दीवानी की दफ़ा ९५ में किया गया है।

फैसला के पहिले गिरफ्तारी—जब कि हलफ़नामा से या और किसी प्रकार अदालत को इतमीनान हो जाय कि—

(क) मुद्दाअलेह मुक़द्दमेमें देर करने, उससे बचने या उसमें रुकावट डालने के इरादे से (१) कहीं भाग गया है या (२) भाग जाने वाला है या (३) अदालत के अधिकार क्षेत्र से अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा हटा दिया है या अलग कर दिया है, या यह कि मुक़द्दमे में रुकावट डालने या उसमें देर करने के इरादे से मुद्दाअलेह बृटिश भारत से बाहर चला जाने वाला है, तो वह मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकती है।

लेकिन शर्त यह है कि उस समय उसकी गिरफ्तारी न की जायगी, अगर वह वारण्ट की तामील करने वाले अफ़सर को इतनी रक़म अदा करदे जो मुद्दई के दावा का मतालिबा बेबाक़ कर देने के लिए काफ़ी हो (देखो आर्डर ३८ रूल १)

फैसले के क़ब्ल कुर्की—१-जब अदालत को हलफनामा से या और किसी तरह पर इतमीनान होजावे कि किसी डिकरी की जो कि उसके ऊपर दीगई है, इजरामें रुकावट डालने या देर करने के लिये मुद्दाअलेह—

(क) अपनी कुल जायदाद या उसका कुछ हिस्सा अलग कर देने वाला है, या

(ख) उस कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्से को अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर हटा देने वाला है,

तो अदालत को अधिकार है कि वह मुद्दाअलेह को जमानत दाख़िल करने का हुक्म या इस बात का कारण दिखलाने के लिए हाजिर होने का हुक्म दे कि वह जमानत क्यों नहीं दाख़िल कर सकता।

२ मुद्दई को चाहिए कि वह उस जायदाद को, जो कि कुर्क किए जाने को है, और उसकी अन्दाजन क़ीमत भी बता दे।

३ अदालत को यह भी अधिकार है कि वह, अपने उस हुक्म में इस तरह बतलाई हुई कुल जायदाद या उसके किसी हिस्से की, कुछ शर्तों के साथ, क़ुर्की का हुक्म दे दे (देखो आर्डर ३८, रूल ५)—विस्तृत जानकारी के सम्बन्ध में देखो रूल ६ से ९ तक।

फ़ैसले के क़ब्ल (पहिले) की हुई कुर्की से बाहरी आदमियों के उन हक़ पर कोई असर न पड़ेगा जो इस कुर्की के पहिले के हैं और न इससे किसी डिक्रीदार को नीलाम के लिए दरख़ास्त देने की रुकावट हो सकेगी (देखो आर्डर ३८, रूल १०)

फैसले के क़ब्ल (पहिले) कुर्क की हुई जायदाद डिकरी की इजरा में फिर दुबारा कुर्क न की जायगी (देखो आर्डर ३८ रूल ११)—खेती की पैदा

वार, जो कि किसी किसान के कब्जे मे है, फैसले के पहिले कुर्क नहीं की जा सकती (देखो आर्डर ३८, रूल १२)।

अदालत को इस बात का पूरा पूरा इतमीनान हो जाना चाहिए कि वास्तव मे मुद्दाअलेह रुकावट डालने या देर करने के इरादे से जायदाद को अलग कर देने वाला है (देखो 13 C L R 356, 44 I C 240, 73 I. C 721)—सिर्फ येाही कह देना कि मुद्दाअलेह अपनी जायदाद हटा देना चाहता है, काफी न होगा (देखो 29 Bom. L R 1228)—अदालत को इतमीनान कराने के लिए मुद्दई के पास काफी सुबूत होना चाहिए (देखो 44 I C 240)

जो मुद्दई किसी रेहननामा की बाबत की गई नालिश मे इस बिना पर, कि जायदाद मरहूना जमानत के लिए काफी नहीं है, मुद्दाअलेह की दूसरी जायदाद कुर्क करवाना चाहता हो, उसे फैसले के कब्ल कुर्की करा पाने का हक है (देखो 46 C 245)

आर्डर ३८ रूल ६ के अनुसार कुछ शर्तों के साथ कुर्की का हुक्म उस समय तक न दिया जाय जब तक कि मुद्दाअलेह यातो इस बात की वजह न दिखला सका हो कि उसे क्यों न जमानत दाखिल करनी चाहिए या जमानत न दाखिल कर सका हो। आर्डर ५ (२) के अनुसार शर्तिया हुक्म उस समय तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके साथ क्लॉज (१) के अनुसार एक और हुक्म भी न दिया जाय जिसमे जमानत दाखिल करने या वजह जाहिर करने की हिदायत की गई हो (देखो 57 I. C 907)

फैसले के कब्ल कुर्क की हुई जायदाद मनकूला मुकदमे की समाप्त किए जाने के पहिले नीलाम की जा सकती है (देखो आर्डर ३९, रूल ६)

प्रान्तीय अदालत खफीफा को फैसले के कब्ल जायदाद गैर-मनकूला की कुर्की का हुक्म देने का अधिकार है जो फैसले के कब्ल कुर्की कराने के अधिकार से बिल्कुल भिन्न है, देखो 28 C W N 1056 F B, 82 I C 109

हुक्म इम्तनाई—अदालत अस्थाई (कुछ समय के लिए) हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है, अगर हलफनामा या और किसी तरह से यह बात साबित हो जाय कि (अ) जायदाद के जिसकी निस्बत झगडा है, मुकदमे के किसी दूसरे फरीक द्वारा नष्ट कर दिए जाने, नुकसान कर डाले जाने या मुन्तकिल कर दिए जाने, अथवा किसी डिकरी की इजरा मे बेजा तौर पर नीलाम कर दिए जाने का भय है या (ब) यह कि अपने महाजनों को धोखा देने की नीयत से मुद्दाअलेह अपनी जायदाद को हटा देने या उसे अलग कर देने या बेच डालने की धमकी देता है या ऐसा करने का इरादा करता है (देखो आर्डर ३९, रूल १)

शिकस्त मुआहिदा (मुआहिदे का तोड देना)—को जारी रखने या उसे दोहराए जाने को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करनेके सम्बन्धमे देखोआर्डर २

३९ रूल २। सभी दशाओं में मुख़ालिफ़ फ़रीक़ (विरोधी पक्ष) को दी जाने वाली नोटिस हुक्म इम्तनाई जारी करने के पहिले जारी की जानी चाहिए, सिवाय उस दशा में जब कि देर करने से उद्देश्य में बाधा पड़ती हो (देखो आर्डर ३९, रूल ३)—किसी भी ऐसे फ़रीक़के दरख़्वास्त देने पर, जो इस हुक्मसे असन्तुष्ट है, हुक्म इम्तनाई खारिज कर दिया जायगा, बदल दिया जायगा या रद्द कर दिया जायगा (देखो आर्डर ३९, रूल ४)। कार्पोरेशन के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करने के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३९, रूल ५।

हुक्म इम्तनाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी (आरिज़ी) और दूसरा सार्वकालिक (दवामी)। अस्थायी (आरिज़ी) हुक्म इम्तनाई का उद्देश्य यह है कि जिस जायदाद की निस्बत झगड़ा है वह मुक़द्दमे के दौरान में नष्ट न कर दी जाय या इस तरह ख़राब न कर दी जायकि फिर वह दुरुस्त न की जा सके, या मुन्तक़िल न कर दी जाय। उसूल यह है कि जब तक फ़रीक़ैन के हक़ूक़ का तस्फ़िया न होजाय तब तक वह जायदाद ज्यों की त्यों अपनी असली हालत में बनी रहे। अस्थायी हुक्म इम्तनाई आर्डर ३९ के रूल १ और २ के नियमानुसार दिया जाता है और वह मुक़द्दमे के दौरान में किसी भी समय दरख़्वास्त देने पर दिया जा सकता है। सार्वकालिक (दवामी) हुक्म इम्तनाई स्पेसिफ़िक रिलीफ़ ऐक्ट (क़ानून दादरसी ख़ास) की दफ़ा ५४—५७ के नियमानुसार दिया जाता है। ऐसा हुक्म सिर्फ़ एक डिकरी के ज़रिये दिया जा सकता है जो मुक़द्दमे के रूयदाद के ऊपर समाअत के वक्त दी गई हो। हुक्म इम्तनाई ताकीदी के सम्बन्ध में देखो स्पेसिफ़िक रिलीफ़ ऐक्ट की दफ़ा ५५।

हुक्म इम्तनाई जारी करने या जारी करनेसे इन्कार कर देने के सम्बन्ध में अदालतका जो अधिकार है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करताहै। अर्थात् हुक्म इम्तनाई जारी करनेके पहिले यह बात अच्छी तरहसे साबित होजानी चाहिए कि जबतक एक हुक्मइम्तनाईके ज़रिये मुद्दाअलेह फ़ौरन् रोक न दिया जायगा, मुक़द्दमे के दौरान में जायदाद को ऐसा नुक़सान पहुंच जायगा जो फिर कभी पूरा न किया जा सकेगा। अदालत पहिले यह देखेगी कि फ़रीक़ैन के बीच वास्तविक झगड़ा है और फिर यह कि मुक़द्दमा जीतने पर किस शख़्स को घाटा रहेगा, अगर हुक्म इम्तनाई जारी न किया गया, किन्तु वह इसबात का ध्यान हमेशा रखेगी कि जायदाद गैर मनकूला अपनी ज्योंकी त्यों हालत में बनी रहे। अस्थाई हुक्म इम्तनाई के सम्बन्ध में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसके लिए देखो 16 C L J 555, 10 C W N 173, 8 C W N 151, 23 M L J 316, 17 C L J 429, 21 C L J 462, 26 M 174, 43 I C 24, 1 Pat L J 560, 21 C L J 461, 46 C 10001 और 23 C W N 677

किसी ऐसे शख़्स के नाम हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता है जो कि उस मुक़द्दमे में फ़रीक़ नहीं है, देखो 3 Pat L J 456, 44 I C 496, 51 I C 108

अस्थायी (आरिज़ी) हुक्म इम्तनाई के जारी कर देने से उस जायदाद की बाद में कीगई मुन्तकिली बेजाबता और नाजायज न होगी। हुक्म उदूलीके लिए दण्ड की व्यवस्था आर्डर ३९ रूल २ (३) में की गईहै (देखो 9 A 497, 25 A 431)—कुर्क की हुई जायदाद की मुन्तकिली का असर दूसरा है, क्योंकि दफा ६४ के अनुसार उन दावों के सामने, जो उस कुर्की के सम्बन्ध में किये गए हैं ऐसी मुन्तकिली नाजायज है।

दण्ड की व्यवस्था सिर्फ उसी किस्म के मुकद्दमों के सम्बन्ध में नहीं की गई है जिनका वर्णन आर्डर ३९, रूल २ मे है। आर्डर ३९ दफा ९४ के साथ पढ़ा जाना चाहिये। किसी काम के करने या न करने के लिए दिए गए हुक्म की अदूली करने के सम्बन्ध मे आर्डर ३९ रूल २ (४) लागू होता है, देखो 44 I.C 56 (M)।

आर्डर ३९ रूल २ में किसी मुआहिदेको तोड़े जानेसे रोकनेके लिए अस्थायी हुक्म इम्तनाई जारी किए जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था की गई है। शिकस्त मुआहिदा को रोकने के लिए सर्व-कालिक (दवामी) हुक्म इम्तनाई स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) की दफा ५६ (एफ) और दफा ५७ के नियमानुसार दिया जा सकता है।

38 B 381 में जस्टिस बीमैन ने इस बात पर सन्देह कियाकि, क्या मुफस्सिलकी अदालतोंको अस्थायी (आरिजी) हुक्म इम्तनाई ताकीदी भी करनेका अधिकार है? 41 M 238 मे इस फैसले का अनुकरण न कर यह तय किया गया कि स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट की दफा ५३ मे अस्थायी हुक्म इम्तनाई का जो वर्णन किया गया है, उसमें ताकीदी हुक्म इम्तनाइ (Mandatory Injunction) निकाल नहीं दिया गया है, देखो 41 C 436, 28 I C 121.

इजरा और नीलाम की मुल्तवी के लिए जारी किये गये हुक्म इम्तनाई के सम्बन्ध मे देखो 33 A. 79 F B , 10 A 89, 16 C L J 555, 23 M L J 316, 17 C W N 964

जब मुद्दई और मुद्दाअलेह उन जायदादों के मालिक हों जो एक दूसरे से मिली हुई है और मुद्दाअलेहों को जाबता दीवानी की दफा १४४ के अनुसार मुद्दइयान के खिलाफ हुक्म मिल गया हो, तो वे एलान और मुद्दाअलेहो को रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी करने के लिए नालिश कर सकते है और इसमें दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म कोई रुकावट न डाल सकेगा। दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म स्वय एलान और हुक्म इम्तनाई के लिए दावा की बिना पैदा करता है, देखो 68 I C. 180; 42 M. L J 179.

हुक्म इम्तनाई जारी करने या उसे जारी करने से इन्कार करने वाले हुक्म की आर्डर ४३, रूल १ (और) के अनुसार अपील हो सकती है, देखो 35 A. 425; 27 I. C. 131; 17 C. W N 996 —किसी हुक्म इम्तनाई की अदूली

करने के लिए आर्डर ३९, रूल ७ (१) के अनुसार कार्रवाई करने से इन्कार करने वाले हुक्म की अपील हो सकती है, देखो 39 M 907 F B.

हुक्म इम्तनाई की डिकरी की इजरा के फार्म के तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१, रूल ३२।

अस्थायी हुक्म इम्तनाई के फार्म के सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी का ज़मीमा (एफ़), फार्म न० ८।

रिसीवर की नियुक्ति—किसी मुकदमें के सही साबित होजाने पर अदालत को अधिकार है कि वह—

(क) डिकरी के पहिले या बाद में किसी जायदाद का रिसीवर मुकर्रर कर दे।

(ख) किसी भी ऐसे शख्स को अलग करदे जिसके कब्जे या हिफ़ाजत में वह जायदाद है,

(ग) उस जायदाद को उस रिसीवर के कब्जे, हिफ़ाजत या प्रबन्ध में दे दे, और

(घ) उस रिसीवर को नालिश दायर करने या उनकी निस्बत जवाब देही करने, जायदाद का प्रबन्ध (इन्तजाम) करने, उसकी रक्षा और उन्नति (तरक्की) करने, लगान वसूल करने इत्यादि का अधिकार दे दे (देखो आर्डर ४०, रूल १)।

रिसीवर के मुआविजा, उसके अधिकारों (हकूक), कर्तव्य इत्यादि के सम्बन्ध में देखो आर्डर ४०, रूल २—५,

रिसीवर नियुक्त (मुकर्रर) करने के अधिकार का उपयोग करना अदालत की इच्छा पर है। रिसीवर नियुक्त करने सम्बन्धी शर्तें वही हैं जो अस्थायी हुक्म इम्तनाई जारी करने के लिए आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि मामले की हर एक बात प्रकट कर दी जाय और अदालत को इस बात का विश्वास होजाय कि रिसीवर का नियुक्त किया जाना उचित और उपयुक्त है। अदालत उस समय रिसीवर नियुक्त न करेगी जब कि जायदाद की निस्बत हक का दावा किया गया हो जो उस समय किसी मुद्दाअलेह के कब्जे में है, जो एक क़ानूनी हकीयत के अनुसार उसके कब्जे का दावेदार है (देखो 15 C 818; 22 C 459, 43 I C, 550; 45 I, C 224, 18 C W N 537, 32 C 741, 5 C W N 362, 11 C 496 30 C L J 231)—सिर्फ यह बात, कि जायदाद की बाबत झगड़ा है (देखो 55 I C 827) या यह कि रिसीवर की नियुक्ति से कोई हानि नहीं है (देखो 5 C 556) कोई वजह नहीं है। उस मामले में, जिसमें अस्थायी (आरिज़ी) हुक्म इम्तनाई जारी किया जा सकता है, और उस मामले में, जिसमें रिसीवर नियुक्त (मुकर्रर) किया जा सकता है, क्या अन्तर है इसके लिए देखो 22 C 459, 53 I C 760, 21 M L J 821; 45 I C 221

२—किसी मुक़दमा या नालिश के फ़रीक़ैन, उनके वकील, मुख़्तार, रेव्हन्यू एजेण्ट, मुख़्तार मजाज और गवाह जो सम्मन की तामील पर हाजिर हुए हो, जब कि वे अदालत को जा रहे हों या किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जो कि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है जिस मजिस्ट्रेट को उसकी समाअत करने का अधिकार है, या जिसके लिए यह विश्वास है कि उसे उसकी समाअत करने का अधिकार है, इजलास मे हाजिर हों, और जब कि वह ऐसी अदालत से वापस आ रहा हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसपर अदालत की मानहानि करने के अभियोग से सम्मन जारी किया गया हो।

३—जब कोई मदियून डिक्री इस बात की वजह जाहिर करने के लिए हाजिर हुआ हो कि वह डिक्री की इजरा में क्यों जेल म न भेजा जाय, या जब डिक्री की फौरन् इजरा का हुक्म दिया गया हो तो वह माफी के लिए दावा नहीं कर सकता (देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १३५)।

४—दफ़ा ५६ के अनुसार कोई स्त्री (औरत) किसी रुपये की डिक्री की इजरा मे गिरफ्तार नही की जा सकती।

यह माफी सिर्फ दीवानी सम्मन के जरिये की जाने वाली गिरफ्तारी से की गई है। इसलिए जो फरीक़ या गवाह अदालत में किसी मुक़दमें के सम्बन्ध मे हाजिर हुआ हो, वह फौजदारी अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकेगा। "वापस आ रहा हो" का अर्थ है घर या अपने रहने की जगह वापस आ रहा हो। इसलिए अगर कोई मदियून डिक्री अदालत से सीधा घर के लिए रवाना नही होता बल्कि किसी दूसरे स्थान की ओर चल देता है, तो वह गिरफ्तार किए जाने से माफ नहीं किया जा सकता (देखो 32 A. 3 P 6 जिसमें 4 M 317 मे दिया हुआ फैसला स्वीकार नही किया गया)

ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १३५, आर्डर २८, रूल ३ के अनुसार हुए जमानतदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, देखो 53 I C. 367

अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर की आने वाली कुर्की या गिरफ्तारी—जब ज़ाबता दीवानी की किसी दफा के अनुसार, जिसका डिक्रियों की इजरा से कोई सम्बन्ध नही है, किसी शख्स की गिरफ्तारी या किसी जायदाद की कुर्की के लिए दरख़्वास्त दी गई हो और ऐसा शख्स उस अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर रहता है या ऐसी जायदाद उस अधिकार-क्षेत्र के बाहर वाक़े है, तो उसे अधिकार है कि वह गिरफ्तारी का वारण्ट निकाल दे या कुर्की का हुक्म दे दे और उस जिला की अदालत को उस वारण्ट या हुक्म की एक नकल भेज दे जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा शख्स रहता है या ऐसी जायदाद वाक़े है (देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १३६)—ज़ाबते के विस्तार के सम्बन्ध मे देखो दफ़ा १३५ (२), (३) (४)।

हुक्म और नोटिसें लिखित होंगी—जाब्ता दीवानी की दफा १४२ में यह व्यवस्था की गई है कि वे तमाम हुक्म और नोटिसें, जो जाब्ता दीवानी के अनुसार किसी शख्स पर तामील किए गए हों या दिए गए हों, लिखित होने चाहिए।

सम्मन, जारी करने वाले शख्स के खर्चे से तामील किए जायगे—वे तमाम सम्मन, जो जाब्ता दीवानी के अनुसार जारी किए गए हों, उस शख्स के खर्चे से तामील किए जायगे जिसकी ओर से वे जारी किए गए हैं, सिवाय उस दशा के जब अदालत इससे भिन्न कोई हुक्म दे [देखो आर्डर ४८, रूल १ (१)]

तामील का खर्चा—सम्मन की तामील के लिए कोर्ट फीस एक नियत समय के भीतर और सम्मन जारी किए जाने के पहिले अदा कर दिया जाना चाहिए [देखो आर्डर ४८, रूल १ (२)]

पोस्टेज —जब कोई नोटिस, सम्मन या चिट्ठी डाक द्वारा भेजी जाने को हो, तो पोस्टेज और रजिस्ट्री की फीस एक नियत समय के भीतर और उस नोटिस, सम्मन या चिट्ठी के डाक में डाले जाने के पहिले, अदा कर दिये जाने चाहिए (देखो जाब्ता दीवानी की दफा १४३)।

समय बढ़ाने के सम्बन्ध में अदालतों का अधिकार—जब किसी ऐसे काम के करने के लिए, जिसके लिए जाब्ता दीवानी में व्यवस्था या आज्ञा की गई है, कोई समय नियत किया गया या दिया गया हो, तो अदालत को ऐसे समय के बढ़ाने का अधिकार है [देखो जाब्ता दीवानी की दफा १४८]

जब किसी डिकरी में यह शर्त लगा दी गई हो कि अगर किसी नियत समय के भीतर रुपया अदा न कर दिया जायगा तो नालिश खारिज समझी जायगी, तो ऐसी दशा में समय बढ़ाया नहीं जा सकता। सिर्फ रेहन सम्बन्धी डिकरी में, जो आर्डर ३४ के अनुसार दीगई हो, यह नियम लागू नहीं होता, देखो 40 A 579

कमी कोर्ट फीस को पूरा करनेके सम्बन्धमें अदालतोंका अधिकार—जाब्ता दीवानी की दफा १४९ अदालत को यह अधिकार देतीहै कि वह किसी भी समय किसी फरीक को उस कोर्ट फीस की कमीको पूरा करनेकी इजाजत देदेवे जो अर्जीदावा, याददाश्त अपील, किसी फैसलेकी नजरसानी के लिये दी गई दरख्वास्त इत्यादि केऊपर लगाया जाना चाहिये, और उस कमीकी अदायगी होजानेपर वह कागज, जिसकी बाबत वह कोर्ट फीस अदा किया जाना है, वही मजबूती और असर रखेगा, मानो वह फीस पहिले ही अदा कर दी गई थी।

फैसला, डिकरियों और हुक्मों का संशोधन—जाब्ता दीवानी की दफा १५२ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी फैसले, डिकरी या हुक्म का (उसके तैयार होजाने और उसपर दस्तखत होजाने के बाद भी) संशोधन कर दे, जब कोई लिखने या अंकों की भूल या संयोगवश गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से कोई अशुद्धि हो गई हो।

संशोधन करने के सम्बन्ध में अदालतों के साधारण अधिकार—जाबता दीवानी की दफा १५२ अदालत को यह आम अख्तियार देती है कि वह किसी मुकद्दमे में होने वाली किसी कार्रवाई में हुई किसी भूल या नुक्सको दुरुस्त करदे और उस प्रश्न को तय करने के लिये, जो उस मुकद्दमें में फरीकैन के बीच पैदा हुआ है, सभी आवश्यक संशोधन कर दे।

अदालतोंके परम्परा से प्राप्त अधिकार—अदालतको यह परम्परागत अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे हुक्म दे सके जो न्याय के लिए आवश्यक हों अथवा जो अदालत की आज्ञा उल्लंघन किए जानेसे रोक सके।

अदालत के इस अधिकार की रक्षा एवं स्वीकृति सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी में दफा १५१ जोड़ देने से की गई है (देखो 33 C 927; 20 C L J. 433, 19 C W N 84; 48 C 481 P C)।

दफा १५१ अथवा १५२ के अनुसार दी जाने वाली दरख्वास्त के लिए मियाद की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, देखो 60 I. C. 368; 80 I C. 55

भाग २

ज़मीमा और रूल

बम्बई हाईकोर्ट के रूल्स



ज़मीमा नं० १—जाबता दीवानीकी दफा १२२ के अनुसार बम्बई हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए रूल

आर्डर ३ रूल २ (ए)

का इस प्रकार संशोधन किया गया —

"वे लोग जिनको फरीकैनकी ओरसे, जो अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी उस स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं जिस सीमाके भीतर हाजिरी दीगई है, दरख्वास्त दीगई अथवा काम किया गया है, उनकी ओरसे इस प्रकार हाजिरी देने, दरख्वास्त देने या काम करने का अधिकार देते हुए आम मुख्तारनामा दिए गये हों।"

आर्डर ५ रूल २२

म नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिए—

"लेकिन शर्त यह है कि जब ऐसा कोई सम्मन बम्बई नगरकी सीमाके भीतर तामील किये जाने को हो, तो उस पर मुद्दाअलेहका ऐसी सीमाके भीतरके उस स्थानका पता लिखा जायगा जहांपर कि वह रहता है, और यह सम्मन अदालत द्वारा उसके पास रजिस्ट्री डाकसे भेजा जायगा जिसके साथ रसीदका फार्म(Acknowledgement)नत्थी रहेगा। जिस रसीदके ऊपर मुद्दाअलेहके दस्तखत हों या पोस्टमैन (डाकिया) की ओरसे यह लिखा गया हो कि मुद्दाअलेहने सम्मन लेने से इनकार की, वह उस अदालत द्वारा, जिसने कि सम्मन जारी किया हो, नोटिसकी तामीलका प्रत्यक्ष प्रमाण समझा जायगा। और दूसरी हालतोंमें अदालत जैसी उचित समझेगी जांच करेगी और यातो यह घोषणा कर देगी कि सम्मन बाकायदा तामील हो गया है या जैसी उसकी रायमें आवश्यक हो आगे और तामीलीका हुक्म दे देगी।"

(बालाबाला) सम्मन जारी करना उचित समझती हो, सम्मन जारी करनेके साथ साथ उसकी एक नोटिस उस दफ्तरके अधिकारी के पास भेज देनी चाहिए जिसमें वह शख्स नौकर है, ताकि ऐसे शख्सके कामके सम्बन्धमें कोई प्रबन्ध किया जासके।

विवरण—अगर अदालत किसी कानून गो या पटवारीके नाम सम्मन जारी करनेकी आवश्यकता समझती हो, तो उसे उस जिलेके कलक्टरको इसकी सूचना देनी होगी और अगर किसी सब-रजिस्ट्रारके नाम सम्मन जारी करेगी, तो उसे उस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारको इसकी सूचना देनी होगी जिसके मातहत वह सब रजिस्ट्रार है।

आर्डर ५ रूल ३०

नीचे लिखा हुआ रूल ३१ जोड़ दिया जाना चाहिए—

"रूल ३१—किसी फरीक या गवाहके नाम सम्मन जारी किए जानेके लिए दरख्वास्त ऐसे नमूनेकी होनी चाहिए जो इस कामके लिए नियत है। अदालत को और किसी तरहके नमूने की दरख्वास्त न लेनी चाहिए।"

आर्डर ७

इस आर्डरमें ये नीचे लिखे रूल जोड़ दिए जाने चाहिए —

"रूल १९—हर एक अर्जीदावा या इस्तगासे अर्जीके साथ एक रोबकार नत्थी कर देना चाहिए जिसमें वह पता लिखा हो जिस पते पर मुद्दई या अर्जी देने वालेके ऊपर नोटिस, सम्मन या किसी दूसरे हुक्मनामा की तामील की जानी चाहिए। बादमें शामिल होने वाले मुद्दइयों और सायलों (अर्जी देने वालो) को चाहिए कि वे इस तरह शामिल होनेके फौरन् ही बाद इस किस्मका एक रोबकार दाखिल कर दें।

रूल २०—उपरोक्त रूलके अनुसार दाखिल किया गया तामीलका पता उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिये जिसके भीतर वह नालिश या अर्जी दाखिल कीगई है, या उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिये जिसमें वह फरीक आम तौर पर रहता है, अगर वह संयुक्त प्रान्त आगरा व अवधकी सीमाके भीतर है।

रूल २१—जब कोई मुद्दई या अर्जी देने वाला तामीलके लिये पता न लिखेगा, तो अदालत उसकी नालिश या दरख्वास्त खारिज कर देगी अथवा कोई फरीक इस तरहके हुक्मके लिये दरख्वास्त दे सकता है और अदालत इस पर जैसा हुक्म उचित समझे दे सकती है।

रूल २२—जब कोई फरीक उस पते पर न मिल सके जो उसने तामीलीके लिये लिखाया है और उसका कोई मुख्तार या उसके घरका कोई बालिग आदमी जिसपर नोटिस या सम्मन तामील किया जा सके, मौजूद न हो, तो उस नोटिस या सम्मनकी एक नकल उसके मकानके बाहरी दरवाजे पर चस्पा कर दी जायगी। अगर तारीख मुकर्रर पर वह फरीक हाजिर न हुआ, तो दूसरी तारीख

मुक़र्रर की जायगी और उस नोटिस, सम्मन या दूसरे हुक्मनामाकी एक नक़ल उस रजिस्टरमें लिखे हुये पते पर रजिस्ट्री डाकसे भेज दी जायगी और ऐसी तामीलीका वही असर होगा मानो वह नोटिस या हुक्मनामा असालतन तामील किया गया हो।

रूल २३—अगर कोई फ़रीक़ अपने मुक़द्दमम किसी वकीलको रख ले, तो उस पर तामील की जाने वाली नोटिसें और हुक्मनामे (सम्मन वगैरा) आर्डर ३ रूल ५ में बतलाये अनुसार तामील किये जायगे, सिवाय उस दशाम जब कि अदालत उस पते पर तामीलका हुक्म दे देवे जो उस फरीक़ने लिखाया है।

रूल २४—अगर कोई फ़रीक़ अपना वह पता बदलवाना चाहता है जो उसने ऊपर लिखे अनुसार पहिले लिखवाया है, तो उसे चाहिए कि वह इसके लिये एक तस्दीक़शुद दरख्वास्त पेश करे, और अदालत उस दरख्वास्तके अनुसार पता बदल देगी। ऐसी दरख्वास्तकी नोटिस उस मुक़द्दमेके दूसरे फरीक़ैनको भी दे दी जायगी जिनको वह इसकी सूचना देना चाहती हो और वह या तो उन फरीक़ैनके वकीलोंपर तामील कर दी जायगी या उनके पास रजिस्ट्री डाकसे, जैसा कुछ अदालत उचित समझे, भेज दी जायगी।

रूल २५—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अदालतको किसी और तरहसे नोटिस या हुक्मनामाकी तामीलीका हुक्म देने से रोक सके, अगर, किन्हीं कारणोंसे, वह ऐसा करना उचित समझे।

रूल २६—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आर्डर २१ रूल २२ में बतलाई हुई नोटिसके सम्बन्धमें लागू होती हो।

आर्डर ८

इस आर्डरमें नीचे लिखे रूल ११ और १२ और जोड़ दिए जाने चाहिए —

"रूल ११—हर एक ऐसे फरीक़को—चाहे वह पहिलेका हो, बीचमें शामिल किया गया हो या दूसरेकी जगह पर फरीक़ बनाया गया हो—जो अपील करना चाहता हो, या किसी नालिश या इस्तदाइ अर्ज़ीकी बाबत जवाब देही करना चाहता हो, चाहिए कि वह उस तारीख़को या उससे पहिले, जो उसके ऊपर तामील हुए सम्मन या नोटिसमें पेशीकी तारीख़ मुक़र्रर कीगई थी, अदालतमें एक रोबकार दाख़िल करे जिसमें वह तामीलके वास्ते अपना पता लिख दे, और अगर वह ऐसा न कर सकेगा तो उसकी जवाब देही (पैरवी), अगर कोई है तो, रद्द कर दी जायगी और वह उसी दशामें रह जावेगा मानो उसने कोई जवाब देही की ही नहीं थी। इस सम्बन्धमें अदालत अपनी इच्छा से या इस तरहके हुक्मके लिए किसी फरीक़की ओरसे दरख्वास्त दिये जाने पर ऐसा कर सकती है और अदालत जैसा उचित समझे हुक्म दे सकती है।

रूल १२—आर्डर ७ के रूल २१, २२, २३, २४, २५ और २६, जहां तक हो सकेगा, उपरोक्त रूल के अनुसार दाखिल किए गए तामीली के पतों के सम्बन्ध में लागू होंगे।"

आर्डर १३

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल १२ और १३ शामिल कर दिए जाने चाहिए —

"रूल १२—हरएक ऐसे दस्तावेज (document) के साथ, जोकि अदालत की भाषा अथवा अंग्रेजीमें नहीं लिखा गया है और जो (क) किसी अर्जीदावा के साथ या (ख) पहिली पेशी पर पेश किया गया है या (ग) और किसी समय किसी नालिश, अपील या किसी दूसरे मामले में शहादत में पेश किया गया है, इस दस्तावेज का शुद्ध अनुवाद उस अदालत की भाषा में रहना चाहिये। अगर ऐसा कोई दस्तावेज अदालत की भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसकी लिपि प्रचलित देवनागरी अथवा साधारण फार्सी की लिपि नहीं है, तो उसके साथ उस का हिन्दी और फार्सी लिपि में शुद्ध अनुवाद रहना चाहिये।

रूल १३—जब कोई दस्तावेज, जो रूल १ में बतलाई हुई सूची (फेहरिस्त) में शामिल है, शहादतमें ले लिया गया हो, तो अदालत उसपर रूल ४ (१) में बतलाई हुई बातें लिखनेके अतिरिक्त इन दस्तावेजोंके सिलसिले का अंक, (अक्षरानुसार डाल देगी जो मुद्दईकी ओरसे शहादतमें लिये गये हैं, और अगर वह उन दस्तावेजों के सिलसिले में पेश किया गया है जो मुद्दअलेहकी ओर से शहादतमें लिये गये हैं तो उसपर सिलसिलेवार अक्षर डाल देगी और प्रत्येक ऐसे अंक अथवा अक्षर पर अपने हस्ताक्षर कर देगी। जब दो अथवा अधिक लोग मुद्दाअलेह हों, तो पहिले मुद्दाअलेहके दस्तावेजों पर A 1 B 1 C 1 इत्यादि A A 1 B B 1 इत्यादि और दूसरे मुद्दाअलेहके दस्तावेजोंपर A 2, B 2 C 2 इत्यादि A A 2, B B 2 इत्यादि निशान डाले जायग। जब एकही तरह के बहुत से दस्तावेज शहादत में लिए गए हों, उदाहरणार्थ एकही तरह की बहुतसी लगानकी रसीदें, तो उन कुल के ऊपर एक ही अंक अथवा (अंग्रेजी का) बड़ा अक्षर डाल दिया जायगा और उसके साथ साथ हर एक कागज को अलग करनेके लिये उसपर एक छोटा अंक अथवा (अंग्रेजी का) छोटा अक्षर लिख दिया जायगा।"

आर्डर १६ रूल २

इस रूलके साथ नीचे लिखा सब रूल (४) शामिल कर दिया जाना चाहिये—

"(४)—यह रूल उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें सरकार फरीक है, उन गवाहों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो ऐसे सरकारी नौकर (Government Servant) हैं जिनका वेतन १०) रु० मासिक से अधिक है और जो अपनी निजी हैसियत से किसी ऐसी अदालत में शहादत देने के लिए तलब किए गए हों जो उनके हेडक्वार्टर से पांच मील से अधिक फासले पर वाके हो।"

आर्डर १६

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल २१ और २२ और बढ़ा दिये जाने चाहिये—

'रूल २२(१)—सिवाय इसके जैसाकि रूल ८७ और ८७ ए में बतलाया गया है अदालत नीचे लिखी शरह पर सफर और दूसरे खर्च दिला देगी —

(क) अगर गवाह काश्तकार, मजदूरी पेशा या नीचे दर्जे के आदमी हैं, तो छः आना रोज,

(ख) अगर गवाह कुछ ऊंचे दर्जे के हैं, जैसे कि जमींदार, सौदागर वगैरह और इसी तरह के ओहदे वाले लोग, तो आठ आना से एक रुपया रोज तक, जैसा कुछ अदालत हुक्म दे और

(ग) अगर गवाह बहुत ऊंचे ओहदे के हैं जिनमें ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जिनका वेतन २५०) रु० मासिक से कम नहीं, तो तीन रुपये से पांच रुपये रोज तक।

(२) अगर कोई गवाह ऊंचे रुपयेसे अधिक रुपया मांगता है जो उसको पहिले दिया जा चुका है, तो उसको वह अधिक रुपया दिलाया जायगा, अगर वह अदालत को इस बात का इतमीनान दिला सके कि वास्तव में उसका अधिक और आवश्यक खर्चा हुआ है।

उदाहरण—दूकानदारों का नौकर, जो शहादत में तलब किया गया हो, उस मुकद्दमें में जिसकी बाबत या जिसके दरख्वास्त देने पर वह तलब किया गया है, वह सफरका और दूसरा खर्चा तलब करनेका हकदार है जो उसके दर्जे या ओहदे के गवाहों को दिलाया जाता है और इसके अतिरिक्त उस रुपये के लिये भी दावा कर सकता है जो कि उसकी अनुपस्थिति में काम करने वाले शख्स को देने पड़ेगा। जो रुपया उसे अपनी जगह काम करने वाले शख्स को देना पड़ेगा, उसकी निस्बत इस गवाहको अफसर कागज की एक चिट के ऊपर तस्दीक करेगा, जिसे वह गवाह उस अदालत में पेश करेगा जिसने सम्मन जारी किया हो।

(३) अगर कोई गवाह एक दिन से अधिक दिन रोका रखा गया, तो उसके रोके जाने का खर्चा इसी शरह पर दिलाया जायगा जो अदालत को मुनासिब और ठीक मालूम पड़े, लेकिन वह खर्च उससे अधिक न होगा जो इस रूल के दफा (१) के अनुसार दिलाया जाना चाहिये।

लेकिन अदालत को अधिकार है कि वह किन्हीं कारणोंसे, जो लिखे जायगे, इससे अधिक खर्चा दिला दे जिसकी व्यवस्था ऊपर पूर्वोक्त नियमोंमें की गई है।

२३—जिन मामलों में सरकार फरीक है, उनमें सरकारी नौकरों को—जो कि पुलिस के कान्स्टेबिल न हों—जिनका मासिक वेतन १०) रु० से अधिक है और जो अपनी सरकारी नौकरी की हैसियत में किसी अदालत में शहादत के लिए तलब किए गए हैं जो उनके हेड क्वार्टर से पांच मील से अधिक दूर है सफर खर्च और दूसरे खर्चो के बदले अदालत से हाजरी का सार्टीफिकेट दिया जायगा।

आर्डर १९

इस आर्डर मे नीचे लिखे रूल और शामिल कर देने चाहिए —

"रूल ४—हलफनामों के ऊपर' की अदालत मुकाम ''' ' ' मे नाम वगैरा लिखा जायगा। अगर वह हलफनामा किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध मे दी गई दरख्वास्त के समर्थन अथवा विरोध मे दाखिल किया गया हो जो उस अदालत में चल रहा है, तो उसपर उस मामले को भी लिख दिया जायगा। अगर कोई ऐसा मामला (मुकद्दमा) नहीं है, तो उस पर यह लिख दिया जायगा— की अर्जी के मामले मे।"

रूल ५—हलफनामा अलग अलग पैराग्राफों में बटा हुआ होगा और हर एक पैराग्राफ पर क्रमानुसार नम्बर डाल दिए जायगे और जहा तक सम्भव होगा वह किसी विषय के किसी खास हिस्से के ही सम्बन्ध मे होगा।

रूल ६—हर एक ऐसे शख्स का, जो बयान हलफी दाखिल कर रहा है, उनमे इस तरह वर्णन होना चाहिए कि उसकी शिनाख्त करने मे सुविधा हो, और जहा पर इस बात के लिए आवश्यक हो, उसमें उनका पूरा नाम, उसके बाप का नाम उसकी जाति और धर्म, उसका ओहदा अथवा उपाधि, उसका उद्यम, व्यवसाय, पेशा या व्यापार, और उसके रहने का असली स्थान लिखा होना चाहिए।

रूल ७—जब तक कोई अन्य व्यवस्था न की गई हो, बयान हलफी (हलफनामा) कोइ भी ऐसा शख्स दाखिल कर सकता है जो उन बातों की जानकारी रखता है जिनके सम्बन्ध मे वह बयान दे रहा है। किसी हलफनामा को दो या अधिक आदमी मिल कर दाखिल कर सकते हैं हर एक आदमी को वे बाते अलग अलग लिखनी चाहिए जिन्हें वह जानता है, और ये बाते अलग अलग पैराग्राफो मे लिखी जायगी।

रूल ८—जब कोई हलफनामा दाखिल करने वाला शख्स किसी ऐसी बात के निस्बत लिख रहा हो जिसे वह स्वय जानता है, तो उसे यह बात स्पष्ट और असंदिग्ध रूप मे लिखनी चाहिए और "मै दृढ़ता पूर्वक यह बयान करता हूँ" अथवा "मै शपथ खाकर ऐसा कहता हूँ" शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

रूल ९—सिवाय दर्मियानी कार्यवाइयो के, हलफनामा सिर्फ उन्ही बातों के सम्बन्ध मे दाखिल किया जायगा जिन्हे बयान देने वाला स्वय जानता है और साबित कर सकता है। दर्मियानी कार्रवाइयो मे, जब किसी बात को बयान देने वाला न जानता हो और उसे उस सूचना के आधार पर कहता हो जो उसे दूसरे लोगों से प्राप्त हुई है, तो वह बयान देने वाला इस प्रकार लिखेगा "मुझे मालूम हुआ है," और अगर बात ऐसी ही है तो, "और इसे सचमुच सही मानता हूँ" और उस शख्स या उन शख्सों का नाम और पता लिख देगा और शिनाख्त के लिए काफी उनकी हुलिया वगैरा लिख देगा, जिससे या जिनसे

उसे ऐसी इत्तला मिली है। जब दरख्वास्त या उसका विरोध उन बातों के आधार पर किया गया हो, जो उन दस्तावेजों (documents) या दस्तावेजों की नक़लों में बतलाई गई है जो किसी न्यायालय अथवा दूसरे स्थान से पेश किए गए हैं, तो बयान देने वाला यह लिखेगा कि वे कहां से प्राप्त किए गए हैं, और उन दस्तावेजों में बतलाई गई बातों की सत्यता के सम्बन्ध में उसका [illegible] क्या है, यह भी लिखेगा।

रूल १०—जब किसी हल्फनामा में किसी स्थान का उल्लेख किया [illegible] हो, तो उसका सही सही पता व निशान लिख देना चाहिए। जब किसी [illegible] नामामें किसी आदमीका उल्लेख किया गया हो, तो उस [illegible] आदमी, उस आदमीका सही नाम और पता और उसके सम्बन्ध [illegible] सी बातें लिखी जायगी जो उसकी शिनाख्त करने के लिए [illegible]

रूल ११—हरएक ऐसे शख्सकी शिनाख्त, जो किसी [illegible] और इस्तेमाल किए जानेके लिए कोई हलफनामा (बयान हलफी) [illegible] जायगा हो अगर उसे वह शख्स खुद नहीं जानता है जिसके सामने [illegible] न और किया जारहा है तो, उस शख्सके सामने कोई ऐसा [illegible] जानें और हो, और जिस शख्सके सामने यह हलफनामा दाखिल [illegible] त डिकरी हलफनामा के नीचे उस शख्स का नाम, पता और [illegible] तारीख डाल की है, और उस शिनाख्त किए जाने का समय और [illegible] दस्तखत किये

रूल १२—किसी भी अर्जीकी कोई तारीख [illegible] ऐसी पर्दा नशीन औरत द्वारा लिखा गया है [illegible] वह अपने हाथ के सामने नहीं आई है जिसके सामने वह [illegible] जिस तारीख को उस समय तक काम में न लाया जा सकता [illegible] उसकी शिनाख्त न हो जाय और [illegible] ऐसी औरतकी शिनाख्त का हलफनामा [illegible] वाले शख्स ने उस समय लिया हो। [illegible] में नीचे लिखी हुई

रूल १३—यदि [illegible] ती कोई बात लिखी गई हो हलफनामा दाखिल किये जाने [illegible] में असमर्थ है, तो अदा करने वाला है, यह पढ़ता [illegible] बयानों या हलफनामा के लिखी हुई बातों को समझता है [illegible] असमर्थता के सम्बन्ध करने वाला है, यह [illegible] और यह उससे होने वाले हो कि उसमें लिखी हुई [illegible] पढ़ा लिखा आदमी नहीं है [illegible] किए जाने को है, [illegible] दाखिल करना [illegible] देगा या किसी [illegible] समझा देगा, [illegible]

किए जाने को है, इस तरह इस बात का इतमीनान हो जाय कि जो शख्स ऐसा हलफनामा दाखिल करना चाहता है वह उसमें लिखी हुई बातों को समझता है, तो वह हलफनामा दाखिल कर दिया जायगा।

रूल १४—जिस शख्सके सामने कोई हलफनामा दाखिल किया गया है, वह उस हलफनामाके नीचे इस बातको लिख देगा कि हलफनामा उसके सामने दाखिल किया गया है तथा उस समय और स्थानको भी लिख देगा जब और जहां पर वह दाखिल किया गया है और पहिचानके लिए उन पेश किए गए कागजों (Exhibits) के ऊपर निशान डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा जिनका इल्लेख हलफनामा मे किया गया है।

रूल १५—अगर उस हलफनामाके लिखनेमें होने वाली किसी भूलके ठीक करने की आवश्यकता जान पड़े तो वह भूल उस शख्सके सामने ठीक की जानी चाहिए जिसके सामने वह हलफनामा दाखिल किए जानेको है और वह हलफनामा दाखिल किए जानेके पहिले ठीक की जानी चाहिए, बादमें नहीं। इस तरह ठीक की गई हर एक गलती (भूल) के ऊपर उस शख्स के दस्तखत होने चाहिए जिसके सामने यह दाखिल किया गया है और वह इस तरह पर ठीक की जानी चाहिए कि पहिले शब्द अथवा शब्दों या अङ्क अथवा अकों का पढ़ना असम्भव या कष्टमद न हो, जिनके सम्बन्ध में दुरुस्ती की गई है।"

आर्डर २०

इस आर्डर में यह नीचे लिखा हुआ रूल जोड़ दिया जाना चाहिए:—

"रूल २१—(१) हर एक डिकरी और हुक्म, जिसकी परिभाषा दफा २ में की गई है और जो किसी अदालत खफीफा या किसी, ऐसी अदालत की डिकरी या हुक्म नहीं है जो अदालत खफीफा के अधिकारों को बरत रही हो, उस अदालत की भाषा मे तैयार किया जाना चाहिए। उस डिकरी या हुक्म के लिख जाने पर और उसपर दस्तखत होने के पहिले, मुसरिम साहब उसकी एक नोटिस चस्पा करवा देंगे, जिसमे यह लिखा होगा कि डिकरी या हुक्म तैयार हो गया है और यह कि कोई फरीक या किसी फरीकका वकील, ऐसी नोटिसकी तामीलकी तारीखसे कामके छ दिनोंके अन्दर, उस डिकरी या हुक्मके मसविदेको देख कर उसपर दस्तखत कर सकता है या मुसरिम के पास इस बिना पर उजरदारी दाखिल कर सकता है कि फैसले मे कुछ लिखने की भूल हो गई है या अकस्मात् ऐसी कोई त्रुटि रह गई है जिससे उस मामले के किसी आवश्यक अंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, या यह कि ऐसी डिकरी या हुक्म में फैसले से भेद (इख्तिलाफ) है या उसमें शब्दों अथवा अकों की भूल है। इस उजरदारी मे यह बात साफ साफ लिख दी जानी चाहिए कि वह कौन सी भूल, त्रुटि या भेद है जो बतलाया जाता है, और उस पर उस शख्स के दस्तखत और तारीख होने चाहिए जो उसे दाखिल कर रहा है।

(२) अगर ऐसी कोई उज़्रदारी उस तारीख़ को या उसके पहिले दाखिल की जाय जो उस नोटिस में बतलाई गई हैं, तो मुंसरिम उस मामले को जल्द से जल्द तैयार होने वाली हफ्तेवार फेहरिस्त में चढ़ा लेगा और नियत तारीख़ पर उज़्रदारी को मय मिसिल (कागजात मुकद्दमा) के उस जज के सामने पेश कर देगा जिसने वह फैसला दिया है, या, अगर वह जज अब उस अदालत का जज नहीं रहा है तो, उस जज के सामने पेश करेगा जो उस समय उस अदालत में काम करता हो।

(३) अगर नोटिस मे बतलाई हुई तारीख़ को या उसके पहिले कोई उज़्रदारी दाखिल न कीगई,या अगर कोई उज़्रदारी दाखिल कीगई है और ख़ारिज कर दी गई है, तो मुंसरिम उस डिकरी के ऊपर वह तारीख़ डाले कर, जिस दिन कि फैसला दिया गया था, रूल ८ और ९ के अनुसार दस्तख़त किए जाने के लिए उसे जज के सामने पेश कर देगा।

(४) अगर कोई उज़्रदारी बाकायदा तौर पर दाखिल की गई है और वह मजूंर कर ली गई है, तो उसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायगा जिसके लिए जज साहब हुक्म देवें। फैसले में किए जाने वाले संशोधन और परिवर्तन को जज साहब स्वयं अपने हाथ से करेंगे। उस संशोधन और परिवर्तन के अनुसार, जिसके लिये जज साहब ने आज्ञा दी है, संशोधित डिकरी तैयार की जायगी और मुन्सरिम उस डिकरी पर उस दिन की तारीख़ डाल कर, जिस दिन फैसला दिया गया था, रूल ७ और ८ के अनुसार दस्तख़त किये जाने के लिये उसे जज के सामने पेश कर देगा।

(५) जब जज साहब डिकरी पर दस्तख़त कर देंगे तो वह अपने हाथ से एक नोट लिख देंगे जिसमें वह तारीख़ लिखी जायगी जिस तारीख़ को डिकरी दी गई है।"

आर्डर २१, रूल २५ (२)

इस आर्डर में रूल २५ के सब रूल (२) के स्थान मे नीचे लिखी हुई इबारत होनी चाहिए —

"(२) जब हुक्मनामा के ऊपर इस आशय की कोई बात लिखी गई हो कि वह अफ़सर उस हुक्मनामा की तामील कर सकने में असमर्थ है, तो अदालत उसकी इस असमर्थता के सम्बन्ध मे उसके जाती बयानों या हलफ़नामा के ऊपर जांच करेगी, और अगर वह उचित समझे तो इस असमर्थता के सम्बन्ध मे गवाहों को तलब करके उनके बयान ले सकती है और वह उससे होने वाले परिणाम को मिसिल में लिख देगी।"

आर्डर २१, रूल ५५

इस आर्डर मे रूल ५५ के स्थान मे नीचे लिखी इबारत होनी चाहिए —

जाय कि किसी दूसरे शख्स को इसके लिये नियत किया जाय, जिस दशा में वे यमूदात अदालतका जज स्वयं अपने कलमसे फ़र्कीके उस हुक्मके ऊपर लिखेगा।

रूल १०६—जब वह जायदाद, जिसकी नीलामके लिये दरख्वास्त कीगई है, जायदाद गैर मनकूला हो, जो जायदादकी ऐसी परिभाषा में आती हो जो दस्तावेजों की रजिस्ट्रीके सम्बन्धमें उस समय प्रचलित किसी भी कानूनमें कीगई है तो डिक्रीदार को अपनी दरख्वास्तके साथ उस सब रजिस्ट्रारका एक सार्टिफिकेट शामिल करना होगा जिसके परगने (sub-district) में वह जायदाद वाके है, जिसमें यह लिखा होगा कि सब रजिस्ट्रार ने बारह बरस पहिले की अपनी किताब नं० १ और २ तथा उनकी फेहरिस्तों को ढूढ़ डाला है, और अगर कोई भार उस जायदाद के ऊपर दर्ज मिला हो तो वह भी उसमें लिखा होना चाहिए।

रूल १०७—जब किसी आराजी या उस आराजीमें प्राप्त किसी हिस्से की नीलामके लिए दरख्वास्त दी गई हो तो अदालत, उसकी नीलामका हुक्म देनेके पहिले, फ़रीकैन से इस बातका जवाब तलब करेगी कि स्थानीय सरकारकी विज्ञप्ति नं० १८८७१/२३८/१०, तारीख़ ७ अक्टूबर सन् १९११ ई०के अर्थमें यह आराजी मौरूसीहै अथवा नहीं, और इस मद्दा को तय करने के लिये एक तारीख निश्चित करेगा।

इस प्रकार नियत किए हुए दिनको अथवा किसी ऐसी तारीखको, जिसके लिये जांच स्थगित कर दी गई हो, अदालत का अधिकार होगा कि वह इसके सम्बन्धमें जैसा उचित समझे, बयान हल्फी द्वारा अथवा और किसी प्रकार, शहादत लेवे, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उस जिला के कलक्टर से इस बात की रिपोर्ट तलब करे कि ऐसी आराजी या उसका कोई हिस्सा मौरूसी आराजी है या नहीं।

शहादत और रिपोर्ट पर, अगर कोई है तो, विचार करनेके पश्चात् अदालत इस बात को तय करेगी कि वह आराजी या उसका कोई हिस्सा, और उसका वह कौनसा हिस्सा मौरूसी है।

इस जांच का जो कुछ परिणाम होगा, उसे उस अदालत का जज अपनी क़लम से उस हुक्म में लिख देगा जो इस काम के लिये वह देगा।

रूल १०८—जब वह जायदाद, जिसकी नीलामके लिये दरख्वास्त की गई है, कोई ऐसी आराजी हो, जिसकी मालगुजारी अदाकी जातीहै या जिसकी मालगुजारी माफ़ है, या उस आराजीमें प्राप्त कोई हिस्साहो और दफा ६८ के अनुसार इजरा के लिए डिक्री कलक्टर के पास न भेजी गई हो, तो अदालत, नीलाम का हुक्म देने के पहिले, उस कलक्टरसे, जिसके जिलेमें वह जायदाद वाके है, इस बात की रिपोर्ट तलब करेगी कि क्या उस जायदाद के ऊपर सरकार का कुछ बक़ाया है (और अगर है तो क्या)।

रूल १०९—सब रजिस्ट्रार का सार्टिफिकेट और कलक्टरकी रिपोर्टका मुआइना फरीकैन या उनके वकील बिना किसी खर्च के, उसके अदालत के हाथ में आने और जांच के परिणाम की घोषणा किए जाने के बीच में कर सकते हैं।

कलक्टर की रिपोर्ट की बाबत कोई फीस अदा करनी न होगी।

रूल ११०—रूल ६६ के अनुसार जाच का परिणाम उस हुक्ममे लिख दिया जायगा जो अदालत का जज इस काम के लिये अपनी क़लम से लिखेगा। अदालत को अधिकार है कि वह जांच को स्थगित (मुलतवी) कर दे, बशर्ते कि इस मुलतवी के लिये लिखित कारण बतला दिये जायं और यहकि सिवाय उतनी बार के, जितनी बार के लिये आवश्यकताहै, अधिक बार जांच स्थगित (मुलतवी) न की जाय।

रूल १११—अगर होने वाले नीलाम की घोषणा कर दिए जाने के बाद, अदालत को कोई ऐसी बात मालूम होजाय जिसका जानना उसकी राय में खरीदार के लिए आवश्यक है, तो अदालत उसकी सूचना खरीद का इरादा रखने वाले लोगों को उस समय करवा देगी जब जायदाद नीलाम मे रखी जायगी।

रूल ११२—रूल ६६, १०६ और १०८ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई का खर्चा पहिले डिकरीदार को देना होगा, लेकिन जब तक कि अदालत किन्ही कारणों से, जो लिख कर बतलाए जायगे, यह न समझती हो कि उसका कुल या कुछ अश उसमें से निकाल दिया जाय, वह खर्चा इजरा के खर्चे का हिस्सा समझा जायगा।

रूल ११३—जब किसी डिकरीदार को जायदाद पर नीलाम मे बोली बोलने की इजाजत दे दी गई हो, तो नीलाम का हुक्म देने वाली अदालत उस अफसर को, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया है, इस बात की सूचना देगी कि क्या डिकरीदार के अतिरिक्त कोई और आदमीभी ऐसे है जो नीलाम से वसूल हुए रुपये मे हिस्सा पाने के हकदार है।

रूल ११४—जब किसी दीवानी अदालत ने, किसी डिकरी या दूसरे हुक्म की इजरा में, किसी ऐसे मकान या दूसरी इमारत को नीलाम कर दिया हो जो किसी फौजी कैण्टोनमेंट या स्टेशन की सीमा के भीतर वाके है, तो वह, ज्योंही उस नीलाम की मंजूरी मिल जायगी, उस कैण्टोनमेंट या स्टेशन के कमाण्डिङ्ग अफसर को, उसकी जानकारी के लिए और ब्रिगेड के अथवा किसी दूसरे मुनासिब दफ्तर मे रखने के लिए, इस बात की एक नोटिस भेज देगी कि ऐसा नीलाम किया गया, और उस नोटिस मे नीलाम की हुई जायदाद का और खरीदार के नाम तथा पता का पूरा ब्योरा होगा।

रूल ११५—जब किसी दीवानी अदालत के हुक्म से, डिकरियो की इजरा में बन्दूके या दूसरे हथियार नीलाम किए गये हों जिनके लिए इण्डियन आर्म्स ऐक्ट (न० ११ सन् १८७८ ई०) के अनुसार खरीदारों को लाइसन्स लेना पड़ता है, तो नीलाम का हुक्म देने वाली अदालत उस जिले के मजिस्ट्रेट को खरीदारों के नाम और पते और उस समय और उस स्थान की सूचना दे देगी जब और जहां पर उन हथियारों के खरीदारों को ये हथियार हवाले किए जाने को है,

ताकि इण्डियन आर्म्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पुलिस कोई उचित प्रबन्ध कर सके।

रूल ११६—जब जानवरों या दूसरी जायदाद-मनकूला की कुर्की के लिए दरख्वास्त होगई हो, तो डिकरीदार को अदालत में इस कदर नकद रुपया जमा कर देना होगा जो उस जायदाद के १५ दिन तक हिफाजत मे रखने और खिलाने पिलाने के लिए काफी हो। अगर पन्द्रह दिन की ऐसी किसी मियाद की मुद्दत खतम होने के पहिले तीन दिन के भीतर आगे की ऐसी मियाद के लिए, जिसके लिए अदालत हुक्म देवे, ऐसे खर्चेकी रकम अदालतमे जमा न कर दी जाय, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह, किसी मुनासिब अफसर से इस बात की रिपोर्ट पा जाने पर, कुर्की उठा लिए जाने का हुक्म दे दे और यह भी बतला दे कि कुर्की का खर्चा कौन शख्स अदा करेगा।

रूल ११७—जो जानवर किसी डिकरी की इजरा में कुर्क किए गए हों, वे साधारणतया उसी स्थान पर छोड़ दिए जायगे जहा पर कि वे कुर्क किए गए है, और मदियून डिकरी के जमानत दाखिल कर देने पर, यातो उसी की सिपुर्दगी मे छोड़ दिए जायगे या किसी जमीन्दार अथवा दूसरे प्रतिष्ठित पुरुष की सिपुर्दगी में, जो उन्हें हिफाजत मे रखने और अदालत के तलब करने पर उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो।

रूल ११८—अगर ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाए हुए तरीके से जानवरों की हिफाजत का प्रबन्ध न किया जा सका, तो कुर्क किए हुए सब जानवर सब से नजदीकी काजी हाउस (पाउण्ड) को हँकवा दिए जायगे, जो कैटिल ट्रेस्पास ऐक्ट (कानून मदाखिलत बेजा मवेशियान) सन् १८७१ ई० के अनुसार स्थापित कीगई हो, और पाउण्ड-मुहर्रिरकी सिपुर्दगी मे दे दिए जायगें जो नीचे लिखी बाते एक रजिस्टर मे लिख लेगा —

(क)—जानवरों की तादाद और उनकी हुलिया।

(ख)—वह तारीख और समय जिसमें वे काजी हाउसमें बन्द किए गए हों।

(ग) कुर्की करने वाले अफसर का अथवा उसके मातहत का नाम जिसने उन्हें उसके सिपुर्द किया है, और उस कुर्की करने वाले अफसर या उसके मातहत को इस कुल इन्दराज की एक नकल दे दे।

रूल ११९—हर एक ऐसे जानवर के लिए, जो ऊपर बतलाए अनुसार पाउण्ड मुहर्रिर की सुपुर्दगी मे दे दिया गया है, एक रकम बतौर किराया उस काजी-हाउस के उन प्रत्येक पन्द्रह दिनों या उनके किसी हिस्से के लिए वसूल की जायगी जिनमें वे जानवर काजी हाउस मे बन्द रखे गए है और उस किराया की शरह ऐक्ट न० १ सन् १८७१ ई० की दफा १२ मे बतलाए अनुसार होगी।

और इस तरह वसूल की हुई रकम म्यूनीसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसा कुछ हो, नाम से जिसके अधिकार क्षेत्र म वह काजी-हाउस वाके है, खजाने में

जमा कर दी जायगी। ऐसे सारे रुपयेका उपयोग (इस्तेमाल) उसी तरह से किया जायगा जिस तरह उक्त कैटिल ट्रेस्पास ऐक्ट की दफा १२ के अनुसार वसूल किए हुए जुर्माने का किया जाता है।

रूल १२०—पाउण्ड मुहर्रिर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क किए हुए और सिपुर्द किए गए जानवरों को उस समय तक अपनी हिफ़ाजत मे रखेगा और उनको खिलाता पिलाता रहेगा, जब तक कि वे ऊपर बतलाए अनुसार उसकी सिपुर्दगी से हटा न लिए जाय और वह उन जानवरों की खूराक वगैरा के रुपये का उस शरह पर दिला पाने का हकदार होगा जो, समय समय पर, किसी उचित अधिकारी द्वारा निश्चित की जाय। ऐसी शरह उन जानवरों के लिए, जिनका वर्णन ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल मे बतलाई गई दफा में किया गया है, उस शरह से अधिक न होगी जो इसी समय के लिए उसी ऐक्ट की दफा ५ के अनुसार मुकर्रर की गई है। किसी भी दशा में, विशेष कारणों से, जो कि लिखे जायगे, अदालत उस शरह से अधिक खुराक वगैरा का खर्चा तलब कर सकती है जो शरह कि मुकर्रर है।

रूल १२१—जानवरों की खूराक वगैरा के खर्चे के लिए मुकर्रर की गई रकम पाउण्ड मुहर्रिर को पहिले पन्द्रह दिन के लिए तो कुर्की करनेवाला अफसर उसी समय अदा कर देगा जब जानवर उसकी (पाउण्ड मुहर्रिर की) सिपुर्दगी में दिए गए है और फिर इसके बाद आगे ऐसी मुद्दत के लिए, जिसके लिए अदालत आज्ञा दे, उस मुद्दत के शुरू होने के समय। अगर इस खूराक वगैरा के खर्चे की रकम उस रकम से ज्यादा अदा कर दी जाय, जो उतने दिनों के लिए वाजिब है जितने दिन जानवर पाउण्ड मुहर्रिर की सिपुर्दगी मे रखे गए हों, तो वह रकम वह पाउण्ड-मुहर्रिर उस कुर्की करने वाले अफसर को वापस कर देगा।

रूल १२२ —जो जानवर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क और सिपुर्द किए गए है, वे, सिवाय उस समय जब कि अदालत या कुर्की करने वाला अफसर या वह अफसर, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया हो, इसके लिए लिखित आज्ञा दे दे, छोडे न जायगे, जानवरों के छोड दिए जाने पर उनको पाने वाले शख्स को इसके लिए उस रजिस्टर मे रसीद लिखनी होगी जिसका वर्णन रूल ११८ मे किया गया है।

रूल १२३—जानवरों को छोड बाकी जायदाद मनकूला की मुहाफिजत के लिए जब कि वह कुर्की मे हो कुर्की करने वाला अफसर, अदालत की मंजूरी से, ऐसा प्रबन्ध कर देगा जो अत्यन्त सुविधा जनक और अल्प व्यय वाला हो।

रूल १२४—अदालत से कुर्की करने वाला अफसर ऐसी जायदाद को एक अथवा अधिक आदमियों के खास चार्ज मे दे सकता है।

रूल १२५—ऐसे हर एक आदमी के काम की फीस रूल ११६ में बतलाए अनुसार अदा की जायगी। यह दो आना प्रति दिन (Per diem) से कम

और साधारणतया साढ़े तीन आना प्रति दिन से अधिक न होगी। अदालत अपने अधिकार से इनसे अधिक फीस भी दिला सकती है लेकिन अगर वह ऐसा करती है, तो वह इस अधिक फीस दिलाने के लिए कारण लिखेगी।

रूल १२६—जब इस आदमी की रखवालीकी बिलकुल आवश्यकता न रहे, तो कुर्की करने वाले अफसर को चाहिए कि वह एक सार्टीफिकेट, जिसमें उन दिनों की तादाद, जितने दिनों उसने काम किया है, और उस रुपये की तादाद रहेगी जो उसे मिलना चाहिए, उसे दे देवे और उसकी एक नकल अपने पास रक्खे और इस सार्टीफिकेटके उस अदालतमें पेश करने पर, जिसने कि कुर्कीका हुक्म दिया है, अदालत के जज के सामने वह रुपया उसको दे दिया जायगा। लेकिन शर्त यह है कि, जब वह रकम पांच रुपये से अधिक न हो तो, अमीन के कहने पर वह मनीआर्डर के जरिये लहना को अदा कर दी जायगी और फिर वह सार्टीफिकेट खारिज कर दिया जायगा और कहीं पेश न किया जा सकेगा।

रूल १२७—जब किसी कुर्कीके उठा लिए जानेके कारण या और किसी कारणसे उस शख्ससे काम न लिया गया हो या वह उन दिनोंसे कम दिन तक उस जायदादका इन्चार्ज रहा हो जितने दिनके लिये उसको उसके काम का रुपया दिया गया है, तो वह फीस, जो अदा कर दीगई है, कुल अथवा कुछ अंश, जैसी कुछ अवस्था हो वापस कर ली जायगी।

रूल १२८—जो फीस अदालतमें अदा कीगई है, उसका इन्द्राज छोटी छोटी रकमोंके लेने और वापस करनेके रजिस्टरमें कर लिया जायगा।

रूल १२९—जब रूल ११९ के अनुसार वसूल की हुई फीस रकम खजाने में भेज दीगई हो, तो उसके साथ एक तिपरता (triplicate) हुक्म (जो हुआ म्युनिसिपल एकाउण्ट कोडके फार्म नं० ९ [illegible] बतलाये गये नमूनेका होगा) भेजा जायगा, जिसका एक परत खजानेके कर्मचारी जिला या म्युनिसिपल बोर्डके, जैसी कुछ अवस्था हो, भेज देंगे। पास हुक्म इस बातका नोट किया जायगा, कि वह रकम खजानेमें बतौर किरया सामने [illegible] जमा की गई।

रूल १३०—कुर्क की हुई जायदादको नीलामके लिये [illegible] जिस स्थान पर वह रक्खी या बेंची जायगी, उस स्थान तक पहुंचाने [illegible] डिकरीदारको कुर्की करने वाले अफसरको देना [illegible] जरूरी खर्चा अदा न कर सका, तो कुर्की करने वाला [illegible] अदालतको देगा और उसके ऊपर अदालतको [illegible] लिये जानेका हुक्म दे दे और इस बातका भी हुक्म दे [illegible] कौन अदा करेगा।

आर्डर २७

इस आर्डरमें [illegible]

आर्डर ४७

इस आर्डरमें नीचे लिखा रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:-

"रूल १०-आर्डर ४१ का रूल ३८, जहां तक हो सकेगा, इस आर्डरके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होगा।"

आर्डर ५१

इस नीचे लिखे आर्डर ५२ को सम्मिलित कर देना चाहिए:-

आर्डर ५२

"रूल १—आर्डर ४१का रूल ३८,जहां तक हो सकेगा, जाबता दीवानी की दफा ११५ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें लागू होगा।"

पटना हाईकोर्टके रूल

जमीमा नं० ३—जाबता दीवानीके आर्डर१२२के अनुसार पटना हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए नियम (रूल)

आर्डर १६ रूल २ (१)

इस रूलमें नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये —

"लेकिन शर्त यह है कि भारत मन्त्री को इस रूलके अनुसार अदालतमें कोई भी खर्चा दाखिल करना न पड़ेगा, जबकि उन्होंने ही सम्मनके लिये दरख्वास्त दी हो, और तलब किये जाने वाला शख्स भी सरकारी कर्मचारी हो, जो इन बातोंके सम्बन्धमें, जिन्हें वह जानता है, या उन बातोंके सम्बन्धमें, जिनसे उसे साधारण मनुष्यकी हैसियतसे साबिका (काम) पड़ा है, शहादत देनेके लिये तलब किया गया हो।"

आर्डर १६ रूल ३

इस रूलमें यह नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये —

"लेकिन शर्त यह है कि जब यह शख्स, जो तलब किया गया है, कोई सरकारी कर्मचारीहो जो किसी ऐसे मामलेमें, जिसमें सरकार एक फरीक़ है,उन बातों के सम्बन्धमें जो उसे साधारण मनुष्यकी हैसियतसे मालूम हुई है या जिनसे उसे (साधारण मनुष्यकी हैसियतसे) साबिका (काम) पड़ा है, शहादत देनेके लिये तलब किया गया हो तो

१—अगर उस कर्मचारीका मासिक वेतन १०) रु० से अधिक नहीं है तो, अदालत सम्मन तामील करते समय उसको यह खर्चा अदा कर देगी, जो रूल २ मे तय किया गया है, और यह रुपया खजाने से निकाल लेगा.

२—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) रु० से अधिक है और अदालत उसके हेड-क्वार्टरसे पाच मीलसे अधिक फासले पर नही है तो, अदालतको यह अधिकार होगा कि वह, उसके हाजिर होने पर, उसे यह कुल सफर खर्च दे देवे जो उसे उठाना पड़ा है.

३—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) रु० मासिकसे अधिक है और अदालत उसके हेड क्वार्टरसे पाच मील से अधिक फासले पर है तो, अदालत उसे कोई खर्चा न देगी। ऐसी दशामे रूल २ के अनुसार अदालतमे जमा किया हुआ सारा खर्चा सरकारके नाम डाल दिया जायगा।'

संग्रह ज़ाबता दीवानी

सन् १९०८ ई०

परिशिष्ट (२)

पंचायत

संग्रह ज़ाबता दीवानी
सन् १९०८ ई०
परिशिष्ट (२)
पंचायत



१—फ़रीक़ैन,मुकद्दमा पंचायतमें मामला भेज देने के लिये अदालतमें दरख्वास्त दे कर हुक्म ले सकते हैं:—

(१) जब किसी मुकद्दमे में उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुल फ़रीक़ैन इस बातपर राज़ी हों, कि कोईभी मामला, जिसकी निस्बत उनमें झगड़ा है, पंचायतमें भेज दिया जाय, तो फ़ैसला सुनाए जाने के पहिले किसी भी समय वे अदालत से ऐसा हुक्म दिये जाने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

(२) ऐसी प्रत्येक प्रार्थना (दरख्वास्त) लिखित होनी चाहिए और उसमें उस मामले का ब्योरा होना चाहिए जो पंचायत में पेश किए जाने को है।

२—पंच (सालिस) की नियुक्ति

पंच (सालिस) की नियुक्ति उस प्रकार की जायगी जिसके लिए फ़रीक़ैन आपस में तय करेंगे।

३—मामला पंचायत में पेश करने के लिये हुक्म

(१)अदालत अपने हुक्मसे, पंच (सालिस)के पास वह मामला पेश करेगी जिसके तय करने के लिये उसे कहा गया है और (पंचायती) फ़ैसला देने के लिए ऐसा समय नियत कर देगी जो कि उसे उचित जान पड़ेगा और उस हुक्म में इस समय का उल्लेख कर देगी।

(२) जब कोई मामला पंचायतमें पेश कर दिया गया हो, तो, सिवाय उस तरीक़ेपर और उस हद तक, जिसके लिए इस परिशिष्टमें व्यवस्था कीगई है, अदालत ऐसे मामले पर उसी मुकद्दमे में विचार न करेगी।

४—जब दो अथवा अधिक पंचों के सामने मामला पेश किया गया हो, तो उनके मतों में होने वाले भेदके सम्बन्ध में व्यवस्था करने सम्बन्धी हुक्म

(१) जब मामला दो अथवा अधिक पचोंके सामने पेश किया गया हो, तो इसके लिए दिये गये हुक्म मे उस मत-भेद के सम्बन्ध मे भी नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था कर दी जायगी जो उन पचो के बीच मे हो,—

(ए) एक सर-पच की नियुक्ति करके, या

(बी) इस बात की घोषणा करके कि, अगर पचो का बहुमत एक है तो, बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा, या

(सी) पचो को सर-पच नियुक्त करने का अधिकार दे कर, या

(डी) अन्य किसी प्रकारसे, जैसा कि फरीकैनके बीचमें तय हो, अथवा, यदि उनमे कोई बात तय न हुईहो तो, जैसा कुछ अदालत तय करे।

(२) जब कोई सर-पच नियुक्त किया गया हो, तो अदालत, जसा उचित समझेगी, उसके फैसला देने का समय नियत कर देगी, बशर्ते कि उसे काम करने के लिए आज्ञा दीगई है।

५—कुछ मामलों में पंच नियुक्त करनेके सम्बन्ध में अदालत का अधिकार

(१)नीचे लिखी किसी भी दशा में, अर्थात् —

(ए) जब किसी उचित समय के भीतर फरीकैन में पच की नियुक्ति के सम्बन्ध मे कोई बात तय न हो, अथवा जो व्यक्ति पच नियुक्त किया गया है वह पच होना स्वीकार न करे, या

(बी) जब कोई पच अथवा सर पच—

१—मर जाय, या

२—कार्य करने से इन्कार कर दे अथवा उसमें असावधानी करे, या कार्य करने मे असमर्थ होजाय, या

(सी) ऐसी दशा मे बृटिश भारतसे बाहर चला जाय जिससे यह मालूम होता हो कि वह शीघ्र वापस नहीं आवेगा, या

(डी) जब पचायत मे मामला पेश करने के सम्बन्ध मे दिये गये हुक्ममें पन्चों को यह अधिकार दिया गया हो कि वे सर-पच नियुक्त कर लें और वे ऐसा न कर सकें,—

तो, किसी भी फरीक को, यह अधिकार होगा, कि वह दूसरे फरीक

पर अथवा पक्षों पर, जैसा कुछ भी हो, पंच अथवा सर-पंचकी नियुक्ति करनेके लिये लिखित नोटिस तामील करावे।

(२) अगर इस नोटिस के तामील हो जाने के बाद ठीक सात दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय में, जैसा कि प्रत्येक अवस्था मे अदालत दे, कोई भी पंच अथवा सर पंच, जैसा कुछ भी हो, नियुक्त न किया जाय तो अदालत का अधिकार होगा कि वह, उस शख्सके दरख्वास्त देने पर जिसने कि नोटिस दी है, और दूसरे फरीकैन को अपनी बात पेश करनेका अवसर (मौका) देनेके पश्चात् पंच अथवा सर-पंच को नियुक्ति करदे, या उस पंचायत को रद्द कर देनेका हुक्म दे देवे, और ऐसी दशा में अदालत स्वयं उस मामले में विचार करेगी।

६—पैरा ४ अथवा ५ के अनुसार नियुक्त किए गए पंच अथवा सर-पंच के अधिकार

प्रत्येक ऐसे पंच अथवा सर पंच को, जो उपरोक्त पैराग्राफ ४ या ५ के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस समय होते, अगर उसका नाम पहिले दिये गये हुक्म में शामिल कर दिया गया होता।

७—गवाहो के नाम सम्मन जारी करना और उनकी पाबन्दीका न किया जाना

(१) अदालत उन फरीकैन और गवाहों के नाम, जिनके पंच अथवा सर पंच बयान लेना चाहता है, उसी प्रकार सम्मन जारी करेगी जैसे कि वह उस समय कर सकती है जब किसी मामले की सुनाई (समाअत) वह स्वयं करती है।

(२) जो लोग ऐसे सम्मन के तामील होजाने पर हाजिर न होंगे या जो अन्य कोई अपराध करेंगे अथवा अपना इजहार देने से इन्कार करेंगे, या उस पंचायत में पेश हुए मामले की जांच (तहकीकात) के दौरान में पंच अथवा सर-पंचकी मानहानि करनेके अपराधी पाए जायगे, वे उन्हीं असुविधाओं, जुर्मानों और सजाओं के पाने के अधिकारी होंगे जिनके पाने के अधिकारी वे उस समय होते अगर उन्होंने अदालत के सामने होने वाले मुकद्दमों में ऐसे अपराध किए होते।

८—पंचायत का फैसला देने के लिए समय का बढ़ाया जाना

जब पंच अथवा सर पंच उस समय में अपना फैसला (award) पूरा न कर सकते हों जो हुक्म में दिया गया है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह अगर उचित समझे तो, यातो और समय बढ़ादे, और समय समयपर, उस समयके

समाप्त होजाने के पहिले अथवा पीछे, जो (पंचायती) फैसला देने के लिए हुक्म में दिया गया है, ऐसा समय बढ़ा दिया करे या उस पचायत के रद्द किए जाने के लिए हुक्म दे देवे, और ऐसी दशा मे वह स्वय उस मामले मे विचार करेगी।

९—पंचों के बजाय सर-पंच कब मामला तय कर सकता है

जब कोई सर पच नियुक्त किया गया हो, तो पचों की जगह वह पचायत मे पेश किए गए मामले पर विचार कर सकता है, अर्थात्—

(ए) अगर उन्होंने बिना कोई फैसला दिए फैसले के लिए नियत समय को नष्ट कर दिया है, या

(बी) अगर उन्होने अदालत अथवा सर पञ्च को इस बात की लिखित नोटिस दे दी है कि वे राजी नहीं हैं।

१०—फैसले पर हस्ताक्षर (दस्तखत) किए जाना और उसका अदालत मे दाखिल किया जाना

जब किसी मामलेमें पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो जिन लोगों ने यह फैसला दिया है, वे उसपर अपने हस्ताक्षर करके उस फैसले को मय उन बयानों और कागजों के, जो उनके सामने लिए या सुबूत में पेश किए गए हों, अदालत मे दाखिल कर देंगे, और इस दाखिल किए जाने की इत्तला फरीकैनको दे दी जायगी।

११—पंचों अथवा सर-पंच द्वारा किसी मामले का बतौर ख़ास मामले (Especial Case) के पेश किया जाना

किसी ऐसे मामले मे, जो अदालत के हुक्म से पचायत में भेजा गया है, पञ्च अथवा सर-पञ्च, अदालत की इजाजत लेकर, उस कुल मामले या उसके किसी अश के सम्बन्ध मे अपना फैसला देते हुए उसे अदालत की राय के लिए बतौर खास मामले के पेश कर सकते है, और अदालत उसमें अपनी राय दे देगी और यह हुक्म देगी कि उसकी वह राय उस फैसले मे शामिल कर दीजाय और उसका एक अग समझी जाय।

१२—फैसलेमें काट-छांट करने अथवा उसके दुरुस्त करनेका अधिकार

अदालत अपने हुक्म से किसी पचायती फैसले में काट छाट कर सकती है अथवा उसे दुरुस्त कर सकती है —

(ए) जब ऐसा मालूम हो, कि फैसले का कुछ अश उन बातों के सम्बन्ध मे है जो पचायत के सामने पेश नहीं कीगई थी और वह अश दूसरे अंशो से अलग किया जा सकता है और इससे उन बातों

के सम्बन्ध मे दिए गए फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जो पचायत के सामने पेश की गई है, या

(बी) जब वह फैसला जाब्ते मे पूरा न हो या उसमे कोई जाहिरा गलती हो जो बिना उस फैसले पर कोई असर डाले दुरुस्त की जा सकती हो। या

(सी) जब उस फैसले मे कोई लिखने की गलती या ऐसी भूल रह गई हो जो धोखे से गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से हुई हो।

१३—पंचायतके खर्चेके सम्बन्धमें हुक्म

अदालत को यह भी अधिकार होगा कि वह पचायत के खर्चे के सम्बन्ध मे, जैसा उचित समझे, हुक्म दे, जब कि ऐसे खर्चे के सम्बन्ध मे कोई सवाल पैदा हो और फैसले मे इसके सम्बन्ध मे कोई सन्तोषजनक व्यवस्था न की गई हो।

१४—फैसला (award) अथवा पंचायतमें पेश किया हुआ मामला कब वापस किया जा सकता है

अदालत को अधिकार होगा कि वह पचायती फैसले को या उस मामले को, जो पचायत में पेश किया गया है, ऐसी शर्तों पर, जिन्हे वह उचित समझे, उसी पच अथवा सर पच के पास उसपर फिर विचार करने के लिए वापस कर दे,—

(ए) जब उसमे कोई ऐसी बात फैसल करने को रह गई हो जो फैसले के लिए पेश की गई थी, अथवा जब उसमे कोई ऐसी बात फैसल कर दी गई हो जो पेश नहीं की गई थी सिवाय उस दशा मे जब कि बिना उस फैसले पर कोई असर डाले, जो पेश की हुई बातों के सम्बन्धमे दिया गया है, वह मामला अलग किया जा सकता हो,

(बी) जब वह (पचायती) फैसला ऐसा अनिश्चित हो कि उसकी इजरा न की जा सकती हो;

(सी) जब उस फैसले के बाजाब्ता (कानूनी) होने के सम्बन्ध में उसमे कोई आपत्ति जान पड़े।

१५—पंचायती फैसला रद करनेके कारण

(१) पैरा १४ के अनुसार वापस किया हुआ पंचायती फैसला उस समय नाजायज होजाता है अगर वे पच अथवा सर पच उस पर फिर विचार न कर सके। लेकिन सिवाय नीचे लिखे कारणों पर कोई भी फैसला रद न किया जा सकेगा, अर्थात्—

(ए) पंच अथवा सर पंच के घूस (रिश्वत) खालेने या अनुचित आचरण करने पर,

(बी) किसी फरीक के, फरेब से किसी ऐसी बात छिपा रखने का, अपराधी होने पर, जो कि प्रकट की जानी चाहिए थी, अथवा जान बूझकर पंच अथवा सर पंच को गलत बातें बतलाने या धोखा देने पर,

(सी) जब फैसला अदालत के उस हुक्म के बाद दिया गया हो जिससे उसने पंचायत को रद्द करके स्वयं मामले की समाअत शुरू कर दी हो या उस मियाद के खतम होजाने के बाद दिया गया हो जो अदालत ने दी थी अथवा वह और किसी तरह पर नाजायज हो,

(२) जब कोई (पंचायती) फैसला नाजायज होजाय या क्लॉज (१) के अनुसार रद्द कर दिया जाय, तो अदालत उस पंचायत के रद्द किए जाने के लिए हुक्म दे देगी और ऐसी दशा में उस मुकद्दमे की सुनाई खुद करेगी।

१६—अदालत का फैसला पंचायती फैसले के आधार पर होगा

(१) जब अदालत को कोई भी कारण पंचायती फैसले को या पंचायत में पेश किए गए मामले को, ऊपर बतलाए अनुसार, उस पर फिर विचार किए जाने के लिए वापस करने का न देख पड़े और पंचायती फैसले को रद्द करने के लिए कोई दरख्वास्त न दी गई हो, या अदालत ने ऐसी दरख्वास्त, नामंजूर कर दी हो, तो, ऐसी दरख्वास्त देने के लिए नियत समय बीत जाने के बाद, अदालत उस (पंचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला दे देगी।

(२) इस प्रकार अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार डिकरी दी जायगी और इस डिकरी की अपील न हो सकेगी, सिवाय उस हद तक जब कि वह डिकरी उस पंचायती फैसले से अधिक हो अथवा उस फैसले के आधार पर न दी गई हो।

पंचायत में मामला पेश किए जाने के लिए किए गए इकरारनामा पर हुक्म

१७—पंचायत में मामला पेश किए जाने के सम्बन्ध में किये गए इकरारनामा को अदालत में पेश करने के लिए दरख्वास्त—

(१) जब कई लोग इस सम्बन्ध में लिखित इकरार करें कि कोई मामला, जिसकी निस्बत उनमें झगड़ा है, पंचायत में पेश किया जाय, तो, उस इकरारनामा के लिखने वाले, या उनमें से कोई भी शख्स किसी ऐसी अदालत को, जिसको उस मामले की सुनाई करने का अधिकार है जिसके सम्बन्ध में

इकरारनामा लिखा गया है, इस बात की दरख्वास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा को दाखिल अदालत कर दे।

(२) दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए और उसपर उस नालिश की तरह पर नम्बर डाले जाने चाहिए और उसको रजिस्टर में ऐसा ही दर्ज किया जाना चाहिए जो उन फरीकैन के बीच दायर की गई हो, जिनमें से एक अथवा अधिक, मुद्दई हों या बतौर मुद्दई के दावेदार हों और बाकी मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहकी तरह पर हकदार हों, अगर वह दरख्वास्त कुल फरीकोंकी ओरसे दायर की गई है, या, अगर कोई बात इसके विपरीत है तो, दरख्वास्त देने वाला मुद्दई और बाकी आदमी मुद्दाअलेह हों।

(३) ऐसी दरख्वास्त दिए जाने पर अदालत यह हुक्म देगी कि इसकी नोटिस, दरख्वास्त देने वाले को छोड़, बाकी उन सभी लोगों को दे दी जाय जिनके दर्म्यान इकरारनामा हुआ है, जिसमें उन लोगों को इस बात के लिए लिखा जायगा कि वे नोटिस में बतलाए हुए समय के भीतर इस बात की वजह जाहिर करें कि इकरारनामा क्यों न दाखिल अदालत किया जाय।

(४) जब कोई माकूल वजह न जाहिर की जायगी, तो अदालत उस इकरारनामा को दाखिल अदालत (शामिल मिसिल) किए जाने का हुक्म दे देगी और उस पंच के पास मामला पेश किए जाने के लिए हुक्म दे देगी जो इकरारनामा की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया हो या, अगर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और फरीकैन सहमत नहीं है तो, अदालत पंच की नियुक्ति कर सकती है।

१८—मुकद्दमें का मुल्तवी किया जाना, जब कि मामले को पंचायत में पेश किए जाने के लिए इकरारनामा किया गया हो।

जब मामला पंचायत में पेश किये जाने के लिये किये गये इकरारनामा का लिखने वाला कोई भी शख्स या कोई ऐसा शख्स, जो उसके जरिये से दावेदार है, उस इकरारनामा के लिखने वाले दूसरे शख्स के ऊपर या उस शख्स के ऊपर, जो उसके जरिये से दावेदार है उस मामले के सम्बन्ध में कोई नालिश दायर करे जिसे पंचायत में पेश किये जाने के लिये इकरारनामा हुआ है, तो ऐसी नालिश के किसी भी फरीक को अधिकार है कि वह जल्द से जल्द और उन सभी हालतों में, जब कि उसूर तनकीह तलब या इकरार नामा होने के समय या उसके पहिले फसल हुआ हो, अदालत को मुकदमा मुल्तवी किये जाने के लिये दरख्वास्त दे और अदालत अगर उसे इसबात का इतमीनान हो जाय कि इस बातके लिये कोई माकूल वजह नहीं है कि मामला उस इकरारनामा के अनुसार पंचायत में क्यों न पेश किया जाय जो इस मामले को पंचायत में पेश करने के लिये किया गया

है और यह कि सायल (दरख्वास्त देनेवाला) नालिश दायर किये जाने के समय उन सारी बातों के करने के लिये तैयार और राजी था और अब भी है जो पंचायतमें ठीक प्रकार से मामला फैसला किये जानेके लिये आवश्यक है, मुकद्दमा मुलतवी करने के लिये हुक्म दे सकती है।

१९—पैराग्राफ १७ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू होने वाले नियम

उपरोक्त नियम, जहा तक कि वे इस इकरारनामा के अनुसार हों जो पैराग्राफ १७ के अनुसार अदालत मे दाखिल किया गया है, उन कुल बातों के सम्बन्ध मे, जो पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध मे उस पैराग्राफ के अनुसार अदालत द्वारा दिये गये हुक्म के अनुसार की जाय, और पचायती फैसला तथा उस फैसले के आधार पर दी गई डिकरी के सम्बन्ध मे लागू होंगे।

बिना अदालत के हस्तक्षेप के पंचायत का होना (३)

Arbitration without the intervention of a Court

२०—उस मामले में जो किसी अदालत के बिना हस्तक्षेप किए हुए पंचायत में पेश किया गया हो, दिए गए पंचायती फैसले का दाखिल अदालत किया जाना

(१) जब कोई मामला बिना किसी अदालत के हस्तक्षेप के पचायत में पेश किया गया हो और उसमें पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो कोई भी शख्स, जिसका उस फैसले से सम्बन्ध है, किसी भीअदालत को, जिसे उस मामले की सुनाई करने का अधिकार हो जिसके सम्बन्ध मे फसला दिया गया है, यह दरख्वास्त दे सकता है कि वह पचायती फैसला दाखिल अदालत किया जाय।

(२) यह दरख्वास्त लिखित होगी और उस पर बतौर नालिश के, जिसमे सायल मुद्दई और दूसरे लोग मुद्दा अलेह होंगे, नम्बर डाले जायगे और उसका इन्द्राज रजिस्टर मे किया जायगा।

(३) अदालत इस बातका हुक्म देगी कि, सायलको छोड़, पचायत में पेश किए गए मामले के सभी "फरीकैन" को नोटिस दीजाय जिसमे उनको एक नियत समयके भीतर इस बातकी वजह जाहिर करने के लिए लिखा जाय कि वह पंचायती फैसला क्यों न दाखिल अदालत किया जाय।

२१—ऐसे फैसले का दाखिल किया जाना और उसका अमल में लाया जाना

(१)जब अदालतको इस बातका विश्वास होजाय कि मामला पचायतमें पेश किया गया है और यह कि पचायत ने उसमें अपना फैसला दे दिया है और जब

पैराग्राफ १४ या १५ में बतलाई हुई अथवा उल्लिखित कोई भी वजह साबित न हुई हो, तो अदालत उस पचायती फैसले को दाखिल अदालत किये जानेका हुक्म दे देगी और उसी (पचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला सुना देगी।

(२) इस प्रकार दिए गए अदालतके फैसलेके अनुसार डिकरी दी जायगी और इस डिकरी के विरुद्ध कोई भी अपील न हो सकेगी, सिवाय उस हद तक जब कि डिकरी उस पचायती फैसले से जायद दी गई हो या वह उस फैसले के आधार पर न हो।

२२—स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट सन १८७७ ई० मेंसे कुछ शब्दोंका निकाल दिया जाना

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) सन् १८७७ ई० की दफा २१ के नीचे लिखे हुए अन्तिम शब्द, पचायतमे मामला पेश करनेके लिए किए गए इकरारनामा मे अथवा किसी पचायती फैसलेके सम्बन्ध मे, लागू न होंगे जिसके सम्बन्धमें इस परिशिष्ट के नियम लागू होते हैं।

"लेकिन अगर कोई शख्स, जिसने ऐसा कोई मुआहिदा किया है और उसके पूरा करने से इनकार कर दिया है, किसी भी ऐसी बातके सम्बन्धमे नालिश करता है जिसे उसने पचायत में पेश करने का मुआहिदा (इकरारनामा) किया है, तो इस मुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती।"

२३—फार्म

जो फार्म जमीमा (Appendix) में बतलाएँ गए हैं, वे, ऐसी रद्द बदल करने के बाद, जैसी प्रत्येक मामले मे आवश्यक हो, उसमे बतलाई हुई भिन्न भिन्न बातों के सम्बन्ध म प्रयोग मे लाए जायगे।

ज़मीमा (Appendix)

नंबर १

पंचायतमें मामला पेश किये जानेका हुक्म हासिल करने के वास्ते

दरख्वास्त

उनवान मुकद्दमा

१-यह मुकद्दमा वास्ते [इस जगह पर दावा की किस्म लिखनी चाहिए] दायर किया गया है।

२-फ़रीकैन के बीच जिस बातका झगड़ा है वह इस प्रकार है [यहां पर वह बात लिखनी चाहिए जिसकी निस्पत झगड़ा है]।

३-सायलो में, जिनमें के सभी लोग फरीक़ मुकद्दमा हैं, यह तय पाया है कि इनमें जिस बातकी निस्बत झगडा है वह पंचायत में पेश की जाय।

४-इसलिए सायलों की यह दरख्वास्त है कि पंचायत में मामला पेश करनेके लिए इजाजत दीजाय।

(नाम सायलान)

आज तारीख़ माह सन् १९ ई०।

नोट—अगर फरीकैन में पंचों की निस्बत भी बात तय हो होगई है तो यह भी लिख देना चाहिए।

नंबर २

पंचायतमें मामिला पेश कियें जानेकी बाबत हुक्म

[उनवान मुकद्दमा]

जो दरख्वास्त तारीख़ माह सन् १९२ ई० को दाखिल कीगई थी, उसको पढ़कर यह हुक्म दिया जाता है कि यह नीचे लिखा हुआ मामला, जिसकी निस्बत इस मुकद्दमेमें झगड़ा है, अर्थात्————

————————————————————

————————————————————

————————————————————

फैसले के लिए और के पास पेश किया जाये या अगर वे सहमत न हों तो के पास पेश किया जाय, जो इस तहरीर के जरिए सर-पंच मुकरर किए जाते हैं, और इन पंचों को चाहिए कि वे अपना फैसला लिखकर तारीख़ माह सन् १९ ई० तक या उसके पहिले दे देवें, और अगर उपरोक्त पंच फैसले में सहमत न हों तो उक्त सरपंचको चाहिए कि यह उस समयके खतम हो जानेके बाद, जिसमें फैसला देना पंचोंके अधिकारमें है, महीने के भीतर अपना लिखित फैसला दे देवे।

दरख्वास्त देने की इजाजत है।

यह हुक्म मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख़ ...... माह ' ' सन् १९ ई० को दिया गया।

दस्तखत जज

———

नंबर १

नए पंचकी नियुक्ति के सम्बन्ध में हुक्म

[उनवान मुकद्दमा]

चूंकि तारीख़··· माह ········ सन् १९·······ई० को [यहां पर पंचायतमें मामला पेश किए जाने के लिए दिया गया हुक्म और पंचकी मौत इत्यादि सारी बातें लिखी जानी चाहिए] दिए गए हुक्मके ज़रिये बरख़ास्तगी यह हुक्म दिया गया है कि के स्थान में, जिनकी मृत्यु होगई है (अथवा जैसी कुछ भी हो) नियुक्त किए जाते हैं कि वह ·· के साथ, जो उक्त हुक्मके अनुसार नियुक्त किये गये पंचों में से बाक़ी बचे हुए पंच हैं, बतौर पंचके काम करें, और यह हुक्म दिया जाता है कि उक्त पंच अपना फ़ैसला तारीख़ ···· माह ··· सन् १९ ई० को या उससे पहले दे देवें।

यह हुक्म मेरे दस्तख़त और अदालतकी मोहरसे आज तारीख़ · माह ·· सन् १९·······ई० को दिया गया।

दस्तख़त जज

नंबर ४

ख़ास मामला

[उनवान मुक़द्दमा]

———— साकिन ———— और ————

साकिन ———— के बीच में होने वाली पंचायत के सम्बन्ध में नीचे लिखा मामला बतौर ख़ास मामले के अदालत की राय के लिए पेश किया जाता है —

[यहां पर कुल बातों को संक्षेप में और पैरावार लिखना चाहिए]

क़ानूनी प्रश्न, जिनके निस्बत अदालत को अपनी राय ज़ाहिर करनी चाहिए, ये हैं —

पहला यह कि क्या ————————

————————————————

दूसरा यह कि क्या ————————

————————————————

———— (पंचका नाम)

———— (पंचका नाम)

तारीख ...माह ... सन् १९ ... ई०।

नंबर ५

पंचायत का फैसला

[उनवान मुकद्दमा]

———————— साकिन ———————— और ————————

साकिन ———————— के बीच होने वाली पचायत का मामला।

चूंकि पचायत में मामला पेश करने सम्बन्धी हुकमके अनुसार, जो तारीख ... माह .... सन१९.. ई० को ... की अदालत द्वारा दिया गया था, नीचे लिखा मामला, जिसकी निस्बत ... और ... में झगड़ा है, अर्थात् ————————

————————————————

हमारे सामने फैसले के वास्ते पेश किया गया है,

अब हम, उस मामले पर, जो हमारे सामने पेश किया गया है, भलीभांति विचार कर, अपना नीचे लिखा हुआ फैसला देते हैं

अब हम यह फैसला करते हैं,

(१) कि ————————

(२) कि ————————

तारीख ... माह ... सन् १९... ई०।

———————— (पचोंके नाम)

पञ्चायत

उपरोक्त पंचायत के विषय को सरल रीतिसे समझनेके लिये हाल तककी नजीरों सहित व्याख्या नीचे दीगई है। जहा पर पंचायत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पैराका उलेख किया गया हो तो आप ऊपर मूल में देख कर विचार करें,



जब किसी मुकद्दमे में उस मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले कुल फरीकैन इस बात पर राजी हों कि कोई मामला पंचायतमें पेश कर दिया जाय, तो फैसला दिए जानेके पहिले किसी भी समय में अदालत को इस बातकी दरख्वास्त दे सकते हैं कि, अदालत उस मामलेको पंचायतमें पेश किए जानेके लिए हुक्म दे देवे। ऐसी दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए और उसमें उस मामलेका भी हवाला होना चाहिए जो पंचायतमें पेश किए जाने को है (देखो ज़ाबता दीवानीका परिशिष्ट २ पैरा १)

इस पैरामें उस पंचायतका ज़िक्र है जो किसी ऐसे मामलेमें की जाने को हो जो चल रहा है। ज़ाबता दीवानीमें तीन प्रकारकी पंचायतोंका वर्णन है —

(१) जब किसी चलते हुए मुकद्दमें के फरीकैन मामलेको पंचायतमें पेश करना चाहते हों। इस प्रकारके मामलेमें आदिसे अन्त तक सारी कार्रवाई अदालतकी देख-रेखमें रहती है और इस सम्बन्धमें अमलमें आने वाले नियमोंका वर्णन परिशिष्ट २ के पैरा १ से १६ तक में किया गया है।

(२) जब फरीकैन बिना मुकद्दमा बाजीमें पड़े मामलेको पंचायतमें पेश करना चाहते हों और इस बातकी इच्छा प्रकट कीगई हो कि मामला पंचायतमें पेश करने के लिए किए गए इकरारनामाके ऊपर अदालतकी मंजूरी जरूरी है। यह इकरारनामा अदालतमें दाखिल किया जाता है। इस अवस्थामें आगे होने वाली सारी कार्रवाई अदालतकी देख रेखमें होती है और इस सम्बन्धमें पैरा २ से १६ तकके नियम, जहां तक कि वे दाखिल किए गए इकरारनामाके अनुकूल हों, लागू होंगे।

(३) जब मामला पंचायतमें पेश किये जानेका इकरारनामा किया गया हो और बिना अदालतके कुछ हस्तक्षेप किए पंचायती कार्रवाई की जाय, और अदालतकी मदद सिर्फ उस पंचायती फैसलेको अमलमें लानेके लिए ही मांगी जाय। ऐसे मामलेमें कोई भी शख्स, जिसका उस पंचायती फैसलेसे सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें अख्तियार समाअत रखने वाली किसी भी अदालतको यह दरख्वास्त दे सकता है कि वह पंचायती फैसला शामिल मिसिल करके-उसके अनुसार डिकरी दे दी जाय, (देखो पैरा २० और २१)।

(१) और (२) अथवा (३) में बतलाई हुई अवस्थाओंमें पंचायतमें मामला पेश करनेके बीच बड़ा अन्तर है। (१) में बतलाई हुई हालतोंमें पचायत में मामला दिए जाने के लिए किया गया इकरारनामा और उस इकरारनामाके आधार पर दीगई दरख्वास्तोंके सम्बन्धमे उन सभी फरीकैनकी मजूरी होना जरूरी है जिनका उनसे सम्बन्ध है और असलमे मामलेका पेश किया जाना उसी समय हो सकेगा जब अदालतने इसके लिये हुक्म दे दिया हो, इसलिए उस समय तक कार्रवाईके बाक़ायदा होनेके सम्बन्धमे कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। (२) और (३) मे बतलाई हुई अवस्थाओंमें की जाने वाली कार्रवाई, जो बतौर मुकद्दमाके बतलाई गई है और जो मुकद्दमेकी भांति रजिस्टर की गई है, इस प्रकार की जानी चाहिए कि उस सारी कार्रवाईको—पचायतमे मामला पेश करनेका इकरारनामा या पचायती फैसला, जैसी कुछ भी अवस्था हो—समाप्त अदालत कर सके। ऐसी दरख्वास्त के विरुद्ध कारण दिखलाना चाहिए। और ऐसा मालूम होता कि उसके ऊपर जो हुक्म दिया गया है वह जाब्ता दीवानीमें बतलाई हुई डिकरी है, (देखो 29 C 167 P C, 6 C W N 226

किसी ऐसे मुकद्दमेंकी पंचायतमे, जो कि चल रहा है, उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगोंको उस इकरारनामामे शामिल होना चाहिये जो पचायतमे मामला पेश करने के सम्बन्धमे लिखा गया हो, (देखो 29 C 167 P C, 30 C 218, 10 W R 171, 11 C 37)—यह तय हुआ है कि सिर्फ यह बात, कि कोई मुद्दाअलेह हाजिर नहीं हुआ है और मुकद्दमेमें कोई वाद-विवाद नहीं करता है, इस बातके मान लेनेके लिए काफ़ी वजह नहीं है कि वह ऐसा फरीक़ नहीं है जिसका उस मुकद्दमसे सम्बन्ध न हो, देखो 27 C L J 339, 25 C L J 339, 43 I C 169, 42 M 632, 8 A L J 645, 35 A 107 इसके विपरीत फैसलेके लिए देखो 32 A 657, 39 A. 489, 495, 18 M L T 374—जब तक कि उसे खास तौरसे इसके लिए अधिकार न दिया गया हो, कोई वकील पचायतमे मुकद्दमा पेश किए जाने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता, देखो 7 C W N 343; 16 W R 160—जिस वकालतनामामे आम अख्तयारात दे दिए गए हों, वह बिलकुल काफ़ी नहीं है, देखो 29 A 429 अगर कोई मुख्तार जिसे किसी मुकद्दमेकी पैरवी करनेका अधिकार दिया गया है, उस फरीककी जानमें और उसकी मजूरीसे मामलेको पचायतमे दे देता है, तो वह फरीक़ इस बात पर एतराज नहीं कर सकता कि वकीलको लिखित आज्ञा नहीं दीगई थी, देखो 9 M 451, 24 C 469 —हमेशा यही जरूरी नहीं है कि लिखित आज्ञा ही दी जाय, देखो 30 A 32, 23 B 629

अगर फरीकैन मुकद्दमा इस बातके लिए राजी हों, तो अदालत अपील भी मामलेको पंचायतमें भेज सकती है, देखो 43 C 290; 12 C 173; 18 C 507, 33 A 645, 3 M 78

दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो इसका सुधार जाब्ता दीवानी की दफा ९९ के अनुसार किया जा सकता है, देखो 27 C 61;

30 A 32—अगर फरीकैन पचायतमें मुकद्दमा देनेके लिए राजी हो जाय और उसी जगह अदालत इसकी मंजूरी भी दे दे, यद्यपि यह हुक्म किसी लिखित दरख्वास्तके ऊपर न दिया गया हो, तो वह हुक्म बिल्कुल जायज होगा, देखो 79 I C 816 (A)—पचायतमें मामला पेश हो जाने के बाद अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह उनमें से किसी एक फरीकको इस शर्तके साथ मुकद्दमा वापस लेनेका हुक्म दे सके कि वह फिर नए सिरेसे मुकद्दमा दायर कर सकेगा, देखो 9 A 168 और 31 C 516

किसी चलते हुए मुकद्दमेमें पचायती कार्रवाईके सम्बन्धमें बाबत—अदालत अपने हुक्मसे उस मामलेको, जिसकी निस्बत झगड़ा हो, पचायतमें दे देगी और पचायती फैसला दिए जानेके लिए कोई समय नियत कर देगी। जब मामला पचायतमें पेश कर दिया गया हो, तो अदालत, सिवाय परिशिष्ट २ पैरा ३ में बतलाए हुए नियमानुसार, उस मामलेके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई न कर सकेगी। अगर पच लोग नियत समयके भीतर फैसला न दे सकेंगे, तो अदालत याती वह समय बढ़ा देगी या उस पचायतसे मामला उठा लेगी और ऐसी दशामें वह स्वयं उस मामले पर विचार करेगी, (देखो पैरा ८)—जब मामला दो अथवा अधिक पचों के सामने पेश किया गया हो, तो उनके मत भेदके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिये हुक्म दिया जा सकता है। जब कोई सर पच मुकर्रर किया गया हो, तो अदालत उसके फैसला देने के लिए समय नियत कर देगी (देखो पैरा ४)—कुछ मुकद्दमोंमें पच मुकर्रर करनेका अधिकार है, उदाहरणार्थ, जब कि पचके मुकर्रर करने के सम्बन्धमें फरीकैन राजी न होते हों या जब कोई पच काम करनेसे इनकार कर दे या मर जाय इत्यादि इत्यादि। अगर फरीकसानीको नोटिस दिए जाने पर सात रोजके भीतर पच मुकर्रर न किया गया, तो अदालतको अधिकार है कि वह फरीकसानीके बयान लेनेके बाद किसी शख्सको पच मुकर्रर कर दे या पचायतको रद्द कर दे (देखो पैरा ५)—पचोंको गवाह तलब करने का अधिकार है (देखो पैरा ७)

पचायती फैसला देने वाले शख्स उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और सब बयानों और कागजातके (अगर कोई हो) उसे अदालतमें दाखिल करवा देंगे, और उस फैसलेको अदालतमें दाखिल किए जानेकी नोटिस फरीकैनको दे दी जायगी (देखो पैरा १०)—पच अथवा सर पचको अधिकार है कि वह अदालत की राय के लिए अपने फैसलेमें किसी मामलेके कुल या कुछ हिस्सेको 'खास मामला' की तौर पर दर्ज कर दे (देखो पैरा ११)

अदालत किसी पचायती फैसलेको तरमीम या सही कर सकती है, जबकि—

(क) वह फैसला किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें दिया गया हो जो पचायत में पेश न किया गया हो और उसका उतना अंश फैसले पर बिना कोई प्रभाव डाले अलग किया जा सकता हो, या

(ख) जब कि उसमें कोई जाब्तेकी कमी रह गई हो या कोई भारी भूल हो गई हो, या

(ग) जब कि गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से उसमे कोई लिखने-पढ़नेकी गलती रह गई हो (देखो पेरा १२)

अदालत पचायतमे होने वाले खर्चके सम्बन्धमे भी हुक्म दे सकती है (देखो पेरा १३)

अदालतको किसी फैसले या उसके किसी हिस्सेको, उस पर फिर विचार करने के लिए, वापस कर देनेका अधिकार है—जब (क) कोई बात बिना तय की हुई छोड़ दीगई हो या जब कोई ऐसी बात तय कर दीगई हो जो पेश नही कीगई है, (ख) जब फैसला अनिश्चित हो, या (ग) जब उसके बाजाब्ता होने के सम्बन्धमे कोई एतराज हो (पैरा १४)

फैसलेकी मसूखी—सिवाय नीचे लिखी लिखी बिनाके ऊपर, कोई भी पचायती फैसला मसूख न किया जा सकेगा —

(क) पच अथवा सर पचके घूस वगैरा खा लेने या अनुचित व्यवहार करने पर,

(ख) फरेब (कपट) के साथ किसी बातको छिपाने या जान बूझकर पंच को गलत बात समझाने या धोखा देनेकी हालतमे,

(ग) जब फैसला उस हुक्मके बाद, जिससे पचायत रद कर दीगई है और मामला अदालतने अपने हाथमे ले लिया है, या उस मियादके खतम हाजाने के बाद दिया गया हो जो अदालतने मुकर्रर की है, अथवा जब वह और किसी तरहसे नाजायज हो।

जब कोई पचायती फैसला नाजायज हो जाय या और किसी तरहसे रद कर दिया जाय, तो अदालत उस मामलेमे स्वय विचार करेगी (देखो पेरा १५)

मजूरी—जब अदालत, उसपर फिर विचार किए जानेके लिए, किसी पचायती फैसलेको वापस करनेका कोई कारण न देखे और उसके रद किए जानेके लिए कोई दरख्वास्त न दीगई हो या अदालतने ऐसी दरख्वास्त नामजूर कर दी हो तो उस पचायती फैसलेके आधार पर अदालत अपना फैसला सुना देगी और फिर उस मुकदमेमे वैसी ही डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा १६)

विवरण—यह आवश्यक है कि पचायती फैसलेके लिए अदालत एक मुनासिब मियाद मुकर्रर कर दे। यह शर्त ताकीदी है। जब कि एक पचायती फैसला नियत समयके बाद दिया गया, तो यह तय पाया कि वह फैसला नाजायज है, देखो 13 A 300 P C; 8 A 548, 14 A 347, 30 A 169 और 18 M 22—किन्तु यह भी तय किया गया है कि अगर वह पचायती फैसला नियत समयके भीतर दिया गया है, तो यह काफी होगा। यह आवश्यक नही है कि वह उस मियादके अन्दर अदालतको पहुच जाय, देखो 27 A 459, 13 B 119, 13 A 300, 26 A 105, 8 C W N 916—यद्यपि नियत समयके बाद दिया हुआ पचायती फैसला नाजायज है किन्तु फरीकैन उसकी निस्बत यह दोषारोपण न कर सकेंगे कि वह नियत समयके बाद दिया गया है,

देखो 4 P L J 265,270—अदालतको अधिकार है कि वह फैसला खतम न हो जाने तक के लिए समयको बढ़ा दे। केवल इस बातसे, कि अदालतने उस पचायती फैसलेके आधार पर डिक्री दे दी है, यह अनुमान नहीं किया जासकता कि मियादकी मुद्दत बढा दीगई है, (देखो 13 A 300 P C, 8 A 548)—फैसला उसी समय 'दिया गया' समझना चाहिए जब कि वह पूरा हुआ हो और उस पर पचोंके हस्ताक्षर हुये हों, देखो 27 A 459, 26 A 105—'दिया गया' शब्दमें फैसलेका अदालतमें दाखिल करना शामिल नहीं है, देखो 13 B 119

पचायतमें मामला पेश करने सम्बन्धी हुक्मके फ़ार्मके लिए देखो परिशिष्ट (२) के जमीमाका फ़ार्म न० २।

किसी मामलेके एक बार पचायतमें पेश हो जाने पर बिना उचित और पर्याप्त कारणके कोई भी फरीक उसका विरोध नहीं कर सकता, देखो 10 W R 51 P C, 7 A 273, 27 M 112, 17 C 200—विरोधी पक्ष से पंचका मिल जाना उचित कारण है, देखो 29 A 13.

मत भेद के सम्बन्ध में बिना कोई व्यवस्था किये हुए मामले का पचायत में देना—जब पचों की राय में होने वाले मत भेद के लिये हुक्म में कोई व्यवस्था न की गई हो, तो अदालत को यह हुक्म दे दिया जाना चाहिए कि पच लोग एक सर पच चुन लें अथवा यह कि अधिक संख्यक लोगों की बात मान ली जायगी, या वह स्वयं कोई सर-पच मुक़र्रर कर देगी, देखो 10 W R 398, 11 W R 150 जब अदालत ने सर पच के लिये कोई व्यवस्था न की हो और उन पचों में से किसी एक शख्स के, जो मत भेद रखता है, दरख्वास्त देने पर किसी सर-पच को नियुक्त कर दिया हो, तो वह पचायती फैसला नाजायज न होगा, देखो 8 A 64—अगर पचों को सर पच मुक़र्रर करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे उस अधिकार को अन्य किसी को नहीं दे सकेंगे, देखो 17 B 129—केवल इस बात से, कि पचों में होने वाले मत भेद के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, पचायती फैसला नाजायज नहीं हो जाता, जब कि उनमें किसी प्रकार का कोई मत-भेद न हो, देखो 17 W R 30, 8 C L J 475,—जब पचोंको यह अधिकार न दिया गया हो, कि उनका बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा, तो केवल बहुमत से दिया हुआ फैसला नाजायज होगा, देखो 19 W R 47, 7 M 174

अदालत की ओर से कीगई नियुक्ति—अदालत, सिवाय उन मामलों में, जो कि परिशिष्ट २ के पैरा ५ में आते हैं, पच मुक़र्रर नहीं कर सकती, देखो 10 B 331, 3 A L J 185—पैरा ५ के अनुसार नोटिस दिये बिना अदालत पच अथवा सर पच की नियुक्ति नहीं कर सकती, देखो 11 A 578—नियुक्ति के फ़ार्म के लिये देखो परिशिष्ट २ के जमीमा का फार्म ३

पचायत का रद्द किया जाना—मुक़द्दमे की समाअत शुरू करने के पहिले अदालत के लिये यह आवश्यक है कि वह पैरा ७ अथवा ८ के अनुसार उस पचायत के रद्द किये जाने के लिये हुक्म दे देवे, देखो 24 A 315

मियाद—कानून मियाद के आर्टि० १५८ के अनुसार, किसी फैसले को रद्द करने के लिए दीजाने वाली दरख्वास्त की मियाद उस तारीख से दस दिन है जिस तारीख को फरीकैन को फैसला अदालत में दाखिल कर दिए जाने की नोटिस मिली हो, उस तारीख से नहीं जिस तारीख को कि वह फैसला अदालत में दाखिल किया गया हो (देखो 19 A L. J 404, 1915 P W R. 30)—दस दिन खतम होने के पहिले डिकरी नहीं दी जा सकती, देखो 21 M L J 444, 29 A 584, 1921 M W N 793—परिशिष्ट २ के पैरा १० का मंशा यह है कि नोटिस अदालत में फैसला दाखिल होजाने के बाद दिया जाय।

कानून मियाद का आर्टि० १५८ उस फैसले को वापस करने के लिए दी गई दरख्वास्त के सम्बन्ध में लागू नहीं होता (देखो 1918 M W N 477)—और न उसमें काट-छांट या दुरुस्ती करने के लिए दी गई दरख्वास्त में ही लागू होता है (देखो 24 M L J 483)

बिना मुकद्दमा चले मामला पचायतमें देनेका इकरारनामा—जिन लोगों में, अदालत के बाहर, पचायत में मामला देने का लिखित इकरारनामा होगया हो, वे अदालत को इस बात की दरख्वास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा दाखिल अदालत किया जाय। लिखित प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) देने पर, अदालत से उस इकरारनामा के लिखने वाले लोगों के नाम नोटिस जारी की जायगी कि वे इस बात की वजह जाहिर करें कि वह इकरारनामा क्यों दाखिल अदालत न किया जाय, और अगर इसके लिए काफी वजह जाहिर न की गई, तो अदालत उस मामले को पचायत में पेश करने का हुक्म दे देगी (देखो पैरा १७)—अदालत किसी मुकद्दमे के मुलतवी किये जानेका हुक्म दे सकती है, जबकि पचायत में मामला पेश किए जाने के लिए इकरारनामा हुआ हो (देखो पैरा १८) इस सम्बन्ध में पैरा ३ से १६ तक के वे नियम लागू होंगे जिनका सम्बन्ध इकरारनामा से है।

पैरा १७ के विस्तार के सम्बन्धमें देखो 29 C 167 P C इस बातका एक आम इकरारनामा, कि आगे होने वाले तमाम झगड़ों का निपटारा पचायत से कराया जाय, पैरा १७ में आता है। ऐसे इकरारनामा में पंचों का नाम अवश्य होना चाहिए या उसमें किसी पंच की नियुक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, देखो 20 B 232

बिना अदालतके हस्तक्षेप किये मामलेका पचायतमें जाना—इस सम्बन्धमें पैरा २० लागू होता है। जब कोई मामला बिना अदालत के किसी हस्तक्षेप के पचायत में दे दिया गया हो और उस पर पचायत ने फैसला दे दिया हो, तो उससे सम्बन्ध रखने वाला कोई भी शख्स इस बात के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि वह फैसला दाखिल अदालत किया जाय। पचायत में दिए हुए मामले के फरीकैन को इस बात की वजह दिखलाने के लिये नोटिस दे दी जायगी कि वह फैसला क्यों न दाखिल दफ्तर किया जाय (देखो पैरा २०)—जब अदालतको

इस बात का इतमीनान होजाय कि मामला पचायत में पेश किया गया है और उसपर पचायत ने अपना फैसला दे दिया है, तो वह उसी के आधार पर अपना फैसला दे देगी और फिर उसी के अनुसार डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा २१)

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) नं० १ सन् १८७७ई० की दफा २१ के नीचे दिये ये अन्तिम शब्द किसी इकरारनामा के सम्बन्ध में, जो पचायत में मामला देने के लिये किया गया हो, या किसी पचायती फैसले के सम्बन्ध में, जिसमें परिशिष्ट १ के नियम लागू होते हैं, लागू न होंगे (देखो पैरा २२) - वे शब्द ये हैं—

"लेकिन अगर कोई शख्स, जिसने ऐसा मुआहिदा किया है और उसके अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया है, किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नालिश करता है जिसे उसने पेश करने का मुआहिदा किया है, तो ऐसे मुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती"।

पैरा २० (३) में आए हुए "फरीकैन" शब्द से सिर्फ उन्हीं लोगों से अभिप्राय नहीं है जो वास्तव में पचों के सामने हाजिर हुए हैं और न उन लोगों से जिनके ऊपर उस पचायती फैसले का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, देखो 8 A. 340 ऐसे मामलों में नाबालिग के वली का होना अत्यावश्यक है, देखो 9 B N C 289—अदालत को पैरा २० के अनुसार किसी पचायती फैसले का संशोधन करने या उसपर फिर विचार करने के लिये उसे वापस करने का अधिकार नहीं है, देखो 27 A 526—अगर पचायत में मामला देने के लिये किया गया इकरारनामा गोल मोल और अनिश्चित हो तो उस पचायती फैसले को अमल में लाए जाने की इजाजत न दी जायगी, देखो 16 C 482 जब किसी निजी पचायत द्वारा दिए गए फैसले में कोई ऐसी बात तय की गई हो जो पेश नहीं की गई है, तो वह फैसला खारिज कर दिया जाना चाहिए, देखो 27 A 526; 29 M 303

पैरा २० के अनुसार दी गई दरख्वास्त जाबता दीवानी के आर्डर २३ रूल १ के अनुसार वापस ली जा सकती है, देखो 31 C 516; 19 C L J 260 और 9 A 168

पैरा २० के अनुसार दी जाने वाली दरख्वास्त पर लगाया जाने वाला मुनासिब कोर्ट फीस, दरख्वास्तों पर लगाया जाने वाला कोर्ट फीस है, अर्जीदावा के ऊपर लगाया जाने वाला कोर्ट फीस नहीं है, देखो 10 C 11; 13 C L R 171 कोर्ट फीस वही होगा जो कोर्ट फीस ऐक्ट के परिशिष्ट १ के आर्टि० १ में बतलाया गया है, देखो 33 C 11

निजी तौर पर की गई पचायत के फैसले को अमल में लाए जाने के लिए नालिश दायर की जा सकती है, देखो 26 B 76, 15 M 99; 20 M 490, 24 A 164

नोट—पचायत ऐक्ट के जरिए से जो मामले पचायत में फैसल हो जायं, उन के फैसले के रद्द करने या मसूख कराने या बदलाने आदि में वह सब या उनमें से

कोई खास बात मजबूती के साथ साबित करना चाहिए जो ऊपर बताई गई है। गई नजीरें यहां तक हो गई है कि पचोंने शहादत नही ली, तो भी फैसला मसूख नही हुआ। पचायत मे मामला समझ बूझकर पहिले हीसे ले जाना चाहिए और यह सोच लेना चाहिए कि पचायत में जो भी फैसला हो जायगा, चाहे हम जीते या हारें, हम उसके बाद कोई अदालती कार्रवाई नही करेंगे तभी अपने मामले को पचायत में ले जाना चाहिए। पचायत मे मामला फैसल करानेका भाव यही है कि अदालती कार्रवाई नही करना है। यह भी भाव है कि पंच लोग मामले से स्वय वाकिफ़ कार होते हैं। इसी बुनियाद पर कुछ ऐसे मुकद्दमें भी फैसल हुए हैं कि जिनमे पचों ने किसी पक्ष की शहादत नही ली सिर्फ अपनी तबियतसे फैसला किया तो भी मसूख न हुआ। इसीसे यह कहते हैं कि पंचायत समझ-बूझ कर कीजिए, पीछे कोई कार्रवाई अदालती न कीजिये, अपने काम धधे मे लगिये। पचायत में मामला ले जानेका प्रधान उद्देश्य ही यही है कि पचायत से फैसला हो जाने के बाद आगे अदालती कार्रवाई समाप्त हो जायगी।

गवाहोंके बयान लेना



सवालात और जिरह

Examination in chief and Cross Examination

गवाहोंके बयान किस क्रमसे लेने चाहिए और बयान लेते समय किन नियमोंका पालन करना आवश्यक है ये सारी बातें क़ानून शहादतकी दफा १३५ और उसके बाद वाली दफाओंमें बतला दीगई हैं। गवाहोंके बयान लेनेका क्रम यह होना चाहिए—

जब कोई गवाह कटघरे (Witness box) के अन्दर लाया जाय, तो सबसे प्रथम उसे चाहिए कि वह शपथ ले, अथवा इस बातकी प्रतिज्ञा करे, कि वह सिवाय सत्यके कोई भी झूठ बात न कहेगा। इसी को धर्मकी साक्षी देकर सच सच बयान देनेकी प्रतिज्ञा कहते हैं। हल्फ़ (शपथ) किस प्रकार दिलाई जानी चाहिए अथवा प्रतिज्ञा किस प्रकार कराई जानी चाहिए, इस बातकी व्यवस्था इण्डियन ओथ्स् ऐक्ट (भारतीय क़ानून हल्फ़) नं० १० सन् १८७३ ई० में करदीगई है।

ज्योंही गवाह शपथ (हल्फ़) ले चुके या सत्य भाषणकी प्रतिज्ञा कर चुके, त्योंही उस शख़्सको उस गवाहके बयान लेने शुरू कर देने चाहिए जिसने उसे शहादतमें तलब कराया है। ऐसे बयानको बयान ख़ास (Examination in Chief) अथवा प्रत्यक्ष बयान (Direct Examination) कहते हैं। इसके पश्चात् विरोधी पक्षको उस पर जिरह करने (Cross Examination) का अधिकार है। अन्तमें उस पार्टीकी ओरसे उसके बयान फिर लिए जासकते हैं जिसने तलब कराया है।

भारतीय क़ानून शहादत (Indian Evidence Act) का यह काम नहीं है कि वह उन व्यवहार्य प्रयोगोंकी भी व्यवस्था करे जो अनुभवसे जाने जाते हैं जिससे वकालत पेशा महाशयोंको गवाहोंके बयान लेनेमें सहायता मिल सके। उसमें केवल थोड़ेसे साधारण नियम दे दिए गए हैं जिन्हें इङ्गलिश लॉमें भली भांति सिद्ध किया गया है, अर्थात् यह कि गवाहोंके बयान लेनेका क्रम क्या होना चाहिये और कैसे अवसरोंपर कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए इत्यादि। गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछनेका कौशल, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसाकि मि० ब्यस्टने कहा है, "यह तो स्वभाविक बुद्धि के चमत्कार का परिणाम है या बहुत बड़े अनुभव के पश्चात प्राप्त होता है' केवल नियमों को पढ़ लेने से ही कोई व्यक्ति इस कौशल कला का पूर्ण ज्ञाता नहीं होजाता। स्वयं अपने अनुभव से तथा इस कला के मर्मज्ञों के पथ प्रदर्शन से इस कला में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है जिसका जानना प्रत्येक वकील के लिये परमावश्यक है। यद्यपि इस कला की जानकारी के लिये

कोई सरल और सीधा मार्ग नहीं है, यद्यपि जिरह करने सम्बन्धी कार्य में वर्षों के अनुभव के पश्चात सफलता प्राप्त हो सकती है, तो भी इस बयान लेने के नियमों, उसके उद्देश्यों और प्रयोगों का वर्णन कर देना, जिरह करने मे प्रयोग किये जाने वाले तरीकों का वर्णन कर देना, और कुछ अनुभूत प्रयोगों का बतला देना इस पेशे के युवक और उत्साही कार्यकर्ताओंके लिये परम उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से ये कतिपय पंक्तियां पाठकों की सेवा में भेंट की जाती है। इस विषय का प्रति पादन करने मे कानून शहादत के नियमों का विशेष ध्यान रखा गयाहै।

बयान लेने का क्रम—बयान लेनेके क्रमकी व्यवस्था दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी कानून और उसके प्रयोग द्वारा की जायगी और अगर ऐसा कोई कानून अथवा नियम नही है तो इसकी व्यवस्था अदालत करेगी (कानून शहादत की दफा १३५), देखो जाबता दीवानी का आर्डर १८।

यद्यपि यह बात वकील की इच्छापर निर्भर करती है कि किस क्रम से वह गवाहों के बयान ले, तो भी अदालत को दफा १३५ के अनुसार इस बात का पूर्ण अधिकार रहता है कि किस क्रम से गवाहों के बयान लिए जाय, देखो 39 C 245 इस सम्बन्ध मे वकीलों को अपनी इच्छा का प्रयोग करने मे अदालतें प्राय बहुत कम हस्तक्षेप करती है, देखो 5 C W N 15

गवाहों को अदालत के बाहर चले जानेका हुक्म—जाबता दीवानी अथवा कानून शहादत मे गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध मे किन्ही विशेष नियमों की व्यवस्था नही की गई है और इस सम्बन्ध मे साधारण तथा इंगलैण्ड की अदालतों मे प्रचलित प्रणाली का अनुकरण किया जाता है। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस शख्स को छोड़ कर जिसके कि बयान लिये जारहे है, बाकी सब गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे देवे उस हुक्म मे ऐसा गवाह जो उस मुकद्दमे मे फरीक है, और उसका वकील तथा विज्ञान सम्बन्धी शहादत देने वाला गवाह शामिल नहीहै। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला गवाह अदालतका अपमान करने का अपराधी समझा जायगा।

बयान खास—यह वह बयान है जो उस शख्सकी औरसे लिया जाय जिसने उसे तलब कराया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)— इस बयान लेने का उद्देश्य यह होता है कि उस शख्स से वे तमाम बातें या उसमे की कुछ जरूरी जरूरी बातें मालूम करली जांय, जो वह उस शख्सके मुकद्दमेके बारेमें जानता है जिसने उसे तलब किया है। यह बयान खास मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातों की निस्वत होना चाहिये (देखो दफा १३८, कानून शहादत)—मुकद्दमे मे पैदा होने वाले सवालों को ध्यान में रखना चाहिये और सिर्फ मुकद्दमे से सम्बध रखने वाली बातों के ही सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने चाहिये। कानून की बातें नहीं पूछनी चाहिये और न उन बातोंके बारेमे गवाहकी राय पूछनी चाहिये जो कि उसने देखी या सुनी हो। वह सिर्फ उन्ही बातों के सम्बन्ध मे अपना बयानदेने आया है जिनको वह जानता है। सुनी हुई बातोंकी शहादत काबिल तस्लीम नही है प्रत्येक

सवाल किसी न किसी उद्देश्य से ही तैयार किया जाना चाहिये। बहुधा लोग समझा करते हैं कि किसी गवाहके बयान लेना (To Examine him in chief) बहुत आसान है। परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। मुक़द्दमेका सारा दारमदार इसी बयान ख़ास के ही ऊपर है, और इस लिये बयान लेने के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह उस मुक़द्दमे के सम्बन्ध मे सारी बातें जान ले, बल्कि उसके लिये इसबात की भी आवश्यकता है कि वह उन बातों को भी जान ले जिन्हें गवाह अपने बयान मे कहेगा, तथा उस गवाह के स्वभाव और चरित्र तथा उसकी योग्यता का भी परिचय प्राप्त कर ले। यह बात निहायत जरूरी है कि वकील, गवाहों के पहिले से बयान लेकर या जाँच करके यह तय करले, कि कौनसा गवाह क्या बात अपने बयानमें कहेगा। इसबात की अभिलाषा, कि सभी जरूरी जरूरी बातें सभी गवाह बयान करदे, प्रायः अनवाञ्छित परिणाम उत्पन्न कर देती है और गवाहोंको बड़ी परेशानी मे डाल देती है। गवाह कहापर नियम विरुद्ध बातचीत करने लगता है और कहींपर वह अनापशनाप बक जाता है, इन बातका ध्यान रखना निहायत जरूरीहै और सवालात इस ढंगसे तैयार करने चाहिये कि वे सभी गवाहोंके अनुकूल हों। डरपोक गवाहों, मूर्ख गवाहों और ज्यादा बात करने वाले (बक्की) गवाहोंके बड़ी होशियारी से और भिन्न भिन्न ढंग से इजहार लेने चाहिये।

यह काम वकील का है, कि वह अपने मुवक्किल के मामले के समर्थन में हर एक ऐसी बात को, जिसके सम्बध म गवाह अपनो इजहार दे सके, एक ठीक और ऐतिहासिक क्रमानुसार तैयार कर रक्खे। यह काम जैसा आरम्भ मे देखने से मालूम होता है, उससे कहीं अधिक कठिन है। जो गवाह डरपोक हैं उसे उत्साहित करने की जरूरत है, जो अधिक बात करने वाला (बक्की) है उसे दबाये रखना और जो बहुत अधिक पक्ष पात करने वाला हो उसे रोक रखना चाहिये। तथापि वकील को यह नहीं बतलाना चाहिये कि गवाह अपने इजहार में क्या कहे। किन्तु जो गवाह ईमानदार और सच्चा है, उसे अपने ही ढग से अपना बयान देनेकी स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये और जहा तक कम हो सके वहा तक कम दख़ल वकील को उसके सम्बन्धमे देना चाहिये सिर्फ क्रमबद्ध करदेना योग्य है।

जहां तक सम्भव हो गवाह को अपने ही ढंग से अपनी कथा कहने देना चाहिए और सवालात तैयार करते समय, और मामले के समय घटना के क्रमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गवाह बुद्धिमान नहीं है अथवा आवश्यकता से भी अधिक भीरु है, तो उसको अपने ही ढग से अपना इजहार देते रहने की स्वतन्त्रता न दे दी जानी चाहिए। सम्भवहै वह कोई ऐसीबाते बकने लगे जो बिल्कुल निरर्थक हे और इसलिए ज्यादा अच्छा तो यह हो कि आरम्भ में उससे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाय जो उसके लिए कुछ सहायक सिद्ध हों। मामलेके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते हुए भी यह सम्भव है कि वह गवाह, अगर अपने ही भरोसे छोड़ दिया जाय तो, साफ़ साफ़ और श्रृंखलाबद्ध बयान न दे सकें। अतएव बिना किसी तरह की ऐसी मदद पहुचाए जिससे उसे मुक़द्दमें का समर्थन करने वाली

को बातें कहने में सुविधा हो और सिवाय उनके और कोई भी बात वह न कहे उससे सारी बातें मालूम कर लेनी चाहिये। यह बात अधिकांश में उससे पूछे गए सवालों, ढंग, और उनके पूछने के ढंग, पर निर्भर करती है।

गवाह के बयान लेते समय ऐसे सवाल कभी भी न पूछने चाहिए जो उसे पथ-प्रदर्शन का काम करते हों अथवा जिनके सम्बन्ध में इस बातका सन्देह हो कि वे पथ-प्रदर्शनका काम करते हैं (देखो कानून शहादतकी दफ़ा १४१ और १४२)—अगर सवाल इस ढंग से तैयार किया गया हो जिससे वही जवाब निकलता हो जो कि सवाल करने वाला चाहता है, तो यह उस गवाह को सचेत करना है जो, वास्तव में, वकील का काम नहीं है। ऐसा करने का चतुरता पूर्ण ढंग यह है कि सवाल में दो ऐसी बातें रखी जाय जिनको सुनते ही गवाह झट से यह बात समझ जाय कि इनमेंसे कौन सी बात मुझे कहनी चाहिए, उदाहरणार्थ "उस समय महेश मौजूद था या नहीं ? ठीक सवाल तो यह है कि, उस समय कौन कौन मौजूद था ?"

जब किसी गवाह के उस दस्तावेज के मजमून की निस्बत बयान लेने हों जो उसने लिखा है, तो उसे इस बात की इजाजत दीजानी चाहिए कि वह अपना इजहार देते समय उस दस्तावेज को अपने सामने रखे (देखो कानून शहादत की दफ़ा १५९)—जो सवालात आवश्यक बातों के सम्बध में दीगई शहादत का पुष्टीकरण करनेके लिए पूछे गए हों, वे काबिल तस्लीम हैं (देखो कानून शहादत की दफ़ा १५६)—जब कोई ऐसा बयान' जो दफ़ा ३२ और ३३ के अनुसार ठीक है साबित हो जाय, तो उसका खण्डन करने अथवा उसका पुष्टीकरण करने की गरज से, या जिस शख्स की ओर से वह बयान दिया गया है, उसके विश्वासपात्र होने का समर्थन करने या उसका विरोध करने की गरज से सारी बातें साबित कर दी जानी चाहिए, जो बातें उस समय साबित की जाती जिस समय वह शख्स बतौर गवाह के तलब किया गया होता (देखो कानून शहादत की दफ़ा १५८)—अगर किसी गवाह के आचरण आदि के सम्बध में पहिले सुबूत हो गया है तो बाद में उसके आचारण आदि का समर्थन करने के लिए उसके सम्बन्ध में सुबूत दिया जा सकताहै (देखो कानून शहादत की दफ़ा १५७)—जब किसी मामले की शहादत में पेश किए जाने वाले काग़जात बहुत से हों तो गवाह उन सबका भावार्थ बतला सकता है।

ऐसे सवालों के लिए, जिनमें उन बातों को साबित की गई मान लिया गया है जो कि साबित नहीं की गई हैं अथवा यह कि वे उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं। किसी भी समय इजाजत न दी जायगी। किसी फरीकको, उसके खराब चाल-चलन का होने के सम्बध में शहादत देकर, अपने ही गवाह के विश्वास पात्र होने के बारे में अथवा उसके सच्चे होने के सम्बन्धमें कुछ कहने का अधिकार नहीं दिया जासकता। लेकिन अगर गवाह उसके खिलाफ़ होजाय और कोई ऐसी बात कह उठावे जिसका उसे स्वप्न में सन्देह न हो, तो अदालतकी

इजाजत लेकर वह उसके ऊपर झूठे होने का अभियोग चला सकता है (देखो दफा १५५)।

बयान लेने के सम्बध में पॉल ब्राउन के बनाए हुए नियम— मि० पाल ब्राउन अमेरिका के एक प्रसिद्ध वकील हैं। आपने गवाहों के बयान (इजहार) लेने के सम्बन्ध मे कुछ नियम बनाए हैं, जिनको बड़े बड़े विद्वानों ने भी बहुत ही उपयोगी माना है। वे नियम इस प्रकार हैं —

१ अगर गवाह अधिक दबंग है, और इसबात की आशका है कि वे अपनी चचलता अथवा ढिठाई से आपके मामले को नुकसान पहुचा दें तो आप उनके प्रति कुछ गभीर एव धीर बने रहें, जिससे व सीमा के बाहर जाने मे सकुचाते रहें।

२ अगर वे भयभीत हैं अथवा उन्हे अपने ऊपर विश्वास नही है, अर्थात् उनकी बुद्धि सशयात्मक है, और उनके विचार विच्छृङ्खल हैं, तो आपको चाहिये कि आप पहिले उनसे ऐसी बातें पूछना आरम्भ करें जिन्हे व भली प्रकार जानते हैं और जिनमे भयभीत होने की कोई बात नही है और जिनका असली मामलेसे कोई निकट सम्बन्ध नही है, जैसे —

तुम कहा रहते हो ?

क्या तुम फरीकैन (मुद्दई और मुद्दाअलेह) को जानते हो ?

तुम इनको कितने दिनोंसे जानते हो ? इत्यादि।

जब आप देख लें कि उनका भय दूर होगया और अब उनके होश हवास ठीक हैं, तो आप उनसे उस मामलेके सम्बन्धमें और अधिक आवश्यक बातोंका पूछना आरम्भ करें। पर इसबातका ध्यान रहे कि आप उनसे जो भी बात पूछें बड़े ही धीरज के साथ और स्पष्ट भाषामे पूछें, नही तो सम्भव है कि आप उनके मस्तिष्क मे फिर गड़बड़ी उत्पन्न कर दें जो उन सारी बातों का उद्गम है।

३ अगर आपके गवाहों की शहादत आप के अनुकूल हो, जिसकी बड़ी सावधानी के साथ रक्षा की जानी चाहिये तो आप कभी भी गभीरता का त्याग न करें क्योंकि बहुत से लोग प्राय इजहार की अच्छाई और बुराई का पता विशेषतया यह देखकर लगाया करते हैं कि उसका प्रभाव हाकिम या वकील के ऊपर कैसा पड़ा।

४ अगर आप देखें कि गवाह के दिमाग मे आपके मवक्किल के विरुद्ध बहुत सी बातें भर गई हैं, तो जब तक कि कोई ऐसी बात न हो जो आपके मवक्किल के लिये उपयोगी है, और जिनको अकेला वही गवाह बतला सकता है, आप उससे बहुत कम आशा रक्खें, ऐसी दशा मे या तो आप उसे तलब ही न कराए या जितनी जल्दी हो सके उससे अपना पीछा छुड़ाएं। अगर विरोधी पक्ष का वकील उस बात को देख लेगा जिसका उल्लेख मैंने किया है, तो वह आपका मामला चौपटकर देनेके लिये उसको प्रयोगमे लासकता है। अदालतोंमे होने वाली

जाल्समें,सारी सम्भव बुराइयोंमें, जो सबसे खराब और सबसे अधिक कष्ट के साथ रोकी जा सकने वाली बुराई है वह मित्र के भेष में शत्रु का होना है। न आप उस पर अभियोग चला सकते हैं, न आप उसपर जिरह कर सकते हैं, न आप उसे दबा सकते हैं और न आप उसपर प्रत्यक्ष रूप में आक्रमण ही कर सकते हैं, और यदि आप केवल उसी उपाय से काम लेते हैं जो बाकी रह जाता है और उसके स्पष्टी करण के लिये दूसरे गवाहों को तलब करते हैं, तो आप को स्मरण रखना चाहिये कि शत्रुसे लड़ाई करने के बदले आपही की सेना के मित्र २ दलोंमें लड़ाई छिड़ जायगी और सम्भवतः आपके भी दल में वही व्याधि उठ खड़ी होगी। इस लिये जहां तक हो सके इससे दूर रहने की ही कोशिश करे।

५ आप कभी भी किसी ऐसे गवाह को न तलब करें जिसे तलब करने के लिये आपका विपक्षी बाध्य हो जाय। इससे आपको उसपर जिरह करने का मौका मिलेगा।' इसलिये आप अपने विपक्षी से प्राप्त होने वाले उस मौके को हाथ से न जाने दें, और उसके साथ साथ, यही नहीं कि जो कुछ बात उस गवाह ने उसके प्रतिकूल कही है, उसका उस शख्स के विरुद्ध दोहरा प्रयोग ही करें जिसकी ओर से यह तलब किया गया है, बल्कि उसकी वह शक्ति भी नष्ट कर दे जो उस इजहार के असर को बदल देने वाली हो।'

६ बिना किसी उद्देश्य के और बिना इसबात के सामर्थ्य के कि, अगर किसी प्रश्न (सवाल) को असगत (-अनुचित) बतलाकर किसी प्रश्न के ऊपर आपत्ति की जाय तो उसका सम्बध उस उद्देश्य से न दिखला सके तो कभी भी कोई प्रश्न ऐसा न पूछे।

७ ध्यान रहे कि आप अपना प्रश्न इस तरह पर न रक्खें कि, अगर उसके बेजाबता होने के कारण उसका विरोध किया गया तो, आप उसको कायम न रख सकें, या, कमसे कम उसके समर्थनमें जोरदारसे जोरदार कारण न दिखला सके। शहादत सम्बन्धी प्रश्नोंके वाद विवाद में आप असफल होजाने से जूरीकी निगाहमें आपके मामलेकी मजबूतीको बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, और उस मुकद्दमेके अन्तिम परिणामके सम्बन्धमें आपकी आशाओंको बहुत बड़ी क्षति पहुँचेगी।

८ कभी भी आप अपने विरोधी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में कोई एतराज न करें, जब तक कि आप उस एतराज का जोरदार शब्दों में समर्थन करने के लिए तैयार और समर्थ न हों। बार बार एतराजात पेश करने और वापस कर लेने से इससे अधिक भयकर कोई भी बात नहीं हो सकती। इससे यह प्रकट होता है कि, यातो वे भली भांति सोच विचार कर नही किए जाते है या उनको अच्छी तरह से पेश करने में जिस बुद्धि और नैतिक साहसकी आवश्यकता है उसका आप में अभाव है।

९ आप अपने गवाह से जो कुछ पूछे वह स्पष्ट और साफ भाषा में पूछे, मानों आप सतर्कता के साथ ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे आपको खास दिलचस्पी है, और उसे भी ऐसा करे कि वह आपके प्रश्नों का ठीक ठीक और

स्पष्ट उत्तर दे। इस बात का अनुमान ऐसे किया जा सकता है कि अदालत और सारी भारी बातों को ध्यान से सुनें, जब वकील और गवाह में इस विषय में झगड़ा मचा हो।

१० आप, समय समय के अनुसार अपनी आवाज को घटाते बढ़ाते रहें "भीरु स्वभाव वाले (दर्शकों को) प्रोत्साहन देते रहें और उद्दण्ड पुरुष का दमन करते रहें।"

११ जब तक आप पूरे तौर पर तैयार न हो जांय तब तक कार्यारम्भ न करें, और जब अपनी बात खतम कर चुकें तो वहीं पर उसका अन्त कर दें। दूसरे शब्दों में, कभी भी प्रश्न करने के अभिप्राय से प्रश्न न करें, बल्कि उत्तर प्राप्त करने के लिए ही प्रश्न करें।

कलकत्ता हाइ-मि० कामसने अपनी "ऐडवोकेट हिज ट्रेनिंग,प्रैक्टिस,राइट्स ऐण्ड ड्यूटीज" नामक पुस्तक में बयान लेने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें लिखी हैं —

"बयान लेते समय आपका ढंग उससे बिल्कुल भिन्न होना चाहिए जो जिरह करते के समय होता है। आप अपने ही गवाह का इजहार दिला रहे हैं जिसे आप अपना मित्र समझते हैं जब तक कि आपको इसके विरुद्ध कोई बात मालूम न हो जाय। अगर वह भीरु स्वभाव का (दर्शक) आदमी है, तो आप उसको उत्साहित करें और मित्रता पूर्ण बातों और अवलोकन से उसमें विश्वास उत्पन्न करायें। प्राय ऐसा होता है कि गवाह, न्यायालयों में जाने के अभ्यस्त न होने के कारण, अपनी इस अभूत पूर्व अवस्था को देखकर ऐसे विस्मित हो जाते हैं कि घबराहट में पहिले पहर में अपने पक्ष वाले और विरोधी पक्षवाले वकीलों की भी पहिचान नहीं कर पाते और जब वे अपने आपको अदालत के कठघरे के अन्दर सिकुड़ कर खड़े देखते हैं तो अवाक् हो जाते हैं और जब उनका विरोध कोई भी न करता है तो आप ही को वे अपना शत्रु समझने लगते हैं क्योंकि उनको वकीलों से बहुत कम बात करने और मिलने का मौका मिलता है। ऐसे समय पर ही आप को अपने गवाह का ठीक रखने का ध्यान रखना चाहिये और अगर कभी कभी प्रेम पूर्वक कुछ मृदु हास्य से आप उसे उत्साहित कर दिया करें, तो इसमें बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। आप ऐसा कभी भी प्रदर्शित न करें, कि आप उसकी हैरानी और घबराहट को समझ रहे हैं क्योंकि इससे वह और भी अधिक बढ़ती है, किन्तु जहां तक हो सके प्रेम मय अवलोकन से, प्रेमपूर्वक बातें करके और ऐसे शब्दों से, उसकी उस घबराहट को दूर कर दें जो उसे निरुत्साह करने वाले न हो, बल्कि ऐसे हों जैसे सभी साथी लोग किसी कथा (कहानी) के कहने के लिए प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं जिसके सुनने के लिए वे लोग उत्सुक हैं और जिसके कहने के लिए भी दूसरा राजी है। इसतरह पर जो गवाह अत्यधिक घबरा गया है उसे बिना उसके जाने ही ऐसी बात को बयान करने के लिए खींच लाना चाहिए जिसे वह कठघरे (Witnossbox) पर आने के समय घबराहट में कहने को भूल गया था।

"बयान लेते समय आप जो प्रश्न पूछें वे बड़ी होशियारी के साथ तैयार और खूब सोच-समझ कर पूछे जाने चाहिए। आपको इसमें कभी भी उस ढंग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जिस ढंग से जिरह करने में कार्य किया जाता है। आपको चाहिए कि पूछने के पहिले प्रत्येक प्रश्न (सवाल) के ऊपर अच्छी तरह से मनन कर ले ताकि वह इस प्रकार तैयार किया जा सके कि उसके उत्तर में केवल उतनी ही बात मिल जाय जितनी की आवश्यकता है, अधिक नहीं। अगर आप इतनी जल्दी विचार कर सकते हैं जितना कि एक वकील को चाहिए, तो आपको इसके लिए उस समय भी वक्त मिल सकता है जिस समय जज पहिले सवाल के जवाब को लिख रहा हो, लेकिन अगर इतना भी समय आपके काम के लिए काफी न हो तो आपको थोड़ी देर विचार करने के लिए समय जज से ले लेना चाहिए। जब अदालत को यह मालूम हो जायगा कि आपने विलम्ब करके उसका कुछ काम कम कर दिया है, जिससे आपको ठीक ठीक शहादत लेने का मौका मिल गया है, तो वह फिर आपके इस प्रकार विलम्ब करने से अधीर न होगी।

"कभी कभी इस बात का निश्चय करने के लिए कि, गवाह को अपने ढंग से बयान करने देना चाहिए या प्रश्नों द्वारा उससे ये बातें पूछनी चाहिए, बहुत बड़े विचार की आवश्यकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, यह सब उस समय आपकी खोजपर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे दिमाग वाले लोग भी होते हैं जो किसी बात को, उससे सम्बन्ध रखने वाली बातों का स्मरण करके स्मरण कर लेते हैं, चाहे वे कितनी ही असंगत क्यों न हों। वही सारे बयानात दोहरा जाता है और असली बात के ऊपर पहुचने में छोटी सी छोटी बात को ढूढ़ निकालता है।"

"ऐसे लोगोंके साथ और कोई उपाय नहीं चल सकता है, सिवाय इसके कि उसको अपने ही ढंगसे चलते रहने दिया जाय। विचित्र ढंगसे बने हुए मस्तिष्क की ऐसी ही दशा होती है और अगर आप उसके विचार प्रवाहमें किंचित् भी हस्तक्षेप करेंगे तो उस गवाहकी विचार-शृंखला उलझ जायगी और फिर आपको अपने असली उद्देश्य पर पहुँचने में बड़ी कठिनाई पड़ जायगी। लेकिन अगर आपको ऐसे गवाहों से काम पड़े, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या प्रायः बहुत कम होती है जिनके विचार शृंखला बद्ध नहीं होते, जो घटनाक्रम का बिलकुल ध्यान ही नहीं रखते, जिनको समय, स्थान और व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, तो आप उसी दशा में अपने मतलब की बातें उससे पूछ सकते हैं जब कि आप उससे सिर्फ इतनाही करने के लिए कह दें कि वह आपके प्रश्नों का उत्तर देता जाय और उन्हीं की तरह उनसे प्रश्न करना आरम्भ करदें जिनका एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो और इस तरह पर उनसे सारी बातें पूछ कर अन्त में उनको एक क्रम में करले जिससे वह क्रम बद्ध होकर एक अच्छा खासा उपयोगी बयान बन जाय।"

"ऐसे उपाय ऐसे गवाहों के सम्बन्ध में उसी समय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जब आप उनसे क्रमबद्ध बयान प्राप्त करनेकी आशा छोड़ दें। वास्तवमें इसके लिए बहुत बड़ी क्षमता और मुस्तैदी की जरूरत है। परन्तु हमारी ऐसी धारणा है कि जब तक आपमें ये गुण विद्यमान न हों तब तक आपको वकील बननेकी अभिलाषा भी न करनी चाहिए। वकील हर शख्स नहीं बन सकता, मस्तिष्क की प्राकृतिक बनावट जब ऐसी होती है तभी वकील के पद का पूर्ण कार्य उससे हो सकता है। जो बात प्रतिपक्षी के किसी कागज या बयान से साबित हो चुकी हो उस बातपर न तो कोई शहादत दें और न अपनी शहादत से वह बात कभी पूछें।

बयानमें पूछी जाने वाली बातें

(१) प्रासंगिक बातें—बयान खास सिर्फ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में लिया जाना चाहिए जिनकी बाबत झगड़ा है या जो झगड़े की बातों से सम्बन्ध रखती हैं। वे तमाम बातें झगड़े के प्रसंग की बातें समझी जायगी जिनसे उन बातों के सम्बन्ध में, जिनकी निस्बत कुछ दरयाफ्त करना है या जिनकी निस्बत झगड़ा है, कोई ठीक ठीक अनुमान किया जा सके। 'प्रासंगिक बातों' और उन बातोंके जिनकी निस्बत कुछ पूछा जाना है," अर्थ के सम्बन्ध में देखो कानून शहादतकी दफा ५। कानून शहादतमें 'प्रासंगिक' बातोंका अर्थ है, वे बातें जो मान्य (काबिल तस्लीम) हैं। कानून शहादतकी दफा ५ से ५५ तकमें तमाम तरीके बतलाए गए हैं जिनसे एक बात दूसरी बात से इस प्रकार मिलाई जा सके कि वह 'प्रासंगिक' बन जाय।

जो बातें बयान की जाय वे ऐसी होनी चाहिए जिनको गवाह स्वयं जानता हो, ऐसी नहीं, जिन्हें उसने किसी दूसरे आदमी से सुन लिया है। सुनी हुई बात वह है जो किसी अन्य व्यक्ति से मालूम हुई हो। इस सम्बन्ध में सुनी हुई बातों के कुछ अपवाद (मुस्तस्नियात) भी हैं, जैसे इकबाल, इकरार के खिलाफ बयान, व्यापार के दौरान में कही गई बातें, सरकारी कागजातमें कही गई बातें, इत्यादि (देखो कानून शहादत की दफा १७, ३२, ३५, ३६, ३७ इत्यादि)। जो बयान जबानी दिया जाय वह सीधा और साफ होना चाहिए (देखो कानून शहादत की दफा ६०)—जो सवालात पूछे जाय वे घटना (वाकयात) के सम्बन्ध में ही होने चाहिए, कानून के सम्बन्धमें नहीं (देखो कानून शहादतकी दफा ३)—किसी बात के सम्बन्ध में गवाह की राय, उसका विश्वास और और उससे वह क्या नतीजा निकालता है, ये बातें नहीं पूछी जानी चाहिए जब तक वे कानून शहादत की दफा ४५-५१ में न आती हों—मंशा या इरादा के सुबूत के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा ८ १४ और १५—गवाहों को यह अधिकार नहीं है कि वे नैतिक अथवा कानूनी बन्धनों के सम्बन्ध में कायम की हुई अपनी राय का इजहार कर सकें या इस सम्बन्ध में, कि अमुक व्यक्ति पर अमुक प्रकार से प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, यदि फरीकैन ने अमुक बात की होती। सारांश यह कि, किसी गवाह से, विज्ञान सम्बन्धी विषयों को छोड़,

किसी विषय के सम्बन्ध में उसकी राय नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि यह काम जूरी का है, जैसे—

क्या अमुक ड्राइवर सावधानी से काम करता है ?

क्या अमुक सडक पर चलने में खतरा है ?

क्या अमुक हमला या कत्ल उचित है ?

और न उससे यही पूछा जा सकता है कि—क्या अमुक मुआहिदे के अन्दर जो ऐसा वाकया आ गया है जिससे व्यापार मे रुकावट डाल दी गई है, वह उचित है अथवा अनुचित ?

क्योकि यह सवाल जज के तय करने का है (देखो मि० टेलर के कानून शहादतकी दफा १४१४–१४२१),

(२) जवाब की ओर संकेत करने वाले प्रश्न—बयान खास में साधारणतया ऐसे प्रश्नो के पूछने की आज्ञा नही है। परन्तु इस सम्बन्ध मे कोई कड़ा नियम नही बनाया गया है। इसके बारे मे अदालतों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस रूल का जो अपवाद (मुस्तस्नियात) है, वह कानून मियाद की दफा १४१ और १४२ में मौजूद है।

(३) स्वय अपने गवाह पर दोषारोपण करना—आमतौर पर किसी फरीक को यह अधिकार नही दिया गया है कि वह अपने ही गवाह के ऊपर विश्वास-पात्र न होने का दोषारोपण कर सके, परन्तु कुछ अवस्थाओं मे अदालत की आज्ञा लेकर ऐसा किया जा सकता है (देखो कानून शहादत की दफा १५५).

जिरह (Cross-examination)

जिरह—किसी गवाह पर जिरह वह फरीक कर सकता है जो उस पक्षका विरोधी है जिसकी ओर से वह गवाह तलब किया गया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)—जिरह करने का उद्देश्य

(१) जो शहादत दीगई है उसकी छान-बीन (परीक्षा) करना और जिन बातों का निश्चित झगड़ा है उनके सम्बन्ध में दीगई शहादतका बल घटाना अथवा उसे अविश्वसनीय सिद्ध करना या नष्ट कर देना,

(२) गवाह के दिए हुए उत्तर (जवाब) से अपने मतलब की बातों का निकाल लेना,

(३) गवाह की साख पर धब्बा लगाकर यह दिखला देना कि वह विश्वास के योग्य नहीं है, और

(४) अपने विरोधी के गवाह की सहायता से अपने मामले को ज़ोरदार बना देना है।

वकील के हाथ में, सत्य को खोज निकालने और असत्य को अलग कर देने के लिए, यह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है, यदि इस जिरह (Cross-Examination) का बुद्धिमानी और कुशलता के साथ प्रयोग किया जाय।

मीर सुजादअली बनाम काशीनाथ (देखो 6 W. R 181 pp 182-183) के मामले में जस्टिस नारमन ने कहा था —

"जिरह। का मुख्य सार यह है कि, यह एक फरीक के वकील द्वारा अपने विरोधी दूसरे फरीक की ओर से तलब किए हुए किसी गवाह से प्रश्न करना है जिसका उद्देश्य उससे ऐसी बात कहलवाना जिससे अपना पक्ष जोरदार होता है अथवा उस गवाह को अप्रमाणिक सिद्ध करना है। असत्य से सत्य को अलग करने के लिए जितने उपाय काम मे लाए जाय उनमें जिरह सब से अधिक प्रभावोत्पादक है। हम समझते है कि यहां पर यह अप्रासंगिक न होगा कि जिरह के सम्बन्ध मे लिखा हुआ मि० स्विटिशियन का वह वाक्य उद्धृत कर दिया जाय जिसका उल्लेख और उद्धरण मि० ब्यस्ट ने अपने कानून शहादत के ग्यारहवें सस्करण(अंग्रेजी) की दफा६५२में और मिन्टेलरने इसी विषयपर लिखी गई अपनी पुस्तक के दसवें संस्करण (अंग्रेजी) के पृष्ट १०३२-३३ में किया है। आपका कहना है कि—"किसी ऐसे गवाह से, जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध सत्य बोलने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है, साबिका पड़ने पर सफलता की सब से बड़ी कुञ्जी यह है कि उससे वह बात कहला लीजाय जिसे वह छिपाना चाहता है। यह केवल उसी समय हो सकता है जब प्रश्नों को विस्तार के साथ बार बार पूछा जाय। वह गवाह ऐसे ही उत्तर देगा जिनसे वह समझेगा कि उसके पक्षको कोई हानि नही पहुंचती है, और बाद में बहुत सी ऐसी बातों से, जो उसने स्वीकार करली होती वह ऐसी सकुचित अवस्था में डाल दिया जा सकता है कि जिन बातो को कहेगा नहो,उन बातोंसे वह इन्कार नही कर सकता। क्योंकि जैसा वक्तृताओं आदि में देखा जाता है, हम सामान्यतया इधर उधर से लाकर सुबूत इकट्ठा करते हैं, जिनमें का अकेला एक अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नही कर सकता, परन्तु जब वे सब एक साथ शामिल कर दिए जाते है तो अभियुक्त के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, इसी प्रकार इस तरह के गवाह से भी बहुत सी ऐसी ही बातें पूछनी चाहिए जैसे —

पहिले क्या हुआ?

बाद में क्या हुआ?

कौनसी घटना किस समय पर, कहां पर और किस आदमी द्वारा हुई?

तथा इसी तरहकी दूसरी और बातें,जिससे अकस्मात उसकी ज़बानसे ऐसी कोई बात निकल जाय जिससे, उसके लिये यातो उस बातक स्वीकार कर लेना अनिवार्य हो जायगा जिसके निस्बत यह चाहा जाता है कि वह स्वीकार कर ले यावह अपने पहिले दिए हुए बयानोंका खण्डन कर बैठेगा। अगर ऐसा न होसके, तो यह स्पष्ट होजायगा कि वह कुछ बोलेगा नहो,या उसपर किसी ऐसी झूठी बात

के कहने का दोषारोपण करके उसे नीचा दिखाया जा सकता है जिसका उसके मामले से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नही है, या घुमा फिरा कर उससे ऐसी बात कहला दीजाय जिनकी आवश्यकता नही है, जिससे जज को उसके सम्बन्ध मे सन्देह होने लगे जिसके कारण उसके मामले को कम से कम उतनी ही क्षति पहुचेगी जितनी उस समय पहुची होती, अगर उसने अभियुक्त के विरुद्ध सारी बाते सच सच कह दी होती ।

बहुधा ऐसाहोता है कि जो बयान गवाह ने दिया है, वह स्वय ही एक जैसा नही है, उसमें बहुत सी बाते एक दूसरे की विरोधी है। कभी कभी और यह बात प्राय अधिक देखनेमे आती है—एक गवाह दूसरे गवाह की बातों का खण्डन कर जाता है। अगर बुद्धिमानी के साथ प्रश्न किये जायँ, तो वकील अपने बुद्धि कौशल से उन बातोको निकाल सकता है जो सयोग वशात् निकल आया करती है।

आमतौर पर गवाहों से ऐसी बाते पूछी जाती हैं जिनका मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नही होता—जैसे दूसरे गवाहों की जीवनी, उनकी स्वय हैसियत और उनका चाल चलन, उन्होने कभी कोई अपराध किया है अथवा नही, उनकी और फरीकैन के साथ कोई दोस्ती या अदावत तो नही है इत्यादि—

जिनके उत्तर मे वे या तो ऐसी बातो को स्वीकार कर लेते है जो उपयोगी सिद्ध होती है या उनकी कोई झूठी बात अथवा विपक्षी को हानि पहुँचाने की इच्छा प्रकट हो जाती है।" गवाहों से जिरह करने की विद्या ऐसी है जिसके ध्यान-पूर्वक अध्ययन और मनन करनेकी आवश्यकता है और जिसके लिये मानव-स्वभावके ज्ञान की परमावश्यकता है। यह वकील के जानने की सबसे बड़ी कला है और वर्षों के अनुभव और अध्ययन के पश्चात् इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

जिरह करने के लिये, प्राप्त अधिकार का प्रयोग, सत्य का अनुसंधान करने की सर्वोत्कृष्ट और परमोपयोगी कसौटी है। इसके द्वारा, फरीकैन और उस बात के साथ जिसकी निस्बत झगड़ा है, गवाहका क्या सम्बन्ध है, उसमे उसका क्या स्वार्थ है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका झुकाव किस ओर है और द्वेष किससे है, उसका चरित्र कैसा है, उसको वे बाते ठीक ठीक और निश्चय रूप से कैसे मालूम हो सकी, उसमे उन बातों को समझ सकने, उनके स्मरण रखने और वर्णन कर सकने की कितनी शक्ति है इत्यादि बातों का पूरा पूरा और ठीक ठीक पता चल सकता है और वे जूरी के या जज के विचार के लिये उपस्थित की जा सकती है, जिसको उस गवाह के बाह्य आचरण (Demeanour) को देखने और उसकी गवाही का ठीक ठीक मूल्य निश्चित करने का अवसर मिला है।

जो गवाह इस कसौटी पर कस लिया गया है वह जल्दी जल्दी अदालत अथवा जूरी की आँखों मे धूल नही झोंक सकता, क्योंकि झूठी बातों को चाहे होशियारी से एक दूसरे के साथ मिलाया गया हो, सभी अवस्थाओं मे उनकी दशा एक सी नही रह सकती जिनमे जिरह कीगई है।

जिरहका ढंग—जिरह आरम्भ करने का सबसे अच्छा एक ढङ्ग यह है कि आप गवाहके साथ ऐसी होशियारी और आदरके साथ पेश आवें जिससे आप उन सारी बातोंको जान लेनेके उपयुक्त वायुमंडल तैयार कर सकें, जो विपक्षीके मुकदमेका समर्थन करने वाली जान पड़ती हों। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और सामने से ही उस गवाह पर प्रश्न प्रहार कर दें। बहुतोंने इसे मान लिया है कि इनमें से पहिला ढंग सबसे अधिक सफलता देने वाला है। अगर जिरह करने वालेके भाव और भाषासे गवाहको आरम्भमें इस बातका सन्देह हो गया कि उसकी सचाईमें लोगोंको सन्देह है, तो वह फौरन् होशियार हो जायगा और फिर जो बात उसने अपने बयान खासमें कही है उन्हीं पर डटे रहनेके लिए तैयार हो जायगा। इस जिरह करने की कलाका रहस्य क्या है? इसका उत्तर जस्टिस हाकिन्स (अब लार्ड ब्रॅम्पटन हैं) ने एक शब्दमें यों दिया है—धैर्य (सब्र)। "यह किसी मनुष्यके चारों ओर एक ईंटकी दीवार खड़ा करना है। आप अपना प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर मिलता है वह एक ईंट बन जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न—और दूसरे स्थानमें एक दूसरी ईंट तैयार होगई। यदि आप प्रेमपूर्वक प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत सम्भव है कि वह स्वय ही आधा दर्जनके करीब ऐसी ईंटे तैयार कर दे जो अपने ठीक स्थान पर जमी हुई हों। वे तमाम जगहमें इधर उधर फली हैं, लेकिन आपको तो अपना नकशा पूरा करना है। धीरे धीरे करके वृत्ताकार बन जायगा। दीवार बढ़ेगी और उसको मालूम होगा कि मै अब बाहर नहीं निकल सकता।" यह धैर्यके साथ पीछे पड़नेका ढंग है।

सीधे आक्रमण कर देना एक बिल्कुल दूसरा ढंग है। इसमें केवल वही वकील सफल होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के बलसे अर्थात प्रभावसे गवाहको अपने वशमें कर लेते हैं, और उस समय भी यह अधिक निष्कण्टक मार्ग नहीं है जब तक कि उनको अपनी वजूहातके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। नहीं तो उस आक्रमणका असर उलटा अपने ही हितका घातक हो जाता है। जस्टिस वालशका कथन है कि—"यह एक मानी हुई बात है कि यह सीधे आक्रमण द्वारा जो जिरहका ढंग है वह बहुत कम सफल होता है। वास्तवमें उसके सुननेमें भी बहुत कम प्रसन्नता होती है और इससे ज्ञान वृद्धि भी बहुत कम होती है। धोखे में डालने वाला यह ढंग, जो आधा विश्वासमें रखने वाला और आधा प्रेमप्रदर्शन करने वाला है, अधिक सफल होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर गवाह धोखा देना चाहता है तो इससे बहुत सम्भव है कि वह अपना मार्ग छोड़ कर इधरकी बात करने लगे जिससे उसके बयानकी सच्चाई और झुठाई मालूम होजाय।

प्रत्येक मनुष्य का जिरह करनेका ढंग अपना अपना अलग होता है। परन्तु इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जिस बातकी है, वह यह है कि गवाह तथा अदालतके प्रति आवश्यक आदर और सम्मान प्रकट करते रहना। डाट डपट करना और धमकाना अथवा मेज पर हाथ दे दे मारना आदि बातें न्यायालयों म काममें लाई जाने वाली नहीं हैं और इनसे बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। इन बातोंसे

सिर्फ जूरी अथवा अदालतकी सहानुभूति कुछ गवाहकी ओर हो जाती है। एक अच्छे वकील के लिए अच्छे स्वभाव और अच्छे ढंग के होने की बड़ी आवश्यकता है।

किसी गवाहको डांटना और घुड़कना, उसे इधर उधर भटकाना, उदाहरणार्थ, ऐसे सवालात पूछना जिनमें उन बातोंको सुबूत किया हुआ मान लिया गया हो जो वास्तवमें सुबूत हुई नहीं है, या यह कि अमुक अमुक उत्तर ऐसे हैं जो वास्तविक घटना से बिल्कुल भिन्न हैं—उससे इस तरह ख्याल करना जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह अपने बयानमें अभी तक सारी बातें झूठ ही कहता चला आया है अथवा उनमें से बहुत सी बातें झूठ कही हैं—कभी कभी उसको इधर उधर भ्रममें डाल देना, अगर वह मूर्ख है तो, और अगर वह डरपोक है तो डरा देना—आदि बातें प्राय किसी विरोधी गवाहके मनकी और हृदयकी बातें जाननेमें बहुत कम सफल होती हैं, परन्तु अच्छे ढंग से बातें करने, मृदुता और आदरके साथ पेश आनेसे अवश्य ही वह अपने निश्चित मार्गसे विचलित हो जायगा और जरा जल्दी तथा युक्तिके साथ प्रश्न करने से उससे बहुत सी बातें मालूम हो जायगी जो उस समय उसको कोई अधिक महत्व रखने वाली न मालूम होंगी लेकिन जिनको एक साथ नियमित रूपसे एकत्र कर देनेसे कमसे कम समझ रखने वाला आदमी भी उनमें से सत्यको ढूंढ लेगा।

एक अच्छे वकील को एक अच्छा काम करने वाला होना चाहिये। बहुत अधिक चौकन्ना रहने वाला वकील भी जिरह करने में अक्सर अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पा सकता है जो उसीके पक्षको गिरा देने वाला हो। उसे जहां तक हो जिरह करते समय अपने आपको खूब काबूमें बनाए रखना चाहिए। उसे सफलता और विफलता दोनों में एक जैसा ही बना रहना चाहिए, मनोवेग के प्रवाह में बहने न लगना चाहिए। अगर उसके चेहरे से कहीं इसबात का पता चल गया कि उसे गवाह के उस उत्तर से दुःख होता है जो उसके लिए हितकर नहीं है, तो केवल इसी एक बात के ऊपर उसका सारा मामला नाकामयाब हो जायगा। इंगलैण्ड की अदालतों में जिरह करने वाले प्रायः ऐसे उत्तरों से समचित्तता को खो बैठते हुये देखे गये हैं। जहां उनका गोरा चेहरा लाल हुआ कि गवाह उनके क़ाबू से बाहर होगया। जो बहुत पुराने अनुभवी वकील हैं उनके मनमें ऐसे उत्तरों से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वह-दूसरा प्रश्न पूछना आरम्भ कर देगा, मानों कोई बात हुई ही नहीं थी, या उस गवाह की ओर जरा सा मुस्करा देगा, जिसका तात्पर्य यह होगा कि "भला तुम्हारी इस बातको कौन सत्य मान लेगा।" (वेलमैन पृष्ठ २८-२९ (अंग्रेजी) ।

जिरह करने वालेकी वाणी और उसकी मुखाकृतिसे जजके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वह उन बातों का भी जजके ऊपर अच्छा असर डाल सकता है जो इससे विपरीत अवस्था में बिल्कुल ही मानी न जाती। ओब्रियन् लिखित लार्ड रसेल की जीवनी में से उद्धृत किए हुए नीचे के वाक्यों से इसबात का ठीक ठीक स्पष्टीकरण और निरूपण हो जाता है:—

" एक समय सेम्पसन नामक एक गवाह के ऊपर, जिसपर "रिफ़री" के सम्पादक की हैसियत से मानहानि का अभियोग चलाया गया था, जिरह करते समय रसेल ने उस गवाह से एक सवाल पूछा जिसका उत्तर उसने, 'नहीं' दिया।

मि० रसेलने धीमी आवाज से पूछा, क्या तुमने मेरा प्रश्न सुना ?

सेम्पसन ने उत्तर दिया " हां, मैंने सुना ।"

मि० रसेल ने उससे भी अधिक धीमी आवाजसे पूछा, " क्या तुमने उसे समझा ?

सेम्पसन ने कहा, " हां , मैंने समझा ।"

इसके बाद मि० रसेल ने बहुत उच्च स्वर से और इस ढंग से, मानों वह झपट कर उस गवाह की गर्दन धर दबोचेंगे, पूछा, "तब, तुमने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया ?

जूरी को बतलाओ तुमने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया ? सारे अदालत के कमरे में सन्न छा गई। सेम्पसन घबड़ा गया।

जिरह करनेकी कलाका ज्ञान प्राप्त करनेका, जैसा कि मि० वेलमैनने बतलाया है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि, "बड़े बड़े जिरह करने वालोंके, जो वकालत पेशा लोगोंमें आदर्श माने जातेहैं, जिरह करनेके ढगका अध्ययन किया जाय।" इन बड़े बड़े जिरह करने वाले वकीलों के जिरह करने के ढग का संक्षिप्त विवरण दे देना इस पेशे के युवक और उत्साही लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और आनन्दवर्धक सिद्ध होगा।

सर चार्लस रसेल, जो बाद में किलोवन के लार्ड हुए, आधुनिक समय के सबसे अच्छे और लब्ध प्रतिष्ठ जिरह करने वाले थे। उनके सम्बन्ध में लार्ड कॉलेरिड्ज का कहना है कि, "मि० रसेल इस शताब्दीके सबसे बड़े वकील थे।" यह कहा जाता है कि अन्य बातोंके समान जिरह करने के कार्य में उनकी सफलताका कारण उनका चरित्र बल था। यह उनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनके बुद्धि-वैभव और चातुर्य का ही प्रभाव था कि वे उन गवाहों को अपने वश में कर लेतेथे जिन पर कि वे जिरह करते थे। जिरह के सम्बन्ध में मि० रसेल का यह उसूल था "गवाह से सीधे तौर पर उस विषय पर प्रश्न करो जिसकी निस्बत तुम्हें कुछ जानना हो, उस समय अपना सारा बुद्धि चातुर्य खोलकर रख दो। केवल अच्छी अंग्रेजी बोल लेनेसे ही जूरी प्रसन्न नहीं हो जाते।" जिरह करने में मि० रसेल की सफलता के सम्बन्ध में लिखते हुए उनकी जीवनी के लेखक मि० बेरी ओ' ब्राइन ने कहा है, "जिस समय वह जिरह करने के लिए उठते थे उस समय का वह दृश्य निराला था। उनको देखते ही गवाहका कलेजा दहल उठता था—मनुष्यकी जैसी वह भयकर आकृति, उच्च भृकुटी, तीखी निगाह, दया हीन मुख और गहरी तथा बड़ी २ विशाल आंखें देख कर गवाह भयभीत हो जाता था। एक अन्य व्यक्ति

का कहना है, " गवाह के ऊपर मि० रसेल का वही असर होता था जो एक काले विषधर भुजंग का एक शशक के ऊपर होता है।"

अमेरिका के वकीलो मे यूफस कोटे नाम के एक व्यक्ति संसार के जिन जिन स्थानों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी, सर्व श्रेष्ठ वक्ता थे।" उनमे भी मि० रसेल की तरह कुछ स्वाभाविक बल था जिससे वे गवाहों को अपने काबू मे कर लेते थे। उनका प्रयत्न गवाह को आश्चर्य चकित कर देने का रहता था। लोग उन्हे अदालतका जादूगर कहा करते थे। वे एक निराले ढगसे ही जिरह करते थे। वे गवाह पर कभी भी इस तरह आक्रमण नही करते थे जिससे मालूम हो कि वे गवाहको डाट दिखाना चाहते है। उनको मान स्वभाव का, मानव कार्यके उद्गम (स्रोत) का और मानव हृदय के विचारों का पूर्ण ज्ञान था। इन बातों की जाच करने और उन बातों को जूरी को समझा देने के लिये वे थोडे से आवश्यक प्रश्न पूछ दिया करते थे।

ये प्रश्न होते तो बहुत थोड़े थे परन्तु उनमें का प्रत्येक प्रश्न आवश्यक और ठीक २ बातके विषय मे होता था। उनका सिद्धान्त था, 'किसी पर आवश्यकता से अधिक कभी जिरह न करना। अगर आप गवाहको तोड न सके तो वह आपका भन्डा-फोड कर देगा। जो कोई आदमी उनके सामने आता उससे वे एक ईमानदार और सज्जन पुरुष की तरह पेश आते मानों उनका यह अनुमानथा कि वह सज्जन पुरुष है, और अगर कोई आदमी बुरी तरह से उनके सामने आया, तो वे उसका तहस नहस कर देते, परन्तु ऐसा वे उस सज्जन की तरह करते जो किसी ऐसी चीड़-फाड़को करता हो जिसके करनेको उसका जी न चाहे, मानो उनको इसकाम के करने के लिए बड़ा ही दुःख है। बहुत ही कम ऐसे, अच्छे अथवा बुरे आदमी होंगे जिन्हे उनके प्रति, उनपर जिरह किये जाने के लिये, कोई शिकायत हो। गवाहों के कठघेर मे खडे हुये लोगोके साथ भाषण करनेकी उनकी शैली बहुतही शांति प्रदायिनी, करुणापूर्ण और विश्वास दायिनी थी। जब वे किसी गवाह का भन्डाफोड करने के उद्देश्यसे उसपर आक्रमण करते तो बड़ी ही शांति और दृढ़ता के साथ, उसमे किञ्चिन्-मात्रभी रुखाई, अशिष्टता और कठोरता नहीं होती [देखो वेलमन पृष्ठ १८५-८६]

पं० पृथ्वीनाथ वकीलकी जिरह—आपको हम वलायतके नामी वेरिस्टरोंका ढंग जिरह के सम्बन्ध मे बता चुके तथा प्रसङ्गवश नीचे उल्लेख करेंगे। भारत मे एक अति प्रसिद्ध वकील प० पृथ्वीनाथ चक कानपुर (संयुक्त प्रांत) मे वकालत करते थे आप जिरह के लिए विख्यात थे। पण्डित जी साहब अपने फरीक के गवाहों को अदालत से बाहर निकल जाने के लिये कभी नहीं कहते थे उनका कहना था कि जब एकही तरह पर जिरह सब गवाहों पर की जाय तो डर हो सकता है कि जो गवाह पहिले गवाह की जिरह सुनरहे हो वे ज्यादा मजबूत होजायग। उनका ढंग जिरह का बड़ाही शांत शिष्ट और प्रभाव युक्त था। वे जिरह मे पहिले, गवाह के साथ साथ चले जाते थे जो बात वह कहना चाहता है उसे ऐसे ढंग से

पूछते थे कि यह यह समझे कि वकील यामा को दुबारा पूछ रहा है। ऐसे जल्द जल्द सवाल कर देते थे जिससे गवाह अपनी पहले बताई हुई बातको फट से कह देता था इसतरह पर कुछ दूर चलकर, बडेही धीरे से एक छोटा सा सवाल ऐसा कर देते थे कि गवाह अपनी धुन मे प्राकृतिक जवाब दे देता था उस वक्त पण्डित जी बड़े गम्भीर और शांत दिखाई देते थे, गवाह यह नही समझ सकता था कि मुझसे कुछ भूल होगई है। आगे जिरह मे जहां दो बातो के मिलान मे गडबड़ी होजाती तब वे दोनो बातों की याद दिलाकर उच्चस्वरसे पूछते कि आप इनदोनों विरुद्ध बातों का सतोष जनक उत्तर अदालत को दे दें। हैसियत के प्रश्नो को पहिले सूक्ष्म रीति से कहलवाकर पीछे उसे चीर फाड़ करना शुरू करतेथे जैसे—

आप बता चुके हैं कि आप बज़ाज़ी करते हैं, आप आस पास की बाजारें करते हैं ?—जी हां करता हूँ

जिस रोज बाजार नहीं होती आप यह सोचते होंगे कि बैठे रहने से यही अच्छा है कि फेरी लगाकर कुछ माल बच दें ?— हां

आप कितने कोस की फेरी लगा सकते हैं ? —कोई डेढ या दो कोस की

फेरी में माल चुना हुआ थोड़ा सा लेजाते होंगे जितना आपसे चल सकता है ?— हां

तो आप कितने वजन तकका माल ले जा सकते हैं ?—कोई बीस सेर तक

आप बचुका (गठरी) बाधकर अपनी पीठ पर लेकर और हाथ मे गज लेकर पास के गावो मे जाया करते हैं ? — जीहां

आप माल खरीदने अकसर कितने दिनो मे जाते हैं ?— कभी १५ दिनमे कभी १ मास मे,

आप किसके यहां से ज्यादा माल लेते हैं और अगर उनका यही खाता देखा जाय तो आप पर कितना रुपया बाकी निकलेगा ?—हम एक जगहसे माल नहीं लेते, कोई कर्ज नही है,

अगर अदालत आपको अभी हुक्मदे कि आपके हिसाब की जांच की जाय तो क्या आप हलफ से यह कहने को तैयार हैं कि बाजार का देना आप पर कुछ बाकी नही है ?—देना लेना तो बनाही रहता है।

लेना पीछे पूछेंगे पहिले आप देना बतावेंकि अन्दाजन कितनाहै ?—इत्यादि

श्रीमान प० पृथ्वीनाथ जी, एकतरहका जिरह दो गवाहों पर करतेही न थे शायद आपको सदेह होगा कि जब एकही वाकयात पर कई गवाह हैं तो भिन्न भिन्न जिरह कैसे हो सकती है ? किन्तु आप गौर करके देखेंगे तो पता चल जायगा कि एकही वाकिया के सम्बन्ध मे हर एक गवाह अपनी जानकारी कुछ न कुछ फरक के साथ रखता है वकील की बुद्धि इस फरक को लेकर गवाह के मन के भीतर घुसकर धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्य से हटा देती है। वे गवाह से जिरह करते समय अदालत के कमरे के प्राय सब लोगों पर ध्यान रखते थे। जो

लोग गवाहको इशारों से मदद देते रहते है उनको ताड़ना वकीलके लिये निहायत जरूरी काम है।

जिरह (Cross Examination) के सम्बन्ध में मि० पॉलब्राउन के बनाए हुए नियम—

१ उन मामलों के सिवाय जिनमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अपनी आँख गवाह की आख के सामने से न हटाओ। यह एक के मन की बात को दूसरे के मनमें लेजानेकी नलीहै, जिसकी कमी किसी भी बातसे पूरी नहीं हो सकती।

२ गवाह की आवाज का भी ध्यान रखो, आख के बाद मनकी बात को बतलाने वाला यह दूसरा श्रोत है। गवाह के अपना अपराध छिपाने की बातका, गवाह का अपने मनकीबात छिपाने के प्रयत्न का, बहुत कुछ पता उसके बोलने के ढगसे, शब्दों के उच्चारण और उनपर जोर देने आदि से चल जाता है। उदाहरणार्थ, अगर इसबात के जानने की आवश्यकता हो कि अमुक समय पर गवाह नई सड़क और लाइब्रेरोड के कोने पर था, तो इसतरह प्रश्न किया जायगा—क्या तुम छ. बजेके समय नई सड़क और लाइब्रेरी रोडके कोने पर थे? साफ़ जवाब देने वाला गवाह फौरन् उत्तर देगा—हां, शायद मैं उसी के करीब था। लेकिन जो गवाह वहीं पर था, वह उस बात को छिपाना चाहता है और आपका मंशा पूरा नहीं होने देना चाहता, और इसलिये उत्तर देता है 'नहीं, यद्यपि सम्भव है कि वह उस समय उस स्थानसे २० कदमके फासलेपर हो या पाच सात मिनट के बाद उसी स्थान पर आगयाहो। ऐसा गवाह जो जवाब देगा वह साधारणतया यह होगा कि—मैं छ बजे के समय उस कोने पर नहीं था" इन दोनों शब्दों (छ बजे और उस कोने)पर जोर देनेसे उसका अभिप्राय गोलमाल बात कहना या बात का ठीक २ उत्तर न देना है, और ऐसी दशा मे होशियार जिरह करने वाला यह प्रश्न कर सकता है कि "तुम किस समय उस कोने पर थे? या छ बजे तुम किस स्थान पर थे? और दस मे से नौ उदाहरणों से यह बात मालूम हो जायगी कि अमुक समय पर गवाह उस स्थान पर था अथवा उस समय वह अमुक स्थान पर था। आगे और उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु मेरी सलाह है कि वकील लोग गवाह की आवाज का ध्यान रखें तो सब समय इस सिद्धान्त का बड़ी सुगमता के साथ प्रयोग किया जा सकेगा।

३ कोमल स्वभाव वालेके साथ नम्रताके साथ पेश आओ और, चालाक आदमीसे होशियार रहो, ईमानदार आदमी पर विश्वास करो, नवयुवकों, निर्बलों अथवा भीरु स्वभाव वालों पर दया रखो, गुण्डोंके साथ सख्त और झूठेके लिए वज्रके समान कड़े बने रहो। लेकिन इन सभी अवस्थाओंमे आत्मसम्मानका ध्यान

रहे। अपने मनके सारे पेंचोंको सम्भाले रहो, इसलिये नहीं कि आपकी प्रशंसा होने लगे बल्कि इसलिए कि सत्यकी विजय हो और आपके पक्षकी भी जीत हो।

४ किसी फौजदारी मामलेमें, विशेष कर भारी अपराधके सम्बन्धमें, जब तक आपका मामला ठीक बना रहे, आप बहुत थोड़े प्रश्न पूछिए, और इस बातका ध्यान रहे कि किसी भी शख्ससे ऐसा कोई प्रश्न न पूछे, जिसका उत्तर, अगर आपके खिलाफ हुआ तो, आपके मवक्किलके मामले को ही सत्यानाश कर दे, जब तक कि आप गवाहको अच्छी तरह न जानते हों और यह न जानते हों कि उसका उत्तर आपके पक्षका वैसा ही समर्थक होगा जैसे कि दूसरे हैं, या जब तक आपके पास उसे बर्बाद कर देने के लिये शहादत न हो अगर वह सत्य न कहे और आपकी आशाओंके विरुद्ध आचरण करे।

५ किसी गोलमाल प्रश्नको वैसे ही बचाए रहना चाहिए और उनकी उसी प्रकार निन्दा करनी चाहिए जिस तरह गोल माल उत्तर की। एक उद्देश्य से जो स्पष्टहो, प्रश्न पूछना गवाहों की जिरह में सबसे अच्छा गुर है, फिर चाहे वे गवाह ईमान्दार हों या बेईमान, झूठी बात चालाकी से नहीं पकड़ी जा सकती है और अगर वह चालाकी से पकडी जा सकती है तो वह चालाकी गवाहकी होगी वकील की नहीं। वकील को शान्त, शिष्ट, गम्भीर, और सतर्क रहना चाहिये।

६ अगर गवाहने आपके साथ बुद्धिमानी दिखलाने या हठ करने का निश्चय कर लिया हो, तो अच्छा होकि आप इसबात को उससे पहिलेही तय करलें नहीं तो जिरह के साथ साथ इसकी बाधाए बढ़ जांयगी। पहिले उसे इसबातको समझाने का मौका दीजिए कि यातो उसने आपकी शक्ति को नहीं समझा है या अपनी शक्ति को नहीं समझा है। लेकिन हर हालत में आप इसबात का ध्यान रखें कि आप कहीं आपे से बाहर न हो जाय, बुद्धि सम्बधी लड़ाई में क्रोध का आजाना इसबात का द्योतक या साक्षी है कि वह व्यक्ति (जिसे क्रोध आया है) अवश्य हार गया है।

७ होशियार शतरंज के खेलाड़ी की तरह, हर एक चालमें, आपको अपने खेल (जिरह) के जुटाव और सम्बध की ओर अपनी-दृष्टि गड़ाए रहना चाहिए अन्यथा आंशिक एवं अस्थायी सफलता से पूरी और ऐसी हार होजानेकी सम्भावना है जिसका प्रतिकार न हो सकेगा।

८ अपने विपक्षी को कभी कम मत समझो, बल्कि दृढ़ता, और होशियारी के साथ अपने कर्तव्य पर टटे रहो। अटकल पच्चू निशान ऐसे ही घातक सिद्ध हो सकता है जैसे वह किसी बड़ेही पक्के बुद्धिमान का चलाया हुआ होता। एक की असावधानी से प्राय. दूसरों की गलती ठीक होजाती है और कभी कभी मद प्रभावोत्पादक सिद्ध होती है।

९ आप अदालत और जूरीका उचित सम्मान करते रहें, अपने साथी पर दयाभाव बनाए रहें और अपने विरोधी के प्रति सज्जनोचित व्योहार करते रहें,

लेकिन इनमें से किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता दिखला कर अपने सिद्धान्त की किञ्चिन्मात्र भी हत्या न करे।

जिरह करने का अधिकार और उसका उत्तरदायित्व—किसी गवाह पर जिरह करने का अधिकार देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका बयान खास जरूर ही ले लिया गया हो, क्योंकि अगर वह असली गवाह है और बाकायदा तलब किया गया है और उसे हलफ वगैरा दिलाई जा चुकी है, तो विरोधी पक्ष को अधिकार होगा कि वह उस पर जिरह कर सके।

जिस पक्ष ने उसे तलब कराया है उसने एक भी प्रश्न चाहे उससे न पूछा हो या न पूछना चाहता हो (देखो 6 B L R. Ap 88)

इङ्गलेण्ड में प्रचलित प्रथाके अनुसार, सिवाय खास खास अवस्थाओं के, आमतौर पर उन गवाहों पर जिरह नहीं की जाती है जो कैदीके चालचलन की निस्बत शहादत देने के लिए तलब किए गए हों, लेकिन इसके लिए किसी कानून द्वारा विशेष रुकावट नहीं डाली गई है। कानून शहादत की दफा १४० में बत लाया गया है कि चाल चलन के बारे में शहादत देने के लिए तलब किए गए गवाह पर जिरह की जा सकती है और उसके दुबारा बयान (बयान मुकर्रर) लिए जा सकते हैं। जो शख्स कोई कागज (Document) पेश करने के लिए ही तलब किया गया हो, वह सिर्फ इसी बात से गवाह नहीं हो जाता कि वह उसे पेश करता है, और जब तक वह शहादत देने के लिए बतौर गवाह के तलब किया जावेगा तब तक उसपर जिरह न की जा सकेगी देखो कानून शहादत की दफा १३९, आर्डर १६, रूल ६, १५ और जाबता फौजदारी की दफा ९४

जो पक्ष विरोधी पक्ष (मुखालिफ फरीक) नहीं है, उसे जिरह मे कोई हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती देखो 24 C L J 149—किसी शहादत को किसी अभियुक्त के विरुद्ध काबिल तस्लीम बनाने के लिए यह बात, कि उसको जिरह का पूरा २ मोका था, अवश्य साबित हो जानी चाहिए देखो 19 B 749.

जिरह में कैसे प्रश्न (सवालात) पूछे जा सकते है ?—जिरह करनेमें बहुत बड़ी स्वतन्त्रता है और उसमे पूछे जाने वाले प्रश्न केवल उन्ही बातों के सम्बन्धी नहीं होने चाहिए जो कि बयान खास मे बतलाई गई है। अभियुक्त लोगों को अधिकार है कि वे जिरह में सुबूत के गवाहों से अपने बचाव के समर्थन में ऐसी बातें पूछलें जिनका बयान खास में कही गई बातों से कोई सम्बन्ध न हो (देखो 42 C 957)—जो बातें बयान खास में अनुपयुक्त अथवा अप्रासंगिक समझी जाती हैं वे ही जिरह मे उपयुक्त और प्रासंगिक होजाती हैं। बाद में किसी समय जिरह करने वाला इस बात के दिखलाने का भार अपने ऊपर ले सकता है कि जो बातें देखने में अनुपयुक्त और अप्रासंगिक जान पड़ती हैं वे वास्तव मे उपयुक्त और प्रासंगिक हैं (देखो कानून शहादत की दफा १३६) कानून शहादत की दफा १३८ में बतलाया गया है कि बयान और जिरह दोनों वास्तविक और प्रासंगिक

बातों के सम्बन्ध मे होने चाहिए। "वास्तविक और प्रासंगिक बातो" का जिरह मे बयान खास की अपेक्षा अधिक विस्तृत अर्थ है। उदाहरण के लिए, ऐसी बातों से, जो और किसी दशा मे अनुपयुक्त हों, ऐसे प्रश्न पैदा हो सकते है जिनसे गवाह के विश्वास पात्र होने के सम्बन्धम सन्देह किया जासकता है और जिरहमेंऐसे सवालोंके पूछनेकी इजाजत दीगई है देखो कानून शहादतकी दफा१४६-१५३लेकिन जो सवालात प्रकट मे अनुपयुक्त प्रतीत होते है या जो सवालात बयान खास मे कही गई बाते का खण्डन करने अथवा उनकी वास्तविकता दिखलाने के लिए नही पूछे गए हैं या जिनसे गवाह के विश्वासपात्र होने के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नही उठाया जाता है, ऐसे सवालेा के जिरह मे पूछने की आज्ञा नही है। क़ानून का ऐसा कोई भी नियम नही है जिससे सुनी गई बातों की शहादत बयान खास की अपेक्षा जिरह में अधिक महत्वकी समझी जाय (देखो 16C 206,211)— ज्योंही कोई गवाह इधर उधर की सुनी हुई बातें अपने बयान मे कहना आरम्भ करे, त्यो ही अदालत को उसे वहीं पर रोक देना चाहिए। इस बात के सहारे रहना ठीक नही कि बादमे जूरीके सामने सुनी हुई शहादत अलग कर दिए जाने का प्रयत्न करके केवल क़ानूनी शहादत के ऊपरही फ़ैसला दिया जायगा, देखो 7 W R Cr 25 —किसी गवाह से यह नही पूछा जा सकता कि क्या अमुक व्यक्तिने इस बातको स्वीकार किया था कि वह, (न कि वह व्यक्ति, जिसपर अभियोग लगाया गया है) ऐसा व्यक्ति है जो अमुक बातके लिए उत्तरदायी है।क्योंकि ऐसी शहादत सुनीहुई शहादत है(देखो वैट्स बनाम लियनूस,6M and G 1047) —लेकिन उससे यह बात पूछी जा सकती है, कि क्या वह अमुक व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है, जिसपर विश्वास किया गया था, अथवा जिसके ऊपर बतौर उस व्यक्ति के कार्रवाई की गई थी जो वास्तव मे उत्तरदायी था? और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मरणशक्ति की और उसके विश्वास प्राप्त होने की परीक्षा करने के लिए उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं देखो हालिगहेड बनाम हेड, 4 C B n s 388; Powell, P 534

—जिरह सिर्फ़ उन्ही बातों के सम्बन्ध म नही की जा सकती जो गवाह अपने बयान खास मे कह चुका है, बल्कि सारे मामलेके सम्बन्ध म की जा सकती है। अतएव, अगर कोई मुद्दई किसी गवाह को सिर्फ एक मामूली से मामूली बात साबित करने के लिए तलब करता है, तो मुद्दाअलेह उससे हरएक बात के ऊपर जिरह कर सकताहै, और अगर वह ऐसा करसकता है तो, ऐसे प्रश्न पूछकर जो उसी उत्तर की ओर संकेत करने वाले हेा जो वह चाहता है अपनी सफ़ाईको मजबूत कर सकता है, और इस सिद्धान्त का यहा तक प्रयोग किया गया है कि वह शख्स भी, जो उस मुक़द्दमे मे फ़रीक़ है, अपने विपक्षी की ओर से क़ानूनी सुबूत दाखिल करने के लिए तलब किए जाने पर सब कामों के लिए गवाह समझा जाता है और उससे सारे मामले के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो 6 B L R Ap 88, 15 W R Cr 34)

चाल चलन की निस्बत शहादत देने वाले गवाहों के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो दफा १४०)—जिरहमें ऐसेसवाल पूछे जा सकते हैं जो ऐसे जवाब की ओर सङ्केत (इशारा) करते हों (देखो दफा१४२)। पहिले दिए गए बयान तहरीरीके सम्बन्ध में उसका खण्डन करनेके अभिप्रायसे, जिरह करनेके बारेमें देखो कानून शहादत की दफा १४५— जिरहमें किए जाने वाले दूसरे कानूनी सवालों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १४६।

गवाह हमेशा इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि, वह जिरह में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब जरूर दे (देखो दफा १४७ और १४८) उसपर उन तमाम बातों के ऊपर जिरह की जा सकती है और उसका खण्डन किया जा सकता है जो उस मामले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले हैं। उन बातों के सम्बन्ध में, जिनका सम्बन्ध जांच से सिर्फ वहीं तक है जहां तक कि वह उसके आचरण पर आघात कर, उसके एतबार को धक्का पहुंचाती है, यद्यपि उस गवाह पर जिरह की जा सकती है, जिसका सिवाय दो अवस्थाओंके खण्डन नहीं किया जा सकता (देखो कानून शहादत की दफा १५३)—जिरह में गवाह के विश्वास पात्र होने के सम्बन्ध में किस प्रकार आपत्ति की जा सकती है इस सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५५। अदालत किसी फरीक (पक्ष) को अपने ही गवाह पर जिरह करने की इजाजत दे सकती है, अगर वह उसके विरुद्ध आचरण करने लगे (देखो कानून शहादत की दफा १५४) तहरीरी बातोंके सम्बन्धमें दी जाने वाली शहादतके बारे में देखो कानून शहादत की दफा १४४। किसी ऐसे गवाह के ऊपर की जाने वाली जिरह के सम्बन्ध में, जो किसी कागज के पेश करने के लिए तलब किया गया हो, देखो कानून शहादत की दफा १३९। अदालत को अधिकार होगा कि वह शिष्टताशून्य, अपमान करने वाले और हैरान करने वाले प्रश्नों के पूछने की मनाही कर दे देखो कानून शहादत की दफा १५१, १५२।

जिरह में किन प्रश्नों के पूछने की मुमानियत है ? —ऐसे प्रश्न, जिनमें वे बातें सुबूत की गई मानली गई हों जो वास्तव में सुबूत नहीं कीगई हैं, या यह कि अमुक अमुक उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं, कभी भी पूछनेकी इजाजत न दी जायगी। जिस प्रश्नमें किसी ऐसी बात को मान लिया गया हो जो विरुद्ध पड़ता है, वह प्रश्न जबकि बयान खासमें पूछा गया हो, तो ऐसा प्रश्न (सवाल) है जो उसी उत्तर की ओर संकेत करता है जो उत्तर प्रश्न करता चाहता है, क्योंकि इससे उस पक्षके समर्थक गवाह को उस बात का स्मरण करा दिया जाता है जो उसने अन्य दशा में बयान न की होती। इसी प्रकार, जिरहमें भी ऐसा प्रश्न अनुचित ही होगा, क्योंकि सम्भवतः उसका तात्पर्य उस गवाह के मुंहसे, ऐसी बात निकलवा लेना है जोकि वह कहना नहीं चाहता था और इस तरह वह उसकी शहादत का एक अंग बन जाती है, यद्यपि उसे उसने अपनी इच्छा से नहीं कहा था।

जिरहके दौरानमें अपमान सूचक बातोंका कहा जाना—जिरह में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई अपमान सूचक अथवा परेशान करने वाली बात न होनी चाहिए, यद्यपि वकील को अधिकार है कि वह गवाह के ऊपर टीका टिप्पणी करता जाय। जिस समय मि० हार्डी पर अभियोग चलाया जा रहा था (देखो 24 How St Tr 754) उस समय मि० गरूभूत ने अपनी जिरहमें एक राजविद्रोहात्मक सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा कि—बताइये—

"तो आप उनमें से किसी भी सभा में सिवाय गुप्तचर की हैसियत से कभी गए ही नहीं?"

"चूंकि तुम ऐसा कहते हो, इसलिए मैं भी इसे ऐसा ही माने लेता हूँ"

"अगर तुम वहाँ पर गुप्तचर की हैसियत से नहीं गए थे, तो और जो उपाधि तुम चाहते हो चुन लो और मैं तुम्हें वह उपाधि दे दूंगा।"

लार्ड चीफ जस्टिस ईयर ने कहा—

"बयान लेते समय गवाह का नाम नहीं रखना चाहिए। यह वही बात बतलाता है जिसके लिए वह गया था, और शहादत के ऊपर विचार करने में आप उसे जैसा नाम चाहें दें।" इसी तरह के एक अवसर पर आपने कहा—"मैं समझता हूँ यह बात बिलकुल साफ़ है कि जो सवालात पूछे जानेको हों उनपर हम सब बातोंका भार नहीं लाद देना चाहिए जो मुकद्दमेके पहिले वाले कुछ हिस्सोंके सम्बन्ध में पैदा होती हैं, इनसे हरएक आदमी का ध्यान बंट जाता है, इनसे हमारा बहुत समय नष्ट होता है, और यह बात कि वह समय गवाह के चाल चलन या उसकी स्थिति के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, ऐसी साफ़ है कि इसे शहादत का एक नियम मानकर इससे कभी भी विचलित न होना चाहिए।"

किसी गवाह की शहादत के महत्व अथवा उसके प्रभाव के सम्बन्ध में, या उसके आचरण के ऊपर बयान के दौरान में बिना विचार किए जल्दी में कोई टीका न करने लगना चाहिए। वे सारी बातें बहस के वक्तके लिए ही छोड़ रखना चाहिए। और न जिरह करने वालेको यही चाहिए कि वह बिल्कुल कल्पित प्रश्नों को उठाकर गवाह से वाद विवाद करने लगे। आक्रमणात्मक प्रश्नों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५१।

कुछ बातों के ऊपर जिरह का न करना—चतुर जिरह करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह असली बयान में कही गई बातों को ध्यान पूर्वक सुने, और जब अपनी बारी आवे तो गवाह से उन्हीं बातों के सम्बन्ध में प्रश्न करे जो उसके विरुद्ध पड़ती हों। अगर वह उन्हें छोड़ देगा या उनके पूछने की परवा न करेगा तो यह समझा जायगा कि उन्हें उसने स्वीकार कर लिया है और दूसरा पक्ष स्वभावतः इससे यह परिणाम निकलेगा कि वे बिना किसी विरोध के मान लिए गए हैं।

साधारण तौर पर तो यह चाहिए कि एक पक्ष अपने विपक्षी के गवाहोंमें से प्रत्येक से क्रमशः वही बातें पूछे जिनका सम्बन्ध उस गवाह से है या जिनमें

पात्रता को धक्का पहुचाने के बदले प्राय उसे प्रबल बना देता है। इससे अधिक सन्देहयुक्त और कोई भी बात नहीं हो सकती कि एक लम्बे चौडे किस्से को बहुत से गवाह बयान कर जाय और छोटी से छोटी बात मे भी उनमे भेद न पड़े। इस लिए यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि, किसी जिरह करने वाले वकील को, आमतौर पर, ऐसे प्रश्न नही पूछने चाहिए, जिनके उत्तर प्रतिकूल होने पर उसके ही पक्ष के घातक सिद्ध हों।

जैसे उदाहरण के लिये, किसी ऐसे मामलेमे, जिसका दार मदार शिनाख्त के ऊपर हो। यह कि क्या गवाह को इसबात का निश्चय है या वह इसके लिये हलफ़से बयान कर सकता है कि अभियुक्त वही आदमी है जिसकी निस्बत वह अपना बयान दे रहा है। अच्छा यह होगा कि उससे घटना के निकटवर्ती अथवा दूरिवर्ती विषयों के सम्बध मे प्रश्न किए जाय, जिनके सम्बध मे दिए उत्तर से यह मालूम होजाय कि, अपने पहिले बयान में, जो कि उसने दिया है, वह या तो झूठ बोला है या उसने भूल से ऐसा बयान कर दिया। परन्तु कुछ अवस्थाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते है जिनमे अपना मामला बिगड जानेका भी भय है, विशेष कर ऐसी दशामे जबकि अनुकूल उत्तरके मिल जानेसे बहुत बडा लाभ होता हो और पहिले ही से स्थिति ऐसी बनगई हो कि प्रतिकूल उत्तर मिलने से उसमे बहुत कम हानि होने की सभावना हो।"

ऐसे अभियुक्तों और मुद्दाअलेहों के गवाहों पर जिरह करनेका अधिकार जिनपर मामला एकही में चलरहा हो—जब दो या अधिक आदमियों के ऊपर एक साथ मे मामला चलाया गया हो और वे अलग अलग अपनी सफ़ाई पेश कर रहे हों, तो किसी भी गवाह पर, जो उनमे से किसी एक की ओर से पेश किया गया हो, दूसरे की ओर से जिरह की जा सकती है, जब वह कोई ऐसी बात अपने बयान मे कहे जिससे उन सबपर दोष लगाया जाताहो देखो आर बनाम बरहट, 1855, Dears C C 431

और जब दो कैदियों के ऊपर साथ मे मामला चल रहा हो और एक का गवाह ऐसी शहादत देता है जिससे दूसरे पर भी असर पडता है, तो दूसरे को गवाह के ऊपर जिरह करने का अधिकार देखो आर बनाम टैडमेन 1902, 1 K. B 883

दूसरे कैदियों के वकीलों को भी अधिकार है कि वे ऐसी दशा मे उस] शहादत से काम लें। इसी तरह लार्ड बनाम कार्विन के मुकद्दमे [1855 L J Ch 5 17] में जस्टिस किंडरसन ने, कुल न्यायालयोंके जजोंसे परामर्श करने के बाद, तय किया था कि सब से बड़ी अदालत दीवानी (कोर्ट आफ चैन्सरी) मे जिरह करने वाले के सामने एक मुद्दाअलेह दूसरे मुद्दाअलेह के गवाहों पर जिरह कर सकता है।

कानून शहादत में उन शख्सों के गवाहों पर जिरह करने के सम्बध मे कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है जिनपर एक साथ अभियोग चलाया गया हो

या जो एक ही साथ मुद्दाअलेह बनाए गये हो। लेकिन इस सम्बन्ध मे की जाने वाली कार्रवाई की व्यवस्था इस प्रचलित नियम के अनुसार की जा सकती है कि उस शख्स के खिलाफ दीगई कोई भी शहादत स्वीकार न की जायगी जिसे जिरह करके उसकी जाच करने का मौका न दिया गया हो, क्योकि यह बिल्कुल ही अनुचित और अन्याय होगा कि किसी अभियुक्त को उस गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जो उस अभियुक्त की ओर से तलब किया गया है जिसका मामला उससे बिल्कुल भिन्न है।

रामचन्द बनाम हनीफ़ शेख, 21 C 401, म जस्टिस ट्रेवीलयन और जस्टिस रामपिनीने कहा था—"हम समझते है कि बहुत से मुकद्दमोंमे न्याय न हो सकेगा, अगर किसी अभियुक्त को अपने साथी उस अभियुक्त के गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जिसका मामला उससे भिन्न है, क्योकि सम्भव है इसका परिणाम यह हो कि अदालत उस शहादत के आधार पर अपना फसला दे देवे जिसकी जिरहसे जाच नही कर ली गई है। कानून शहादतमे उनगवाहो से जिरह करनेका अधिकार दिया गयाहै जो विपक्षीकी ओरसे तलब किए गए हो।" लेकिन देखो क० बनाम सरूप, 12 W R C 75 जोकानून शहादत के पास होने स पहिले फैसल हुआ था।

अगर कई एक मुद्दाअलेहा मे से जिनपर एक साथ मे नालिश की गई है, किसी एक की पैरवी अलग से की जाय तो वह दूसरे मुद्दाअलेह पर जिरह कर कर सकता है, देखो नरसिह बनाम कृष्णा, Mad H C 546

अभिलिषित उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न—ऐसे प्रश्न वह है जिनमे उस उत्तरकी ओर संकेत किया गया हो जिनको प्रश्नकर्त्ता चाहता है। मि० टेलरके कथनानुसार उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न (Leading question) वह प्रश्न है जिसमे गवाहको वाञ्छित उत्तर देनेके लिए इशारा किया गया हो, या जिसम आवश्यक बातोंके होते हुए भी उसका उत्तर एक 'हा अथवा नही' मे होता हो। मि० बेन्थमने ऐसे प्रश्नकी परिभाषा यह की है कि वह प्रश्न गवाहको उस वास्तविक अथवा कल्पित घटनाकी ओर इशारा करता है जिसकी प्रश्न करने वाला आशा रखता है और जिसको वह चाहता है कि उत्तर द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। जैसे,

क्या तुम्हारा अमुक नाम नही है?

क्या तुम्हारी सम्पत्ति फला जगह पर नहीं है?

क्या तुम अमुक व्यक्तिके यहां नौकर नही हो?

क्या तुम इतने दिनो तक उसके साथ नही रहे हो?

यह बात बिल्कुल साफ है कि इस प्रकारके प्रश्नोंमे गवाहको गुप्त रीतिसे सारी बात बतला दी जाती है। इससे उसे, उससे पूछे गए प्रश्नोंका वाञ्छित उत्तर देनेके लिए तैयार किया जा सकता है, और प्रश्नकर्त्ता, जो अपनी अनभि

ज्ञात प्रकट करता है और जानने के लिए पूछता है, वास्तवमें वह पूछनेके बदले जवाब बतलाता है।

किसी प्रश्नको उसी समय वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाला बतला कर उस पर आक्षेप किया जा सकता है जब उसमें उत्तर की ओर संकेत किया गया हो उस समय नहीं जब कि उससे केवल गवाहका ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित किया गया हो जिसके बारेमें उससे प्रश्न किया गया है (देखो निकोलस बनाम डाटढिङ्ग, 1 Stark 81, Best S. 641

संकेतार्थक प्रश्न किन अवस्थाओंमें नहीं पूछ जा सकते और वे कब पूछे जासकते हैं — बिना अदालतकी आज्ञाके ऐसे प्रश्न, जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले है, अगर उनके बारेमें विरोधी पक्षको कोई आपत्ति है तो, बयान ख़ास (Examination in Chief) अथवा बयान मुकर्रर (Re Examination) में नहीं पूछे जा सकते।

अदालत ऐसी दशामें ऐसे संकेतार्थक प्रश्नोंके पूछनेकी इजाजत दे सकती है जब जिन बातोंके सम्बन्धमे वे पूछे गए हैं वे प्रारम्भिक बाते है या जिनके बारे में, उसकी रायमें, पहिले ही काफी सुबूत गुजर चुका है (देखो क़ानून शहादतकी दफ़ा १४२)।

जिरह में ऐसे प्रश्न किए जा सकते है जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों (देखो दफ़ा १४३)।

साधारण नियम यह है कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न बयान ख़ास या बयान मुकर्रर मे नही पूछे जा सकते। वकील का यह कर्तव्य है कि वह उन बातों को, जिन्हे उसका गवाह जानता है, बिना उसे किसी तरह की मदद पहुँचाए हुए, उससे बयान करवा के अदालत को न्याय कार्य संचालन मे सहायता करे। बयान खास और बयान मुकर्रर मे उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न देने का कारण बिल्कुल साधारण है।

गवाह का स्वाभाविक रुझान उस आदमी की ओर होता है जो उसे तलब कराता है और इसलिए ज्योंही उसे प्रश्न से यह मालूम हो जायगा कि प्रश्नकर्ता 'हां' अथवा 'नही' मे एक उत्तर चाहता है, तो वह फौरन् 'हां' या 'नहीं' में जवाब दे देगा। दूसरा कारण, जैसा कि मि० ब्यस्ट का कहना है, यह है कि "किसी गवाह को तलब करने वाले शख़्स को अपने विपक्षी की अपेक्षा अधिक लाभ इस बात का रहता है कि वह गवाह से पहिले से ही इसबात को जान लेता है कि गवाह कौनसी बात साबित करेगा या कम से कम उससे कौनसी बात साबित होने की आशा की जाती है, और यह कि इसलिए, अगर वकील को रास्ता दिखलाने की इजाजत दे दी जाय, तो सम्भव है कि वह इस तरह प्रश्न करे कि उससे गवाह उतना ही उत्तर दे जो उसके अनुकूल पड़ता है या कुछ बातों को छिपा डाले।

कानून शहादत की दफ़ा १४२ में बतलाया गया है कि, अगर उन पर कोई आपत्ति की जाती है तो, ऐसे प्रश्न जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाले हों, बयान खास में नहीं पूछे जाते हैं। जहां तक जल्द हो सके उसपर उज्रदारी कर दी जानी चाहिए, अर्थात उस समय जब कि प्रश्न किया जा चुका हो या किया जा रहा हो। अगर ठीक समय पर उज्रदारी न कीगई, तो जो कुछ उत्तर वह देगा उसे जज लिखलेगा और फिर उसका नुक्स दूर नहीं किया जा सकता है। अगर विरोधी पक्षकी उज्रदारी की बिना मजबूत है और अदालत अपने अधिकार से उज्रदारी खारिज करके उस प्रश्न के पूछने की इजाजत दे देती है, तो यह उचित है कि अदालत को वह प्रश्न नोट करा दिया जाय, ताकि अपील किए जाने पर आगे की अदालत शहादत के असर का अन्दाजा लगा सके, या बाद मे उसी अदालत को यह दिखलाया जा सके कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न से शहादत का मूल्य घट गया है। जब प्रश्नों के सम्बन्धमें उज्रदारी कीगई हो और अदालत ने उसे मंजूर कर लिया हो, तो जज उस प्रश्न को, उसका उत्तर और उज्रदारी इत्यादि को लिख लेगा (देखो आर्डर १८, रूल १२, जाबता दीवानी)—उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नों की सहायता से प्राप्त शहादतको अलग करनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न दीजाय (देखो 15 W R Cr 23 P 24)।

लेकिन अगर विरोधी पक्षका वकील ऐसे उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता और ऐसे प्रश्नोंके उत्तर प्राप्त हो जाय, तो यह प्रश्नकर्त्ताकी विजय न समझनी चाहिये, क्योंकि ऐसी शहादतका नतीजा बहुत ही कमजोर होता है।

प्रायः देखा जाता है कि ऐसे संकेतार्थक प्रश्न पूछनेकी, बिना किसी आपत्ति के ही, इजाजत दे दी जाती है, कभी प्रकट स्वीकृति द्वारा और कभी मौन द्वारा। यह अन्तिम अवस्था उस समय पैदा होती है जबकि प्रश्न उन बातों के सम्बन्धमें पूछे जाते हैं जिनकी बाबत प्रश्न कर्त्ता यह जानता है कि दूसरे पक्ष वाले उनका कोई विरोध नहीं करेंगे, या जबकि विपक्षीका वकील उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि उन पर कोई आपत्तिकी जाय। परन्तु दूसरी ओर इस विनाके ऊपर बहुत ही निराधार आपत्तियां बराबर की जाती रहती हैं।

अदालत अपने अधिकारसे बयान खासमें ऐसे संकेतार्थक प्रश्नों के पूछनेकी इजाज़त दे सकती है

कानून शहादतकी दफा १४२ में यह बतलाया गया है कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न, अगर उस पर आपत्ति कीगई है तो, बिना अदालतकी

इजाजत के नहीं पूछे जा सकते। चूंकि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि वे बिल्कुल गैर-कानूनी हैं बल्कि सिर्फ यह कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल अनुचित हैं (देखो 7 A. 385, 397, (1909) 2 K. B. 14 (16). इसलिये अदालत अपने अधिकारसे उचित अवस्थाओंमें ऐसे प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है। साधारण नियमके ये नीचे लिखे अपवाद (मुस्तसनियात) हैं:—

(१) प्रारम्भिक अथवा ऐसा मामला जिसकी निस्बत कुछ झगड़ा नहीं है—अदालत ऐसी बातोंके सम्बन्धमें संकेतार्थक प्रश्नोंके लिए इजाजत दे सकती है जो प्रारम्भिक हैं अथवा जिनकी बाबत कोई झगड़ा नहीं है या जिनकी निस्बत काफी सुबूत गुजर चुका है, (देखो दफा १४२)—साधारण नियम बयानके उस हिस्सेके सम्बन्धमें लागू नहीं होता जो आवश्यक अंशका प्रारम्भ करता है। अगर वास्तवमें ऐसे प्रश्नोंसे असली बातों तक पहुंचनेकी इजाजत न दीगई होती, तो बयानोंमें बहुत विलम्ब और इस कारण बड़ी असुविधा होती। कारवाईको संक्षिप्त करने और गवाहको जहां तक जल्द सम्भव हो उन आवश्यक बातों तक लानेके लिये, जिनकी निस्बत वह अपना बयान दे रहा है, वकील उसे इस सम्बन्धमें सहायता कर सकता है और उसे वह सारी बातें सुना सकता है जो स्वीकार कर ली गई हैं और जो पहिले ही तय होगई हैं। इसलिये ऐसी बातोंके सम्बन्धमें सहायता पहुंचानेकी इजाजत नहीं देनी चाहिए बल्कि सहायता करना उचित भी होगा।

(२) शिनाख्त—किन्हीं आदमियों या चीजोंकी ओर किसी शख्सका ध्यान, उनकी शिनाख्त करनेके अभिप्रायसे, आकृष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गवाहसे प्रायः ऐसा पूछा जाता है कि क्या अभियुक्त ही ऐसा शख्स है जिसकी निस्बत तुम कहते हो? इस प्रकारका प्रश्न वास्तवमें असन्तोष जनक है और ऐसी शहादत का कुछ अधिक महत्व नहीं होता। आजकल वकीलके लिए इस प्रकार का प्रश्न करना कि, क्या यह शख्स तुमको अदालतमें दिखलाई पड़ता है? और फिर उसे उस शख्सकी शिनाख्त करनेके लिये कहना अच्छा समझा जाता है। ऐसी दशामें यह उचित है कि उसे कोई सहायता शिनाख्त करने में न पहुँचाई जाय। यद्यपि यह बिल्कुल ठीक होगा कि अभियुक्तकी ओर इशारा करके गवाह से यह पूछा जाय कि क्या यही वह शख्स है जिसकी निस्बत तुम बयान दे रहे हो? तो भी अगर बिना किसी सहायताके गवाह अभियुक्तको पहिचान ले, तो उसकी शहादतका अधिक मूल्य होगा।

३ खण्डन करना—किसी गवाहसे किसी दूसरे गवाहकी शहादतका खण्डन करनेके अभिप्रायसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हों। उदाहरणार्थ—अगर मोहनका कहना है कि घसीटेने उसे अमुक अमुक बात बतलाई है, तो घसीटेसे पूछा जा सकता है कि, क्या तुमने कभी मोहनसे अमुक अमुक बात कही है।

जब एक गवाह किसी दूसरे गवाहकी बातोंका खण्डन करनेके लिए पेश किया गया हो, जो उसने कही हैं, परन्तु जिनके लिए वह अब इनकार करता हो

कि उसने कभी नहीं कहा है, तो उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है—क्या दूसरे गवाहने ऐसी ऐसी बात कही ? इसमें साधारण नियम क्यों लागू नहीं होता, इस सम्बन्धमें भिन्न भिन्न प्रमाण हैं और उनमें जोरके साथ यह कहा गया है कि पहिले दूसरे गवाहसे यह पूछकर, कि जिस समय की निस्बत प्रश्न है, उस समय उसने क्या कहा, उसको खूब थका डालना चाहिए। गवाहसे सिर्फ यही बात नहीं पूछनी चाहिए कि क्या क्या कहा गया, बल्कि यह कि क्या अमुक अमुक भाषाका प्रयोग किया गया, क्योंकि सम्भव है दूसरी तरहपर उन बातोंका खण्डन न किया जा सके जिनके खण्डन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु जब केवल खण्डन करने के ही अभिप्रायसे किसी बात-चीतका सुबूत न होजाय, तो बादमें किया जाने वाला प्रश्न बिल्कुल अनुचित होगा।

४ स्मरण शक्तिको सहायता देना—उस समय इस नियमका प्रयोग न किया जायगा जब कोई शख्स उस सवालका, जो उससे पूछा गया है, सिर्फ याददाश्त (स्मरण शक्ति) की कमजोरीके कारण जवाब न दे सकता हो। इस तरह जब कोई गवाह ज़ाहिरामें कोई बात भूल गया है और मामूली सवालोंसे उसकी याददाश्तको ताज़ा करने के लिए कीगई सारी कोशिशें नाकामयाब होगई हों, तो ऐसा प्रश्न पूछकर उसका ध्यान उस बातकी ओर आकृष्ट किया जासकता है, जो उस उत्तरकी ओर संकेत करता है जो वाञ्छिनीय है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना उत्तर बतलाए किसी बातकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट करके उसकी याददाश्त ताजी कर दी जाय। जब कि एक गवाहने अपने बयानमें यह कहा कि अमुक फर्मके मेम्बरोंका नाम स्मरण नहीं आता लेकिन अगर यह उन्हें देखे तो पहचान सकता है, लार्ड एलेनबराने ऐसा करने की इजाज़त दे दी, (देखो अकेरो बनाम पेट्रोनी, Ritch 100)

कभी कभी अदालत ऐसे गवाहसे भी, जो कम उमर होनेकी वजहसे बिना सहायताके उस बातको स्मरण नहीं कर सकता जिसकी निस्बत जाच की जा रही है, ऐसे प्रश्न करने की इजाजत दे सकती है जो अभिलिषित (वाञ्छित) उत्तर की ओर संकेत करते हैं।

५ यह गवाह जो खिलाफ हो गया हो—अगर कोई ऐसा गवाह, जिसे किसी एक फरीकने तलब कराया है, उनके खिलाफ हो जाय या विपक्षीसे जाकर मिल जाय तो अदालत अपने अधिकारसे उससे ऐसे प्रश्न करने की इजाजत दे सकती है जो प्रश्नकर्ताके वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हों अर्थात उस पर जिरह करनेकी इजाजत दे सकती है, (देखो कानून शहादतकी दफा १५४)।

६ पचीदा मामला—उस समय साधारण नियमका प्रयोग नहीं किया जायगा जब कि गवाह उन प्रश्नोंका, जो उससे सामान्य रीतिसे पूछे गए हैं, इस कारण उत्तर देने में असमर्थ हो कि, जिस मामले के सम्बन्धमें प्रश्न किए गए हैं वह पेचदार है।

साधारण नियमके ऊपर दिए हुए ये छः अपवाद (मुस्तस्नियात) पूरे नहीं हैं। अदालतको इन मामलेमें समयानुकूल कार्रवाई करनेका पूर्ण अधिकार रहता

है और जब कभी उसे न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक प्रतीत हो वह वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है । वास्तवमें, जैसा मि० टेलर का कथन है, जजको इस बातका अधिकार है—इसमें अदालत अपील कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती—कि वह किस समय अथवा किस अवस्थामें साधारण नियम के विरुद्ध कार्रवाई कीगई है, परन्तु इस अधिकारका प्रयोग केवल उसी समय करना चाहिए जब कि न्यायके लिए ऐसा करनेकी आवश्यकता हो।

यह काम अदालतका है, सरकारी वकीलका नहीं कि वह इस बातको निश्चय करे कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की इजाजत दी जाय, अथवा न दी जाय और ऐसी इजाजत देनेकी सारी जिम्मेदारी अदालतकी ही होती है, देखो 37 C 467.

जिरह में संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं

जिरहमें संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं—बयान खासमें वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके न पूछने देने के कारण वह प्रश्न उस समय बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, जब गवाह पर जिरह होने लगती है, क्योंकि जिस समय गवाह पर जिरह की जाने लगती है, उस समय वह जिरह करने वाले फरीकके आमतौर पर खिलाफ होता है । इसलिए कानून शहादतकी दफा १४३मे यह व्यवस्था कीगई है कि, "जिरहमे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वांछित उत्तर की ओर संकेत करते है ।" इस नियमका विस्तार बहुत अधिक नहीं है । जब वह गवाह जिसके बयान लिए जा रहे हैं, उसके मुआफिक हो, तो कभी कभी अदालत जिरह करने वालेको ऐसे प्रश्न करने की आज्ञा न देगी जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों ।

हार्डीके मुकद्दमे (देखो 24 How St Tr P 659). में सुबूतके गवाह से मुद्दाअलेहके वकीलने, यह देखकर कि वह गवाह उसके मुआफिक है, एक ऐसा ही प्रश्न (उत्तरकी ओर संकेत करने वाला) पूछा, तो जस्टिस बुलरने यह कह कर प्रश्न पूछने की मुमानियत कर दी कि, "आप जिरह करने मे गवाहको इतनी सहायता कर सकते हैं कि उसे उसी बातका उत्तर देनेके लिए प्रेरित करें जिस बातका उत्तर वह चाहता है, परन्तु आप इतना नहीं कर सकते कि गवाह के मुहमें ठीक २ वही शब्द रख दें जिनको वह दोहरा दे ।" लेकिन माकिन बनाम यून (1836 7 C & P 408) में मि० आल्डर्सन ने कहा, "मै समझता हूँ आप बयान खासमे जजकी आज्ञासे ऐसे गवाहसे भी उसे रास्ता दिखाने वाले (Leading questions) पूछ सकते हैं जो इसकी इच्छा नहीं रखता है, लेकिन आप जिरहसे, उसकी ऐसी इच्छा न रहते हुए भी, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ।" तथापि जब इस बातकी इच्छा प्रकट कीगई हो कि गवाह प्रश्नकर्ता की सहायता करना चाहता है, तो गवाहके मुहमे ठीक वही शब्द रख देना, जो वह यादमें

दोहरा दे, बिल्कुल अनुचित है और इससे उसकी शहादतकी अहमियत बहुत कम हो जाता है (देखो आर० बनाम हार्डी, 1791, 124 St Tr 755) इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब वह गवाह, जिसके ऊपर जिरह कीगई है, अपने ख़यालात को बदल दे और उस फरीक़के मुआफिक़ कार्रवाई करने लगे तो, अगर ऐसा स्थितिसे लाभ उठाकर उससे वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जाय तो उसकी शहादतका जोर बहुत कुछ कम हो जायगा। ऐसी दशामें उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछना न उचित ही और न न्यायानुकूल ही है, और इसलिए अदालत को इनके लिए इजाजत नहीं देना चाहिए।

पहिले के बयानों के सम्बन्ध में जिरह—क़ानून शहादत की दफ़ा १४५ में उस बातकी व्यवस्था कीगई है कि जिससे जिरह में किसी गवाह के पहिले दिए गए बयान का, जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, खण्डन किया जा सकता है। जिरह में गवाह से बिना उसे वह तहरीर दिखलाए यह पूछा जा सकता है कि क्या उसने इससे पहिले कोई ऐसा बयान किया है जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, और जो उसके मौजूदा बयान से भिन्न है और जो उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जो इस समय में पूछी गई है और अगर इसका उत्तर नहीं में हो, तो यह दिखलाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान किया था, लेकिन अगर इस प्रश्न का अभिप्राय उसकी किसी तहरीर का खण्डन करना है, तो ऐसा खण्डन करने वाला उत्तर मिलने के पहिले उसका ध्यान उस तहरीर की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जिसका खण्डन किए जाने को है। उसे उस अवस्था को बतला देना चाहिए जिसमें कि वह बयान दिया गया है जिससे उसे ठीक ठीक उस अवस्था का ज्ञान होजाय जिस अवस्था में वह बयान दिया गया था और उससे यह पूछा जाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया है या नहीं। इसका उद्देश्य गवाह को इस बात का मौक़ा देना है कि वह दोनों बयानोंमें होने वाले अन्तर का उत्तर दे सके। क़ानून शहादत की दफ़ा १४५ का मंशा यह नहीं है कि वह तहरीर उसे अवश्य ही दिखलाई जाय, लेकिन यह कि, अगर इसका इरादा गवाह का खण्डन करना है तो, उसका ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो उसका इस प्रकार खण्डन करने के काम में लाए जाने को है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे अपनी पहिली शहादत के अध्ययन करने का मौक़ा दे दिया जाय ताकि वह उसके अनुसार अपना उत्तर तैयार कर सके, बल्कि यह कि अगर इसका उत्तर उसकी पहिले दीगई उस शहादत से भिन्न है जो तहरीर में आगई है, और उसके उस खण्डन का मंशा उस मामले में बतौर शहादत पेश किए जाने का है, तो गवाह को इस बात का मौक़ा दिया जाना चाहिए कि वह अपनी सारी बातों का जवाब दे सके, अगर वह ऐसा कर सकता है तो। और अगर उसे यह मौक़ा नहीं दिया जाता, तो वह विरोधात्मक लिखित (मुख़ालिफ़ तहरीर) मिसिलमें बतौर शहादत दर्ज न कीजायगी। देखो दुर्गेश बनाम टपली, 15 W R Cr 23

पहिले दिया हुआ बयान उन्ही बातों के सम्बन्ध में होना चाहिए जो तय की जानी है। किसी गवाह का खण्डन उन बातों के सम्बन्ध मे नही किया जा सकता जो उसकी पहिले बयान कीहुई बातों के समान है।

पहिले दिये हुए बयान का प्रयोग किसी गवाह को प्रतीतिके अयोग्य सिद्ध करने में किया जा सकता है। कानून शहादत की दफा १५५ (३) में यह बतलाया गया है कि किसी गवाह को विश्वास के अयोग्य सिद्ध करने का एक ढंग यह है कि उसके पहिले के इजहार (बयान) का कोई हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से भिन्न साबित कर दिया जाय। यह दफा पहिले दिए हुए बयान के सम्बन्ध में ही लागू होती है फिर चाहे वह बयान जबानी हो या तहरीरी, और कानून शहादत की दफा १४५ सिर्फ बयान तहरीरी के सम्बन्ध मे ही लागू होती है और दफा १५५ (३) सिर्फ किसी गवाह को अविश्वासी सिद्ध करने में ही प्रयोग की जा सकती है। किन्तु दफा १४५ की तरह दफा १५५ मे साफ तौर से यह नही बतलाया गया है कि पहिले गवाह का ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग उसका खण्डन करने के लिए किया जाना है। लेकिन इसमे कोई सन्देह नही कि उसी नियम पर दृढ रहना बिल्कुल ठीक और मुनासिब है [देखो शामलाल बनाम अनन्ती 24 W R. 312]

कारपेण्टर बनाम बाल (1840, 3 P & D 457) मे जस्टिस पैटर्सन ने कहा था कि, "मै इस विस्तृत नियम को पसन्द करता हूँ कि, जब आपका अभिप्राय किसी गवाहके सम्बन्ध में किए गए इजहार के बारेमे शहादत देने से हो, तो आपकोउससे यह पूछना चाहिएकि क्या कभी उसनेऐसे शब्दोंका प्रयोग कियाथा।"

समर्थन करने के लिए पहिले दिया गया बयान—कानून शहादतकी दफा १५७ के अनुसार किसी गवाहका पहिले किया हुआ इजहार उसकी बादमे दीहुई शहादत का पुष्टी करण करने के लिए साबित किया जा सकता है। लेकिन उसका पहिले का इजहार उन्ही बातों के सम्बन्ध मे हो और उसी समय दिया गया हो जिस समय वह घटना हुई थी या किसी ऐसे हाकिम के सामने दिया गया हो जिसे कानूनन उसमामले की तहकीकात करनेका अधिकार है।

जिरहमें प्रश्नों से गवाहको अविश्वासी सिद्ध करना—ऊपर बतलाए हुए प्रश्नों (सवालों) के अतिरिक्त जिरह में गवाह से कोई भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते है जिनका मशा नीचे के तीन विषयो मे से किसी के सिद्ध करने का हो—

१—उसकी सचाई की जांच करना, या

२—इस बात का पता लगाना कि वह कौन है और समाज मे उसकी क्या स्थिति है, या

३—उसके चरित्र को बदनाम करके कि वह विश्वास के अयोग्य है

क़ानून शहादत की दफ़ा १४६ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है उसका एक अविवेकी जिरह करने वाला दुरुपयोग कर सकता है और उसके अविश्वासी सिद्ध करने के बहाने से किसी गवाह के व्यक्तिगत जीवन और चरित्र के सम्बन्ध में आपत्ति जनक प्रश्न पूछ कर उसकी भारी से भारी बेइज्जती की जा सकती है और उसे दिक़ किया जा सकता है। इसलिए दफ़ा १४८ में यह व्यवस्था की गई है कि, अगर ऐसा कोई प्रश्न प्रत्यक्ष में आवश्यक नहीं है अथवा, उन बातों के सम्बन्ध में नहीं है जिनकी निस्बत झगड़ा है, बल्कि उसका उसी हद तक उन बातों से सम्बन्ध है कि वह उस गवाह के चरित्र को दूषित सिद्ध करके उसको विश्वास किए जाने के अयोग्य सिद्ध करता है, तो यह फ़ैसला देना अदालत का काम है कि गवाह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाय अथवा नहीं, और अदालत को अधिकार होगा कि वह गवाह को इस बात से आगाह कर दे कि वह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क़ानून शहादत की दफ़ा १४८ के क्लॉज (१), (२) और (३) में, इस सम्बन्ध में कुछ नियम बतलाए गए हैं कि अदालत को अपने इस अधिकार का किस तरह प्रयोग करना चाहिए।

ऐसे प्रश्न, जिनसे गवाह के विश्वासपात्र न होने के सम्बन्ध में कोई बात सिद्ध होती हो, बिना माकूल वजह के नहीं पूछे जाने चाहिए देखो क़ानून शहादत की दफ़ा १४९—अगर अदालत की यह राय है कि बिना माकूल वजूहात के ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, तो वह इस मामले की रिपोर्ट अधिकारियों के पास उसपर मुनासिब कार्रवाई करने के लिए कर सकती है (देखो दफ़ा १५०)—क़ानून शहादत की दफ़ा १४९ के उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि वे माकूल वजूहात कौन सी हो सकती हैं और कौन सी नहीं। यह कह देना काफ़ी न होगा कि इसके लिए इजाजत दे दी गई थी। वकीलों का किसी के ऊपर धोखेबाजी या अपराध का दोष लगाना उचित न होगा जब तक कि उनको स्वयं इस बात का विश्वास न हो जाय कि उन्हें सामने रखने के लिए माकूल वजूहात मौजूद हैं [देखो बेस्टन बनाम प्यारेमोहन, 18 C W N 185, 40 C 898)

यह बात वकालत पेशे के बिलकुल विरुद्ध है कि कोई वकील किसी गवाह से उन बातों के सम्बन्ध में जिरह करे जिन्हें वह स्वयं जानता है। और उसका मवक्किल नहीं जानता जब जिरह के दौरान में वकील किसी गवाह के ऊपर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण करे, तो अदालत यह पूछ सकती है कि क्या उसने आज्ञा मिलने पर ऐसा दोषारोपण किया है, और, अगर 'हां' कहे तो, किसकी आज्ञा मिलने पर? वकीलों को उसी अवस्था में इसकी आज्ञा दी जा सकती है जब विपक्षी पर उनकी बात प्रकट होने से उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता प्रतीत हो। अदालत के विरुद्ध इसके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

जब किसी गवाह ने किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया हो जो उसकी प्रतीति को उठा देने के लिए ही ठीक है, तो उसका खण्डन करने के लिए, शहादत न

न्याय कभी इसबात को नही चाहता कि किसी मनुष्य के जीवन में हुई वे भूलें जिनके लिये बहुत समय पहिले वह पश्चात्ताप प्रकट कर चुका है और जिनके लिये समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है, किसी वाद के मुकद्दमेबाज की इच्छा से खोद निकाली जाय। इसलिए आचरण के अनौचित्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों को जिनसे इसबात का अनुमान कर लेने के लिये कोई कारण नही उत्पन्न होता कि जो गवाह उन बातो का दोषी है वह कभी सच्चा और विश्वासपात्र आदमी हो ही नही सकता, रोकना बिल्कुल ही उचित है। लेकिन इस प्रकार की रक्षा के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे मामलो मे नही किया जाना चाहिये जिनमे जांच उन बातों के सम्बन्ध मे की जा रही हो जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय की है और जिनका उस गवाह के चरित्र और उसके सत्याचरण से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थाओं मे किसी शख्स को प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध मे कोई विशेष अधिकार न देना चाहिये, चाहे उत्तरसे उसका अपमान ही क्यों न होता हो।

इस सम्बन्ध मे लार्ड चीफ़ जस्टिस कॉक बर्न ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है'—

" मुझे भारी दुःख है कि वकील लोग प्राय' बिना जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा करते है जिनसे गवाहों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है, जिनका पूछना उसी समय उचित है जब उनके कोई गवाह विश्वास किये जानेके अयोग्य सिद्ध होता हो। मैने बहुत ध्यान पूर्वक फ्रान्स, जर्मनी, हॉलैण्ड, बेल्जियम, इटली स्पेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका (U S A), कनाडा और आयरलैण्ड में होने वाले न्याय को देखा परन्तु किसी भी स्थान में मैंने गवाहोंको इसतरह तंग किये जाते और डाटे जाते हुये नही देखा जैसा कि इगलैण्ड मे। जिसप्रकार हम अपने गवाहों के साथ व्योहार करते है वह हमारे राष्ट्र के लिये बहुतही अपमान जनक है, और इससे न्यायमें सहायता मिलने के बदले रुकावट पड़तीहै। इंगलैण्ड में माननीय और शुद्ध अन्त.करण वाले व्यक्ति शहादतमें जाना बहुतही घृणास्पद कार्य समझते है। प्रत्येक श्रेणी के पुरुष और स्त्रियां हमारी अंग्रेजी अदालतोंमे होने वाली जिरह मे की जाने वाली बेइज्जती और परेशानी से बहुत कुछ घबराते है। आप देखे कि गवाहों के कठघरे मे जाते समय गवाह कैसे थरा उठते है। मुझे स्मरण है कि मैने सर बजामिन ब्रॉडी प्रतिष्ठित पुरुष को भी इजलास के सामने जाते समय कापते हुये देखा है। मै साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि उनको इसबात के भय से अत्यत वेदना हो रही थी।"

फरीकैन के आचरण संबंधी शहादत—कानून शहादत की दफा ५२ के अनुसार जब किसी दीवानी मुकद्दमे मे चाल-चलन की निस्बत कोई मामला न हो, तो उस मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध मे इस बातको दिखलाने के इरादे से शहादत नही दी जा सकती कि उसके आचरण के ऊपर जो दोषारोपण किया गयाहै वह संभव है अथवा असभव। चाल चलन सम्बन्धी

शहादत आवश्यक है, सिवाय उस हद या हालत में जब कि ऐसा आचरण उन बातों से प्रकट होता हो जो दूसरी तरह पर आवश्यक और प्रासंगिक हैं। क़ानून शहादत की दफा ५२ में आया है "उस मुक़द्दमे से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति (Any person Concerned)" लेकिन वास्तवमें इसका अर्थ उस मुक़द्दमे के फ़रीक़ैन से है। यही बात गवाहों की, सो उनके आचरण पर हमेशा दोषारोपण किया जाना चाहिए ताकि उनकी सचाई की परीक्षा हो जाय अथवा उनके आचरण को दूषित सिद्ध कर यह विश्वास किए जाने के लिये अयोग्य सिद्ध कर दिया जाय (देखो क़ानून शहादत की दफा १५६)।

इसलिये दीवानीमुक़द्दमों में फरीक़ैन के अच्छे अथवा बुरे चाल चलन के होने के सम्बंध में दी गई शहादत अनावश्यक होगी, जब तक कि चाल चलन के सम्बन्ध में शहादत का होना अनिवार्य न हो। फरीक़ैन के चाल चलन के सम्बंध में दी जाने वाली शहादत को स्वीकार करना उसके सम्बन्ध में पहिले से ही अपने विचार निश्चित कर लेनेकी आज्ञा देना है। अगर चाल-चलनसे दीवानी मुक़द्दमों में होने वाले नुकसानसे कोई असर पड़ता है, तो यह आवश्यक हो जाता है (देखो क़ानून शहादत की दफा ५५) किन्तु पहिले अच्छे आचरण का होना फौजदारी मुक़द्दमों में उपयुक्त है (दफा ५३)। आचरण में मनुष्य की प्रसिद्धि और उसका स्वभाव दोनों शामिल हैं [देखो क़ानून शहादत की दफा ५५ का विवरण]

स्वयं अपने गवाह पर ही जिरह करना—यह देखा गया है कि अगर विपक्षी इस पर कोई आपत्ति करता है, तो बयान खास में ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जा सकती जो प्रश्न कर्ता के वाञ्छित उत्तर की ओर सकेत (इशारा) करने वाले हों। परन्तु उस समय इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता जब गवाह उसी पक्ष के विरुद्ध हो जाय जिसने उसे तलब कराया है। ऐसे मामले में अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्ज़ी से किसी फरीक़ को अपने गवाह से कोई भी ऐसा प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देवे जो जिरह में पूछा जा सकता है, अर्थात यह उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की, दूसरे शब्दों में जिरह करने की, आज्ञा दे सकती है। "विरुद्ध" शब्द के ऊपर इंगलैण्ड में बहुत से एक दूसरे के विरोधी फैसले हुये हैं। कुछ जजोंकी राय है कि विरुद्ध शब्द से तात्पर्य है विरोधी भाव रखना, और कुछ की राय में गवाह उस समय भी विरुद्ध समझा जायगा जब उसकी शहादत उस शख्स के प्रतिकूल सिद्ध हो जिसकी ओर से वह तलब किया गया है।

कोल्स बनाम कोल्स 1866 L R I P & D 70, 71—में जस्टिस वाइल्ड ने कहा था—"विरुद्ध गवाह वह है जो वह शहादत नहीं देता जिसे वह शख्स, जिसने उसे तलब कराया है, चाहता है कि वह दे। विपरीत भाव रखने वाला गवाह वह है जिसके शहादत देने के ढंग से यह जान पड़ता हो कि वह अदालत को सच सच बात न बतलावेगा।" व्यवस्थापक सभा ने दफा १५४ में "विरुद्ध, (Adverse)", "अनिच्छुक (Unwilling)" अथवा "विपरीत

न्याय कभी इसबात को नही चाहता कि किसी मनुष्य के जीवन में हुई वे भूलें जिनके लिये बहुत समय पहिले वह पश्चात्ताप प्रकट कर चुका है और जिनके लिये समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है, किसी वाद के मुकद्दमेबाज की इच्छा से खोद निकाली जाय । इसलिए आचरण के अनौचित्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों को जिनसे इसबात का अनुमान कर लेने के लिये कोई कारण नहीं उत्पन्न होता कि जो गवाह उन बातों का दोषी है वह कभी सच्चा और विश्वासपात्र आदमी हो ही नही सकता, रोकना बिल्कुल ही उचित है । लेकिन इस प्रकार की रक्षा के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे मामलो मे नही किया जाना चाहिये जिनमे जांच उन बातों के सम्बन्ध मे की जा रही हो जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय की है और जिनका उस गवाह के चरित्र और उसके सत्याचरण से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । ऐसी अवस्थाओं मे किसी शख्स को प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार न देना चाहिये, चाहे उत्तरसे उसका अपमान ही क्यों न होता हो ।

इस सम्बन्ध मे लार्ड चीफ़ जस्टिस कॉक बर्न ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है'—

" मुझे भारी दु ख है कि वकील लोग प्रायः बिना जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं जिनसे गवाहों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है, जिनका पूछना उसी समय उचित है जब उनके कोई गवाह बिश्वास किये जानेके अयोग्य सिद्ध होता हो । मैंने बहुत ध्यान पूर्वक फ्रान्स, जर्मनी, हॉलण्ड, बेल्जियम, इटली स्पेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका (U S A), कनाडा और आयरलैण्ड में होने वाले न्याय को देखा परन्तु किसी भी स्थान मे मैंने गवाहोंको इसतरह तंग किये जाते और डाटे जाते हुये नही देखा जैसा कि इगलैण्ड में । जिसप्रकार हम अपने गवाहों के साथ व्योहार करते हैं वह हमारे राष्ट्र के लिये बहुतही अपमान जनक है, और इससे न्यायमें सहायता मिलने के बदले रुकावट पड़तीहै । इंगलैण्ड में माननीय और शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति शहादतमे जाना बहुतही घृणास्पद कार्य समझते है । प्रत्येक श्रेणी के पुरुष और स्त्रिया हमारी अंग्रेजी अदालतोंमे होने वाली जिरह मे की जाने वाली बेइज्जती और परेशानी से बहुत कुछ घबराते हैं । आप देखें कि गवाहों के कठघरे मे जाते समय गवाह कैसे थरा उठते हैं । मुझे स्मरण है कि मैने सर बजामिन ब्रोडी प्रतिष्ठित पुरुष को भी इजल.स के सामने जाते समय कापते हुये देखा है । मै साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि उनको इसबात के भय से अत्यत वेदना हो रही थी । "

फरीकैन के आचरण संबंधी शहादत—कानून शहादत की दफ़ा ५२ के अनुसार जब किसी दीवानी मुकद्दमे मे चाल-चलन की निस्बत कोई मामला न हो, तो उस मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध मे इस बातको दिखलाने के इरादे से शहादत नही दी जा सकती कि उसके आचरण के ऊपर जो दोषारोपण किया गयाहै वह सम्भव है अथवा असम्भव । चाल-चलन सम्बन्धी

Hostile)" शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और इसबातको बिल्कुल अदालत की मर्जीपर छोड़ दिया है। दफा १५४ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी गवाह को विपरीत भाव रखने वाला समझने में सहायक हो सके, लेकिन उसमें यह व्यवस्था कर दी गई हैकि, अदालत को अधिकार है कि वह किसी फरीक को, जिसने गवाह को तलब कराया है उससे ऐसा प्रश्न करने की आज्ञा दे देवे जो जिरह में पूछा जा सकता, देखो बैकुण्ठ बनाम प्रसन्नमयी, 27 C W N 797

गवाह की मामले में उदासीनता सत्य को छिपाने की इच्छा, इस बहाने से, कि स्मरण नहीं रहा, प्रश्नों का उत्तर देने की अनिच्छा, उसके विपरीत भावों को, जोकि उसके, मिजाज, ढंग इत्यादि से प्रकट होते हों, तथा दूसरी तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह काम अदालत का है कि वह हर मामले में यह तय करे कि क्या गवाह ने ऐसे विपरीत भावों का प्रदर्शन किया है जिससे उसका गवाह के ऊपर जिरह करने की इजाजत का देना उचित है।

केवल इस बात से, कि कोई गवाह सेशन्स की अदालत में उन बयानों से बिल्कुल भिन्न बयान देता है जो उसने किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए हैं, कोई गवाह विपरीत भाव रखने वाला नहीं कहा जा सकता। गवाह विपरीत भाव रखने वाला तभी समझा जायगा जब कि वह सत्य को छिपाकर उस पक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा हो, देखो कालाचाँद बनाम महारानी 13 C 53 P 56; सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C L J 173, और लक्ष्मीराम बनाम राधाचरन 31 C. L. J. 107 गवाह विरुद्ध उसी हालत में समझा जायगा जब जज की राय में वह उस फरीक के विरुद्ध भाव रखता हो जिसने उसे तलब कराया है, उस हालत में नहीं जब कि उसकी शहादत से उसके सुबूत का खण्डन होता हो, देखो सुरेन्द्र बनाम रानी दासी, 24 C W N 860

जब किसी गवाह पर उस फरीक की ओर से जिरह की जाय जिसने उसे तलब कराया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कुछ शहादत पर तो विश्वास किया जाय और कुछ पर विश्वास न किया जाय, बल्कि वह कुल शहादत अलग कर दी जानी चाहिए। इससे गवाह की साख बिल्कुल उठा दी जानी चाहिए। केवल इतनाही काफी न होगा कि उसकी शहादत का एक अंश ही अलग कर दिया जाय, देखो सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C L J 173, 71 I C, 667, सुरेन्द्र बनाम रानी दासी, 24 C W N 860

क्या कोई फरीक अपने ऊपर जिरह कर सकता है, जबकि विपक्षी (फरीक सानी) ने उसे शहादत में तलब किया हो?—लार्ड अट्किन्सन ने किशोरीलाल बनाम चुन्नीलाल [31 A 116 P C] में कहा था—"यह एक कमजोर और नीचे दर्जे की वकालत की चाल है कि हरएक मुद्दई या मुद्दाअलेह अपने विरोधी पक्ष (विपक्षी) को शहादत में तलब करावे, इस इरादे से कि हरएक फरीक इस तरह तलब किया हुआ विपक्षी शहादत में तलब होने के लिए बाध्य होगा, और इस तरह पर हरएक पक्ष के वकील को इस बात का मौका मिलेगा कि उस

पर जिरह कर सके। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे, लार्ड महोदयों की राय में, सभी अदालतों को वैसीही अधूरी समझना चाहिए, जैसी कि वह कौंसिल एतराज है [देखो 32 A 104 P C, 1913 M W N 826] एक हालके मुक्द्दम म यह तय किया गया है कि, जब कोई गवाह किसी ऐसी अवस्था में हो जिससे उसका उस शख्स के विरुद्ध होजाना स्वाभाविक हो, जो उसकी शहादत को चाहता है तो, उस गवाह को तलब करने वाले फरीक को यह अधिकार नहीं है कि वह उसपर जिरह कर सके, क्योंकि यह बात पूरे तौर पर अदालत के हाथ में है कि वह कानून शहादत की दफा १५४ के अनुसार उस गवाह को तलब करने वाले शख्स को ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा दे सके जिन्हें फरीक मुखालिफ जिरह में पूछ सकता था, देखो लच्छीराम बनाम राधाचरण, 49 C 93

अदालत के प्रश्नों के उत्तर में कही गई बातों के ऊपर जिरह—कानून शहादतकी दफा १६५ अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी गवाह से अथवा किसी भी फरीक से किसी भी बात के सम्बन्ध में (वह प्रासंगिक हो अथवा अप्रासंगिक)—किसी भी रूपमें अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न पूछ सके, और सिवाय अदालत की इजाजत के फरीकन को कोई अधिकार न होगा कि वे अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के ऊपर कोई जिरह कर सकें।

लेकिन जब किसी गवाह को अदालत ने ही तलब किया हो, तो यह दफा १६५ लागू नहीं होती और उसपर कोई भी फरीक जिरह कर सकता है, देखो तारिणी बनाम सारदा 11 W R 468 P C, गोपाल बनाम माणिकलाल 24 C 288

लम्बी जिरहों में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में अदालतका अधिकार—गवाहों पर जिरह करते समय वकील के अधिकारों में जज का हस्तक्षेप करना हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन जब इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता हो, तो यह बिल्कुल उचित होगा कि जज ऐसी जिरहों के ऊपर अपने शासन से काम ले जो आवश्यकता से अधिक विस्तार वाली हो। गवाहों पर उचित सीमा से अधिक जिरह न की जानी चाहिए, यद्यपि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे तर्क शास्त्र की दृष्टि से ठीक ही क्यों न हों, देखो 4 C W N Cxxi (Golden River Mining Co , V Boxton Mining C , 97 Fed Rep 414, Am cited) शरत कुमारी बनाम त्रिलोचन [16 C W N 265] में चीफ जस्टिस जेन्किन्स के रिमार्क देखिए।

लम्बी चौड़ी जिरहें करके, जिससे मामले के फैसले में विलम्ब हुआ, इस अधिकार का दुरुपयोग करते देख कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीचे लिखी बात कही है,—

"(क) अदालत का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मर्जी से ऐसी बातों के सम्बन्ध में बयान लेने या जिरह करने की इजाजत देने से इन्कार करदे जो अप्रा-

संगिक हों अथवा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी दूरवर्ती अथवा एक ही जैसे उद्देश्य से सम्बन्ध रखती हों, अभियुक्त के अपराधी या निरपराधी होने के प्रश्न से नहीं, या जिनका मंशा अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में उन बातों के प्रकटीकरण का हो जिसका प्रकट करना भारतीय क़ानून शहादत की दफ़ा १२५ से रोक दिया गया है। यह कर्तव्य केवल क़ानून शहादत से सम्बन्ध ही नहीं रखता है बल्कि सीधे उससे पैदा होता है। यही बात क़ानून के इस नियम के सम्बन्ध में भी लागू होती है कि अदालत किसी गवाह के उस उत्तर को, जो केवल विश्वास (प्रतीति) के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, कतई समझ लेगी, और सिर्फ़ उस प्रश्न में बतलाई गई तजवीज़ के पेश करने को ही यह न मान लेगी कि वह उसके लिए किसी बुनियाद को ज़ाहिर कर रही है।

(ख) भारतीय क़ानून शहादतके उन नियमोंमें, जो इस समय हैं, अनाव-श्यक बातों के निकाल देने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था कर दीगई है और इस क़ानून की भाषा से (देखो दफ़ा ५, ६१, ६७, १२६, १६५) यह प्रकट होता है कि व्यवस्थापक सभा का यह मंशा था कि अदालत, फ़रीक़ैन की ओर से किए गए एतराज़ात का कुछ भी ख़याल न करके, क़ानून के इन नियमों का अवश्य पालन कराये। जूरी के सामने फौजदारी मामलों में यह बात साफ़ तौर पर मानली गई है कि ज्योंही कोई गवाह ऐसी शहादत देना शुरू करे जो नाक़ाबिल तस्लीम है, त्योंही अदालत को उसे रोक देना चाहिए, चाहे फ़रीक़ैन ने उसपर एतराज़ किया हो या न किया हो [देखो 10 B H C R 498, 7 W R C 20] ऐसे मामले में यह बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इस सहारेमें रहना जोखिम से ख़ाली नहीं है कि बाद में जूरी के सामने इस बात का प्रयत्न कर लिया जा-यगा कि वह केवल क़ानूनी शहादत के ही ऊपर अपना फ़ैसला दे। यही बात दूसरे फौजदारी और दीवानी मामलों की उनमें भी यह बात आमतौरपर उन्हीं प्रश्नों तक सीमाबद्ध है जो उस मामले के लिए बहुतही ज़रूरी है, और वर्त-मान क़ानूनके अनुसार जजको अधिकार है कि वह किसी भी अनावश्यक शहादत को निकाल दे।

(ग) यह बहुत ही ज़रूरी है कि अदालतों के हाकिम उन अधिकारों को ध्यान में रखें जो उन्हें भारतीय क़ानून शहादत के अनुसार दिए गए हैं और उन्हें चाहिए कि वे इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसका उपयोग अनाव-श्यक और अनुपयुक्त बातों के ऊपर की जाने वाली जिरहों और आवश्यकता से अधिक लम्बी लम्बी जिरहों के लिए, जो उपयुक्त बातों के सम्बन्ध में ही की जाती हों, इजाज़त न दें [देखो Rule 54 A G R & C O Chap I Vol I].

बयान मुकर्रर (फिर बयान का लिया जाना)—किसी गवाह के दुबारा फिर बयान लेने का अधिकार सिर्फ़ उसी समय पैदा होता है जब विपक्षी (फ़रीक़ मुख़ालिफ़) उसपर जिरह कर चुका और जैसा कि क़ानून शहादत की दफ़ा १३८ में बतलाया गया है यह उन बातों को साफ़ करने के लिए लिया जायगा जिनका

उल्लेख जिरह में किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सन्दिग्ध बातों का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय, अगर ऐसी कोई बात है, अथवा उस विभिन्नता को दूर करने का अवसर (मौक़ा) दिया जाय जो बयान ख़ास और जिरह के बीच मालूम होती हो। बिना अदालत की आज्ञा के दुबारा बयान लेते समय कोई नई बात न पूछी जा सकेगी, और अगर इसके लिए इजाजत दे दी जायगी तो विपक्षी को यह अधिकार होगा कि वह उस मामले के सम्बन्ध में फिर जिरह कर सके (देखो दफ़ा १३८)

दुबारा बयान (बयान मुकर्रर) लेते समय ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो वांछित उत्तर की ओर संकेत करते हों देखो क़ानून शहादत की दफ़ा १४२— अगर वकील किसी गवाह से ऐसी बातों के ऊपर जिरह करता है जो आरम्भ में और बयान ख़ास के दौरान में शहादत में तस्लीम किए जाने के क़ाबिल नहीं थीं तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसी बातों के सम्बन्ध में उस गवाह के फिर से बयान ले। अगर बयान ख़ास में कोई प्रश्न छूट गया है, तो यह बात जिरहमें हरगिज नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि वह जिरहसे पैदा नहीं होती, लेकिन वकील इस सम्बन्ध में जज से जांच करने की प्रार्थना (दरख़्वास्त) कर सकता है, और ऐसी दरख़्वास्त मंजूर कर ली जाती है।

अन्तिम वक्तव्य

गवाहों से प्रश्न और जिरह करने का आवश्यक विषय हमने संक्षेपसे ऊपर लिखा है। प्रायः मुक़द्दमे शहादत से जोरदार और कमजोर होजाते हैं। हम देखते हैं कि मवक्किल अकसर ऐसा वकील करना पसन्द करते हैं कि जो विपक्षीके गवाहों और विपक्षीसे खूब जिरह करे, उन्हें अदालतके सामने अपमानित करे, बेईमान धोखेबाज जालसाज बनाने की कोशिश करे ज्यादा बक बक करता रहे। मैं अपने भाइयों को सलाह देता हूँ कि उनकी यह भूल है कभी ऐसे वकील का पसन्द न करें, प्रायः हाकिम का मिजाज ख़राब होजाता है और मुक़द्दमे पर ख़राब असर पड़ता है। हमने जो गुण वकील के तत्सम्बन्धी विषय में बताये हैं उनपर ध्यान रखकर मामला सिपुर्द करें।

फिर वकीलोंसे यह निवेदन है कि जिस बातमें मवक्किलका हित हो वही बात करें उमंग कहने में आकर मुक़द्दमे को ख़राब न होने दें और प्रमाणसे अधिक वसीन बकने दें। मुझे तो यह अनुभव है कि यद्यपि जिरह या सवालातके नियम अंगरेजी किताबों में बहुत ज्यादा बताये गये हैं बड़ी बड़ी किताबें इस बारेमें लिखी गयी हैं और ऐसे विद्वान वकील हैं जो उन सब सिद्धान्तों को भलीभांति जानते हैं और उनपर लेक्चर दे सकते हैं जो सिद्धान्त सवालात व जिरह के लिये किताबों में लिखे गये हैं पर जब उन्हें स्वयं अदालत में कटघरे के भीतर जाना पड़ता है और उनका उसी अदालत का साथी वकील जिरह करने लगता है तो उन्हें व्याकुलता पैदा हो जाती है और भारी परेशानी होती है।

जब कोई शख्स अदालत में जाकर केवल अपने पवित्र अंतःकरण द्वारा बिलकुल सच सच सब बातें बयान कर देना चाहता है तो यह ईश्वरीय नियम है कि उसे चाहे जैसे लायक से लायक वकील जिरह करें कभी बिगाड़ नहीं सकते बल्कि जितनी जिरह की जावेगी उतनी ही उसकी सब बातें अधिक मजबूत और अत्यंत सुदृढ़ हो जावेगी। इसलिये हमारे यहा यह कहावत है कि "साच को आंच नहीं लगती"

इस सिद्धांत के ऊपर कानून शहादत में कुछ दफाए बना दीगयी है। गवाही देना सार्वजनिक एक पवित्र काम है। समाज के दोषों के मिटाने के लिये गवाही की जरूरत पड़ती है। उस मामले के जानने वाले व्यक्तियों की गवाही इसलिये ली जाती है कि सच का पता चल जाय और उसीके अनुसार न्याय कर दिया जाय। सच सच कहनेसे सच्ची गवाही नहीं मानी जा सकती बल्कि निष्कपट सच और पवित्र अन्त करण द्वारा सच बोलने से मानी जायगी। सत्य में जो प्रभाव है उसको पाठक अच्छी तरह से जानते हैं। आज कल हम देखते हैं कि ऐसी सच गवाही देने वाले महात्मा हज़ारों में एक होंगे।

अदालतका कानून भी ऐसा है कि ऐसी कुछ बातोंमें शहादतकी जरूरत बताता है कि जो प्राय वैसी बातोंमें उस तरहकी शहादत नहीं हुआ करती। कुछ तो कानूनके सबबसे और कुछ स्वभाव पड़ जानेके कारण और कुछ जिस पक्षकी ओरसे शहादत देनेको है उसके मुलाहिज़ आदिके कारण और कुछ अपनी कही हुई झूठी बातके समर्थन करनेके कारण गवाहोंको झूठ बोलना पडता है।

वकील, उस गवाहके ऊपर जिरह करके अपने पक्षकी समर्थक बातों को मजबूरन कहला लेते हैं जो किंचित मात्र भी झूठ बोला है जो बात वह झूठ बोला है उसीके सम्बन्धमें सैकड़ो सवाल पूछकर कहीं न कहीं उसे गड्ढेमें डाल दिया करते हैं। जिरह झूठे पर कारगर होती है सच्चे पर नहीं।

जिरहमें एक और मुश्किल गवाहको यह पड़ती है कि वकील तो अपने मनमें एक लाइन सवालोंकी निश्चित कर लेता है और पीछेसे पूछे जाने वाले सवालातकी बंदिश पहिलेके सवालो में कर लेता है यह बात गवाहको नहीं मालूम होती इसीलिये वह बीचमें फस जाता है और फसने पर घबराहट पैदा होती है यह सिद्धान्त अकाट्य है कि एक झूठके समर्थन करने के लिए जितनी बातें कही जायगी प्राय वे सब झूठी बातें होगी। वकील, गवाहकी वह बात देखकर कि कहा पर वह झूठ बोला है उसी जगहसे जिरह शुरू कर देता है और कुछ प्रश्नोत्तरोंके बाद गवाहको ज्ञान होने लगता है कि मैं फस रहा हूँ उस समय धीर, वीर गवाह अपनी बुद्धिसे काम लेकर कभी तो निकल जाते हैं और अकसर फस जाते हैं।

मैं एक मुकद्दमेंमें बम्बई कोर्टमें काम कर रहा था वहां पर एक मशहूर जिरह करने वाला बैरिस्टर मि० वेलेकरने एक पढ़े लिखे गवाहसे कुछ सवाल किये, सवालोंके शब्द तो मुझे याद नहीं है पर उनका मतलब इस प्रकार था —

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन

ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ ई०

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन

ऐक्ट नं० सन् १९०८ ई०

दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंके संग्रह
करने का क़ानून

चूंकि दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंका संग्रह करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित ऐक्ट बनाया जाता है:—

प्रथम प्रकरण

आरम्भिक विवरण

दफ़ा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ यह क़ानून "दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १९०८ ई०" कहा जायगा।

२ अतिरिक्त उन ज़िला या स्थानों के जिन्हे स्थानीय सरकार इसके प्रयोग से अलग कर दे, इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश-भारत में होगा।

३ इसका आरम्भ १ ली० जनवरी सन् १९०९ ई० से होगा।

दफ़ा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो।

१ "पता व 'निशान' (Addition)"—का अर्थ है बतलाये हुये व्यक्ति के रहने का स्थान और उसका पेशा, व्यापार, पद और उपाधि (यदि कोई हो),

और यदि वह भारतवासी है तो उसकी जाति (अगर कुछ हो), उसके पिताका नाम, या, यदि वह अपनी माता के नाम से प्रसिद्ध है तो, उसकी माता का नाम समझा जायगा।

२ 'किताब' (Book) मे किताब का कोई भाग या पत्रों की कोई संख्या जो किताब या किताब का कोई भाग बनाने के लिये जोड़े गये हों शामिल है।

३ 'जिला' और 'परगना' (District and Sub-district) का अर्थ क्रमश. इस ऐक्ट के अनुसार बने हुये जिला और परगनासे समझा जायगा।

४ 'जिला की अदालत' (District Court) मे हाईकोर्ट भी शामिल है, जहांकि उसके प्रारम्भिक दीवानीके अधिकारों (Original Civil Jurisdiction) से सम्बन्ध है।

५ 'तसदीक' और 'तस्दीक किया हुआ' (Endorsement and Endorsed) मे इस कानून के अनुसार रजिस्ट्रीके लिये पेश किए गए किसीदस्तावेज के लिफाफा (Rider) या कवरिंग सिलिप पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा किया हुआ कोई लिखित इन्दराज शामिल है, और ऐसे ही इन्दराजसे उक्त शब्द लागू होंगे।

६ 'जायदाद गैर मनकूला' (Immoveable Property) मे जमीन, मकानात, पैतृक वृत्तियां, रास्तों, रोशनी, घाटों और माहीगाहो सम्बन्धी हक या जमीन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ और वे वस्तुयें शामिल होंगी जो स्थायी रूप से जमीन मे लगी हुई हैं, या किसी ऐसी चीज के साथ स्थायी रूप से लगी हों जो चीज कि जमीन मे लगी हुई है, परन्तु इमारतके काम मे आने वाले वृक्ष, उगी फसल अथवा घास उसमे शामिल नहीं हैं।

७ 'पट्टा' (Lease) मे मुसन्ना (*Counterpart*) कबूलियत जोतने या काबिज रहने का कोई इकरारनामा और पट्टा पर देने का इकरारनामा शामिल है।

८ 'नाबालिग' (Minor) का अर्थ ऐसे शख्स से है जो जाती कानून के अनुसार (जिसके कि वे आधीन है) बालिग न हुआ हो।

९ 'जायदाद मनकूला' (Moveable Property) मे इमारत के काम मे आने वाले वृक्ष, उगी फसल और घास, वृक्षों का रस और उनमे लगे हुये फल और प्रत्येक अन्य प्रकार की सम्पत्ति (जो गैर-मनकूला जायदाद न हो) शामिल है।

१० 'प्रतिनिधि' (Representative) मे किसी नाबालिग का वली और किसी पागल या निर्बुद्धि (मूर्ख) का कानूनी संरक्षक या कमेटी शामिल है।

दूसरा प्रकरण

सरिश्ता-रजिस्ट्री

दफा ३ रजिस्ट्रीके इन्सपेक्टर जनरल

१ स्थानीय सरकार अपने आधीन प्रदेशों के लिये एक अफसर नियुक्त करेगी जो रजिस्ट्री विभाग का इन्सपेक्टर जनरल होगा। परन्तु स्थानीय सरकार को अधिकार है कि वह बजाय ऐसी नियुक्ति करने के यह हुक्म दे कि वे कुल या कुछ अधिकार और कर्तव्य जो इसके बाद इन्सपेक्टर जनरलके वास्ते बताये जायगे और बसे सौंपे जायगे ऐसे अफसर या अफसरों द्वारा और ऐसी स्थानीय सीमा के भीतर काम मे लाये और पूरे किये जायगे जिन अफसरों को या जिस सीमा को स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध से नियत करेगी।

२ कोई इन्सपेक्टर जनरल साथ साथ गवर्नमट के आधीन किसी अन्य पद का भी काम कर सकता है।

दफा ४ सिन्धका ब्राच इन्सपेक्टर जनरल

१ बम्बई के सपरिषद गवर्नर को भी यह अधिकार है कि वे एक अफसर को नियुक्त करें जो सिंध का ब्रांच इन्सपेक्टर जनरल होगा। और उस अफसरको इस ऐक्ट द्वारा दिये हुये इन्सपेक्टर जनरल के सब अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु आगे बताये हुये नियमों को बनाने के अधिकार प्राप्त न होंगे।

२ सिंध का ब्रांच इन्सपेक्टर जनरल साथ साथ स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी अन्य पद पर भी कार्य कर सकता है।

दफा ५ जिला और परगना

१ इस ऐक्ट के उद्देश्यके लिये स्थानीय सरकार जिला और परगना बना येगी और ऐसे जिलों और परगनों की सीमा निश्चित करेगी और ऐसी सीमा को परिवर्तित भी कर सकेगी।

२ इस दफा के अनुसार बनाये हुये जिले और परगने, उनकी हदें तथा उन हदों (सीमाओं) के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना स्थानीय सरकारी गेजट मे निकाली जायगी।

३ प्रत्येक ऐसे परिवर्तन का प्रयोग उस सूचना के पश्चात उस दिन से होगा जिस दिनका वर्णन उक्त सूचना मे होगा।

दफा ६ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार

१ स्थानीय सरकार जिन व्यक्तियो को उचित समझे उपरोक्त रीतिसे बने हुये ऐसे कई एक जिलों का रजिस्ट्रार और ऐसे कई एक परगनों का सब रजि-

स्ट्रार क्रमश नियुक्त कर सकती है, चाहे वे व्यक्ति सार्वजनिक अफसर हों या न हों। परन्तु शर्त यह है कि स्थानीय सरकार ऐसे नियमों और शर्तों के साथ रजिस्ट्री के इन्स्पेक्टर जनरल को सब रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है। जिन नियमों और शर्तोंको वह उचित समझे।

दफा ७ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रारके दफ्तर

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक जिला में रजिस्ट्रार के दफ्तर के नाम से एक दफ्तर और प्रत्येक परगने में सब रजिस्ट्रार का एक या कई दफ्तर या ज्वाइन्ट सब रजिस्ट्रारों के दफ्तरों को स्थापित कर सकती है।

२ स्थानीय सरकार किसी सब-रजिस्ट्रार के दफतर को किसी ऐसे रजिस्ट्रारके दफतरके साथ शामिल कर सकती है, जिसके आधीन वह सब रजिस्ट्रार हो और जिस सब-रजिस्टार का दफ्तर इस तरह शामिल किया गया है उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रजिस्ट्रारके समस्त या कुछ अधिकारो के प्रयोग करने या कर्तव्यों के पालन करने का अधिकार दे सकती है जिस रजिस्ट्रार के आधीन वह है।

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार अधिकार प्राप्त किसी सब-रजिस्ट्रार को इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये स्वयं अपने हुक्म के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार न होगा।

दफा ८ रजिस्ट्रीके दफ्तरों के इन्स्पेक्टर

स्थानीय सरकार रजिस्ट्री के दफ्तरों के इन्स्पेक्टरों को भी नियत और उनके कर्तव्यों को निश्चित कर सकती है। प्रत्येक ऐसा इन्स्पेक्टर, इन्सपेक्टर जनरलके आधीन होगा।

दफा ९ फौजी छावनिया, ज़िले या परगने घोषित की जा सकती हैं

प्रत्येक फौजी छावनी (यदि स्थानीय सरकार ऐसा आदेश करे) इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिये परगना या जिला हो सकती है और छावनी ... स्ट्रेट ऐसे परगने या जिले का सब रजिस्ट्रार (जैसी दशा हो) होगा

दफा १० रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके अ... (खाली) होना

१ ज़िला या प्रेसीडेन्सी टाउन के रजिस्ट्रार के अतिरि... स्ट्रार सिवाय उस दशा मे जब कि वह काम पर जिले में गया ... या थोड़े समय के लिये उसका स्थान खाली हो तो कोई ... जनरल इसके लिये नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति न होने पर ...

का जज जिसके अधिकार क्षेत्रमें रजिस्ट्रार का दफतर है अनुपस्थितिके समय या जब तक कि स्थानीय सरकार उस रिक्त (खाली) स्थान की पूर्ति न कर दे रजिस्ट्रार होगा।

२ जब किसी ज़िले का रजिस्ट्रार जिसमें प्रेसीडेन्सी टाउन भी शामिल है सिवाय ऐसी दशा में जब कि वह जिले म सरकारी , अथवा , अपने कर्तव्य से काम पर गया है अनुपस्थित हो या जब उसका दफतर थोड़े समय के लिये रिक्त (खाली) हो गया हो तो कोई भी व्यक्ति जिसे इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त करे ऐसी अनुपस्थिति के समय में या जब तक स्थानीय सरकार उस खाली स्थान की पूर्ति न कर दें रजिस्ट्रार होगा।

दफा ११ रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति जब कि वह अपने ज़िले में ड्यूटी पर गया हो

जब कोई रजिस्ट्रार अपने दफतर से जिले म (अपनी) ड्यूटी पर जाने के कारण अनुपस्थित हो तो वह अपने जिले के किसी सब रजिस्ट्रार या दूसरे व्यक्ति को ऐसी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्य पालन करने के लिये सिवाय उन कर्तव्यो के जिनका दफा ६८ और ७२ मे वर्णन है नियत कर सकता है।

दफा १२ सब-रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके दफ़तरका खाली होना

जब कोई सब रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या (कुछ) समय के लिये उसका दफ्तर खाली हो गया हो तो कोई व्यक्ति जिसे उस जिले का रजिस्ट्रार इस काम के लिये नियुक्त करेगा ऐसी अनुपस्थितिके समय म या जब तक खाली स्थान की पूर्ति न हो जाय सब रजिस्ट्रार होगा।

दफा १३ अफसरों की कुछ नियुक्तियों, मुअत्तली, अलहेदगी और बरखास्तगी की रिपोर्ट

१ उन सब नियुक्तियों की, जिन्हे कि दफा ६ के अनुसार इन्स्पेक्टर जनरल ने की हैं, तथा उन सब नियुक्तियो की सूचना (रिपोर्ट), जोकि दफा १०, ११ और १२ के अनुसार कीगई है इन्स्पेक्टर जनरल स्थानीय सरकार को देगा।

२ ऐसी सूचनायें विशेष या साधारण, जैसा कुछ कि स्थानीय सरकार आदेश करे, होंगी।

३ स्थानीय सरकार इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को मुअत्तल, अलहदा या बरखास्त कर सकती है और उसके स्थान मे किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। और इन्स्पेक्टर जनरल ऐसे नियमों और शर्तो को

ध्यान में रखते हुये जिन्हे स्थानीय सरकार बनाये वही अधिकार उन सब-रजि-स्ट्रारों के सम्बन्ध में वर्त सकता है जिन्हें उसने नियुक्त किया है।

दफा १४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर का वेतन और संस्थापन

१-सपरिषद् गवर्नर जनरलकी आधीनतामें स्थानीय सरकार ऐसे वेतनों को जिन्हें वह उचित समझेगी कि उन रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दिया जाय जो इस कानून के अनुसार नियुक्त किये गये है, निर्धारित करेगी या फीस द्वारा या कुछ फीस और कुछ वेतन द्वारा उनके वेतन का प्रबन्ध करेगी।

२ स्थानीय सरकार तमाम दफ्तरों के लिये इस कानून के अनुसार उचित संस्थापना (अमला) दो दे सकती है।

दफा १५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरकी मोहर

सभी रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार एक मोहर का इस्तैमाल करेंगे जो अंग्रेजी या अन्य किसी भाषामें, जिसमें स्थानीय सरकार आज्ञा दे, नीचे लिखे मज-मून की होगी —

"The seal of the Registrar (or Sub-registrar) of"

अर्थात् रजिस्ट्रार (या सब रजिस्ट्रार) स्थान की मोहर।

दफा १६ रजिस्टर और न जलाने योग्य सन्दूकें (Fire proof box)

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्री के दफ्तर के लिये कुछ पुस्तकें देगी जिनकी इस कानून के लिये आवश्यकता होगी।

२ जो पुस्तकें इस प्रकार दी जायगी वे ऐसे फार्म की होंगी जिन्हे स्थानीय सरकार के हुक्म से इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर निश्चित करेगा और इन पुस्तकों के पृष्ठों पर क्रमानुसार छापे हुये नम्बर पड़े होंगे और प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या की, टाइटलपेज पर, उस अधिकारी द्वारा तसदीककी जायगी जो उन्हे देगा (बांटेगा)।

३ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्रार के दफ्तर के लिये एक न जलने वाली सन्दूक (Fire proof box) देगी और प्रत्येक जिला में उस जिले के दस्तावेजों की रजिस्ट्री सम्बन्धी कागजात को सुरक्षित रखने के लिये समुचित प्रबन्ध करेगी।

तीसरा प्रकरण
रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेज़ोंके विषय में

दफा १७ वे दस्तावेज़ जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है

१ निम्न लिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी, यदि वह जायदाद जो उनसे सम्बन्ध रखती है उसी जिले में वाके है जिसमें, और यदि उनकी तकमील उस दिन या उसके पश्चात होगई है जिस दिन ऐक्ट न० १६ सन् १८६४ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० २० सन् १८६६ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० ८ सन् १८७१ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० ३ सन् १८७७ ई० का, या इस ऐक्ट का आरम्भ हुआ था या होगा अर्थात्—

(ए) जायदाद गैर मनकूला की हिबा के दस्तावेज

(बी) दूसरे गैर वसीयती दस्तावेज जिनसे वर्तमानमें या भविष्यमें किसी अधिकार, हकीयत या हिस्सा चाहे वह व्यवस्थित[१] हों या अनिश्चत[२] और जिसका मूल्य १००) रु० या उससे अधिक हो जो पैदा करने, घोषित करने, मुंतकिल करने, सीमा बद्ध करने या खारिज करने का मतलब रखता है या इस प्रकारका काम करता है।

(सी) गैर वसीयती दस्तावेज जो किसी रसीद को या किसी बदला व अदायगी को कबूल करता है जो किसी अधिकार, उपाधि या लाभ के कारण पैदा हुआ करार दिया गया, मुन्तकिल किया गया, सीमाबद्ध किया गया या खारिज किया गया, और

(डी) जायदाद गैर मनकूलाके साल ब साल पट्टे या किसी समयके लिये जो साल भर से अधिक हो या जिसका सालाना लगान ठहराया गया हो;

लेकिन शर्त यह कि स्थानीय गवर्नमेंट स्थानीय सरकारी गजेट में आज्ञा छाप करके इस उपदफा से कुछ पट्टोंको मुस्तसना करसकती है जिनकी तकमील किसी जिले या जिलेके किसी भाग म हुई और जिनकी मियाद ५ सालसे अधिक नहीं है और जिनका सालाना लगान जो ठहराया गया है ५०)रु०से अधिक नहीं है,

२ पहिली उपदफा के क्लाज (Clause) (बी) और (सी) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो निम्न लिखित दस्तावेज़ों पर लागू हो —

(१) तसफियानामे, या

(२) कोई दस्तावेज जो ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी (Joint Stock Company) के हिस्सों (Shares) के सम्बन्धमें हो चाहे यद्यपि ऐसी कम्पनीकी कुछ सम्पति या उस सम्पत्ति का कुछ अंश जायदाद गैर मनकूला हो या

---

१ हासिल शुदा (Vested) २ इत्तफाक से हासिल हुआ (Contingent)

(३) कोई डिबेञ्चर जो ऐसी कम्पनीने जारी कियाहो और जो किसी जायदाद गैर मनकूला से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार, हक़ और हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज न करता हो सिवाय उस हद तक जहां तक कि वह उस शख्सको जिसके पासकि वह है वह जमानत प्रदान करता है जो किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज द्वारा दी जाती है जिसके द्वारा कम्पनीने अपनी जायदाद गैर मनकूला का कुल या उसका एक अंश या उसने किसी हिस्से को ऐसे डिबेञ्चरों के रखने वालों के लाभार्थ ट्रस्टी लोगों को ट्रस्ट पर रहन, बय या और किसी प्रकार मुन्तकिल कर दिया है।

(४) किसी डिबेञ्चर (Debenture) की, जो ऐसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो मुन्तकिली की, तस्दीक़, या

(५) कोई ऐसा दस्तावेज जो खुद किसी अधिकार, हक़ या हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल या सीमाबद्ध न करता हो किन्तु जो दूसरे दस्तावेज की प्राप्ति के लियेअधिकार को पैदा करता हो जो दस्तावेज कि लिखे जाने पर किसी ऐसे अधिकार, हक़ या हिस्से को पैदा, घोषित (जाहिर), मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज करेगा; या

(६) किसी अदालतकी कोई डिकरी या हुक्म या कोई तजवीज सालिसी; या

(७) गवर्नमेंट द्वारा किसी जायदाद गैर-मनकूला की सनद; या

(८) हाकिम माल द्वारा किये हुये किसी बटवारे का दस्तावेज, या

(९) कोई हुक्म जिससे कर्जाकी स्वीकृति दीगई हो या कोई किफालत मजीद का दस्तावेज जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट नं० २६ सन् १८७१ ई० या लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट नं० १९ सन् १८८९ ई० के अनुसार हो, या

(१०) कोई हुक्म, जिसके द्वारा ऐग्रीकल्चरिस्ट लोन्स ऐक्ट नं० १२ सन् १८८४ के अनुसार कर्जे का मजूरी दी गई हो या दस्तावेज जो उस ऐक्ट के अनुसार दिये गये कर्ज की आमदनी की मजबूती करता हो।

(११) किसी रेहननामेपर की गई तस्दीक़ जिससे रेहनके कुल या कुछ रुपये की अदायगी को कुबूल किया गया है और कोई दूसरी रसीद जो उस रुपये की अदायगी की बाबत हो जो रेहननामे के बारे मे वाजिबुल्-वसूल हो जब कि उस रसीद से रेहन की बेबाकी न होती हो; या

(१२) किसी नीलामका सार्टीफिकेट जो खरीदारको हाकिम माल या हाकिम-दीवानी द्वारा सार्वजनिक नीलाम मे बेची हुई जायदाद की बाबत दिया गया है।

२ किसी पुरुष को गोद लेने के अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजकी भी, जो पहिली जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद तहरीर किया गया हो और जो वसीयत द्वारा न दिया गया हो, रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

दफा १८ दस्तावेज़ जिनका रजिस्ट्री वैकल्पिक है

निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी की भी रजिस्ट्री इस ऐक्ट के अनुसार की जा सकती है, अर्थात् —

(ए) वे दस्तावेज़ जो हिबानामा और वसीयतनामा के दस्तावेज नहीं हैं और जो वर्तमान समय में या भविष्य में किसी जायदाद गैर-मनकूला सम्बधी अधिकार, हक़ या हिस्साको पैदा, घोषित (जाहिर) मुन्तकिल, सीमाबद्ध या ख़ारिज करते हैं।

चाहे यह अधिकार, हक़ या हिस्से स्वर्वास्थित (Vested) हो या अकस्मात् उत्पन्न हुआ हो और जिसका मूल्य १००) से कम हो।

(बी) वे दस्तावेज जो किसी ऐसे अधिकार, हक़ या हिस्से को पैदा करने, घोषित (जाहिर) करने, मुन्तकिल करने, सीमा बद्ध करने या ख़ारिज करने के कारण उत्पन्न हुये किसी मुआविजा की वसूली या अदायगी को स्वीकार करते हों।

(सी) जायदाद गैर मनकूला के पट्टे जिनकी मियाद साल भर से अधिक न हो या वे पट्टे जिनपर दफा १७ लागू नहीं होती है।

(डी) वे दस्तावेज (जो वसीयत नामा नहीं हैं) जो किसी जायदाद मनकूला सम्बधी किसी अधिकार, हक़ या हिस्साको पैदा, घोषित, (जाहिर), मुन्तकिल, सीमा बद्ध, या ख़ारिज करते हैं।

(ई) वसीयत नामे, और

(एफ़) दूसरे वे सभी दस्तावेज जिनकी दफा १७के अनुसार रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है।

दफा १९ दस्तावेज़ जिनकी भाषा रजिस्ट्री कराने वाले अफसर की समझ में न आवे

अगर कोई दस्तावेज, जो रजिस्ट्री के लिये बाकायदा पेश किया गया हो, ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफसर (हाकिम) नहीं समझता है और जो साधारणतया उस जिला में प्रचलित नहीं है, तो वह रजिस्ट्री करने से इन्कार करेगा जब तक कि उसके साथ किसी ऐसी भाषा में, जो उस जिला में साधारणतया प्रचलित है, उसका ठीक ठीक अनुवाद और उसकी एक असली नकल न हो।

दफा २० वे दस्तावेज जिनमें सतरों के ऊपर लिखा हो, जगह छूटी हुई हो, काट-पीट या रद-बदल की गई हो

१ रजिस्ट्री करने वाले अफसर को अधिकार होगा कि वह ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से इन्कार करदे जिनमें सतरों पर लिखा हो, जगह छूटी हो, काट

पीट की गई हो या रद्-बदल किया गया हो, जब तक कि दस्तावेज़ लिखने वाले व्यक्ति, उन सतरों पर की लिखावट, छूटी हुई जगह, कटे हुये या रद् बदल की गई बातों के ऊपर अपने नाम या हस्ताक्षर लिखकर उनकी सही न कर दे।

२ यदि रजिस्ट्री करने वाला अफसर किसी ऐसे दस्तावेज की रजिस्ट्री करदे, तो उसे चाहिये कि वह उसकी रजिस्ट्री करते समय, तकमील के बाद इन्दराज की गई बातों, छूटी हुई जगहों, काट-पीट या रद्-बदल के सम्बन्ध में अपने रजिस्टर मे एक नोट दे दे।

दफ़ा २१ जायदाद, नक़शों और ख़ाकों का वर्णन

१ कोई गैर-वसीयती दस्तावेज़, जो जायदाद ग़ैर मनकूला से सम्बन्ध रखता है, रजिस्ट्री के लिए न लिया जायगा, जब तक कि उस जायदाद की पहिचान के लिये पर्याप्त उसका पूरा वर्णन न हो।

२ कस्बों के मकानात के सम्बन्धमे यह लिखा जाना चाहिए कि ये उस गली या सड़क के (जिसका कि विशेष वर्णन होना चाहिए) उत्तर या किसी दूसरी ओर वाके है जिन गली या सड़कों के सामने वे मकान है और उनके इस समय के तथा पहिलेके कब्जेदारों (रहने वाले) के नाम और उन मकानोंके नम्बर लिखे होने चाहिए, अगर ऐसी गली या सड़कके ऊपरके मकानों पर नम्बर डाले गए है

३ दूसरे मकानो या जमीनों का वर्णन उनके नाम से, यदि उनका कोई नाम हो, और उस भौगोलिक विभागसे, जिसमे वे वाके हों, और उनके जाहिरा सामान, सड़को या दूसरी जायदादोंसे जिनपर कि वे मिलते है और उनके वर्तमान कब्जेदार (रहने वाले) तथा जहा तक सभव हो गवर्नमेंट के नक्शे या पैमायश का हवाला देकर किया जा सकता है।

४ कोई गैर वसीयती दस्तावेज, जिसमे किसी जायदादका, जो उसमे सम्मिलित है, नकशा या ख़ाका शामिल हो, रजिस्ट्री के लिए उस समय तक न लिया जावेगा जब तक कि उसके साथ उस नकशा या ख़ाका की सही नकल या, अगर ऐसी सम्पत्ति कई जिलों मे वाके है तो, उस नकशा या ख़ाका की असली नकलों की उतनी संख्या जितने जिले हों नत्थी न हो।

दफ़ा २२ सरकारी नकशों या पैमायश का हवाला देकर मकानों और ज़मीनका वर्णन करना।

१ जहां पर स्थानीय सरकार की राय मे उन मकानों का, जो कि कस्बे के मकान नहीं है, और जमीनका, सरकारी नक़्शों या पैमायश का हवाला देकर वर्णन करना सम्भव होगा तो वह स्थानीय सरकार उस ऐक्ट के अनुसार बताये हुये नियमों के द्वारा यह आज्ञा देगी कि ऐसे मकानों तथा जमीनो का, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, दफ़ा २१ के प्रयोजन के लिये इस प्रकार वर्णन किया जाना चाहिये।

२ सिवाय उस दशा के जब कि उप दफा (१) के अनुसार बनाये गये नियमों से कोई दूसरी व्यवस्था कर दी जाय, दफा ११ की उप दफा २ या उप-दफा ३ के नियमों का पालन न करने से यह नहीं होगा कि कोई दस्तावेज रजिस्ट्री न कराया जाय, अगर उस जायदाद का वर्णन, जिससे कि वह सम्बद्ध है, उस जायदाद को पहिचान सकने के लिये पर्याप्त है।

चौथा प्रकरण

रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें

दफा २३ दस्तावेजों के पेश किये जाने का समय

दफा २४, २५ और २६ के नियमों की पाबन्दी में रहते हुये वसीयतनामा को छोड़ दूसरे कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये न लिये जायगे, जब तक कि वे मुनासिब अफसर के पास इस काम के लिये, लिखे जाने की तारीखसे चार मासके भीतर, पेश न किये जायगे।

लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरी या हुक्म की नकल उस दिन से चार महीने के भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जब कि वह काबिल अपीलके हो तो, उस दिनसे चार महीनेके भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म कतई होजाय।

दफा २३ (ए) कुछ दस्तावेजोंकी दुबारा रजिस्ट्री किया जाना

यद्यपि इस ऐक्ट में कोई बात इसके विपरीत हो, तो भी, अगर किसी दशा में वह दस्तावेज, जिसकी कि रजिस्ट्री होनी आवश्यक है, किसी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने के लिये किसी ऐसे आदमी द्वारा प्राप्त हुआ हो जिसको उसके पेश करने का अधिकार नहीं था और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई हो तो, कोई आदमी जो ऐसे दस्तावेज के सम्बन्धमें दावा रखता है उस

लागू होंगे, और ऐसे दस्तावेज, अगर इस दफ़ा के अनुसार उसकी बाक़ायदा रजिस्ट्री होगई है, सभी कामोंके लिये पहिली रजिस्ट्री की तारीख़ से बाक़ायदा रजिस्ट्री किए गए समझे जायँगे।

लेकिन शर्त यह है कि १२ सितम्बर सन् १९१७ ई० से चार मास के भीतर कोई भी आदमी, जो ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में कोई दावा रखता है, इस दफ़ाके अनुसार उस दस्तावेज को, उसकी दुबारा रजिस्ट्रीके लिये, पेश कर सकता है या करवा सकता है। इस बात से कोई बहस नहीं कि वह समय क्या था जब कि उसको सर्व प्रथम यह मालूम हुआ कि दस्तावेजकी रजिस्ट्री बेक़ायदा है।

दफ़ा २४ वे दस्तावेज़ जो बहुत से आदमियों द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गये हैं

जब बहुत से आदमियों ने एक दस्तावेज को भिन्न भिन्न समयों पर लिखा हो, तो ऐसे दस्तावेज रजिस्ट्री (Registration) और दुबारा रजिस्ट्री (Re-registration) के लिये हर एक तकमीलकी तारीख़ से चार महीने के भीतर पेश किये जासकते हैं।

दफ़ा २५ उस समय के लिये व्यवस्था जब कि दस्तावेज़के पेश करने में विलम्ब होना अनिवार्य है

१ अगर किसी आवश्यक कार्यवश या किसी अनिवार्य आकस्मिक घटनाके कारण कोई दस्तावेज जो ब्रिटिश भारतमें लिखा गया हो, या कोई नक़ल उस डिकरी या हुक्मकी जो (ब्रिटिश भारतमें)दीगई हो,रजिस्ट्रीके लिये उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद, जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्वकी गई है, समाप्त नहीं हो जाती है, तो ऐसी दशाओंमें, जब कि उसके पेश किये जानेमें चार महीनेसे अधिक देर न हुई हो, रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह यह हुक्म करदे कि ऐसे दस्तावेज उस जुर्मानाके अदा कर देने परही रजिस्ट्रीके लिए, लिए जा सकते हैं जो रजिस्ट्रीकी वाजिब फ़ीस के दस गुने से अधिक न होगा।

२ कोई भी दरख़्वास्त, जो ऐसे हुक्मकी बाबत हो, किसी सब रजिस्ट्रारको दी जासकती है जो उसे फ़ौरन् उस रजिस्ट्रारके पास भेज देगा जिसकी मातहतीम वह है।

दफ़ा २६ वे दस्तावेज़ जो ब्रिटिश भारतके बाहर लिखे गए हैं

जब कोई दस्तावेज, जिसे सभी या उनमें से कुछ पक्षकारोंने ब्रिटिश भारत के बाहर लिखा हो, रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद, जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्व कीगई

है, समाप्त न हो जाय, तो रजिस्ट्री करने वाले अफसरको अधिकार है कि वह, अगर उसको यह यकीन हो गया है कि—

(ए) यह दस्तावेज भारतवर्षं बाहर लिखा गया था, और

(बी) यह कि यह ब्रिटिश भारतमें आनेके बादसे चार महीनेके भीतर रजिस्ट्रीके लिए पेश किया गया है, मुनासिब रजिस्ट्री की फीस (Registration) के अदा कर दिए जाने पर ऐसे दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिए ले ले।

दफा २७ वसीयतनामें, किसी समय भी लिये और जमा किये जा सकते हैं

वसीयतनामे रजिस्ट्रीके लिए किसी समय भी पेश या इसके आगे बतलाई हुई भांतिके अनुसार जमा किया जा सकते हैं।



पांचवां प्रकरण

रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें

दफा २८ आराज़ी (ज़मीन) से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज़ों की रजिस्ट्रीका स्थान

सिवाय ऐसी दशाओंके जिनके लिए इस प्रकरणमे भिन्न व्यवस्था कीगई है, प्रत्येक दस्तावेज, जिसका जिक्र दफा १७ की उप दफा (१) क्लॉज़ (ए), (बी), (सी) और (डी)म तथा दफा १८के क्लॉज़ (ए), (बी) और (सी) में किया गया है रजिस्ट्रीके लिए उस सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमें पेश किया जायगा जिसके परगनेमे उस जायदादका, जिससे कि दस्तावेज़ सम्बन्ध रखता है, कुछ या कुछ हिस्सा वाक़ै हो।

दफा २९ दूसरे दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्रीका स्थान

१ प्रत्येक दस्तावेज, जो ऐसा दस्तावेज नहीं है, जिसका उल्लेख दफा २८ मे किया गया है, और किसी डिकरी या हुक्मकी नक़ल रजिस्ट्रीके लिये उस सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमे जिसके परगनेमे कि वह दस्तावेज लिखा गया था या उस स्थानीय सरकारके आधीन किसी दूसरे सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमे जहां पर कि दस्तावेज लिखने वालोंकी तथा जिनके हक़मे यह दस्तावेज़ लिखा गया है उन लोगोंकी इच्छा उसकी रजिस्ट्री कराने की है, रजिस्ट्री कराने के लिए पेश किया जा सकता है।

२ किसी डिकरी या हुक्म की नक़ल रजिस्ट्री के वास्ते उस सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर म पेश की जा सकती है जिसके परगनेमें वह प्रारम्भिक डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जहां पर कि उस डिकरी या हुक्म से जायदाद गैर मनकूला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहा पर उस स्थानीय सरकार के आधीन किसी सब रजिस्ट्रार के दफ्तर मे पेश की जा सकती है जहांपर वे सभी आदमी जिनके हक़ मे वह डिकरी या हुक्म दिया गया है उस नक़ल की रजिस्ट्री कराना चाहते हों।

दफा ३० कुछ दशाओं में रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्री किया जाना

१ कोई भी रजिस्ट्रार यदि वह चाहे किसी भी ऐसे दस्तावेज को लेकर उस की रजिस्ट्री कर सकता है जिसकी रजिस्ट्री उसके आधीन कोई भी रजिस्ट्रार कर सकता था।

२ किसी जिले का, जिसमें प्रेसीडेंसी टाउन भी शामिल है, रजिस्ट्रार और लाहौर के जिले के रजिस्ट्रार को दफा २८ में बतलाए हुये किसी दस्तावेज़ को, बिना इस ख्यालके कि जिस जायदादसे दस्तावेज सम्बंध रखता है वह जायदाद ब्रिटिश भारतके किस हिस्सेमें है, लेने और उसकी रजिस्ट्री करनेका अधिकार है।

दफा ३१ रजिस्ट्री करना या ज़मानत में रखने के लिये दस्तावेज़ों का ले लिया जाना

साधारण अवस्थाओं में इस ऐक्ट के अनुसार दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री या उनका अमानत मे जमा रखना केवल उस अफसर के दफ्तर में ही हो सकेगा, जिसे उन दस्तावेज़ों को रजिस्ट्री करने या अमानत में रखने के लिये लेने का अधिकार है। लेकिन विशेष कारण दिखाए जाने पर ऐसा अफसर किसी उस आदमीके निवास स्थान (रहनेकी जगह) पर, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज या अमानत में जमा रखने के लिए कोई वसीयतनामा पेश करना चाहता है जा सकता है और दस्तावेज या वसीयतनामे को रजिस्ट्री के लिये या अमानत में जमा रखने के लिए ले सकता है।

छठवां प्रकरण

रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें

दफा ३२ वे शख्स जो रजिस्ट्री किये जाने के लिये दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं

सिवाय उन दशाओं म जिनका वर्णन दफा ३१ और दफा ८९ मे है, प्रत्येक ऐसा दस्तावेज़, जिसकी रजिस्ट्री इस ऐक्ट के अनुसार होनी है, चाहे यह रजिस्ट्री किया जाना अनिवार्य हो या इच्छित (मुख्तारी), रजिस्ट्री करने के मुनासिब दफ्तर म—

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे लिखा है या जिसके हकमें यह लिखा गया है, या किसी डिकरी या हुक्म की नक़ल के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के द्वारा जिसक हक़ मे वह (डिकरी या हुक्म) दिया गया है, या

(बी) ऐसे शख्स के प्रतिनिधि या मुतवक्किलअलेह द्वारा, या

(सी) ऐसे शख्स, प्रतिनिधि या मुतवक्किल अलेह के कारिन्दा (मुख्तार) द्वारा जिसे इसके आगे बतलाई हुई रीति से लिखे गए और तसदीक़ किए गये हुये मुख्तारनामा के द्वारा अधिकार दिये गये हों।

दफा ३३ वे मुख्तारनामा जो दफा ३२के प्रयोजनके लिये मान्य हैं

१ दफा ३२ के प्रयोजन के लिये केवल नीचे लिखे हुए मुख्तारनामें ही मान्य समझे जायगे, अर्थात —

(ए) अगर मुख्तारनामा लिखते समय मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतके किसी ऐसे हिस्सेम रहता हो जिसम उस समय इस ऐक्टका प्रयोग किया जाता हो,तो वह मुख्तारनामा जो उस रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने लिखा गया हो जिसके जिला या परगना मे वह मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति बसता (रहता) हो और उसपर उस (रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार) ने तस्दीक़ की हो।

(बी) अगर ऊपर बतलाये गये समय मे मुख्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारत के किसी दूसरे हिस्सेम रहता हो, तो वह मुख्तारनामा जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया हो और जिसपर उस (मजिस्ट्रेट) की तस्दीक़ हो।

(सी) अगर ऊपर बतलाये गये समय में मुख्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतमें नहीं रहता है तो वह मुख्तारनामा जो किसी नोटरी पब्लिक (Notary public) या किसी अदालत, जज, मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश कान्सल (British Consul) या वाइस कान्सल (Vice Consul), या सम्राट् अथवा भारत-सरकार के प्रतिनिधि के सामने लिखा गया हो और जिसपर उसकी तस्दीक हो।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखे व्यक्तियों को इस दफा के क्लॉज (ए) और (बी)में बतलाये हुये किसी मुख्तारनामाके लिखनेके अभिप्रायसे किसी रजिस्ट्री के दफ्तर या अदालत मे जाने की आवश्यकता न होगी,

अर्थात्—

(१) वे लोग जो शारीरिक निर्बलता के कारण बिना जान जोखममें डाले या बिना घोर कष्ट सहन किये हुए इस प्रकार हाजिर होनेमें असमर्थ हैं,

(२) वे लोग जो किसी दीवानी या फौजदारी मामलेके कारण जेल में हैं,

(३) वे लोग जो अदालतमें जाने से कानूनन मुस्तसना हैं।

२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट, जैसा कुछ हो, अगर उसको इस बातका यकीन होजाय कि वह मुख्तार नामा अपनी इच्छा से स्वयं उसी व्यक्ति ने लिखा है जो मुख्तारनामा लिखने वाला बतलाया जाता है तो, बिना उस शख्स के दफ्तर या अदालतमें असालतन हाजिर हुये ही उसकी तस्दीक कर सकता है।

३ इस बात के बारेमें सुबूत लेने के लिये, कि वह मुख्तारनामा बिना जोर-जबर्दस्ती के अपनी इच्छा से लिखा गया है, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट यातो उस शख्सके पास जो मुख्तारनामा लिखने वालाबतलाया जाता है या उस जेल को जहा पर कि वह कैद है स्वयं जायगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लेने के लिए कोई कमीशन नियुक्त करेगा।

४ कोई भी मुख्तारनामा, जिसका कि इस दफा में वर्णन है, बिना किसी और सुबूत के केवल पेश कर दिए जाने से ही साबित किया जा सकता है, जब कि उसके ऊपर यह बात लिखी हुई हो कि वह उस व्यक्ति या अदालतके सामने लिखा गया है जिसका कि इससे पहिले इस सम्बन्ध में वर्णन है और उसकी तस्दीक भी है।

दफा ३४ रजिस्ट्री किये जाने से पहिले रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा जाच

१ इस प्रकरणमें तथा दफा ४१, ४३, ४५ ६९, ७५, ७७, ८८, और ८९ में बतलाये हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुये इस ऐक्टके अनुसार कोई भी दस्तावेज उस समय तक रजिस्ट्री नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे दस्तावेजों की

तकमील करने वाले लोग अथवा उनके प्रतिनिधि (क़ायम मुक़ामान), मुन्तकिल-अलेह या मुख्तार (कारिन्दे), जिनको ऊपर बतलाई भांति अधिकार दिये गये हों, रजिस्ट्री करने वाले अफसर के यहा उस मियाद के भीतर हाजिर न हो जायें जो दफा २३, २४ २५ और २६ के अनुसार दस्तावेज पेश करने के लिये दीगई है।

लेकिन शर्त यह है कि अगर किसी आवश्यक कार्य्यवश या किसी अनिवार्य आकस्मिक घटना के कारण ऐसे सब आदमी हाजिर न हो सकें, तो रजिस्ट्रार ऐसी दशाओं में जहा पर कि हाजिर न होने की मियाद चार मास से अधिक न हुई हो यह हुक्म दे सकता है कि उस जुर्माने के अतिरिक्त, अगर कुछ हो, जो दफा २५के अनुसार दातव्य(वाजिबुलअदा)हो उस जुर्मानेके अदा करने पर, जो कि रजिस्ट्री की मुनासिब फ़ीस के दसगुने से अधिक न होगा, दस्तावेज की रजिस्ट्री कर दी जायगी।

२ उप दफा (१) के अनुसार उपस्थिति (हाजिरी) चाहे एक साथ हो या भिन्न भिन्न समयों के ऊपर।

३ इसके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर—

(ए) इस बात की जांच करेगा कि वह दस्तावेज उन्ही आदमियों द्वारा, जिनके द्वारा लिखा गया वह मालूम होता है, लिखा गया है या नही—

(बी) उन आदमियो की शिनाख्त के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा जो उसके सामने हाजिर हुये हैं और यह बयान करते हैं कि हमने दस्तावेज लिखी है, तथा

(सी) उस हालत मे, जब कि कोई आदमी बहैसियत प्रतिनिधि (क़ायम मुक़ाम), मुन्तकिल अलेह या मुख्तार हाजिर हुआ हो, उसकी इस उपस्थिति के अधिकार के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा।

४ उप दफा (१) के नियमोंके अनुसार हुक्मकी बाबत कोई दरख्वास्त किसी सब रजिस्ट्रारके यहा दी जा सकती है जो उसे फौरन् उस रजिस्ट्रारके पास भेज देगा जिसके कि वह मातहत है।

५ इस दफा की कोइ भी बात डिक्री या हुक्म की नक़लों के सम्बन्ध में, लागू नहीं होती।

दफा ३५ दस्तावेज की तकमील करने को इन्कार या स्वीकार करने की दशा में कार्रवाई

१ (ए) अगर वे सभी आदमी जिन्होंने वह दस्तावेज लिखी है असालतन रजिस्ट्री करने वाले अफसर के सामने हाजिर हों और वह उनसे परिचित हो या उसको किसी और प्रकार से यह इतमीनान होजाय कि वे वेही आदमी हैं जो कि वे अपने आपको बतलाते हैं, और यदि वे सभी दस्तावेज़ के लिखने को स्वीकार करलें, या

(बी) अगर उस हालत में, जब कि कोई व्यक्ति किसी प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह या मुख्तार के जरिये हाज़िर हुआ हो, वह प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह या मुख्तार उस दस्तावेज की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले, या

(सी) अगर दस्तावेज लिखने वाला व्यक्ति मर गया हो और उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह या मुख्तार रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर के पास हाजिर होकर दस्तावेज की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले, तो वह रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर उस दस्तावेज की रजिस्ट्री कर लेगा, जैसा कि दफा ५८ से लेकर दफा ६१ तकमें, जिनमें यह दोनो दफायें भी शामिल हैं, बतलाया गया है।

२ रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर को अधिकार है कि वह इस बातका इतमीनान करने के लिये, कि जो आदमी उसके सामने हाजिर हुये हैं वे वेही आदमी हैं जो कि वे अपने आपको बतलाते हैं, या किसी दूसरे प्रयोजनसे, जिसके ऊपर इस ऐक्ट में विचार किया गया है, उन आदमियोंमें से किसी भी आदमीके बयान ले ले जो उसके दफ्तर में उपस्थित (हाजिर) हुए हैं।

३ (ए) अगर कोई आदमी जिसका लिखा हुआ (तकमील किया हुआ) वह दस्तावेज मालूम होता है, इस बातको अस्वीकार करता है कि उसने उसे लिखा है, या

(बी) अगर ऐसा कोई आदमी रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर को नाबालिग पागल या मूर्ख (बेवकूफ) जान पड़े, या

(सी) अगर ऐसा कोई आदमी, जिसका लिखा हुआ वह दस्तावेज मालूम होता है मर गया है और उसका प्रतिनिधि या मुन्तकिल अलेह उसकी तकमील (लिखे जाने) से इन्कार करता है,

तो रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिये कि वह इस तरह इन्कार करने वाले आदमी के सम्बन्धमें, चाहे वह हाजिर हुआ हो या मर गया हो, उस दस्तावेज की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दे।

लेकिन शर्त यह है कि जहांपर ऐसा अफ़सर रजिस्ट्रार हो तो उसे चाहिये कि वह उस कार्रवाई का अनुसरण करे जो बारहवें प्रकरणमें बतलाई गई है।

सातवां प्रकरण

दस्तावेज़ लिखने वालों तथा गवाहोंकी हाज़िरीके विषयमें

दफा ३६ उस दशा में कार्रवाई जब कि दस्तावेज़ लिखने वाले या गवाह की हाज़िरी की आवश्यकता हो

अगर कोई ऐसा आदमी, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज पेश कर रहा है या जो किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में दावेदार है जो कि पेश किये जाने के योग्य है किसी ऐसे शख्सकी हाजिरी चाहता है जिसकी उपस्थिति या साक्षी (गवाही) उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री के लिये आवश्यक है, तो रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर अपनी इच्छानुसार किसी ऐसे हाकिम या अदालत को, जिसके लिये स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध में आज्ञा दे, उस व्यक्ति के ऊपर रजिस्ट्री के दफ़तर में असालतन (स्वय) या किसी कारिन्दा-मजाजके जरिये जैसा कुछ कि उस सम्मन में लिखा गया हो, तथा उस समय पर जो उसमें बतलाया गया हो हाजिर होने के लिये सम्मन जारी करने के वास्ते लिख सकता है।

दफा ३७ हाकिम या अदालत का सम्मन जारी करना तथा उनकी तामील करवाना

वह हाकिम या अदालत चपरासी का तलबाना, जो कि ऐसे मौकों पर दाखिल किया जाना चाहिये, पा जाने पर उसके लिये अनुसार सम्मन जारी कर देगा और उसे उस व्यक्ति के ऊपर, जिसकी कि हाजिरी वाञ्छनीय है, तामील करवा देगा।

दफा ३८ वे लोग जो रजिस्ट्रीके दफ्तरमें हाज़िरीसे मुस्तसना हैं

१ (ए) वह आदमी जो शारीरिक निर्बलता के कारण बिना जान जोखिममें डाले या बिना भारी कष्ट सहन किये रजिस्ट्री के दफ्तर में हाजिर होने में असमर्थ है, या

(बी) वह आदमी जो किसी दीवानी या फौजदारीकी कार्रवाइके अनुसार जेल में है, या

(सी) वे लोग जो किसी अदालत में असालतन हाजिर होने से कानूनन मुस्तसना हैं और जो रजिस्ट्री के दफ्तर में असालतन हाजिर होने

के लिये तलब किये जाते अगर वे शर्तें जो इसमें आगे चलकर बतलाई गई है मौजूद न होती।

इस प्रकार हाजिर होने के लिये तलब न किये जायगे।

२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध मे रजिस्ट्री करने वाला अफसर या तो उस आदमी के मकान पर या उस जेलको, जहां पर कि वह कैद है, स्वयं आयेगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लिए जाने के लिए कमीशन जारी करेगा।

दफा ३९ सम्मनों, कमीशनों तथा गवाहों सम्बन्धी कानून

यह कानून जो उस समय सम्मनों, कमीशनों और गवाहों को हाजिरी के लिए बाध्य (मजबूर) करने के सम्बन्ध में और अदालत दीवानीके मुकदमों में उनके तलबाना के सम्बन्ध में प्रचलित है, सिवाय उस दशा के जिसका जिक्र इसके पूर्व किया गया है और सिवाय यथस्थीत अमर तबदील तलब (Mutatus Mutandis) के किसी सम्मन या कमीशनके सम्बन्धमे, जोकि जारी किया गया है, तथा किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि इस ऐक्टके नियमानुसार हाज़िरीके लिये तलब किया गया है, लागू होगा।

आठवां प्रकरण

वसीयतनामों और गोद लेने के इज़ाज़तनामों के पेश किए जाने के सवन्धमे

दफा ४० वे लोग जिनको वसीयतनामों और गोद लेने के इजाज़तनामो के पेश करने का अधिकार है

१ वसीयत करने वाला (Testator) या उसकी मृत्युके पश्चात कोई ऐसा व्यक्ति जो वसीयतनामा के बारे मे वतौर साधक (वसी) या और किसी प्रकार दावेदार है उस (वसीयतनामे) को रजिस्ट्री किए जानेके लिये किसी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के यहा पेश कर सकता है।

२ गोद लेने सम्बन्धी इजाजत नामा का दाता (Donor -वाहिब) या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका प्रति-ग्राही (Donee मौहूबअलेह) या दत्त-पुत्र (पिसर मुतवन्ना) उस (इजाजतनामा) को रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के यहा पेश कर सकता है।

दफा ४१ वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों की रजिस्ट्री

१ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामाकी, जिसे वसीयत करने वाले या हिवा करने वाले (वाहिब) ने रजिस्ट्री किये जाने के लिये पेश किया है, रजिस्ट्री उसी प्रकार की जायगी जैसे दूसरे दस्तावेजो की।

२ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामाकी, जिसे रजिस्ट्री किये जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्तिने, जिसको उसे पेश करनेका अधिकार है, पेश किया हो, रजिस्ट्री कर दी जायगी, अगर रजिस्ट्री करने वाले अफसर को यह इतमीनान हो जाय कि—

(ए) यह वसीयतनामा या इजाजतनामा वसीयत करने वाले (Testator) या हिवा करने वाले (Donor) द्वारा, जैसा अवसर हो लिखा गया था,

(बी) यह कि वसीयत करने वाला (Testator) या हिवा करने वाला (Donor) मर गया है, तथा

(सी) यह कि जो व्यक्ति उस वसीयतनामा या इजाजतनामा को पेश कर रहा है उसे दफा ४० के अनुसार पेश करने का अधिकार है।

नवां प्रकरण

वसीयतनामों के अमानतमें जमा करने के विषय में

दफा ४२ वसीयतनामों का अमानत में जमा किया जाना

कोई भी वसीयत करने वाला (testator) असालतन या किसी मुख्तार मजाज के जरिए अपने वसीयतनामे को एक मोहर लगे हुए बन्द लिफाफेमें, जिस पर वसीयत करने वाले(testator) का और उसके मुख्तारका (अगर कोई हो) नाम और दस्तावेज की तरह पर कुछ मजमून लिखा हुआ हो, किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर मे बतोर अमानत जमा कर सकता है।

दफा ४३ वसीयतनामों के जमा करने पर कार्रवाई

१ ऐसे लिफाफा के पा जाने पर वह रजिस्ट्रार, अगर उसको इसबात का इतमीनान होजाय कि जो शख्स उसे दाखिल कर रहा है वह वसीयत लिखने वाला या उसका मुख्तार है तो, अपने रजिस्टर नं० ५ मे उपरोक्त मजमून को लिख लेगा और उसी रजिस्टर मे तथा उस लिफाफे के ऊपर इस दाखिल किए जाने और पाने का साल, महीना, दिन और घंटा और उन आदमियो के नाम जिन्होने इस वसीयत करने वाले या उसके मुख्तार की शिनाख्त की हो तथा किसी ऐसे स्पष्ट लेख को, जो उस लिफाफे की मोहर पर हो, लिख लेगा।

२ इसके पश्चात् रजिस्ट्रार उस मोहर लगे हुए लिफाफा को अपनी आग न लगने वाली सन्दूक (फायर प्रूफ-बॉक्स) मे रखलेगा और उसे उसी में जमा रक्खेगा।

दफा ४४ मोहर लगे हुए उस लिफाफा का वापस लेना जो कि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया है

अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति (testator),जिसने ऐसे लिफाफाको जमा किया है, उसे वापस लेना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह असालतन या अपने किसी मुख्तार मजाज के जरिए से इसबातके लिए उस रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दे जिसके पास वह अमानत मे जमा है, और वह रजिस्ट्रार, अगर उसे यह इतमीनान हो जाय कि प्रार्थी (दरख्वास्त देने वाला) सच मुच वसीयत करने वाला या उसका मुख्तार है तो, उस लिफाफा को उसके हवाले कर देगा।

दफा ४५ दाखिल करने वाले के मर जाने पर कार्रवाई

१ अगर उस वसीयत करने वाले (testator) के मर जाने पर, जिसने दफा ४२ के अनुसार मोहर लगे हुए लिफाफा को दाखिल किया है, उस रजिस्ट्रार को

जिसके पास कि वह अमानत में जमा है उसे निकाल देने के लिए दरख्वास्त दी जाय और अगर उस रजिस्ट्रार को इसबात का इतमीनान हो जाय कि वसीयत करनेवाला (Testator) मरगया है तो वह उस प्रार्थी (दरख्वास्त देने वाले) के समक्ष (सामने) उस लिफ़ाफ़ को खोल देगा और उस प्रार्थी के खर्च से उस का मजमून अपनी किताब नं० ३ में दर्ज करा लेगा।

२ इस नक़ल के हो जानेपर रजिस्ट्रार असली वसीयत नामेको फिर दाखिल अमानत कर लेगा।

दफा ४६ कुछ नियमों तथा अदालतके अधिकारों का बचाव

१ इससे पहिले जो कुछ बतलाया गया है उसमें कोई भी बात ऐसी न होगी जो इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट सन् १८६५ ई० (क़ानून विरासत) की दफा २५९ या प्रोबेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफा ८१ पर या हुक्म द्वारा किसी दस्तावेज को जबर्दस्ती पेश करने सम्बन्धी किसी अदालत के अधिकार पर कोई प्रभाव डाल सके।

२ जब कोई ऐसा हुक्म दिया जा चुके तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि, अगर दफा ४५ के अनुसार उस वसीयतनामा की नक़ल की न जा चुकी हो तो, वह उस लिफ़ाफ़े को निकाले और उस वसीयतनामा की नक़ल अपनी किताब नं० ३ में करादे और उस नक़ल के ऊपर यह नोट लिख दे कि असली कापी उपर्युक्त हुक्म के अनुसार अदालत को भेज दी गई है।

दसवां प्रकरण

दफा ४७ रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ोंके अमल (नाफिज) करनेका समय

रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज का अमल (नफाज) उस समय से आरम्भ होगा जिस समयसे कि वह आरम्भ हुई होती, अगर उसकी रजिस्ट्री आवश्यक न होती या अगर उसकी रजिस्ट्री की न गई होती, उस समय से नहीं जबकि उसकी रजिस्ट्री हुई है।

दफा ४८ जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ जबानी इक़रारनामोंके मुकाबिलेमें कब अमल (नाफिज) में लाये जायंगे

सभी गैर-वसीयती दस्तावेज, जिनकी कि इस ऐक्ट के अनुसार बाक़ायदा रजिस्ट्री होगई है और जो किसी जायदाद से सम्बन्ध रखते हों, चाहे वह जायदाद मनकूला हो या गैर-मनकूला, किसी भी जबानी इकरारनामा या अर्जीदावा के मुकाबले में जो कि उसी जायदाद के सम्बन्ध में हो अमल (नाफिज) में लाये जायगे सिवाय उन दशाओंके, जब कि इस इकरारनामा या अर्जीदावा के साथ या उसके बाद दखल-दिहानी न कर दीगई हो।

दफा ४९ जिन दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री आवश्यक है उनकी रजिस्ट्री न करनेका परिणाम

कोई भी दस्तावेज, जिसकी रजिस्ट्री दफा १७के अनुसार आवश्यक है, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय तब तक—

(ए) किसी भी जायदाद गैर-मनकूला पर जोकि उसमें शामिल है कोई भी प्रभाव न डाल सकेगी, या

(बी) गोद लेने सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगी, या

(सी) किसी मामले में जिससे उस जायदाद पर कोई प्रभाव पड़ता हो या जो ऐसे अधिकार प्रदान करता हो शहादत में न माना जायगा।

दफा ५० आराज़ी सम्बन्धी कुछ दस्तावेज़ बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ोंके मुकाबले व्यापक (नाफिज़) होंगे

१ प्रत्येक इस किस्म का दस्तावेज जिसका जिक्र दफा १७ की उप दफा १ के क्लॉज (ए), (बी), (सी) और (डी) में तथा दफा १८ के क्लाज

रजिस्ट्रीके पेश करता है ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की पुश्त पर लिखा जाना चाहिए।

(बी) रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिए कि वह उस दस्तावेजकी रसीद दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्तिको दे दे। और

(सी) दफा ६२ में बतलाए गए नियमोंकी पाबन्दीमें रहते हुए प्रत्येक ऐसे दस्तावेजको जो रजिस्ट्रीके लिये मंजूर कर लिया गया है बिना अनावश्यक विलम्बके उस किताबमें रजिस्ट्रीके क्रमानुसार नक़ल कर लेना चाहिये।

इन सभी किताबोंकी ऐसे समयों पर और ऐसे ढंगसे तस्दीक़ की जायगी जिसको समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल निश्चित करेंगे।

दफा ५३ इन इन्दराजातका सिलसिलेवार नम्बर छोड़ना

हर एक किताबके सभी इन्दराजात सिलसिलेवार नम्बर छोड़ कर किए जायगे जो सालसे आरम्भ और साल ही में समाप्त हो जायगे। प्रत्येक सालके आरम्भमें नया सिलसिला आरम्भ होगा।

दफा ५४ वर्तमान फेहरिस्त और उसके इन्दराजात

प्रत्येक ऐसे दफ्तरमें जिनमें कि इसके पूर्व बतलाई हुई कोई भी किताबें रहती हों ऐसी किताबोंमें दर्जकी हुई बातोंकी फेहरिस्तें तैयार की जायगी जो उस समय प्रचलित होंगी, और इन किताबोंका प्रत्येक इन्दराज, जहां तक सम्भव होगा, जिस समय रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजको जिससे कि उसका सम्बन्ध है नक़ल कर चुकेगा या उसकी याददाश्तको दाखिल दफ्तर कर चुकेगा उसके बाद फौरन् ही कर दिया जायगा।

दफा ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयारकी जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें

१ सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरोंमें ऐसी चार फेहरिस्त तैयार की जायगी और उन पर क्रमशः फ़ेहरिस्त नं० १, फ़ेहरिस्त नं० २, फ़ेहरिस्त नं० ३, और फ़ेहरिस्त नं० ४ नाम पड़ेगा।

२ फ़ेहरिस्त नं० १ में उन तमाम आदमियोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जिन्होंने कि उस दस्तावेजको लिखा है या जो उनकी बाबत दावेदार हैं जो कि किताब नं० १ में दर्ज किया गया है या जो याददाश्त (Momorandum) कि दाखिल दफ्तर कीगई है।

३ फ़ेहरिस्त नं० २ में ऐसे दस्तावेजों और याददाश्तोंके सम्बन्धमें दफा २१ में बतलाई हुई उन बातोंकी तफसील होगी जिसकेबारेमें इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर इस सम्बन्धमें आज्ञा निकालें।

ग्यारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषय में

(ए) रजिस्टरों और फेहरिस्तोंके सम्बन्धमें

दफा ५१ वे रजिस्टर जो सभी दफ्तरोंमें रखे जाने चाहिये

१ नीचे लिखी किताबें उन सभी दफ्तरोंमें रखी जायगी जो इसके बादमें बतलाए गए हैं, अर्थात्—

(ए) सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों मे—

किताब न० १—"गैर वसीयती दस्तावेजोंका, जो कि जायदाद गैर मनकूलाके सम्बन्धमें है, रजिस्टर।"

किताब नं० २—"रजिस्ट्री करने से इन्कार किए जानेके कारणोंके लिखनेकी किताब।"

किताब न० ३—"वसीयतनामों और गोद लेनेकी सनदोंका रजिस्टर।"

किताब नं० ४—"रजिस्टर मुतफरिकात।"

(बी) रजिस्ट्रारके दफ्तरमें—

किताब न० ५—"वसीयतनामोंको अमानतमें जमा करने सम्बन्धी रजिस्टर"

२ किताब न०१में उन सभी दस्तावेजों और याददाश्तोंका इन्दराज या उनकी खानापूरीकी जायगी जिनकी दफा १७, १८ और ८९ के अनुसार रजिस्ट्री कीगई है और जो जायदाद गेर मनकूलाके सम्बन्धमें है और वसीयतनामे नही है।

३ किताब न० ४ में उन सब दस्तावेजोंका इन्दराज होगा जो दफा १८ के क्लॉज (डी) और (एफ) में रजिस्ट्री किए जायगे और जो जायदाद ग़ैर-मनकूलाके सम्बन्धमें नही है।

४ इस दफामें ऐसी कोई भी बात न समझी जायगी जिसके कारण उस दशा मे जब कि रजिस्ट्रारका दफ्तर किसी सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें मिला दिया जाय एक से अधिक जोड (Set) रजिस्टरोंकी आवश्यकता पडे।

दफा ५२ दस्तावेज़ पेश किये जाने पर रजिस्ट्री करने वाले अफसरका कर्तव्य

१ (ए) किसी दस्तावेजके पेश करते समय उस पेश किए जाने का दिन, वक्त और स्थान तथा उस शख्सका नाम जो कि दस्तावेजको वास्ते

रजिस्ट्रीके पेश करता है ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की पुश्त पर लिखा जाना चाहिए।

(बी) रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिए कि वह उस दस्तावेजकी रसीद दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्तिको दे दे। और

(सी) दफा ६२ में बतलाए गए नियमोंकी पाबन्दीमें रहते हुए प्रत्येक ऐसे दस्तावेजकी जो रजिस्ट्रीके लिये मंजूर कर लिया गया है बिना अनावश्यक विलम्बके उस किताबमें रजिस्ट्रीके क्रमानुसार नकल कर लेना चाहिये।

इन सभी किताबोंकी ऐसे समयों पर और ऐसे ढंगसे तस्दीक की जायगी जिसको समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल निश्चित करेंगे।

दफा ५३ इन इन्दराजातका सिल्सिलेवार नम्बर छोड़ना

हर एक किताबके सभी इन्दराजात सिल्सिलेवार नम्बर छोड़ कर किए जायगे जो सालसे आरम्भ और साल ही में समाप्त हो जायगे। प्रत्येक सालके आरम्भमें नया सिलसिला आरम्भ होगा।

दफा ५४ वर्तमान फेहरिस्त और उसके इन्दराजात

प्रत्येक ऐसे दफ्तरमें जिनमें कि इसके पूर्व बतलाई हुई कोई भी किताब रहती हो ऐसी किताबोंमें दर्जकी हुई बातोंकी फेहरिस्त तैयार की जायगी जो उस समय प्रचलित होगी, और इन किताबोंका प्रत्येक इन्दराज जहां तक सम्भव होगा, जिस समय रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजकी जिससे कि उसका सम्बन्ध है नकल कर चुकेगा या उसकी याददाश्तको दाखिल दफ्तर कर चुकेगा उसके बाद फौरन् ही कर दिया जायगा।

दफा ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयारकी जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें

१ सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरोंमें ऐसी चार फेहरिस्तें तैयार की जायगी और उन पर क्रमशः फेहरिस्त नं० १, फेहरिस्त नं० २, फेहरिस्त नं० ३, और फेहरिस्त नं० ४ नाम पड़ेगा।

२ फेहरिस्त नं० १ में उन तमाम आदमियोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जिन्होंने कि उस दस्तावेजको लिखा है या जो उनकी बाबत दावेदार हैं जो कि किताब नं० १ में दर्ज किया गया है या जो याददाश्त (Memorandum) कि दाखिल दफ्तर कीगई है।

३ फेहरिस्त नं० २ में ऐसे दस्तावेजों और याददाश्तोंके सम्बन्धमें दफा २१ में बतलाई हुई उन बातोंकी तफसील होगी जिसकेबारेमें इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर इस सम्बन्धमें आज्ञा निकाले।

४ फहरिस्त न० ३ में उन तमाम आदमियोंके, जिन्होंने कि उन वसीयतनामों और अधिकार पत्र (सनद) को जो कि किताब न० ३ में दर्ज किए गए हैं, तथा साधका (वसी या तामीळ कुनिन्दा) और उन व्यक्तियोंके नाम और पता व निशान जो कि अलग अलग उनके अनुसार नियुक्त किए गए हैं, और वसीयत करने वाले (Testator) या हिबा करने वाले (Donei) की मृत्यु हो जानेके पश्चात् (पहिले नहीं) उन सभी आदमियोंके नाम और पता व निशान लिखे जायगे जो उसके सम्बन्धमे दावेदार हो ।

५ फेहरिस्त न० ४ मे उन सभी आदमियोके नाम और पता व निशान जो कि उन दस्तावेजोंके लिखने वाले हैं और लोगोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जो उन दस्तावेजोंके सम्बन्धमें दावेदार हैं जिनका कि इन्दराज किताब न० ४ मे किया गया है ।

६ प्रत्येक फेहरिस्तमे दूसरी ऐसी बातें लिखी जायगी और वे ऐसे नमूनेकी तैयार की जायगी जिनकी आज्ञा इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर देते रहगे ।

दफा ५६ फेहरिस्त नं० १,२ और ३ में दर्ज कीगई बातोंकी नकलका सब-रजिस्ट्रारके पास भेजा जाना - और उसका दाखिल दफ्तर (फाइल) करना

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रारको चाहिए कि वह उस रजिस्ट्रारके पास, जिसके कि वह मातहत है, ऐसे समयों पर, जिनके लिए समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल आदेश करे, उन सभी इन्दराजात की नकल भेज दे, जो उसने इन समयोंमे से सबसे अन्तिम (अखीरी) समय फेहरिस्त न० १, २ और ३ मे किए गए हो ।

२ प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रार जिसे ऐसी नकलें प्राप्त हो उन्हे दाखिल दफ्तर कर लेगा ।

दफा ५७ रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको कुछ किताबों और फेहरिस्तोंके मुलाहिज़ा करनेकी आज्ञा और इन्दराजातकी तस्दीककी हुई नकलें देनेका अधिकार

१ फीसके, जो इस सम्बन्ध में दी जानी चाहिए, पहिले अदा कर दिए जाने पर किताब न० १ और २ तथा किताब न० १ से सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त का कोई आदमी, जो इसके लिए दरख्वास्त करे, हर समय मुलाहिजा कर सकेगा, और दफा ६२ के नियमोकी पाबन्दी करते हुए इन किताबोंमें किए गए इन्दराजातकी नकलें उन सभी आदमियो को दी जा सकेगी जो इनके लिए दरख्वास्त करें। ‘ ~

२ उन्ही नियमों की पाबन्दी करते हुए किताब न० ३ मे और इससे सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त में किए गए इन्दराजात की नकलें ऐसे आदमियो

को, जिन्होंने उन दस्तावेजों को लिखा हो या जो उनके अनुसार दावेदार हों, जिन दस्तावेजों से ये इन्द्राजात सम्बन्ध रखते हैं, या उनके कारिन्दों (मुख्तारों) को, तथा दस्तावेज लिखने वालों के मर जाने के बाद (किन्तु इसके पहिले नहीं) किसी आदमी को, जो इन नकलों के लिए दरख्वास्त दे, दी जा सकेगी।

३ उन्हीं नियमों की पाबन्दी करते हुए किताब नं० ३ और उससे सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त में किए गए इन्द्राजात की नकलें किसी आदमी को, जिसने उन दस्तावेजों को, जिनका इन्द्राजात से क्रमशः सम्बन्ध है, लिखा हो या जो उनके अनुसार दावेदार हो, अथवा उसके कारिन्दा या प्रतिनिधि को दी जा सकेंगी।

४ किताब नं० ३ और ४ में किए गए इन्द्राजात की इस दफा के अनुसार आवश्यक खोज (तलाशी मतलूबा) केवल रजिस्ट्री करने वाला अफसर ही कर सकेगा।

५ इस दफा के अनुसार दी गई सभी नकलों पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर के दस्तखत और मोहर होगी, और ये प्रारम्भिक दस्तावेजों के मजमून को साबित करने के लिए प्रमाण माने जायेंगे।

(बी) रजिस्ट्रीके लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेज़ोंकी पुश्त पर लिखी जाने वाली बातें

दफा ५८ रजिस्ट्रीके लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेज़ों की पुश्तपर लिखी जाने वाली बातें

१ रजिस्ट्री के लिए मंजूर कर लिए गए प्रत्येक दस्तावेज की, जो किसी डिकरी या हुक्म की नकल या ऐसी नकल नहीं है जो रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास दफा ८९ के अनुसार भेजी गई है, पुश्त पर, समय समय पर, नीचे लिखी बातें लिखी जायगी, अर्थात्—

(ए) हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने को (तकमील को) स्वीकार कर लिया हो, और अगर इस तकमील को किसी व्यक्तिके प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह, या कारिन्दे ने स्वीकार किया हो तो ऐसे प्रतिनिधि मुन्तकिल अलेह या कारिन्दे के हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता,

(बी) हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्त का, जिसके इस ऐक्ट के किसी नियम के अनुसार बयान लिए गए हों, और

(सी) रुपये की कोई अदायगी या मालका कोई समर्पण, जो उस दस्तावेज के लिखे जाने (तकमील) के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने वाले अफसर के सामने कीगई हो, तथा उस मुआवजा-दस्तावेज की

कुल या अंश में हुई प्राप्ति की स्वीकृति, जो उस दस्तावेज़ के सम्बन्ध में उसके समक्ष (सामने) दिया गया हो।

(डी) अगर कोई व्यक्ति, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने (तकमील) को स्वीकार कर लिया हो, उस दस्तावेज की पुश्तपर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो भी रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर उसकी रजिस्ट्री कर लेगा, किन्तु इस इनकारी के सम्बन्ध में वह एक नोट दस्तावेज की पीठ (पुश्त) पर लिख देगा।

दफा ५९ तस्दीकके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने दस्तखत करे और तारीख डाले

रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर को चाहिए कि वह उन दस्तावेजों के सम्बन्ध मे तथा अपने सामने दफा ५२ और ५८ के अनुसार की गई तसदीक के ऊपर उसी दिन अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) करे और तारीख डाले।

दफा ६० रजिस्ट्री किए जानेका सार्टीफिकट

१ दफ़ा ३४, ३५, ५८ तथा ५९ के उन नियमोंकी तामील होजाने के बाद, जो किसी उस दस्तावेज के सम्बन्ध मे लागू होते हैं जो कि रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने वाला, अफसर उसपर एक सार्टीफिकट की तसदीक करेगा, जिसमें 'रजिस्ट्री किया गया' शब्द तथा उस किताब का नम्बर और पृष्ठ (सफा) होगा, जिसमें उस दस्तावेज की नक़ल की गई है।

२ इस सार्टीफिकट पर रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर अपने हस्ताक्षर (दस्तख़त) करेगा, तारीख़ डालेगा और मोहर करेगा और तब वह इस बातके साबित करने के लिए स्वीकार किए जाने योग्य होगा कि दस्तावेज की इस ऐक्ट द्वारा निर्द्धारित नियमों के अनुसार बाक़ायदा रजिस्ट्री कीगई है, और यह कि दफ़ा ५९ म बतलाई हुई तसदीक (Endorsement) म वर्णित बातें वैसे ही हुई हैं जैसी कि वे उसम बतलाई गई हैं।

दफा ६१ तसदीक और सार्टीफिकटकी नकल करके दस्तावेज़ वापस दिया जाना

१ तस्दीक़ और सार्टीफिकटकी, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और जो दफ़ा ५९ और ६० में बतलाए गए हैं, नकल, सब रजिस्टर-बुक के हाशिये पर करली जायगी और नकशा या खाका की (अगर कोई हो), जिसका वर्णन दफा २१ में किया गया है। किताब नं० १ मे फाइल (नत्थी) कर लिया जायगा।

२ तब उस दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हुई समझी जायगी और फिर वह दस्तावेज उस आदमी को, जिसने उसे रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया था, या किसी दूसरे ऐसे आदमी को, जिसको लिखकर इस काम के लिए नामज़द किया गया हो, दफ़ा ५२में बतलाई गई रसीदके दे देने पर दे दिया जायगा।

दफा ६२ ऐसे दस्तावेज़के पेश किये जाने पर कार्रवाई जो ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर नहीं जानता है

१ जब दफा १९ के अनुसार रजिस्ट्री किए जाने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया जाय, तो दस्तावेजोंके रजिस्टरमे उस असली दस्तावेजके ठीक ठीक अनुवादकी नक़ल कर ली जायगी, और जिस नकलका जिक्र दफा १९ मे किया गया है उसके साथ वह अनुवाद रजिस्ट्रीके दफ्तरमे फाइल (नत्थी) कर लिया जायगा।

२ तस्दीक़ और सार्टीफिकट, जिनका क्रमश दफा ५९ और ६० मे वर्णन किया गया है, असली दस्तावेज पर ही किए जायगे, तथा नकल करने और यादद्दाश्त तैयार करने के लिए, जिनकी दफा ५७, ६४, ६५ और ६६ के अनुसार आवश्यकता है, वह अनुवाद ऐसा ही समझा जायगा मानो वह असली ही है।

दफा ६३ हलफ लेने और बयानका साराश लिखनेका अधिकार

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाले अफसरको अधिकार है कि वह स्वेच्छापूर्वक किसी ऐसे आदमीको हलफ दया सके जिसके उसने इस ऐक्टके अनुसार बयान लिए हो।

२ प्रत्येक ऐसे अफसरको यह भी अधिकार होगा कि वह स्वेच्छापूर्वक उस बयानके साराशको नोट कर (लिख) ले, जिसे प्रत्येक ऐसे मनुष्यने दिया हो, और वह बयान उसको पढ़ कर सुना दिया जायगा या (अगर वह ऐसी भाषामे दिया गया है जिससे वह मनुष्य अनभिज्ञ (नावाकिफ़) है) उस भाषामे उसे समझा दिया जायगा जिसे वह जानता है, और अगर वह इस नोट (लिख लेने) को सही मान लेगा तो उस पर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर देगा।

३ प्रत्येक ऐसा नोट, जिस पर इस प्रकार हस्ताक्षर हो गए हों, इस बातके साबित करनेमे मान्य (माने जाने योग्य) होगा कि जो कुछ बात उसमे दर्ज है वे उन आदमियों द्वारा और उसमे बतलाई गई व्यवस्थाओमे बयान की गई थीं।

(सी) सब-रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफा ६४ उस दशामें कार्रवाई जबकि दस्तावेज़ उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई परगनों में है

प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे गैर-वसीयती दस्तावेज की रजिस्ट्री कर रहा हो, जो ऐसी जायदाद गैर मनकूलाके सम्बन्धमे है जो पूरी पूरी

उसीके परगनेमें वाक़े नहीं है, चाहिये कि वह उसकी और उसपर कीगई तस्दीक़ और सार्टीफ़िकटकी (अगर कोई हो) याददाश्त तैयार करे और उसे प्रत्येक ऐसे दूसरे सब रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा वाक़े है और जो उसी रजिस्ट्रारके मातहत है जिसके मातहत वह स्वयं है और वह सब-रजिस्ट्रार उस याददाश्त (Memorandum) को अपनी किताब नं० १ में फ़ाइल (नत्थी) कर लेगा।

दफ़ा ६५ उस दशामें कार्रवाई जबकि दस्तावेज़ उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई ज़िलों में है

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे गैर-वसीयती दस्तावेजकी रजिस्ट्री कर रहा हो जो उस जायदाद गैर-मनकूला के सम्बन्ध में है जो एक से अधिक ज़िलों में वाक़े है, चाहिये कि वह एक नक़ल उसकी और एक नक़ल उसके तस्दीक़ और सार्टीफ़िकेट की (अगर कोई हो) मय उस नक़शा या ख़ाका की (अगर कोई है), जिसका वर्णन दफ़ा २१ में है, नक़लको, उस जिलेको छोड़ जिस में स्वयं उसका परगना वाक़े है, प्रत्येक उस जिले के रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसमें ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा वाक़े हो।

२ रजिस्ट्रार उन्हें पा जाने पर दस्तावेजकी नक़ल और उस नक़शा या ख़ाका की (अगर कोई हो) नक़लको किताब नं० १ में फ़ाइल (नत्थी) कर लेगा और उस दस्तावेजकी याददाश्त (Mamorandum) को अपने मातहत प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार के पास, जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा वाक़े होगा, भेज देगा, और प्रत्येक सब रजिस्ट्रार ऐसी याददाश्त को पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ में दर्ज कर लेगा।

(डी) रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफ़ा ६६ आराज़ी (ज़मीन) सम्बन्धी दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई

१ जायदाद गैर मनकूला से सम्बन्ध रखने वाले किसी गैर-वसीयती दस्तावेज की रजिस्ट्री करलेने पर रजिस्ट्रार को चाहिए कि वह ऐसे दस्तावेजकी याददाश्त (Mamorandum) को अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगने में ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा वाक़े हो।

२ उस रजिस्ट्रारको यह भी चाहिए कि वह उस नक़शे या ख़ाकाकी (अगर कोई हो), जिसका वर्णन दफ़ा २१ में किया गया है, नक़लके सहित ऐसे दस्तावेज़की नक़लको प्रत्येक दूसरे ऐसे रजिस्ट्रारको भेज दे, जिसके जिलेमें ऐसी जायदादका कोई हिस्सा वाक़े हो।

३ ऐसा रजिस्ट्रार किसी ऐसी नकलके पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ मे फाइल (नत्थी) कर लेगा और उस नकलकी एक याददाश्त अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार के पास भेज देगा, जिसके परगनेमें उस जायदाद का कोई हिस्सा वाके हो।

४ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार इस दफाके अनुसार किसी याददाश्त (Mamorandum) के पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा ।

दफा ६७ दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार रजिस्ट्री हो जाने के बाद कार्रवाई

दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्री होजाने पर, ऐसे दस्तावेजकी और उसकी तस्दीक और सार्टीफिकटकी एक नकल प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रारके पास भेज दी जायगी, जिसके जिलेमें उस जायदादका कोई हिस्सा वाके है जिससे कि उस दस्तावेजका सम्बन्ध है, और ऐसी नकलके पा जाने पर रजिस्ट्रारको वह कारवाई करना चाहिए जो उसके लिए दफा ६६, उप दफा (१) में निर्धारित कीगई है।

(ई) रजिस्ट्रारों और इन्स्पेक्टर-जनरलके शासनाधिकार

दफा ६८ सब-रजिस्ट्रारोंके कार्यका निरीक्षण करने तथा उन पर शासन करने के सम्बन्धमें रजिस्ट्रारके अधिकार

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार दफ्तर सम्बन्धी अपने कामोंको उस रजिस्ट्रारके निरीक्षण और अधीनता (मातहती) में करेगा जिसके जिलेमें ऐसे सब रजिस्ट्रार का दफ्तर वाके हो।

२ प्रत्येक रजिस्ट्रारको यह अधिकार होगा कि वह (फरियाद किए जानेपर अथवा वैसे ही) कोई हुक्म जारी करे, जो इस ऐक्टके अनुकूल हो, और जिसे वह अपने मातहत किसी सब रजिस्ट्रारके किसी काम अथवा भूलके सम्बन्धमें या उस किताब अथवा दफ्तरके विषयमें, जिसमें कोई दस्तावेज रजिस्ट्री किया गया है, किसी भूल (गलती) का संशोधन करनेके सम्बन्धमें दिया हो ।

दफा ६९ रजिस्ट्रीके दफ्तरोंका शासन करने और नियम बनाने के सम्बन्धमें इन्सपेक्टर जनरलके अधिकार

१ इन्सपेक्टर जनरलका उन प्रदेशोंके सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों पर शासन होगा जो स्थानीय सरकारके अधीन हैं, और उसे समय समय पर ऐसे नियम बनानेका अधिकार होगा जो इस ऐक्टके अनुकूल हों।

(ए) किताबों, कागजात और दस्तावेजोंको सुरक्षित रखनेके लिए,

(बी) इस बातका एलान करने के लिए कि कौन सी भाषाए (जबानें) प्रत्येक जिलामें आम तौर पर प्रयोगमें लाई जायगी,

(सी) इस बातका एलान करने के लिए कि कौन कौनसे भूमि भाग दफा २१ के अनुसार मान लिए गए समझे जायगे,

(डी) उन जुर्मानेाकी रकमोंको नियमित करनेके लिए, जोकि क्रमशः दफा २५ और ३४ के अनुसार किए गए हैं,

(ई) उन अधिकारोंके प्रयोगको नियमित करने के लिए, जो रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दफा ६३ के अनुसार दिए गए है,

(एफ्) उन फार्मोंको निश्चित करने के लिए, जिनमें कि रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दस्तावेजोंकी याददाश्त लिखनी चाहिए,

(जी) रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों द्वारा उन किताबोंकी सही की जाने के नियम निश्चित करने के लिए, जो किताबे उनके दफ्तरोंमें दफा ५१ के अनुसार रखी जायगी,

(एच) इस बातका एलान करनेके लिए कि क्रमशः १, २, ३ और ४ नम्बर की फेहरिस्तोंमें कौन कौनसी बातें लिखी जानी चाहिए,

(आई) उन छुट्टियो का एलान करने के लिये जो रजिस्ट्री के दफ्तरों में मनाई जायगी।

(जे) आम तौरसे रजिस्ट्रारों तथा सब रजिस्ट्रारों की कार्रवाइयों को नियम बद्ध करनेके लिए।

२ जो नियम इस प्रकार बनाये जायगे, वे स्थानीय सरकारके पास मंजूरीके लिए भेजे जायगे, और स्वीकृत हो जाने पर वे सरकारी गजटमें प्रकाशित किए जायगे, तथा प्रकाशित हो जाने पर उनका वही प्रभाव होगा मानेा वे इसी ऐक्टके अनुसार बनाए गए हों।

दफा ७० जुर्माना माफ करने के सम्बन्धमें इन्सपेक्टर-जनरल का अधिकार

इन्सपेक्टर-जनरलको अधिकार है कि वह अपने अधिकारका प्रयोग करके, दफा २५ या दफा ३४ के अनुसार किए गए किसी जुर्माना और रजिस्ट्रीकी उचित फीसकी रकमके बीच जो अन्तर पड़ता है, उसे सम्पूर्ण (कुल) या थोड़ा (जुज) माफ कर दें।

बारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करनेसे इन्कार किये जानेके विषयमें

दफा ७१ रजिस्ट्री करने से इन्कार किए जाने के कारण लिखे जाने चाहिये

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रारको चाहियेकि, जब वह सिवाय इस बिना पर कि जिस जायदादसे उनका सम्बन्ध है वह जायदाद उसके परगनेमें वाके नहीं है, किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्री करने से इन्कार करे तो, उस इन्कारीके सम्बन्धमें अपना हुक्म दे और ऐसे हुक्मके कारणोंको अपनी किताब नं० २ में दर्ज करे, तथा उस दस्तावेजकी पीठ (पुश्त) पर "रजिस्ट्री किए जानेसे इन्कार कीगई" ये शब्द लिख देने चाहिए, और किसी ऐसे आदमी द्वारा दरख्वास्त दिए जाने पर जिसने कि दस्तावेज लिखी (तकमीलकी) है या जो उसके अनुसार दावेदार है, बिना किसी फीस और अनावश्यक विलम्बके इस प्रकार लिखे गए कारणों की नक़ल दे दी जायगी।

२ कोई भी रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजको जिसकी पुश्त पर इस प्रकार इन्कारीका हुक्म लिख दिया गया है, रजिस्ट्रीके लिए उस समय तक मंजूर नहीं कर सकेगा, जब तक कि इसके बाद बतलाए हुए नियमोंके अनुसार उस दस्तावेजकी रजिस्ट्री का हुक्म न दे दिया गया हो।

दफा ७२ उन दशाओंके अतिरिक्त, जबकि दस्तावेज़के लिखे (तकमील किये) जाने से इन्कार करदी गई है, सब-रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये रजिस्ट्रीकी इन्कारीके हुक्मके विरुद्ध रजिस्ट्रारके पास अपील

१ सिवाय उस दशाके जब कि दस्तावेजके लिखने (तकमील किए जाने) से इन्कार किये जाने के कारण रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दीगईहो सब रजिस्ट्रारके उस हुक्मकी, जिसमें उसने दस्तावेजकी रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दी है (चाहे ऐसे दस्तावेजकी रजिस्ट्री अनिवार्य हो अथवा वैकल्पिक), अपील उस रजिस्ट्रारके यहां की जा सकेगी जिसके कि वह सब रजिस्ट्रार मातहत है, अगर वह ऐसे रजिस्ट्रारके पास उस हुक्मकी तारीख़से तीस दिन के भीतर पेश कीगई हो, तो रजिस्ट्रारको अधिकार होगा कि वह उस हुक्मको चाहे मसूख़ करे या बदल दे।

२ अगर रजिस्ट्रार अपने हुक्म में उस दस्तावेज की रजिस्ट्री किए जाने की आज्ञा देता है और ऐसे हुक्मके दिए जानेकी तारीख से तीस (३०) दिनके भीतर वह दस्तावेज बाकायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया जाता है, तो सब रजिस्ट्रार को वह हुक्म मानना चाहिए, और फिर, जहा तक सम्भव हो, दफा ५८, ५९ और ६० मे बतलाई हुइ कार्रवाई करनी चाहिए, और इस रजिस्ट्री का यही प्रभाव होगा मानो वह दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था, जब कि वह पहले पहल रजिस्ट्री के लिए बाकायदा पेश किया गया था।

दफा ७३ जब सब-रजिस्ट्रार दस्तावेज़के, लिखे जाने से इनकार करने के कारण, रजिस्ट्री करने से इन्कार करे, उस समय रजिस्ट्रारको दरख्वास्त

१ जब किसी सब रजिस्ट्रार ने किसी दस्तावेजको इस बिना पर रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिया हो कि कोई आदमी, जिसकी लिखो (तकमील कीगई) हुई वह बतलाई जाती है, या उसका प्रतिनिधि अथवा मुन्तकिल अलेह उसके लिखे जाने से इन्कार करता है, तो कोई आदमी, जो उसके अनुसार दावेदार है उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह अथवा कारिन्दा, जिसे उपरोक्त रीति से इसका अधिकार दिया गया हो, इनकारी का हुक्म दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर उस दस्तावेज के रजिस्ट्री करा पाने के अपने अधिकार को स्थापित करने की गरज से उस रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दे सकता है जिसके कि वह सब रजिस्ट्रार मातहत है।

२ यह दरख्वास्त लिखित (तहरीरी) होनी चाहिए और इसके साथ उन कारणो की एक नकल होगी, जो दफा ७१ के अनुसार दर्ज रजिस्टर किए गए है, और उस दरख्वास्त मे लिखी गई बातों की तसदीक सायल को इस तरह पर करनी चाहिए जैसा कानून के अनुसार अर्जीदावों की तसदीक के लिए आवश्यक है।

दफा ७४ ऐसी दरख्वास्तके ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

ऐसी दशा मे, और उस दशामे भी जब ऐसी इन्कारी, जिसका कि ऊपर वर्णन है, किसी दस्तावेज के सम्बन्ध मे, जो उसके सामने रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया है, किसी रजिस्ट्रार के सामने की गई हो, तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि जितनी जल्दी सुगमता के साथ हो सके वह नीचे लिखी बातों को दर्याफ्त कर ले —

(ए) क्या दस्तावेज लिखा (तकमील किया) गया है ?

(बी) क्या सायल अथवा उस व्यक्ति ने जो दस्तावेज को रजिस्ट्रीके लिए पेश कर रहा है, जैसी कुछ अवस्था हो, उन बातोंकी तामील कर

ली है जो उस समय प्रचलित किसी भी क़ानून के अनुसार आवश्यक है, जिससे दस्तावेज रजिस्ट्री के क़ाबिल हो सके।

दफा ७५ रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किये जानेके हुक्मका दिया जाना और उसके ऊपर कार्रवाई

१ अगर रजिस्ट्रार को यह मालूम होजाय कि दस्तावेज लिखा गया है और यह कि उपरोक्त आवश्यक बातों की तामील करली गई है, तो वह दस्तावेज की रजिस्ट्री किए जाने के लिए हुक्म दे देगा।

२ अगर ऐसे हुक्म के दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए बाक़ायदा पेश किया गया हो तो रजिस्ट्री करने वाले अफसर को चाहिए कि वह उस हुक्म का पालन करे और फिर, जहां तक सम्भव हो उस कार्रवाई को आरम्भ कर दे, जो दफा ५८, ५९ और ६० में बतलाई गई है।

३ ऐसी रजिस्ट्रीका वही प्रभाव होगा मानो वह दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था जिस समय वह पहिले पहल बाक़ायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया था।

४ रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह दफा ७४ के अनुसार की जाने वाली किसी जाच (Enquiry) की गरज से गवाहों को बजरिये सम्मन तलब करे और उन्हें हाजिर होने के लिए जोर डाले तथा उन्हें गवाही (शहादत) देने के लिए बाध्य करे, मानो वह अदालत दीवानी है और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस बातका निर्देश करे कि कौन शख्स ऐसी किसी जाच,(Enquiry) का पूरा अथवा कुछ अशमें खर्चा अदा करेगा, तथा ऐसा खर्चा उसी प्रकार वसूल किया जायगा मानो वह जाब्ता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी मुक़द्दमे में दिलाया गया हो।

दफा ७६ रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारीके हुक्मका दिया जाना

१ प्रत्येक रजिस्ट्रारको,—

(ए) जिसने किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करने से, सिवाय इस बिना पर कि जिस जायदाद से उसका सम्बन्ध है वह उसके जिले में वाके नहीं है, अथवा इस बिना परकि उस दस्तावेजकी रजिस्ट्री किसी सबरजिस्ट्रारके दफ्तर में होनी चाहिए, इन्कार कर दिया हो, या

(बी) जिसने दफा ७४ अथवा दफा ७५ के अनुसार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देने से इन्कार कर दिया हो,

चाहिए कि वह इस इन्कारी के सम्बन्ध में हुक्म दे और इस हुक्म के कारणों को अपनी किताब नं० २ में दर्ज करे, और किसी ऐसे आदमी द्वारा,

चौदहवाँ प्रकरण

दण्डके विषयमें

दफ़ा ८१ हानि पहुंचानेके इरादे से ग़लत तौर पर दस्तावेजों की तसदीक करने, नकल करने, अनुवाद तथा रजिस्ट्री करनेके लिये दण्ड

प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो, तथा प्रत्येक ऐसा आदमी, जो इस ऐक्टके अनुसार किये जाने वाले कामों के लिए उसके दफ्तर में नियुक्त किया गया हो और जिसे इसके नियमानुसार पेश किए गए या दाखिल (जमा) किए गए किसी दस्तावेजकी तस्दीक, नकल अनुवाद या रजिस्ट्री करनेका काम सिपुर्द किया गया हो, यदि वह उस दस्तावेज की तस्दीक, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्री ऐसे ढंग से करता है जिसे वह जानता है, या उसका विश्वास है, कि वह ग़लत है, और इस तरह पर किसी आदमीको कोई ऐसी हानि पहुंचाता है या यह जानता है कि उस ऐसी हानि पहुँचनेकी सम्भावना है जिसकी परिभाषा ताजीरात हिन्दमें की गई है तो, ऐसी मुद्दतकी सजा के, जो सात वर्ष तककी हो सकती है, या जुर्माना अथवा दोनों के, दण्डका भागी होगा।

दफ़ा ८२ ग़लत बयान करने, झूठी नकलें और अनुवाद देने, झूठमूठ कोई दूसरा आदमी बन जाने तथा किसीको अपराधके लिये उद्यत करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स—

(ए) किसी ऐसे अफसरके सामने, जो इस ऐक्टके नियमानुसार कार्य कर रहा हो, इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई या जाचमें जान-बूझकर कोई ग़लत (झूठा) बयान देगा, वह चाहे हलफके साथ हो या न हो और चाहे वह लिख लिया गया हो, या न लिखा गया हो, या

(बी) दफा १९ या दफा २१ के अनुसार किसी कार्रवाईमें किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसरको किसी दस्तावेजकी झूठी नकल या अनुवाद या किसी नकशा या खाकाकी झूठी नकल देगा, या

(डी) झूठमूठ दूसरा आदमी होनेका बहाना करता है, और ऐसे फ़र्ज़ी (फ़र्ज़ी) वेषम, किसी दस्तावेज को पेश करता है, या कोई स्वीकृति या बयान देता है, या कोई सम्मन या कमीशन जारी करवाता है, या इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली किसी कार्रवाई या जांचके सम्बन्धमें कोई और ऐसा ही काम करता है, या

(ई) किसी ऐसे काममें सहायक होता है जो इस ऐक्टके अनुसार दण्ड के योग्य (क़ाबिल सज़ा) है,

वह उतनी मुद्दतकी क़ैदकी सज़ाके, जो सात वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने या दोनोंके दण्डका भागी होगा।

दफा ८३ रजिस्ट्री करने वाले अफ़सरको मुकद्दमा चलाने का अधिकार

१ इस ऐक्टके अनुसार किए गए किसी अपराधके बारेमें, जिसका ज्ञान (इल्म) किसी रजिस्ट्री करने वाले अफ़सरको बहैसियत ऐसे अफसर के प्राप्त हो, चलाये जाने वाले मुकद्दमेंकी, कार्रवाई, इन्सपेक्टर-जनरल, सिंधके प्रान्त, इन्सपेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रारके द्वारा या उनकी आज्ञासे, जिनके प्रान्त, जिला अथवा परगनेमें, जैसी कुछ अवस्था हो, वह अपराध किया गया है, आरम्भ की जा सकती है।

२ उन अपराधोंके मुकद्दमे, जो इस ऐक्टके अनुसार दण्डके योग्य हैं कोई ऐसी अदालत या कोई ऐसा हाकिम कर सकेगा जिनके अख्त्यारात मजिस्ट्रेट दर्जा दोयमके अख्त्यारातसे कम न हों।

दफा ८४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझे जायंगे

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो ताज़ीरात हिन्दके अर्थमें सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझा जायगा।

२ प्रत्येक आदमी रजिस्ट्री करने वाले ऐसे अफसरको, जब वह उसे ऐसा करनेके लिये कहे, समाचार पहुँचानेके लिए क़ानूनन बाध्य होगा।

३ ताज़ीरात हिन्दकी दफा २२८ में "अदालती कार्रवाई" शब्दमें इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली कोई कार्रवाई शामिल समझी जायगी।

पन्द्रहवां प्रकरण



विविध



दफा ८५ जिन दस्तावेजों का कोई दावेदार न हो उनका नष्ट कर दिया जाना

वे दस्तावेज़ात (जो वसीयत नामा नहीं है,) जो किसी रजिस्ट्री के दफ्तरमें दो साल से अधिक समय तक इस प्रकार पड़े रहेंकि उनका कोई दावेदार खड़ा न हो, नष्ट कर दिए जायगे।

दफा ८६ रजिस्ट्री करने वाला अफसर किसी ऐसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे उसने बहैसियत ऐसे अफसर के नेक-नीयतीसे किया हो या इन्कार कर दिया हो

किसी भी रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर के ऊपर कोई नालिश, दावा या मतालिबा किसी ऐसी बातके कारण नहीं किया जा सकेगा जिसे उसने बहैसियत ऐसे अफसरके नेक नीयती से किया या इन्कार कर दिया है।

दफा ८७ इस तरह पर कीगई कोई भी बात नियुक्ति अथवा कार्रवाई में किसी त्रुटि के कारण नाजायज़ नहीं समझी जायगी

कोई भी बात जो किसी रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर ने, इस ऐक्ट के या किसी ऐसे ऐक्ट के अनुसार किया हो जो इस ऐक्ट के अनुसार अब मसूख होगया है, नेकनीयती से किया हो केवल इस कारण से नाजायज़ न समझी जायगी कि उसकी नियुक्ति अथवा कार्रवाई में कोई त्रुटि है।

दफा ८८ उन दस्तावेज़ों की रजिस्टी जिन्हें सरकारी अफसरों या सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने लिखा हो

यद्यपि इस ऐक्ट मे कोई बात ऐसी हो, तो भी किसी सरकारी अफ़सर के लिये या बंगाल, मद्रास या बम्बई के ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के लिए या किसी

आफिशियल ट्रस्टी या आफिशियल असाइनीके लिए या, किसी हाईकोर्टके रजिस्ट्रार शेरीफ़ (Sheriff) या रिसीवर के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे दस्तावेजके सम्बन्धमें जिसे उसने पदैसियत ऐसे पदाधिकारी (ओहदेदार) के लिखा है, होने वाली कार्रवाई में स्वयं (असालतन) या बजरिये अपने कारिन्दे के किसी रजिस्ट्री के दफ्तर में हाजिर हो या दफा ५८ में बतलाए अनुसार हस्ताक्षर (दस्तखत) करे।

२ जब कोई दस्तावेज इस तरह पर लिखा गया हो तो रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जिसके सामने वह दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया हो, अगर वह उचित समझे तो, उसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए राज-मन्त्री (गवर्नमेंटके किसी सिक्रेटरी) के पास या ऐसे सरकारी अफसर, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, आफिशियल ट्रस्टी, शेरीफ़ (Sheriff) रिसीवर या रजिस्ट्रारके पास उस मामले को भेज सकता है और उसके लिखे जाने (तकमील) के सम्बन्ध में इतमीनान कर लेने पर वह उस दस्तावेज की रजिस्ट्री कर देगा।

दफा ८९ कुछ हुक्मों, सार्टीफिकटों तथा दस्तावेजों की नक़लों का रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेजा जाना और उनका फाइल किया जाना

१ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो लैण्ड इम्पूवमट ऐक्ट सन् १८८३ ई० के अनुसार किसी कर्ज की मंजूरी दे रहा हो, चाहिए कि वह अपने हुक्म की एक नक़ल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसरके पास भेजदे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर कुल अथवा कुछ भाग उस आराज़ी का, जिसकी उन्नति करना है, या उस आराजी का, जो बतौर उसकी क़िफ़ालत मजीद के दीजानी है, वाके है; और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा।

२ प्रत्येक ऐसी अदालत को, जो जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी जायदाद गैर-मनकूला की नीलाम का सार्टीफ़िकेट दे रही हो, चाहिए कि वह ऐसे सार्टीफिकट की एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर को भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर वह जायदाद गैर मनकूलाका कुल या कोई हिस्सा वाके है जो इस सार्टीफिकट में शामिल है, और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा।

३ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो ऐग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट सन् १८८४ ई० के अनुसार किसी कर्ज की मंजूरी दे रहा हो, चाहिएकि वह उस दस्तावेजकी, जिस के अनुसार कर्जा के वापस दिला पाने के लिए जायदाद गैर मनकूला रेहन की गई है, एक नकल और, अगर कर्जाकी मंजूरी देने वाले हुक्ममें उसी कामके लिये

ऐसी कोई जायदाद रेहन की गई है तो, उस हुक्म की भी एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर इस प्रकार रेहन की गई जायदाद का कुल या कुछ हिस्सा वाके है, और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल या उन नकलों को, जैसी कि अवस्था हो, अपनी किताब नं० १ में दर्ज कर लेगा।

४ प्रत्येक रेविन्यू अफसर को जो उस जायदाद गैर-मनकूलाके खरीदार को नीलामका सार्टिफिकट दे रहा हो जो आम नीलाममें फरोख्त कागई है चाहिए कि ऐसे सार्टिफिकट की एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर सार्टीफिकट में शामिल जायदाद का कुल या कुछ हिस्सा वाके है, और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा।

वे कागज़ात जिनपर यह ऐक्ट लागू नहीं है

दफा ९० सरकार द्वारा या उसके हकमें लिखेगए कुछ दस्तावेज़ों का अलगाव

१ इस ऐक्ट मे या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० मे या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७१ई० मे या किसी ऐक्टमें, जो उसके अनुसार मन्सूख कर दिया जा चुका है, कोईभी बात ऐसी न समझी जायगी जिसके अनुसार नीचे लिखे किसी दस्तावेज या नकशे की रजिस्ट्री की आवश्यकता हो या हुई हो, अर्थात्—

(ए) उन दस्तावेज़ों (कागज़ात) की जिनको किसी ऐसे अफसर (हाकिम) ने जमा किया हो, प्राप्त किया हो, या तस्दीक किया हो जो मालगुजारी का बन्दोबस्त करने या बन्दोबस्त को दोहराने में लगा हुआ हो और जो दस्तावेज ऐसे बन्दोबस्त के कागज़ात का एक हिस्सा हो, या

(बी) उन दस्तावेजों और नकशों की जिनको किसी ऐसे अफसर ने जारी किया हो, प्राप्त किया हो या सही किया हो जो सरकार की ओर से किसी आराजी (ज़मीन) की पैमायश करने या पैमायश को दोहराने में लगा हुआ हो, और जो दस्तावेज ऐसी पैमाइश के कागजात का एक हिस्सा हो, या

(सी) उन कागज़ात की जो उस समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार एक निश्चित समय पर पटवारी लोग या दूसरे अफसर, जिनको गांवके स्याहा तैयार करनेका काम सिपुर्द किया गया है, किसी दफ्तर (Revenue office) में दाखिल किया करते हैं, या

(डी) उन सनदों, इनाम के लेख पत्रों (Inam title deeds) तथा दूसरे ऐसे कागज़ात की जो सरकार द्वारा ज़मीन के या ज़मीन में किया

हक के सम्बन्ध म दिए गए दान पत्र (Grant) या दस्तावेज इन्तकाल हैं या प्रमाणित होते हैं, या

(ई) बम्बई लैण्ड रैविन्यू ऐक्ट सन् १८७९ ई० दफा ७४ या दफा ७६ के अनुसार दखीलकारों द्वारा दिए गए अपनी दखल के इस्तीफों की या ऐसी जमीन के जमीन्दारों द्वारा किए गए इन्तकाल आराजी की नोटिसों की।

२ ऐसे सभी कागजात (दस्तावेजात) और नकशे दफा ४८ और ४९ के प्रयोजन के लिए इस ऐक्ट के नियमानुसार रजिस्ट्री किये गए हुए और रजिस्ट्री किए जाने वाले समझे जायग।

दफा ९१ ऐसे दस्तावेज़ातका निरीक्षण और नकलें

ऐसे नियमों पर और ऐसी फीस के पेशगी अदा कर दिये जाने पर, जिन्हें स्थानीय सरकार इस सम्बन्धमे निधारित (निश्चित) करे, सभी वे दस्तावेजात (कागजात) और नकशे जिनका वर्णन दफा ९०, क्लॉज (ए), (बी), (सी) और (ई) म किया गया है और दस्तावेजों के सभी रजिस्टर जिनका वर्णन क्लॉज (डी) म किया गया है, उन सभी आदमियों के देखने के लिए खुले रहेंगे जो इसके लिए दरख्वास्त दें, और उन्हीं बातों की पाबन्दी में रहते हुए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे दस्तावेजों की नकलें उन सभी आदमियों को दी जायगी जो उनके लिए दरख्वास्त करें।

दफा ९२ ब्रह्मा के रजिस्ट्री के नियमोंकी स्वीकृति

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० के आरम्भ होने से पूर्व रजिस्ट्री सम्बन्धी जिन नियमों का प्रयोग लोअर बर्मा (ब्रह्मा) में किया जाता था वे कानून समझे जायगे, और उपरोक्त किसी नियम के अनुसार कीगई किसी बात के सम्बन्ध म किसी अफसर या दूसरे आदमी के विरुद्ध कोई नालिश या कार्रवाई न की जा सकेगी।

मंसूखी

दफा ९३ मंसूखी

१ परिशिष्ट भाग में बतलाए हुए कानूनों का उतना अंश मंसूख किया जाता है जिसका विवरण उसके चौथे कालम मे दिया हुआ है।

२ इस दफा में कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो किसी ऐसे कानून के नियमों पर कोई प्रभाव डाल सके, जो (कानून) ब्रिटिश भारत के किसी भी भाग म प्रचलित है और जो स्पष्टत इस ऐक्ट के अनुसार मंसूख नहीं किया गया है।

पैदा करता है जो, जब कि उसकी तकमील होजायगी, किसी भी ऐसे हक़ हकीयत या हिस्से को पैदा करेगा, एलान करेगा, मुन्तकिल करेगा, सीमाबद्ध करेगा या नष्ट करेगा, या

(६) किसी अदालत की किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें या किसी पंचायती फैसला के सम्बन्धमें, या

(८) किसी मुहतमिम माल (Revenue officer) द्वारा किए गए घटनाके के दस्तावेज के सम्बन्ध में, या

(११) किसी दस्तावेज रेहननामा की पुश्तपर कीगयी तहरीर जहरी (Endorsement) के सम्बन्ध में जिससे जर-रेहन के कुल या किसी हिस्से की अदायगी को स्वीकार किया गया हो, या किसी दूसरी रसीद के सम्बन्ध में, जो किसी रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये की निस्बत लिखी गई हो, जब कि रसीद का मंशा उस रेहननामा को नष्ट कर देने का न हो, या

(१२) किसी भी नीलाम के सार्टीफिकट के सम्बन्ध में जो किसी दीवानी या माल के हाकिम द्वारा नीलाम कीगई जायदाद के खरीदार को दिया गया हो।

[क्लॉज २, ३, ४, ७, ९, और १० के लिए देखो दफा १७ रजिस्टेशन ऐक्ट]

३ किसी लड़के को गोद (दत्तक) लेने के लिए दिए गए अधिकार पत्र की भी, जो तारीख १ जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद लिया गया हो और जो वसीयत के जरिये दे न दिया गया हो, रजिस्ट्री की जानी चाहिए (देखो दफा १७ रजिस्टेशन ऐक्ट)

जिन दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री इच्छा पर निर्भर (मुताअदी) है

उनका वर्णन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट कीदफा १८ मे किया गया है। वे ये है.—

(ए) वे दस्तावेज (सिवाय हिबानामा और वसीयतनामे के) जो किसी जायदाद गैर मनकूला में या उसके लिए एक सौ रुपया से कम की मालियत के किसी हक़, हकीयत या हिस्से को चाहे वह प्राप्त (हासिलशुद) हो या उसपर निर्भर (Contingent) हो पैदा करता हो, एलान करता हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या जिसका मंशा ऐसा करने का हो, फिर वह चाहे वर्तमान समय के लिए हो या भविष्य के लिए,

(बी) वे दस्तावेज जो ऐसे किसी हक़, हकीयत या हिस्से के पैदा किए जाने, एलान किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, सीमाबद्ध किए जाने या नष्ट किए जाने के बदले में कीगई रुपये की वसूलयाबी या अदायगी को स्वीकार करता हो;

(सी) किसी मुद्दत के लिए, जो एक साल से अधिक न होगी, किए गए जायदाद गैर मनकूला के पट्टे, और वे पट्टे जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं,

(डी) वे दस्तावेज (सिवाय वसीयतनामा के) जो किसी जायदाद मनकूला में या उसके लिए किसी हक, हकीयत या हिस्से को पैदा करता हो, एलान करता हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या उसका मंशा ऐसा करने का हो,

(ई) वसीयतनामे, और

(एफ) तमाम ऐसे दूसरे दस्तावेज जिनकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है [दफा १८ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट],

व्याख्या—दफा १७ एक ऐसी दफा है जो मनुष्य को विवश कर देती है। दफा १७ और १८ का जो सम्मिलित प्रभाव है वह संक्षेप में इस प्रकार है —

जायदाद गैर मनकूला के हिबानामों की रजिस्ट्री जरूरी है, फिर उन की रकम चाहे कुछ भी हो। हिबा की परिभाषा कानून-इन्तकाल जायदाद की दफा १२२में कीगई है। कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १२३के अनुसार दस्तावेज हिबानामा के ऊपर कमसे कम दो गवाहों की तस्दीक भी होनी चाहिए जैसा कि रेहननामों में होता है (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १२३] जायदाद मनकूला रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजके जरिये हिबाकी जा सकती है और जायदादको हवाले करके। जायदाद गैर मनकूला की मुन्तकिली के दूसरे दस्तवेजों की अर्थात जो किसी हक (Right) या हकीयत (Title) को पैदा करते हों, एलान करते हों, मुन्तकिल करते हों, सीमाबद्ध करते हों या नष्ट करते हों, उदाहरणार्थ, दस्तावेज बयनामा, रेहननामा, बदलाव, हवालगी और दस्तबरदारी (Release) इत्यादि की, भी रजिस्ट्री अवश्य की जानी चाहिए, अगर उस जायदाद की मालियत १००) रु० या उससे अधिक हो। अगर मालियत १००) से कम है, तो उसकी रजिस्ट्री इच्छापर निर्भर करती है अर्थात वह लाजिमी नहीं मुताअल्दी है, सिवाय रेहनसादा के जिसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है, चाहे उसकी मालियत १००)रु० से कम क्यो न हो [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९], उपरोक्त नियमोंके परिणाम स्वरूप उन दस्तावेजोंकी भी रजिस्ट्री जरूर कराई जानी चाहिए जिनसे १००) रु० या उससे अधिक की मालियत की जायदाद गैर मनकूला के ऐसे किसी हक या हकीयत के पैदा किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, नष्ट किए जाने इत्यादि के बदले में कीगई किसी रकम की वसूलयाबी को स्वीकार किया गया हो। उदाहरण के लिए वह रसीद जो किसी जायदाद गैर मनकूला के खरीदार की ओर से उसके बेचने वाले (Vendor) को उस रुपये की बाबत, जोकि दुबारा खरीद की बाबत दिया गया है, इस शर्त के साथ दीगई हो कि इस दुबारा फरोख्त (Resale) की निस्बत एक स्टाम्प लगा हुआ दस्तावेज लिख दिया जायगा, देखो 21 B 533 इसी प्रकार वह रसीद भी जो मुर्तहिन के अधिकारो (हकूक) को नष्ट कर दिए जाने के

लिए कीगई जर-रेहन की अदायगी के लिए दीगई हो, देखो 6 A 335; लेकिन जर-रेहन के किसी एक हिस्से की अदायगी की रसीद नहीं, देखो 40 I. C. 893 (M), 3 M 53 अगर मालियत १००) रु० से कम है, तो ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराना इच्छापर निर्भर करता है।

जायदाद गैर-मनकूला के सालाना पट्टों, या किसी मुद्दत के, जो एक साल से अधिक न हो, पट्टा अथवा ऐसे पट्टों की, जिनसे सालाना लगान (या किराया) की रक्षा होती है, रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है [देखो दफा १७ (डी), रजिस्ट्रेशन ऐक्ट] यह क्लॉज कानून इन्तकाल जायदाद की दफा १ के पैरा १ के समान है जो ज़िराअती पट्टा के सम्बन्ध मे लागू नहीं होता। पट्टा (Lease) की परिभाषा कानून-इन्तकाल जायदाद की दफा १०५ में कीगई है दफा १०७ में पट्टों का उल्लेख है, अर्थात् जायदाद की वाकई मुन्तकिली के पट्टा का पट्टा देने के इकरारनामा का नहीं (देखो 25 C. W N 220) रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार पट्टा (Lease) में मुस्तजा, कबूलियत, जोतने या कब्जा करनेके लिए इकरारनामा और पट्टा देनेका इकरार भी शामिल है (देखो दफा२(७), रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), यह बात स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे पट्टा के लिखने का इकरार, जिसकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है, मोजूदा इन्तकाल जायदाद के अनुसार होना चाहिए (देखो *47 C 485 P C,25 C W N 550,44 M* 399), जायदाद गैर मनकूला के उन पट्टों की रजिस्ट्री जिनकी मुद्दत एक साल से अधिक नहीं है, और उन पट्टों की, जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं, लाजिमी नहीं हैं बल्कि वह लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है।

स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार, वह पट्टा, जो किसी काश्तकार के सम्बन्ध में वास्ते काश्तके लिखा गया हो (इसमे उन दरख्तों का पट्टा भी शामिल है जो खाने या पीने की चीज़ें पैदा करने के लिए दिए गए हों), और जिसमें किसी जुर्माने या किस्त की अदायगी या हवालगी न हो, स्टाम्प से मुस्तसना होगा, जब कि कोई खास मुद्दत जाहिर कर दीगई हो और ऐसी मुद्दत एक साल से जायद न हो, या जब कि सालाना लगान (या किराया) की रकम एक साल से ज्यादा न हो।

गोद लेने सम्बन्धी अधिकार पत्रकी,जो वसीयतनामेमें न हो,अवश्य रजिस्ट्री की जानी चाहिए। वसीयतनामा की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है। दफा१७के क्लॉज (बी) और (सी) में *दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी)* होने के सम्बन्ध मे जो *नियम* बतलाए गए हैं वे उक्त दफा की उप-दफा २ मे बतलाए गए दस्तावेजो के सम्बन्ध मे लागू नहीं होते।

उन दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री न कराने का परिणाम जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है दफा १७ के साथ साथ दफा ४९ के नियमों को भी ध्यान में रख लेना अत्यावश्यक है जो इस प्रकार है—

"दफा ४९—कोई भी ऐसा दस्तावेज, जिसकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री अनिवार्य है—

(ए) उसमें बतलाई हुई किसी भी जायदाद गैर मनकूला पर कोई असर न डाल सकेगा, या

(बी) गोद ऐसे सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगा, या

(सी) किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में शहादत में न लिया जा सकेगा जिससे ऐसी जायदाद पर कोई असर पड़ता हो या जिससे ऐसा अधिकार दिया गया हो, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय।

व्याख्या—दफा ४९ को रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ और कानून शहादत की दफा ९१ के साथ पढ़ना चाहिए। "असर पड़ता हो" के सम्बन्ध में देखो 40 M 319 यद्यपि दफा ४९ किसी ऐसे बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज को कुबूल किये जाने से रोकती है जिसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, तथापि इसी तरह के दूसरे मामलों में यह कुबूल किया जा सकता है, जैसे यह दिखलाने के लिए कि कब्जा कैसा है और कब्ज की तारीख क्या है (देखो 6 M L T 194; 45 A 565).

रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज पेश करने का समय—वसीयतनामाको छोड़ (देखो दफा २७, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीके लिये लिया न जायगा जबतक कि तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर न पेश किया गया हो (दफा २३) जब किसी दस्तावेज की तकमील भिन्न भिन्न आदमियों ने भिन्न भिन्न समयों पर की हो तो वह हर एक तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर रजिस्ट्री (Registration) तथा दुबारा रजिस्ट्री (Re-Registration) के लिये पेश किया जा सकता है (दफा २४) । जब विलम्ब का कारण कोई अनिवार्य घटना हो और चार महीने से अधिक विलम्ब न हुआ हो तो रजिस्ट्रार, जुर्माना अदा कर देने पर उसे ले सकता है जिसकी तादाद रजिस्ट्री फीस की रकम के दसगुने से ज्यादा न होगी (दफा २५) ।

व्याख्या—जो दस्तावेज पेश किया गया है उसपर तारीख होने की जरूरत नहीं है। मियाद की तारीख साबित करने के लिये कागजी या जबानी शहादत मान ली जा सकती है देखो C L J 126, फरीकैन के आचरणों से मियादकी मुद्दत पर कोई असर नहीं पड़ता देखो 5 C 820 एक दस्तावेज रेहननामा के तकमील कुनिन्दा ने चार महीने बाद तारीख बदल कर उसकी रजिस्ट्री कराई। अगर यह मान भी लिया जाय कि उसकी रजिस्ट्री बेजा हुई थी लेकिन उसमें कोई उज्रदारी नहीं कर सकता देखो 16 C W N. 585, ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री नाजायज है जो समय के बाद पेश किये गये हों देखो 43 M 288

रजिस्ट्री करानेका स्थान—दफा १७ (१) क्लाज (ए)., (बी), (सी) और (डी) तथा दफा १८ के क्लॉज (ए), (बी) और (सी) में बतलाए हुए दस्तावेज उस वक्त रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जांयगे जिसके परगने (Sub District) में वह कुल या कुछ जायदाद जिसके सम्बन्ध में वह दस्तावेज है, वाक़े है (दफा०

२८)। दूसरे दस्तावेज भी किसी ऐसे दफ्तर में पेश किए जा सकते है जहांपर फरीकैन उनकी रजिस्ट्री कराना चाहते हो (दफा २९)। खास वजह होने पर किसी शख्स के मकान पर भी रजिस्ट्री की जा सकती है (दफा ३१)।

व्याख्या—अगर कोई जायदाद, जो दूसरे जिला मे वाके है, फर्जी तौरपर (Fictitiously) किसी दस्तावेज में इस इरादे से शामिल कर दी गई हो कि उनकी रजिस्ट्री उस जिले मे की जाय, यद्यपि दोनो फरीकैन ने कभी भी जान बूझ कर यह इरादा नही किया था कि वह जमानत मे शामिल की जाय तो रजिस्ट्री नाजायज हो जायगी, देखो 25 C W N 985 P C , 60 I C 833, 48 C 509, 40 M L J 489; इसी प्रकार जब दस्तावेज रेहननामा मे बतलाई गई जायदाद का हिस्सा राहिनों की मिल्कियत नही था और उसमें सिर्फ इसलिये शामिल कर दिया गया था कि रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा हो जाय तय हुआ कि यह फरेब है और इसलिए रजिस्ट्री नाजायज है देखो 46 M 435, 41 C 972 P C ; 55 I C 511, 43 M 436, 49 I C 543, (A) जब किसी दस्तावेज रेहननामा की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर कराई गई हो जहा पर उस जायदाद का केवल एक हिस्सा ही वाके है यद्यपि वह जायदाद राहिन की न भी हो तो वह अपने ही फरेब के काम से फायदा नहीं उठा सकता, देखो 66 I C 681 (A) एक दस्तावेज रेहननामा में दूसरी मद इस लिये शामिल कर दी गई थी कि उस दस्तावेज की रजिस्ट्री राहिन के मकान के पास के स्थान पर कराई जाय, तय हुआ कि यह एक जायज रेहननामा है देखो 38 M L J 251, 58 I C 849; [M], 4 Pat L J 433, 52 I C 446

जिस दस्तावेज की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर की गई हो जहांपर उस जायदादका, जिसकी निस्वत वह दस्तावेज लिखा गया है कोईभी हिस्सा वाके नही है वह दस्तावेज नाजायज है और शहादत मे कुबूल किए जानेके काबिल नहीं है देखो 3 L 242, 41 C 972, 49 I C 343; 26 C W N 369

अगर फरेब नही किया गया है तो सिर्फ इस बात से कि इन्तकाल कुनिन्दा को उस जायदाद के सम्बन्धमें कोई हकीयत हासिल नहींहै जिससे सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा होता हो वह रजिस्ट्री नाजायज नहीं हो जाती देखो 44 I. C 399, (P) , 48 I C 200, A

रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज कौन पेश कर सक्ता है—रजिस्ट्री किए जाने वाले दस्तावेजों को नीचे लिखे आदमी पेश कर सकते हैं —

(ए) वह शख्स जिसने उसकी तकमील की हो या जो उसकी निस्वत दावेदार हो, अथवा अगर कोई डिकरी या हुक्म है तो वह शख्स जो उस डिकरी या हुक्म की निस्वत दावेदार हो, या

(बी) ऐसे शख्स का मुन्तकिल अलेह या प्रतिनिधि, या

(सी) ऐसे शख्स का मुख्तार, प्रतिनिधि या मुन्तकिल अलेह, जिसे बजरिये तहरीरी और तस्दीक शुदः मुख्तारनामाके बाकायदा अख्त्यार दिया गया है (दफा ३२)।

व्याख्या—"प्रतिनिधि" से तात्पर्य कानूनी प्रतिनिधि से है या दफा २ के अनुसार वली अथवा उन लोगों की कमेटी से है जिनका पूरा पूरा पता व निशान बतलाया गया हो इसमें मुहर्रिर या मुख्तार शामिल नहीं है। प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में दफा ३२ के नियम ताकीदी है देखो 50 C 166 P C, 44 M L J 732, 26 C W N 369 P C, 68 I C 754

दस्तावेज की पुश्त पर सब रजिस्ट्रार की ओर से यह लिख दिए जाने से कि दस्तावेज बाकायदा तौर पर उस आदमी द्वारा पेश किया गया है जिसके पास मुख्तारनामा मौजूद था, यह अनुमान होता है कि इस मुख्तारनामा की बाजाब्ता तकमील की गई थी देखो 41 A 375 P C, 69 I C 44, 67 I C 315.

किसी ऐसे शख्स द्वारा पेश किए जाने से, जिसे रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार पेश करने का अधिकार नहीं है, दस्तावेज नाजायज हो जाती है, 50 C. 166 P C, 2 L 5, 58 I C 333

जब कोई दस्तावेज किसी शख्स ने अपनी ओरसे तथा किसी दूसरे शख्स की ओर से लिखा हो, तो उसे उसके पेश करने का पूर्ण अधिकार है देखो 31 C L J 447

रजिस्ट्री करने से इन्कार—अगर कोई शख्स किसी दस्तावेज की तकमीली से जो उसके सामने पेश किया है इन्कार कर दे तो सब रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री से इन्कार कर देगा [दफा ३५ (३) (ए)] अगर सबरजिस्ट्रार ऐसे कर सकने सम्बन्धी अपने अधिकार के अतिरिक्त और किसी कारण से किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री ना मंजूर कर दे तो उसे इसके लिए कारण लिखना चाहिए और उस दस्तावेज की पुश्त पर ये शब्द लिख देने चाहिए कि " रजिस्ट्री ना मंजूर की गई„ (दफा ७१)।

सिवाय उस दशा में जबकि रजिस्ट्री इस बिना पर नामंजूर कर दी गई हो कि दस्तावेज की तकमील से इन्कार कर दी गई है, रजिस्ट्रार के यहां अपील की जा सकेगी अगर वह तीस दिन के भीतर पेश की गई हो (दफा ७२)

जब सब रजिस्ट्रार ने इस बिना पर रजिस्ट्री करने से इन्कार करदी हो कि दस्तावेज की तकमील से इन्कार की जाती है तो वह शख्स जो इससे नाराज है या उसका प्रतिनिधि तीस दिनके भीतर रजिस्ट्रारको यह दरख्वास्त दे सकता है कि दस्तावेज रजिस्ट्री करा पाने सम्बन्धी उसका अधिकार मान लिया जाय इस दरख्वास्त की बाकायदा तस्दीक की जानी चाहिए और उसके साथ दफा ७१ में बतलाई हुई वजहोंकी नकल शामिलकी जानी चाहिये (दफा ७३)।रजिस्ट्रार

इस मामले की जांच करेगा और अगर उसे उस दस्तावेज की वकमोली क निस्वत इतमीनान हो जाय तो दफ़ा ७७ में बतलाये अनुसार उस दस्तावेज क रजिस्ट्री का हुक्म दे देगा।

रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री से इन्कार कर देने पर दीवानी नालिश—जब रजिस्ट्रार दफ़ा ७२ या दफ़ा ७६ क अनुसार रजिस्ट्रीका हुक्म देनेसे इन्कार कर दिया हो, तो जिस शख्स को इससे नाराजी है वह या उसका प्रतिनिधि उस हुक्म की तारीख से ३० दिन के भीतर अदालत दीवानी में नालिश दायर कर सकता है कि दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म दिये जाने की डिकरी दी जाय (दफा ७७)

दफ़ा १७ जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्री अनिवार्य है—अमाळनामा, जिसमें यह व्यवस्था कीगई हो कि लगान साल ब साल अदा किया जाय, यह कि असामी पैमायश और लगान का तस्फ़िया करे और यह कि पट्टा और कबूलियत एक महीने के भीतर लिख दिए जाय, पट्टा देने का इकरारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 18 C W N 38, 7 Cal 703 F B.

बिना रजिस्ट्री किए हुए हुक्मनामा की, जिसपर एक आना का स्टाम्प लगा हो और जिसका मशा पट्टा (Lease) पैदा करना है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है और जिसका लगान २॥) रु० मुकर्रर किया गया है, रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 1922 Pat 10 1922 P. 265

पट्टा देने के इकरारनामा के अर्थ के सम्बन्ध मे देखो 47. C 485 P C; 71 I C 466, 45 A 220

इसबात का विचार करने मे, कि अमुक पट्टे की रजिस्ट्री कराना लाजिमी है या नहीं, जिस बात की जांच करना जरूरी है वह यह है कि पट्टा सिर्फ एक साल के लिए ही दिया गया था या एक साल से अधिक के लिए। जब कोई पट्टा सिर्फ एक साल के लिए हो लेकिन पट्टेदार को यह अख्तियार दिया गया हो कि अपनी इच्छा से वह एक साल से अधिक समय तक भी क़ाबिज रह सकता है, तो इस अधिकार से एक से अधिक समय तक के लिए पट्टे की मियाद बढ़ नहीं जाती और ऐसी दशा में उस दस्तावेज की रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 37 C L J 475, 70 I C 570 पट्टा देने को जिस इकरारनामा की रजिस्ट्री जरूरी है, वह ऐसा होना चाहिए जिससे जायदाद पर फौरन कब्जा दिए जाने की बात हो, देखो 44 M 399, 62 I C 354, 54 I C 134 (B), 26 C W N 329

एक रसीद में बयाने के तौर पर २५) रु० की रकम की अदायगी स्वीकार कीगई और उसमे इकरार किया गया कि मुद्दई को अमुक जमीन का पट्टा दिया जायगा। तय हुआ कि इसकी रजिस्ट्री कराई जाना जरूरी है, देखो 4 L 344; 73 I C 927

यह पट्टा जो एक साल के लिए दिया गया हो और जिसमें दूसरे साल के लिए पट्टा बदल देने का भी अधिकार हो, ऐसा पट्टा नहीं है जिसकी मियाद एक साल से अधिक हो, देखो 17 C 548, 14 M 271, 8 Bom L R 581 साल बसाल कब्जा देने का इकरारनामा वास्तव में साल ब साल पट्टा देने का इक़रारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 17 C L J 167

जब पट्टा देने के इकरारनामा की बात एक से अधिक पत्रों से प्रकट हो गई हो, तो कुल लिखा पढ़ी की, विशेष कर उस पत्र की जिसमें पट्टा देने और लेने की बात है, रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 30 M L. J 519

पट्टा देने का इकरारनामा उस समय तक जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न हुई हो, ऐसे इकरारनामा की तामील खासक लिए कीगई नालिश में शहादत मे क़ुबूल न किया जायगा। फिर चाहे कब्जा दिया गया हो या न दिया गया हो, देखो 8 I C 520, 16 I C 390, 72 I C 98 (C)

एक पत्र (खत) में पट्टा शुरू होने की मियाद दी हुई थी और उसमें यह लिखा हुआ था कि एक बाक़ायदा पट्टा लिखकर उसकी रजिस्ट्री करा दी जायगी। उसमें यह भी लिखा था कि इस पत्र (खत) की खास खास शर्तें दोनों फरीक़ैनके लिए मान्य होंगी। तब हुआ कि बिना रजिस्ट्री के वह क़ाबिल तस्लीम नहीं है, देखो 45 A 220, 71 I C 452

पटनीपट्टाके लिये लिखा गया बयाना पत्र जिसमें बदले में मिलने वाले रुपये के एक हिस्से की अदायगी को क़ुबूल किया गया है और जिसमें यह शर्त है कि बयाना पत्र की तारीख से फिर पट्टा दे दिया जायगा और एक निश्चित तारीख के पहिले पट्टा और कबूलियत लिख दिये जायगे, पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है और उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है देखो 25 C W N 550, 64 I C 747, 24 C W N 177 P C , 37 C 808,

पट्टा देने का इकरारनामा, जिससे उसी समय आराजी दे दी गई हो दफा १७ (डी) मे बतलाया हुआ इकरारनामा है और तामील खास की नालिश मे शहादत म क़ुबूल किए जाने के क़ाबिल नहीं है अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसकी रजिस्ट्री तो भी होना चाहिये यद्यपि उक्त इक़रारनामा के अनुसार असामी क़ाबिज भी हो गया हो देखो 26 C W N 329 49 C 507

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा ४९ सिर्फ उन्ही दस्तावेजों के सम्बन्ध म लागू होती है जिनकी रजिस्ट्री उस ऐक्ट की दफा १७ के अनुसार की जाने को है उन दस्तावेजों के सम्बन्ध म लागू नहीं होती जिनकी रजिस्ट्री बगाल टिनैंसी ऐक्ट के अनुसार की जाने को है। इसलिये एक साल से अधिक के लिये दिया गया बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा जिसकी रजिस्ट्री कानून इन्तकाल जायदाद की दफा १०७ के अनुसार रजिस्ट्री कराई जाती है रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ के

अनुसार नहीं, उस दस्तावेज़ के अनुसार क़ब्जे की किस्म को साबित करने के लिए क़बूल किए जाने के क़ाबिल है देखो 44 M 55 F B 59 I C 350

रेहन सादा के राहिन की ओर से लिखे गये पत्र (ख़त) के जिसमें रेहन करने का उद्देश्य क्या है यह दिखलाया गया है कि रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है देखो 22 C N W 758

किसी डिक्री की इजरा मुल्तवी कराने के लिये लिखे गये तमस्सुक की जिसके जरिये १००) रु० से ज़्यादा मालियत की जायदाद रेहन कर दी गई हो रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 53 I. C 463 (L), 31 M 330.

किसी बयनामा के बाद लिखा गया इक़रारनामा, जिसमे रुपया अदा कर देने पर फ़क्क रेहनी की शर्त की गई है वास्तव में रेहननामा है और वह रजिस्ट्री के क़ाबिल है देखो 72 I C 34, 1 Bur L J 223

ऐसे इक़रारनामा की जिससे किसी रेहननामा की शर्तों मे रद बदल की गई हो रजिस्ट्री लाजिमी है. देखो 17 C W N 233 P C

किसी रजिस्ट्री शुद दस्तावेज की शर्तों को बदलने वाले दस्तावेज की जरूर रजिस्ट्री होनी चाहिये, देखो 27 C L I 107.

रेहननामा के ऊपर दिया हुआ क़र्जा जायदाद गैर मनकूला है। अगर किसी दस्तावेज के जरिये उसकी मुन्तक़िली कर दी गई है और उसकी मालियत १००) रु० से अधिक है तो उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है देखो 22 C W. N 641

ऐसे दस्तावेज की जिससे मुर्तहिन अपने जर रेहनमें से १००) रु०से अधिक की रकम छोड़ देने का इक़रार करे रजिस्ट्री लाजिमी है देखो 44 I C 132, 34 M L J 79 35 A 202

यह इक़रारनामा जिससे असली और जाती जायदाद के कुल हक़ूक़ इस बिना पर छोड़ दिये गये कि मुद्दा अलेह गोधाला को १०००) रु० की रकम दे देगा बिना रजिस्ट्री के क़बूल किये जाने के क़ाबिल नहीं है देखो 56 I C 595 (L)

ऐसा दस्तावेज, जिससे किसी मौजूदा पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान की रकम में फेर बदल किया गया हो, देखो 16 C W N 55 F B, 10 C L J 570, 37 C 293 रजिस्ट्री होगी।

ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान मे रद-बदल करने के लिए मुआहिदा किया गया हो, वास्तव मे पट्टा (Lease) है। और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 27 C L J 107; 35 Cal 1010, 39 Cal 284 जिस दस्तावेज मे पहिले के किसी पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान के कम करने का इक़रारनामा किया गया हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 16 I C 62 (C), 39 C 284

बटवारा के नकशा और चिट्ठा की, जिसमें अलग अलग लोगो के हिस्से दिखलाए गए हों, रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 47 I C. 159.

बटवारा के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अवश्य कराई जानी चाहिए, देखो 15 C W N 375; 11 C L J. 25; 69 I. C 859 (A), 39 M L. J 382

जब कि किसी शख्स ने १००) रु० से अधिक मालियत की जायदाद का बटवारा किया हो और इस बटवारा को दिखलाने के लिए एक दस्तावेज लिख दिया हो तो इस दस्तावेज की रजिस्ट्री लाजिमी है। अगर वह उन बातों की याददाश्त के तौर पर लिखा गया है जो पहिले तय हुआ था तो उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 15 I C, 28, 229 P L R 1912

हिस्सेदारों के नाम हिस्सोंको लिखने वाला दस्तावेज वास्तवमे बटवाराका दस्तावेज है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि, चूंकि स्टाम्प लगा हुआ कागज अभी नहीं मिल सका, इसलिए वह खरीद लिया जायगा और दस्तावेज लिख दिया जायगा, देखो 69 I C 613 बटवारा का कच्चा दस्तावेज, जिसके बाद बाजाब्ता दस्तावेज लिखा जाना चाहिए, काबिल रजिस्ट्री है, देखो A I R 1923 Bom 464 परन्तु यह तय किया गया है कि कोई भी फरीक इस बात को साबित कर सकता है कि जायदाद की "शेअर लिस्ट" अर्थात् फेहरिस्त हिस्से दारान, कतई बटवारा नहीं है किन्तु यह जबानी इकरार हुआ था कि बाजाब्ता दस्तावेज लिख दिया जायगा। अगर यह बात साबित हो जाय, तो "शेअर लिस्ट" बिना रजिस्ट्री के भी काबिल तस्लीम है, देखो 69 I C 569 (M)

जिस दस्तावेज से हक पैदा या नष्ट किया जाता हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, यद्यपि वह तमलीक खान्दानी (Family settlement) हो, देखो 75 I C 593 (A) इसी प्रकार एक बही की भी रजिस्ट्री लाजिमी है जिसमें तमलीक खान्दानी की शर्तों का इन्दराज हो, A I R 1923 Lah 392 किसी बही में किया गया वह इन्दराज, जिस पर किसी भी फरीक के दस्तखत न हों, ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कोई हक पैदा करता हो, देखो 75 I C 642

जिन रसीदों के ऊपर भाइयों ने एक बटवारे के समय दस्तखत कर दिए थे जिसमें वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुटुम्ब की सम्पति के उन हिस्सों को स्वीकार किया था जिनकी तफसील रसीदों में है, उन रसीदों की रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 44 B 881.

याददाश्त की, जिसमें यह बतलाया गया है कि शिराकत तोड़ दीगई है और यह व्यवस्था कर दीगई है कि आज की तारीख से फरीकैन अलग अलग हिस्सों पर काबिज होंगे और यह कि बटवारा की निस्बत एक अलग दस्तावेज तहरीर कर दिया जायगा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 69 I C 123 P C.

किसी ऐसे "ट्रस्टीनामा" की रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है जिसमें सिर्फ यह लिख दिया गया है कि मालिक ने माल मतरूका से अपना ताल्लुक छोड़ दिया

है और उसे परमेश्वर के कब्जा मालिकाना में छोड़ दिया है, देखो 42 A. 60 P C, 32 C L J 471.

किसी विधवा स्त्रीकी ओरसे लिखा गया दस्तावेज जिससे उसने १००) या उससे अधिककी अपनी सम्पतिको रिवर्सनरो (वारिस मावाद)के हकमें छोड दिया है, देखो 14 I C 749, 27 I C 699 रिवर्सनरकी ओर से, इस बातका एलान किए जाने के लिए नालिश न करने की बाबत किये गए इक़रारनामा की, कि विधवा की ओर से लिखा गया दस्तावेज जायज़ नहीं है, रजिस्ट्री, उस विधवा के मरने के बाद लाजिमी नहीं है, देखो 16 A. L J 191, 40 A 384

किसी ऐसे सुलहनामा की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातें है और जो एक डिकरी के अन्तर्गत है, यद्यपि उससे १००) रु० से अधिक मालियत की जायदाद मुन्तकिल कीगई हो, देखो 24 C W N 328, 54 I C 538 इसी प्रकार आर्डर २१, रूल २ जाबता दीवानी, के अनुसार दीगई सुलहनामा की दरख्वास्त की भी, देखो 43 M 688, 58 I C 554, (36 M 47, 27 M L J 651 Over ruled).

मुकद्दमे से बाहर की जायदाद के सम्बन्ध में किए गए सुलहनामा की रजिस्ट्री जरूरी है, देखो 25 I C. 377 (Cal), 16 C L J 71, 19 C W N 347, 36 Mad 46, 2 C L J 343, 5 C L J. 611, 11 C L J. 543, 48 C 1059; 31 P R 1919.

मुकद्दमे के बाहर की जायदाद से सम्बन्ध रखने वाली सुलहनामा की दरख्वास्त उस जायदाद में हासिल हकूक की मुन्तकिली के लिए किए गए इकरारनामाकी शहादत है और इसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 1 Pat. L J 208, 22 Mad 508, I C L J 406, 7 C L J 496, 46 I 358 (P.), 3 Pat. L J. 43, 58 I C 299 (P), 52 I C. 201 (P.).

१००) रु० से ऊपर की मालियत के लगान आयन्दा के लिए लिखे गए रेहननामाकी रजिस्ट्रीकी जरूरत है, देखो 6 I C 504.

जिस सुलहनामा के जरिये फ़करेहनी का हक पैदा होता हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 32 All 206

ऐसे सुलहनामा की, जो डिकरी में शामिल नहीं कर दिया गया है और जो ठीक ठीक अर्थ लगाए जाने पर पट्टा मालूम हुआ, केवल पट्टा देने का इक़रारनामा नहीं है तो रजिस्ट्री करना जरूरी है, देखो 41 I C 638

हाथ चिट्ठी के ऊपर दायर कीगई एक नालिश में एक सुलहनामा दाख़िल किया गया जिसमें डिकरी के सम्बन्ध में रजामन्दी जाहिर कीगई और कुछ जायदाद ग़ैर-मनकूला मुन्तकिल कीगई, तय हुआ कि इसकी रजिस्ट्री लाजिमी थी, देखो 46 I C. 243 (C)

आर्डर २३, रूल ३ (जाब्ता दीवानी) के अनुसार किए गए सुलहनामा की शर्तों की, जो लिख लीगई है, रजिस्ट्री होनी चाहिए; लेकिन अगर डिकरी में वे शर्तें लिखी हैं, तो वह दस्तावेज, यद्यपि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, शहादत में तस्लीम किए जाने के काबिल है, देखो 4 L 263, 75 I C 461

जब किसी सुलहनामा के जरिये फ़ौरन् अख़्तियार दे दिया गया हो, तो उसकी रजिस्ट्री अवश्य होनी चाहिए और यह बतौर पट्टा के काबिल तस्लीम है। यह इसलिए और भी ज्यादा काबिल तस्लीम है कि उसमें मुद्दाअलेह ने खास तौर से पहिले के एक मुक़द्दमे में मुद्दई के हक़ को तस्लीम किया है, देखो 27 C W N 897

दफा १७ के क्लॉज (डी) की शर्तें गरज़ई लगान के सम्बन्ध में भी लागू होती है, देखो 15 I C 682 (Mad)

जब किसी जायदाद की हक़ीयत किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए हिबानामा के कारण पैदा हुई हो, और स्वयं जायदाद की मालियत १००) रु० से ऊपर हो, तो वह दस्तावेज हिबानामा नाकाबिल तस्लीम है। अगर यह हिबा किसी दावा के निस्वत किए गए सुलहनामा के फल स्वरूप किया गया होता तो वह काबिल तस्लीम हो सकता था, देखो Lah. L J 7

जिस दिन पूरे तौर से दस्तावेज बयनामा लिख दिया गया था उसी दिन उस जायदाद को फिर मुन्तकिल कर देने के लिए उसी के साथ एक इक़रारनामा भी लिख दिया गया था। तय हुआ कि इस इक़रारनामा की रजिस्ट्री कराने की जरूरत है, देखो 49 I C 699 (M)

हक इन्फ़िकाक रेहन के बिना रजिस्ट्री किए हुए बयनामा की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में देखो 23 C W N 513

जिन दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है—वह रसीद जिससे दस्तावेज रेहननामा में बतलाए हुए चक्रवृद्धि ब्याज (सूद दर सूद) के अदा करने की जिम्मेदारी से कोई शख़्स बरी किया गया हो, देखो 42 C 546

उस रसीद को, जिससे सिर्फ़ जर रेहन की अदायगी को स्वीकार किया गया है, रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी नए इक़रारनामा की बात को स्वीकार किया गया हो तो उसकी रजिस्ट्री जरूर कराई जानी चाहिए, देखो 26 I C 360 जिस दस्तावेज में किसी जर रेहन की पूरी पूरी बेबाक़ी की बात स्वीकार कीगई हो और ब्याज की अदायगी माफ़ कर दी गई हो, उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 43 M 803

उस मुर्तहिन ने, जिसके पास जायदाद बाद में रेहन कीगई थी, पहिले के दो रेहननामों का रुपया अदा कर दिया था। तय हुआ कि इसकी जो रसीद मिली उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 11 C L J 551

राहिन की ओर से मुर्तहिन के नाम लिखे गए पत्र की, जिसमें उस काम का जिक्र किया गया हो जिसके लिए दस्तावेज हक़ीयत मुर्तहिन के पास अमानत किया गया है, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 22 C W N 753

मुर्तहिनों की ओर से राहिनों को दीगई रसीदें दफ़ा १७ के अन्दर नहीं आती और जब तक कि उनका मजमून ऐसा न हो कि उससे जायदाद गैर-मनकूला में किसी हिस्से को खासतौर से सीमाबद्ध या नष्ट न कर दिया गया हो, उनकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 72 I C 454 (C)

सौ रुपया से अधिक की जायदाद की बिक्री के लिए किए गए मुआहिदे के सम्बन्ध में अदा कीगई बयाने की रकम की रसीद की, जिसमें साफ़ साफ़ यह बतला दिया गया हो कि बतौर दस्तावेज हक़ीयत के दूसरा दस्तावेज लिख दिया जायगा, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 73 I C 1013 (L).

जिस दस्तावेज में यह बतलाया गया हो कि जायदाद गैर मनकूला का बटवारा होगया है और फरीक़ैन लोगों का कब्जा अलग अलग हो गया है, उस दस्तावेज की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 53 I C 123 (L)

जिस दस्तावेज के जरिये किसी नए ट्रस्टी की नियुक्ति कीगई हो, उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 6 M. L T. 240.

जिन कागजों के ऊपर पंचों ने बतौर अपने पचायती फ़ैसले के दस्तख़त किए हों उनकी रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, देखो 22 I C 412. जिस पचायती फ़ैसलेमें उन जायदादों की फ़ेहरिस्त हो जो पचों द्वारा किए गए बटवारा में लोगों के हिस्से में दीगई है और जिसपर फ़रीक़ैन बटवारा के दस्तख़त हों उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 66 I C 118, 46 I. C. 685

जिस पचायती फ़ैसले को फ़रीक़ैन ने दाखिल अदालत किया हो और अदालत ने उसे मजूर कर लिया हो, उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 43 I. C 697, 20 A 171 अगर यह पचायती फ़ैसला दस्तावेज बटवारा का काम करता है, तो अवश्य उसकी रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए, देखो 12 C. L. J. 25; 18 C W N, 475

रेहन करने के लिए किए गए इकरारनामा की जरूरत नहीं है, देखो 41 M. 959, 35 N L J 489 इसी प्रकार उस इकरारनामा की भी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है जिससे फ़करेहनी का हक पैदा होता हो, देखो 47 B 283; 24 M 449

पट्टा देने वाले और पट्टा पाने वाले के बीच हुए इकरारनामा की याददाश्त की, जो न तो पट्टा है और न पट्टा देने का इकरारनामा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है और वह शहादत में क़बूल किए जाने के काबिल है, देखो 19 C. W N. 56,

किसी जायदादका, जिसकी निस्बत नालिशनहीं है, इस्तमरारी पट्टा देनेका इकरार उस दरख्वास्त में किया गया जो वास्ते सुलहनामा के दीगई थी और इस दरख्वास्त के ऊपर उस मुकद्दमें में डिकरी दे दीगई। तय हुआ कि पट्टा देने के इकरारनामा तामील की खास के लिए दायर किए गए मुकद्दमें में यह दस्ता-

पेश सुबूत में पेश किया जा सकता है, देखो 19 C W. N. 347; 17 M L. J 218; 14 C W N. 66; 39 Cal 663

मुक़द्दमा जीत जाने पर जायदाद मुतनाज़ा की मुन्तक़िली के लिए किए गए इकरारनामा की रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है, देखो 1 L 124; 56 I C 372.

'ब' के साथ एक मुक़द्दमें में सुलहनामा की अर्जी मे 'अ' ने कुछ जमीन का पट्टा देने का वादा किया बशर्ते कि उस जमीन की निस्बत 'स' के साथ चलते हुए मुक़द्दमें में वह कामयाब हो जाय। 'अ' यह मुक़द्दमा जीत गया और इसके बाद उसने पट्टा देने से इन्कार, कर दिया। तय हुआ कि यह सुलहनामा पट्टा देने के लिए इकरारनामा नही है और बिना रजिस्ट्री के भी वह क़ाबिल तस्लीम है, देखो 47 C 485; P C

अदालत के बाहर किया गया इकरारनामा, जिसके जरिये से मुद्दइयों ने यह इकरार किया कि वे मुद्दा-अलैह को कुछ हक़ूक़ के साथ और लगान की एक ख़ास शरह के ऊपर अपना असामी बनाए रहेंगे और इस इकरारनामा के परिणाम स्वरूप एक बाजाब्ता कबूलियत लिख दी जायगी, पट्टा या पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है। यह एक ज़बानी इकरारनामा की याददाश्त है, देखो A I R 1923 Cal 432; 67 I C 57; 39 C 663

सुलहनामा की अर्जी प्लीडिंग है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 22 I C 35, 20 All 1; 71 P C, 22 I C 687; 45 I C 331 दीवानी मामलों के सम्बन्ध में अदालत मे दाख़िल किए गए बयान हलफ़ी, अर्जियों और प्लीडिङ्गस् की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 46 I C 358 (L)

तलब किए जाने पर जायदाद को फिर बेच (Re-Convey) देने के लिए किए गए इकरारनामा की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 25 Bom L R 1207; 63 I C 22

जिस दस्तावेज के जरिये हक़ीयतका एलान तो किया गया हो लेकिन वह अमल मे लाई न गई हो वह दफ़ा १७ (१) (बी) के अन्दर नहीं आता है, देखो A I R 1923 Lah 497, (2).

नुक़सान होजाने की दशा मे जायदाद मुन्तक़िल कर देने के लिये किया गया इकरारनामा तथा बाद मे लिखा गया पत्र, जिसमे नुक़सान (घाटा)की बात को स्वीकार किया गया है, ऐसा दस्तावेज बयनामा नहीं है जिसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत है, देखो 26 C W N 201 P C, 65 I C 954

जिस जायदाद की निस्बत नालिश दायर कीगई है, उस जायदाद में, मुक़द्दमें बाजी मे लगाए गए रुपये के बदले मे, हिस्सा दिए जाने के लिए किए गये इकरारनामा की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 4 Lah L. J. 301.

एक मकान का ८ आना महीने किराये पर पट्टा दिया गया और उसमें शर्त लिख दीगई कि किराया अदा न करने पर किरायेदार बेदखल कर दि जायगा। तय हुआ कि यह एक साल से अधिक मियाद का पट्टा नहीं है औ उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 2 L 300, 65 I C 254.

किसी अनिश्चित समयके लिए लेखे गये पट्टेको, जो कुछ शर्तों के ऊपर किस भी समय बन्दहो जा सकता है, लेकिन जिसके लिए यह निश्चय नहीं है कि व एक साल से ज़्यादा दिन तक बना रहेगा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 65 I C 836, 20 A L J. 211.

जिन दस्तावेजों की रजिस्ट्री लाजिमी है लेकिन जिनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, उनें उसी क़िस्म के कामों में लाया जाना—बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा रुपये की अदायगी का सुबूत माना जा सकता है, देखो 35 B 438, Bom 126 2 I C, 516 बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उस तारीख़ की निस्बत क़ाबिल तस्लीम समझा जा सकता है जिस तारीख़ को क़ब्जा लिया गया था देखो 45 A 565

एक बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा जिसमे (१) दहेज की रकमऔर (२) यहकि ससुरने यह रुपया अदा करनेका पक्का वादा कर लिया था, साबित करने के लिए क़ुबूल कर लिया गया, देखो 44 I C. 837 वह यह साबित करने के लिए भी क़ुबूल किया जा सकता है कि क़ब्जा किस क़िस्म का था, देखो 57 I C 965 (O.) लेकिन इससे बय की हुई जायदाद कैसी थी, यह बात साबित नहीकी जा सकती, देखो 61 P L R 1919

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज क़ब्जे की क़िस्म दिखलाने के लिए काम में लाया जा सकता है, देखो [illegible] M L T 192, 29 Mad 336 F B जैसे दस्तावेज हिबानामा, देखो 26 C W N 65, 34 O L J 432

किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए पट्टे में स्वीकार कीगई बातें उसी क़िस्म के कामो के लिए (for Collateral purpose) जैसे उस मुआहिदा से पैदा होने वाले क़र्ज के लिए, काम मे लाई जा सकती हैं देखो 33 B 610 बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा उसमे स्वीकार कीगई बातों को साबित करने के लिए काम मे लाया जा सकता है, देखो 61 I. C 328 (L)

जिस पट्टा की रजिस्ट्री कराना लाजिमी है लेकिन जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है वह सही लगान तय करने के लिए काम मे नहीं लाया जा सकता है, देखो 1916 M W N 5, 35 Mad 63, 41 Cal 347, 18 M L T 483 और न यह हक़ रैय्यती या उसकी शर्तों को साबित करने के काम मे लाया जा सकता है, देखो 30 M L J 492, 34 I C 6 और न मियाद की मुद्दत साबित करने के लिए ही, देखो 63 I C 90.

विना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उसी किस्म के कामों के लिए भी जैसे चक्रवृद्धि व्याज (सूद दर सूद) अदा करने की शर्त को साबित करने के लिए, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, देखो 34 I C 853 (M)

विना रजिस्ट्री किया हुआ अमलनामा और जबानी शहादत भी किसी मुआहिदा को साबित करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं जब कि नालिश का मंशा उसको तामील खास करा पाने का हो, देखो 16 I C 390 (Cal), 11 C L J 548, 12 C L J 25, 12 C L J 464 लेकिन पट्टा देनेके लिए किया गया विना रजिस्ट्री किया हुआ इकरारनामा, जिसका मंशा उसी समय जायदाद पर कब्जा दे देने का हो, तामील खास के लिए दायर कीगई नालिश में काबिल तस्लीम नहीं है, देखो 26 C W N 329

विना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज हिबानामा उसी किस्म के कामके लिये भी, जैसे यह कि मौहूबअलेह ने कब्जा कर लिया और उसपर अपना कब्जा मुखालिफाना बनाए रहा, काममें नहीं लाया जासकता, देखो 14 I C 889 (L)

विना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बटवारा यह साबित करने के लिये कि उसमें बतलाये हुए शरीकदार अलग अलग होगये हैं और यह साबित करनेके लिए, कि उनमें जायदाद मनकूला के सम्बन्धमें क्या क्या बातें तय पाईं, काममें लाया जासकता है, देखो 19 M L J 228, 16 Mad 336

सुलहनामाकी एक अर्जीमें कुछ जायदादका कब्जा छोड़देने के लिए किए गए इकरारनामाको, जो किसी फौजदारी अदालतमें दाखिल किया गया हो, शहादतमें कुबूल कियेजाने के काबिल बनानेके लिए उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है, देखो 43 I C 26 (Cal)

कब्जा तस्लीम किया गया, यह बात साबित करने के लिए विना रजिस्ट्री किया हुआ सुलहनामा काममें लाएजानेके काबिल है, देखो 46 I C 44(Cal)

एक सौ (१००) रुपये से अधिकका विना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तखती रेहननामा इस बातको साबित करनेके लिए काममें लाया जासकता है कि मुद्दाअलेह बहैसियत मुरतहिन के काबिज था, देखो 45 M L J 667

दस्तावेजका पेश किया जाना—तकमील कुनिन्दा के सामने किसी नौकर द्वारा दस्तावेजका पेश किया जाना जायज है, देखो 10 A L J 510 दफा ३२ में पेश करनेका एक विशेष (पारिभाषिक) अर्थ है। जब सब-रजिस्ट्रारको दस्तावेज दिएजाते समय तकमीलकुनिन्दा हाजिर हो, तो यह पेश करना समझा जायगा, फिर चाहे किसी भी शख्सने सारी कार्रवाई की हो, देखो 9 A L J 362; 9 A L J 149

जबकि बाकायदा अधिकार पाए हुए किसी अफसर द्वारा दस्तावेज पेश किएजाने के पहिले वह शख्स, जिसे उस दस्तावेजके पेश करनेका अख्त्यार था,

उस अफसर के सामने हाजिर हुआ और रजिस्ट्रीके सम्बन्धमे अपनी स्वीकृ देदी, माना गया कि यह पेश किया जाना है, देखो 35 All. 134.

लड़की की ओरसे, जिसे इस सम्बन्धमे कोई अधिकार नहीं है, दस्तावेजक पेश किया जाना पेश किया जाना नहीं है, देखो 18 I C 286 राहिनक मौजूदगीमे नौकर द्वारा दस्तावेज का पेश किया जाना जायज है, देखो 35 A 7

किसी आम मुख्तार द्वारा, जिसे तकमील कुनिन्दाकी रियासतके सम्बन्ध मे कुल कार्रवाई करनेका अख्त्यार है, पेश किया जाना जायज है, देखो 23 C W N 534

बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजोंपर रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजोंकी तर्जीह— दफा ५० उस दशामे लागू नहीं होती जबकि उस शख्सको, जो बादमें लिखेगए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजके अनुसार दावेदार है, यदि पहिले लिखेगए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजका पता मिल जाय, देखो 18 C W N 657; 8 C 597, 10 C L J 241, 6 B 515, 8 A 540, 16 M 158 इस सम्बन्धमें, कि क्या कब्जा, नोटिस है, देखो 16 A 478 F B, 27 B 452 16 C 414. दफा ५० का विस्तार क्षेत्र कितना है, इस सम्बन्धमें देखो 1 M. L J 43

किसी रजिस्ट्रीशुद दस्तावेज रेहननामाके ऊपर दीगई डिकरीके अनुसार कीगई नीलाममें-पहिलेका बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज नाजायज नहीं होजाता और कर्जेका रुपया उस रकममें से वसूल किया जासकता है जो रजिस्ट्रीशुद दस्तावेज रेहननामाका रुपया वसूल देकर बाकी रहा हो, देखो 35 A 271

दफा ५० उस समय लागू नहीं होती जबकि रजिस्ट्रीशुद. दस्तावेज फरेब से लिखाया गया हो, देखो 49 I C 839 या जबकि खरीदारको खरीद करने से पहिलेकी हकीयतका पता हो देखो 42 I C 393 दफा ५० से बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजके अनुसार प्राप्त अधिकार नाजायज या नष्ट नहीं होते, देखो 35 A 271

किस अवस्थामें बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़के ऊपर दीगई बाद वाली डिकरीके ऊपर रजिस्ट्रीशुद दस्तावेजको तर्जीह दीजाती है, इस सम्बन्ध मे देखो 13 A 288, 18 B 355 F B, 25 M 1

पहिले लिखा हुआ बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा, जिसकी रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है और जिसके साथ साथ जायदादपर दखल दे दिया गया है, उसी जायदादकी निस्बत बादमें लिखेगए रजिस्ट्रीशुद दस्तावेज बयनामा से नाजायज़ नहीं होजाता, देखो 44 I. C 354 (P)

जबर्दस्ती रजिस्ट्री कराने के लिए दीवानी नालिश—दफा ७७ के अनुसार दायर कीजानेवाली नालिशमें नीचे लिखी बातें जरूरी हैं —(१) दस्तावेज किसी ऐसे

आदमी द्वारा पेश किया गया हो जिसे इसके पेश करनेका अधिकार है, (२) सब-रजिस्ट्रारने रजिस्ट्री करानेसे इन्कार करदी हो, (३) रजिस्ट्रार के पास समयके भीतर अपील कीगई हो, (४) रजिस्ट्रारने इन्कार करदी हो, (५) समयके भीतर नालिश दायर कीगई हो, देखो 73 I C 182 अगर डिकरी दे दीगई हो तो दस्तावेज डिकरीकी तारीखसे ३०दिनके भीतर उसे अवश्य पेशकर दिया जाना चाहिए, देखो 1 P 146 दफा ७७ के अनुसार नालिश दायर करने के पहिले मुद्दई को चाहिए कि वह रजिस्ट्रेशन ऐक्टमें बतलाए हुए नियमोंका पूरेतौरपर पालन करे, देखो 27 C L J 538

जब तकमील कुनिन्दाके हाजिर न होने के कारण सब-रजिस्ट्रारने किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्रीसे इन्कार करदी हो और रजिस्ट्रारने इस हुक्मको बहाल रखा हो, तो नालिश दायर की जासकती है। दफा २१ और ७१-७७ के विस्तार के सम्बन्धमें विचार किया गया, देखो 47 B 290, 54 I C 570 (C)

इस वजहसे, कि दस्तावेज समयके बाहर पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दिए जानेपर और रजिस्ट्रार द्वारा अपील खारिज कर दिए जानेपर नालिश दायर की जासकती है, देखो 24 C W N 504

रजिस्ट्रार को दफा ७२ और ७३ के अनुसार दीगई दरख्वास्तमें तस्दीक नहीं थी और वह खारिज कर दीगई। तय हुआ कि नालिश हो सकती है, देखो 74 I C 688 (L)

दफा ७७ के अनुसार दायर की गई नालिशमें अदालत को जिस बातपर विचार करना है वह उस दस्तावेजके असली होनेकी बात है, उसके जायज होने की बात नहीं, देखो 60 I C 869, 19 A L J 224, 2 L 202, 62 I C 789 दफा ७७ के अनुसार रजिस्ट्रीके लिए डिकरी दिए जाने के लिए दस्तावेजकी तकमीलीको मन्जूरकर लेनेकी जरूरत नहीं है, देखो 63 I C 785(C)

समयके भीतर नालिश गलत अदालतमें दायर कीगई लेकिन समय बीत जाने के बाद मुनासिब अदालतमें दायर कीगई। ऐसी दशामें रजिस्ट्रेशन ऐक्टकी दफा ७७ द्वारा नियत मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें कानून मियादकी दफा १४ कायम नहीं कीई जासकती, देखो 24 C W N 4, 30 C L J 455 F B, 7 C W N 550 27 C W N 29, 54 I C 228

अदालत दीवानीको डिकरी देनेसे इन्कार कर देना चाहिए, अगर दस्तावेज चार महीने के भीतर दाखिल न किया जाय, जैसा कि दफा २३ में बतलाया गया है, देखो 39 P R 1917

दूसरी अवस्थाएं—जबकि एक दस्तावेजके तकमील कुनिन्दोंमें से सिर्फ एक ही आदमी रजिस्ट्रारके सामने हाजिर हुआ और उस दस्तावेजकी तकमीलीको मन्जूर कर लिया और बाकी आदमी हाजिर नहीं हुए, तय हुआ कि वह दस्तावेज वह कानूनी असर नहीं रखता जो वह दस्तावेज रखता है जिसकी तकमील और रजिस्ट्री दूसरे तकमील कुनिन्दों की ओरसे कीगई हो, देखो 50 C 180, 36 C L J, 109, 43 I C 777 (P)

नेकनीयतीके साथ किए गए किसी कामसे कोई दस्तावेज सिर्फ इस वजह से नाजायज नहीं होजाता कि कार्रवाईमें कोई बेक़ायदगी कीगई है, देखो 4 L 284 P C, 45 M L J 497, 75 I C 7.

केवल रजिस्ट्रीसे ही मुन्तक़िल अलेहको हक़ीयत नहीं मिल जाती, अगर फरीक़ैनका मन्शा यह है कि जबतक मुआविजेका पूरा रुपया अदा न होजाने तक हक़ीयत नहीं दीजायगी, देखो 3 L 389; 85 P R 1911, 8 I. C 177.

पट्टा देनेका जबानी इक़रारनामा भी हो सकता है। जब किसी इक़रारनामाके अनुसार पट्टेदारने कब्जा कर लिया हो, यद्यपि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज न भी लिखा गया हो, तो हालत यही रहती है मानों दस्तावेज लिख दिया गया है, बशर्ते कि फ़रीक़ैन के बीच तामील खास कराई जासके, देखो 25 C. W. N. 220, 63 C 118.

परदा-नशीन औरत,जिसने मुख्तारनामाकी तकमील की गयी हो, रजिस्ट्री के दफ्तरमें हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं है। सब रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह इस बातका इतमीनान हो जानेपर कि वह मुख्तारनामा अपनी खुशीसे लिखा गया है उसकी तकमीलकी तस्दीक़ करदे। तस्दीक़ कर दिए जानेसे यह अनुमान होता है कि उसे इस बातका इतमीनान होगया था, देखो 67 C 315(P.).

यह प्रश्न, कि रजिस्ट्री, नोटिस है या नहीं वाक़यात सम्बन्धी प्रश्न है, देखो 2 C W N 750, 7 C. W N 11 भिन्न भिन्न हाईकोर्टोंकी रायमें इस सम्बन्धमें मत भेद था कि क्या रजिस्ट्री नोटिसका अर्थ रखती है। प्रिवी कौन्सिल ने यह तय किया है कि सिर्फ रजिस्ट्री करा देना ही नोटिस नहीं है, देखो 48 C 1

जबकि वह दस्तावेज, जिससे जायदाद गैर-मनकूला और जायदाद मनकूलापर बार पैदा किया गया हो, रजिस्ट्री न कराया गया हो तो उससे जायदाद मनकूलामें हासिल हक़ूक़के ऊपर कोई असर न पड़ेगा, देखो 47 I C 563 (M).

जब किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए और इस तरह नाक़ाबिल तस्लीम पट्टाकी शर्तोंको मुद्दाअलेहने मन्जूर कर लिया हो, तो इस मन्जूरीके ऊपर कार्रवाई की जासकती है और अदालतको दस्तावेजपर विचार करनेकी जरूरत नहीं है, जिसके क़ाबिल तस्लीम होनेका प्रश्न विवाद-ग्रस्त प्रश्न है, देखो 3 Lah. L J 253

वह दस्तावेज बयनामा, जो मुद्दईके क़ीमत खरीद अदा न करने के कारण रजिस्ट्री न होनेकी वजहसे नाक़ाबिल अमल (काम्म लाए जानेके अयोग्य) होगयाहै, जायदाद बय करदेनेके लिए किया गया इक़रारनामा न समझा जायगा जिससे उस मुआहिदाकी तामील खासके लिए नालिशकी जासकेगी, देखो 43 M 822; 59 I C 417, 16 M O 341

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ के मन्युअल से उद्धृत
सिर्फ़ संयुक्तप्रान्तकी अदालतोंके लिये

जमीमा नं० ५

रजिस्ट्रीके फ़ीसकी शरह

ऐक्ट १६ सन् १९०८ की ७८ वी दफ़ा के अनुसार तैयार किया गया
(१ अप्रैल सन् १९२० ई० से अमलमें लाया जाय)

आर्टिकल न० १

१ स्थावर (मनकूला) जायदादका पट्टा करना या ऐसे पट्टोंका दिया जाना —

				रु०	आ०	पा०
जबकि पट्टेमें लिखे हुए सालाना किरायेकी तादाद						
१०० रु० से ज्यादा न हो				०	४	०
१०० रु० से ज्यादा लेकिन			५०० रु० से ज्यादा न हो	०	८	०
५०० रु०	„	„	१००० रु० „	१	०	०
१००० रु०	„	„	२५०० रु० „	२	०	०
२५०० रु०	„	„	५००० रु० „	३	०	०
५००० रु०	„	„	१०००० रु० „	४	०	०
१०००० रु०	„	„		५	०	०
जबकि किरायेकी तादाद न लिखी गयी हो				१	०	०

२ नीलामके खरीदार द्वारा पेश किये गये (चाहे बदलेका रुपया १००) से कम हो या ज्यादा) स्थावर जायदादके बेचान सम्बन्धी सर्टीफिकटों पर जबकि बदलेकी रकम (Consideration Money) की तादाद ५०) रु० से अधिक न हो — रु० ० आ० ८ पा० ०

जबकि तादाद ५० रु० से अधिक हो — रु० १ आ० ० पा० ०

३ स्थावर जायदाद (मनकूला) के सम्बन्धकी सब दस्तावेज जिनका कि वसीयतनामा न हो —

जबकि दस्तावेजमें लिखी कीमत या रकम मुआवजाकी तादाद			रु०	आ०	पा०
१० रु० से ज्यादा न हो			०	४	०
१० रु० ज्यादा मगर २५ रु० से ज्यादा न हो			०	६	०
२५	"	५० "	०	८	०
५०	"	७५ "	०	१२	०
७५	"	१०० "	१	०	०
१००	"	२०० "	१	८	०
२००	"	५०० "	३	०	०
५००	"	१००० "	४	०	०
१०००	"	१५०० "	५	०	०
१५००	"	२००० "	६	०	०
२०००	"	२५०० "	७	०	०
२५००	"	३००० "	८	०	०
३०००	"	४००० "	९	०	०
४०००	"	५००० "	११	०	०
५०००	"	७५०० "	१४	०	०
७५००	"	१०००० "	१६	०	०
१०००० रु० से ज्यादा प्रति १००० रु० या उसके किसी भी भागके लिए ५०००० रु० तक न कि ज्यादा के लिए			१	०	०
५०००० रु० से ऊपर १००० रु० या उसके किसी हिस्सेके लिए			०	८	०
अगर कीमत सिर्फ एक हिस्सेकी ही जाहिरकी गयी हो			२	०	०*
जबकि कीमतकी तादाद न दीगयी हो			१०	०	०

बुन्देलखण्ड एलीनेशन लैण्ड एेक्ट १९०३ (2 of 1903) की धारा ९ (२) या १७ के अन्दर किए गए दस्तावेज रहनकी रजिस्ट्री पर किसी तरहकी फीस न लीजायगी सिवाय उस दस्तावेज रेहनके जिसकी कि बाक़ायदा रजिस्ट्री पहिले ही से होचुकी हो और मियाद खतम न हुई हो।

* नोट—यह फीस, ऊपर बतलाई हुई मालियत या मतालबा दावा के ऊपर मालियतके मुताबिक लगाई हुई फीसके अलावा है

	रु०	आ०	पा०
४ वसीयतसे न दिए गए गोद लेनेका अधिकार देने के सम्बन्धमें लिखित अधिकार पत्र	४	०	०

५ वे दस्तावेज जो किसी जायदाद मनकूला और दस्तावेज, तमस्सुक, मुआहिदे या दूसरे दस्तावेजोंमें या उनके लिए किसी अधिकार (Right), हकीयत या हिस्साको अमलमें लाते हों या पैदा करते हों, एलान करते हों, मुन्तकिल करते हों, सीमाबद्ध (महदूद) करते हों या नष्ट करते हों —

जबकि जायदादकी कीमत जाहिर कीगई हो और यह				रु०	आ०	पा०
५० रु० से अधिक की न हो				०	४	०
५० रु० से अधिक लेकिन		१०० रु० से ज्यादा न हो		०	८	०
१००	"	२००	"	१	०	०
२००	"	५००	"	२	०	०
५००	"	१०००	"	४	०	०
१०००	"	१५००	"	५	०	०
१५००	"	२०००	"	६	०	०
२०००	"	२५००	"	७	०	०
२५००	"	३०००	"	८	०	०
३०००	"	४०००	"	९	०	०
४०००	"	५०००	"	१०	०	०
५०००	"	७५००	"	१२	०	०
७५००	"	१००००	"	१४	०	०
१००००	"	१५०००	"	१६	०	०
१५०००	"	२००००	"	१८	०	०
२०००० रु० के ऊपर और ५०००० रु० तक मगर उससे ज्यादा नहीं हरएक ५००० रु० या उसके किसी हिस्सेपर				१	०	०
५०००० रु० से ऊपर १००००० रु० तक मगर उसके ऊपर नहीं हरएक ५००० रु० या उसके किसी भागके लिए				०	८	०
१००००० रु० के ऊपर हरएक ५००० रु० या उसके किसी हिस्सेके लिए				०	४	०
जबकि कीमत जाहिर न की गई हो				१०	०	०

६ वसीयतनामा —

	रु०	आ०	पा०
सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफा ४२ के अनुसार मोहर लगा हुआ लिफाफा दाखिल होने पर	४	०	०
दफा ४४ के अनुसार मोहर लगा हुआ लिफाफा जोकि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया था के उठाने (With drawl) की दरख्वास्त देने पर	४	०	०
दाखिल किये हुये मोहर लगाये (Sealed) लिफाफे को खोलनेके लिये दरख्वास्त देने पर	४	०	०

नोट—ऐसे मोहर लगे हुए लिफाफों के अन्दर लिखे हुए मजमून को रजिस्टरबुक म नकल करने की फीस आरटिकल (Article) नं० १० में दिये गये हिसाब (Rate) के अनुसार ली जायगी।

	रु०	आ०	पा०
वसीयतनामा की रजिस्ट्री पर	४	०	०

(७) रजिस्ट्रारके सदूक में रक्षित रखने के लिये —

(१) रजिस्ट्रार के लोहे के बक्स के अन्दर रक्षित वसीयतनामा (Non testamentary document) रखने केलिए	२	०	०

(b) ऐसे किसी वसीयतनामा के, जोकि रजिस्ट्रार के लोहे के सन्दूक के अन्दर रक्षित रखने के लिये रक्खा गया, उसे वापस करने के लिये ... .. | रु० आ० पा० २ ० ०

८ मुख़्तारनामा वगैरह (Powers attorney etc) मुख़्तारनामा या कोई ऐसा ही वसीयतनामा जोकि १९०८ के ऐक्ट १६ दफ़ा १८ शरह एफ़ (F) के अनुसार रजिस्ट्री होने के लायक़ है और जोकि इस नक्शे में दिये गये शरह न० ५ के अनुसार, मालियत की शरह (ad valorem Scale) में नहीं आसकता, की रजिस्ट्री फ़ीस | २ ० ०

नोटस

(ए) एक दस्तावेज जिसके अन्दर कई अलग मामले (matters) हों या जिसका सम्बन्ध कई अलग अलग मजमून (matters) से हो उसकी फ़ीस, (fees) उन सब दस्तावेजोंकी फ़ीसों का जोड़ होगी जिनका सम्बध अलग २ एक एक मामले से है।

एक दस्तावेज म कई जुदे जुदे मामले मौजूद हैं यह उसी वक्त कहा जा सकता है जब कि जाहिरा तौर से कई दस्तावेजों का एक मे शामिल कर देने का सिर्फ़ यही एक मतलब हो कि टिकट खर्च (Stamp duty) व रजिस्ट्री की फ़ीस (registration fees) बच जावे। रजिस्ट्री करने वाले अफ़सरों को ऐसे मामले मे क़ानून टिकट (Stamp law) के अनुसार काम करना होगा (जी ओ न० १३४२/७-४१४ ता० ३ अक्टूबर सन् १९१३) अगर इस तरह पर दस्तावेज रसूम टिकट (Stamp duty) अदा करने के लिये माना गया हो गोया इसके अन्दर एकही मामला मौजूद है तो रजिस्ट्रार को उसे एक ही मामले की तौर मानना चाहिये। लेकिन अगर उसका यह ख्याल कि दस्तावेज पर क़ानूनन् जितनी चाहिये उससे कमकी टिकट लगी है तो उसे (Stamp act) स्टैम्प एक्ट की ३८ वी धारा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये।

(बी) पहिले कहे हुए नोट के अनुसार एक दस्तावेज जो कि इस तरह बनायी गयी हो कि आरटिकल न० १ के कई मदो (descrip tions) के अन्दर आसकती हो, और जब कि उनपर ली जाने वाली फ़ीस की तादाद मुख्तलिफ़ हो तो जो फ़ीस उनमे सब से ज्यादा होगी सिर्फ़ वही लगायी जावेगी।

(सी) किसी पट्टा या दस्तावेज जिसमे कि रुपया जुरमाना या फ़ायदा (prem ium) को छोड़कर बचे हुए वक्त में अदा किया जाता है

उसकी एक साल की रकम पर, किसी रेहननामे के विषय में मिलने वाली रकम की तादाद पर और हिस्सेदारी की दस्तावेज में अपने पाये हुए हिस्से या हिस्सोंकी कीमतकी रकम,जिस परकि,रसद टिकट (Stamp duty) लगने लायक है स्टैम्प ड्यूटी लगने की रकम मानी जायगी।

(डी) अगर किसी जायदाद के हिस्से हो गये हों तो, उनमें सब से बड़ा हिस्सा (या अगर दो हिस्से बराबर कीमत के हों और दूसरे किसी भी हिस्से से उनकी कीमत कम न हो तो उन दो बराबर हिस्सों में का एक हिस्सा) ऐसा मान लिया जायगा कि उसमें से दूसरे हिस्से अलग किये गये हैं [देखो स्टैम्प ऐक्ट, परिशिष्ट (Schedule) १८५]

(ई) अगर गवर्नमेंट के किसी माली या फौजी अफसर ने अपने निजी रहने के लिये एक मकान बनवाने या खरीदने के लिये गवर्नमेंट से पेशगी रुपया लिया हो और इस रुपये की अदायगी के लिये वह रेहननामा लिखे तो ऐसी रहनी दस्तावेज पर किसी तरह की रजिस्ट्री फीस न लगेगी। (देखो गवर्नमेंट आर्डर नं० १६१८/७ ४५५ तारीख २१ दिसम्बर १९११)

(एफ) सन् १९०४ ऐक्ट ६की दफा ३ तथा १८८२ के ऐक्ट४ दफा५९के अनुसार, जब असल हासिल किया हुआ रुपया (Principal money) एक सौ रुपये से कम हो तो रेहननामा या तो बजरिये एक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के, जिसपर ऊपर बतलाये अनुसार दस्तखत और तसदीक मौजूद हों या (रेहननामा सादा को छोड़कर) जायदाद हवाले करके किया जा सकता है।

इससे उन दस्तावेजों के सम्बन्ध में बतलाइ गयी शर्तें कुछ कम कड़ी हो जाती हैं जो कि १००) सेकम के हैं और जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं रक्खी गयी है जसा कि ऐक्ट १६ सन् १९०८ की दफा १७ (१) (बी) में बतलाया गया है।

(जी) वह रजिस्ट्रीकी फीस, जो ऐसे दस्तावेजपर लगायी जाती है जो उसी प्रकार की, या सहायक, या जायद, या उसीकी जगहपर दूसरी जमानत, या आगे और मजबूतीके लिये जमानत देने के लिये लिखा गया है, वही होगी जोकि असल या इब्तदायी रेहननामा के ऊपर लगायी जाती है, अगर वह फीस दो रुपया से ज्यादा न हो तो वह दो रुपया होगी।

(एच) अगर किसी रैय्यत को कोई पट्टा या ठेका दिया जाय और उस पट्टा या ठेका की कबूलियत या मुलन्ना पट्टा या ठेका के साथ ही साथ रजिस्ट्रीके लिये पेश किया है तो इन दोनों दस्तावेजों (कागजों) की

निस्बत ली जाने वाली फीस उस फीस से ज्यादा न होगी जो अकेले उस पट्टा पर ली जाती।

(आई) गवर्नमेंट के इश्तहार (Notification) न० १०४८ तारीख ३ दिसम्बर सन् १८३५ के अनुसार अगर कोई पट्टा, मुतल्लिक़ जरायत संयुक्त प्रान्त (United Provinces) के किसी जिले मे लिखा गया हो और जिसकी मियाद पाच साल से ज्यादा न हो और जिसमें सालाना किराया ५०) रु० से ज्यादा न आता हो तो वह पट्टा सन् १८७७ ई० के ऐक्ट ३ की दफ़ा १७ से बरी है। यह फैसला इलाहाबाद चीफ़ कोर्ट से तय हुआ है (देखो इलाहाबाद लॉ जरनल १२, सफ़ा ७९२, हजारीसिंह वगैरह बनाम त्रिवेनीसिंह वगैरा) कि यह नोटीफिकेशन अब तक प्रचलित है और इन पट्टों को सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफ़ा १७ के असर से बरी करता है।

(जे) गवर्नमेंट के इश्तहार (Notification) न० ५०३।७ १३२ ता० ०८ मई १९१७ के अनुसार अगर संयुक्त प्रांत के किसी जिले मे नोटी फाइड एरिया (Notified area) की या नजूल की जमीन का पट्टा लिखा गया हो जो कि मुतल्लिक़ जरायत न हो, और जिसकी मियाद ५ साल से ज्यादा न हो और सालाना किराया २५)रु० साल से ज्यादा न हो तो वह सन् १९०८ के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १६ की दफ़ा १७ के असर से बरी है (यानी लाजिमी Compulsory रजिस्ट्री न होगी)

आरटिकल नं० २

किसी दस्तावेज पर आर्टिकल १ के अनुसार रजिस्ट्री की फ़ीस के अलावा रजिस्टर न० १, ३, और ४ मे नक़ल करने की फ़ीसे नीचे लिखे बमूजिब तरह से ली जायगी।

उरदू, हिन्दी, और अंग्रेजी या किसी दूसरी जबान मे लिखी हुई दस्तावेज पर —

	रु०	आ०	पा०
जहां कि शब्दों की तादाद ४०० से अधिक न हो	०	८	०
इसके ऊपर प्रत्येक १०० शब्दों या उसके किसी हिस्से के लिये	०	२	०

नोटस

(ए) रजिस्ट्री की पीठपर की तहरीर या सार्टीफिकट, जोकि क़ानूनन् (By law) या कायदन् (By rule) जायज हों, उसकी रजिस्टरों में नक़ल करने की फीस न ली जायगी।

(बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफ़ा ६५ और ६६ के अनुसार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को भेजे जाने के लिये तैयार की हुई नक़ल दस्ता

पेज पर भी पहिले लिखी शरहके बमूजिब फीस ली जायगी लेकिन उन स्मर्ण पत्रों (Memoranda) पर जो कि ऐक्ट की दफ़ा ६४, ६५, और ६६ के अनुसार तैयार किये गये हैं न ली जायगी।

(सी) तादाद शब्दों की जिनपर की फ़ीस लीगयी है और नकल करने की फ़ीस की तादाद खुद दस्तावेज पर और रजिस्टरकी नकलमें भी नीचे की तरफ़ दर्ज की जायगी।

(डी) शब्दों की तादाद अन्दाजन देना ही काफ़ी है मिलाऊके लिये लेख (Entry) के बीच की तीन या चार लगातार सतरों के हरफ गिनकर, उनका औसत निकाल कर, फिर उस औसत को सतरों की तादाद से गुणा करने पर शब्दों की तादाद मानली जाती है।

(ई) रजिस्ट्री के लिये लाई गयी छपी हुई दस्तावेजों की छपी हुई नकलों में से १०० शब्दों के प्रत्येक सफा का मिलान (Compare) करने की फ़ीस, उन फ़ीसों के अलावा जोकि आरटिकल नं० १ के अनुसार रजिस्ट्री के लिये लीगयी हो, ३ पाई (एक पैसा) के हिसाब से और ली जायगी।

आरटिकल नं० ३

सन् १९०८ ई० के ऐक्ट १६ की दफ़ा ३३के अनुसार मुख्तार-नामाकी तस्दीकके लिए —	रु०	आ०	पा०
अगर ऐसा मुख्तारनामा आम हो	३	०	०
" " खास हो	२	०	०

आरटिकल नं० ४

सन् १९०८ ई० के ऐक्ट १६की दफ़ा ३०के मुताबिक रजिस्ट्रार द्वारा कीगई अख़्यारी रजिस्ट्रीकी एडीशनल फ़ीस (Additional fee)	रु०	आ०	पा०
	६	०	०

यह एडीशनल फ़ीस दस्तावेजके जमा करनेपर अदा न की जायगी और न उस वक्त लगाई जायगी जबकि सब रजिस्ट्रार (Sub registrar)के उस जवानसे जिसमेंदस्तावेज लिखीगई हो नावाकिफ़ होनेके कारण रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जावे और न उस वक्त ही, जबकि दस्तावेजमें लिखे हुए लेन देनसे सब रजिस्ट्रारका कोई सम्बन्ध होने के कारण वह जिला रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाइ जाय। जबकि एडीशनल फ़ीस (Additional fee) न ली जावे तो फ़ीस के रजिस्टरके ७ वे कालममे फ़ीस न लेनेका कारण दर्ज कर दिया जावे।

निस्बत ली जाने वाली फ़ीस उस फ़ीस से ज्यादा न होगी जो अकेले उस पट्टा पर ली जाती।

(आई) गवर्नमेंट के इश्तहार (Notification) न० १०४८ तारीख ३ दिसम्बर सन् १८२५ के अनुसार अगर कोई पट्टा, मुतल्लिक़ जरायत संयुक्त प्रान्त (United Provinces) के किसी जिले में लिखा गया हो और जिसकी मियाद पाच सालसे ज्यादा न हो और जिसमें सालाना किराया ५०) रु० से ज्यादा न आता हो तो वह पट्टा सन् १८७७ ई० के ऐक्ट ३की दफ़ा १७ से बरी है। यह फैसला इलाहाबाद चीफ़ कोर्ट से तय हुआ है (देखो इलाहाबाद लॉ जरनल १२, सफ़ा ७९२, हजारीसिंह वगैरह बनाम त्रिवेनीसिंह वगैरा) कि यह नोटीफिकेशन अब तक प्रचलित है और इन पट्टों को सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफ़ा १७ के असरसे बरी करता है।

(जे) गवर्नमेंट के इश्तहार (Notification) न० ५०३।७ १३२ ता० ८ मई १९१७ के अनुसार अगर संयुक्त प्रांत के किसी जिले में नोटीफाइड एरिया (Notified area) की या नजूलकी जमीनका पट्टा लिखा गया हो जो कि मुतल्लिक जरायत न हो, और जिसकी मियाद ५ साल से ज्यादा न हो और सालाना किराया २५)रु० साल से ज्यादा न हो तो वह सन् १९०८के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १६ की दफ़ा १७के असर से बरी है (यानी लाजिमी Compulsory रजिस्ट्री न होगी)

आरटिकल नं० २

किसी दस्तावेज पर आर्टिकल १ के अनुसार रजिस्ट्री की फ़ीसके अलावा रजिस्टर न० १, ३, और ४ में नक़ल करने की फ़ीसें नीचे लिखे बमूजिब शरह से ली जायगी।

उरदू, हिन्दी, और अंग्रेजी या किसी दूसरी जबान में लिखी हुई दस्तावेज पर —

	रु०	आ०	पा०
जहांकि शब्दोंकी तादाद ४०० से अधिक न हो	०	८	०
इसके ऊपर प्रत्येक१००शब्दोंया उसके किसी हिस्सेके लिये	०	२	०

नोटस

(ए) रजिस्ट्री की पीठपर की तहरीर या सार्टीफ़िकट, जोकि क़ानूनन् (By law) या क़ायदन् (By rule) जायज हों, उसकी रजिस्टरोंमें नक़ल करनेकी फीस न ली जायगी।

(बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६की दफ़ा ६५ और ६६के अनुसार एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर को भेजे जाने के लिये तैयार की हुई नक़ल दस्ता

पेज पर भी पहिले लिखी शरहके बमूजिब फीस ली जायगी लेकिन उन स्मर्ण पत्रों (Memoranda) पर जो कि ऐक्ट की दफा ६४, ६५, और ६६ के अनुसार तैयार किये गये हैं न ली जायगी।

(सी) तादाद शब्दों की जिनपर की फीस लीगयी है और नकल करने की फीस की तादाद खुद दस्तावेज पर और रजिस्टरकी नकलमें भी नीचे की तरफ दर्ज की जायगी।

(डी) शब्दों की तादाद अन्दाजन देना ही काफी है मिलाऊके लिये लेख (Entry) के बीच की तीन या चार लगातार सतरों के हरफ गिनकर, उनका औसत निकाल कर, फिर उस औसत को सतरों की तादाद से गुणा करने पर शब्दों की तादाद मानली जाती है।

(ई) रजिस्ट्री के लिये लाई गयी छपी हुई दस्तावेजों की छपी हुई नकलों मे से १०० शब्दों के प्रत्येक सफा का मिलान (Compare) करने की फीस, उन फीसों के अलावा जोकि आरटिकल न० १ के अनुसार रजिस्ट्री के लिये लीगयी हों, ३ पाई (एक पैसा) के हिसाब से और ली जायगी।

आरटिकल नं० ३

सन् १९०८ ई० के ऐक्ट १६ की दफा ३३के अनुसार मुख्तार नामाकी तस्दीकके लिए —

	रु०	आ०	पा०
अगर ऐसा मुख्तारनामा आम हो	३	०	०
" " खास हो	२	०	०

आरटिकल नं० ४

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६की दफा ३०के मुताबिक रजिस्ट्रार द्वारा कीगई अख्तयारी रजिस्ट्रीकी एडीशनल फीस (Additional fee) — रु० ६ आ० ० पा० ०

यह एडीशनल फीस दस्तावेजके जमा करनेपर अदा नकी जायगी और न उस वक्त लगाई जायगी जबकि सब रजिस्ट्रार (Sub-registrar)के उस जवानसे जिसमदस्तावेज लिखीगई हो नाबालिग होनेके कारण रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जावे और न उस वक्त ही, जबकि दस्तावेजमें लिखे हुए लेन देनसे सब रजिस्ट्रारका कोई सम्बन्ध होने के कारण वह जिला रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जाय। जबकि एडीशनल फीस (Additional fee) न ली जाव तो फीस के रजिस्टरके ७ वे कालममें फीस न लेनेका कारण दर्ज कर दिया जावे।

आरटिकल नं० ५

	रु०	आ०	पा०
अनुवाद (Translation) शामिल करनेकी फीस	१	०	०

आरटिकल नं० ६

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६ की दफ़ा ५७ के अनुसार काग-जातका पता लगाने या मुआइना करनेकी फीस नीचे लिखी शरह के अनुसार लीजावेगी।—

(१) सिर्फ एक ही इन्दराज या एक ही दस्तावेजके मुआइ-नाके लिये—

	रु०	आ०	पा०
(ए) हरएक इन्दराज या दस्तावेजकी, बाबत पहिली सालकी, किताबोंमें मुआइनाके लिये	०	८	०
प्रत्येक इन्दराज या दस्तावेजके लगातार मुआइना करनेकी बाबत प्रत्येक दूसरे सालके रजिस्टरों के लिये	०	४	०

मगर किसी हालतमें ५) रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

(२) तमाम कागजातों जिनका सम्बन्ध एकही जायदादसे है, या जो एकही शख्सके हाथसे लिखे गये हों या जो एकही शख्स के लिये लिखे गये हों, की आम तलाशी या मुआइनाके लिये

	रु०	आ०	पा०
(ए) किताबोंमें पहिली सालकी तलाशीके लिये	१	०	०
(बी) किताबों में, जिसकी तलाश जितने दूसरे सालों तक चली जावे उनमें हरएक साल तकके लिये	०	४	०

किसी भी दशामें१०)रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

नोट्स

(ए) सर्व साधारणके वास्तविक कामके लिये सरकारी दफ्तर या कोर्टके आला अफसरको अर्जी देनेपर (कागजोंकी) तलाशी या मुआइनेके लिये रूल २८७ देखो

(बी) उस दस्तावेजका पता लगानेकी फीस, जिसकी नकलके लिये दीगई अर्जीमें, दावेदार व लिखनेवाले दोनों फरीकैनोंके नाम, उसकी जरूरी बातें दस्तावेज और रजिस्ट्रीकी तारीखें, ठीक तौरसे लिखी गई हों तो पता लगानेकी फीस न लीजायगी। अगर अर्जी देनेवाले से हवाले देनेकी बातोंमें कोई खास बात छूटभी जाय तो भी हरएक मामलेमें यह न माना जायगा कि वह "तलाश" कीगई है और जब तक कि उसकी "तलाश" जरूरी न समझी जावे सिर्फ

नक़ल फ़ीस लीजायगी। रजिस्ट्री करनेवाले अफ़सर को ऐसे मामलेमें अपनी समझसे जान लेना चाहिए कि आया वह अपनी किताबोंमें किसी इन्द्राजको "तलाश" कर रहा है या अर्जी में दिये गये हवाले के अनुसार वह इन्द्राज सिर्फ़ सफ़े लौटने ही से वहीं दर्ज मिलता है

आरटिकल नं० ७

दफ़ा ३१, ३३, या ३८ के अनुसार रजिस्ट्री करनेवाले अफ़सर का निजी मकान या जेलपर ले आनेकी फ़ीस या सन् १९०८ के ऐक्ट १६की दफ़ा ३३ या ३८के अनुसार एक कमीशनके जारी कराने की फ़ीस —

	रु०	आ०	पा०
(ए) फ़ीस जबकि आदमी जिसका मुआइना होने को हो जेल के अन्दर बन्द है	५	०	०
(बी) फ़ीस जब कि आदमी जिसका मुआइना होना है जाब्ता दीवानीकी दफ़ा १३३ के अनुसार खुद हाजिर होनेसे बरी है	१६	०	०
(सी) दूसरे तमाम मामलोंमें	१०	०	०

नोट्स

(ए) इस फ़ीसके अलावा रजिस्ट्रीके दफ़्तरसे एक मीलसे ज्यादा दूरीपर तमाम जगहोंके लिये सफ़र खर्च नीचे लिखे अनुसार अदा किया जायगा —

कवनेन्टड (Covonanted) और फ़ौजी कमीशन्ड, अफ़सरों के मामलेमें जबकि वे सब रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रारके तौरपर काम कर रहे हों तो सफ़र खर्च ३ आना फ़ी मील रेल से और ८ आना फ़ी मील सड़क से लिया जायगा।

दूसरे और सबरजिस्ट्री करनेवाले अफ़सरोंको, सिवाय इसके कि उनको लोकल गवर्नमेंटसे सफ़र खर्च ज्यादा लेने के लिये हुक्म होगया हो या कमिश्नरके लिये अगर वे मुकर्रर किये जावें, डेढ आना फ़ी मील रेलसे और चार आना फ़ी मील सड़क से सफ़र खर्च दिलायाजायगा।

अगर वह जगह एक मीलसे कमहो और रास्ता सड़कका हो तो बँधा हुआ भत्ता आठ आनाके हिसाब से लगाया जायगा।

(बी) जाब्ता दीवानीकी दफ़ा १३३ के अनुसारबरी किये हुएशख्सके मुआइना के लिये गये हुए या मुकर्रर किये हुए कमीशनका खर्चा उसी शख्सको, देना होगा अगर वह पक्षकार जो उसकी शहादत चाहता है न अदा करदे

(सी) जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया जायगा ऐसे नकशोंसे मालूम होगी जो कलक्टरीमें, ऐसही कामोंके लिये जहां कहीं मुमकिन है बनाये जाते हैं,

और रक्खे रहते हैं, या दूसरे मामलेमें, सब-डिस्ट्रिक्टके उस नक़शेकी मददसे हिसाब लगाया जायगा जो सम्भवतः उन सब दफ्तरोंको दिये जाते हैं जो दफ्तर तहसीलके बड़े दफ्तर (Head office) के पास मौजूद नहीं हैं। दफ्तर जोकि तहसीलके हेड आफिसके पास मौजूद हैं तहसीलमें मौजूद नक़शेसे काम लेंगे । मुआइना के अफ़सर, खुद जाच और हिसाब करके किन्ही मदोंको जाच लेगा कि जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया गया है बहुत करके ठीक है।

(डी) परदानशीन या बड़े घरानेकी औरतोंके अंगूठेका निशान लेनेके लिये रजिस्ट्री करने वाले अफ़सरके साथ किसीके निजके मकानपर किसी दाया या नायब औरतको साथ ले जाने की फ़ीस, बिना इस ख्यालके कि ऐसे निजके मकान (Private residence) पर कितनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री कीगई है, पाच रुपया फीस उसकेप्रतिवार जाने की और लीजायगी।

आर्टिकल नं० ८

जबकि सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा ३६ के अनुसार लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किये गये किसी अदालत या अफ़सरको सम्मन जारी करने के लिए अर्जी दीजाय तो तलबाना, जो ऐसी अदालत या अफ़सरके सम्मन जारी करने व कार्रवाई करने के लिए मामूली तौरसे वाजबुल अदा है, तलबाना उस शख्सको, जिसके तरफ़ से अर्जी लिखी गई है और अर्जीके साथ सम्मन भेजे गये हैं, देना होगी।

आर्टिकल नं० ९

गवाहोंका खर्चा, रजिस्ट्री करनेवाला अफ़सर जाबता दीवानीके प्रचलित (Inforce) क़ायदोंके अनुसार तय करेगा और सम्मन जारी करने के लिए अर्जीके साथ भेज देगा । परन्तु यदि उसी आदमीके नाम, जिसने कि दस्तावेज लिखी हो, सम्मन निकाले जाय, तो खर्चा कुछ न लगेगा।

आर्टिकल नं १०

रजिस्ट्री करनेवाले अफसरों द्वारा दिये गये, रजिस्ट्री कीहुई दस्तावेजोंकी तस्दीक़ शुदा नकलोंका खर्चा आरटिकल नं० २ में बताये खर्चे के अनुसार होगा। लेकिन नीचे की तफसील से किसी तरह कम न होगा।

	किताब १, ३, ४ की प्रत्येक दस्तावज, किताबका इन्दराज फाइल धुरुका कागज (नकशा या खाका छोड़कर)			दूसरी किताबों मे हरएक इन्दराजका और सूचीपत्र का (नकशा या खाका छोडकर)			रखे हुए, बयानात हुक्मनामे या मुतफ़र्कात कागजातकी		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
उरदू या हिन्दी की नकल के लिये	०	८	०	०	४	०	०	८	०
अंग्रेजी या दूसरी भाषाकी नकल के लिये	१	०	०	०	८	०	०	४	०

नोट्स

(ए) रजिस्ट्री करनेवाला अफसर, जिला रजिस्ट्रारके मातहतकी हैसियतसे, कामकी मुश्किलात और पेचीदगीको ख्यालकर नकशा या खाकाकी फीस मुकर्रर करे। जबकि किसी शख्स ने, जिसका सम्बन्ध रजिस्ट्रीके मुहकमसे न हो, एक नकशा या खाका की नकल (Copy) तैयार कीगई हो, तो वसूल की हुई फीस उसे दी जा सकती है।

(बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफा ५७ के अनुसार नकलके लिये दीगई अर्जीसे उसकी "तलाश" जरूरी हो जावे तो आरटिकल १ के नोट(बी) के बमूजिब कही हुई फीसके अलावा (नकल) फीस इस आरटिकल के बमूजिब ली जायगी।

(सी) जबकि एक दस्तावेज, एक से ज्यादा भाषाओंमें लिखी गई हो तो खासतौर से ज्यादातर इस्तेमालकी जानेवाली भाषाके हिसाबसे फीस लीजावेगी।

(डी) नकल करनेकी फीसकी तादाद नकल (दस्तावेज) के नीचे दर्ज रहेगी।

(ई) इस आरटिकलकी फीस लेते वक्त, दस्तावेजकी पुश्तपर लिखी हुई तहरीर या सार्टीफिकट जो कि कानूनन् या कायदन् माने गए हो उस दस्तावेज का एक जुज समझे जायगे।

आरटिकल नं० ११

रजिस्ट्रार के द्वारा उसके लोहेके सन्दूकमे रखे हुए ऐसे दस्तावेज जिनका कोई दावेदार नही है प्रत्येक १५ दिन या उसके किसी हिस्सेके लिये ८आना के हिसाबसे उतने दिनोंके लिये कि जितने दिनतक वह दस्तावेज जिम्मदारी (Custody) मे रही है लेकर दी दीजावेगी।

इस दस्तावेजके हिफ़ाजतमे रखनेकी फीस, जो कि रजिस्ट्री हो जानेके बाद या रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिये जानेके बाद पडी रही हो और जिसका कोई

दावेदार हुआ हो किसी,भी हालतमें ५)६० से ज्यादा न होगी और रजिस्ट्रारको यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसी फीसको जिसे इस आरटिकलके अनुसार वह या उसका मातहत रजिस्ट्री करनेवाला अफसर लगा सकता है कुल या कुछ अंशमें माफ करदे, अगर उसे यह इतमीनान होजावे कि उसका जबरदस्ती वसूल करना न्यायके विरुद्ध और कठोरता होगी ।

आरटिकल नं० १२

भारत सरकारके नोट न० ३७६ द्वारा स्थापित सन् १९१२ के ऐक्ट (२ आफ १९१२)को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्टके क्लाज (सी) दफा २८ के अनुसार होमडिपार्टमट के हुक्म ता० २४ अप्रैल १८१४ के बमूजिब नीचे दी हुई फीसे जो कि कानून रजिस्ट्री के अनुसार वाजबुल अदा हैं इस समय माफ की जाती है यानी —

(ए) उस ऐक्टके अनुसार रजिस्ट्रीकी हुई कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा या उसके ओरसे दीजानेवाली सब फीसे कुछ समयके लिये ।

(बी) वह सब ली जाने वाली फीस,जो कि ऐसी किसी सोसाइटीके किसी अफसर या मेम्बर द्वारा लिखी गई दस्तावेजपर, जिसमें उसीके पदके सम्बन्धका काम हो माफकी जाती है ।

इंडियन लिमीटेशन ऐक्ट

अर्थात्

भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ ई०

ऐक्ट नं० ९ सन् १९०८ ई०



(तारीख़ ७ अगस्त सन् १९०८ ई० को पास हुआ)

नालिशोंके तथा अन्य कामोंके मियाद सम्बन्धी कानूनोंका संशोधन करनेके लिए कानून



चूंकि यह उचित जान पड़ता है कि नालिशों, अपीलों और अदालतों को दी जाने वाली दरख्वास्तों की मियाद सम्बन्धी कानून का संग्रह एवं संशोधन किया जाय, और चूंकि यह भी उचित जान पड़ता है कि हक़ आसायश तथा दूसरी जायदाद के, उसपर कब्जा करके, मिल्कियत हासिल करने के लिए नियमों की व्यवस्था की जाय, इसलिए यह नीचे लिखा कानून जारी किया जाता है —



प्रथम प्रकरण

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन लिमीटेशन ऐक्ट (भारतीय क़ानून मियाद) सन् १९०८ ई०' होगा

२ इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा, और

३ यह दफा और दफा ३१ फौरन् अमल में लाई जावेगी। इस ऐक्ट के बाकी हिस्से पर तारीख़ १ जनवरी सन् १९०९ ई० से अमल किया जावेगा।

दफा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो—

१ "सायल (Applicant)" शब्द में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से किसी सायल (दरख़्वास्त देने वाला) को दरख़्वास्त देने का हक़ हासिल होता हो।

२ "हुंडी (Bill of exchange)" में हुंडी और चेक शामिल होंगे।

३ "तमस्सुक (Bond)" में कोई भी ऐसा दस्तावेज शामिल होगा जिसके ज़रिये से कोई शख़्स दूसरे शख़्स को इस शर्त पर रुपया अदा करने की, ज़ुम्मेदारी ले। यह ज़ुम्मेदारी (Obligation) उस समय रद समझी जायगी, अगर अमुक कार्य किया गया अथवा पूरा न किया गया, जैसी कुछ भी अवस्था हो।

४ "मुद्दाअलेह (Defendant)" में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से कोई मुद्दाअलेह इस क़ाबिल होता हो कि उस पर नालिश की जाय।

५ "हक़ आसायश (Easement)", में कोई भी ऐसा हक़ शामिल होगा जो किसी मुआहिदा (Contract) से पैदा न हुआ हो और जिससे किसी शख़्स को दूसरे शख़्स की जमीन के किसी हिस्से को या दूसरे शख़्स की आराज़ी पर उगी हुई, या उसके साथ शामिल या उस पर स्थित किसी वस्तु को हटा कर अपने कामों में लाने का अधिकार प्राप्त होता हो।

६ "विदेश (Foreign Country)" से अर्थ होगा ब्रिटिश भारत को छोड़ कर कोई भी देश।

७ "नेक नीयती (Good faith)", कोई भी ऐसी बात नेक नीयती से कीगई न समझी जायगी जो सावधानी से और सचेत होकर न कीगई हो।

८ "मुद्दई (Plaintiff)" में कोई भी ऐसा शख़्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से किसी को नालिश दायर करने का हक़ हासिल होता हो।

९ "इन्नुल तलब रुक्का (Promissory Note)" का अर्थ होगा कोई भी दस्तावेज (या कागज) जिसके जरिये से उसका लिखने वाला किसी एक निश्चित रकम को, उसमें बतलाये हुए समय पर, या तलब किए जाने पर, या उसके देखते ही, किसी दूसरे शख्स को अदा कर देने का कतई इकरार करे।

१० "नालिश (Suit)" में अपील या दरख्वास्त शामिल न होगी, और

११ "ट्रस्टी (Trustee)" में बेनामीदार, वह मुर्तहिन जो रेहननामा का मतालिबा बेबाक होजाने के बाद काबिज बना रहे अथवा बिना हकीयत जबर्दस्ती कब्जा करने वाला शख्स, शामिल, न होगा।

दूसरा प्रकरण



नालिशों, अपीलों और दरख्वास्तोंकी मियाद

दफा ३ मियाद की मुद्दत खतम होजाने के बाद दायरकी गई नालिशोंका खारिज कर दिया जाना

दफा ४ से २५ तक की दफाओं में बतलाए हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुए प्रत्येक ऐसी नालिश, अपील और दरख्वास्त, जो उस मियाद की मुद्दत खतम हो जाने के बाद दायर कीगई, पेश की गयी, और दी गई हो, जो इसके लिए परिशिष्ट (१) में बतलाई गई है, खारिज कर दी जायगी, चाहे मियाद की बात उसके जवाब में न भी आई हो।

विवरण—साधारणतया कोई नालिश उस समय दायर कीगई समझी जाती है जब कि अर्जीदावा किसी मुनासिब अफसर (हाकिम) के सामने पेश किया गया हो, अगर वह किसी मुफलिस (Pauper) की ओर से दायर कीगई हो, तो उस समय जब कि उसने बहैसियत मुफलिस (Pauper) नालिश करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी हो, और अगर किसी ऐसी कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा दायर किया गया हो, जिसके हिसाब किताब का तस्फिया और उसकी शिराकत का खातमा (Winding-up) उस अदालत में हो रहा है, तो उस समय जब दावेदार पहले पहल अपना दावा आफिशल लिक्विडेटर (सरकारी पावनेदार) के पास पेश करे।

दफा ४ जब मियाद खतम होने के समय अदालत बन्द हो

जब कि मियाद की वह मुद्दत, जो किसी नालिश, अपील या दरख्वास्त के लिए मुकर्रर (नियत) है, उस रोज खतम होती हो जब कि अदालत बन्द है, तो वह नालिश, अपील या दरख्वास्त उस तारीख को दायर की, पेश की, या दी जानी चाहिए जिस तारीख को अदालत फिर खुलती हो।

दफा ५ कुछ अवस्थाओं में मियादकी मुद्दतका बढ़ाया जाना

कोई भी अपील या दरख्वास्त, जो किसी फैसले की नजरसानी या अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दीगई हो, या दूसरी कोई दरख्वास्त, जिसके सम्बन्ध में [उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा या उसके अनुसार] यह दफा लागू की जा सके, उस मियाद की मुद्दत खतम होने के बाद भी, जो उसके लिए मुकर्रर है, ली जा सकती है, जब कि अपीलाण्ट या सायल, अदालत को इस बात का इतमीनान करा दे कि उसके इस मियाद के अन्दर अपील पेश न कर सकने या दरख्वास्त न दे सकने के लिए काफी वजह थी।

विवरण—यह बात कि अपीलाण्ट या सायल को हाईकोर्ट के किसी हुक्म, प्रथा (दस्तूर) अथवा फैसले से मियाद के लिए मुकर्रर मुद्दत के किसी निश्चित करने या तखमीना लगाने में गलत फहमी होगई है, इस दफा के अर्थ में काफी वजह समझी जायगी।

दफा ६ कानूनी नाकाबलियत

१ जब कोई शख्स, जो नालिश दायर कर सकने या किसी डिकरी की इजरा के लिए दरख्वास्त देने का हक रखता है, उस समय, जिस समय से मियाद की मुद्दत का शुमार किया जाना चाहिए, नाबालिग, या पागल, अथवा मूर्ख (बेवकूफ) हो, तो वह उस नाकाबिलियत के दूर हो जाने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है जो उस समय के बाद दीगई हो जो परिशिष्ट (१) के तीसरे खाने में इसके लिए नियत है

२ जब ऐसा शख्स उस समय, जब से मियाद की मुद्दत का शुमार किए जाने को है, ऐसी दो बातों की वजह से नाकाबिल ठहरता हो, या जब, उसकी नाकाबलियत दूर होने के पहिले, वह किसी दूसरी बात की वजह से नाकाबिल हो गया हो, तो वह इन दोनों नाकाबलियतों के दूर होजाने के बाद उसी मुद्दत के अन्दर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है, जो इस नियत समय के बाद दीगई हो।

३ जब यह नाकाबलियत (अयोग्यता) उस शख्स के मरने के समय तक बनी रहे, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि उसके मरने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकते हैं या दरख्वास्त दे सकते हैं जो इस नियत समय के बाद दीगई हो।

४ जब मृत्यु के समय ऐसा प्रतिनिधि ऐसी किसी बात की वजह से नाकाबिल (अयोग्य) हो, तो उस समय उप-दफा (१) और (२) में बतलाए हुए नियम लागू होंगे।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'अ' को एक नावके किराया की बातकी नालिश करनेका हक उसकी नाबालिगी (Minority) में पैदा होता है। इस हक पैदा होने की तारीख से चार साल बाद वह बालिग होता है वह बालिग होनेकी तारीखसे तीन साल के अन्दर किसी भी समय नालिश दायर कर सकता है।

(बी) 'क' को अपनी नाबालिगी की हालत में नालिश दायर करने का हक पैदा होता है। इस हक पैदा होने की तारीख के बाद, लेकिन नाबालिगी की हालत में ही, वह पागल हो जाता है। ऐसी दशा में 'क' के विरुद्ध मियाद उस तारीख से शुरू होती है जब उसका पागलपन और नाबालिगी दोनों खतम हो जाती है।

(सी) 'च' को अपनी नाबालिगी की हालत में नालिश करने का हक़ पैदा हुआ। 'च' बालिग होने के पहिले ही मर जाता है और उसका नाबालिग लड़का 'छ' उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो ऐसी दशा में 'छ' के विरुद्ध मियाद उसके बालिग हो जाने के बाद से शुरू होती है।

दफा ७ कई एक मुद्दइयों या सायलोंमें से किसी एकका नाकाबिल (अयोग्य) होना

जब कई एक आदमियों में से, जिनको किसी नालिश के दायर करने या किसी डिकरी की इजरा के लिए दरख्वास्त देने का मुश्तरका (एक में) हक़ हासिल है, कोई एक शख्स ऐसी किसी बात की वजह से नाक़ाबिल होजावे, और ऐसे शख्स की बिना राय लिए बेबाकी (फ़ारखती) की जा सकती हो, तो मियाद की मुद्दत का शुमार उन सब के सम्बन्ध में किया जायगा, लेकिन अगर ऐसी बेबाकी (फ़ारखती) न की जा सकती हो, तो उनमें से किसी इक के सम्बन्ध मे मुद्दत का शुमार न किया जा सकेगा, जब तक कि उनमें का कोई एक शख्स इस क़ाबिल न हो जाय कि वह बिना बाक़ी लोगों की राय [illegible] ऐसी बेबाकी (फ़ारखती) कर सके या जब तक कि वह नाक़ाबलियत (अयोग्यता) दूर न होजाय।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क' ने एक फ़र्म से जिसके 'ख' 'ग' और 'घ' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्ज़ा लिया 'ख' पागल है, और 'ग' नाबालिग है। 'घ' बिना 'ख' और 'ग' की राय लिए हुए उस कर्ज़े की फारख़ती कर सकता है। ऐसी दशा में मियाद का शुमार 'ख', 'ग' और 'घ' सभी के सम्बन्ध मे किया जा सकेगा।

(बी) 'क' ने एक फ़र्म से जिसमें 'च' 'छ' और 'ज' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्ज़ा लिया। 'च' और 'छ' पागल हैं, और 'ज' नाबालिग है। ऐसी दशा में उनमें से किसी के भी सम्बन्ध में मियाद का शुमार न किया जायगा, जब तक कि 'च' या 'छ' कोई एक अच्छा न होजाय अथवा 'ज' बालिग न होजाय।

दफा ८ कुछ विशेष अवस्थाओंमें इन नियमोंका लागू न होना

दफ़ा ६ मे अथवा दफ़ा ७ मे कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उन नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती हो जो हक़ शिफ़ा करने का अधिकार (हक़) प्राप्त करने के लिए दायर कीगई हो, या जिससे यह समझा जाय कि वह उस मियाद की, जिसके अन्दर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दरख्वास्त दी जानी चाहिए, मुद्दत को इस नाक़ाबलियत के दूर होजाने के समय से अथवा उस शख्स की, जिसके ऊपर इसका असर पड़ा है, मृत्यु होजाने के समय से, तीन साल से अधिक बढ़ा सके।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क', जिसको अपनी नाबालिगी में किसी विशेष वसीयतके सम्बन्ध में नालिश करनेका हक पैदा हुआ, इस हक पेदा होनेकी तारीखसे वह ग्यारह वर्षबाद बालिग होता है। साधारण क़ानून के अनुसार 'क' को सिर्फ एक साल और मिलता है जिसके अन्दर उसे नालिश कर देना चाहिए। लेकिन दफ़ा ६ और इस दफ़ा के अनुसार उसको दो साल का समय और दिया जायगा और इस तरह कुल मिलाकर, उसके बालिग होने की तारीख़ से तीन साल की मुद्दत हो जाती है, जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है।

(बी) 'क' को एक पैतृक स्थान (गद्दे) के लिए नालिश दायर करने का हक पैदा हुआ और उस समय वह पागल है। छ साल के बाद 'क' का होश वह हवास ठीक हो जाता है। साधारण क़ानून के अनुसार 'क' को जिस तारीख़ को उसका पागलपन दूर हुआ था, उससे छ सालका समय मिलता है जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है। ऐसी दशा मे दफ़ा ६के अनुसार, जब कि वह इस दफ़ा के साथ पढ़ी जाय, उसको अधिक समय न बढ़वा मिलेगा।

(सी) 'क' को, जोकि मूर्ख (बेवकूफ) है एक आसामी से कब्ज़ा हासिल करने के लिए बहैसियत जमींदार के नालिश दायर करने का हक पैदा होता है। हक पेदा होने के तीन साल बाद 'क' मर जाता है और उसकी मूर्खता (Idiocy) उसके मरने के समय तक बनी रहती है। साधारण क़ानून के अनुसार 'क' के उत्तराधिकारियों को 'क' के मरने की तारीख से तो सालका समय मिलता है जिसके भीतर वे नालिश दायर कर सकते हैं। दफ़ा ६, जब-कि वह इस दफ़ा के साथ पढी जाय, इस मुद्दत को बढ़ा नही सक्ती, सिवाय उस हालत मे जब कि वह प्रतिनिधि स्वय उस समय नाक़ाबिल (अयोग्य) हो जिस समय उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था।

दफ़ा ९ समयका बराबर चलता रहना

जब एक बार मियाद की मुद्दत जारी होगई हो, तो बाद म नालिश दायर कर सकने की अयोग्यता (नाक़ाबलियत) या असमर्थता मजबूरी) से उस मुद्दत का जारी रहना रुक नही सकता।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी महाजनकी रियासतके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र (Letters of administration) उसके ऋणी (कर्जदार) को दे दिये गये हों, तो उस ऋण (कर्जा) की वसूलीके लिए दायर कीजानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) समयको जारी रहना उस समय तकके लिए रोक दिया जायगा जबतक कि उस रियासतका प्रबन्ध होता रहेगा।

दफा १० ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध की जाने-वाली नालिशें

चाहे इसके पहिलेवाली दफाओंमें कुछ भी लिखा हो, किसी भी नालिशकी, जो किसी ऐसे शख्सके ऊपर, जिसको जायदाद ट्रस्टमें दीगई है, किसी भी खास कामके लिए दायर कीगई हो, या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या मुन्तकिल अलेहों के ऊपर (जो ऐसे मुन्तकिलअलेह नहीं हैं जिनके नाम जायदाद कुछ रकम लेकर मुन्तकिल कीगई है) उसके या उनके हाथमें वह जायदाद या उसकी आमदनीको बनाए रखने के लिए, या ऐसी जायदाद या आमदनीके हिसाब किताब समझाने के लिए दायर कीगई हो, किसी भी समय मियाद आरिज नहीं होगी ।

दफा ११ ब्रिटिश भारतसे बाहर लिखे गये मुआहिदोंकी बाबत नालिश

१ जो नालिशें ब्रिटिश भारतके भीतर उन मुआहिदों (Contracts) के ऊपर दायर की जायगी जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये हों, उनके सम्बन्धमें इस ऐक्टमें बतलाए हुए मियादके नियम लागू होंगे।

२ ब्रिटिश भारतके बाहर प्रचलित मियाद सम्बन्धी नियम उस नालिशके बचावमें न पेश किये जासकेंगे, जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये मुआहिदे की निस्बत दायर कीगई हो, जबतक कि उस नियमसे यह मुआहिदा रद्द न होजाता हो और जिन फरीकैनके दर्मियान, वह मुआहिदा हुआ है वे उस मियादके अन्दर उसी देशमें रहते न हो जो मियाद कि ऐसे नियमके अनुसार निश्चित कीगई है।

तीसरा प्रकरण

मियादकी मुद्दतका शुमार

दफा १२ कानूनी कार्रवाईमें समयका निकाल दिया जाना

१ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी नालिश, अपील या दरख्वास्तके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) है, वह दिन निकाल दिया जायगा जिस दिनसे ऐसी मुद्दतका शुमार किया जाना चाहिए।

२ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी अपील, अपील करने के लिये इजाजत हासिल करनेकी दरख्वास्त और फैसलेकी नजरसानी करने के लिए दीजानेवाली दरख्वास्तके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) है, वह दिन, जिसको वह फैसला दिया गया था जिसकी निस्बत शिकायत है, और वह समय, जो डिकरी सजा या हुक्मकी, जिसकी अपील कीगई है या निगरानी कराई जाने को है, नकल हासिल करने के लिए आवश्यक है, निकाल दिए जायंगे।

३ जब किसी डिकरीकी अपील कीगई हो या उसकी नजरसानीकी दरख्वास्त दीगई हो, तो जिस फैसलेके आधारपर वह डिकरी दीगई है उसकी नकल हासिल करने के लिए जितने समयकी जरूरत है वह भी निकाल दिया जायगा।

४ किसी पञ्चायती फैसलेको रद करने के लिए दीजानेवाली दरख्वास्तके लिए नियत (मुकर्रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें वह समय निकाल दिया जायगा जो उस पञ्चायती फैसलेको नकल हासिल करने के लिए दरकार है।

दफा १३ ब्रिटिश भारतमें तथा अन्य देशोंसे मुद्दाअलेहकी अनुपस्थितिके समयका निकाल दिया जाना

किसी नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारतसे और ब्रिटिश भारतके बाहर उन देशोंसे गैर हाजिर रहा है जो सरकारके शासनाधीन (Under the administration) है।

दफा १४ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेकनीयतीके साथ उस अदालतमें कार्रवाई कीगई हो जिसे उस मामलेकी समाअत करनेका अख्तियार न भी हो

१ किसी नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय, जिसमें मुद्दई उचित प्रयत्नके साथ किसी दूसरे दीवानी मामले

में, जो उसने मुद्दा अलेहके विरुद्ध दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालतमें अथवा अदालत अपीलमें पैरवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा, जबकि वह मामला उसी बिनाय मुखासमतके ऊपर दायर किया गया हो और जो नेकनीयती के साथ उस अदालतमें दायर किया गया हो जो इस मामलेमें अख्त्यार समाअत न रखने के कारण अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे उसकी सुनवाई करनेमें असमर्थ है।

२ किसी दरख्वास्त के सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) मियादका शुमार करने में, वह समय, जिसमें सायल (Applicant) उचित प्रयत्न (मुनासिब) कोशिशके साथ किसी दूसरे दीवानी मामलेमें, जो उसने उसी फरीकके खिलाफ उसी दादरसीकी बाबत दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालत अथवा अदालत अपीलमें, पैरवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा जबकि ऐसा मामला नेक नियतीके साथ किसी ऐसी अदालतमें दायर किया गया हो, जो अख्त्यार समाअत न होने अथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारणसे उसकी सुनाई कर सकने में असमर्थ हो।

विवरण १ उस समयके निकाल देनेमें, जिसमें पहिलेकी कोई नालिश या दरख्वास्त फैसल नहीं हुई थी (Was pending), वह दिन, जिसको वह नालिश या दरखवास्त दायर कीगई थी, और वह दिन जिसको उस सम्बन्धमें कार्रवाई खतम हुई है, दोनो शुमार कर लिए जायंगे।

विवरण २ इस दफा के प्रयोजनके लिए किसी मुद्दई और उस सायल (Applicant) की निस्बत, जो किसी अपीलके विरोधमें कार्रवाई कर रहा हो, यह समझा जायगा कि वह किसी मामलेमें पैरवी कर रहा है।

विवरण ३ इस दफा के प्रयोजनके लिए फरीकैनका या बिनाय मुखासमत का बेजा तौरपर शामिल किया जाना अख्त्यार समाअत न होनेका जैसा कारण समझा जायगा।

दफा १५ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें कार्रवाई मुकद्दमा मुल्तवी रही है

१ किसी ऐसी नालिश या किसी डिकरीकी इजराके लिए दीगानेवाली ऐसी दरखवास्तके सम्बन्धमें, जिसका दायर किया जाना या इजरा, या हुक्म इम्तनाई या दूसरे हुक्मसे मुल्तवी कर दिया गया है,नियत(मुकर्रर)मियादकी मुद्दतका शुमार करने मे वह समय, जिसमे वह हुक्म इम्तनाई या दूसरा हुक्म जारी रहा है, वह दिन, जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको कि वह वापस लिया गया था, निकाल दिए जायंगे।

२ किसी ऐसी नालिशके सम्बन्धमें, जिसकी नोटिस उस समय प्रचलित किसी भी कानूनके अनुसार दे दीगई है, नियत (मुकर्रर) मियादका शुमार करनेमें ऐसी नोटिसकी मुद्दत निकाल दीजायगी।

दफा १६ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें किसी डिकरी की इजरामें होनेवाली नीलामको रद्द कर दिए जाने के लिए दायर किया गया मामला फैसल नहीं हुआ था

उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी डिकरीकी इजरा में होनेवाली नीलामके खरीदारकी ओरसे खरीद की हुई जायदादपर कब्जा दिलापानेके लिए दायर की जानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) कीगई है, वह समय, जिसमें नीलाम रद्द किए जानेके लिए दायर किया गया मामला चलता रहा है, निकाल दिया जायगा।

दफा १७ नालिश करनेका हक पैदा होनेके पहिले मौत हो जानेका असर

१ जब वह शख्स, जिसे, अगर वह जीवित होता तो, किसी नालिशके दायर करने या दरख्वास्त देनेका हक मिला हुआ होता, ऐसे हकके पैदा होनेके पहिले ही मर जाय, तो मियादकी मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा होजाय जिसे नालिश दायर कर सकने या दरख्वास्त दे सकनेका हक था।

२ जब वह शख्स, जिसके विरुद्ध, अगर वह जीवित होता, नालिश दायर किए जाने या दरख्वास्त दिए जाने का हक पैदा हुआ होता, ऐसा हक पैदा होने के पहिले ही मर जाता है, तो मियादकी मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा होगया हो जिसके विरुद्ध मुद्दई नालिश दायर कर सके या दरख्वास्त देसके।

३ उप दफा (१) और (२) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस नालिश के सम्बन्धमें, जो हक शिफा करनेका हक कायम कराने के लिए दायर कीगई हो, या उस नालिशके सम्बन्धमें लागू होती हो जो जायदाद गैर मनकूला या किसी पैत्रिक पद (Hereditary Office) का कब्जा दिलापाने के लिए दायर कीगई हो।

दफा १८ फरेब (Fraud) का परिणाम

जब किसी शख्सको, जिसे नालिश दायर कर सकने या दरख्वास्त देने का हक है, फरेबसे ऐसे हककी या उस हकीयतकी, जिसके आधारपर वह पैदा होता है, बात जानने न दीगई हो, या जब कोई कागज (Document), जो ऐसे

हकको तय करने के लिए जरूरी है, छल (फरेब) करके उसमे छिपाया गया हो, तो उस मियाद की मुद्दतका, जो,—

(ए) उस शख्सके विरुद्ध जोकि छल (फरेब) करनेका दोषी है अथवा उसमे सहायक रहा है, या

(बी) उस शख्सके विरुद्ध, जो, नेकनीयतीसे और किसी रुपयेके बदलेके सिवा और किसी तरह, उसके जरिये से दावेदार है नालिश दायर किए जाने या दरख्वास्त दिए जानेके लिए नियत है,

शुमार उस समयसे किया जायगा जब पहिले पहल उस छल (फरेब) का पता उस शख्सको मिला हो जिसको इससे क्षति पहुँची है, या, किसी कागज छिपाये जानेकी दशामें, उस समय से, जब उसके पास पहिले पहल उसके पेश करने या पेश करा सकने के साधन मौजूद थे।

दफा १९ लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) का असर

जब उस मुद्दतके खतम होनेके पहिले, जो किसी जायदाद या हकके सम्बन्धमें दायर की जानेवाली नालिश या दीजानेवाली दरख्वास्तके सम्बन्धमें नियत है, ऐसी जायदाद या हकके सम्बन्धमें दायित्व (Liability) का लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) दे दिया गया हो, जिसपर उस शख्सने जिसके विरुद्ध ऐसी जायदाद या ऐसे हककी निस्बत दावा किया हो या उस शख्सने जिसके जरियेसे उसे हकीयत या दायित्व पैदा होता है, अपने हस्ताक्षर कर दिए हों, तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) पर इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए हों।

२ जब उस, स्वीकृत पत्र (Acknowledgement) के ऊपर तारीख न पडी हो, उस समयके सम्बन्धमें, जिस समय कि उसपर हस्ताक्षर किए गए थे, जबानी शहादत पेश की जासकती है, लेकिन भारतीय कानून शहादत (Indian Evidence Act) सन् १८७२ ई० के नियमों की पाबन्दीमें रहते हुए उसमें लिखी गई बातोंके सम्बन्धमें ज़बानी शहादत न लीजायगी।

विवरण १—इस दफा के प्रयोजनके लिए लिखित स्वीकृत पत्र (Acknowledgement) काफी समझा जायगा, यद्यपि उसमे जायदाद या हककी असली हालत न भी बतलाई गई हो, या उसमे यह बतलाया गया हो कि अदायगी (Payment) सिपुर्दगी (Delivery) तामील (Performance) या इस्तेमाल (Enjoyment) का समय अभी नहीं आया है या उसमें अदायगी, सिपुर्दगी और तामील करने या इस्तेमालकी इजाजत देनेसे इन्कार कर दीगई हो, या उसमें मुजराई रकमकी निस्बत दावा किया गया हो अथवा यह उस शख्स के सिवाय, जो उस जायदाद या हकके पानेका अधिकारी है, दूसरे शख्सके नाम लिखा गया हो।

विवरण २—इस दफा के प्रयोजनके लिए "हस्ताक्षर कर दिए हों" का अर्थ यह है कि उसने अपने हाथसे दस्तखत कर दिए हों, या उसके किसी मुख़्तार (Agent) ने, जिसे इस सम्बन्धमे अधिकार दिए गए हैं, उसकी ओरसे दस्तखत कर दिए गए हों।

विवरण ३—इस दफा के प्रयोजनके लिये किसी डिकरी या हुक्मकी इजरा के लिये दीगई दरख्वास्त किसी हक़की निस्बत दीगई दरख्वास्त है।

दफा २० ब्याजका बतौर ब्याजके अथवा मूलके किसी अंश (हस्से) के अदाकर देनेका असर

१ जब किसी ऋण (क़र्ज़ा) या हिबाबिल् वसीयत (Legacy) के सम्बन्ध मे दातव्य (वाजिब) ब्याजका रुपया नियत समयके समाप्त होनेके पहिले बतौर ब्याजके उस शख्स द्वारा, जो ऋण अथवा हिबाबिल् वसीयतसे प्राप्त धन का देनदार है, अथवा उसके मुख़्तार मजाज द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमे बाक़ायदा अख़्त्यार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

या जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का कोई अंश (हिस्सा) नियत रुपये के समाप्त होने के पहिले, ऋणी द्वारा या उसके मुख्तार द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमें बाक़ायदा अख़्त्यार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जबकि इस ब्याज अथवा मूलधनका रुपया अदा किया गया था।

लेकिन शर्त यह है कि, जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का एक अंश (हिस्सा) अदा किया गया हो तो, यह अदायगी उसके हाथसे लिखी गई होनी चाहिए जिसने रुपया अदा किया है।

२ रेहन की हुई आराजी की पैदावार वसूल लेने का असर—

जब रेहन की हुइ आराजी पर मुर्तहिन का दख़्ल (क़ब्जा) हो, तो ऐसी आराजी के लगान या उसकी पैदावार का वसूल कर लेना उपदफा (१) के प्रयोजन के लिए अदायगी समझा जायगा।

विवरण—ऋण (क़र्ज़ा Debt) में वह रुपया भी शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुक्म के अनुसार वाजिबुल् अदा हो।

दफा २१ जो शख्स नालिश वग़ैरा के नाक़ाबिल है, उसका मुख्तार

१ दफा १९ और २० में आए हुए "मुख़्तार जिसको इस सम्बन्ध में बाक़ायदा अख़्त्यार दिया गया हो" वाक्य में, उस शख्स के सम्बन्ध मे, जो नालिश वग़ैराके नाक़ाबिल (अयोग्य) है, उसका क़ानूनी वली, कमेटी या मैनेजर, अथवा इन मुख़्तार जिसको ऐसे वली, कमेटी या मैनेजरकी ओर से स्वीकृति पत्र (Ackn

owledgement) पर हस्ताक्षर करने या रुपये की अदायगी करने का पद्दा अख़्तयार दिया गया हो।

२ कई एक मुश्तरका मुआहिदादारों इत्यादि में से किसी एक की ओ स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) का लिखा जाना या रुपये का किया जाना—

उपरोक्त दफ़ाओं में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे कई एक मुश मुआहिदादारों, हिस्सेदारों, तामील कुनिन्दो अथवा मुर्तहिनोंमें से कोई एक केवल किसी लिखित स्वीकृति पत्र के कारण, जिसपर उसके या उनमें से दूसरे या किन्ही दूसरों के मुख्तारने हस्ताक्षर किए हों या उस अदायगीके जो उसके या उनमें से किसी दूसरे या किन्ही दूसरों के मुख्तार द्वारा कीगई

दफ़ा २२ नये मुद्दई या मुद्दाअलेह के बढाए जाने या कि दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह पर शा कि‍ए जाने का असर

१ जब नालिश दायर हो जाने के बाद नए मुद्दई या मुद्दाअलेह का बढाया जाय या किसी दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह शामिल किया ज तो जहां तक उसका सम्बन्ध है वह नालिश उस समय दायर कीगई स जायगी जब कि वह शख्स फरीक मुकद्दमा बनाया गया था।

२ उप दफ़ा (१) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस मामले में ल होती हो जिसमें कोई शख्स किसी मुकद्दमे के दौरान में कीगई किसी हक मुन्तकिल कर दिए जाने (Assisment) या दे दिए जाने (Devolution) कारण बढ़ाया गया हो या दूसरे शख्स की जगह फरीक बनाया गया हो जिसमें कोई मुद्दई मुद्दाअलेह बना दिया गया हो और मुद्दाअलेह मुद्दई।

दफ़ा २३ शिकस्त मुआहिदा और फेल-बेज़ा का बराब जारी रहना

जब किसी मुआहिदाकी शिकस्त (Breaches) और फेल बेजा (Wrong जिसका मुआहिदा से कोई ताल्लुक नहीं है बराबर जारी रहे, तो ऐसी दशा मियाद की मुद्दत उस समय के प्रत्येक मिनट से जारी होगी जिसमें वह शिकस मुआहिदा या फेल बेजा, जैसा कुछ भी हो, जारी रहा हो।

दफ़ा २४ किसी ऐसे कामके लिए मुआविज़ेकी नालिश, जो बिना कोई ख़ास नुक़सान पहुंचाए न की जा सकती हो

अगर कोई नालिश किसी ऐसे काम के मुआविजे की बाबत दायर कीगई हो, जिसमें उस समय तक मुकदमे की बिनाय मुख़ासमत न पैदा होती हो जा

तक कि उससे कोई खास नुकसान न पहुँचा हो, तो मियाद की मुद्दत का शुमार उस समय से किया जायगा जब कि नुकसान हुआ हो।

उदाहरण (Illustration)

'क' एक खेत की ऊपरी जमीन का मालिक है। 'ख' उसके नीचे की जमीन (Sub-said) का मालिक है। 'ख' उस ऊपरी जमीन को बिना कोई जाहिरा नुकसान पहुंचाए उसमें से खोद कर कोयला निकालता है, लेकिन अन्त में वह ऊपरी जमीन बैठ जाती है। ऐसी दशा में 'क' की ओर से 'ख' के ऊपर की जाने वाली नालिश की मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होती है जिस समय वह जमीन बैठ गई थी।

दफा २५ दस्तावेजमें बतलाई हुई मुद्दतका शुमार

इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिए कुल दस्तावेजों की निस्बत यह समझा जायगाकि उनमें बतलाई गई मुद्दतका शुमार वे भी ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के हिसाब से किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) एक हिन्दू ने एक इन्दुल्तलब रुक्का (Promissory note) लिखा जिसमें उसने सिर्फ देशी तारीख [Native date] डाली और इस तारीख से ४ महीने के बाद रुपये की अदायगी का वादा किया। इस रुक्का की निस्बत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुद्दत का शुमार उस तारीखसे चार महीने, जिनका शुमार ग्रीगोरियन साल के हिसाब से किया जायगा गुजर जाने के बाद से किया जायगा।

(बी) एक हिन्दू ने एक तमस्सुक लिखा, जिसपर उसने देशी तारीख (Native date) डाली और रुपये की अदायगी का एक साल का वादा किया। तो इस तमस्सुक की बाबत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुद्दत का शुमार उस तारीख के बाद एक साल की जिसका शुमार ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के अनुसार किया जायगा, मुद्दत खतम हो जाने के समय से आरम्भ की जायगी।

नोट—ग्रीगोरियन साल ३६६ दिन का होता है।

चौथा प्रकरण

दखल के ज़रिये मिल्कियत का हासिल करना

Acquisition of ownership by Possession

दफा २६ हक आसायश का हासिल करना

१ जब किसी मकान के सम्बन्ध में रोशनी या हवा के आने जाने और उसके इस्तेमाल के हक का बतौर हक आसायश और अधिकार के बिना किसी रोक-टोक के और बीस साल तक उपभोग किया गया हो,

और जब किसी मार्ग (Way) या जल-मार्ग (Water Course), अथवा किसी पानी के इस्तेमाल का हक या दूसरा हक आसायश [चाहे वह इकरारी हो या इन्कारी] का शान्ति के साथ और खुले तौर पर किसी ऐसे शख्स द्वारा, जो उसके लिए बतौर हक आसायश और अधिकार के दावेदार है, बिना रोक-टोक और बीस साल तक उपभोग किया गया हो,

तो ऐसी रोशनी या हवा के आने जाने और इस्तेमाल, मार्ग, जल-मार्ग, पानी के इस्तेमाल या दूसरी आसायश के इस्तेमाल का हक कतई और ऐसा होगा जिसमें कोई कुछ भी आपत्ति न कर सकेगा।

उपरोक्त बीस साल की हरएक मुद्दत ऐसी मुद्दत समझी जायगी जिसकी समाप्ति उस नालिश के दायर किए जाने के ठीक दो साल पहिले हुई हो जिसमें उस दावा की निस्बत झगडा है जिससे इस मुद्दत का सम्बन्ध है। --

२ जब वह जायदाद, जिसके ऊपर उप दफा (१) के अनुसार किसी हक की निस्बत दावा किया गया है, सरकारी [गवर्नमेंट की] जायदाद हो, तो उस उप-दफा में "बीस साल" की जगह "साठ साल" पढना चाहिए।

विवरण—इस दफा के अर्थ कोई भी बात रोक-टोक करने वाली न समझी जायगी, जब तक कि दावेदार को छोड़ किसी दूसरे शख्स के किसी काम से रुकावट डाले जाने के कारण इस दखल या उपभोग (enjoyment)को वास्तव में रोक न दिया गया हो और जब तक कि ऐसी रुकावट दावेदार को इस रोक-टोक किए जाने की और उस शख्सकी, जिसने यह रोक टोक डाली है या उसके डाले जाने के लिए दूसरे को अधिकार दिया है, नोटिस मिल जाने के बाद एक साल तक उस रोक-टोक को छोड़ न दिया गया हो या स्वीकार न कर लिया गया हो।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) एक नालिश मार्ग (Way) सम्बन्धी अधिकार में रुकावट डालने के लिए सन् १९११ ई० में दायर की जाती है। मुद्दाअलेह इस रुकावट डालने की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस मार्ग सम्बन्धी अधिकारको अस्वीकार करता है। मुद्दई यह साबित करता है कि उसने उस अधिकार का शान्ति के साथ और खुले तौर पर, इसके सम्बन्ध में बतौर हक आसायश के दावा रखते हुए, बिना किसी रोक टोक के तारीख १ जनवरी सन् १८९० ई० से १ जनवरी सन् १९१० ई० तक उपभोग किया। मुद्दई मुकद्दमे में फैसले का हकदार है।

(बी) इसी तरह की एक नालिश में मुद्दई यह दिखलाता है कि उसने इस अधिकार उपभोग शान्ति के साथ खुले तौर पर बीस साल तक किया है। मुद्दाअलेह यह साबित करता है कि मुद्दईने इस बीस साल की मुद्दत के अन्दर एक समय, इस अधिकार का उपभोग करने के लिए, उसकी आज्ञा प्राप्त की थी। ऐसी दशा में नालिश खारिज कर दी जायगी।

दफा २७ मिल्कियत तावेह (Servient Tenement) के वारिस मावाद (रिवर्सनर) के हक में, मुद्दत का निकाल दिया जाना

जब किसी जमीन या पानी पर, जिसके ऊपर, जिसपर से या जिससे कोई हक आसायश हासिल किया गया है या उसका उपभोग किया गया है, किसी हक हीन हयाती या किसी मुद्दत के जो उसके दिए जाने की तारीख से तीन साल से अधिक न हो, अनुसार या उसके कारण कब्जा रखा गया हो, तो बीस साल की इस मुद्दत का शुमार करने में उसमें से वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें उसने ऐसे हक या मुद्दत के दौरान में हक आसायश (Easement) का उपभोग किया है, बशर्ते कि इस दावा की, ऐसे हक या मुद्दत के खतम होजाने के ठीक दो साल के अन्दर, उस शख्स ने मुखालिफत कर दी हो जो, उस हक या मुद्दतके खतम होजाने पर, उक्त जमीन या पानी के लिए हकदार है।

उदाहरण (Illustration)

'क' इस बात का एलान करने के लिए नालिश दायर करता है कि उसे 'ख' की जमीन पर होकर निकलने का अधिकार है। 'क' इस बात को साबित करता है कि उसने पचीस साल तक इस अधिकार का उपभोग किया है; लेकिन 'ख' इस बात को दिखलाता है कि इनमें से दस साल तक इस जमीन पर 'ग'

को, जोकि एक हिन्दू बेवा है, हक़ हीनहयाती हासिल था, यह कि 'ग' के मरने पर 'ख' उस जमीन का हक़दार हुआ और यह कि 'ग' के मरने के बाद दो साल के भीतर उसने इस अधिकार के सम्बन्ध में 'क' के दावा की मुख़ालिफ़त की। ऐसी दशा में नालिश ख़ारिज हो जानी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा के अनुसार उसने सिर्फ़ पन्द्रह साल तक ही अपने इस अधिकार के उपभोग को साबित किया है।

दफ़ा २८ जायदाद सम्बन्धी अधिकार का जाता रहना

किसी भी ऐसी मियाद के, जो किसी शख़्स को इस क़ानून के अनुसार किसी जायदाद पर कब्ज़ा दिला पाने के सम्बन्ध में नालिश दायर करने के लिए दीगई है, ख़तम होजाने पर उस जायदाद के सम्बन्ध में प्राप्त उसका अधिकार जाता रहेगा।

पांचवां प्रकरण

बचत और मंसूखी

Savings and Repeals

दफा २९ बचत

१ इस ऐक्ट मे कोई भी ऐसी बात नही है जिससे भारतीय कानून मुआहिदा (Indian Contract Act) सन् १८७२ ई० की दफा २५ पर कोई असर पड़ता हो।

२ जब किसी विशेष अथवा स्थानीय क़ानून के अनुसार, किसी नालिश अपील या दरख्वास्त के लिए मियाद की कोई ऐसी मुद्दत निश्चित कीगई हो, जो उस मुद्दत से भिन्न है जो परिशिष्ट (१) मे इनके लिए बतलाई गई है, तो दफा ३ के नियम लागू होगे, मानों इनके सम्बन्ध म उस परिशिष्ट मे ही यह मुद्दत निश्चित कर दीगई थी, और मियाद की किसी मुद्दत को, जो किसी विशेष अथवा स्थानीय कानून के अनुसार किसी नालिश, अपील या दरख्वास्त के लिए निश्चत की गई है, तय करने के लिए —

(ए) वे नियम, जो दफा ४, ९ से १८ तक की दफाओं मे और दफा २२ मे बतलाए गए हैं, वहीं तक और उसी हद तक लागू होगे, जब तक कि वे ऐसे विशेष अथवा स्थानीय कानून द्वारा विशेष रूप से निकाल न दिए गए होगे, और

(बी) इस ऐक्ट के शेष नियम लागू न होंगे।

३ इस ऐक्टमें कोई भी बात ऐसी नही है जो इण्डियन डाइवोर्स ऐक्ट (कानून तलाक हिन्द) सन् १८६९ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिशो के सम्बन्ध में लागू होती हो।

४ दफा २६ और २७ और दफा २ म बतलाई हुई "हक आसायश (Easement) की परिभाषा उन स्थानों मे होने वाले मुकदमों मे लागू नहीं होते जिनमे उस समय इण्डियन ईजमेंट ऐक्ट (कानून आसायश) सन् १८८२ ई० लागू हो।

दफा ३० उन नालिशोंके सम्बन्धमें व्यवस्था, जिनके सम्बन्ध में नियत (मुकर्रर) मियाद की मुद्दत उस मुद्दतसे कम हो, जो भारतीय कानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० में निश्चित कीगई है

चाहे इस ऐक्टमें कोई भी व्यवस्था क्यों न हो, कोई भी ऐसी नालिश जिसके सम्बन्धमें इस ऐक्टके अनुसार निश्चित मियादकी मुद्दत उस मियादकी मुद्दतसे कम है, जो भारतीय कानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित कीगई है, इस ऐक्टके पास होनेसे ठीक दो सालके अन्दर, या उस मुद्दतके अन्दर दायर की जासकती है जो भारतीय कानून मियाद सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित कीगई है, इसमें से जो भी मुद्दत पहिले खतम होती हो।

दफा ३१ परिशिष्ट (२) में बतलाए हुए प्रान्तोंमें कुछ मुर्तहिनोंकी ओरसे की जानेवाली नालिशोंके सम्बन्ध मे व्यवस्था

१ इस ऐक्टमे अथवा इण्डियन लिमीटेशन ऐक्ट [भारतीय कानून मियाद] सन् १८७७ ई० मे चाहे कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, उन प्रान्तोमें, जो परिशिष्ट (२) में बतलाए गए है, किसी मुर्तहिनकी ओरसे नीलामकी बाबत की जानेवाली नालिश या बैबातके लिए की जानेवाली नालिश इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख से दो सालके अन्दर या जिस तारीखको, रेहननामासे लिया गया रुपया वाजिबुल अदा हुआ हो उस तारीख से साठ सालके अन्दर, इसमें से जो कोई भी मुद्दत पहिले खतम होती हो, दायरकी जासकती है, और उक्त प्रान्तोंमें कोई भी ऐसी नालिश, जो उपरोक्त साठ सालकी मियादके अन्दर दायर कीगई हो और इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख को, किसी प्रारम्भिक अदालतमें या किसी अदालत अपीलमें, बिना फैसलकी हुई पड़ी हो, इस बिनापर खारिज न की जायगी कि इसमें बारह सालकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है।

२ जब उपरोक्त प्रान्तोंमें किसी मुर्तहिनका बैबात या नीलामकी निस्बत किया गया दावा जुलाई सन् १९०७ ई० की बाईसवी तारीख के बाद और इस ऐक्टके पास होनेके पहिले इस बिनापर, कि ऐसे दावोंके सम्बन्धमें बारह वर्षकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है, पूर्णत. अथवा अंशत खारिज कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, फिर चाहे वह किसी प्रारम्भिक अदालतमें हो अथवा अदालत अपीलमें, तो उस अदालतको, जिसने इस दावाको खारिज कर दिया था

या जिसमें से वह वापस लेलिया गया था, लिखित दरख्वास्त देनेपर उस मामले की फिर समाअतकी जासकती है, बशर्ते कि दरख्वास्त इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख से छ महीनेके भीतर दीजाय, और उस मामलेके बहाल होजानेपर उप दफा (१) के नियम लागू होंगे।

दफा ३२ ऐक्ट नं० १७ सन् १९१४ ई० द्वारा मंसूख किया गया

परिशिष्ट (१)

[देखो दफा ३]

प्रथम खण्ड—नालिशें

नालिश की क़िस्म	मियाद की मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी ?
१ वेस्ट लेण्ड्स (क्लेम ऐक्ट सन् १८६३) के अनुसार कोई माल के लिए हुए फ़ैसले को मंसूख करने के लिए कीगई नालिश	भाग १ तीस दिन ३० दिन	जब इस फैसलेकी नोटिस मुद्दईको दीगई हो।
२ किसी ऐसे काम के करने या न करने के लिए, जो उस समय ब्रिटिश भारत में प्रचलित किसी क़ानूनके अनुसार किया गया बतलाया जाता है, मुआविज़ा की बाबत नालिश ।	भाग २ नब्बे दिन ९० दिन	जिस समय यह काम किया जाय या न किया जाय।
३ स्पेसिफ़िक रिलीफ़ ऐक्ट सन् १८७७ ई० की दफ़ा ९ के अनुसार जायदाद गैर मनक़ूला के ऊपर क़ब्ज़ा दिलापाने के लिए नालिश।	भाग ३—छ महीना ६ महीना	जिस समय क़ब्ज़ा छीन लिया गया हो।
४ एम्प्लायर्स ऐण्ड वर्कमेन (डिस्प्यूट्स ऐक्ट सन् १८६० ई० की दफ़ा १ के अनुसारकी आने वाली नालिश	”	जिस समय मजदूरी, किराया या कीमतकी क़ीमत वाजिबुल् अदा होगई हो।

५ आवता दीवानी सन् १९०८ ० की दफा १२८ (२) मे बतलाई हुई सरहदों के जाबते के अनुसार नालिश।	,,	जिस समय कर्जेका रुपया या देहानीदका रुपया वाजिबुल वसूल हुआ हो या जायदाद काबिल वापसीके होगई हो।
६ जुर्माना या जब्ती के लिए किसी कानून, ऐक्ट, रेगूलेशन या बाई-लॉ के ऊपर कीगई (नालिश)	भाग ४-एक साल एक साल	जिस समय जुर्माना या जब्ती कीगई हो।
७ किसी घरेलू नौकर, शिल्प कार या मजदूर की मजदूरी की बाबत, जिसके लिए इस परिशिष्ट के आर्टि० ४ में व्यवस्था नहीं है, की जाने वाली नालिश।	,,	जिस समय मजदूरी वाजिबुल वसूल हुई हो।
८ खाने अथवा पीने के सामान की कीमत की बाबत, जिसे किसी होटल वाले भट्टी (शराब खाना) वाले किसी सराय के मालिक ने बेची हो।	,,	जिस समय खाने अथवा पीनेका सामान दिया गया हो।
९ नालिश बाबत किराया सराय।	,,	जिस समय किराया वाजिबुल अदा हुआ हो।
१० हक शिफा का हक अमल में लाने के लिए नालिश, चाहे वह एक कानून के आधार पर हो या आम रिवाज अथवा किसी खास मुआहिदा के आधार पर।	,,	जिस समय खरीदारने बयनामा अनुसार फरोख्त शुद कुल जायदादपर वाकई कब्जा कर लिया हो, या जबकि फरोख्त शुद चीजपर वाकई कब्जा न किया जा सकता हो तो उस समय से, जबकि दस्तावेज बयनामा की रजिस्ट्री हुई हो।
११ उस शख्स की ओर से, जिसके खिलाफ नीचे लिखा कोई भी हुक्म दिया गया हो, उस हक को कायम करने के	,,	हुक्मकी तारीख से।

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
लिए कीगई नालिश जिसके लिए वह उस हुक्म में बतलाई हुई जायदाद के लिए दावेदार है.— १ जावता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार दिया गया हुक्म, जो उस दावा के ऊपर, जो उस जायदाद की निस्बत किया गया है जो किसी डिकरी की इजरा मे कुर्क कीगई है, या उस उज्रदारी के ऊपर दिया गया हो, जो उस जायदाद की कुर्की की निस्बतत किया गया है। २ प्रेजीडेन्सी अदालत खफीफा ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफा ३८ के अनुसार दिया गया हुक्म।		
११ (ए) उस शख्सकी ओरसे, जिसके खिलाफ जावता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार हुक्म दिया गया है, किसी डिकरी दार की दरख्वास्त के ऊपर, जो कि उसने जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा करने की बाबत दी है या उस दरख्वास्त पर, जोकि किसी डिकरी की इजरा में नीलाम हुई ऐसी जायदाद के खरीदार ने दी है और जिनमें उन्होने उस जायदाद के ऊपर कब्जा करने में डाली जाने वाली रुकावट या उसके विरोध किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है, या उस दरख्वास्त के ऊपर, जो किसी ऐसे शख्स की ओर दीगई है जो डि-	एक साल	हुक्म की तारीख से

करीदार या खरीदार को कब्जा दिए जाने के समय उस जायदाद से बेदखल कर दिया गया है, इस हक को कायम करने के लिए कीगई नालिश जिस हक के लिए वह उस हुक्म मे बतलाई हुई जायदाद के मौजूदा कब्जे की बाबत दावेदार है।		
१२ नीचे लिखे नीलामों को रद करने के लिए नालिशें— (ए) किसी अदालत की दीवानी की डिकरी की इजराये होने वाली नीलाम, (बी) किसी कलक्टर या हाकिम माल के हुक्म या डिकरी के अनुसार की हुई नीलाम। (सी) सरकारी मालगुजारी की बकाया मे होने वाला नीलाम, या किसी ऐसी रकम के सम्बन्ध मे होने वाली नीलाम जो बतौर ऐसी बकाया के वसूल किए जाने को हो। (डी) किसी पटनी तालुक की नीलाम जो हाल की बकाया लगान की निस्बत नीलाम हुई हो। विवरण—इस आर्टि० मे "पटनी म कोई भी दार्मियानी हक आराजी शामिल है जो हाल के बकाया लगान की बाबत नीलाम किए जाने के काबिल है।	"	जिस समय नीलामकी मन्जूरी दे दीगई हो, या और तरह पर वह नीलाम कतई और आखिरी होजाता, अगर ऐसी नालिश दायर न कीगई होती।

नालिस की क़िस्म	मियाद की मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
१३ किसी अदालत दीवानी के फैसले या हुक्म को बदल देने या मंसूख कर देने के लिए, जो उसने किसी मुक़द्दमे के अलावा किसी दूसरी कार्रवाई में दिया हो, ।	एक साल	आख़िरी फैसला या हुक्मकी तारीख से, अगर वह फैसला या हुक्म किसी ऐसी अदालतकी ओरसे दिया गया है जिसे इसके देनेका अख़्तियार है।
१४ किसी सरकारी अफसर के किसी ऐक्ट या हुक्म को, जो उसने सरकारी अफसर की हैसियत से दिया हो, रद्द करने के लिए नालिश।	"	ऐक्ट या हुक्मकी तारीख से।
१५ सरकार के विरुद्ध, किसी कुर्की, पट्टा या मुन्तक़िली जायदाद गैर मनकूला को, जो किसी हाकिम माल की ओर से सरकारी मालगुजारी की बक़ाया के लिए कीगई हो, मंसूख कराने के लिए नालिश।	"	जिस समय कुर्की, या मुन्तक़िली कीगई या पट्टा दिया गया हो।
१६ सरकार के विरुद्ध उस रुपये को वापस दिलापानेके लिए नालिश जो रुपया किसी प्रोटेस्ट में उस दावा की निस्बत अदा किया गया हो जो मोहकमे माल के हाकिमों ने बाबत बक़ाया मालगुजारी या बाबत उस मतालबा के किया हो जो बतौर ऐसी बक़ाया के वाजिबुल वसूल है।	"	जिस समय रुपया अदा किया गया हो।
१७ सरकार के विरुद्ध उस जमीन के माविज़ा की बाबत नालिश जो जमीन कि सरकारी (Public) कामों के लिए ले ली गई है।	"	जिस तारीख़को माविज़ाकी रक़म तय कीगई हो।

१८ इसी प्रकार की नालिश बाबत मुआविजा के जबकि आराजी (जमीन) का ले लिया जाना पूरा न हुआ हो।	"	जिस तारीखको पूरा करने से इन्कार कर दीगई हो।
१९ गलत तौर पर कैद रखने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस तारीखको कैद खतम होती हो।
२० तामील कुनिन्दों, प्रबन्धकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से लीगल रिप्रेजण्टेटिव्ज सूट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिश।	"	जिस तारीखको उस शख्सकी मृत्यु हुई हो जिसको नुकसान पहुचाया गया है (अर्थात् जिसके साथ अन्याय हुआ है)।
२१ तामील कुनिन्दों प्रबन्धकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से इण्डियन फेटल एक्सीडेण्ट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिश।	"	उस शख्सके मरनेकी तारीखसे जो कि कत्ल किया गया है।
२२ किसी दूसरे नुकसान के, जो उस शख्स को पहुँचाया गया है, मावेजा की बाबत नालिश।	"	जिस वक्त नुकसान पहुँचाया गया हो।
२३ अदालत से झूठा मामला चलाने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय मुद्दई बरी कर दिया गया हो या और किसी तरहसे मुकद्दमा खारिज होगया हो।
२४ मानहानि करने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय मानहानिकी बाते प्रकाशित कीगई हो।
२५ जबानी तौहीन (Slander) करने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जब तौहीनवाली बाते कही गई हो या, खाली उन वार्ता (शब्दों) के ऊपर ही मामला न चलाया जासकता हो तो, उस समय जब वह हानि पहुँची हो जिसकी निस्बत शिकायत कीगई है।

नालिश की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
२६ उस नौकरी के चले जाने की निस्वत, जो कि मुद्दई के बहकावे में आजाने के कारण छूट गई हो, मुआविजा की नालिश।	एक साल	जिस समय नौकरी जाती रही हो।
२७ किसी शख्स को यह सलाह देने के लिए, कि वह मुद्दई के साथ में किए गए मुआहिदे को तोड़ दे, मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय मुआहिदा तोड़ दिया गया हो।
२८ किसी गैर कानूनी, बेकायदा जायदाद कुर्की की निस्वत मुआविजा की नालिश।	"	कुर्की होनेकी तारीख से।
२९ किसी कानूनी हुक्मनामा के अनुसार जायदाद मनकूला की बेजा गिरफ्तारी (Wrongful seizure) की बाबत मुआविजा की नालिश।	"	गिरफ्तारी जायदादकी तारीख से।
३० माल को खो देने या नुकसान पहुचा देने की निस्वत हर्जाकी बाबत किसी मालके ले जाने वाले (जहाज, रैल आदि) के विरुद्ध नालिश।	"	जिस समय माल खोगया हो या उसको कोई नुकसान पहुचा हो।
३१ माल की हवालगी न करने या हवालगी मे देर करने के लिए हर्जा की बावत किसी माल ले जाने वाले (जहाज, रैल आदि) के विरुद्ध नालिश।	"	जिस तारीखको माल हवाले किया जाना चाहिए था।

३२ उस शख्स के विरुद्ध की जाने वाली नालिश, जिसने किसी जायदाद को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किए जाने का हक़ रखते हुए उसे किसी दूसरे कामके लिए इस्तेमाल कर लिया हो।	भाग५ दो साल दो साल	जिस समय उस शख्सको, जिसे इस बातसे नुकसान पहुचा है, यह बात पहिले पहल मालूम हुई हो।
३३ लीगल रिप्रेजेण्टेटिव्ज सूट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार किसी तामील कुनिन्दा के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।	"	जिस समय वह बेजा कार्रवाई कीगई हो जिसकी निस्पत शिकायत कीगई है।
३४ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी प्रबन्धकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।	"	जिस समय वह हरकत बेजा कीगई हो जिसकी निस्वत शिकायत है।
३५ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे प्रतिनिधि के विरुद्ध।	"	"
३६ किसी फेल बेजा या नाजायज के करने या किसी फेल के न करने के, जिसका मुआहिदा से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, और जिसके लिये इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं कीगई है, मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय वह फेल बेजा, या फेल नाजायज किया गया हो या कोई फेल किया गया हो।
३७ किसी मार्ग अथवा जल मार्ग को रोकने के मुआविजा की बाबत नालिश।	भाग६तीनसाल तीन साल	जिस तारीखको रुकावट डाली गई हो।

नालिश की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
२६ उस नौकरी के चले जाने की निस्बत, जो कि मुद्दई के बहकाये में आजाने के कारण छूट गई हो, मुआविजा की नालिश।	एक साल	जिस समय नौकरी जाती रही हो।
२७ किसी शख्स को यह सलाह देने के लिए, कि वह मुद्दई के साथ में किए गए मुआहिदे को तोड़ दे, मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय मुआहिदा तोड़ दिया गया हो।
२८ किसी गैर-कानूनी, बेकायदा जायदाद कुर्की की निस्बत मुआविजा की नालिश।	"	कुर्की होनेकी तारीख से।
२९ किसी कानूनी हुक्मनामा के अनुसार जायदाद मनकूला की बेजा गिरफ्तारी (Wrongful seizure) की बाबत मुआविजा की नालिश।	"	गिरफ्तारी जायदादकी तारीख से।
३० माल को खो देने या नुकसान पहुचा देने की निस्बत हर्जाकी बाबत किसी मालके ले जाने वाले (जहाज, रेल आदि) के विरुद्ध नालिश।	"	जिस समय माल खोगया हो या उसको कोई नुकसान पहुचा हो।
३१ माल की हवालगी न करने या हवालगी में देर करने के लिए हर्जा की बाबत किसी माल ले जाने वाले (जहाज, रेल आदि) के विरुद्ध नालिश।	"	जिस तारीखको माल हवाले किया जाना चाहिए था।

३२ उस शख्स के विरुद्ध की जाने वाली नालिश, जिसने किसी जायदाद को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किए जाने का हक रखते हुए उसे किसी दूसरे कामके लिए इस्तेमाल कर लिया हो।	भाग५ दो साल दो साल	जिस समय उस शख्सको, जिसे इस बातसे नुकसान पहुंचा है, यह बात पहिले पहल मालूम हुई हो।
३३ लीगल रिप्रेजेण्टेटिव्ज सूट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार किसी तामील कुनिन्दा के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।	"	जिस समय वह बेजा कार्रवाइ कीगई हो जिसकी निस्बत शिकायत कीगई है।
३४ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी प्रबन्धकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।	"	जिस समय वह हरफत बेजा कीगई हो जिसकी निस्बत शिकायत है।
३५ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे प्रतिनिधि के विरुद्ध।	"	"
३६ किसी फेल बेजा या नाजायज के करने या किसी फेल के न करने के, जिसका मुआहिदा से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, और जिसके लिये इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं कीगई है, मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस समय वह फेल बेजा, या फेल नाजायज किया गया हो या कोई फेल किया गया हो।
३७ किसी मार्ग अथवा जल मार्ग को रोकने के मुआविजा की बाबत नालिश।	भाग६तीनसाल तीन साल	जिस तारीखको रुकावट डाली गई हो।

नालिश की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
३८ किसी जल-मार्ग के बदलने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	तीन साल	जिस तारीख़को जल मार्गकी दिशा बदली गई हो।
३९ जायदाद गैर-मनकूला के ऊपर मदाखिलत बेजा करने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	मदाखिलत बेजा करनेकी तारीख से।
४० लेखन सम्बन्धी अधिकार (Copy-right) अथवा किसी दूसरे विशिष्टधिकार (Exclusive Privilege) में बाधा डालने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश।	"	जिस तारीख को ऐसे अधिकारमें बाधा डाली गयीहो।
४१ किसी चीज को बिगाड़ने या नष्ट करने से रोकने के लिए नालिश।	"	जिस रुपये से उस चीजका बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना शुरू हो।
४२ उस नुकसान के मुआविजा की बाबत नालिश जो किसी ऐसे हुक्म इम्तनाई की वजह से हुआ हो जो बेजा तौरसे हासिल किया गया है।	"	जिस समय हुक्म इम्तनाई ख़तम होता हो।
४३ भारतीय उत्तराधिकार ऐक्ट सन् १८६५ ई० की दफ़ा ३२० या दफ़ा ३२१ के अनुसार, या प्रोबेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफ़ा १३९ या दफ़ा १४० के अनुसार किसी ऐसे शख्स का जिसे किसी तामील कुनिन्दा (वसी) या प्रबन्धकर्ता (मुहतमिम) ने वसीयती माल अदा किया हो या जायदाद तक़सीम की हो, उसके फेर देने के लिए मजबूर किए जाने के वास्ते दायर की जाने वाली नालिश।	"	अदायगी या तक़सीमकी तारीख़ से

४४ किसी नाबालिग की ओर से, जो कि अब बालिग होगया है, उस वय की मसूखी के लिए नालिश जो उसके वली ने की है।	"	जिस समय वह नाबालिग बालिग हुआ हो।
४५ बंगाल कोड के नीचे लिखे किसी भी रेगूलेशन के अनुसार दिये गये फैसले की मसूखी के लिए दायर की गई नालिश। दि बंगाल लैण्ड रेव्यन्यू सेटिलमेण्ट रेगूलेशन सन् १८२२ ई० दि बंगाल लैण्ड रेव्य न्यू सेटिलमेन्ट रेगूलेशन सन् १८२५ ई० दि बंगाल लैण्ड रेव्यन्यू (सेटिलमेंट ऐण्ड डिपुटी कलेक्टर्स) रेगूलेशन सन् १८३३ ई०	"	जिस तारीखको मुकद्दमेम अन्तिम (Final) फैसला या हुक्म दिया गया हो।
४६ किसी फरीक की ओर से, जिसपर उस फसले का मानना लाजिमी है, उस जायदाद को वापस दिला पाने की बाबत नालिश जो कि उस फैसले में बतलाई गई है।	"	"
४७ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसपर उस हुक्म का मानना लाजिमी है जो किसी जायदाद गैर मनकूला के कब्जा के सम्बन्ध में जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० या मामलदार्स कार्ट्स ऐक्ट सन् १९०६ ई० के अनुसार दिया गया हो, या किसी ऐसे शख्स की ओर से जो उसके जरिये से दावेदार है, उस जायदाद को दिला पाने की बाबत नालिश जो उस हुक्म में बतलाई गई है।	"	"

नालिश की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
४८ जायदाद मनकूला ख़ास के लिए, जोकि खो गया है या चोरी (सर्क़ा) से या बद्दयानती से तसर्रुफ़ बेजा करके या उसका बयनामा मुन्तक़िल कराके हासिल कीगई है, या बेजा तौर से उसके रख लेने या रोक रखने के मुआविज़ा के लिए नालिश।	तीन साल	जिस समय उस शख़्सको, जो उस जायदाद पर क़ब्ज़ा पानेका हक़दार है, पहिले पहल यह बात मालूम होजाय कि वह किसके क़ब्ज़ेमें है।
४९ जायदाद मनकूला ख़ास के लिए या उसके बेजा तौरसे ले लेने, या नुक़सान पहुँचाने या बेजा तौर से उसके रोक रखने के मुआविज़ा के लिए नालिश।	"	जिस समय जायदाद बेजातौरसे ले लीगई हो या जिस समय उसको रोक रखनेवालेका क़ब्ज़ा नाजायज होजाय।
५० जानवरों, सवारियों, नावों या ख़ानगी सामानके किराये की बाबत नालिश।	"	जिस समय किराया वाजिबुल अदा हुआ हो।
५१ उस रुपये की बाक़ी की बाबत नालिश जो वास्ते हवाले किए जाने किसी माल के बाबत उसकी क़ीमत के पेशगी दिया गया हो।	"	जिस समय वह माल हवाले किया जाना चाहिए था।
५२ उस माल की क़ीमत के लिए नालिश, जो कि बेचा और हवाले किया गया हो, जब कि उस क़ीमत के अदा करने के लिए किसी ख़ास मुद्दत का वादा न किया गया हो।	"	जिस तारीख़को माल हवाले किया गया हो।
५३ उस माल की क़ीमत की बाबत नालिश, जो बेचा और हवाले किया गया हो और जिसकी क़ीमत की अदायगी किसी एक ख़ास मुद्दत के ख़तम होजाने पर की जाने को हो।	"	जिस समय वादेकी मुद्दत ख़तम हो जाय।

५४ उस माल की कीमत की बाबत नालिश, जो बेचा और हवाले किया गया हो और जिसकी कीमत बजरिये बिल आफ एक्सचेञ्ज (हुण्डी), के की जाने को हो परन्तु ऐसा बिल दिया न गया हो।	"	जिस समय उस वादा किये गये बिल (हुण्डी) की मियाद गुजर जाय।
५५ पेड़ों या खड़ी हुई फसल की, जो कि मुद्दई ने मुद्दाअलह के हाथ बेचा है, कीमत की बाबत नालिश, जबकि कीमत की अदायगी का किसी ख़ास मुद्दत के लिए वादा न किया गया हो।	"	जिस समय वे चीजें बेची गई हों।
५६ उस काम की उजरत के लिए नालिश, जो कि मुद्दई ने मुद्दाअलेह के लिए उसके कहने पर किया हो, जब कि इस उजरत की अदायगी के लिए कोई ख़ास मुद्दत मुक़र्रर नहीं की गई हो।	"	जिस समय कि काम किया गया हो।
५७ कर्ज लिए गए रुपये की बाबत अदा किए जाने वाले रुपये के लिए नालिश।	"	जिस समय कर्जा दिया गया हो।
५८ इसी प्रकार की नालिश, जब कि महाजन ने रुपये की एवज में चेक दिया हो।	"	जिस समय चेकका रुपया अदा किया गया हो।
५९ उस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के ऊपर कर्ज दिया गया हो कि वह किसी समय मांगे जाने पर अदा कर दिया जायगा।	"	जिस समय रुपया कर्ज दिया गया हो।
६० उस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के ऊपर	"	जिस समय रुपया तलब (मांगा) किया जाय।

५८

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
जमा किया गया हो कि किसी भी समय मांगे जाने पर अदा कर दिया जायगा। इसमें किसी शख्स का वह रुपया भी शामिल है जो उसके महाजन के हाथ में हो और इस तरह अदा किए जाने को हो।	तीन साल	
६१ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को बाबत उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो उसने मुद्दाअलेह के लिए अदा किया है।	"	जिस समय रुपया अदा किया गया हो।
६२ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दाअलेह की ओर से मुद्दाअलेह की बाबत उस रुपये के अदा किया जाना चाहिए जो मुद्दाअलेह को मुद्दई के काम के लिए मिला है।	"	जिस समय रुपया मिला है।
६३ उस रुपये के लिए नालिश जो बाबत सूद उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो मुद्दई का मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब है।	"	जिस समय व्याज (सूद) का रुपया वाजिबुल अदा हो।
६४ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को उस रुपये की बाबत वाजिबुल अदा है जो मुद्दाअलेह से मुद्दई को बाबत उस हिसाब किताब के वाजिब है जो उनके दर्मियान में चल रहा है।	"	जिस समय कि हिसाब लिखा जाय और उस पर मुद्दाअलेहके या उसके मुख्तारके, जिसे इस सम्बन्धमें बा जाब्ता अख्तियार दिया गया है, दस्तखत हुए हों, सिवा उस हालतमें जबकि इस कर्जके साथ साथ यह लिखित इकरारनामा हुआ हो कि रुपया आगे चलकर किसी समय अदा किया जायगा, जिस दशामें कि मियाद उस समय से शुरू होगी जब वह समय आजाय।

६५ किसी ऐसे वादा के तोड़ दिए जाने के लिए मुआविजा की बाबत नालिश जो किसी नियत समय पर या किसी विशेष घटना के हो जाने पर किसी काम के करने के लिए किया गया हो।	"	जिस समय वह नियत समय आजाय या वह घटना होजाय।
६६ किसी सादे तमस्सुक के लिए जब कि रुपये की अदायगी के लिए कोई खास दिन नियत कर दिया गया हो।	"	जो दिन इस कामके लिए नियत किया गया है।
६७ किसी तनहा तमस्सुक की बाबत नालिश, जब कि कोइ नियत तारीख़ लिखी न गई हो।	"	जिस तारीख़ को उस तमस्सुककी तकमील की गई हो।
६८ किसी ऐसे तमस्सुक की बाबत नालिश जब कि उसमे कुछ शर्तों का जिक्र है।	"	जिस समय शर्त तोडी गई हो।
६९ किसी ऐसी हुण्डी (बिल आफ़ एक्स चेञ्ज या प्रामिसरी नोट) की बाबत नालिश जिस हुण्डी या नोट का रुपया मिती पड़ने के बाद किसी नियत समय के भीतर वाजिबुल अदा हो।	"	जिस समय उस हुण्डी या नोटका रुपया वाजिबुल अदा हो।
७० उस हुण्डी की बाबत नालिश जिसका रुपया उसके देखते ही या देखने के बाद वाजिबुल अदा हो, किसी नियत समय पर नहीं।	"	जिस समय वह हुण्डी पेश कीगई हो।
७१ उस हुण्डी (बिल) की बाबत नालिश जिसका रुपया किसी खास जगह पर अदा करने का वादा कर लिया गया हो।	"	जिस समय वह हुण्डी उस जगहपर पेश कीजाय।

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
७२ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेञ्ज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जो देखने के बाद या तलब किए जाने के बाद किसी नियत समय पर वाजिबुल अदा हो।	तीन साल	जिस समय वह नियत समय बीत गया हो।
७३ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेञ्ज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जिसका रुपया किसी भी समय तलब किए जाने पर वाजिबुल अदा हो और जिसमें कोई ऐसी तहरीर न हो जो नालिश करने के हक को रोकती हो या मुल्तवी करती हो।	"	हुण्डी या नोटकी तारीख से।
७४ ऐसे प्रामिसरी नोट या तमस्सुक की बाबत नालिश जिसका रुपया किस्तवार वाजिबुल अदा हो।	"	उस हिस्से के सम्बन्धमें जो उस समय वाजिबुल अदा हो, पहिली मियादके गुजर जानेकी तारीख से, और दूसरे हिस्सोंके सम्बन्धमें उनकी अदायगी की मियाद गुजर जानेकी तारीख से।
७५ ऐसे प्रामिसरी नोट या तमस्सुक की बाबत नालिश जिसका रुपया किस्तवार वाजिबुल अदा हो और जिसमें यह शर्त हो कि अगर एक अथवा अधिक किस्तें समय पर अदा न की गईं तो कुल रुपया एक साथ वाजिबुल अदा हो जायगा।	"	जिस समय पहिली बारकी किस्त अदा न हो, सिवाय उस दशा में जब कि रुपया पाने वाला दोनों इस शर्त से फायदा उठाना न चाहते हों, जिस दशा में कि मियाद उस समय से शुरू होगी जब फिर ऐसी कोई किस्त अदा न हो और उसकी निस्बत इस शर्त से फायदा उठाने से दस्तबरदारी न कर दी गई हो।

७६ ऐसे प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जिसे उसके तहरीर करने वाले ने किसी तीसरे शख्स को इसलिए दिया हो कि वह रुपया पाने वाले (Payee) को किसी खास घटना के होजाने पर हवाले कर दिया जाय।	"	जिस समय वह नोट रुपया पाने वाले को हवाले किया गया हो।
७७ किसी विदेश की ऐसी हुण्डी (बिल) की बाबत नालिश जो बिना पटाए फिरती कर दीगई हो, जबकि इसके न निपटने की तस्दीक की गई हो और इसकी नोटिस (इत्तला) दे दीगई हो।	"	जिस समय नोटिस (इत्तला) दीगई हो।
७८ किसी हुण्डी का रुपया पाने वाले की ओर से उस शख्स के ऊपर नालिश जिसने वह हुण्डी लिखी है जो सकारी न जाकर फिरता कर दी गई है।	"	सकारने से इन्कार कर देने की तारीख से।
७९ किसी कर्ज की हुण्डी को सकारने वाले की ओर से उस शख्स के ऊपर नालिश जिसने वह हुण्डी लिखी है।	"	जिस समय हुण्डी सकारने वाला उस हुण्डी की कुल रकम चुकता कर दे।
८० किसी ऐसी हुण्डी बिल आफ एक्सचेन्ज, प्रामिसरी नोट या तमस्सुक की बाबत नालिश जिसके सम्बन्धमें इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।	"	जिस समय उस हुण्डी, नोट या तमस्सुक का रुपया वाजिबुल अदा हो जाय।
८१ किसी जमानतदार की ओर से असली कर्ज़दार (ऋणी) के ऊपर नालिश।	"	जिस समय जमानत दार ने महाजन को रुपया अदा कर दिया हो।
८२ किसी जमानतदार की ओर से शरीकदार जमानतदार के ऊपर नालिश।	"	जिस समय जमानतदार अपने हिस्से से अधिक (ज़ायद) कोई रकम अदा कर दे।

नालिश की क़िस्म	मियाद की मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
८३ हानि पूर्ति कर देने के लिए किए गए किसी मुआहिदा की बाबत नालिश।	तीन साल	जिस समय मुद्दई ने वास्तव में हानि की पूर्ति की हो।
८४ किसी मुख्तार या वकील की ओर से किसी मुकद्दमा या किसी ख़ास काम की बाबत खर्च के लिए नालिश, जबकि उस समय के सम्बन्ध में कोई ख़ास इकरार न किया गया हो कि रुपया किस समय अदा किया जाय।	"	मुकद्दमे या उस काम के ख़तम हो जाने पर या (जब उस मुख्तार या वकील ने मुकद्दमा या काम की पैरवी करना बन्द कर दिया हो तो) इस बन्द करने की तारीख़ से।
८५ किसी खुले हुए और चलते बाहिमी हिसाब किताब की निस्बत बकाया की बाबत नालिश।	"	उस साल के बन्द हो जाने पर जिस साल में कि तस्लीम की हुई या साबित की हुई अख़ीर रकम हिसाब में दर्ज है, उस साल का शुमार उसी तरह पर होगा जैसा कि उस हिसाब में हो।
८६ किसी बीमा की पालिसी की बाबत नालिश, जब कि बीमा की रकम, बीमा करने वाले को मौत या नुकसान का सुबूत दे दिए जाने या उसके मजूर कर दिए जाने के फ़ौरन् बाद, वाजिबुल अदा हो।	"	जिस समय मौत या नुकसान का सुबूत बीमा करने वाले को दे दिया गया हो या उसने मजूर कर लिया हो चाहे वह सुबूत मुद्दई ने दिया हो या किसी दूसरे साहब ने।
८७ बीमा कराने वाले की ओर से बीमा का वह रुपया वापस पाने की बाबत नालिश, जो उस पालिसी (दस्तावेज बीमा) के अनुसार अदा किया गया हो जो बीमा करने वाले की मर्जी पर चिए जाने के क़ाबिल हो।	"	जिस समय बीमा करने वालेने पालिसी (दस्तावेज) बीमा को रद करना चाहा हो।

८८ किसी गुमाश्ता के ऊपर नालिश बाबत हिसाब।	"	जिस समय, दौरान गुमाश्तगरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दीगई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न कीगई हो तो, उस समय जब कि गुमाश्तागरी खतम हो।
८९ मालिक की ओर से अपने गुमाश्ता के ऊपर उस जायदाद मनकूला की बाबत नालिश जो गुमाश्ता ने पाई है लेकिन जिसका हिसाब उसने नहीं दिया है।	"	जिस समय, दौरान गुमाश्तगरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दीगई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न कीगई हो तो, उस समय जब कि गुमाश्तागरी खतम हुई हो।
९० दूसरी नालिशें जो मालिकों की ओर से अपने गुमाश्तों के ऊपर काम में असावधानी करने या अनुचित व्यवहार करने के लिए दायर की गई हों।	"	जिस समय इस असावधानी या अनुचित व्यवहार का पता मुद्दई को चले।
९१ ऐसे दस्तावेज की मसूखी या रद किए जाने की बाबत नालिश जिसके लिए और कोई व्यवस्था न की गई हो।	"	जिस समय वे बातें, जिनके कारण मुद्दई को उस दस्तावेज के मसूख करने या रद करने का अधिकार प्राप्त होता है, मुद्दई को मालूम हुई हों।
९२ किसी ऐसे दस्तावेज के जाली करार दिए जाने के लिए नालिश जो जारी किया गया हो या जिसकी रजिस्ट्री कराई गई हो।	"	जिस समय दस्तावेजके जारी किए जाने या रजिस्ट्री कराए जाने की बात मुद्दई को मालूम हुई हो।
९३ किसी ऐसे दस्तावेज को जाली करार देने के लिए नालिश जिसको मुद्दई के विरुद्ध अमल में लाने के लिए प्रयत्न किया गया हो।	"	जिस तारीख को ऐसी कोशिश कीगई हो।

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
९४ उस जायदाद के लिए नालिश जो मुद्दई ने पागलपने की हालत में मुन्तकिल का हो।	तीन साल	जिस तारीख को मुद्दई का होश हवास सही हुआ हो और उसको उस मुन्तकिली का पता लगा हो।
९५ फ़रेब से हासिल कीगई किसी डिकरी को मंसूखी या फरेब की बिना पर किसी दूसरी दादरसी के लिए नालिश।	"	जिस समय उस शख्स को, जिसको नुकसान पहुचा है, इस फरेब की खबर मिली हो।
९६ गलती की बिना पर दादरसी के लिए नालिश।	"	जिस समय मुद्दई को गलती का पता चला हो।
९७ उस रुपये के लिए नालिश जो मौजूदा, बात के मुआविजा में अदा किया गया हो जो बात बाद में बिगड़ जाय।	"	उस बात की बिगड़ जाने की तारीख से।
९८ किसी मुतौफी ट्रस्टी की आम जायदाद में से नुकसान पूरा कराने की बाबत नालिश, जिस समय कि यह नुकसान उस ट्रस्टी की खयानत से हुआ हो।	"	ट्रस्टी की मौत की तारीख से, या, जब उस तारीख को नुकसान न हुआ हो तो, उस तारीख से जिस तारीख को कि नुकसान हुआ हो।
९९ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसने किसी मुश्तरका डिकरी की निस्बत वाजिब रकम में से कुल या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, या किसी मुश्तरका जायदाद के हिस्सेदार की ओर से जिसने उस मालगुजारी की, जो उससे और उसके हिस्सेदारों से वाजिबुल वसूल थी, कुल या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, रकम की वसूलयाबी के लिए दायर की जाने वाली नालिश।	"	जिस तारीख को मुद्दई ने अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा की हो।

१०० किसी शरीकदार ट्रस्टी की ओर से किसी मुतोफ़ी ट्रस्टी की जायदाद के ऊपर, वास्त दिलापाने अपने हिस्से के नालिश।	”	जिस समय हिस्सा रसदी दिला पाने का हक़ पैदा हुआ हो।
१०१ किसी मल्लाह की उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश।	”	जिस समय वह समुद्र यात्रा समाप्त हो जिसमें यह मजदूरी कीगई है।
१०२ उस उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश जिसके लिए इस परिशिष्ट में कोई अन्य विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।	”	जिस समय वह उजरत (मजदूरी) वाजिबुल अदा हुई हो।
१०३ किसी मुसल्मान की ओर से मेहर मुअज्जल (Exigible dower) की बाबत नालिश।	”	जिस समय मेहर तलब किया जाय या उससे इन्कार कर दी जाय या (जब अजदवाज कायम रहने के दौरान में ऐसा कोई मतालिबा नहीं किया गया हो तो) जिस समय मौत या तलाक़ की वजह से वैवाहिक बन्धन (अजदवाज) नष्ट हो जाय।
१०४ किसी मुसल्मान की ओर से मेहर मुअज्जल (Deferred dower) की बाबत नालिश।	”	जिस समय मौत या तलाक की वजह से वैवाहिक बन्धन (अजदवाज) नष्ट हो जाय।
१०५ रेहननामा का मतालबा बेबाक़ हो जाने के बाद, राहिन की ओर से उस वासिलात की रकम की बाबत नालिश जो मुर्तहिन ने जायदाद वसूल की है।	”	जिस समय राहिन जायदाद मरहूना पर फिर दख़ल कर ले।
१०६ किसी तोड़ दीगई साझेदारी (Dissolved Partnership) के हिसाब और उसके मुनाफा के हिस्से के लिए नालिश।	”	जिस तारीख़ को यह साझेदारी टूटी है।

नालिश की क़िस्म	मियाद्की मुद्दत	मियाद् कबसे शुरू होगी
१०७ किसी सम्मिलित कुटुम्ब (खान्दान मुश्तरका) की सम्मिलित सम्पत्ति जायदाद मुश्तरका के मैनेजर की ओर से उस हिस्से रसदी की बाबत नालिश जो, उसने जायदाद के हिसाब म अदा किया हो।	तीन साल	जिस तारीख़ को वह रकम अदा कीगई हो।
१०८ पट्टा देने वाले की ओर से उन पेडो की मालियत की बाबत नालिश जिन्हे पट्टेदार ने पट्टा की शर्तो के खिलाफ काट डाला है।	"	जिस समय पेड़ काट डाले गए हो।
१०९ मुद्दई की जायदाद् गैर मनकूला के उस मुनाफा की बाबत नालिश जो बेजा तौर से वसूल कर लिया है।	"	जिस समय मुनाफा वसूल किया गया हो।
११० बकाया लगान की बाबत नालिश।	"	जिस समय बकाया वाजिबुल वसूल हुई हो।
१११ जायदाद गैर मनकूला के फरोख्त कुनिन्दा की ओर से उस खरीद रकम के मतालिबा की बाबत नालिश जो रकम कि अदा नहीं कीगई है।	"	उस समय से जो बय की तकमील के लिए निश्चित किया गया है या (जब कि तकमील के लिए निश्चत समय के बाद दस्तावेज तस्लीम कीगई हो) तस्लीम की तारीख से।
११२ किसी पार्लीमट के कानून या ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड कम्पनी की ओर से रुपये की तलबी की बावत नालिश।	"	जिस समय तलबी का रुपया वाजिबुल अदा हो।
११३ किसी मुआहिदे की तामील खास के लिए नालिश।		उस तारीख से जो ऐसी तामील के लिए मुकर्रर ...

		या, अगर ऐसी कोई तारीख मुकर्रर नहीं कीगई है तो, जिस समय मुद्दई को इस बात की नोटिस (इत्तला) मिले कि तामील करने से इन्कार कर दी गई है।
११४ किसी मुआहिदे के रद्द किए जाने के लिए नालिश।	,,	जिस समय व बात जिनसे मुद्दई उस मुआहिदा को रद्द करा पाने का हकदार होता है, उसे पहिले पहल मालूम हुई हो।
११५ किसी मुआहिदा की, जो प्रकट हो अथवा अप्रकट, और लिखित या रजिस्ट्रीशुद नहीं है, खिलाफ वर्जी करने के मुआविजा की बाबत नालिश।	,,	जिस समय मुआहिदा तोड़ा गया हो या (जब वह बराबर तोड़ा ही जाता रहा हो तो) उस समय से जब कि वह खिलाफ वर्जी कीगई हो जिसकी निस्बत नालिश कीगई है या (जब खिलाफ वर्जी जारी हो तो) उस समय से जब कि वह बन्द हो।
११६ किसी लिखित और रजिस्ट्रीशुद मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की बाबत मुआविजा के लिए नालिश	छ साल	जिस समय इस नालिश की मियाद समाप्त शुरू होती जो इसी तरह के बिना रजिस्ट्रीशुद मुआहिदा के ऊपर दायर कीगई होती।
११७ किसी विदेश के फैसले (Foreign Judgement) के जिसकी परिभाषा, जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० में कीगई है, बाबत नालिश।	,,	फैसले की तारीख से
११८ इस बात का एलान किए जाने के लिए नालिश कि बतलाया गया दत्तक नाजायज है या वास्तव में वह हुआ ही नहीं।	,,	जिस समय इस दत्तक (गोद) लिए जाने की बात मुद्दई को मालूम हुई हो।
११९ इस बात का एलान किए जाने के लिए नालिश कि अमुक दत्तक (गोद) किया जाना जायज है।	,,	जिस समय दत्तक लिए हुए लड़के के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाय।

नालिशकी क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
१२० वह नालिश जिसकी मियाद समाअत क सम्बन्ध म इस परिशिष्ट मे कोई व्यवस्था नहीं कीगई है।	छ साल	जिस समय नालिश करनेका अधिकार पैदा हो।
१२१ किसी पूरे इलाके मे, जो बक़ाया मालगुजारी में नीलाम हो या किसी पतनी ताल्लुक़ या दूसरी हक़ीयत क़ाबिल नीलाम मे, जो बक़ाया लगान मे नीलाम की जावे, होने वाले बार या हकायत शिकमी को मसूली के लिए नालिश।	भाग८ १२ साल बारह साल	जिस समय नीलाम क़तई और आख़िरी होजाय।
१२२ उस फैसला के सम्बन्ध मे, जो ब्रिटिश भारत मे दिया गया हो, या मुचलका के लिए नालिश।	"	फैसला या मुचलकाकी तारीखसे।
१२३ किसी वसीयती माल या किसी मयसी की जायदाद मतरूका के हिस्स की बावत, या किसी ग़ैर वसीयती जायदाद के काबिल तक़सीम हिस्से की बाबत नालिश।	"	जिस समय वह वसीयती माल या हिस्सा वाजिबुल् अदा हो या उसका हवाले किया जाना लाजिमी हो।
१२४ किसी मौरूसी जगह (ओहदा) के दिला पाने की बावत नालिश।	"	जिस समय मुद्दाअलेहने मुद्दईके दावाके खिलाफ उस जगह पर कब्जा कर लिया हो।
१२५ किसी हिन्दू या मुसलमान औरत के जीवन काल मे, किसी हिन्दू या मुसलमान की ओर से, नालिश दायर किए जाने की तारीख को उस औरत के मरने पर उस आराजी के कब्जे के हक़दार होते, ऐसी आराजी के सम्बन्ध में उस औरत द्वारा कीगई मुन्तक़िली को, नाजायज करार दिए जाने	"	मुन्तक़िलीकी तारीख से।

की बाबत नालिश, सिवाय उस समय तक के जब तक कि वह जीवित रहे या जब तक कि वह अपना दूसरा विवाह न कर ले।		
१२६ किसी ऐसे हिन्दू की ओर से, जिसपर मिताक्षरा का कानून लागू होता है, अपने बाप द्वारा कोगई मौरूसी जायदाद की मुन्तकिली को मंसूख कराने के लिए नालिश।	„	जिस समय मुन्तकिल अलैह उस जायदाद पर कब्जा करले।
१२७ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जो सम्मिलित कुटुम्बकी सम्पत्ति (जायदाद खान्दान मुश्तरका) से अलग कर दिया गया हो, उस जायदाद में अपने हिस्से की बाबत नालिश।	„	जिस समय अलग कर दिए जानेकी बात मुद्दईको मालूम हुई हो।
१२८ किसी हिन्दू की ओर से गुजारा (नान व नफ़का) की रकम की बकाया की बाबत नालिश।	„	जिस समय वह बकाया वाजिबुल अदा हो।
१२९ किसी हिन्दू की ओर से गुजारा (नान व नफ़का) के सम्बन्ध में उसका हक करार दिए जाने की बाबत नालिश।	„	जिस समय इस हकको नामंजूर किया गया हो।
१३० किसी माफी आराजी की जब्ती या उसपर लगान बांधे जाने की बाबत नालिश	„	जिस समय आराजी जब्त कर लेने या उस पर लगान बन्दी करने का हक पहिले पहल पैदा हुआ हो।
१३१ उस हकके कायम किए जाने के लिए नालिश जो एक नियत समय के बाद हासिल होता रहता है।	„	जिस समय पहिले पहल मुद्दईको इस हकसे फायदा उठानेसे रोका गया हो।
१३२ उस रुपये के दिलापाने के लिए नालिश जिसका बार किसी जायदाद गैर मनकूला पर आयद किया गया हो।	„	जिस समय वह रुपया जिसकी निस्बत नालिश कीगई है वाजिबुल वसूल होवे।

दरख्वास्त की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
विवरण—मालिकाना और हक से इस आर्टि० के प्रयोजन के लिए वह रुपया समझा जायगा जिसका बार किसी जायदाद गैर मनकूला पर डाला गया है।	बारह साल	
१३३ उस जायदाद मनकूलाको दिलापानेके लिए नालिश जो बतौर ट्रस्ट (अमानत) के मुन्तकिल करदी गई हो, या वसीयत कर दीगई हो, या गिरवी करदी गई हो तहवीलके तौर पर जमा कर दीगई और बाद में ट्रस्टी, तहवीलदार या गिरवीदारसे खरीद कर लीगई हो।	"	खरीदकी तारीखसे।
१३४ उस जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए जो बतौर ट्रस्ट मुन्तकिल कर दीगई हो या वसीयत कर दीगई हो या रेहन कर दीगई हो और बादमें ट्रस्टी या मुर्तहिन से कुछ रुपया देकर खरीद कर लीगई हो।		"
१३५ वह नालिश जिसे किसी मुर्तहिन ने किसी ऐसी अदालत में, जो शाही फरमान के अनुसार कायम न हुई हो, वास्ते दिलापाने कब्जा जायदाद गैर—मनकूला मरहूना के दायर की हो।	"	जिस समय कब्जा करनेके सम्बन्धमें राहिनका हक खतम होता हो।
१३६ खानगी बय के खरीदार की ओर से जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जब कि बयकी तारीख को बय करने वाले (फरोख्त कुनिन्दा) का कब्जा उस जायदाद पर नहीं था।	"	जिस समय बय करने वालेको कब्जा करनेका हक पहिले पहल पैदा हुआ हो।

१३७ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से जिसने किसी डिकरी की इजरा मे होने वाली नीलाम मे जायजायदाद खरीद की हो, जब कि नीलाम की तारीख को मदियून डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर न हो।	"	जिस समय मदियून डिकरीको कब्जा करनेका हक पहिले पहल पैदा हुआ हो।
१३८ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से, जिसने किसी डिकरी की इजरा मे होने वाली नीलाम म जायदाद खरीद की हो, जब कि नीलाम की तारीख को मदियून डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर हो।	"	उस तारीखसे जिस तारीखको कि नीलाम कतई होगया हो।
१३९ किसी जमीन्दार की ओर से किसी आसामी से कब्जा हासिल करने के लिए नालिश	"	जिस तारीखको असामीके दखलकी मियाद खतम होती हो।
१४० किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसे किसी दूसरे शख्स का हक खतम होने के बाद हकीयत मिलने वाली हो, या किसी वारिस या भावी वारिस (रिवर्सनर) की ओरसे (जो कि जमीन्दार नहीं है) या किसी मोहूबअलेह की ओर से किसी जायदाद गैर-मनकूला के कब्जे की बाबत नालिश।	"	जिस समय उसकी हकीयत पर कब्जा किया जाय।
१४१ इसी प्रकार की नालिश किसी ऐसे हिन्दू या मुसलमान की ओर से जो किसी हिन्दू या मुसलमान स्त्री के मर जाने पर जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने का हकदार है।	"	जिस समय उस स्त्रीकी मृत्यु हो।
१४२ जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने की बाबत नालिश, जब कि मुद्दई उस जायदाद पर काबिज होने की हालत मे बेदखल कर दिया गया हो या उसने कब्जा छोड़ दिया हो।	"	बेदखलकर दिए जाने या कब्जाछोड देनेकी तारीखसे

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
१४३ इसी प्रकार की नालिश, जब कि मुद्दई किसी जब्ती या किसी शर्तकी पाबन्दी न किए जाने के कारण कब्जे का हकदार हो।	बारह साल	जिस समय जब्ती वाजिब हुई हो या शर्तकी पाबन्दी न कीगई हो।
१४४ किसी जायदाद गैर मनकूला या उसमें किसी हिस्से पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश, जिसके लिए इस परिशिष्ट में कोई अन्य विशेष व्यवस्था न कीगई हो।	"	जब मुद्दाअलेहने मुद्दईके दावाके खिलाफ कब्जा कर लिया हो।
१४५ किसी अमानतदार या गिरवीदार के विरुद्ध नालिश वास्ते दिलापाने कब्जा उस जायदाद मनकूला के जो अमानत किया गया है या गिरवी किया गया है।	भाग॰ तीससाल तीस साल	अमानत या गिरवीकी तारीखसे।
१४६ उस अदालत के सामने, जो शाही फरमान के अनुसार कायम कीगई हो और अपने अदालत दीवानी के साधारण प्रारम्भिक अधिकारों को बरत रही हो, किसी मुतहिन की ओर से उस जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जो रेहन की गई है।	"	जिस समय रेहनके ऊपर दिए गए कर्जेकी बाबत असल या सूद (ब्याजका) कोई भी हिस्सा अखीरमें अदा किया गया हो।
१४६ ए—किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओरसे किसी ऐसे सार्वजनिक मार्ग या सड़क या उसके किसी हिस्से पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जिससे कि वह बेदखल कर दिया गया है या जिसका कब्जा उसने छोड़ दिया है।	"	बेदखल किए जाने या कब्जा छोड़ देनेकी तारीखसे

१५७ किसी मुतहिन की ओर से बेबाक या नीलाम के लिए नालिश।	भाग १० साठ साल साठ साल	जिस समय रेहनकी निस्बत लिया गया रुपया वाजिबुल् वसूल होजाय।
१५८ किसी मुतहिन के ऊपर वास्ते इन्फिकाक रेहन या दिलापाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला मरहूना के नालिश।	,,	जिस समय फक्करेहनी या कब्जा वापस दिलापाने का हक पैदा हुआ हो। लेकिन शर्त यह है कि उस फक्करेहनीके सम्बन्धमें किए गए दावोंके सम्बन्धमें जो लोअर ब्रह्मामें वाके जायदाद गैर मनकूलाके रेहनके ऐसे दस्तावेजके अनुसार पैदा हुए हों, जो तारीख पहिली मई सन १८६३ ई० के पहले लिखा गया है, वे नियम लागू होंगे जो उस प्रान्तमें उस तारीखके ठीक पहिले प्रचलित हैं।
१५९ सपरिषद् भारतमन्त्री द्वारा या उनकी ओर से दायर की जाने वाली नालिश।	,,	जिस समयसे इस ऐक्टके अनुसार इसी प्रकारकी किसी दूसरी नालिशकी मियाद समाप्त शुरू होती, जो यदि किसी दूसरे आदमीकी ओरसे दायर कीगई होती।



द्वितीय खण्ड—अपीलें

दरख्वास्त की किस्म	मियाद की मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
१५० जाबता फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार उस फासी के हुक्म के विरुद्ध कीगई नालिश जो किसी अदालत सेशन्स ने दिया है।	सात दिन	हुक्मकी तारीखसे
१५१ उस डिकरी या हुक्म के विरुद्ध अपील जिसे फोर्ट विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी हाईकोर्ट ने या पंजाब की चीफ कोर्ट ने या लोअर ब्रह्मा की चीफकोर्ट ने अपने प्रारम्भिक अधिकारों का प्रयोग करके दिया हो।	बीस दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीखसे।
१५२ सग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी जिला जज की अदालत मे दायर की जाने वाली अपील।	तीस दिन	उस डिकरी या हुक्मकी तारीखसे जिसकी अपीलकी गई है।
१५३ उसी जाबता के अनुसार किसी हाईकोर्ट मे किसी मातहत अदालत के उस हुक्म के विरुद्ध की जाने वाली अपील जिसके अनुसार उसने सपरिषद् श्रीमान् सम्राट् के पास अपील करने की इजाजत देने से इन्कार कर दी है।	,,	हुक्मकी तारीखसे।
१५४ जाबता फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी दूसरी अदालत मे की जाने वाली अपील।	,,	उस सजाके हुक्म या हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील कीगई है।

१५५ उसी जाबता (जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई०) के अनुसार किसी हाईकोर्ट मे की जाने वाली अपील, सिवाय उन अवस्थाओं मे जिनके सम्बन्ध मे आर्टि० १५० और आर्टि० १५७ मे व्यवस्था कर दीगई है।	साठ दिन	इस सजाके हुक्म या हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील कीगई है।
१५६ सग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी हाईकोर्ट मे की जाने वाली अपील, सिवाय उन अवस्थाओं मे जिनके सम्बन्ध मे आर्टि० १५१ और आर्टि० १५२ मे व्यवस्था कर दी गई है।	नब्बे दिन	इस डिक्री या हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील कीगई है।
१५७ जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार किसी रिहाई (Acquittal) के हुक्मके विरुद्ध अपील।	छ महीने	उस हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील कीगई है

दरख्वास्त की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
...यह जावता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार ... फ़ैसला (Award) को रद किए जाने के ... ।	दस दिन	जिस समय यह फ़ैसला अदालतमें दाखिल किया गया हो और इस बातकी नोटिस फरीकैनको दे दीगई हो।
...सी जाबते (सगह जावता दीवानी सन १९०८ ई०) दफा १२८ (२) (एफ) में बतलाई हुई सरसरी के जाबता ...र दायर कीगई नालिश की जवाब देही करने के लिए ...ई की इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त।	"	सम्मनकी तामील की तारीखसे।
...दी जावता के अनुसार, उस नजरसानी की दर-...ो बाजवनम्बर काम करने का, जो उस तारीख को, ...सको वह दरख्वास्त वास्ते समाअत के लिए तलब कीगई थी, ...सायक के हाजिर न हो सकने के कारण खारिज कर दीगई थी, हुक्म हासिल करने के लिए दरख्वास्त।	पन्द्रह दिन	नजरसानीकी दरख्वास्त खारिज होनेकी तारीखसे।
१६१ उस फ़ैसले की नजरसानी के लिए दरख्वास्त जो किसी प्रान्तीय अदालत खफ़ीफ़ा ने या किसी दूसरी अदालत ने, जिसे प्रांतीय अदालत खफ़ीफ़ा के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया है।	"	डिकरी या हुक्मकी तारीखसे।
१६२ फोर्ट विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी भी हाई-कोर्ट द्वारा या पञ्जाब की चीफ कोर्ट द्वारा, या लोअर ब्रह्मा की	बीस दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीखसे।

चीफ़कोर्ट द्वारा, अपने प्रारम्भिक दीवानी अधिकारों को काम में लाते हुए, फ़ैसले की नजरसानी के लिए दरख़्वास्त।		
१६३ मुद्दई की ओर से उस डिसमिसी (Dismissal) को रद करने का हुक्म दिए जाने के लिए दरख्वास्त, जो कि हाजिर न हो सकने की वजह से या सम्मन की तामील का ख़र्चा न देने या ख़र्चे की जमानत न देने की वजह से हुई है।	तीस दिन	मामला खारिज या (डिस् मिस्) होजानेकी तारीख़ से।
१६४ किसी मुद्दाअलेह की ओर से एकतर्फ़ी डिकरी की मसूखी का हुक्म हासिल किए जाने के लिए दी जाने वाली दरख़्वास्त।	"	डिकरीकी तारीख़से, या जबकि सम्मनकी बाक़ायदा तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस बातका पता चला हो।
१६५ सग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी ऐसे शख़्स की ओर से जो किसी जायदाद गैर मनकूला से बेदख़ल कर दिया गया है और डिकरीदार या डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम के ख़रीदार के उस जायदाद पर कब्जा दिलापाने के हक़पर उज्रदार हो।	"	बेदख़ली की तारीख़से।
१६६ उसी जाबता के अनुसार उस नीलाम की मसूखी के लिए जो किसी डिकरी की इजरा में कीगई हो।	"	नीलामकी तारीख़से।
१६७ उस जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने का विरोध किए जाने या उसमें रुकावट डाले जाने के सम्बन्ध में इस्तगासा दायर करने के लिए दरख़्वास्त, जिसकी निस्बत डिकरी दी गई है या जो किसी डिकरी की इजरा में नीलाम कीगई है।	"	विरोध किए जाने या रुकावट डाले जानेकी तारीख़ से

नालिशकी क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
१६८ किसी अपीलको जो अदम पैरवी में ख़ारिज होगई है, फिरसे मजूर किए जाने के लिए दरख्वास्त	तीस दिन	ख़ारिज होनेकी तारीखसे।
१६९ किसी ऐसी अपील की नए सिरे से फिर समाअत किए जाने के लिए दरख्वास्त जिसकी समाअत एकतर्फ़ा कीगई है।	"	अपीलकी डिकरीकी तारीखसे या जबकि अपीलकी नोटिस बाक़ायदा तौर पर तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस डिकरीका पता मिला हो
१७० बहैसियत मुफ्लिस (Pauper) अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त।	"	इस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील हुई हो।
१७१ सग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी सबूत मुक़द्दमा (Abatoment) के हुक्म की मसूखी के हुक्म के लिए दरख्वास्त	साठ दिन	सुबूत (Abatement) का हुक्म दिए जानेकी तारीख़ से।
१७२ उसी जाबता के अनुसार किसी दीवालिया मुद्दई या अपीलाण्ट के मुन्तक़िलअलेह या रिसीवर की ओर से किसी नालिश या अपील की डिसमिसी (Dismissal) की मसूखी के लिए।	"	डिसमिसी (Dismissal) के हुक्मकी तारीख़से।
१७३ किसी फ़ैसले की नजरसानी के लिए दरख्वास्त, सिवाय उन अवस्थाओं के जिनके सम्बन्ध मे आर्टि० १६१ और १६२ मे व्यवस्था कीगई है।	नब्बे दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीख़से।
१७४ उसी जाबते के अनुसार, इस बात की वजह जाहिर करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए दरख्वास्त कि	"	जिस तारीख़को अदायगी या बेबाक़ी कीगई हो।

किसी डिकरी की बाबत वाजिबुल् अदा रकम की अदालत के बाहर कीगई अदायगी या उस डिकरी की कोई बेबाकी तस्दीक की हुई (Certified) क्यो न मानली जाय।		
१७५ किसी डिकरी की रकम किस्तवार अदा किए जाने के लिए दरख्वास्त।	छ महीने	डिकरीकी तारीखसे।
१७६ उसी जाबता के अनुसार किसी मुतौफी मुद्दई या मुतौफ़ी अपीलाण्ट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीक बनाने के लिए।	नब्बे दिन	मुतौफ़ी मुद्दई या अपीलाण्टकी मौतकी तारीखसे।
१७७ उसी जाबता के अनुसार किसी मुतौफ़ी मुद्दाअलेह या किसी मुतौफ़ी रेस्पाण्डेण्ट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीक बनाने के लिए।	"	मुतौफी मुद्दाअलेह या रेस्पाण्डेण्ट की मौत की तारीख से।
१७८ उसी जाबता के अनुसार, किसी ऐसे मामले मे, जो अदालत के हुक्म से पचायत मे पेश किया गया है, दिए गए पचायती फैसले को, या किसी ऐसे मामले मे दिए गए पचायती फैसले को, जो बिना अदालत की इजाजत पचायत मे पेश किया गया है, दाखिल अदालत करने के लिए दरख्वास्त।	छ महीने	पचायती फैसलाकी तारीखसे।
१७९ उस शख्स की ओर से, जो उसी जाबते के अनुसार सपरिषद् श्रीमान् सम्राट के यहा पर अपील करना चाहता है, अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरख्वास्त।	नब्बे दिन	उस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील कीगई हो।
१८० उस जायदाद गैर मनकूला के खरीदार की ओरसे जो डिकरी की इजरा मे नीलाम कीगई है, कब्जा दिलापाने के लिए दरख्वास्त।	तीन साल	जिस समय नीलाम कतई होजाय।

दरख़्वास्त की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
१८१ ऐसी दरख़्वास्त जिसके लिए इस परिशिष्ट मे और कही पर या जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ मे कोई व्यवस्था नही कीगई है।	तीन साल	जिस समय दरख्वास्त देनेका हक़ पैदा होता हो।
१८२ किसी अदालत दीवानी की डिकरी या हुक्म की इजरा के लिए, जिसके सम्बन्ध मे आर्टि० १८३ या जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ मे कोई व्यवस्था नही कीगई है।	तीन साल या जब उस डिकरी या हुक्म की तस्दीक शुदा नकलकी रजिस्ट्री कीगई हो तो,छहसाल	१ डिकरी या हुक्मकी तारीख़से, या २ (जब अपील कीगई हो तो) अदालत अपीलके हुक्म या कतई डिकरीकी तारीख़से या अपीलके वापस लिए जानेकी तारीखसे, या ३ (जब फैसले की नजर सानी कीगई हो तो) नजर सानीमे दिए गए फैसलेकी तारीखसे, या ४ (जब डिकरी तर्मीम कीगई हो तो) तर्मीम की तारीख़से, या ५ (जब इसके बादमे बतलाई हुई दरख्वस्त दीगई हो) कानूनके अनुसार किसी मुनासिब अदालतमे इजरा के लिए या उस डिकरी या हुक्मकी इजराके सम्बन्धमें कुछ तद्बीर करनेके लिए दी जाने वाली दरख्वास्तकी तारीख़से, या ६ (जबकि वह नोटिस, जिसका जिक्र बादमे किया गया है, जारी कर दीगई हो) उस नोटिसकी तारीखसे जो उस शख्सके नाम, जिसके ख़िलाफ इजराकी दर-

ख्वास्त दीगई है। इस बातकी वजह जाहिर करनेके लिए जारी कीगई है कि उसके खिलाफ डिकरीकी इजरा क्या न की जाय, जबकि ऐसी नोटिस का जारी किया जाना जाब्ता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार जरूरी हो, या

७ (जबकि दरख्वास्तकी ऐसी रकमको अदा करा पाने के लिए दीगई हो जो डिकरी या हुक्मके अनुसार किसी खास तारीखको अदा की जानी चाहिए) ऐसी तारीखसे

विवरण १—जब डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों के हक में अलग अलग दिया गया हो और जायदाद मुतनाजा की निस्बत यह तफसील लिख दी गई हो कि हरएक शख्स को इस कदर माल मिलना चाहिए या हवाले किया जाना चाहिए, तो इस आर्टि० के क्लॉज (५) में बतलाई हुई दरख्वास्त का फैसला उक्त आदमियोंमें से सिर्फ उसी शख्स या उन्हीं शख्सोंके या उनके प्रतिनिधियों के हक में होगा जिसकी या जिनकी ओर से वह दरख्वास्त दीगई हो। लेकिन जब वह डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों के हक में एक ही में दिया गया हो, तो ऐसी दरख्वास्त का फैसला, अगर वह उनमें से किसी एक या अधिक शख्सों की ओर से, या उसके अथवा उनके प्रतिनिधियों की ओर से दीगई हो, उन सब के हक में होगा।

जब वह डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों के विरुद्ध अलग अलग दिया गया हो और उसमें साफ-

दरख्वास्त की क़िस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
		दाद मुतनाजा की निस्बत यह लिख दिया गया हो कि उनमें से हरएक को किस क़दर अदा करना चाहिए या हवाले करना चाहिए, तो उस दरख्वास्तका फ़ैसला उनमें से उन्हीं शख्सों या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ होगा जिनके खिलाफ वह दी गई है। लेकिन जब वह डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों के खिलाफ़ एक में ही दिया गया है, तो ऐसी दरख्वास्त का, अगर वह उनमें से किसी एक अथवा अधिक के खिलाफ अथवा उसके या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ़ दीगई है, उन सब के खिलाफ फैसला होगा। विवरण २—"मुनासिब अदालत" से मतलब उस अदालत से है जिसका यह कर्तव्य (फ़र्ज़) है कि वह किसी डिकरी या हुक्म की इजरा करे।
१८३ किसी फैसला, डिकरी या हुक्म की, जो शाही फरमान के अनुसार क़ायम कीगई किसी अदालत ने अपने साधारण प्रारम्भिक दीवानी अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो, या सपरिषद् श्रीमान् सम्राट के हुक्म की इजरा के लिए दरख्वास्त।	बारह साल	जिस समय उस फैसला, डिकरी या हुक्म की इजरा का हक़ उस शख्स को पैदा होता हो जो उस हक़ को छोड़ सकता था। लेकिन शर्त यह है कि जब उस फैसला, डिकरी या हुक्म की तजदीद कीगई हो या उससे असल के रुपये का कुछ हिस्सा वसूल हुआ हो या ऐसे रुपये की बाबत कुछ व्याज की रकम अदा कीगई हो या इसके हक़ का लिखित स्वीकृति-पत्र, जिसपर उस शख्स के, जो ऐसे

अहलके रुपया या ब्याजका देनदार है, या उसके मुख्तारके दस्तख़त हों, उस शख़्सको, जो उसके पानेका हक़दार है या उसके मुख्तार को दे दिया गया हो, तो बारह सालकी इस मुद्दत का शुमार उस तारीख़ से किया जायगा जिस तारीख़ को फ़ैसला, डिक्री या हुक्म की तजदीद की गई हो या अदायगी की गई हो या स्वीकृति पत्र दिया गया हो, या इनमें से सब से आख़िरी तजदीद, अदायगी या स्वीकृति पत्र दिए जाने की तारीख़ से, जैसा कुछ भी अवस्था हो, शुमार की जायगी।

परिशिष्ट (२)

[देखो दफा ३१]

वे प्रान्त जिनका उल्लेख दफा ३१ में किया गया है

१ फोर्ट सेण्ट जार्ज की प्रेजीडेन्सी
२ बम्बई प्रेजीडेन्सी
३ फोर्ट विलियम प्रेजीडेन्सी के बंगाल खण्ड का सम्भलपुर का ज़िला
४ संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध
५ ब्रह्मा
६ मध्य प्रदेश
७ अजमेर मेरवाड

परिशिष्ट (३)

× × × ×

मंसूख हो गया

व्याख्या और नज़ीरें

इण्डियन लिमीटेशन ऐक्ट के समझने के लिए नीचे व्याख्या और हाल तक की नजीरें दीगई हैं। जहां पर दफा का कोई उल्लेख किया गया है वहां पर इसी कानून की दफा समझना और देख लेना योग्य होगा।

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट

[नं० ९ सन १९०८ ई०]

अर्थात्

भारतीय कानून मियाद

ऐक्ट नं० ९ सन १९०८ ई०

दफा ३—नालिश जिनकी मियाद खारिज होगई है—अपीलें अथवा दरख्वास्तें उस हालत में खारिज कर दी जा सकती हैं जबकि मियाद् की बात न भी पेश की गई हो (दफा ३)

व्याख्या—कोई फरीक कानून मियाद और कानून मुआहिदा के नियमों के प्रयोग सम्बन्धी अधिकारों को छोड़ नहीं सकता (देखो 38 M 374), अगर मियाद का सवाल न उठाने के सम्बन्ध में कोई मुआहिदा किया गया हो, तो वह नाजायज होगा, देखो 40 M 701, 54 I C 36 रजामन्दी हो जाने से मियाद की मुद्दत न तो बढ़ सकती है और न उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है (देखो 13 W R 44 F B) और न वह स्थगित की जा सकती है (देखो 40 M 701)

दफा ३ ताकीदी है और इसलिये चाहे मुद्दाअलेह मियाद के सवालको न भी उठाये तो भी उसकी तामील जरूरकी जानी चाहिये, देखो 34 C 941 F B 1914 M W N 921 मियादका सवाल अदालत अपीलमें भी उठाया जा सकता है, अगर वह उस मुकद्दमे में बतलाए गए वाकयात से पैदा होता है, देखो 12 A 461 F B फरीकको चाहिए कि अगर बुनियादी अपील में मियादका सवाल नहीं उठाया गया है तो वह इसके लिए अदालतसे इजाजत हासिल करे, (देखो 43B 376, 31 C L J 1,6 Pat L J 444.

[illegible] — कोई अपील या किसी फैसलेकी [illegible] करनेकी इजाजत हासिल करनेके लिए दीगई दर[illegible] दरख्वास्त जिसके सम्बन्ध में दफा ५ का प्रयोग हो सकता है [illegible] ऊपर मियादकी मुद्दत खतम हो जाने के बाद भी [illegible] सकती है अगर इसके लिये काफ़ी वजह दिखलाई जा सके (दफ़ा ५)

[illegible] —दफ़ा ५ नालिशों के सम्बन्ध म लागू नहीं होती। वह डिकरीकी [illegible] जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्धमें (देखो 44 I C 570; [illegible]), इजराय होने वाले नीलाम की मसूखी के लिए (देखो [illegible] R 29) जाबता दीवानी की दफ़ा ४७ के अनुसार (देखो [illegible] (C), आर्डर २१, रूल ४ के अनुसार (देखो 36 A 235) और किसी पंचायती फैसले को रद किये जाने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्ध म लागू न होगी।

यह जाबता दीवानीके आर्डर २२, रूल ९ के अनुसार दी जानेवाली (देखो इस रूलका सब क्लाज ३), एक तर्फ़ी डिकरियों की मसूखी के लिए (देखो 43 M. 628.) दी जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू होती है। मद्रास में आर्डर ९ रूल १३ के साथ सब रूल (२) जोड़ दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि कानून मियाद की दफ़ा ५ लागू होती है।

"काफ़ी वजह" प्रत्येक मामलेके अनुसार अलग अलग होगी, देखो 3 C L. J. 515, 10 C L J 39 वकीलका सख्त बीमार होना और मुवक्किलको मियादका ठीक पता न होना काफ़ी वजह है, देखो 9 M I A 26 कानूनकी गलती काफ़ी वजह नहीं है, लेकिन उचित ध्यान और खबरदारी रखते हुए भी गलतीका होजाना, जिससे गलत मामला दायर होजाय और पैरवी वगैरा होजाय काफ़ी वजह है, देखो 45 C 94, 22 C W N, [illegible] P C , 13 C 266, 12 A 461 F B , 35 M L J 51[illegible] लेकिन यह जरूरी है कि जो गलती हुई हो वह असलियतमें ग[illegible] ऐसा न किया गया हो और [illegible] और उचि[illegible] लिए [illegible] हो, (देखो 45 C 9[illegible] B 522; 11 [illegible] 9, 4[illegible] 542, 46 I C 50[illegible] 75)। [illegible] वजह है, देखो 29 A [illegible] देखो 12 C W N [illegible] N 807 [illegible] 480 (C), किसी [illegible] (देखो 45 I C 48[illegible] 17 C L J 66, 85 [illegible] और खबरदारीके साथ [illegible] समझी जायगी। किसी [illegible] किसी अपीलका गलत [illegible] सावधानीसे काम लेने पर [illegible]

पजद नहीं है, देखो 72 I C 732 और 45 I C 542, 43 I C 317, 44 A 636 P 639 में यह बतलाया गया है कि मुफस्सिलके वकीलों प्लीडरोंको कानूनी किताबोंके पुस्तकालय न होने और हाईकोर्टके जाबतेसे अनभिज्ञ होनेके कारण बड़ी असुविधा रहती है। लेकिन प्लीडरकी गलती ऐसी होनी चाहिए जो बड़े बड़े अनुभवी वकील भी कर सकते हैं [देखो 6 P L J 237, 12 I C 677, 12 I C 677] इस सम्बन्धमें, कि क्या किसी अपीलकी मियाद खारिज कर देनेके सम्बन्धमें, वकील (प्लीडर) की लापरवाहीके लिए मवक्किल नालिश कर सकता है, देखो 28 I C 265 (A)।

दफा ६, ७, ८ और ९—अयोग्य (नाबालिग नालिश वगैरा कर सकने के) पुरुषों के लिए मियाद या मुद्दत का बढ़ाया जाना—जब कोई ऐसा शख्स जिसे किसी नालिश के दायर करने, किसी डिगरी की इजरा के लिए दरख्वास्त देने का अधिकार है, विनाय मुखासमत दावा पैदा होने के समय नाबालिग है या पागल अथवा मूर्ख है, तो वह इस अयोग्यता के दूर होजाने के बाद उसी मियाद के अन्दर नालिश कर सकता है जो आम तौर पर दीगई है। अगर उसकी यह अयोग्यता उसके मरने के समय तक बनी रही तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को, भी यह अधिकार बना रहेगा [देखो दफा ६] बहुतसे मुद्दइयों और सायलों में से किसी एक के अयोग्य होने की अवस्थामें क्या व्यवस्था होगी इस सम्बन्ध में देखो दफा ७।

दफा ६ अथवा ७ में कोई भी एसी बात नहीं है जो हक शिफा की नालिशोंके सम्बन्धमें लागू होती हो या जिसके सम्बन्धमें यह समझा जाय कि वह उस मियादको जिसके भीतर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दरख्वास्त दी जानी चाहिए, उस शख्सको, जिसको इससे नुकसान पहुंचा है, अयोग्यता (नाकाबिलियत) दूर होजाने या मृत्यु हो जाने की तारीखसे तीन सालसे अधिक समय तकके लिए बढ़ा सके (दफा ८)

जब एकबार मियाद शुरू होजाय तो बादमें नालिश कर सकने की अयोग्यता या असामर्थ्यसे उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ सकती (दफा ९)

व्याख्या—दफा ६ उन व्यक्तियोंको, जो तीन प्रकारसे अयोग्य हों, कुछ व्यक्तिगत विशेष अधिकार प्रदान करती है। और किसीप्रकार की अयोग्यता का ख्याल न किया जायगा (देखो 19 C W N 1193, 46 C 694 P C) यह जरूरी है कि मुद्दई उस समय अयोग्य हो जिस समय कि विनाय मुखासमत दावा पैदा होती है (देखो 27 C 379, 20 W R 2) विनाय मुखासमत दावा जन्म होने के पहिले पैदा हुई हो तो किसी नाबालिगको बालिग होनेपर इस दफासे लाभ उठाने का अधिकार न होगा, देखो 23 W R 285, 1 L 588 चूंकि यह अधिकार व्यक्तिगत है और केवल उसी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है जिसको कि वह दिया गया है, इसलिए वह किसी नाबालिग के

मुन्तकिल शलेहके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है; देखो 9 C 663 F B, 12 M 637, 26 B 730, 50 I C 380; 22 C W N 831 यह दफ़ा नालिश इत्यादिके करनेमें सहायता देनेवाली है और इसलिए किसी शख्सको अयोग्यता दूर होनसे पहिले नालिश दायर करनेसे रोकती नहीं है देखो 1, C 226 P C, 9 C 181, 3 C W N 21, 32 C. 129 P C, 23 C 274

दफ़ा ६ सिर्फ़ नालिशों और डिक्रियों की इजराके लिए दी जाने वाली दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें और जिनके लिए कानून मियादके परिशिष्ट (१) के तीसरे खानामें मियादकी मुद्दत दीगई है उनके सम्बन्धम लागू होती है। यह उन मामलोंके सम्बन्धमें लागू नहीं होती जिनके लिए स्थानीय और विशेष कानूनोंमें मियादकी मुद्दत दी गई है, उदाहरणार्थ वह जाबता दीवानीकी दफ़ा ४८ के अनुसार दायर किए जाने वाले किसी मामलेके सम्बन्धमें लागू होती है (देखो 37 M. 186, 24 M L J 96, 37 A 638, 128 P R 1894)

यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि दफ़ा ६ और ७, दफ़ा ८ के अधीन है जिसमें यह व्यवस्था कीगई है कि किसी भी अवस्था में मियाद की मुद्दत अयोग्यता दूर होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय के लिए न बढ़ाई जा सकेगी (देखो 24 M. 387 P. C)। जैसा कि 42 M 637 और 50 I C 380 म बतलाया गया है, दफ़ा ८ जिमनी है और उस रिआयत को महदूद करती है जो दफ़ा ६ और ७ मे दीगई है और वह खास रिआयत नहीं देती। जब कि साधारण मियाद की मुद्दत तीन साल हो या अधिक और बालिग होने की तारीख से तीन साल के अन्दर वह खतम हो जाती हो, तो नाबालिग को अयोग्यता दूर होने की तारीख़ से पूरे तीन साल मिलते हैं, लेकिन जब यह मुद्दत तीन साल से कम हो और नाबालिग को यह मुद्दत बालिग होने की तारीख से मिलती हो, तो साधारण मियादकी मुद्दत तीन सालतकके लिये न बढ़ाई जानी चाहिए, देखो 17 M 316 और दफ़ा ८ के उदाहरण। चूंकि दफ़ा ६ एक ऐसी दफ़ा है जो किसी व्यक्तिको नालिश कर सकनेके योग्य बनाती है, इसलिए वह मियाद की साधारण मुद्दत को कम नहीं करती। इस प्रकार एक नाबालिग, जो बेदखल कर दिया गया है बेदखल किए जाने की तारीख़ से १२ बरस के अन्दर नालिश दायर कर सकता है, और नालिश केवल इसी बात से मियाद बाहर न समझी जायगी कि उसने बालिग होनेकी तारीख़ से तीन साल से ज्यादा समय गुजर जानेके बाद उसे दायर किया है।

जो समय नकल तस्दीक वसीयतनामा (प्रोबेट) के लेनेमें खर्च हुआ है, वह दफ़ा ९ के अनुसार, डिक्री की इजरा की मियाद का शुमार करनेमें निकाल नहीं दी जासकती, देखो 1 Bom L J 192

अयोग्यता (Dis ability) और असमर्थ (In ability) मे क्या भेद है इसके लिए देखिए 25 C 496 F B

दफा १० ट्रस्टियों के ऊपर नालिशें—जो नालिश ट्रस्टियों के ऊपर उस ट्रस्ट के सम्बन्ध में, किसी ख़ास काम के लिए, या उनके क़ानूनी प्रतिनिधियों या मुन्तकिल अलेहों के ऊपर (जो कि एस मुन्तकिल अलेह नहीं हैं जिन्होंने रुपया देकर जायदाद मुन्तकिल कराई है) ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसकी आमदनी, उनके हाथसे निकाल लेने के लिए या हिसाब किताब तलब करने के लिए दायर कीगई हो, उसकी मियाद किसी भी समय खारिज नहीं होती (दफा १७)

व्याख्या—वे सभी आदमी ट्रस्टी नहीं हैं जिनके पास कोई माल अमानत में जमा किया गया हो। इस तरह पर मुख्तार, कर्ता, या प्रबन्धक, गुमाश्ता और बेनामीदार लोग ट्रस्टी नहीं हैं, देखो 1 C 153, 18 B 119, 4 M L J 117, 11 W R 72, 45 M 415, 32 C L J 25 — दफा२ (११) में जो ट्रस्टी की परिभाषा दीगई है उसमें से बेनामीदार ख़ास तौर पर अलग कर दिए गए हैं। दफा १० कम्पनियों के डाइरेक्टरों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती (देखो 18 B 119, 71 I C 899) और न उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनके पास रुपया जमा किया गया हो, देखो 1 A L J 482 22 I C 936

सामील कुनिन्दा (एजेन्ट) ट्रस्टी है, सिर्फ उसी हालत में जब कि वह किसी ख़ास काम के लिए ट्रस्टी बनाया गया हो। 'वह ट्रस्टी है अथवा नहीं" यह बात प्रत्येक मामले के वाक़यात के ऊपर निर्भर करती है, देखो 11 Bom L R 1187, 13 C W N 357, 30 C 369 यही बात किसी प्रबन्धकर्ताके सम्बन्ध में भी है, देखो 2 P L J 642

दफा १० सिर्फ ख़ास ट्रस्टों के सम्बन्ध में ही लागू होती है और वह अनुमित (Implied) ट्रस्टों के सम्बन्ध में अथवा उन ट्रस्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो क़ानून के प्रयोग से पैदा होते हों, देखो 132 P R 1907, 31 B 222, 7 A 25, 32 B 394 ख़ास ट्रस्टों के सम्बन्ध में देखो 45 M 415 यह दफा अनुमानित ताबीरों (Constructive trusts) के सम्बन्ध में लागू होती है, देखो 2 A 361, 103 P R 1907, 2 A 476 और 4 C 155 45 M 415 नालिश, ट्रस्ट की सम्पत्ति को वापस पाने के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारोंको पक्का ठहरानेके लिए नहीं, जैसे ट्रस्ट की सम्पत्ति का प्रबन्ध इत्यादि, देखो 6 A (P C)

"ख़ास काम" के अर्थ के सम्बन्ध में देखो 46 M 259, 26 C W N 495 P C, 30 M L T 160

दफा १२—सिर्फ मियाद समाअत में मुद्दत का शुमार—(१) किसी नालिश अपील या दरख्वास्त के सम्बन्ध में वह तारीख़, जब से मियाद की मुद्दत का शुमार किया जाना चाहिए, निकाल दी जायगी। (२) किसी अपील करने की इजाज़त हासिल करने और किसी फैसले की नज़रसानी के लिए दरख्वास्त के सम्बन्ध में, वह तारीख़, जिसको फैसला दिया गया था और वह समय, जो डिक्री, सज़ा के हुक्म या हुक्म की नक़ल लेने के लिए ज़रूरी है, निकाल दिया

जायगा। (३) जब किसी डिकरी की अपील कीगई हो या उसकी नजरसानी की दरख्वास्त दीगई तो जो समय उस फैसलेकी नकल लेनेके लिए जरूरी होगा जिसके आधार पर वह अपील कीगई है या नजरसानी की दरख्वास्त दीगई है वह निकाल दिया जायगा। (४) इसी प्रकार वह समय, भी जो किसी पचायती फैसलेकी नकल लेनेके लिए जरूरी है निकाल दिया जायगा देखो इस ऐक्टकी (दफ़ा १२)

दफ़ा २५ के मनुसार कुल दस्तावेजों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे ग्रीगोरियन साल के हिसाब से लिखे गए हैं (दफ़ा २५)

नोट—ग्रीगोरियन साल म ३६६ दिन होते हैं।

व्याख्या—मियाद का शुमार अगरेजी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए (देखो 13 W R 183), यद्यपि किसी तमस्सुक म हिन्दुस्तानी साल के हिसाब से रुपया अदा करने का इकरार किया गया हो [देखो 6 C 239, 4 B 103, 6 B 83]

क्लॉज (१) के अनुसार वह दिन, जिसको विनाय मुख़ासमत दावा पैदा हुई हो, निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 4 M H C R 109; 10M 292, 19 W R 91, 39 C 516, 12 B 617 यह बात परिशिष्ट १ के तीसरे खाना (कालम) के ऊपर लिखे हुए "मियाद कब स शुरू होगी" शब्दों से और भी स्पष्ट हो जाती है। किसी अगरेजी महीना या साल का शुमार करने मे एक महीने या सालसेउसी दूसरे महीने या सालतक शुमारकर जाना चाहिए और इसमें गणना करते समय वह दिन निकाल देना चाहिए जिस दिन से उस महीने और साल का शुमार किया जाता है, इसलिए एक ही तारीख़ के दो दिन उसमें शामिल नहीं होते है, देखो 13 C L R. 153-154, 6 C 325

किसी दस्तावेज मे कर्जे का रुपया अदा कर देनेके लिए जो दिननियत है वह निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि सम्भव है कि रुपयेकी अदायगी उस दिन अखीर तक कर दी जाय। नालिश करनेका हक उस दिन नहीं बल्कि उस दिन से पैदा होता है, देखो 4 M H C R 330, 24 W P 463, 10M 291, 13 C L R 153

एक रजिस्ट्रीशुदा तमस्सुक की, तारीख २३ दिसम्बर सन् १८९८ ई० लिखी गयी थी, रकम "एक साल के अन्दर किसी समय वाजिबुल अदा थी।" आख़िरी अदायगी की तारीख २३ दिसम्बर सन् १८६९ ई० थी, इसलिए मुद्दइय्यान के नालिश करने का हक उस दिन पैदा होता है, अगर रुपया तारीख २२ को अदा न हो। इस २२ तारीख को निकाल कर मुद्दइय्यान की तारीख़ २३ दिसम्बर सन १८७५ ई० को दायर कीगई, नालिश अन्दर मियाद के दाखिल कीगई मानी गई, देखो 38 P R 1876 जब अदायगी का दिन तमस्सुक में बतला दिया गया हो, तो वह दिन निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 24 W R 463

एक तमस्सुक को, जो बैसाख ८ सन् १२८६ को लिखा गया था, अदायगी की तारीख़ चैत्र ३० सन् १२८६ थी (जो ११ अप्रैल सन् १८८० को है पड़ती है)

और चैत्र ३० सन् १२८६ को छुट्टी होने के कारण नालिश तारीख़ १२ अप्रैल सन् १८८३ ई० (बैसाख १ सन् १२९०) को दायर कीगई। ऐसी दशामें मियाद का शुमार अंगरेजी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए और यह नालिश २९ चैत्र सन् १२८९ तदनुसार तारीख़ ११ अप्रैल सन् १८८३ ई० को दायर की जानी चाहिए, देखो 13 C L R 153, 29 I C 980 (A), 11 B 83

जब किसी ऐसे तमस्सुक़ के ऊपर नालिश दायर कीगई हो, जिसकी तकमील महीने की किसी तारीख़ को कीगई है और उसकी अदायगी की मुद्दत दो साल है, तो विनाय मुख़ासमत दूसरे महीने की उसी तारीख़ को आकर पैदा होता है जिसको कि उसकी तकमील कीगई थी, देखो 12 B 617

जब कि एक तमस्सुक़ में किसी साल के बंगाली महीने की ३० वीं तारीख़ रुपये की अदायगी की तारीख़ नियत कीगई (दोनों फ़रीक़ैनको उस महीने की सख्या का ठीक ठीक पता नहीं था) तय हुआ कि ऐसी दशा में बिनाय मुख़ासमत द्वारा उसी दिन पैदा होती है जिस दिन वह उस हालत में पैदा होती अगर वह महीना ३० दिनका होता है, देखो 6 C 239

प्रोनोटके सम्बन्धमें मियादका शुमार करते समय वह तारीख निकाल दीजानी चाहिए जिस तारीख़को उसकी तकमील कीगई थी देखो 6B L R 202,16W R 1 तारीख़ ७ मई सन् १९०७ ई०को लिखे गए एक प्रोनोटके सम्बन्धमें नालिश तारीख़ ९मई सन् १९१० ई०को दायर कीगई। क्योंकि ८ तारीख़को इतवार था। तय हुआ कि मियाद तारीख़ ७ मई सन् १९०७ ई० के ख़तम हो जानेके बाद से जारी होती है और वह तारीख़ ७ मई सन् १९१० ई०को १२बजे रातको ख़तम हो जाती है इसलिए नालिश मियाद बाहर दायर कीगई है, देखो 18 I C 574

बालिग होने की तारीख़ भी निकाल दीजानी चाहिए, देखो 10 C 748

"जरूरी" का अर्थ है क़ानूनन जरूरी, देखो 43M 644 यह प्रश्न वाक़यात सम्बन्धी है, देखो 6 P R 1894 यह जरूरी समय कब शुरू होता है यह प्रश्न प्रत्येक अदालतमें प्रचलित प्रथाके अनुसार तय किया जाना चाहिए, देखो 12C L R 541 "प्रचलित प्रथा" यह है कि नकल की दरख्वास्त दिए जाने की तारीख़ और उसके तैयार हो जाने की तारीख़ के बीच का समय निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 12 C L R 541, 7 C W N. 109.

नकल लेनेके लिए जरूरी समय उस समय तक आरम्भ नहीं होता जबतक कि नक़लके लिये दरख्वास्त पेश न कर दी जाय, देखो 12 A 461, 6 Pat L J 350 F B 23 B 442, 3 L B R 62

'वह समय जो नकल लेने के लिये जरूरी है" का अर्थ सिर्फ उस समय से है जो नकल की दरख्वास्त देने और नक़ल तैयार हो जाने के बीच में गुज़रा

हो। फैसला या डिकरी की सही नक़ल करने और उसपर दस्तख़त करने में जो समय लगा है, वह उस समय तक न काटा जायगा जबतक कि उस तारीख के पहिले नक़ल की दरख्वास्त न दे दीगई हो, देखो 12 A 161 F B—फैसला देने और डिकरी के ऊपर दस्तख़त किए जाने के बीच में जो समय लगा है, वह उसी समय निकाला जायगा, अगर इस डिकरी पर दस्तख़त किए जाने की ही वजह से नक़ल की दरख्वास्त देने में विलम्ब हुआ है, और किसी हालत में नहीं, देखो 12A 79—दरख्वास्त देनेवालेके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उस समय तक इन्तजार करता रहे जब तक कि डिकरी पर दस्तख़त न हो जाय। उसको नक़ल के लिए दरख्वास्त देने की पूरी स्वतन्त्रता है, चाहे उसपर हस्ताक्षर हुए हो या न हुए हों। अगर वह इन्तजार करता है और मियाद गुजर जाती है, तो वह फैसला दिए जाने और डिकरी के ऊपर दस्तख़त किए जाने के बीच लगे हुए समय को मुजरा नहीं पासकता, देखो 6 Pat L J 350 F B, A I R 1923 Pat 520, 23 B 442 तथा 7 N L R 67, 5 S L R 57,1 P L J 573 F B

कलकत्ता में यह तय हुआ है कि जब डिकरी की नक़ल हासिल करने में समय केवल इस कारण लगा हो कि डिकरी पर दस्तख़त नहीं किए गए हैं, तो अपील दायर करने की मियाद का शुमार करने में अपीलाण्ट दफ़ा १२ के अनुसार वह समय मुजरा पाने का हक़दार है जो फैसला देने और डिकरी पर दस्तख़त किए जाने के बीच में लगा है, देखो 13 C 104 F B—इसी प्रकार उस समय का निकाल देना, जोकि फैसला दिए जाने और और डिकरी पर दस्तख़त किए जाने के बीच लगा है, इसबात पर निर्भर करता नहीं जान पड़ता कि उसकी नक़ल की दरख्वास्त डिकरी पर दस्तख़त होने के पहिले दीगई थी या नहीं, देखो 15 C W N 787, 20 C W N 987—परन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट के एक हाल के मुक़द्दमे में यह तय किया गया था, कि क़ानून मियाद के आर्टि० १५१ और ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा २०५ (आर्डर २०, रूल ७) को पढ़ने से यह मालूम होता है कि अपील उस दिन से २० दिन के भीतर दाखिल की जानी चाहिए जिस दिन कि फैसला दिया गया था और यह कि मियाद सम्बन्धी क़ानून का संशोधन करने के लिए उचित कारण है, जिससे इस बीस दिन की मुद्दत का शुमार उस दिन से किया जाय, जिस दिन कि डिकरी दी गयी थी उस दिन से नहीं जब कि फैसला सुनाया गया था, देखो 10 C 652, 12 A 161 F B—एक हाल के मुक़द्दमे में यह तय हुआ था कि "वह समय जो नक़ल लेने के लिए जरूरी है" उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक कि नक़ल के लिए दरख्वास्त न दीगई हो। इसलिए अपीलाण्ट को वह समय मुजरा पाने का हक़ नहीं है, अगर नक़ल के लिए दरख्वास्त उस मुद्दतके खतम होने के बाद दीगई हो जो अपील करने के लिए मुक़र्रर है, देखो 32 C L J 127, 58 I C 108, 23 C W N 553, 39 C 766

दफ़ा १२ के अनुसार वह मुद्दत नक़ल के लिए जरूरी मुद्दत नहीं समझी जा सकती है जो इस समय न गुजरी होती, अगर अपीलाण्ट ने उस हुक्म की

नक़ल के लिए आवश्यक सावधानी से और उचित कार्रवाई की होती। जब उसने फैसला दे दिए जाने के बाद एक मुनासिब मियाद के अन्दर हुक्म तैयार करने के लिए दरख्वास्त न दी हो, और मसविदा तैयार होने के बाद भी उसने उसके लिए अपनी मंजूरी देकर उसे वापस न कर दिया हो, तो वह उस कुल समय की मुजराई के लिए दावा नहीं कर सकता-जो उसे नक़ल लेने में लगा है, देखो 27 C W N 156 P C, 68 I C 900

अगर किसी फरीक़ के नक़ल की दरख्वास्त देने या उस रुपये के जमा करने में, जो इस काम के लिए जरूरी है, असावधानी करने के कारण देर हुई हो, तो वह समय मुजरा न दिया जायगा, देखो 12 A 79 F B, 61 P L R 1911 या अगर फोलियो दाखिल करने में असावधानी करने के कारण देर हुई हो तो वह समय भी मुजरा नहीं दिया जायगा, देखो 1 Pat L J 573, 49 I C 1000 लेकिन जो समय अदालत के अधिकारियों के देर में नक़ल देने के कारण लगा हो, वह मुजरा दिया जा सकेगा, देखो 12 A 105, 10 A W N 10—नक़ल तैयार होने और वास्तव में नक़ल लिए जाने के बीच में लगा हुआ समय मुजरा नहीं दिया जा सकता है देखो 9 C L R 293, 5 C P L R 188 लेकिन दरख्वास्त देने वाले को उस तारीख़ की सूचना दे देनी चाहिए जब कि नक़ल दिए जाने के लिए तैयार हो, देखो 11 P W R 1912 जो समय उन फोलियो की तहक़ीक़ करने के लिए जरूरी है जिनकी इस काम के लिए जरूरत है, वह मुजरा नहीं दिलाया जा सकता, देखो 12 C 30, 33

जब उस दिन के बाद वाले दिन, जिसको कि डिकरी पर दस्तख़त किए गए हैं, कचहरी बन्द हो और नक़ल की दरख्वास्त दुबारा कचहरी खुलने के दिन दी गई हो, तो वह बीच का समय मुजरा नहीं मिल सकता, देखो 13 C L J 544, 27 M 21 जब फैसला लम्बी छुट्टियों के लिए अदालत बन्द होने के कुछ पहिले दिया गया हो और अदालत खुलने के बाद बहुत समय तक नक़ल की दरख्वास्त न दी गई हो, तो बीच का यह समय मुजरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दरख्वास्त देने वाले ने सब से पहिले मिले हुए अवसर पर दरख्वास्त नहीं दी थी, देखो 1911 M W N 364, 43 M 644

नक़ल की दरख्वास्त देने के लिए आवश्यक समय के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लगातार जारी रहने वाला ही हो। इसलिए छुट्टी (Vacation) ऐसे समय का एक हिस्सा है, देखो 20 C W N 1303; 35 I C 838 (P)

अगर उस समय, जब कि अदालत बन्द है और मोहकमा नक़ल ने जो छुट्टियों में काम करता रहा है, नक़ल तैयार कर दी हो, तो दरख्वास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह इसका पता ले, देखो 31 A 41 लेकिन जब गजट में विज्ञप्ति निकाल कर छुट्टी में ही नक़ल दे देने का प्रबन्ध कर दिया गया हो, तो दरख्वास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य है कि वह नक़ल को लेलेवे, और अगर वह नक़ल न लेगा तो अदालत खुलने तक का समय मुजरा न दिया

जायगा देखो 36 M L J 62, 49 I C 626, 36 M L J 122, 50 I C 518

दफा १२ (२), (३) के अनुसार, अपीलाण्ट वह समय भी मुजरा ले सकता है जो फैसले की नकल लेने के लिए जरूरी है, यद्यपि उसने फैसला और और डिकरी की नकल के लिए अलग अलग समय पर दरख्वास्त दी हो। दोनों मुद्दतें मुजरा दी जानी चाहिए सिवाय उस दशा के जब कि वे पूर्णत या अंशत एक ही साथ पड़ते हों, जिस दशा में कि वह उस समय को दो बार मुजरा नहीं पा सकता देखो 21 C W N 217, 25 Bom L R 1309, 12 M L T 360, 8 M L J 148 जब किसी फरीक ने फैसला और डिकरीकी नकल के लिए अलग अलग तारीखों में दरख्वास्त दी हो, तो उन दोनोंकी मुद्दत मुजरा दी जायगी, देखो 33 M 256, 41 M L J 273- पंजाब हाईकोर्ट के एक मुकद्दमें में एक बार यह तय किया गया था कि कोई शख्स वह समय मुजरा पाने के लिए दावा नहीं कर सकता जो अलग अलग तारीखों में दरख्वास्तें देकर फैसला और डिकरियों की नकल लेने में खर्च किया गया था, देखो 100 P R 1918 लेकिन बादके मुकद्दमों में इस राय में कुछ काट छांट कर दीगई है, देखो 163 P R 1919, 3 Lah L J 166.

दफा १४ उन नालिशों अथवा दरख्वास्तों के सम्बन्ध में समय का निकाल दिया जाना जिनमें नेकनीयती के साथ गलत अदालत में कार्रवाई कीगई है—(१) उस मियादका शुमार करने में, जो किसी नालिश के लिए निश्चित है, वह समय, जिसमें मुद्दई उचित सावधानी के साथ किसी दूसरी अदालत में चाहे वह प्रारम्भिक अदालत हो या अपील की अदालत हो, मुद्दाअलेह के विरुद्ध किसी दीवानी मामले में पैरवी कर रहा हो, निकाल दिया जायगा, जब कि उस मामले की बिनाय मुखासमत का आधार वही हो और वह नेकनीयतीसे ऐसी अदालतमें दायर कर दिया गया हो, जो अख्त्यार समाअत के न होने के कारण या इसी प्रकारके किसी दूसरे कारण से उसकी समाअत करने में असमर्थ है।

क्लाज (२) में दरख्वास्तों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था है। (देखो दफा १४ तथा इस दफाका विवरण)

व्याख्या—इस दफ़ा का उद्देश्य यह है कि अदालत को चाहिए कि वह फरीकेन को उस अन्याय से बचावे जो उसी के कामों या असावधानियों के कारण पैदा हुआ हो, देखो 7 C L J 59—दफ़ा १४ अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 19 C W N 473; 23 C 325 इसका प्रयोग केवल उन्हीं नालिशों तक सीमाबद्ध है, जो प्रारम्भिक अदालतों में दायर कीगई हों, क्योंकि दफा ५ अपील की अदालतों को एक अधिक बड़ा और स्वतन्त्र अधिकार उसी काम के लिए देती है जिसका जिक्र इस दफ़ामें किया गया है, देखो 5 A 591—593 यद्यपि यह दफ़ा अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती है, इसके सिद्धान्त (उद्देश्य) का प्रयोग दफा ५ के अनुसार अधिकारों से काम लेनेकी बातको निश्चित

करने के लिए किया जा सकता है, देखो 5 A 591, 22 C W N 591, 35 C L J 594, 12 B 320

दफा १४ सिर्फ उन्हीं मामलों के सम्बन्ध मे लागू होती है जिनकी समाअत गलत अदालत म हुई है, देखो 1923 (Pat) 271 संशोधित दफा २९ के अनुसार दफ़ा १४ उन नालिशों के सम्बन्ध म लागू होती है जो किसी विशेष अथवा स्थानीय कानून के अनुसार जैसे प्रांतीय कानून दीवालिया, दायर किए गए हों, देखो 34 A 196 F B यह दफ़ा इजरा के लिए दीगई दरख्वास्तों के सम्बन्धमे लागू होती है, देखो 18 B 734, 2 A 793 P. C, 20 C 29

दफ़ा १४ का अर्थ बहुत ही विस्तृत करना चाहिए, देखो 73 I C 139 (M), 30 M. L J 520, 541 P C

(१) इस दफा की आवश्यक बात ये है कि पहिले जो कार्रवाई कीगई हो वह दीवानी अदालत की कार्रवाई हो। दीवानी अदालत की कार्रवाईम अपील और निगरानी (देखो 2 A W N 59, 17 I C 539), डिकरी की इजरा की कार्रवाई (देखो 280 238), दीवालियाके खिलाफकी जाने वाली कार्रवाई (देखो 52 I C 934) शामिल है। बाम्बे हेरीडिटरी आफिसेज ऐक्ट की दफ़ा ११ (ए) के अनुसार दीगई दरख्वास्त (देखो 43 B 201) या दाखिल-खारिज की दरख्वास्त (1904 A W N 54) या अदालत माल मे की जाने वाली कार्रवाई (देखो 33 P R 1914) दीवानी अदालत की कार्रवाई नहीं है।

(२) पहिले की कार्रवाई उचित सावधानी और नेकनीयती से कीगई हो, देखो 23 A 134, 41 P R 1916, 13 M 269, 17 W R 518, 10 C 265 इसलिए अगर कोई दावा बिना वकील की सलाह लिए हुए या किसी छोटे वकील की सलाह से किया गया है, तो यह उचित परिश्रम से काम लेना न कहा जाना समझा जायगा। लेकिन जब वकीलों म किसी सब से बड़े वकीलकी सलाह ले लीगई हो, तो केवल इसी बातसे यह उचित सावधानीकी कमी न समझी जायगी कि वह सलाह गलत थी, देखो 20 I C 3, 159 P W R 1913 वकील की गलत सलाह का उचित सावधानी की कमी समझा जाना आवश्यक नहीं है, देखो 20 B 133 लेकिन अगर यह भूल ऐसी है जो उस समय न हो सकती अगर उचित सावधानी से काम लिया गया होता, तो वह माफ नहीं की जा सकती, देखो 22 O C. 39

उस समय उचित सावधानी कीगई न समझी जायगी, जब लापरवाही के कारण नालिश इस तरह पर तैयार की गई हो कि अदालत उसकी समाअत न कर सकती हो, जैसे अर्जीदावा तैयार करने म असावधानी देखो 8 W R 181 F B; 12 C W N 173, या अर्जीदावाका इस बिना के ऊपर खारिज कर दिया जाना कि उसम वे बातें नहीं बतलाई हैं जो तमादी को रोकती हैं, देखो 11 C 264, या मुद्दई का किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री कराके उसे अदालत म

पेश न कर सकना, देखो 10 B. 604 या किसी ऐसी अदालत में अपील करना जिसे अपील की समाअत करने का अधिकार नहीं है और जिसे वह फ़रीक़ जानता होगा, देखो 28 B 235, 39 M. 62,

किसी बात को गलत समझ जाने से समय मुजरा नहीं मिल सकता, जैसे किसी नीलाम को मसूख़ किए जाने के लिए दरख्वास्त देने के बदले नालिश दायर कर दी गई हो जो अन्त में ख़ारिज होगई हो, देखो 13 M L J 184, 23 M 121, 22 A 218

नेक नीयती का सम्बन्ध मुक़द्दमे में की जानने वाली कार्रवाई से है मुद्दई की चालाकी या दूसरे अनुचित व्यवहार से नहीं जिसका मुक़द्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है, देखो 15 B L R 56

नेकनीयती की बात हरएक मुक़द्दमे के वाक़यात के ऊपर की जानी चाहिए देखो 32 I C 616 यह कानून और वाक़यात का एक मिश्रित प्रश्न है, देखो 36 I C 702 वह कार्य प्रणाली, जो किसी मुद्दई के सम्बन्ध में, बम्बई में, जहां पर बड़े बड़े योग्य वकीलों की सलाह ली जा सकती है, बदनीयती या सावधानी की कमी की द्योतक होगी, मुफस्सिल के लोगों में नेकनीयती और सावधानी के साथ की गई समझी जासकती है जिनको व्यापारी कानून की निर्बलताओं से भली भांति परिचित नहीं है, देखो 3 B 182, 184, 45 I C 991 (A)

असावधानी से किसी दावा का कम मालियत बतलाना और किसी गलत अदालत में मुक़द्दमे का दायर करना नेकनीयती नहीं कही जायगी, देखो 11 I C 86, 53 I C 892 (P), 8 A W N 168

जब कानून से किसी अदालत को अख्त्यार समाअत बिलकुल न दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नेकनीयती से गलती नहीं की जा सकती, देखो 23 B 531 अगर किसी अख्त्यार समाअत या कार्रवाई के सम्बन्ध में सन्देह होने के कारण कोई नेकनीयती से गलती कीगई हो, तो इससे उस शख्स को दफा १४ से लाभ उठाने का अधिकार मिल जाता है, देखो 3 C W N 233 F B कानून के सम्बन्ध में नेकनीयती के साथ कीगई गलती के बारे में देखो 45 C 94 P C

(३) वह कार्रवाई उसी बिनाय मुखासमत के ऊपर कीगई हो–दफा १४ चाहती है कि पहिले की नालिश की बिनाय मुखासमत वही हो जो कि दूसरी नालिश की है और अदालत पहिली नालिश की समाअत करने में किसी ऐसे कारण से ही असमर्थ हो जो अख्त्यार समाअत के न होने के ही समान है, देखो 8 A 175, 3 W R 101, 8 W R 102 आवश्यक बात यह है कि पहिले की कार्रवाई की बिनाय मुखासमत वही थी जो अब दूसरी नालिश के सम्बन्ध में पेश की जारही है, देखो 17 C L J 596 अगर मुद्दई ने पहिले बेदखली की बाबत गलत नालिश दायर की हो, तो वह दफा १४ से लाभ नहीं उठा सकता, जबकि उसने बाद में लगान की बाबत नालिश की हो, देखो 9 C 255

P C, अगर फरीकैन और बिनाय मुखासमत दावा भिन्न २ है, तो दफा १४ लागू नहीं हो सकती, देखो 1 R 402

(४) पहिली अदालत अख्तयार समाअत के न होने या इसी प्रकार के दूसरे कारणों से उस नालिश की समाअत करने में असमर्थ हो, देखो 41 P R 1916—सन् १९०८ ई० के क़ानून मियाद के अनुसार दफ़ा १४ के साथ जो विवरण (३) जोड़ दिया गया है जिससे फ़ैसला में होने वाला विरोध दूर हो जाता है और साफ़ तौर पर यह व्यवस्था करता है कि फरीकैन या बिनाय मुखासमत का गलत तौर पर शामिल किया जाना अख्तयार समाअत के न होने जैसा कारण समझा जाना चाहिए।

"अख्तयार समाअत का होना" का अर्थ है उस खास अदालत को अख्तियार समाअत का न होना जिसमें कार्रवाई कीगई थी, इसमें किसी ऐसी अदालत में जिसे उस अपील की समाअत करने का अख्तयार नहीं है, अपील दायर करना जैसी भूल (गलती) शामिल नहीं है, देखो 163 P W R 1911, 45 P R 1913, 28 B 2 35

जब दूसरी नालिश में कई एक मुद्दाअलेह हों और पहली नालिश उनमें से सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ दायर की गई हो, तो उस समय दफा १४ लागू नहीं होती है और इसलिए ऐसी दशा में समय मुजरा नहीं दिलाया जा सकता देखो 5 W R 281, 3 B 182, 184 जब कि दूसरी नालिश किसी ऐसे शख्स के ऊपर दायर कीगई हो जिसके ऊपर नालिश करने का हक़ पहिले मुद्दाअलेह से पैदा होता है, तो ऐसी दशा में दफ़ा १४ लागू होती है, देखो 1 P 506

जिन कारणों से किसी नालिश या दरख्वास्त को उठा लेने की इजाजत दीगई हो, वे दफ़ा १४ के अर्थ में उसी प्रकार (क़िस्म) के कारण नहीं हैं, देखो 6 B 681 इसलिए दफ़ा १४ उस समय लागू नहीं होती जब पहिली नालिश को मुद्दई ने उठा लिया हो, देखो 12 B 625, 29 B 219, 39 M 963

वह समय, जिसमें इजरा की कोई दरख्वास्त चल रही हो और उसका फ़ैसला मुक़द्दमे की कायदाद के ऊपर किया गया हो, मुजरा नहीं दिया जा सकता, देखो 74 I C 279 (C)

दूसरे मामलों में समय का निकाल देना—हुक्म इम्तनाई या हुक्म से मामले की मुल्तवी—

(१) किसी ऐसी नालिश या डिक्री की इजरा की किसी दरख्वास्त में, जो हुक्म इम्तनाई या दूसरे हुक्म से मुलतवी कर दीगई है, उसके जारी रहने का समय, या वह दिन, जिसको कि वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको वह उठा लिया गया था, निकाल दिए जायगे।

(२) किसी ऐसी नालिश में, जिसमें कि नोटिस की जरूरत है नोटिस का समय निकाल दिया जायगा (दफा १५)

ख़रीदार नीलाम का क़ब्ज़ा—ख़रीदार नीलाम की ओर से कीगई क़ब्ज़े की नालिश में वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें नीलाम की मंसूख़ी के लिए दावा दायर किया गया हो (दफ़ा १६)

मौत होजाने से असर—नालिश दायर करने का हक़ पैदा होने से पहिले मौत के होजाने का असर क्या होता है, इस सम्बन्ध में देखो दफ़ा १७। इसका आधार इस सिद्धांत के ऊपर है, कि मियाद का हिसाब उस शख़्स के सम्बन्ध में नहीं लगाया जा सकता जो मौजूद नहीं है। दफ़ा ६ दफ़ा १७ के साथ पढ़ी जानी चाहिए। इस दफ़ा के अमल के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाद वाली दफ़ा में बतलाए हुए अपवाद (मुस्तसियात) के अनुकूल और उसके अधीन है देखो 9 C W N 537

फ़रेब करने का असर—जब किसी ऐसे शख़्स को, जिसे किसी नालिश के दायर करने या दरख़्वास्त के देने का अधिकार (हक़) है, फ़रेब (छल) से ऐसे अधिकार या हक़ीयत की बात जानने न दीगई हो जिसके आधार पर वह नालिश दायर की जा सकती है या दरख़्वास्त दी जा सकती है, या जब कोई ऐसा कागज, जो ऐसे अधिकार को साबित करने के लिए आवश्यक है, फ़रेब (छल) करके उससे छिपा रखा गया हो, तो मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होगी जिस समय इस फ़रेब की बात का उसे पहिले पहल पता चला हो (देखो दफ़ा १८) ।

व्याख्या—दफ़ा १५ हुक्म इम्तनाई या दूसरा हुक्म—यह दफ़ा पहिले नालिशों के सम्बन्ध में ही लागू होती थी, लेकिन सन् १९०८ ई० के ऐक्ट से कुछ शब्द और बढ़ा दिए गए हैं जिनसे वह डिक्रियों की इजरा के लिए दीगई दरख़्वास्तों के सम्बन्ध में लागू हो सकती है (देखो 7 I C 886, 9 A L J 540, 38 B 153, 34 A 436) जो हुक्म इजरा की मुलतवी के सम्बन्ध में दिया गया हो वह साफ़ साफ़ होना चाहिए, यद्यपि उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लिखित हो, देखो 23 Bom L R 107 नालिश की पेशी की तारीख़ का बढ़ा दिया जाना हुक्म इम्तनाई या इजरा की मुलतवी का हुक्म नहीं है, देखो 39 I C 939, (C) । यह बात बिल्कुल अनावश्यक है कि हुक्म इम्तनाई का सम्बन्ध डिकरी के केवल एक हिस्से से ही है, देखो 38B 153, 46 I C 399

मियाद की मुद्दत का शुमार करने में वह समय, जिसमें डिक्री की इजरा मुलतवी कर दीगई थी, या बन्द कर दीगई थी, निकाल दिया जायगा यद्यपि उस समय इजरा की कोई भी अर्जी अदालत में पड़ी हुई नहीं थी, देखो 13 L W 97, 40 M L J 124 दफ़ा १५ में आए हुए 'निश्चित (Prescribed)' शब्द का अर्थ है 'इस ऐक्ट द्वारा निश्चित" और इसलिए वह जाबता दीवानी की दफ़ा ४८ के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 40 A 198, 45 M 785, 42 A 118, 54 I C 279

"हुक्म इम्तनाई या दूसरे हुक्म" में कुर्की शामिल नहीं है देखो 42 M 637 कर्ज की कुर्की का हुक्म ऐसा हुक्म नहीं है जो किसी नालिश की मुल्तवी करता है, क्योंकि इससे महाजन को उस कर्ज की बाबत नालिश करने म कोई रुकावट नहीं पड़ती है, सिर्फ वह कर्ज का रुपया वसूल नहीं कर सकता, देखो 13 A 70, 17 A 198 P C, 14 A 162 यही बात फैसला ने कब्ल की जाने वाली कुर्की के सम्बन्ध में है, देखो 21 C W N 1147 लेकिन किसी डिकरीकी कुर्की इजरा की मुल्तवी हो जाती है और इसलिए मियाद की मुद्दत मुजरा दी जा सकती है, देखो 30 I C 587 (C)

जब डिकरी कई एक आदमियों के विरुद्ध होगई हो और इजरा की कार्रवाई किसी एक शख्स के विरुद्ध मुल्तवी कीगई हो तो बाकी दूसरे मद्यूनान डिकरी के सम्बन्ध म भी मुद्दत निकाल दी जायगी देखो 13 L W 59

मद्यूनान-डिकरी को गिरफ्तार न करने के लिए किये गए इकरारनामा से मियाद का जारी रहना रुक नहीं सकता, देखो 28 I C 381 (A)। जो हुक्म मदियून डिकरी को रुपया अदा करने के लिए दिया गया हो, वह इजरा की मुल्तवी करने वाला हुक्म नहीं है, देखो 40 A 198 जब किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम, डिकरीदार की वजह से मुल्तवी कर दीगई हो, तो दफा १५ लागू नहीं होती, देखो 53 I C 85 (P) दीवाला की कार्रवाई जारी रखने से किसी डिकरी की इजरा के लिए मियादके सम्बन्धम कोई रुकावट नहीं पड़ती, जब तककि प्रान्तीय कानून दीवालियाकी दफा १५ के अनुसार रक्षा करने वाला (Protection order) न दिया गया हो, देखो 47 I C 798 (P) दीवालिया करार दिए जाने के लिए दिया गया हुक्म भी दीवालिया के विरुद्ध की जाने वाली नालिश को मुल्तवी नहीं करता देखो 42 M 319

प्रिवी कौंसिल म कीगई एक अपील के दौरान में अपीलाण्ट ने वह डिकरी जो उसने एक दूसरी नालिश म फरीकसानी के ऊपर प्राप्त की थी, बतौर जमानत के दाखिल कर दी। तय हुआ कि इस जमानत के मजूर कर लेने से इजरा की कार्रवाई मुल्तवी नहीं हो जाती, देखो 3 P L J 132 जब कि प्रिवी कौंसिल में कीगई एक अपील के दौरान म हाईकोर्ट ने डिकरीदार के जमानत दाखिल कर देने पर डिकरी की इजरा का हुक्म दे दिया और वह जमानत दाखिल नहीकर सका और इसलिए इजरा की कार्रवाई नहीं की जा सकी, तय हुआ कि वास्तव में इस हुक्म से इजरा की कार्रवाई मुल्तवी होगई और इसलिए दफा १५ लागू होती है, देखो 5 P L J 31

दफा १५ को दफा ६ और ७ के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, देखो 37 M L J 286

दफा १६—इस दफा म आए हुए "कारवाई" शब्द में नालिश और दरख्वास्त दोनों शामिल हैं, और व्यवस्थापक सभाका मन्शा उस समयको निकाल देने का था जिसम नीलाम के जायज होने के सम्बन्ध में एतराज किया गया हो,

फिर वह चाहे किसी नालिश के जरिये हो या किसी दरख्वास्त के द्वारा, देखो 21 C W N 304, 38 I C 547

जब यह आर्टि० १४४ लागू होती हो, उस हालत मे दफा १६ के अनुसार कानून मे अथवा इन्साफ की अदालत मे कोई भी समय मुजरा नही दिया जा सकता है, देखो 70 I C 420, 26 C W N 364.

दफा १६ मे आए हुए शब्द "नालिश करने के काबिल कानूनन नालिश कर सकने मे असमर्थ" शब्दो के बिल्कुल विरोधी अर्थ के द्योतक है। इसका सम्बन्ध उस असमर्थता से नही है जो साधनो की कमी अथवा दूसरे शारीरिक कारणों से पैदा होती हो, 28 B 15, 44.

दफा ६ को इस दफा के साथ पढना चाहिए। पहिले की दफा के प्रयोग के सम्बन्ध मे यह समझना चाहिए कि वह बादवाली दफा के अपवाद (मुस्तस्नियात) के अनुकूल है। जब कि एक शख्स सन् १८९६ ई० म मर गया और उसकी बेवा ने प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रों (Letters of administration) को लिया जो उसके लड़के की नाबालिगी की हालत तक के लिए ही महदूद (सीमाबद्ध) थे। लडकेने सन् १९०३ ई० मे बालिग होने पर सन् १९०४ ई० में एक नालिश बाबत हिसाब-किताब पट्टीदारीके दायरकी, तय हुआकि उसके नाबालिग होने से तमादी का बचाव नही होता। वह रियासत सभी कामों के लिए उस बेवा के हवाले कर दीगई थी, देखो 9 C W N 537, 23 B 544 P C.

दफा १८ फरेब—इस दफा में बतलाया हुआ फरेब उस शख्स का फरेब है जिसके विरुद्ध किसी अधिकार के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, अर्थात् मुद्दाअलेह अथवा किसी दूसरे ऐसे शख्स का जिसके जरिये से वह दावेदार है, किसी अन्य व्यक्ति का नही, देखो 2 C 1, 36 C 654 मुद्दई का नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकारों की अनभिज्ञता दफा १८ मे नहीं आती है, जब तक कि इसका कारण मुद्दाअलेह की ओर से किया गया फरेब (छल) न हो, देखो 8 W R 23, 19 W R 269, 16 I C 547 दफा १८ केवल उस दशा में लागू होती है जब कि किसी व्यक्ति को फरेब (छल) से अपने अधिकारों को न जानने दिया गया हो, उस दशा में नहीं जब कि उसे अपने अधिकार को काम में लाने से रोका गया हो, देखो 25 I C 884, 68 I C 924 इसलिए अगर अदालत के बाहर कीगई रुपये की किसी बेबाकी के लिए आर्डर २१, रूल २ के अनुसार तस्दीक न कीगई हो, तो इजरा करने वाली अदालत डिकरीदार के ऊपर लगाए गए फरेब के अभियोग की निस्बत दफा ४७ के अनुसार जांच नहीं कर सकता। अगर यह बात साबित भी होगई हो कि उसका चाल चलन फरेबियों (छल कपट) का है, तो भी मदियून डिकरी, वह समय बढ़ा देने का हकदार नहीं है जिसके भीतर आर्डर २१ रूल २ (२) के अनुसार दरख्वास्त दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून मियादकी दफा १८के अर्थमे वह फरेब करके, वर

इजाज़त देने सम्बन्धी अपने अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है बल्कि वह अपने उस अधिकार को काम म लाने से रोका गया है, देखो 16 C W N 923, 13 I C 63 तथा 49 C 886, 19 C W N 553, 1919 P W R 2 मियाद उस समय तक शुरू न होगी जब तक कि फरेब की बात मुद्दईको मालूम न हुई हो, देखो 26 C W N 479

दफा १८ म जिस फरेब की जानकारी का जिक्र किया गया है, वह ऐसी न होनी चाहिए जिसके लिए केवल सन्देह किया जाता है (देखो 14 B 408) या बतलाया जाता है अथवा जिसके लिए केवल साधन मौजूद है (देखो 17 B 341, 347 P C) कुछ अवस्थाओं म अदालत इस जानकारी की बातको केवल जानकारी मात्र से ही जान सकती है (देखो 8 C L R) यद्यपि इस जानकारी के साधन और यह जानकारी हमेशा एक ही नहीं होते हैं (देखो 9 W R 329)

यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए "केवल नीलामहुई हैं" इस बातकी जानकारी मियाद के शुरू होने के सम्बन्ध में काफी नहीं है देखो 17 B 141 P C, 17 C 769 F B, 48 C 119, 18 C W N 1266, 3 P L T 501 और 49 C 886 मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होनी चाहिए जिस रोज फरेब की बात मालूम हुई हो, देखो 45 A 316

दफा १८ उस फरेब (छल) के सम्बन्ध मे लागू नहीं होती जो अधिकार पैदा होने से पहिले किया गया हो जैसे नीलाम के पहिले। मालियत का गलत बतलाना, यद्यपि यह फरेब नहीं कहा जा सकता, फरेब से किसी बात का छिपाना नहीं है और नीलाम के इश्तहार का प्रकाशित न करना स्वयं उस मामले को दफा १८ मे नहीं लाता, जब तक कि यह बात न दिखला दीगई हो कि मदियून डिकरी को डिकरीदार के फरेब करने के कारण अपने अधिकार का पता न लग सका, देखो 16 C W N 894, 15 C W N 965 नीलाम के पहिले किए गए फरेब का बहुत कुछ आधार इस प्रश्न के ऊपर है कि क्या दफा १८ के प्रयोजन के लिए नीलाम के बाद फरेब किया गया था, देखो 17 C W N 478 यह फरेब छिपा हुआ फरेब होना चाहिए, देखो 9 W R 255

अपने मामले को दफा १८ के अन्दर लाने के लिए मुद्दई को चाहिए कि वह यह बतलावे कि फरेब किए जाने की बात उसको कब मालूम हुई, देखो 67 I C 914 P ; 3 Pat. L T 529 एक बार यह साबित हो जाने पर कि किसी शख्स को फरेब करके अपने अधिकारों को जानने नहीं दिया गया है, इस बात का साबित करने का सारा भार दूसरे शख्स के ऊपर चला जाता है कि उसे मियाद की मुद्दत से बहुत पहिले यह बात मालूम होगई थी, देखो 49 C 886, 17 B 341 P C, 18 C W N 1266, 27 C L J 528, 14 Bom L R 771, 34 P R 1904

जब फरेब करके किसी शख्स को नीलाम की बात जानने न दीगई हो, तो यह समझा जायगा कि ज़रूरतन् उसे उस नीलाम की मसूखी के लिए

नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकार को जानने नहीं दिया गया है, देखो 19 C W N 553

जब डिक्रीदार ने मदियून डिकरी के ऊपर नीलाम की नोटिस तामील न कराई हो और मदियून डिकरी को इस नीलाम की बात उस समय मालूम हुई हो जब कि कब्जे के लिए दरख्वास्त दीगई हो, तो ऐसी दशा में दफा १८ लागू होती है, देखो 72 I C 76 (M.)

लिखित स्वीकृति पत्र देने का असर—जब किसी जायदाद या हक के सम्बन्ध में मियाद की मुद्दत खतम होने से पहिले अपनी जिम्मेदारी का लिखित स्वीकृति-पत्र दे दिया गया हो जिसपर ऋणी के या किसी ऐसे शख्स के, जिससे उसका हक या जिम्मेदारी पैदा होती है अथवा किसी अधिकार प्राप्त मुख्तार (मुख्तार मजाज) के दस्तखत हों, तो स्वीकृति पत्र देने की तारीख से मियाद की नई मुद्दत का शुमार किया जायगा (देखो दफा १९ और उसके तीनों विवरण)।

व्याख्या—दफा १९ नालिशों और दरख्वास्तों,जैसे डिकरी इजराकी दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें लागू होती है। इसकी आवश्यक बातें ये है —(१) यह स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) मियाद खतम होने के पहिले लिखा गया हो देखो 16 C W. N 663), (२) यह उस खास दावा या अधिकार के सम्बन्ध मे होना चाहिए (देखो 6 M 182), (३) यह स्वीकृति पत्र जिम्मेदारी (देनदारी) के सम्बन्ध मे लिखा गया हो, अर्थात् वह जिम्मेदारी की एक निश्चित स्वीकृति होनी चाहिए, (देखो 30 C 699) यह स्वीकृति पत्र लिखित होना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर (दस्तखत) भी होने चाहिए।

इगलिश लॉ के अनुसार किसी ऋण की स्वीकृति में रुपया अदा करने का वादा भी शामिल है, लेकिन हिन्दुस्तान के कानून मे किसी ऋण को स्वीकार कर लेने से यह नहीं समझा गया है कि उसके अदा करने का वादा भी इसमें शामिल है, देखो 3 L 326.

यह स्वीकृति मियाद की मुद्दत खतम होने के पहिले की जानी चाहिए। किसी ऐसे ऋण या (कर्जे) की स्वीकृति से, जिसकी मियाद खारिज होगई है, मियाद बढ़ नहीं सकती, देखो 16 C W N 636, 42 A 390, 2 A 443, 42 A 575 F B; 6 B 683, 5 P L J 37, 24 I C 507, 67 I C 298 (C)। परन्तु किसी ऐसे ऋण (कर्जे) की, जिसकी मियाद खारिज हो होगई है, मियाद कानून मुआहिदा की दफा २५ के अनुसार नया मुआहिदा करके फिर नई की जा सकती है। लेकिन दफा १९ के अनुसार उसी समय स्वीकृति-पत्र लिख देने से नई मियाद शुरू हो सकती है, जब वह ऋण अथवा अधिकार अभी बना हो (देखो 3 A 761; 23 W R 462; 1 B 590, 2 B 230, 6 P L J 121)। यह स्वीकृति-पत्र मौजूदा देनदारी के सम्बन्ध में होना चाहिए, देखो 25 M 220 F. B, 16 M 220; 8 C L. J. 554

छुट्टियों में और मियाद खतम हो जाने के बाद कीगई स्वीकृति काफी नहीं है। यह बात, कि बीच में छुट्टियों के पड़ जाने से नालिश करने सम्बन्धी

अधिकार उस समय तक बना हुआ था, कोई प्रभाव नहीं रखती देखो 20 B 782

दफा १९ के अनुसार कीगई स्वीकृति किसी खास दावा या अधिकारके सम्बन्धमें की जानी चाहिए, उदाहरणार्थ किसी ऐसी हकीयत आराजीकी स्वीकृति जो उस हकीयत से भिन्न है जो मुद्दई ने कायम किया है काफी नहीं है, देखो 6 M 182 अगर एक से अधिक कर्जा का रुपया बाकी हो, तो स्वीकृति पत्र ऐसा होना चाहिए जिससे उस खास कर्जे का पता चल सके जिसकी निस्बत नालिश कीगई है और जबानी शहादत किसी कर्जे के सम्बन्ध में काबिल तस्लीम न होगी, देखो 17 A 198 P C स्वीकृति पत्र में ठीक उस कर्जे का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसकी निस्बत दावा किया गया है किसी कर्जे का नहीं देखो 13 C L J 139, 21 O C 151; 9 Bom L R 715, 23 B 177

अगर कोई मुद्दई किसी ऐसी नालिश को, जिसकी मियाद खारिज होगई है, किसी स्वीकृति पत्र के (Acknowledegment) के जरिये मियादके अन्दर लाना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह इसके लिये माकूल सुबूत पेश करे, देखो 14 A 360, 66 I C 171

जब तक यह न मालूम हो कि वह शख्स किसी बातको स्वीकार कर रहा है, कोई स्वीकृति पत्र ठीक न माना जायगा। दफा १९ का मंशा है कि मौजूदा देनदारीके सम्बन्धमें सब बातें साफ साफ मालूम होनी चाहिए देखो 3 B 99 स्वीकृति पत्र (Acknowledegment) से किसी बातकी जानकारी प्रकट होती है जिसका भार किसी शख्सने अपने ऊपर लिया हो, देखो 15 C L J 251 इसका मतलब है किसी कर्जे (या जिम्मेदारी) को निश्चय रूपसे स्वीकार कर लेना। यह आवश्यक नहीं है कि रुपया अदा करने का वादा किया जाय, किसी कर्जेका केवल बाकी स्वीकार कर लेना काफी है, देखो 39 C 699, 41 M L J 217 इस स्वीकृतिके सम्बन्धमें कोई शर्त वगैरा नहीं होनी चाहिये, जैसे किसी पत्रमें यह लिख देना कि मैं (लिखने वाला) यह देखूंगा कि कोई रुपया बाकी है या नहीं देखो 31 C 195 या यह कहना कि मैं हिसाब किताब देखकर दस्तखत करूगा, काफी नहीं है। लेकिन जब कि एक शख्सने इस बात से इन्कार कर दी कि कोई रुपया उसपर बाकी है परन्तु इस बातको स्वीकार कर लिया कि अगर कोई हिसाब किताब जिम्मे निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा तय हुआ कि यह स्वीकृत पत्र (Acknowledegment) है, देखो 10 M 259 किसी जिम्मेदारीको को इस शर्त पर स्वीकार कर लेना कि अगर बाकी हमारे जिम्मे निकली तो हम उसके देनदार होंगे और उस शर्तको पूरा करने का वादा स्वीकृत (Acknowledegment) है देखो 33 C 104 P C, 10 C W N 874, 16 M L J 300 किसी शर्त के ऊपर कीगई स्वीकृति (Acknowledegment) उस समय तक नई मियाद नहीं शुरू होती जब तककि

यद शर्ते पूरी न कर दी जाय, देखो 29 M 519, 40 M 701 शर्तोंके साथ में किसी जिम्मेदारी (देनदारी) की स्वीकृत के सम्बन्धमें देखो 58 I C 446 (M), 18 I C 89, 59 I C 898 (M)

कोई स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) केवल इसी बातसे नाजायज नहीं हो जाता कि उसमें कर्जेकी तारीख गलत बतलाई गई है, देखो 26 A 313, 11 A L J. 86

किसी स्वीकृति के सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रकट हो। यह बात अप्रकट (सांकेतिक) भी हो सकती है, परन्तु इस बातसे यह बात प्रकट होना आवश्यक है कि यह स्वीकृति किसी खास जिम्मेदारीकी निस्बत कीगई है, किसी अनिश्चित जिम्मेदारी की निस्बत नहीं, देखो 2 Bom L R 715, 13 C L J 139, 131 P R 1919, 34 M L J 551, 3 I C 34 —जब किसी हिसाब का वजूद मान लिया जाय, तो इससे निस्सन्देह यह परिणाम निकलता है कि वह शख्स, जो इस हिसाब रहने की बातको स्वीकार कर लिया है, इसको स्वीकार करता है कि अगर हिसाबमें उसके जिम्मे कोई रुपया निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा, देखो 58 I C 787 (L)

जबकि एक मदियून डिकरी ने अपने गिरफ्तार किए जाने की निस्बत इस बिना पर उज्रदारी पेश की कि वह गरीब है और यह प्रार्थना कि उसकी उज्रदारी का फैसला होने तक वारण्ट मुलतवी रखा जाय-तय हुआ कि यह कर्ज के रुपये की स्वीकृति नहीं है, देखो 39 A 357

यद्यपि किसी दस्तावेज वगैरा के ऊपर उसकी वसूली वगैरा का लिख देना दफा २० के अर्थ में अदायगी न समझी जायगी, तो भी दफा १९ के अनुसार वह एक जायज स्वीकृति समझी जायगी। इसलिये जब किसी प्रोनोट पर रुपये की अदायगी लिख दीगई हो, परन्तु वास्तव में रुपया अदा न किया गया हो, तो तमादी बचाने के लिये यह काफी स्वीकृति समझी जायगी, देखो 28 I C 15 (M), 48 I C 724, यह स्वीकार कर लेना कि फरीकैन के बीच हिसाब किताब चलरहा था, स्वीकृति (Acknowledgement) है, यद्यपि उस हिसाबके सही होने की बात न भी मानी गई हो और यद्यपि उसको किसी मुख्तार ने इस शर्त पर स्वीकार कियाहो कि उसके मालिक की मंजूरी मिलने पर उसकी बात सही मानी जाय, देखो 55 P R 1910, हिसाब-किताब दाखिल करने की जिम्मेदारी का स्वीकार कर लेना दफा १९ के अर्थ में कर्ज का स्वीकार करना नहीं है देखो 87 P L R 1909, 4 I C 929

जबकि एक पंचायतनामा के फरीकैन ने यह बात स्वीकार की कि वह हिसाब-किताब साफ नहीं हुआ जो पंचों को साफ करना चाहिये था और हरएक फरीकने यह वादा किया कि वे, जो कुछ रुपया वाजिब निकलेगा, अदा करेंगे तय हुआ कि यह स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) है। यह आवश्यक नहींहै कि स्वीकृति पत्र किसी व्यक्ति विशेष (खास आदमी) का नाम सम्बोधन करके

लिया जाय और अगर उसमें रुपया अदा करने से इन्कार कीगई हो, तो भी यह स्वीकृति पत्र पर्याप्त समझा जायगा, देखो 23 C W N 921, 53 I C 898, कोई भी स्वीकृति पत्र, फिर चाहे चाहे किसी के भी नाम लिखा गया हो, जायज स्वीकृति पत्र होगा अगर उसमें उचित निश्चय के साथ जिम्मेदारी मुतनाज़ा की बाबत की ओर सङ्केत किया गया है देखो 19 C W N 263; 40 M 698, 35 A 437; 37 B 326 P C

किसी सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब का कोई छोटा आदमी जो उस कुटुम्ब का प्रबन्धक नहीं है ऐसा स्वीकृति पत्र नहीं लिख सकता जिससे सबके ऊपर जिम्मेदारी आती हो, 72 I C 249

किसी प्रोनोट के ऊपर उसके रुपये की अदायगी का लिखा जाना स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है। इसमें इसबात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि रुपये की यह अदायगी किसी हिसाब के, जिससे पहिले अदा कीगई किस्तों का पता चलता हो, नीचे लिखी गई हो देखो 72 I C 249

उस आराजी के, जो कई एक हिस्सेदारों के कब्जे में है, हिस्से की निस्वत की जाने वाली नालिश की मियाद खारिज नहीं होती, अगर उस मुद्दाअलेह हिस्सेदार ने जो उसपर काबिज है, बारह बरस के भीतर मुद्दई को पत्र लिख कर उसमें उसकी हकीयत को स्वीकार कर लिया हो देखो 5 Lah L J 47 कई एक मुतहिनों में से केवल किसी एक की ओर से राहिन की हकीयत (Title) को स्वीकार कर लेने से राहिन के फक्रेहनी करने सम्बन्धी अधिकार (हक़) की रक्षा नहीं होजाती, जबकि वह रेहननामा मुश्तरका है और उसकी फकरेहनी अलग अलग नहीं हो सकती, देखो 5 Lah L J I 1

स्वीकृति पत्र के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी खास नमूने (फ़ार्म) का हो। लिखने की शैली कैसी है इसबात से कोई कोई विशेष लाभ अथवा हानि नहीं। जिस बात की अवश्यकता है, वह सिर्फ यह है कि वह लिखित हो और उसपर लिखने वाले के या उसके मुख्तार मजाज के दस्तखत हों इसका उद्देश्य केवल यह है कि जबानी स्वीकृति (Oral acknowledgement) न की जाय देखो 20 M 239, 242, अर्जीदावा या बयान तहरीरी (देखो 27 C 1004, P C), अर्जी (देखो 23 C 374, 387) वसीयतनामा (देखो 3 M L J 191), बयान जो जज के सामने दिया गया हो और उसीके सामने उसपर दस्तखत किए गये हों (देखो 39 A 437), किसी प्रोनोट में किसी ऐसे कर्ज का उल्लेख जो किसी पहिले वाले तमस्सुक की बाबत वाजिब है (देखो 38 M 177); किसी दीवालिया की ओर से दाखिल कीगई सूची (फेहरिस्त) (देखो 35 B 283), पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में कीगई स्वीकृति (देखो 23 C W N 921), हाथचिट्ठा (देखो 46 C 746), किसी इजहार का स्वी-

कार करना (देखो 10 I C 142, 151, P L R 1911) स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है अगर किसी इजहार पर दस्तखत न किये गये हों तो वह स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) न होगा, देखो 34 P R 1918.

किसी बयान में सिर्फ यह इजहार देना कि गवाहने पहिले किसी तारीख को एक तमस्सुक लिखा था, स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) नहीं है देखो 73 I C 953 (M), 45 A 479

दस्तखतोंके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे लिखित ही हों किसी अनपढ़ आदमीका कोई चिन्ह (निशान) बना देना ही काफी है, देखो M H C R 358, 28 M 262 सिर्फ कलमको छूकर दूसरे शख्ससे दस्तखत कर देनेके लिये कह देना काफी है, देखो6 M L J 209.

जब किसी महाजनने ऋणीके उस लिखित प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) पर, जिसमें उसने रुपया अदा करनेके लिये समय मांगा हो, समय बढ़ा दिया हो, तो वह स्वीकृति पत्र(Acknowledgement) है, देखो 12 M L J 351 किसी गिरफ्तार किये हुए मदयून डिकरीकी ओरसे रिहाईके लिये और डिकरीके बाकी रुपयेकी अदायगीका हुक्म किये जानेके लिये दीगई दरख्वास्त स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है, देखो S N L R 8,

अगर किसी कर्जेके किसी एक ही हिस्सेके सम्बन्धमें स्वीकृति की जाय, तो इससे उसके उतनेही हिस्सासे सम्बन्ध रखनेवाली मियाद कायम रहेगी, देखो 16 C W N 493

किसी स्वीकृति पत्रके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिये कोई नया बदल (माविजा) किया जाय और न यही आवश्यक है कि रुपया अदा करनेके लिये कोई खास वादा किया जाय, देखो 50 C 974

किसी नाबालिगकी ओरसे की गई स्वीकृति काफी नहीं है, देखो 59 P R 1901

किसी पहिलेके मुकद्दमेमे दाखिल किया गया बयान तहरीरी जिसमें सुद ईके प्रानोट पेश करनेके लिये कहा गया हो, स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) नहीं है, देखो 34 P R 1918 किसी ऐसी हुण्डीकी हवालगी जो पेश किये जाने पर बिना सकारे वापस कर दी गई है स्वीकृति (Acknoweledgement) नहीं है, देखो 42 A 390

ब्याजकी रकमकी अदायगीका या मूलधनके किसी हिस्सेकी अदायगीका असर—(१) जब किसी कर्ज या वसीयती माल (Legacy) की बाबत वाजिब व्याज (सूद) को, नियत समय समाप्त होनेके पहिले, वह शख्स, जो उस कर्जा या वसीयती मालका देनदार है, या इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, या जब किसी ऋण (कर्जे के) मूलधनका कोई हिस्सा ऋणी या उसका इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, तो जिस समय रुपया अदा किया गया हो उस समयसे मियादकी मुद्दतका शुमार किया जायगा।

लेकिन शर्त यह है कि, अगर किसी ऋणके मूलधनका केवल एक हिस्सा अदा किया गया है तो अदायगी उसी शख्सके हाथकी लिखी हुई हो जिसने उसे किया है।

(२) जब आराजी मरहूना मुर्तहिनके कब्जेमें हो, तो उस आराजीके लगान या पैदावारकी वसूली उप—दफा (१) के अर्थमें अदायगी समझी जायगी।

विवरण—ऋणमें कोई भी ऐसा रुपया शामिल है जो किसी डिकरी या अदालतके हुक्मके अनुसार वाजिबुलअदा हो (दफा २०)।

दफा १९ और २० में आये हुए "इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार" वाक्यमें, उन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें जो अयोग्य हैं (Persons Under Dis ability), उनके कानूनी संरक्षक (वली) कमेटी या मैनेजर अथवा मुख्तार शामिल हैं जिन्हें ऐसे संरक्षक (वली) इत्यादिने अधिकार दिया हो।

कई एक मुआहिदादारों (Cantractors)में से किसी एककी ओरसे की गई स्वीकृति या अदायगीसे उनमसे कोई दूसरा या दूसरे लोग उसके लिये जिम्मेदार नहीं होते (दफा २१)

व्याख्या—दफा २० का आधार वही सिद्धान्त (Principle) है जो दफा १९ का है। मूलधन या व्याज के किसी हिस्से की अदायगी मौजूदा कर्जका स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) है।

दफा १९ और २० आपसमें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। एक हिस्से की अदायगी, का इन्दराज हो, मगर कर्जदार के हाथ से न लिखा गया हो तो दफा १९ के अनुसार बहैसियत स्वीकृति पत्र के वो असर है देखो 40 M 698, 36 I C 240 व्याज, बतौर व्याजके कर्ज अदा होने से पहिले दिया जा सकता है। अगर यह शर्त पूरी कर दी जाय तो मियाद का समय और बढ़ाया जा सकता है। व्याज के विषय में लिखकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दस्तावेज की पुश्त पर लेख (Endorsement) से व्याज और उसकी अदायगी की तारीख मालूम न पडे तो उनका साबित करना बहुत जरूरी है। मूलधन के हिस्से की अदायगी के विषय में कानून बहुत सख्त है। इसके अदा करने वाले शख्स की खुद कलम से लिखा हुआ होना जरूरी है। यह बात नोट कर लेने की है कि कानून के मुताबिक मूलधन की अदायगी किस्तों में नहीं है। इसलिये उस शख्स के कलम से अदायगी लिखना ही काफी है। इन्दराज में यह लिखना जरूरी नहीं है कि अदायगी बाबत मूलधनके की जाती है देखो 23 C 592, 6 M 281 इस विषय पर अब तक जो कुछ कानूनी विवाद उपस्थित होता था वह ऐक्ट सन् १९०८ई० के विवरणसे समाप्त हो जाता है। अब यह पूर्णतया मान लिया गया है कि कर्ज में 'डिकरी के अनुसार' कोई भी रुपया शामिल है।

व्याजकी अदायगी—साधारण तौर से 'व्याज' का मतलब किसी भी ऐसी चीज से है जो रुपया रोक रखने के बदले में दिया जाता है देखो Markby, J

in C. 283 P 301 दफ़ा २० के अनुसार 'ब्याज' का मतलब ब्याज या उसके किसी हिस्से से है 35 A 378, 20 I C 258 मियाद की बचत के लिए ब्याज अदा किया जा सकता है इसलिये कर्जपर ब्याज का होना जरूरी है। इस तरह अगर किसी डिक्रीमें ब्याज न दिया गयाहो तो किसी रकम की अदायगी मूलधनके हिस्से की अदायगी मानी जायगी, देखो 22 C. W N 325.

ब्याज की अदायगी, उसकी यानी ब्याज की अदायगी के विचार से ही होना चाहिये। ब्याज वाजिबुल् अदा होने पर किसी रकम की अदायगी ब्याज की अदायगी नहीं कही जा सकती देखो U B R (1892–96) 406, 31 A 495, मिश्रधन मसे किसी रकम की अदायगी, इस बात की बिला इत्तला किए कि यह ब्याज की अदायगी है, की जाय तो रकम ब्याज की बाबत अदा की गई न मानी जायगी, 31 I. C 782 (L) 38 198; 5 Bom L R 350 70 I C. 7 ब्याज की अदायगी या तो साफ़ साफ़ कहकर होनी चाहिए या ऐसी सूरतों म हो जिससे कि कर्जदार का मंशा मालूम हो, 19 C W N. 237, 24 B 493 P. 499 बार बार किस्त द्वारा अदा की गयी रकम को केवल ब्याज के खाते मे मान लेने ही से वह ब्याज की अदायगी न मानी जायगी, 19 I. C 825; देखो 31 A 495, 50 I C 709 जहा पर यह शर्त तय हो गयी हो की पहिले ब्याज और बाद को मूलधन अदा होगा तो कर्जदार द्वारा कोई इत्तला न होने पर भी ब्योहरे के पास जमा की गई रकम ब्याज की अदायगी समझी जायगी, 31 A 285.

मदियून डिकरी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मौके पर साफ़ २ कहे कि यह रकम ब्याज की बाबत अदा की जा रही है। यह काफ़ी है अगर वाक़यात इस तरह पर हों जिनसे यही नतीजा निकले कि रकम बाबत ब्याज अदा की गयी है 27 C L J 141, 43 M 812.

जहां कई एक कर्जे हों और सुवरम खुल्ला बिना बतलाए हुए रकम इतनी अदा की गयी हो कि एक कर्जा को तो ब्याज केवल आंशिक रूप से और बाकी ब्याजकी सब रकमोंकी अदायगी पूर्ण रूपसे होती हो तो ऐसी स्थितिमें सब कर्जोंकी क़ानून मियादसे रक्षा होगी, 13 C L J 138, 51 I C 240

एक रकम " बाबत मूलधन और ब्याज" अदा कीगई मगर यह नहीं बतलाया गया, कि उसमें से कितना मूलधन और कितना ब्याज की बाबत अदा किया गया, तब हुआ कुल रकम ब्याज की बाबत अदा की गयी मानी जायगी, 6 I C 16 (C), 1 B. L R 138; 51 I C 240

अगर किसी कर्ज पर अदा किया गया ब्याज ऐसी दस्तावेज रेहन की पुश्त पर दर्ज किया गया हो जिसकी रजिस्ट्री न होने के कारण अदालत के काम का न हो तो यह सूद का अदा किया जाना नहीं कहा जा सकता, 19 B 663

अगर कोई रकम बाबत दस्तावेज रेहनके यह न कह करकि वह ब्याजके हिसाबमें दी जाती है अदा की जाय तो यह रकम मूलधनके बाबत अदाकी गयी

मानी जायगी बशर्ते कि अदायगीकी बात कर्जदारके खुद दस्तखतसे लिखी गई हो. 44C 567, 22 C W N 190

कभी 'स्वीकृति पत्र' (Acknowledgment) और 'वादा अदायगी' (Promise to pay) का फर्क जाननेमे कठिनता पड़ती है विशेषकर ऐसे मौका पर जैसे कि स्वीकृति पत्र बिला शर्त (Unconditional Acknowleagment), से मतलब वादा अदायगी (Promise to pay) ही माना जाता है। लेकिन ऐसे मौका पर यह मामला साफ नजर आता है जहांकि कुल तादाद रकमका एक हिस्सा अदा किया जाय वहा केवल वायदा अदायगी ही हो सकता है न कि स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) 12 I C 612 (C)

दफा २० अदायगीकी कोई खास शर्त या तरीके तो नही बतलाती। अदायगीके बहुतसे तरीके है, 25 C 844 852 F C. । यह आवश्यक नही है किरुपया ही हो। समझौतेके अनुसार, ब्योहरेको दिये जाने पर कोई भी चीज, जो कर्जेके बोझको हलका कर सके या ब्याजकी पूर्ति करे, काफी है (72 I. C 692 (C), 24 B 493 500, 24 B 619 10 M 340 342, 29 M 234, 1 P L. J 412 n) Cf S 50 Controct Act। जो चीज अदा की जाय वह इस किस्मकी हो कि अगर मुद्दई रुपयेकी वसूलयाबीके लिये नालिश करे तो उसके जवाबम बतलाई जा सके 19 M 340, कर्जकी अदायगी किसी भी चीज द्वारा जिसे कि ब्योहरा लेना पसन्द करे की जा सकती है, 24 B 619

नौकरी (Labour) से अदायगी करने पर कानूनन मियादसे बचत होती है, 35 I C 480 (M), 28 M 234। एक नौकरको दिये गये पेशगी रुपये की वसूलयाबीके लिये की गई नालिशमे तय पाया गया कि नौकरीका जारी रहना ब्याजकी अदायगीके बराबर था, 33 I C 134 (M).

अदायगीका अपनी राजी ही से होना आवश्यक है। दफा २० के अनुसार नीलाममे वसूल हुआ रुपया अदा किया नही माना जायगा 24 W R 20, 6 B 626, 25 W R 249, 80 P W R 1912

'मूलधन की किस्त यह आवश्यकता नही है कि इस प्रकार उसके खुद दस्तखत से लिखा जावे। आवश्यकता इसबात की है कि अदायगी की बात जाहिर होती हो; 23 C 592, 6 M. 281, 43 A 261 लेटर से जाहिर यह होना चाहिए कि यह अदायगी बाबत कर्ज जेर बहस कीगईहै। यह वह हुंडीहै तो जरूर पेश की जानी चाहिये, 43 I C 20 (M) किस्तोंकी अदायगी मियाद खतम होने के पहिले होनी चाहिये लेकिन उस वक्त के खतम होने से पहिले लिखना नहीं चाहिये; 17 M 92.

उस तारीख को वास्तविक अदा न होनेपर भी किस्त का इन्दराज काफी है ऐसा इन्दराज जायज स्वीकृति पत्र दफा १९ के अनुसार जायज स्वीकृति पत्र (Acknowlgedment) माना जायगा, 28 I C 15, 10 M L J 25, 26

I. C. 754, दफाके २० अनुसार अदायगी की तारीख़ का शुमार करना चाहिये नकि इन्दराज Endorsement, 8 I C 349.

दस्तखत—किस्त अदा करने की बात, देने वाले शख्सके दस्तखतों मे ही होनी चाहिये नकि किसी दूसरे के दस्तखतों में हालाकि उसे कितना ही अधिकार प्राप्त क्यों न हो 23 C 546, F B, 4 P L J 365, 26 B 246, 1 P L J 471, A L J 628, 44 B 392; जबकि अदायगी ऐसे शख्स द्वारा कीगई हो जो अदायगी की बात लिखने का अधिकारी है यानी इन्दराज व दस्तखत दोनोंही उसीके हाथसे लिखे हुए (In his hand writing) होने चाहिये दस्तखत मुहासलेद द्वारा और इन्दराज किसी दूसरे शख्श द्वारा किया जाना काफी नहीं है 35 C 613, 41 B 166, 4 I C 378, 5 L B R 108, 38 M 438, इसके विरुद्ध (Cantro) एक मुकदमें में यह तय किया गया है कि अगर इन्दराज अदाकरने वालों के हस्ताक्षरों मे न भी हो तो केवल उसपर उसका हस्ताक्षर (Signature) होना ही काफ़ी है, 99 P R 1884 जहां कि अदायगी किसी गुमास्ता के मार्फत हो तो खुद उसेही अपने हाथों से खानापुरी मे इन्दराज करे और कर्जदार के हस्ताक्षरा की कोई आवश्यकता नहीं है 54 I C 802, (P), 1 Pat L J, 474; 35 I C 375

जहा कि एक खातेमे कर्जके अदा करनेके दो शख्स जिम्मेदार हों तो यह काफ़ी है कि उनमेसे एक शख्स इन्दराज कर दे और दूसरा दस्तखत करदे, 71 I C 302, 25 Bom L R 354

जब कि कर्जदार बिना पढा लिखा शख्स है तो ऐसी हालतमे सिर्फ यह काफी है कि कोई दूसरा शख्स इन्दराज कर दे और उसके अंगूठेका निशान वहा पर लगा दिया जाय, 7 M 55, 7 M 76, 12 I C 23, 2 F L T 355, 28 B 262 लेकिन अगर किस्तकी अदायगीमें यदि न तो दस्तखत हों और न किसी तरहका निशान ही हो तो यह मियादको बढ़ा नहीं सकता है, 23 C W. N 920, 26 B 247

किस्तकी अदायगीके वक्त पर कर्जदार द्वारा लिखी गई और दस्तखतकी गई चिट्ठी होने पर मियाद बढ जाती है, 27 I C 744 (M), 23 C 592, 44 B 392 यह तय किया जा चुका है कि जहा किस्तकी अदायगीका एक मात्र सुबूत केवल कर्जख्वाहके हकमे एक चिकका काटा जाना ही है तो यह दफा २०की जरूरतोंको पूरी करनेके लिये काफी नहीं है, *9M 271,19A 307* अवश्य ही यह तय हो चुका है कि अगर एक चिक पर (Cheque) कर्जदारके दस्तखत हों और कर्जके किस्तकी अदायगीके बतौर दिया जाय और सकारा जाय तो उससे मियादकी बचत होगी, 42 C 1043, 19 C W N 724

डिकरीके कर्जके मूलधनकी किस्त अदा करनेकी बात मदियून डिकरीमें होना चाहिये, 31 A 590, 48 I. C 728 (P) देखो ANto P 79.

गुमास्ता—दफा १९ और २० के अनुसार किसी नाबालिग का वली उसका गुमास्ता (Agent) माना जा सकता या नहीं ? यह विषय पहिले बड़ा ही विवादग्रस्त था। परन्तु सन् १९०८के ऐक्टकी दफा २१ (२) के अनुसार यह प्रश्न हल होगया है और अब किसी नाबालिगका कानूनन् वली उसका गुमास्ता (Agent) करार दिया जाता है।

वह शख्स जिसे पावर आफ अटारनी (Power of attorney) हो एजेन्ट (Agent) माना जायगा, 14 C W N 974 एजेन्ट के नौकर द्वारा की गयी अदायगी एजेन्ट की ही अदायगी मानी जायगी, 54 I C 318 (M) एक साझीदार द्वारा की गयी अदायगी से मतलब लिया जाता है कि यह अदायगी दूसरे साझीदारों की ओर से भी की गयी है, 41 M 427, F B, और भी देखो 28 I C 845

नाबालिग के फायदे के लिये वाकई काबिज़ वली के जरिये से की गयी अदायगी मियाद से महफूज करती है देखो 40 I C 809 (P) हिंदू लॉ, दफा २१ के अनुसार एक नाबालिग का भाई माता के जीवित रहते हुए, उसका कानूनन सर परस्त नहीं हो सकता, 45 C 636 मोहमडन लॉ के अनुसार मा जायदाद की वारिस न होने के कारण नाबालिग की कानूनन वली नहीं मानी जा सकती 61 P L R 1917

वह शख्स जो किसी नाबालिग के वली मुकर्रर न किये गये हों परन्तु कानूनन वहैसियत वली के काम करते हों तो दफा २१ के अनुसार वे कानूनन जायज वली करार दिये जायगे बशर्त कि वे नाबालिग के फायदे के लिये काम करें, 24 M L J 428 19 I C 362

एक हिन्दू मुश्तर्का खान्दान के मैनेजर द्वारा की गयी अदायगी खान्दान के हर एक मेम्बर को बाध्य करती है, 14 C W N 741

"अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि" — यहां दफा २१ के अनुसार शब्द 'केवल' फालतू नहीं मानना चाहिये इसका मतलब यह है कि एक साझीदार द्वारा लिखा गया और दस्तखत किया हुआ स्वीकृति-पत्र ही केवल दूसरे साझीदारको बाध्य नहीं करता जब तक कि उसे किसी दूसरी तरह अपने साझीदारको बाध्य करनेके लिये विशेष अधिकार प्राप्त न हुआ हो, 10 A 418 1 दफा २१ दफा १९ और दफा २० का मशा यह कि किसी मामलेमें फरीकैन मुआहिदामेंसे केवल एक ही शख्स द्वारा की गई कार्रवाईसे दूसरे फरीक़ैन साधारण तौर पर जिम्मेदार न होंगे, 17 B 173; 18 A 458

एक विधवा द्वारा लिखी गयी दस्तावेज रेहन,की बाबत उसके उत्तराधिकारियों में से सिर्फ कुछ ही ने अदायगी की हो तो उससे दूसरे बाध्य न होंगे 43 I C 351 (P)

अगर किसी मृत कर्जदारके वारिसोंमसे केवल एक ही द्वारा ब्याज अदा किया जाय तो उससे दूसरे वारिसोंके लिये मियाद बढ़ नहीं जायगी, 14 I C 129

नये मुद्दई या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

१ 'एक मुकद्दमा के दाखिल होने पर, यदि नया मुद्दई या मुद्दाअलेह किसी के एवज में या ऊपर से शामिल किये जांय तो जहां तक उसका सम्बन्ध मुकद्दमें से है उस समय से ख्याल किया जायगा जब से कि वह फरीक़ बनाया गया है।

२ ऐसे मुकद्दमे में यह दफा कतई लागू न होगी जब उस मुकद्दमे के दौरान में फरीकैन, किसी हक के इन्तकाल या हस्तान्तरित होने पर बढ़ाए जाय या स्थानापन्न माने जाय या जहा कि मुद्दई, मुद्दाअलेह बनाये जांय या जहां कि मुद्दाअलेह मुद्दई बनाये जांय (दफा २२)

व्याख्या —सन् १९०८ ई०के ऐक्ट द्वारा उप दफा (२) की तरमीम इस प्रकार हुई है कि दौरान मुकद्दमे मे इन्तकाल हक मे सिर्फ मौत की वजह ही नही शामिल है बल्कि दूसरी सब वजहें शामिल है जैसे इन्तकाल दस्तावेज ।

दफा २२ सिर्फ मुकद्दमोंपर ही लागू होती है न कि अर्जियोंपर लागू होती है 2 P L T 619, 49 I C 341 यह इजराय डिकरीकी कार्रवाई पर लागू नही होती 14 C W N 752। जहा तक कि बढ़ाये गये फरीकैनका सम्बन्ध है, एकतरफ़ा डिकरीकी मसूखीके लिये दी गई अर्जी उस समयकी बनाई गई नही मानी जा सकती जब कि बढ़ाये गये फरीकैन बाकायदा शामिल किये गये हों। 6 P L J 463।

दफा २२ (१) ऐसी जगह लागू नही होती जहां कि मुद्दाअलेह, तरतीबी मुद्दई बनाया जाय 19 C W N 1269, 85 P. R 1912, 28 M L J 147, 13 C W. N 186, 38 C 342.

इस दफ़ाका असर यह है कि मुकद्दमेमे किसी गलतीका ठीक किया जाना आर्डर १ रूल १० के अनुसार मियाद मुकद्दमासे पहिले, जरूरी है, 33 M 115 दफा २२ (१) उन मुकद्दमोंमे लागू होती है जिनमें कि वाजिब शख्शोंके फरीकैन न बनाये जानेकी गलती हो न कि ऐसे मुकद्दमोंमे जोकि शुरूमे तो बाकायदा दाखिल किये गये हों लेकिन बादमे इन्तकाल हकका वजहसे दोष आगया हो, और दूसरी तरहके मामलोंमें मुकद्दमेकी कार्रवाई जारी रहनेका हुक्म होना चाहिये, 20 C W N 833 P C; 35 I. C 323।

जहां कि असली मुद्दइय्यान और बाद को शामिल किये गये मुद्दइय्यान का मशा एक ही हो, परन्तु असली मुद्दइय्यान ने मुकद्दमा चलाया हो और मियाद खतम होजाने पर बाद को वे मुद्दइय्यान और शामिल कर लिये गये हों तो कुल मुकद्दमा रद होजाता है, 6 C 8 16, 17 C 150, 162, 8 P R 1886, 7 C, L J 251, 1 P L J 468; 7 B 217 33 E R 1897 मुकद्दमे में किसी शख्श के [illegible] के विरुद्ध एतराज उठाने का काम मुद्दाअलेह का है और अग[illegible] [illegible] तो वह मुकद्दमा जिसमें कि कुछ

मुद्दइयान मियादके समयकेगुजर जानेके बाद शामिल हुए हो, रद्द नहीं होगा, देखो 15 B 297, 26 A 528

कोई मुकद्दमा दाखिल किये जानेकी तारीख पर बाकायदा दाखिल किया गया था या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार है कि अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमको कोई नुकसान होता हो तो कुछ फरीकैनोंका मियाद खतम होनेकी तारीखके बाद भी शामिल होनेसे कुछ असर नहीं पडता लेकिन अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमेको नुकसान हो तो जरूरी फरीकनोंके मियाद खतम होनेके बाद शामिल होनेकी वजहसे मुकद्दमेका खारिज कर दिया जाना जरूरी हो जायगा, 43 B 575 मुख्य बात यह है कि आया शामिल किये गये फरीकैन आवश्यक अंग (Necessary party) है या नहीं। अगर वह आवश्यक नहीं है तो मुकद्दमा खारिज नहीं किया जा सकता; A I R 1293 (Lalh) 438 (1), 26 C W N 488, 33 A 272, 33 C 1079, तथा इस सम्बन्धमें सग्रह जाबता दीवानीके आर्डर १ रूल ९ को भी देखो।

अगर किसी मुकद्दमेम मियाद खतम होनेके बादके शामिल किये गये फरीकेन केवल नाम मात्रके लिये हो तो मुकद्दमा रद्द नहीं हो जाता, 33 A 272, 15 C W N 321 P C.

दफा २२ उन गलत बयानोंम लागू नहीं होती जिन्हें कि फरीकैनोने आर्डर १ रूल १० (१) के अनुसार दिया हो, 17 B 413, 18 A 198 F B, 7 C W N 575; 329 C 872 (C); 21 A 3461

जहांकि किसी शख्शने पहिले तो मुकद्दमा अपने नामसे दायर किया हो और फिर इस प्रकार की तरमीम की हो कि वह कम्पनी की तरफ से लड़ रहा है तो यह दफा २२ के अनुसार किसी नये मुद्दई को शामिल करना नहीं है, 33 I C 357, 30 M. L J 57 7 A 284, और इसी प्रकार जब मुकद्दमा देवमूर्ति (Idol) की ओरसे किसी मेनेजर के नाम से दाखिल किया गया हो, 33 A 735 या जबकि अपनी ओरसे चलाये गये मुकद्दमेम (रियायत) की ओरसे चलाये जानेकी तरमीमकी जाय, 19 C W N 1193, 25 I C 945 (M) लेकिन अगर मुकद्दमेके अर्जीदावेम तरमीम इस प्रकार असर पदा करता है कि उससे एक नया मुकद्दमा बन जाता है तो दफा २२ लागू नहीं होगी 2- C W N 104

नीलामको मसूख करने के लिये दीगयी अर्जी में अगर खरीददार नीलाम, जो कि एक जरूरी फरीक है, मियाद खतम होने के बाद शामिल किया गया हो तो अर्जी रद्द हो जायगी, 50 I C 5 (C), 62 I C 61 (P)

फरीकैनों के शामिल होने से उनके लिए दीगई अर्जी के सम्बन्ध म किसी भी प्रश्न से अदालत की कारवाई को रोक नहीं होती परन्तु शामिल किया जाने वाला शख्स (Joinder) इस बात के बिना लिहाज किये हुये, कि उसके

नये मुद्दई या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

१ 'एक मुकद्दमा के दाखिल होने पर, यदि नया मुद्दई या मुद्दाअलेह किसी के एवज में या ऊपर से शामिल किये जायं तो जहां तक उसका सम्बन्ध मुकद्दमे से है उस समय से ख्याल किया जायगा जब से कि वह फरीक बनाया गया है।

२ ऐसे मुकद्दमे में यह दफा कतई लागू न होगी जब उस मुकद्दमे के दौरान में फरीकैन, किसी हक के इन्तकाल या हस्तान्तरित होने पर बढ़ाए जाय या स्थानापन्न माने जाय या जहा कि मुद्दई, मुद्दाअलेह बनाये जाय या जहां कि मुद्दाअलेह मुद्दई बनाये जांय (दफा २२)

व्याख्या.—सन् १९०८ ई०के ऐक्ट द्वारा उप दफा (२) की तरमीम इस प्रकार हुई है कि दौरान मुकद्दमे मे इन्तकाल हक मे सिर्फ मौत की वजह ही नही शामिल है बल्कि दूसरी सब वजहें शामिल है जैसे इन्तकाल दस्तावेज ।

दफा २२ सिर्फ मुकद्दमोंपर ही लागू होती है न कि अर्जियोंपर लागू होती है 2 P L T 619, 49 I C 341 यह इजराय डिकरीकी कार्रवाई पर लागू नही होती 14 C W N 752। जहा तक कि बढ़ाये गये फरीकैनका सम्बन्ध है, एकतरफा डिकरीकी मसूखीके लिये दी गई अर्जी उस समयकी बनाई गई नही मानी जा सकती जब कि बढ़ाये गये फरीकैन बाकायदा शामिल किये गये हों। 6 P L J 463।

दफा २२ (१) ऐसी जगह लागू नही होती जहां कि मुद्दाअलेह, तरतीबी मुद्दई बनाया जाय 19 C W N 1269, 85 P R 1912, 28 M L J 147; 13 C W N 186; 38 C 342.

इस दफाका असर यह है कि मुकद्दमेमें किसी गलतीका ठीक किया जाना आर्डर १ रूल १० के अनुसार मियाद मुकद्दमाके पहिले, जरूरी है, 33 M. 115 दफा २२ (१) उन मुकद्दमोंमें लागू होती है जिनमें कि वाजिब शख्शोंके फरीकैन न बनाये जानेकी गलती हो न कि ऐसे मुकद्दमोंमें जोकि शुरूम तो बाकायदा दाखिल किये गये हों लेकिन बादमें इन्तकाल हकवा वजहसे दोष आगया हो, और दूसरी तरहके मामलामें मुकद्दमेंकी कार्रवाई जारी रहनेका हुक्म होना चाहिये, 20 C W N 833 P C, 35 I C 323।

जहा कि असली मुद्दइय्यान और बाद को शामिल किये गये मुद्दइय्यान का मशा एक ही हो, परन्तु असली मुद्दइय्यान ने मुकद्दमा चलाया हो और मियाद खतम होजाने पर बाद को वे मुद्दइय्यान और शामिल कर लिये गये हों वो कुल मुकद्दमा रद्द होजाता है, 6 C 8 16, 17 C 150, 162, 8 P R 1886, 7 C, L J 251, 1 P L, J 468; 7 B 217, 33 E R 1897 मुकद्दमे में किसी शख्श के अदम इस्तेमाल के विरुद्ध एतराज उठाने का काम मुद्दाअलेह का है और अगर ऐसा सवाल न उठाया गया तो वह मुकद्दमा जिसमें कि कुछ

मुद्दइयान मियादके समयकेगुजर जानेके बाद शामिल हुए हों,रद्द नहीं होगा, देखो 15 B 297, 26 A 528

कोई मुकद्दमा दाखिल किये जानेकी तारीख पर बाकायदा दाखिल किया गया था या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार है कि अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमेको कोई नुकसान होता हो तो कुछ फरीकैनोंका मियाद खतम होनेकी तारीखके बाद भी शामिल होनेसे कुछ असर नहीं पड़ता लेकिन अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमेको नुकसान हो तो जरूरी फरीकनोंके मियाद खतम होनेके बाद शामिल होनेकी वजहसे मुकद्दमेका खारिज कर दिया जाना जरूरी हो जायगा, 43 B 575 मुख्य बात यह है कि आया शामिल किये गये फरीकैन आवश्यक अंग (Necessary party) हैं या नहीं । अगर वह आवश्यक नहीं है तो मुकद्दमा खारिज नहीं किया जा सकता; A I R 1923 (Lah) 438 (1), 26 C W N 488, 33 A 272, 33 C 1079, तथा इस सम्बन्धमें मजमूए जाबता दीवानीके आर्डर १ रूल ९ को भी देखो ।

अगर किसी मुकद्दमेमें मियाद खतम होनेके बादके शामिल किये गये फरीकैन केवल नाम मात्रके लिये हों तो मुकद्दमा रद्द नहीं हो जाता, 33 A 272, 15 C W N 321 P C.

दफा २२ उन गलत बयानोंमें लागू नहीं होती जिन्हे कि फरीकैनोंने आर्डर १ रूल १० (१) के अनुसार दिया हो, 17 B 413, 18 A 198 F B, 7 C W N 575, 329 C 872 (C), 21 A 3461

जहांकि किसी शख्सने पहिले तो मुकद्दमा अपने नामसे दायर किया हो और फिर इस प्रकार की तरमीम की हो कि वह कम्पनी की तरफ से लड़ रहा है तो यह दफा २२ के अनुसार किसी नये मुद्दई को शामिल करना नहीं है, 33 I C 357, 30 M L J 57, 7 A 284, और इसी प्रकार जब मुकद्दमा देवमूर्ति (Idol) की ओरसे किसी मनेजर के नाम से दाखिल किया गया हो, 33 A 735 या जबकि अपनी ओरसे चलाये गये मुकद्दमा (शिकायत) की ओरसे चलाये जानेकी तरमीमकी जाय, 19 C W N 1193, 25 I C 945 (M) लेकिन अगर मुकद्दमेके अर्जीदावेमें तरमीम इस प्रकार असर पैदा करता है कि उससे एक नया मुकद्दमा बन जाता है तो दफा २२ लागू नहीं होगी 24 C W N 104

नीलामको मसूख करने के लिये दीगयी अर्जी में अगर खरीदार नीलाम, जो कि एक जरूरी फरीक है, मियाद खतम होने के बाद शामिल किया गया हो तो अर्जी रद्द हो जायगी, 50 I C 5 (C), 62 I C 61 (P)

फरीकैनों के शामिल होने से उनके लिए नीगई अर्जी के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न से अदालत की कार्रवाई को रोक नहीं होती परन्तु शामिल किया जाने वाला शख्स (Joinder) इस बात पर बिना लिहाज किये हुये, कि उसके

मियाद गुजर जाने के बाद शामिल होने पर मुक़द्दमे पर क्या असर पड़ेगा शामिल नहीं किया जासकता, 10 C W N 551, 33 C 613, 28 B 11 35 C 519, 11 C W N 35 F B

नोट—इस क़ानूनकी आगेकी दफ़ाओंकी भाषा इतनी साफ़ है कि उनपर किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।



इंडियन वालण्टियर्स ऐक्ट

ऐक्ट नं० २० सन् १८६९ ई०

इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट

ऐक्ट नं० २० सन १८६९ ई०

[तारीख १० सितम्बर सन १८६९ को पास हुआ]

वालण्टियर कोर की सुव्यवस्था और शिक्षा के सम्बन्धमें व्यवस्था करने और उन्हें कतिपय अधिकारोंके देने सम्बन्धी ऐक्ट

चूंकि श्रीमान् सम्राट् की बहुत सी राजभक्त प्रजा ने जान और मालकी रक्षा और शान्ति बनाए रखने के निमित्त, अपनी इच्छा से अपनी सेवायें भेट की हैं और सरकार (गवर्नमेंट) की मजूरीसे उन्होंने इस कामके लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों के अधीन मिलिटरी कोर (फौज) से सम्बन्ध जोड़ लिया है और उसमें अपना नाम लिखा लिया है, और यह उचित जान पड़ता है कि ऐसे 'कोर' की शिक्षा और सुव्यवस्था के लिए नियम बनाये जाय, और उसके सदस्यों (मेम्बरों) को कुछ अधिकार दिए जाय; इसलिए यह नीचे लिखा हुआ क़ानून जारी किया जाता है —

प्रारंभिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम

इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट सन् १८६९ ई०' होगा॥

दफा २ ऐक्ट का विस्तार

इस ऐक्ट का विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा और (जहां तक इसका सम्बन्ध ब्रिटिश प्रजा से है) उन देशी राजाओं के राज्यों और उन राज्यों में होगा जो श्रीमान् सम्राट के अधीन हैं।

दफा ३ ऐक्टकी मंसूखी

ऐक्ट नं० २४ सन् १८७०ई० के अनुसार ऐक्ट नं० २३ सन्१८५७ई० मंसूख किया गया।

दफा ४ परिभाषा

(१) 'मजिस्ट्रेट' शब्द का अर्थ, प्रेजीडेन्सी टाउन्स के सीमा के भीतर

चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और इस सीमा के बाहर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, जो जस्टिस आफ़ दि पीस, (Justice of the Peace) है।

२ वालण्टियर लोग उस समय अपनी 'असली ड्यूटी' पर समझे जायगे—

(अ) जब कि उन्हें अकेले अथवा स्थायी सेना (Regular forces) के साथ शिक्षा दी जा रही हो या कवायद कराई जा रही हो, या

(ब) जब वे किसी स्थायी सेना (Regular forces) में शामिल कर दिए गए हों या और प्रकार से उसके साथ अथवा एक अंग होकर काम कर रहे हों, या

(स) जब राज-शासनकी सहायतामे काम कर रहे हों।

३ "सिविल डिस्ट्रिक्ट" का अर्थ वह डिस्ट्रिक्ट (जिला) है जिसकी परिभाषा संग्रह जाब्ता दीवानी मे कीगई है।

वालण्टियर-कोर का संगठन और उसका विच्छेद

दफा ५ कोर का संगठन

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल की अथवा स्थानीय सरकार की मंजूरी से वालण्टियरों के कोर (दल) ब्रिटिश भारत अथवा उक्त राज्यों के किसी भी हिस्से मे तैयार (संगठित) किए जा सकते हैं।

दफा ६ कमाण्डिंग अफसर का सार्टीफिकट, भर्ती कर लिए जाने का प्रमाण होगा

ऐसे कोर (दल) मे भर्तीकर लिए जानेका सार्टीफिकट, जिसपर उसके कमाण्डिंग अफसर के हस्ताक्षर हों, उस भर्ती का प्रकट प्रमाणहोगा।

दफा ७ कोर (दल) को तोड़ देने अथवा उसके सदस्योंको अलग करदेने का अधिकार

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल अथवा स्थानीय सरकार को अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के अथवा ऐक्ट नं० २३ सन् १८५७ ई० के नियमानुसार तैयार किए गए अथवा भर्ती किए गए किसी भी कोर (दल) को तोड दे अथवा इस कोर (दल) से उसके किसी भी मेम्बर (सदस्य) को अलग कर दे।

दफा ७ (ए) कुछ अवस्थाओंमें कमान्डिंग अफसर को रजिस्टर से वालण्टियरों का नाम काट देने का अधिकार

१ किसी वालण्टियर-कोरके कमांडिंग अफसरको अधिकार होगा कि वह किसी भी वालण्टियरका, जो बिना छुट्टी छ माससे कम गैर हाजिर नहीं रहा है, अथवा जिसने दफा १३ के सिवाय और किसी प्रकार से कोर (दल) से सम्बन्ध

छोड़ दिया है, अथवा जिसका नाम दो साल तक बराबर अयोग्य (Non efficient) पुरुषों की श्रेणी में लिखा हुआ चला आता है, नाम रजिस्टर से काट दे, परन्तु अपने अधीन कोर के अधिकारी (अफसर) का नाम इस प्रकार नहीं काटा जा सकता।

२ हर एक ऐसे वालण्टियर की निस्बत, जिसका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, यह समझा जायगा कि वह उस कोर (दल) से अलग कर दिया गया है।

आर्मी ऐक्टका प्रयोग

दफा ८ वालण्टियरों के ऊपर आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहा तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरो) से है

वालण्टियर-कोर के प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) के सम्बन्ध मे, उन सभी फौजी अपराधों के लिए जिनका वह अपनी "असली ड्यूटी" पर होने की दशा मे अथवा असली फौजी काम करने की दशा मे दोषी पाया जाय, आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरों) से है और जहा तक वह इस ऐक्ट के नियमोंसे सम्बन्ध रखता है।

सैनिक न्याय सभा (Court Martial)

दफा ९ जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दीगयीं सज़ायें

कोर का कमांडिंग अफसर स्थानीय सरकार की मञ्जूरी लेकर, उन फौजी अपराधों की जांच करने के लिए जिनका इस कोर का कोई भी सदस्य (मेम्बर) अपनी 'असली ड्यूटी' पर होने के समय दोषी पाया जाय, जनरल कोर्ट मार्शल बुला सकेगा।

इस कोर्ट मार्शल (सैनिक न्याय सभा) द्वारा दिया गया सजा का हुक्म तब तक अमलमे न लाया जायगा, जब तक कि उस सारी कार्रवाईकी रिपोर्ट स्थानीय सरकार को न करदी जाय और वह उस सजाके हुक्मकी मञ्जूरी न दे देवे।

स्थानीय सरकारको अधिकार होगा कि वह इस हुक्मको बदल कर हलके दण्डका हुक्म दे देवे, अथवा अपराधीको क्षमा (माफ़) कर दे।

दफा १० जनरल कोर्ट-मार्शलमें कौन कौन शामिल होंगे

जनरल कोर्ट मार्शल में कोरके कमसे कम नौ सदस्य शामिल होंगे और कोरका प्रत्येक सदस्य, चाहे वह अधिकारी (अफसर) हो या न हो, ऐसी कोर्ट मार्शलमे बैठकर उसके सदस्यकी हैसियतसे काम कर सकेगा।

दफा ११ रेजीमेण्टल कोर्ट-मार्शल

रेजीमेण्टल कोर्ट मार्शलको कोरका कमाण्डिग अफसर बुला सकता है और उसमें कोरके कमसे कम तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

दफा १२ इस ऐक्ट के अनुसार बुलाई गई कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई

इस ऐक्टके अनुसार जो कोर्ट मार्शल आमन्त्रित किया जाय उसकी कार्रवाई उन कानूनों और प्रथाओंके अनुसार कीजायगी जोकि उक्त, ऐक्ट आर्मीके अनुसार आमन्त्रित कीगई कोर्ट मार्शलके सम्बन्धमें बताए गए हैं। परन्तु इसके (आर्मी ऐक्टके) जो कानून इस (वालण्टियर्स) ऐक्टके विरुद्ध होंगे छोड़ दिए जायगे।

कोरसे नाम वापस लेना

दफा १३ कोर छोड देनेका अधिकार

किसी भी ऐसे शख्सको, जिसका नाम वालिण्टयर कोर के सदस्योंकी सूचीमें दर्ज है, चाहे वह ऐसे कोरका अफसर निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, अधिकार है कि वह सिवाय उस दशाके जब कि वह असली ड्यूटी पर हो या फौजी काम पर हो, सात दिन पहिले अपने इस इरादेकी कोरके कमाण्डिग अफसर को लिखित नोटिस देकर या बिना ऐसी नोटिस दिए ही, अगर उस कोरका कमाण्डिग अफसर इसे उचित समझे और उसे ऐसा करने की आज्ञा दे देवे, कोर छोड़ दे।

दफा १४ अफसरोंको दिये गए अधिकार उस समय बन्द हो जायंगे जबकि वे अपनी खुशीसे काम से अलग (रिटायर) हो जाय या बर्खास्त कर दिये जायं

वालण्टियर-कोरके किसी सदस्यको दिए गए कुल अधिकार, जिनके अनुसार वह ऐसे कोर (दल) में कोई अधिकारी (अफसर) नियुक्त हुआ हो, उस समय बन्द हो जायगे जब वह अपनी खुशीसे उस कोरसे अलग (रिटायर) हो जाय अथवा बर्खास्त कर दिया जाय।

दफा १५ कोरको छोड देने वाले मेम्बरों (सदस्यों) द्वारा सरकारी हथियारोंका उसके हवाले कर दिया जाना

वालण्टियर-कोरके प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) को, जिसे सरकार (गवर्नमेण्ट) की ओरसे हथियार, गोली बारूद, युद्ध की सामग्री अथवा वर्दी (Uniform) दीगई हो,

या जो सार्वजनिक मालखाने (Public stores) या सार्वजनिक खर्चसे दीगई हो इस कोरके छोड़ देने पर, या

उसको उससे अलग होने या बर्खास्त कर दिए जाने पर, या

जब उसे उस कोरके कमाण्डिंग अफसर की ओरसे ऐसा करने की आज्ञा मिले, या

जब वह कोर तोड़ दिया जाय,

उस कमाण्डिंग अफसरको या, उस अफसरको जिसे वह कमाण्डिंग अफसर इनके लेनेके लिए नियुक्त करेगा, वे कुछ हथियार, गोला बारूद, युद्धकी सामग्री और वर्दी (Uniform) अच्छी हालतमें वापस कर देने होंगे। उनके मुनासिब इस्तेमाल से उनमें जो कुछ भी कमी या खराबी आजायगी उसका ख्याल न किया जायगा,

और अगर वह ऐसा न कर सका, तो उसे इसके बदलेमें उतनी रकम जमा करनी होगी जिसे रेजीमेण्टल कोर्ट मार्शल, जिसका सयोजक उस कोरका कमाण्डिङ्ग अफसर होगा तय करेगी। इस फैसलेकी एक नकल, जिस पर उस कोर्ट मार्शलके प्रेजीडेंट (सभापति) के हस्ताक्षर होंगे, उस जिलेकी प्रारम्भिक दीवानीके अधिकार रखने वाली खास अदालतको भेज दीजायगी जिसमें कि वह फैसला दिया गया हो, और वह अदालत उसकी इस प्रकार इजरा करेगी मानो वह जाबता दीवानीके अनुसार दी हुई रुपयेकी डिकरी है।

कार्यकी स्थानीय सीमा (Local Limits of Service)

दफा १६ कार्य करनेकी स्थानीय सीमा

वालण्टियरोंके कोर अथवा पल्टनका कोई भी सदस्य (मेम्बर) सिवाय समुद्री सेनाके वालण्टियरोंके, बिना अपनी राजीके इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह उस सिविल डिस्ट्रिक्टकी सीमाके बाहर जिसमें वह भर्ती किया गया है, या, जब किसी कोर या पल्टनमें ऐसे वालण्टियर शामिल हैं जिनकी भर्ती एक से अधिक सिविल डिस्ट्रिक्टसमें हुई है तो, उस प्रांतकी सीमाके बाहर, जिसमें वे जिले शामिल हैं, कार्य करने के लिए या ड्यूटी पर जाय, और

समुद्रीय वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह, बिना अपनी राजीके, उस बन्दरगाह की सीमा के बाहर कार्य या ड्यूटी पर जाय। इस बन्दरगाहमें वह शहर या कस्बा, जिसके आधार पर उस कोरका नाम रखा गया है और उसके आस पासके गांव, वे नदियां और समुद्र के सब रास्ते, जिनमें होकर बेड़े खेए जाते हैं और वहांको जाने वाले रास्ते, शामिल समझे जायगे

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिवीजनका कमिश्नर या कोई दूसरा अधिकारी जिसे इस सम्बन्धमें स्थानीय सरकारकी ओरसे अधिकार

दिया गया हो, किसी खास कोर या कोरके किसी हिस्से को या किसी कोर के किसी एक सदस्य या किन्हीं सदस्योंको, उनका नाम लेकर, काम करने से मुक्त कर सकता है। ऐसा मुक्त किया जाना, समय अथवा स्कूल या दोनोंके सम्बन्धमें, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हो सकता है एक अंशके सम्बन्ध में जैसा कि वह अधिकारी, जिसे इस बारेमें अधिकार दिया गया है, उचित समझे।

नियम (Rules)

दफा १७ कमांडिंग अफसर को नियम बनानेका अधिकार जिनका मानना सदस्योंके लिये अनिवार्य (लाज़िमी) होगा

वालण्टियरोंके प्रत्येक कोरके कमाण्डिङ्ग अफ़सरको अधिकार होगा कि वह उन समयों और उन तरीकोंके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिए नियम बनावे जिन पर और जिनमें कोरके और उसके भिन्न भिन्न सदस्यों या दलोंके कार्योंका सम्पादन किया जाना चाहिए।

ऐसे नियमोंके सम्बन्धमें जब स्थानीय सरकार अपनी स्वीकृति दे देगी तब उनको मानने के लिए वह कोर और उसके भिन्न भिन्न सदस्य बाध्य होंगे।

दण्ड (Penalties)

दफा १८ ड्रिल अथवा परेडके अलावा असली ड्यूटी पर हाज़िर न होना

अगर वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य, ड्रिल अथवा परेड के अलावा असली ड्यूटीकी निस्बत आगाह कर दिए जाने पर, बिना किसी माकूल हीलाके ऐसी ड्यूटी पर हाजिर न होगा तो जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर वह जुर्मानेके दण्डका, जो एक सौ रुपयेसे अधिक न होगा, या कोरसे साधारण तौरसे बर्खास्त कर दिये जाने का, या इस तरह बर्खास्त कर देनेका भागी होगा कि वह फिर उसमें शामिल न हो सके।

दफा १९ ड्रिल अथवा परेडमें हाज़िर न होना

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) बिना किसी माकूल हीला के ऐसे समयों पर ड्रिल अथवा परेड में हाजिर न होगा जो इस काम के लिए नियत होंगे,—

दूसरे छोटे छोटे सैनिक अपराध—

या अपनी ड्यूटी ठीक तौर पर न करने या सेना सम्बन्धी दूसरे अपराध का दोषी पाया जायगा, जिसके लिए उस कोरके कमाण्डिङ्ग अफ़सर की राय में, थोड़ा सा जुर्माना काफी सजा होगी।

तो वह ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जो रेजीमेण्टल-कोर्ट मार्शल उसके ऊपर करे, पर जो पचास रुपयसे अधिक न होगा।

दफा २० जुर्माना न देने पर सज़ा

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) किसी ऐसे जुर्मानेको, जो उस पर किसी कोर्ट मार्शल (सैनिक न्याय सभा) ने किया हो, उस समय के भीतर, जो उस कोरके कमाण्डिग अफ़सरने नियत किया है, न देगा या देने से इन्कार करेगा, तो उक्त कमाण्डिग अफसर उसे उस कोरसे बर्ख़ास्त कर सकेगा, और ऐसी हर एक बर्ख़ास्तगीका इन्दराज कर लिया जायगा और उसकी रिपोर्ट स्थानीय सरकारको कर दी जायगी।

दफा २१ वालण्टियरोंको अपनी ड्यूटी करते समय रोकने या उन पर आक्रमण करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स, ऐसे कोरके किसी सदस्यको अपनी ड्यूटी करते समय रोकेगा या उस पर आक्रमण करेगा अथवा भारतीय दण्ड विधान (ताजीरात हिन्द) के अर्थमे, रोकने के लिए या आक्रमण करने के लिए किसी शख्सको उकसावेगा, वह किसी मजिस्ट्रेटके सामने अपराधी सिद्ध होने पर, जुर्मानेके दंड का, जो दो सौ रुपयसे अधिक न होगा या कैदका, जिसकी मुद्दत छ मास से अधिक न होगी या दोनोंका भागी होगा।

दफा २२ जुर्मानाका वसूल किया जाना

किसी ऐसे जुर्मानाके अदा न किए जाने पर जो किसी कोर्ट मार्शलने इस ऐक्टके अनुसार किया हो, जुर्माना करने वाली कोर्ट मार्शलके हुक्मकी एक नकल जिसपर ऐसी अदालत (कोर्ट मार्शल) के प्रेजीडेण्ट के हस्ताक्षर होंगे, उस प्रेजीडसी टाउन या जिलेके, जिसमें कि वह जुर्माना दिया गया हो, किसी मजिस्ट्रेटके पास भेज दी जायगी और इस पर वह जुर्मानेको इस प्रकार वसूल करा लेगा मानो स्वयं उसी ने यह जुर्माना किया हो।

दफा २१ के अनुसार किया हुआ जुर्माना उस रीति (तरीक़ा) से वसूल किया जा सकेगा, जो उस समय प्रचलित किसी भी कानूनमें उस जुर्माना की वसूलयाबी के लिए बतलाया गया हो जो किसी फौजदारी अदालतने किया हो।

वालण्टियरोंके अधिकार

दफा २३ लोगोंको निःशस्त्र करनेका अधिकार

वालण्टियर कोरके किसी भी सदस्य (मेम्बर) को, जब कभी वह बहैसियत उस कोरके मेम्बरके अपनी ड्यूटी पर काम कर रहा हो, और उस समय वह चाहे कहीं पर भी हो, अधिकार होगा कि वह किसी भी शख्ससे, जो श्रीमान्

सम्राटकी सेना या समुद्रीय सेनाका नौकर या पुलिस अफसर न हो, और जो सूर्यास्त और सूर्योदयके बीच किसी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान पर, बिना पुलिस कमिश्नर या दूसरे अफसरसे, जिसे इस प्रकार पास या लैसन्स देनेका अधिकार है इस कामके लिये कोई पास या लैसन्स न हो हाथमें तलवार, भाला, बन्दूक या दूसरा युद्ध सम्बन्धी अस्त्र (हथियार) लिए हुए मिले, वह हथियार छीन ले।

और उसे उस आदमी के हथियार छीन लेने का भी अधिकार होगा जो किसी समय कानून या किसी सरकारी हुक्म के विरुद्ध किसी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में हथियार लिए हुए पाया जाय, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस तरह हथियार बांधे हुए पाए गए किसी व्यक्तिको पकड़ कर किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे, ताकि उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

छीने गये हथियारों की जब्ती

और इस तरह छीने गए हथियार या तो, जब्त करके सरकार में जमा कर दिए जायगे या कानून अथवा सरकार के हुक्मों के अनुसार उनमें कोई दूसरी कार्रवाई की जायगी।

दफा २४ सार्वजनिक शान्ति-भंग होने को रोकना, गैर-कानूनी संस्थाओं को भंग करने, और कुछ ऐसे आदमियों के पकड़ लेने का अधिकार जिनपर सन्देह किया जाता हो

ऐसे कोर (दल) के किसी भी सदस्य (मेम्बर) को अधिकार होगा कि वह, जब कभी वह अपनी ड्यूटी पर हो, सार्वजनिक शांति को भंग किए जाने के किसी प्रयत्न को रोके, और उन लोगोंको अलग अलग कर दे, जिनको वह बिना किसी उचित कारणके सूर्यास्त और सूर्योदयके पहिले किसी भी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में, जिसमें उक्त कोरका वह व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा हो, पांच अथवा अधिक संख्यामें एकत्रित (जमा) हुए पावे।

और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी शख्स को, जिसपर यह उचित सन्देह किया जाय कि उसने राज्य के प्रति कोई अपराध किया है या करने वाला है, अथवा यह कि उसने, भारतीय दण्ड विधान के अर्थ में, किसी दूसरे शख्स को ऐसा अपराध करने में उकसाया है या उकसाने वाला है, पकड़ कर उसे किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे।

विविध विषय

दफा २५ घोड़ा-कर (Horse tax) से छुटकारा

हर घोड़-सवार अफ़सर को, और वालण्टियर कोरके हर एक घोड़ सवार अर्दली को, तथा ऐसे कोर के हर एक मेम्बर (सदस्य) को, जब कि वह ऐसे कोर के अश्वारोही दल (troop of Cavalry) का सदस्य है, अधिकार होगा कि वह एक घोड़ा रख सके, जिसके लिए उसे कोई भी म्यूनीसिपल बोर्ड के या दूसरा टैक्स, जो घोड़ों पर लगाया जाता है, देना न होगा।

दफा २६ इस ऐक्ट के अनुसार की जाने वाली बातों के लिए नालिशें

किसी भी शख्स के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो इस ऐक्टके अनुसार कीगई हों - उस शख्सको एक महीना पहिले इस इरादे का और उसके कारण सहित लिखित नोटिस दिए बिना कोई भी नालिश या दूसरी कार्रवाइ दायर अथवाकी न जा सकेगी, और न काफ़ी तावान दे दिए जानेके बाद अथवा नालिश या दूसरी कार्रवाईके बिनाय मुखासमत पैदा होने के समय से तीन साल की मियाद गुजर जानेके बाद ही पेश किया जा सकेगा।

न्यूनता-पूरक नियम (Supplemental)

दफा २७ युद्ध-क्षेत्र कार्य के लिए वालण्टियरकोर का बुलाया जाना

१ वास्तव में आवश्यक कारण उपस्थित हो जाने पर या उनके उपस्थित हो जाने की आशङ्का होने पर [इस अवसर की घोषणा पहिले सपरिषद् गवर्नर साहब कर देंगे और इस सम्बन्ध मे गजट आफ इण्डिया मे विज्ञप्ति निकाल दी जायगी] सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे वालण्टियरों के किसी कोर को या उसके किसी हिस्से को युद्ध क्षेत्र म काम करने के लिए बुला ले।

२ किसी कोर या उसके किसी हिस्से के कुल सदस्य, जब तक कि वे निबल होने के कारण युद्ध-क्षेत्र के कामों के अयोग्य न सिद्ध कर दिए जाय, इस बात के लिए बाध्य होंगे कि वे सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल की आज्ञानुसार एकत्रित हों, और उनके हुक्मों के अनुसार उस सीमा के भीतर रवाना होजाय जिसका वर्णन इसके पहिले किया जा चुका है, और ये वालण्टियर कोर या उनके हिस्से इस प्रकार बुलाए जाने के समय से युद्ध क्षेत्र में काम करते हुए (On actual military service) समझे जायगे।

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिवीजन के कमिश्नर अथवा किसी दूसरे अधिकारी को, जिसे इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकार ने अधिकार दिए हों, अधिकार होगा कि वह किसी खास कोर या कोर के किसी खास हिस्से को अथवा कोर के किसी एक सदस्य या सदस्यों को, उनका नाम बतला कर, इस काम (Service) से मुक्त कर दे। इस प्रकार का मुक्त किया जाना समय या रकबा या दोनों के बारे में था तो कुल के सम्बन्ध में होगा या उसके किसी एक हिस्से के सम्बन्ध में, जैसा कि वह अधिकारी उचित समझे।

३ कोई वालण्टियर कोर या उसका कोई हिस्सा बुला लिए जाने के बाद, उस समय युद्ध क्षेत्र के कामों से मुक्त कर दिया गया समझा जायगा जब गजट आफ इण्डियामें इस बातके सम्बन्धमें विज्ञप्ति निकाल दीजाय जिसमें इस बातकी घोषणा करदी जाय कि वह समय निकल गया, इससे पहिले अथवा पीछे नहीं।

लेकिन शर्त यह है कि सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे किसी भी समय किसी ऐसे कोर या कोर किसी हिस्सेको युद्ध क्षेत्रके कामों से मुक्त करदें।

४ वालण्टियरों के किसी कोर या कोरके किसी हिस्सेको युद्ध क्षेत्र के कामों से अलग किए जानेके पहिले सरकार को पहिले वहां पर उपस्थित वालण्टियरों का अपने घर लौटने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करना होगा।

दफा २८ वालण्टियरों को अलाउन्स देने के संबन्ध में नियमों के बनाने का अधिकार

१ सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वे—

(अ) युद्ध के कामों के लिए बुलाए गए वालण्टियरों को, दी जाने वाली रकमों, और उनके आने जाने और उनके लिए रसद वगैरा भेजने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए, और

(आ) उनको वेतन, पेंशन, बख्शीश, भत्ता और इनाम वगैरा देने के लिए नियम बना सकें।

२ सपरि[illegible] गवर्नर [illegible] को अधिकार होगा कि वे ऐसे नियमों या उनके [illegible] को [illegible] के सम्बन्ध में लागू कर सकें जो किसी मजिस्[illegible] राजशासन में सहायता देने के अर्थ बुलाए ग[illegible] और [illegible] में, किसी कानून होते हुए भी, [illegible] का खर्चा कौन करे और [illegible] ले जायगा।

दफा २९ उन वालण्टियर कोरों के संबन्ध में, जिनके सदस्य एक से अधिक प्रान्तों में भर्ती किए गए हों कार्रवाई करने के लिये स्थानीय सरकार की नियुक्ति

जब किसी कोर में ऐसे वालण्टियर शामिल हों, जो एक से अधिक अधीनस्थ प्रान्तों में भर्ती किए गए है, तो सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे गजट आफ इण्डिया में विज्ञप्ति निकाल कर इस बात की घोषणा कर दें कि इस ऐक्ट के कुल अथवा कुछ कामों के लिए कौनसी स्थानीय सरकार इस कोर के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार समझी जायगी।

दफा ३० वालण्टियरोंके साथ संमिलित होनेकी दशामें स्थल सेना के सैनिकों के साथ इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे

किसी भी स्थल सेनाके, जो टेरीटोरियल ऐण्ड रिजर्व फोरसेज ऐक्ट (स्थल और स्थायी सेना सम्बन्धी कानून) सन् १९०७ ई० की दफा ६ के अनुसार तैयार कीगई है और कायम रक्खी गई है किसी भी सैनिक के सम्बन्ध में, जो वालण्टियरों के किसी कोर के साथ, जो इस ऐक्ट के अनुसार तैयार किया गया है, शामिल कर दिया गया है, उस समयमें जब कि वह इस प्रकार साथमें काम कर रहा है, इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे।

न्यूज़ पेपर ऐक्ट

नं० ८ सन् १९०८ ई०

अर्थात्

समाचार-पत्रों द्वारा अपराधोंको उत्तेजना देनेसे नियंत्रण सम्बन्धी कानून

(ता० ८ जून सन १९०८ ई० को पास हुआ)

चूंकि समाचार-पत्रोंमे हत्या तथा अन्य अपराधोंको उत्तेजना देनेवाले लेख आदिको रोकनेके सम्बन्धमें कुछ अधिक अच्छी व्यवस्था करना उचित जान पड़ता है, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है:—

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) इस ऐक्टका नाम "न्यूजपेपर (अपराधोंकी उत्तेजना देने सम्बन्धी) ऐक्ट सन् १९०८ ई०" होगा

(२) इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारतमें होगा।

दफा २ परिभाषा

(१) इस ऐक्टमें, जब तक कि कोई बात विषय अथवा प्रसंगके विरुद्ध न हो,—

(अ) "मजिस्ट्रेट" शब्दका अर्थ होगा जिला मजिस्ट्रेट अथवा चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ब) "समाचार-पत्र (News paper)" का अर्थ होगा कोई भी नियत समय पर प्रकाशित होनेवाला पत्र जिसमें सार्व-जनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारोंके ऊपर टिप्पणियां आदि प्रकाशित हों।

(स) "मुद्रणयन्त्र (Printing press)" में सभी एञ्जिन, मशीनरी, टाइप, लीथोग्राफिक पत्थर, औजार (Implements), बर्तन (Utensils), और दूसरे यन्त्र और सामान, जो छपाई आदिके काममें लाये जाते हों, शामिल हैं।

(२) सिवाय उसके, जब कि इसमें अन्य कोई व्यवस्थाकी गई हो, इस ऐक्टमें आये हुए कुल शब्दों और वाक्योंके वही अर्थ होंगे जो सग्रह जाब्ता फौजदारी सन् १८९८ ई० में बतलाये गये हैं।

दफा ३ कुछ अवस्थाओंमें मुद्रणयन्त्रके जब्त कर लेनेका अधिकार

१ उन अवस्थाओंमें, जब स्थानीय सरकारके हुक्मसे अथवा उससे प्राप्त अधिकारके अनुसार, दरख्वास्त दिये जाने पर, किसी मजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि किसी समाचार पत्रमें, जो उस प्रान्तके भीतर मुद्रित और प्रकाशित होता है ऐसी बात है, जो हत्या अथवा एक्सप्लोसिव सब्सटैन्सेज एक्ट सन् १९०८ ई० के अनुसार अन्य अपराधों अथवा दूसरे हिंसात्मक कार्योंको उत्तेजना देने वाली है ऐसे मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह इस सम्बन्धमें एक नियमबद्ध आज्ञा निकाल दे कि वह मुद्रणयन्त्र, जो ऐसे समाचार पत्रके मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करनेके काममें लाया जाता है या लाया जाने वाला है, अथवा उस स्थान पर पाया जाय जहां पर ऐसा समाचार पत्र छापा जाता है या जिस विषयकी निस्बत शिकायत है उसके छापे जानेके समय छापा जाय, और ऐसे समाचार पत्रकी सभी प्रतियां जहां कहीं भी मिलें जब्त कर ली जायं, और उस हुक्ममें सभी बातोंको लिख दे और उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगोंको यह आज्ञा दे कि वे उस समय और स्थान पर जो उस हुक्ममें नियत कर दिया जायगा, उसके सामने हाजिर होकर यह वजह जाहिर करें कि उस हुक्मके अनुसार उनके साथ क्यों न कारवाई की जाय।

२ इस हुक्मकी एक नकल उस स्थानके किसी खुले हुए हिस्सेमें चिपका दी जायगी जो उस डेक्लेरेशनमें बतलाया गया है जोकि प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० की दफा ५ के अनुसार दाखिल किया गया है, अथवा किसी दूसरे स्थान पर चिपका दी जायगी जिसमें ऐसा समाचार पत्र छापा जाता है, और इस नकलका चिपकाया जाना (चस्पा करना) उस हुक्मकी उन तमाम आदमियों पर बाकायदा तामील समझी जायगी जो उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं।

३ जरूरत नागहानीमें या उन हालतोंमें, जब देर हो जानेसे उस दरख्वास्तका मंशा हल न हो सके, मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह उप-दफा (१) के अनुसार नियमबद्ध हुक्म निकालनेके समय अथवा उसके पश्चात् उस मुद्रणयन्त्र अथवा दूसरी जायदादको, जो उस नियमबद्ध हुक्ममें बतलाई गई है, कुर्क करनेके लिये एकतर्फा हुक्म और निकाल दे।

४ अगर उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखने वाला कोई शख्स हाजिर होकर उस नियमबद्ध हुक्मके खिलाफ वजह जाहिर करता है, तो वह मजिस्ट्रेट जाब्ता फौजदारी सन् १८९८ई० की दफा ३५६ में बतलाये हुए तरीकेसे शहादत लेगा, फिर चाहे उस हुक्मके पक्षमें हो या विपक्षमें।

५ अगर उस मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीनान हो जाय कि उस समाचार पत्रमें वे बातें पाई जाती हैं जो उप दफा १ में बतलाई गयी हैं तो वह उस जायदाद के सम्बन्धमें जो उसे उक्त दफा १ की शर्तोंके अन्दर मालूम पड़े, जब्तीका नियमबद्ध हुक्म कतई करार दे देगा।

६ अगर मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीनान न हो, तो वह जब्तीके सम्बन्धमें दिये हुए नियमबद्ध हुक्मको तथा कुर्कीके हुक्मको, अगर कोई हो, रद कर देगा।

दफा ४ जब्तीका अधिकार

१ मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि, वह किसी पुलिस अफसरको जिसका दर्जा सबइन्स्पेक्टरसे कम न हो, बजरिये वारण्टके यह अधिकार दे कि वह किसी जायदादको जिसके लिये दफा ३ की उप दफा ३ के अनुसार कुर्कीका हुक्म दिया गया है, जब्त करके अपने पास रख ले, अथवा किसी ऐसी जायदादको, जिसके लिये दफा ३ की उप दफा (५) के अनुसार जब्तीका हुक्म दिया गया है, जहां कहीं भी वह मिलें जब्त करके उठा ले जाय और उस जायदादके सम्बन्धमें किसी भी स्थानमें,—

(अ) जहा पर कि उस वारण्टमें बतलाया हुआ समाचार पत्र मुद्रित और प्रकाशित किया जाता है, या

(ब) जहा पर जायदाद हो या उसके होनेका काफी सन्देह हो, या

(स) जहा पर ऐसे समाचार पत्रकी कोई भी प्रति बिक्रीके लिये, बांटनेके लिये, प्रकाशित किये जानेके लिये, अथवा सर्व-साधारणको दिखलानेके लिये रखी हो या उसके इस प्रकार रखे जानेका सन्देह हो।

२ उप दफा (१) के अनुसार जारी किया गया हर एक वारण्ट, जहां तक कि उसका सम्बन्ध तलाशीसे है, उस तरह पर तामील किया जायगा जैसा सग्रह जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० में तलाशीके वारण्टोंकी तामीलीके लिये बतलाया गया है।

दफा ५ अपील

उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी शख्स, जिसने हाजिर होकर उस नियमबद्ध हुक्मके खिलाफ वजह जाहिर की है,उस तारीखसे, जिसको कि वह हुक्म कतई करार दिया गया है, पन्द्रह दिनके भीतर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

दफा ६ दूसरी कार्रवाईका न हो सकना

सिवाय इसके जैसाकि दफा ५ में बतलाया गया है, किसी भी ऐसे हुक्मके ऊपर, जो किसी मजिस्ट्रेटने दफा ३ के अनुसार दिया है, किसी भी अदालतमें कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

दफा ७ प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन १८६७ ई० के अनुसार दाखिल किये गये डेक्लेरेशनके रद करनेका अधिकार

जब किसी समाचार पत्रके सम्बन्धमें जब्तीका हुक्म कतई करार दे दिया गया हो, तो स्थानीय सरकारको अधिकार है कि वह, स्थानीय सरकारी गजटमें

विज्ञप्ति निकालकर, किसी भी डेक्लेरेशनको, जो ऐसे समाचार पत्रके मुद्रक अथवा प्रकाशकने प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक् सन् १८६७ ई०के अनुसार दाखिल किया हो, रद्द कर दे, और उसे यह भी अधिकार है कि वह ऐसी विज्ञप्तिके द्वारा उक्त ऐक्के अनुसार उक्त समाचार-पत्रके सम्बन्धमें अथवा किसी अन्य समाचार पत्रके सम्बन्धमें, जो वही आशय रखता है जो उक्त समाचार पत्र रखता है भविष्य तक और डेक्लेरेशन दाखिल करनेकी मुमानियत करदे, जब तक कि यह मुमानियतका हुक्म उठा न लिया जाय।

दफा ८ दण्ड

जो कोई भी शख्स किसी ऐसे समाचार-पत्रको, जिसके लिये दफा ७ के अनुसार निकाली गई विज्ञप्तिमें मुमानियत कर दी गई है, इस मुमानियतके हुक्मके दौरानमें मुद्रित अथवा प्रकाशित करेगा, वह अपराधी सिद्ध होने पर उस दण्डके पानेका भागी होगा जो प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक् सन् १८६७ ई० की दफा १५ में बतलाया गया है।

दफा ९ ज़ाबता फौजदारीका प्रयोग

इस ऐक्टके अनुसार की जानेवाली सारी कार्रवाई, जहां तक सम्भव होगा सग्रह जाबता फौजदारी सन् १८९८ई० के अनुसार की जायगी।

दफा १० दूसरे कानूनोंका अमलमें लाया जाना

इस ऐक्टके अनुसार किसी शख्सके ऊपर कार्रवाई किये जानेसे वह शख्स उन बातोंके सम्बन्धमें की जानेवाली कार्रवाइसे मुक्त न होगा जो दूसरे कानूनके अनुसार अपराध है।

स्टेट आफेंसेज़ ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

[तारीख २० मई सन १८५७ ई० को पास हुआ]

राज्यके प्रति किये गए अपराधोंको रोकने, उनकी सुनवाई करने और उनके लिये दण्ड देने सम्बन्धी कानून

चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्यके प्रति किए गए अपराधों को रोकने, उनकी सुनाई करने और उनके लिए दण्ड देनेके सम्बन्धमें समुचित व्यवस्था की जाय, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है —

दफा १

[राजद्रोह अथवा सरकारके विरुद्ध युद्ध करने के लिये दण्ड] ऐक्ट नं० १७ सन् १८६२ ई० द्वारा मसूख किया गया।

दफा २

[अपराधियोंको शरण देने अथवा छिपानेके लिये दण्ड] ऐक्ट नं० १७ सन् १८६२ ई० द्वारा मसूख किया गया।

दफा ३ किसी घोषित रकबेमें किये गए अपराधोंके दोषी बतलाये हुए लोगोंके मामलेकी जांच करनेके लिये, कार्यकारिणी समिति (सरकार) को कमीशन जारी करने का अधिकार

क्लाज १—जब कभी किसी प्रेजीडेंसी या स्थानकी कार्यकारिणी सरकार (Executive Government) इस बातकी घोषणा करेगी कि कोई जिला, जो उसकी सरकारके अधीन है, राजविद्रोही है या हो गया है तो ऐसी सरकारके लिये यह बिलकुल न्यायानुकूल (कानूनी) होगा कि वह उन लोगोंके मामलेकी, जिनके ऊपर उस जिलेके भीतर राजद्रोह या हत्या, अग्निदाह, डाकाजनी, अथवा जान या मालके विरुद्ध कोई दूसरा भयंकर अपराध करनेका अभियोग लगाया गया है उस दिनके बाद, जिसका वर्णन कमीशनमें किया जायगा, जांच करने के लिये कमीशन जारी करे।

क्लॉज २—जिलेके किसी भी हिस्सेमें अदालतकी बैठक हो सकती है—

कमिश्नर या कमिश्नरोंको, जिनको किसी ऐसे कमीशनके अनुसार अधिकार दिया गया हो, अधिकार होगा कि वे उस कमीशनमें बतलाये हुये उक्त जिलेके किसी भी हिस्सेमें अपना इजलास कर सकें, और वहां पर किसी शख्स के मामलेकी, उक्त अपराधोंमें से जो उसके किसी भी हिस्सेमें किये गये हैं किसी भी अपराधके सम्बन्धमें जाच कर सकें, किन्तु इस ऐक्टका यह मंशा है कि कमीशनमें बतलाया हुआ जिला उक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें मामला चलाये जाने और दण्ड दिये जानेके अभिप्रायसे एक जिला समझा जाय।

दफा ४ सरकार अदालतोंको कुछ अधिकार देसकती है

प्रान्तीय कार्यकारिणी सरकार (Executive Government) के लिये यह बात बिल्कुल ही न्यायानुकूल होगी कि वह ऐसे कमीशनके द्वारा यह हुक्म दे देवे कि कमीशनके अनुसार बैठी हुई किसी अदालतको अधिकार होगा कि वह, बिना- + + + + असेसरोंकी मददके, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें, जो उपरोक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें उस अदालत के सामने दोषी पाया गया हो कोई भी ऐसी सजा का हुक्म दे देवे जो कानूनन ऐसे अपराधोंके लिये दी जानी चाहिये, और यह कि ऐसी अदालतका फैसला कतई और आखिरी होगा और यह कि उक्त अदालत सदर अदालतकी मातहत होगी।

दफा ५ इस ऐक्टके अनुसार बैठी हुई अदालतके सामने माजिस्ट्रेट, आदमियोंको उनके मामलेकी जाच करनेके लिये पेश कर सकता है

अगर इस ऐक्टके अनुसार कोई कमीशन जारी किया जाय तो उस जिले का, जो उस कमीशनमें बतलाया गया है कोई भी मजिस्ट्रेट उन लोगोंको, जिन पर उस ज़िलेमें उपरोक्त किसी भी अपराधके करने का अभियोग लगाया गया है उनके मामलेकी जाच किये जानेके लिए उस अदालतके सामने पेश कर सकता है जो इस ऐक्टके अनुसार बैठी हो।

दफा ६ यह ऐक्ट इंगलैण्डमें पैदा हुई ब्रिटिश-प्रजाके और उनके लडकोंके सम्बन्धमें लागू न होगा

इस ऐक्टका कोई भी नियम श्रीमान् सम्राट की उस प्रजा पर मामला चलाए जाने अथवा उनको दण्ड (सजा) देनेके सम्बन्धमें लागू न होगा जो यूरोपमें पैदा हुए हों और न उनके लडकों पर ही।

दफा ७ से १० तक

(हथियारोंका पासमें होना इत्यादि) ऐक्ट नं० १२ सन् १८७६ ई० के द्वारा मंसूख़ कीगयी।

दफा ११

इस ऐक्टमें आए हुए 'मजिस्ट्रेट" शब्दमें कोई भी शख्स शामिल है जिसे + + + + कार्य कारिणी सरकार (Execut Govrnment) ने इस ऐक्टके अनुसार किसी मजिस्ट्रेटको दिए गए अधिक के वर्तनेका अधिकार दिया हो।

सूचना

इस भागमें जहां पेजोंके देखनेका हवाला दिया गया है उससे हिन्दीमें छपे जाबता दीवानीके पेजोंके देखनेका तात्पर्य समझना चाहिये।

भाग ३

प्लीडिंगस्, अर्जियों और दस्तावेजों आदिके नमूने

प्लीडिङ्गसके लिये देखिये पेज ९

अर्जीदावा और बयान तहरीरी

---

(१) आम अर्जीदावा

अर्जीदावा नीचे लिखे अनुसार लिखा जाना चाहिए और उसमें नीचे लिखी बातें लिखनी चाहिए —

कागज के सिर्फ एक ही ओर और करीब २ इंच का हाशिया कागज के बाएं ओर छोड़ कर (अंगरेजी व हिन्दी में) लिखना चाहिए। उर्दू के लिए इसी तरह पर दाहिने ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। ऊपर नीचे करीब एक एक इंच जगह छोड़ देनी चाहिए।

(क) [नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर कीगई हो]

जैसे—ब अदालत श्रीमान् (जनाब) सब-जज साहब बहादुर, कानपुर।

[मुकद्दमे का रजिस्टर में लिखे जाने वाले नम्बर और सन् के लिए जगह छोड़ दी जानी चाहिए]

जैसे—नकद रुपये की नालिश नं० १३२५ सन् १९२७ ई०

(ख) [मुद्दई का नाम उमर वल्दियत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—सालिगराम उमर अन्दाजन ४० साल वल्द सीताराम कौम ब्राह्मण पेशा जमीन्दारी व महाजनी। साकिन मौजा बैकुण्ठपुर परगना व थाना यमपुर जिला शान्तिपुर।

बनाम

(ग) [मुद्दाअलेह का नाम उमर वल्दियत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—चूड़ामनि उमर अन्दाजन ४०साल वल्द धुरई कौम चमार पेशा काश्तकारी साकिन मौजा हसनापुर थाना चौबेपुर जिला कानपुर।

(घ) [जब मुद्दई या मुद्दाअलेह नाबालिग या पागल हो तो यहां पर वे सब बातें लिख दी जानी चाहिए]

(ङ) [नालिश की तफसील और दावा की मालियत]

जैसे—दावा बाबत दिलापाने मुबलिग ८५०) रुपया जो नक़द कर्ज दिए गए थे।

(च) [वे बातें जिनसे कि बिनाय मुखासमत दावा पैदा होती है और यह कि वह कब पैदा हुई]

नोट—ऊपर बतलाए अनुसार फरीकैन मुकद्दमाका नाम,उमर वल्दियत, सकूनत और पेशा इत्यादि लिख चुकने के बाद मुकद्दमे की दूसरी बातें शुरू करना चाहिए। जिन बातों के आधार पर मुद्दई अपना दावा पेश करता है, वह शहादत नहीं जो कि वह अपने दावा की ताईद में पेश करना चाहता है। वे सब बातें सलेस में अलग अलग पैरा डाल कर लिखना चाहिए उनपर सिलसिले का नम्बर डाला जाना चाहिए और तारीख, रुपये की संख्या (तादाद) और नम्बर सब अक्षरों (हिन्दुसों) में लिखा जाना चाहिए।

जैसे—उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखेअनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि तारीख़ ३० जून सन् १९२७ ई० को मुद्दई ने मुद्दाअलेह को मुबलिग ५०) रु० २४) सैकड़ा सालाना ब्याज की दर पर कर्ज दिए, जिनको मुद्दाअलेह ने तारीख़ २९ जून सन १९२८ ई० को या उससे पहिले अदा कर देने का वादा किया था। मुद्दाअलेह ने इस रकम की निस्बत एक बाकायदा तमस्सुक मुद्दई के हक में लिख दिया था और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी करा दी थी। वह तमस्सुक इस अर्जीदावा के साथ नत्थी है।

२ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई को मुबलिग ७५) रु० बाबत ब्याज के तारीख २१ नवम्बर सन १९२७ को अदा किए जिसकी वसूली मुद्दाअलेह ने स्वयं उस तमस्सुक की पीठ पर लिख दी।

३ इस रुपया को वसूल देनेके बाद भी मुबलिग) रु० की रकम मुद्दई को मुद्दाअलेह से अब भी मिलना बाकी है, लेकिन मुद्दाअलेह ने यह रकम अभी तक अदा नहीं की, यद्यपि बार बार उससे इसके लिए कहा गया।

(छ) [वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत को इस मामले की समाअत करने का अधिकार है]

४ मुद्दई की इस नालिश के दायर करने की बिनाय मुखासमत तारीख २९ जून सन १९२८ ई० को मौजा हसनापुर में पैदा हुई जो मौजा कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र (अख्त्यार समाअत) में है।

(ज) [यह दादरसी जिसके लिए मुद्दई दावेदार है]

५ मुद्दई का दावा है—

(१) कि मुद्दाअलेह के ऊपर) रु० की डिकरी मय ब्याज व असल, रुपये के उस ब्याज की दर पर, जो अदालत उचित समझे इस नालिश की तारीख़ से डिकरी की तारीख तक और इस कुल रुपये पर, रुपया वसूल हो जाने की तारीख तक उस ब्याजकी दर पर, जो अदालत उचित समझे, दे दी जाय।

(२) यह कि मुद्दाअलेह को यह हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दई को इस मुक़द्दमे में होने वाला ख़र्चा और उसके वसूल होने तक ६) रु० सैकड़ा सालाना की दर से ब्याज (सूद) अदा करे।

(ज) [जब मुद्दई ने कुछ छूट दी हो या अपने दावा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया हो तो उस रकम की तादाद लिख देनी चाहिए]

(झ) [अख्त्यार समाअत और कोर्ट फ़ीस की रकम तय करने के लिए यहां पर दावा की मालियत लिख देनी चाहिए]

६ अख्त्यार समाअतके लिए इस नालिशके दावाकी मालियत) रु० है और इसी रकम पर कोर्ट फीस लगाया गया है।

(ज) [तसदीक़ और दस्तख़त]

देखो इस किताब का पेज १३।१४

नोट—अर्जीदावा के तय्यार करने के पहले देखो पेज ९ से ३६ तक।

आम जवाब दावा या बयान तहरीरी

उनवान (शीर्षक) मुक़द्दमा [देखो अर्जी दावा नं० १]

इन्कारा — मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि (यहां पर उन बातों का लिखना चाहिए जिनसे इन्कारी की जाती है)।

मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि (यहां पर वे बातें लिखनी चाहिए)।

मुद्दाअलेह इक़बाल करता है कि · ·· लेकिन उसका कहना है कि—

विरोध — मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त इकरारनामा या कोई इकरारनामा मुद्दई के साथ किया।

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के साथ अमुक इकरार (मुआहिदा) किया या किसी तरह का कोई भी मुआहिदा किया।

मुद्दाअलेह को वसूली जायदाद से इक़बाल है लेकिन वह मुद्दई के दावा को नहीं मानता।

मुद्दाअलेह इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के हाथ वह माल बेचा जिसका जिक्र अर्जीदावा में किया गया है या उसमें से कोई भी माल उसके हाथ बेचा है।

मियाद समाअत — भारतीय क़ानून मियाद सन १९०८ ई०के परिशिष्ट (२) की आर्टि० · से या आर्टि० · से इस नालिश की तमादी आरिज होती है।

अख्त्यार समाअत — अदालत को इस वजह से (यहां पर वजह लिखनी चाहिए) इस मुकद्दमे की समाअत करने का अख्त्यार नहीं है।

तारीख़ माह सन ई० को मुद्दाअलेह ने एक हीरे की अगूठी मुद्दई को दी और मुद्दई ने अपने दावा की बेबाकी में उसे स्वीकार कर लिया।

दीवाला — मुद्दाअलेह दीवालिया करार दे दिया गया है। मुद्दई इस नालिश दायर होने के पहिले दीवालिया करार दे दिया गया था और इसलिए नालिश करने का हक रिसीवर को था।

नाबालिग — उक्त मुआहिदा करते समय मुद्दाअलेह नाबालिग था।

अदालतमें अदा किया गया — मुद्दाअलेहने कुलदावाके बाबत (या मुबलिग ·)रुपया की बाबत, जोकि दावाका एक हिस्सा है या जैसी कुछ भी अवस्था हो)) रु० अदालतमें दाख़िल कर दिए हैं और उसका यह निवेदन है कि इस रुपयेसे मुद्दईके दावा की (या उसके उक्त अंशकी) बेबाकी हो जाती है।

तामीले मुआहिदासे दस्तबर्दारी — उक्त मुआहिदेकी तामील से तारीख़ — — को दस्तबर्दारी कीगई।

मुआहिदाकी मसखी मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच, हुए इकरारनामाके अनुसार मुआहिदा तारीख़   को मसूख़ किया गया।

प्राङ्न्याय Resjudiata   अमुक डिकरीके कारण मुद्दई का दावा दायर नहीं हो सकता (यहा पर हवाला देना चाहिए)।

रुकावट Estoppel   मुद्दई इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता (यहा पर वे बातें लिखना चाहिए जिनकी बिनापर रुकावट पेश कीगई है) क्योंकि (यहां पर वे बातें लिखनी चाहिये जिनके आधार पर रुकावट Estoppel का प्रश्न उठाया गया है)।

नालिश होने के बाद बचावमें पेश की जानेवाली बातें   चूंकि नालिश दायर होने के बाद से, अर्थात तारीख़   माह   सन्   ई० से (यहा पर उन बातोंको लिखना चाहिए जो बाद दायर होने नालिश के हुई)।

नोट—बयान तहरीरीका मसविदा तैयार करते समय आर्डर ६ के नियमों को हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। आर्डर ८ में बतलाये हुये नियमोंको ध्यान पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। बयान तहरीरीके लिये देखो पेज ६४

ज़ाबता दीवानीके ज़मीमा न० (ए) में हर प्रकारकी नालिशोंमें दाख़िल किये जाने वाले अर्ज़ीदावा और तहरीरी बयानोंके नमूने बतलाये गये हैं और आर्डर ६ रूल ४ में यह बतलाया गया है कि उन अवस्थाओंमें जहा पर उनका प्रयोग होता है और उन अवस्थाओंमें भी जहा पर कोई उपयुक्त कायदा नमूना न हो, जहां तक सम्भव होगा प्लीडिङ्गस के लिये इन्हीं नमूनों को काम में लाया जायगा।

---

२ नालिश बावत बकाया लगान

बअदालत जनाब मुन्सिफ साहब बहादुर बिसवा ज़िला सीतापुर मु० सीतापुर नालिश बावत लगान। नम्बरी १२७९ सन् १९२६ ई०

प० मनीराम उमर ४५ साल वल्द टीकाराम क़ौम ब्राह्मण पेशा जमींदारी साकिन मौजा खरैया थाना कमालपुर ज़िला सीतापुर   मुद्दई

बनाम

प० हरीनाथ उमर ६० साल वल्द मगलदत्त क़ौम ब्राह्मण पेशा काश्तकारी साकिन मौजा पतारा थाना कमालपुर ज़िला सीतापुर   मुद्दाअलेह

दावा दिलापाने मुबलिग   रु० बावत बकाया लगान।

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि मुद्दई मौजा पताराका जमीन्दार है जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद अख्त्यार समाअत) में वाक़े है और वह उस मौजाका दखीलकार क़ब्ज़ेदार है और असामियोंसे लगान वगैरा की तहसील वसूल करता है।

२ यह कि मुद्दाअलेह, मुद्दईकी · आराजी का, जो उक्त मौजेमें वाक़ है, ··· रु० सालाना लगान पर, जो हर साल चार बराबर किस्तोंमें वाजिबुल-अदा है जोतिया है। -

उक्त जोत की चौहद्दी परिशिष्ट (ब) मे बतलाई गई है जो इस अर्जीदावा के साथ नत्थी है।

३ यहकि मुद्दईको उक्त जमाकी जमाबन्दी पर कानूनके अनुसार··· आना फी रुपया के हिसाबसे अबवाब (महसूल) की तहसील करनेका अधिकार है।

४ यह कि उक्त जमाकी जमाबन्दी, अबवाबके हिसाबका नकशा अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) मे दिया गया है।

५ यह कि मुद्दाअलेहने अदा कर सकनेके काबिल होते हुए और बिना किसी मुनासिब वजहके होते हुये भी लगान और अबवाब की बकाया अदा नहीं की है जैसा कि परिशिष्ट (अ) मे बतलाया गया है, यद्यपि मुद्दईने उससे बार बार यह रुपया तलब किया।

६ यह कि ऊपर बतलाये कारणों से मुद्दई बकाया रुपये के अलावा उस बकायाका २५ फीसदी बतौर हर्जाके दिलापानेका हकदार है।

७ यह कि उसके दावा की बिनाय मुख़ासमत उक्त मौजा पतारा मे, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हृद अख्त्यार समाअत) मे है, हर साल की हर एक किस्त की मियाद गुजर जानेके बाद पैदा हुई है।

८ अख्त्यार समाअत तय करनेके लिए इस नालिशकी मालियत दावा ३७॥) रु० है और कोर्ट फीसके लिए भी यही मालियत है।

९ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेहके ऊपर · रु० की जिसमें अबवाब और हर्जानाकी रकम शामिल है, मय व्याज · रु० सैकडा सालाना रुपएकी वसूलयाबी हो जाने तक और मय खर्चा इस नालिशके डिकरी दीजाय।

परिशिष्ट (अ)

हिसाब

	लगान	अबवाब	वसूल	बकाया
सन् १३२८ फसली	८) रु०	।) आना	३) रु०	५।) रु०
सन् १३२९ "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
सन् १३३० "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
सन् १३३१ "	८) रु०	।) आना		८।) रु०
				३०) रु०
			हर्जा	७॥) रु०
			दावाकी रकम	३७॥) रु०

परिशिष्ट (व)

आराज़ीकी चौहद्दी और तफसील

[जबकि आराजी किसी ऐसे रकबेमें वाक़े हो जिसकी रेवट तैयार होगई हो और वह प्रकाशित होगई हो तो जोतका नम्बर, सिलसिला सर्वेके खेतोंकी फहरिस्त, वग़ैरा भी देना चाहिए]

मैं उक्त मनीराम मुद्दई सच सच यह तस्दीक इज़हार करता हूँ कि अर्जीदावाके पैरा १, २, ३, ४, ५ म लिखी हुई बातोंको मैं खुद जानता हूँ कि वे सही हैं और बाकी पैराग्राफोंमें लिखी हुई बातें मेरा इत्तला और यक़ीन के ऊपर लिखी गई हैं और मुझे उनकेभी सही होनेका यक़ीन है आज तारीख़ , माह सन् ई० को बवक्त बजे दिनके (अपने मकान) पर इस तस्दीक़के ऊपर दस्तख़त करता हूँ। दस्तख़त और तस्दीक़के लिए देखो पेज १३।१४

मनीराम
(दस्तख़त मुद्दई)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

बअदालत जनाब मुन्सिफ़ साहब बहादुर बिसवाँ ज़िला व मुक़ाम सीतापुर
(उनवान मुक़द्दमा)

नालिश बकाया लगान नं० १२७९ सन् १९२६ ई०

उपरोक्त नालिशमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार मार्थी है —

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने के लिये कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि फरीक़ैनके बीच ज़मींदार और असामीका कोई रिश्ता नहीं है, और यह कि वह इस बातसे इनकार करता है कि वह मुद्दईकी ६० जमा की जमीन जोते है या कभी जोते रहा है।

३ यह कि नालिश मय ख़र्चे के ख़ारिज होनी चाहिए और ख़र्चा दिलाया जाना चाहिए।

तस्दीक़ (देखो पेज १३।१४)

[दस्तख़त मुद्दाअलेह]

(या आवश्यकतानुसार नीचे लिखी बातें जवाबदावामें पेशकी जा सकती हैं।

१ यह कि अर्जीदावाके पैरा   मे बतलाई गई बातोंसे मुद्दाअलेह इन्कार करता है और मुद्दईसे उनका सुबूत तलब करता है और यहकि और तमाम दूसरी बातों की निस्बत जो कही गई हैं और जिनकी निस्बत इसके आगे खास तौर पर इन्कार नहीं कीगई है, यह समझना चाहिए कि वे इक़बाल नहीं कीगई हैं।

२ यह कि जो जोत उसके कब्जेमें है वह मुक़र्ररी जोत है और यह खतियान नं०   मे बतौर मुक़र्ररी जोतके दर्ज है और वह सरसरी रैयती जोत नहीं है जैसा कि अर्जीदावा में बतलाया गया है।

३ यह कि उसकी जोतका लगान जमाबन्दी मे   ... रु० है, जैसा कि ऊपर बतलाए हुए खतियानमे दर्ज है,   रु० नहीं जैसा कि अर्जीदावाम बतलाया गया है।

४ यह कि मुद्दई अदम तामीलके ऊपर अवध रेण्ट ऐक्ट की दफा ...   के अनुसार बजरिये नालिश, लगान वसूल पानेका हक़दार नहीं है।

५ यह कि   उस जोतक शरीकदार, काश्तकार है और मुद्दाअलेहके साथ साथ वे लोग भी उस आराजी पर काबिज हैं और इसलिए बिना उनको फ़रीक़ मुक़द्दमा बनाए, नालिश काबिल समाअत नहीं है।

६ यह कि ..   रु० के लगानमे अबवावकी रक़म भी शामिल है और इसलिये अलगसे अबवाब अदा न होना चाहिए।

७ यह कि मुद्दाअलेह ऊपर बतलाई दर (शरह) पर लगान अदा करने के लिए हमेशा तैयार था और अब भी तैयार है, लेकिन मुद्दईके गुमाश्ता   ने उस समय तक लगान लेनेसे इन्कार कर दिया जब तक कि मुद्दाअलेह गैर क़ानूनी इजाफ़ा लगानके लिए राजी न हो जाय।

८ यह कि मुद्दाअलेह ने उक्त आराजीका लगान तारीख़   को .... के सामने पेश किया और उसे लगानके मनीआर्डरसे भी भेजा जो बिना किसी उचित कारणके वापस आया और यह कि ऐसी दशामे मुद्दई किसी हर्जा या मुक़द्दमेका खर्चा दिलापानेका हक़दार नहीं है।

---

३ नालिश बाबत तमस्सुक सादा

[अदालत और फरीक़ैन वग़ैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्जीदावा नं० १ की तरह पर ही लिखना चाहिए]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि तारीख़ १२ मार्च सन् १९१८ ई० को मुद्दईने २००) रु० मुद्दाअलेह को १८) रु० सैकड़ा सालाना ब्याजकी दर पर क़र्ज दिए मुद्दाअलेह ने बाक़ायदा तौर पर एक तमस्सुक मुद्दईके हक़म तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री भी होगई। उक्त तमस्सुक इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि सिवाय १०) रु० के जो तारीख़ ११ जनवरी सन् १९१८ ई० को ब्याजकी मदमें अदा किए गए थे, मुद्दाअलेह ने क़र्ज़े का रुपया अदा नहीं किया है।

३ यह कि उपरोक्त तमस्सुक की बाबत   ) रु०, बाद मिनहाई इस ऊपर बतलाई रकमके जो ब्याज की निस्बत अदा कीगई है, मुद्दईको मुद्दा-अलेह से अब भी वाजिबुल वसूल है जिसका हिसाब नीचे दिया जाता है, और यह कि बार-बार तलब किए जाने पर भी मुद्दाअलेहने यह बाकी का रुपया अदा नहीं किया है।

४ मुद्दईकी इस नालिशकी बिनाय मुखासमत तारीख १ मार्च सन् १९१५ ई० को मुकाम   में, जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्र (हद अख्त्यार समाअत) मे है, मुद्दाअलेहके उक्त तमस्सुककी बाबत वाजिब रुपए के अदा न कर सकने पर पैदा हुई।

५ इस नालिशकी मालियत दावा, अधिकार क्षेत्र (अख्त्यार समाअत) के अन्दर   रु० है और कोर्ट फीस भी इसी रकम पर लगाया गया है।

६ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) कि मुद्दाअलेहके ऊपर   रु० की मय ब्याज बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना, नालिश होनेकी तारीखसे रुपया वसूल होजाने की तारीख तक, डिकरी दीजाय। और

(ब) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर इस नालिशके खर्चें की डिकरी दी जाय, और

(स) दूसरी ऐसी दादरसी दिलाई जाय जिसे अदालत मुनासिब समझे।

हिसाब—

(तस्दीक और दस्तखत अर्जीदावा नं० १ में बतलाए अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

अदालत और फरीकैन वगैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्जीदावा नं० १ की तरह पर दिया जाना चाहिए।

मुद्दाअलेह ऊपर बतलाई हुई नालिशके सम्बन्धमें नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि मुद्दई ने जो हिसाब बतलाया है वह सही सही नहीं है और उसने उस रकमके अलावा जिसका अदा किया जाना अर्जीदावामें स्वीकार किया गया है नीचे लिखी रकम जो अदा की है मुजरा नहीं दी है (यहां पर अदा किये गये रुपएकी तादाद और उसकी अदायगीकी तारीख लिखो)

३ यह कि मुद्दाअलेह ... रु० की रकम, बाबत कीमत उस मालके जो ... दिया गया और मुद्दईके हवाले किया गया है, मुजरा पानेका हक़दार है (यहां पर ... वे सब बातें लिखनी चाहिये)

४ यह कि कुल रुपयेकी बाबत (या ... रुपएकी बावत, जो कि दावाकी रकमका एक हिस्सा है) मुद्दाअलेहने नालिश दायर होनेके पहिले ... रु० अदा करने के लिए पेश किये थे और उसने वह रकम अदालतमें दाखिल करदी है।

या

५ यह कि मुद्दाअलेहने कोई भी रुपया बाबत ब्याजके अदा नही किया और न उसकी बेबाकी तमस्सुककी पीठ पर लिखवाई जैसा कि अर्जीदावामे बतलाया गया है और कानून मियादके आर्टि० ... के अनुसार इस नालिशकी तमादी आरिज होगई है।

या

६ यह कि मुद्दाअलेहको इस बातसे इन्कार है कि उसने ... रु० की रकम कर्ज ली और उसके लिये तमस्सुक लिखा जैसा कि बतलाया जाता है ।

७ यह कि मुद्दाअलेहका विश्वास है कि मुद्दईने ... के भड़काने पर, जिससे मुद्दाअलेहकी अदावत है (यहा पर अदावत पैदा होनेका कारण इत्यादि लिखना चाहिये) एक जाली तमस्सुकके ऊपर यह नालिशकी है।

८ यह कि नालिश मयखर्चेके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

(तस्दीक और दस्तखत)

[देखो पेज १३।१४]

---

४ नालिश बाबत रुक्का (प्रोनोट)

[अदालत और फरीकैन मुकद्दमाका हवाला अर्जीदावा न० १ मे बतलाये अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है.—

१ यह कि मुद्दाअलेहने तारीख १ जनवरी सन् १९२७ ई० को एक रुक्का बाबत २५०) रु० के मुद्दईके हक़में लिख दिया और रुपयेके वसूल न हो जाने तक असल रुपये पर १२) रु० सैकड़ा सालानाके हिसाबसे ब्याज देनेका इकरार किया। मुद्दाअलेहने यह भी इकरार किया कि यह तलब किये जाने पर कुल असलका रुपया मय ब्याजके अदा कर देगा। रुक्का इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि ... रु० की रकम, जो इस अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) मे बतलाई गई है, मुद्दई को मुद्दाअलेहसे वाजिबुल वसूल है।

३ यह कि रुपया अदा कर सकनेकी सामर्थ्य रखते हुये भी मुद्दाअलेहने जो रुपया उसे वजिबुल अदा है अदा नहीं किया, यद्यपि मुद्दईने इसके लिए बार बार तकाजा किया।

४ इस नालिशकी विनाय मुद्दासमत तारीख   (जिस तारीखको रुक्का लिखा गया था) और उसके बादकी तारीखोंको, जिस समयकि मुद्दाअलेह रुपया अदा करनेसे इन्कार कर दिया, बमुकाम   जो कि इस अदालतके अधिकारक्षेत्र (हद अख्तियार समाअत) में है, पैदा हुई।

५ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेह के ऊपर   रु० की मय सूद (व्याज) बशरह   रु० सैकड़ा सालाना, नालिशकी तारीखसे लेकर रुपया वसूल होजानेकी तारीख तक, और मय खर्चाके डिकरी दी जाय।

परिशिष्ट (अ)   (तस्दीक अर्जीदावा नं० १ में बतलाये अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[अदालत वगैराका हवाला अर्जीदावा नं० १ में बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाये मुकद्दमेंमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक नहीं है।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुक्का, जिसकी निस्बत नालिश है, नहीं लिखा है जैसा कि मुद्दईने बयान किया है।

३ यह कि यह नालिश उस वैमनस्यके कारण दायर कीगई है जो फरीकैन के बीचमें है।

४ यह कि मुद्दईने यह नालिश सिर्फ मुद्दाअलेहको परेशान करनेके इरादेसे दायरकी है।

५ यह कि नालिश मय खर्चेके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

(देखो पेज १३।१४)

---

५ नालिश बाबत उस मालके जो बेंचा और हवाले किया गया

[अदालत और फरीकैन वगैराका हवाला नं० १ में बतलाये अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि तारीख ५ फरवरी सन् १९१८ ई० को   ने इस अर्जी दावाके साथ नत्थी परिशिष्ट में बतलाया हुआ माल मुद्दाअलेहके हाथ बेचकर उसके हवाले किया।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वादा किया था कि वह माल हवाले कर दिये जाने पर ______ रु० बाबत कीमत उस मालके अदा कर देगा।

३ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुपया अदा नहीं किया जो उसके और · · के बीच तय हुआ था, यद्यपि · · ने इसके लिये बार बार तक़ाज़ा किया।

४ की तारीख़ सन् १९१४ ई० को मृत्यु होगई । अपनी आख़िरी वसीयतके जरिये उसने अपने भाई, अर्थात् मुदईको अपना साधक (तामील कुनिन्दा वसी) नियत किया ।

५ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत तारीख़ ··· · को (माल हवाले किये जाने पर मुद्दाअलेहके उस मालकी क़ीमत अदा न कर सकने पर) मुक़ाम · मे, जो इस अदालतके अधिकार क्षेत्र (हद अख़ियार समाअत) के भीतर है, पैदा हुई ।

६ अख़्तियार समाअत और कोर्ट फ़ीसके लिये इस नालिशके दावाकी मालियत·· ·· · रु० लगाई गई है।

७ मुदई··· ··रु० की डिकरी मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना नालिशकी तारीख़से रुपया वसूल होनेकी तारीख़तक और मय ख़र्चा इस नालिश के दिलापानेके लिये दावेदार है ।

परिशिष्ट

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
(देखो पेज १३।१४)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[शीर्षक न० १ मे बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाए हुए मुक़द्दमेमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ मुदईको, मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ मुद्दाअलेहने उस मालके लिए कोई आर्डर नहीं दिया था जो अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी परिशिष्ट में बतलाया गया है।

३ माल मुद्दाअलेहको हवाले नहीं किया गया।

४ उस मालकी क़ीमत · · रु० नहीं थी, जैसा कि अर्ज़ीदावा मे बतलाया गया है ।

५ मुदईकी ओरसे दायर कीगई यह नालिश इस मौजूदा शक्लमें क़ाबिल समाअत नहीं है, क्योंकि वह का साधक (तामील कुनिन्दा) नहीं है।

६ नालिश मय खर्चे के खारिज की जानी चाहिए और मुझ मुद्दाअलेहका खर्चा दिला दिया जाना चाहिए ।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
(देखो पेज १३।१४)

६ नालिश बाबत इस्तेमाल और कब्जा

[अदालत, फरीक़ैन वगैरा का हवाला अर्जीदावा न० १ मे बतलाए अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई के मकान पर, जो कि इस अर्जीदावा के साथ नत्थी परिशिष्ट मे बतलाया गया है, तारीख माह सन् १९२७ ई० तक कब्जा व दखल रक्खा, और उक्त मकान का इस्तेमाल करने की बाबत अदा की जाने वाली रकम की निस्बत कोई इकरारनामा नही किया गया था।

२ यह कि उक्त मकान के उक्त मियाद तक इस्तेमाल मे रखे जाने का उचित दाम ५००) रु० हुआ।

३ मुद्दाअलेहने यह रुपया अदा नही किया है, यद्यपि मुद्दईने इसकी निस्बत बार बार तकाजा किया।

४ यह कि इस नालिश की विनाय मुखासमत, मुद्दाअलेह के उस रुपये के अदा न करने पर जो उससे तलब किया गया था, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकाम मे तारीख माह सन् १९२७ ई० को पैदा हुई।

५ (जैसा कि अर्जीदावा न० १ मे बतलाया गया है)

५ मुद्दई ५००) रु० की डिक्री के लिए मय सूद बशरह रु० सैकड़ा सालाना, नालिश की तारीख से रुपया वसूल होने की तारीख तक, मय खर्चा इस नालिश के दावेदार है।

परिशिष्ट

[तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त नालिश मे दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दाअलेह ने उस मकान को उस मुद्दत तक कब्जे मे नही रखा जो अर्जीदावा मे बतलाई गई है।

२ यह कि ५००) रु० की रकम जो मुद्दई बाबत इस्तेमाल उस मकान के तलब करता है उचित किराया नहीं है।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने तारीख़ को १००) रु० की रकम बाबत इस्तेमाल के उस मकान के अदा किया और वह समझता है कि ऐसी दशा में यह रकम मुनासिब रकम है।

४ यह कि मुद्दई को इस नालिश के दायर करने का कोई कारण व हक़ नहीं है और यह कि इसलिए यह नालिश मय ख़र्चे के खारिज की जाय व ख़र्चा मुद्दाअलेह दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]
देखो पेज १३।१४

---

७ नालिश बाबत तोड़े जाने साझेदारी के

(फरीकैन वगैरा के हवाले के सम्बन्ध में देखो न० १ अर्जीदावा)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह, गत ग्यारह वर्षों से, एक रजिस्ट्री शुदा इक़रारनामा के अनुसार, जो कि तारीख़ माह सन् ई० को लिखा गया था और जिसकी रजिस्ट्री ता० को हुई थी पुस्तक विक्रेता (बुकसेलर) और प्रकाशक (पबलिशर) का काम साथ साथ करते आए हैं।

२ मुद्दई और मुद्दाअलेह के बीच बहैसियत साझीदारों के बहुत से झगड़े और मत भेद उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण यह असम्भव हो गया है कि वे साझेदारी में अब उस काम को कर सकें और उससे एक दूसरे को फायदा पहुँच सके।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने इस साझेदारी के कारबार में होने वाले मुनाफा का अनुचित व्यय (तसर्रुफ बेजा) करके और हिसाब में जालसाज़ी करके उन शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया है जो उक्त इक़रारनामा में बतलाई गई हैं।

४ यह कि इस नालिश के लिए विनाय मुख़ासमत दावा व मुक़ाम में (जिस स्थान पर कि साझीदार लोग अपना कार-बार करते हैं) तारीख़ को (जिस दिन कि मुद्दाअलेह ने पहिले पहल इक़रारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया था) और दूसरी तारीख़ों को पैदा हुयी।

५ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि साझेदारी का कार-बार तोड़ देने के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय।

(ब) यह कि मुद्दाअलेह से हिसाब तलब किया जाय और जो कुछ रकम मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब निकले उसके सम्बन्ध में उसके ऊपर इस नालिश के खर्च के सहित डिकरी दी जाय।

(ख) यह कि दौरान मुकद्दमा में, इस साझेदारी के कार बार का उचित प्रबन्ध करने और उक्त कार बार की बाबत मिलने वाले रुपये को वसुल करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेंमे दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ यह कि अदालत को इस नालिश की समाअत (सुनाई) करने का अधिकार नहीं है क्योंकि साझेदारी की सम्पत्ति की मौजूदा मालियत उस मालियत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में समाअत करने का अधिकार इस अदालत को है।

२ यह कि अर्जीदावा के पैरा २ में लिखी हुई बात बिल्कुल झूठी है। मुद्दाअलेह ने साझेदारी के इकरारनामा में लिखी हुई किसी बात का उल्लंघन नहीं किया है और न उसने कोई जाली हिसाब तैयार किया है।

३ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के पैरा २ में लिखी हुई बातों के सही होने से साफ इन्कार करता है और यह निवेदन करता है कि फर्म (दूकान) को मिलने वाले रुपये की तहसील वसूल मुद्दई करता था और वही कार बार का हिसाब किताब रखता था और यह कि इसलिए मुद्दई इस बात के लिए बाध्य है कि वह सही हिसाब किताब बनाकर मुद्दाअलेह के सामने पेश करे।

४ यह कि मुद्दई की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां (फेल बेजा) के कारण मुद्दाअलेह ने उससे सही हिसाब किताब तैयार करके देने के लिए प्रार्थना की लेकिन मुद्दई ने कुछ धूर्त आदमियों के सलाह पर हिसाब दाखिल करने से साफ इन्कार कर दी और उसने बिल्कुल झूठी बातों के आधार पर यह झूठी नालिश दायर की है।

५ यह कि मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक नहीं है।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

८ नालिश बावत हक असायश वास्ते निकलने रास्ता और हुक्म इम्तनाई

[अदालत और फरीकैन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा न० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ मुद्दई एक मकान वाके · जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर काबिज था।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत · ·· पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहा से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक था। ' रास्ते का मौका जो मकान से खेत ·· पर होकर गया है, और अन्त में आम' · ' सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नकशे में दिखलाया गया है।

३ मुद्दई ने · रास्ते को खुले तौर पर, शांति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक टोक के और बतौर हक के करीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक आसायश पैदा हो गया है।

४ तारीख ·· · माह सन् १९ - · ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार टट्टी लगाकर, बन्द कर दिया ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बराबर बन्द किए है।

५ इस नालिश की बिनाय मुखासमत तारीख · · माह · · सन् १९ · ई० को बमुकाम जो इसअदालत के अधिकार क्षेत्रमें है, पैदा हुई।

६ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें ·· रास्ते से होकर मुद्दई के निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा करदी जाय।

(ब) यह कि इस मुकद्दमेके खर्चेके सम्बन्धमे मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय।

(स) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर हमेशा के लिए यह हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि वह उस रास्तेके सम्बन्धमें, जिसकी निस्बत, नालिश दायर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नकशा)

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १२१४

उपरोक्त मुकद्दमें में जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि]

जैसा अर्जीदावा नं० १ में है।

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई हक व कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के दूसरे और तीसरे पैरों में बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिश दायर कीगई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि मुद्दई ने बतलाया है।

३ मुद्दई ने अपना यह मौजूदा मकान सिर्फ तेरह साल हुए जब खरीदा था और इसके बाद से वह उसमें रहता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल की निस्बत नालिश कीगई है वह बीस साल से ऊपर नहीं हो सकता।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमाल को मुद्दाअलेहने दो साल हुए तेरह महीने के लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ मुद्दई के खुशामद बरामद करने पर मुद्दाअलेह ने केवल थोड़े समय के लिए उस रास्ते का इस्तमाल करने के लिये मुद्दई को इजाजत दे दी थी।

५ यह कि ऐसी दशा में मुद्दई को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में जिसके लिए नालिशहै, हक असायश पैदा नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुक्म इम्तनाई जारी करवाने का हक नहीं है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है।

६ यह कि जो नकशा अर्जीदावाके साथ दाखिल किया गया है उसमें बहुत सी बातें गलत हैं और उसमें उसके इर्द गिर्द के स्थानोंका मौका ठीक नहीं दिखलाया गया है। मुद्दाअलेह इस जवाब दावा के साथ एक नकशा दाखिल करता है जिसमें इर्द गिर्द के स्थानोंका, उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिशहै, मौका ठीक २ दिखलाया गया है।

७ यह कि मुद्दई ने यह झूठी नालिश मुद्दाअलेह को परेशान करने के लिये दायर की है, क्योंकि उनके (फरीकैन के) बीच आपस में कुछ झगड़ा है।

८ चूंकि मुद्दई ने रास्ता मुतनाजा का इस्तेमाल इस नालिशके दायर किये जाने के पहिले बीस साल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिश की तमादी खारिज होगई है।

९ यहकि नालिश मय खर्चके खारिज होनी चाहिये और खर्चा दिला दिया जाना चाहिये।

नकशा [तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३। १४

---

८ नालिश बाबत हक़ असायश वास्ते निकलने रास्ता और हुक्म इम्तनाई

[अदालत और फ़रीकैन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा न० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ मुद्दई एक मकान वाक़ै ... जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर क़ाबिज था।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत ... पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहां से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक़ था।... रास्ते का मौक़ा जो मकान से खेत ... पर होकर गया है, और अन्त में आम ... सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नकशे में दिखलाया गया है।

३ मुद्दई ने ... रास्ते को खुले तौर पर, शांति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक टोक के और बतौर हक़ के क़रीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक़ आसायश पैदा हो गया है।

४ तारीख ... माह ... सन् १९ ... ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार टट्टी लगाकर, बन्द कर दिया, ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बराबर बन्द किए है।

५ इस नालिश की बिनाय मुख़ासमत तारीख़ ... माह ... सन् १९ ... ई० को बमुकाम ... जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है, पैदा हुई।

६ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि-मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें ... रास्ते से होकर मुद्दई के निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा करदी जाय।

(ब) यह कि इस मुकद्दमेके खर्चेके सम्बन्धमें मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय।

(स) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर हमेशा के लिए यह हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि-वह उस रास्तेके सम्बन्धमें, जिसकी निस्बत, नालिश दायर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नकशा),

(तस्दीक़ और दस्तख़त)

देखो पेज ४८६४

उपरोक्त मुक़द्दमें में जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि]

जैसा अर्जीदावा नं० १ में है।

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है :—

१ मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई हक़ या कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के दूसरे और तीसरे पैरों में बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिश दायर कीगई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि मुद्दई ने बतलाया है।

३ मुद्दई ने अपना यह मौजूदा मकान सिर्फ तेरह साल हुए जब खरीदा था और इसके बाद से वह उसमें रहता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल की निस्बत नालिश कीगई है वह बास साल से ऊपर नहीं हो सकता।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमाल को मुद्दाअलेहने दो साल हुए तेरह महीने के लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ मुद्दई के खुशामद बरामद करने पर मुद्दाअलेह ने केवल थोड़े समय के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिये मुद्दई को इजाज़त दे दी थी।

५ यह कि ऐसी दशा में मुद्दई को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में जिसके लिए नालिश है, हक़ असायश पैदा नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुक्म इम्तनाई जारी करवाने का हक़ नहीं है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है।

६ यह कि जो नक़्शा अर्जीदावाके साथ दाखिल किया गया है उसमें बहुत सी बातें गलत हैं और उसमें उसके इर्द गिर्द के स्थानोंका मौका ठीक नहीं दिखलाया गया है। मुद्दाअलेह इस जवाब दावा के साथ एक नक़्शा दाखिल करता है जिसमें इर्द गिर्द के स्थानोंका, उस रास्ते का, जिसकी निस्बत नालिश है, मौका ठीक २ दिखलाया गया है।

७ यह कि मुद्दई ने यह झूठी नालिश मुद्दाअलेह को परेशान करने के लिये दायर की है, क्योंकि उनके (फरीकैन के) बीच आपस में कुछ झगड़ा है।

८ चूंकि मुद्दई ने रास्ता मुतनाज़ा का इस्तेमाल इस नालिशके दायर किये जाने के पहिले बीस साल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिश की तमादी नाजिर हो गई है।

९ यह कि नालिश मय खर्चे के खारिज होनी चाहिये और खर्चा दिला दिया जाना चाहिये।

नक़्शा [तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १६ । १७

६ अदावतन् मुक़द्दमा चलाए जानेकी वावत नालिश

[फ़रीक़ैन वगैरा का हवाला अर्जीदावा नं० १ मे देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ तारीख़ ·· माह सन् ई० को मुद्दाअलेह नें खयानत मुजरिमाना के झूठे अभियोग के ऊपर मुद्दई की गिरफ्तारी के लिए एक वारण्ट गिरफ्तारी · डिपुटी मजिस्ट्रेट की अदालत से दाखिल किया और इसके परिणाम स्वरूप मुद्दई गिरफ्तार किया गया और दो दिन कैद मे रखा गया और अपनी रिहाई के लिये उसने · रु० की जमानत दाखिल की।

२ यह कारवाई मुद्दाअलेह ने अदावतन् और विना किसी उचित अथवा सम्भव कारण के की।

३ तारीख माह सन् · · ई० को उपरोक्त डिपुटी मजिस्ट्रेटने मुद्दाअलेह का इस्तगासा खारिज कर दिया और मुद्दई को बरी कर दिया। उक्त फौजदारी अदालतके फ़ैसले की तस्दीक़शुदः नकल इसके साथ दाखिलकी जाती है।

४ उक्त गिरफ्तारी के कारण मुद्दई को, जनताकी निगाहोंसे गिर जानेके अतिरिक्त, बहुत कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पडा और वह अपना कार बार भी नहीं कर सका, और उसकी साख को भी बहुत कुछ धक्का पहुचा और उसे उक्त कैद से रिहाई पाने और उक्त इस्तग़ासे के ख़िलाफ़ पैरवी करने मे खर्चा उठाना पड़ा।

५ यह कि इस नालिश के लिये विनाय मुख़ासमत तारीख़ · को मुक़ाम ··· मे, जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, पैदा हुई।

६ ऐसी दशा म मुद्दई ६००) रु० बाबत हर्जा के, जो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण और कार बार (व्यापार) तथा प्रसिद्धि को हानि पहुचने के कारण हुआ है, और ५००) रु० बाबत उस खर्च के जो उसे उपरोक्त फौजदारी मुक़द्दमे की परवी मे उठाना पडा दिला पाने का दावेदार है।

७ अख्तियार समाअत और कोर्ट फ़ीस के लिये दावा की मालियत ११००) रु० लगाई गई है।

८ मुद्दई दावा करता है—

(अ) यह कि मुद्दई के हक़ मे मुद्दाअलेह के ऊपर ११००) रु० की डिक़री मय खर्च के दीजाय।

(ब) यह कि अदालत कोई भी दूसरी दादरसी दिला सकती है जो वह ऐसी अवस्था मे उचित समझे।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३। १८

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुकद्दमेमें मुद्दाअलेह नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर इस नालिशके दायर करनेका कोई कारण व हक नहीं है।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहने बतौर अपने मुख्तार (कारिन्दा) के असामियोंसे लगानकी तहसील वसूल करनेके लिए नौकर रखा था। मुद्दईने फरेबसे रु० की रकम, जो उसने असामियोंसे तहसीलकी थी, बेजातौर पर खर्च करदी और इसलिए मुद्दाअलेहने नेक नीयतीके साथ फौजदारी अदालतमें मुद्दईके ऊपर मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमा फैसल करनेवाले मजिस्ट्रेटने यह मुकद्दमा रूप दाद के ऊपर नहीं बल्कि जाबता फौजदारीकी दफा२०३ के अनुसार यह कह कर खारिज कर दिया कि उसकी समाअत अदालत दीवानी द्वाराकी जानी चाहिए।

३ मुद्दई एक सदिग्ध आचरण (मशकूक चाल चलन) का आदमी है और समाजमें उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वह सन् १९०७ ई० में खयानत मुजरिमानाके अभियोगमें फौजदारी अदालतसे सजा पाचुका है।

४ मुद्दईको फौजदारी मुकद्दमेकी पैरवी करनेमें ५००) रु० का खर्चा नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी पैरवी एक मुख्तारने की थी।।

५ मुद्दई कोई हर्जा दिला पानेका हकदार नहीं है, क्योंकि उसके पहिलीबार सजा पाजानेके कारण जनताकी निगाहमें समाजसे उसकी प्रतिष्ठा पहलेही उठ जाचुकी है और यह कि यह दावा अधिक है।

६ यह कि नालिश मय खर्चेके खारिजकी जानी चाहिए। और मुद्दाअलेहका खर्चा दिला मिलनेका हुक्म होना चाहिए।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१५

---

१० वसीके ऊपर नालिश, बाबत दिलापाने उस आमदनी के जो वसीयतनामेमें बतलाई गई है

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ साकिन जिला की तारीख माह सन् १९ ई० को मृत्यु होगई। उसने अपने तारीख माह सन् १९ ई० को लिखे गए आखिरी वसीयत नामेमें

जरिये मुद्दाअलेहको अपना वसी मुकर्रर किया, और अपनी सारी जायदाद, मनकूला और गैर मनकूला अपने वसीके नाम वसीयत करदी है, कि वह उससे होने वाली आमदनी और उसके लगानको मुद्दईको जिन्दगीभर अदा करता रहे और बाकीको उसके मरजानेके बाद, मवसी के कानूनी वारिसोंको।

२ यह वसीयत मुद्दाअलेहने तारीख माह सन् १९ ई० को के जिला-जजकी अदालतमें बाकायदा तौरसे साबित कर दी थी।

३ मरनेके समय मवसी (Testator) जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाका हकदार था, मुद्दाअलेहने जायदाद गैर मनकूलाके लगानकी रसीद लिखदी और जायदाद मनकूला उसको मिल गई, उसने जायदाद गैर-मनकूलाका कुछ हिस्सा बेच लिया और उस जायदाद का ठीक ठीक हिसाब दाखिल नहीं किया, यद्यपि मुद्दईने तारीख को उसे तलब किया।

४ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत (मुद्दाअलेहके ठीक ठीक हिसाब दाखिल न करने पर) तारीख को बमुकाम पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि नं० ९ के पैरा ८ में है।

६ मुद्दईका दावा है—

(१) कि की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला का प्रबन्ध इस अदालतमें किया जाय और इस कामके लिए तमाम मुनासिब हिदायतें दी जाय और हिसाब लेलिया जाय।

(२) और भी ऐसी कोई दादरसी दिलाई जाय जो इस मुकद्दमेमें मुनासिब मालूम हो।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पज १,३,१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखा निवेदन है,—

१ मुतौफी मवसी (वसीयत कुनिंदा) के वसीयतनामामें कर्जकी रकम भी तहरीर थी, जिस समय वह मरा है उस समय वह दिवालिया हो गया था, उसके मरने पर वह कुछ जायदाद मनकूलाकी निस्वत कर्जदार था जिसे मुद्दाअलेहने बेच डाला और जिससे कुल)रु०की आमदनी थी और मवसीके पास कुछ जायदाद मनकूला थी जिसे मुद्दाअलेहने अपने कब्जेमें ले ली और जिससे कुल) की आमदनी होती थी।

२ मुद्दाअलेहने उपरोक्त कुल रुपया और) रु० की रकम, जो कि मुद्दाअलेहको उस जायदाद गैर मनकूलाके लगानके निस्वत वसूल हुई थी, क्रिया कर्म और वसीयत लिखने आदि कामामें और मवसीके कुछ कर्जा अदा करनेमें खर्च कर डाला।

३ मुद्दाअलेहने अपना हिसाब ठीक करके उसकी एक नकल तारीख माह सन् १९ ई० को मुद्दईके पास भेज दी और मुद्दईको इस बातका पूर्ण अधिकार दे दिया कि वह इस हिसाब किताबकी जाच करनेके लिए वाउचरोंको देख ले, लेकिन उसने मुद्दाअलेहकी इन बातोंको स्वीकार नहीं किया।

४ मुद्दाअलेहकी प्रार्थना है कि मुद्दईको इस मुकद्दमेका खर्चा अदा करने का हुक्म हो और दावा खारिज हो।

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३,१४

---

११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या वैबात की बाबत नालिश

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ मुद्दई उस आराजीका मुतहिन है जो कि मुद्दाअलेहकी मिल्कियत है और जो इस अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (फेहरिस्त) (अ) में तफसीलवार दिखलाई गई है।

२ रेहननामाकी खास २ बात नीचे लिखे अनुसार है:—

(क) तारीख २० जून सन् १९१२ ई० को मुद्दाअलेहने एक बाकायदा दस्तावेज रेहननामा बहक मुद्दई) रु० की निस्वत, जो कि मुद्दईने उसे कर्ज दिये थे, लिख दिया जिसके जरिये सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद रेहन कर दी।

(ख) [राहिन और मुर्तहिनके नाम]

(ग) [जो रुपया लिया गया हो]

(घ) [व्याजकी दर]

(ङ) [जायदाद मरहूना) जो कि सूची (अ) में बतलाई गई है।

(च) अब) रु० की रकम मुद्दईको मुद्दाअलेहसे बाबत असल मय सूदके, जैसा कि अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (ब) में हिसाब दिया हुआ है, वाजिब है

(छ) [अगर मुद्दईको उस जायदादकी हकीयत किसी दूसरे शख्सने हासिल हुई है तो यहा पर संक्षेपमे लिखना चाहिये कि किस मुतकिलीके जरिये उसे दावाका यह हक हासिल हुआ है]

३ मुद्दईके बार-बार मागने पर भी मुद्दाअलेहने उस रुपयेको जो वाजिब है, अदा नही किया।

४ इस नालिशके लिए मुद्दईकी विनाय मुखासमत तारीख को [जो तारीख वास्ते अदायगी रुपया दस्तावेजमे बतलाई गई है] बमुकाम पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है

५ मुकद्दमाकी मालियत दावा वास्ते अख्तियार समाअत) रु० है और कोर्ट-फीसके लिए) रु० है।

६ मुद्दईका दावा है:—

(क) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर) रु० की, मय खर्चा मुकद्दमा और सूद आयन्दा बशरह मुन्दर्जे दस्तावेज दिनों पर, एक प्रारम्भिक डिकरी दी जाय, और यह कि उस डिकरीमे उस रकमकी, जो कि वाजिबुलअदा है, अदायगीके लिये एक समय नियत कर दिया जाय, और यह कि अगर उस नियत समयके भीतर रुपया अदा न हो तो मुद्दईका कुल रुपया जायदाद मरहूना के नीलामसे वसूल करनेका हुक्म दिया जाय।

[यहां पर आर्डर ३४, रूल ६ लागू होता है]

देखो पेज १८१

(ख) यह कि अगर नीलाममे वसूल हुई रकम, मुद्दईका कुल रुपया अदा करनेके लिए काफी न हो, तो मुद्दईको यह अधिकार दिया जाय कि यह बाकी रुपयेके लिए मुद्दईके जिस्मके ऊपर डिकरी दिए जानेके लिए दरख्वास्त दे सके।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

सूची (अ) तफसील जायदाद ॥

सूची (ब) हिसाब।

नोट—अगर नालिश बाबत बैयातके है, तो क्लॉज (६ क) में यह मजमून जोड़ देना चाहिए —"और अगर नियत समयके भीतर रुपया न अदा किया जाय तो बैयात (और कब्जा) की बाबत हुक्म दिया जाय जिससे मुद्दाअलेहको जायदादकी फकरेहनीका कोई हक बाकी न रहे और मुर्तहिनको आराज़ी मरहूना से फायदा उठानेका पूरा अख्तियार हासिल हो जाय।"

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुकद्दमेमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है,—

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेकी विनाय मुखासमत पैदा नहीं हुया है।

२ मुद्दाअलेह इस बातको स्वीकार करता है कि जिस दस्तावेजकी निस्बत नालिश है, वह दस्तावेज उसने लिखा है, लेकिन उसका कहना यह है कि उसे सिर्फ   ) रु० ही बाबत जुज मतालवा उस दस्तावेजकी तकमीलके वक्त मिले हैं फरीकैनके बीच यह तय पाया था कि मुद्दालेहको दस्तावेजकी तकमीलके वक्त सिर्फ   )रु० ही मिलेंगे और यह कि बाकी रुपया उसे धीरे धीरे, जब २ उसे जरूरत पड़ती रहेगी, मिलता रहेगा लेकिन वास्तवमें मुद्दाअलेहको बकाया रुपया लेनेका कभी भी मौका नहीं आया।

३ मुद्दईकी नालिश कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि०   के अनुसार तमादी खारिज हो गई है।

या

१ मुद्दाअलेहने दस्तावेज नहीं लिखा था या यह कि कानूनके अनुसार उस पर बाकायदा तौरसे गवाही नहीं की गई थी।

२ रेहन नामाकी मुन्तकिली मुद्दईके नाम नहीं कीगई थी [अगर एकसे ज्यादा मुन्तकिलियां कागई हैं तो यह लिखना चाहिए कि किस मुन्तकिली से इन्कार है]

३ कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि०   के अनुसार नालिशकी मियाद खारिज होगई है।

४ नीचे लिखी रकमें अदा कीगई हैं (यहां पर उसकी तफसील और तारीख देनी चाहिए)

५ मुद्दईने तरीख   माह   सन   ई० को कब्जा ले लिया था और उस समयसे लगान वसूल कर रहा है।

६ यह कि जिस समय तस्फिया या हिसाब किया गया था उस समय मुद्दईने उस दस्तावेजका रुपया वसूल किया था।

७ मुद्दाअलेहने तारीख   के दस्तावेजके जरिये अपने कुल हक़
को मुन्तकिल कर दिया था।

तस्दीक और दस्तखत

देखो पेज १३।१४।

१२ नालिश बाबत दस्तावेज़ रेहन नामा दखली या ग़ैर-मामूली,

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ (जैसाकि न० ११ में है)

२ (जैसाकि न० ११ में है)

३ मुद्दईने तारीख़ ... को जायदाद पर कब्जा कर लिया और दस्तावेज़ की शर्तोंके अनुसार आराजीका मुनाफ़ा, या सूद (ब्याज)में मुजरा होगया [या]

यह कि मुद्दईने तारीख़ ... को जायदाद पर कब्जा कर लिया और उस समयसे बतौर मुर्तहिन काबिजके हिसाब देनेको तैयार है और यह कि तस्फिया हिसाब होजाने पर [जैसाकि सूची (ब) में जोकि अर्जीदावाके साथ दिखलायी गयी है] उसी रेहन नामाकी बाबत मुद्दईको मुद्दाअलेहसे मिलना है ।

४ (जैसाकि न० ११ के पैरा ३ में है)

५ (जैसाकि न० ११ के पैरा ४ में है)

६ (जैसा कि न० ११ के पैरा ५ में है)

७ मुद्दईका दावा है कि:—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिक्री बाबत ...) रु०के मय खर्चा और सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा ता तारीख़ वसूली रुपयेके दीजाय या यह कि जायदादके वासिलातका हिसाब लिया और दस्तावेजमें बतलाए अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाय और जो रुपया बाकी निकले उसकी निस्बत मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना ता तारीख़ अदायगी रुपयाके मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दीजाय ।

सूची (अ) [तफसील जायदाद] सूची (ब) [हिसाब]

तस्दीक और दस्तखत (देखो पेज १३।१४)

नोट—मुर्तहिन काबिज़को, बहैसियत ऐसे मुर्तहिनके, नीलाम या बैय, तकाहक न होगा, जब तक कि उस दस्तावेज़मे प्रकट अथवा अप्रकट रूपसे ऐसी कोई शर्त न हो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७] अगर किसी खास शर्तोंसे नीलामका हक विशेष अवसर पर काममें लाए जानेके लिएही रख छोडा गया है, तो यह रेहन-नामा गैर मामूली समझा जायगा और ऐसी दशामें मुद्दईको अधिकार होगा कि नियत समय पर डिकरीका रुपया अदा न किए जाने पर वह जायदाद मरहूनाकी नीलामके लिए दरख्वास्त करे ।

[दस्तख़त और तस्दीक]

देखो पेज १२।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें बयान तहरीरी

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है.—

१ मुद्दाअलेहने दस्तावेज मुतनाजाको मुद्दईके हकमें लिखा।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने की विनाय मुखा-समत पेदा नही है।

३ भारतीय कानून मियाद सन१९०८ई०के द्वितीय परिशिष्टके आर्टि०   के अनुसार इस नालिशकी मियाद-आरिज होगई है।

४ नीचे लिखी रकम अदा कीगई है, अर्थात् —

३ मार्च सन १९०९ ई०	२५०) रु०
७ जून सन १९०९ ई०	२५०) रु०
जोड़	५००) रु०

५ मुद्दईने जायदाद मरहूनाके ऊपर तारीख   माह   सन   ई० को कब्जा कर लिया था और तबसे लगान और मुनाफाका रुपया लेता रहा है

६ यह कि तारीख   को हिसाबका तस्फिया हुआ था जब कि मुद्दईने कर्जेके रुपयेकी फारखती करदी थी।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३।१४

---

१३ नालिश बाबत इन्फिकाक रेहन

[फरीकैन वगैराकी तफसील जैसा कि न० १ म है]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई सूची (अ) म [जोकि इसके साथ नत्थी है] बतलाई गई आराजी का राहिन है जिसका कि मुद्दाअलेह मुरतहिन है।

२ रेहन नामाकी तफसील नीचे लिखे अनुसार है —

(क) यह कि मुद्दईने   रु० की निस्बत मुद्दाअलेहके हकमें एक दस्तावेज रेहननामा तारीख   माह   सन्   ई० को लिख दिया था और उसके जरियेसे सूची (अ) मे बतलाई हुई जायदाद रेहन करदी थी।

(ख) जैसाकि न० ११ म है।

(ग) „ „ ।

(घ) „ „ ।

(ङ) „ „ ।

(च) „ „ ।

[अगर मुद्दाअलेह मुर्तहिन काबिज है, तो नीचे लिखी बातें जोड़दी जानी चाहिये]

३ उक्त दस्तावेज़ रेहननामामें यह भी इकरार हुआ था कि मुद्दाअलेह सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद को अपने कब्ज़ेम लेलेगा और यह कि उस इकरारनामाके अनुसार उसने तारीख़ "माह" सन् " ई० को उस पर दख़ल कर लिया और उसके लगान तथा मुनाफ़ाकी तहसील वसूल करता रहा और हिसाबका ताफ़िया होने पर तारीख़ " को यह मालूम हुआ कि असल का रुपया, जोकि उस दस्तावेजके ऊपर लिया गया था, मय सूद बशरह मुन्दरजे दस्तावेजके अदा कर दिया गया है। और यह कि मुद्दईको सूची (ब) में बतलाए हुए)रु० की रकम मुद्दाअलेहको वापस करनी होगी, लेकिन तोभी मुद्दाअलेहने दस्तावेज़ वापस करनेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि रुपया उसके सामने पेश कर दिया गया था। दस्तावेज मुतनाजाकी एक तस्दीक़शुद० नकल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

४ यह कि इस नालिशके लिए बिनाय मुखासमत तारीख़ को (जब कि मुद्दाअलेहने फ़ारखती करके दस्तावेज वापस देनेसे इन्कार किया) बमुक़ाम " " पैदा हुई जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि अर्जीदावा नं० ११ के पैरा ५ मे है।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) सूची (अ) में बतलाई हुई जायदादकी फ़करेहनी करदी जाय और वह जायदाद उसके नाम फिर मुन्तकिल कर दीजाय और उस पर कब्ज़ा दिला दिया जाय।

(ख) दस्तावेज मुतनाजाके हिसाब किताबकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिकरी देदीजाय।

(ग) जो कुछ रुपया मुद्दाअलेहके जिम्मे बाकी निकले उसकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दीजाय और यह कि जिस दस्तावेजकी निस्बत झगड़ा है वह बेबाक हुआ करार दिया जाय।

(घ) एक डिकरी बाबत खर्चा मुकद्दमाके मुद्दाअलेहके ऊपर दीजाय।

(ङ) दूसरी ऐसी कोई औरभी दादरसी दिलाई जाय जैसी कि मुकद्दमे की ऐसी अवस्थासे अदालतको आवश्यक प्रतीत हो।

सूची (अ) जायदाद जो रेहन कीगई है।

सूची (ब) हिसाब किताब।

[तस्दीक़ और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब-दावा

[शीर्षक जैसाकि न० १ म है]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१ मुद्दईके हक इन्फिकाक रेहनकी मियाद, भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ई० क द्वितीय परिशिष्टकी आर्टि०   के अनुसार तमादी मारिज होगई है।

२ मुद्दईने जायदादमें अपने कुल हकूक   को मुन्तकिल कर दिये हैं।

३ मुद्दाअलेहने तारीख   माह   सन्   ई० के एक दस्तावेजके जरिये जर रेहन और जायदाद मरहूनामें [जोकि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ग) में बतलाई गई है] अपने कुल हकूक   को मुन्तकिल करदिए।

४ मुद्दाअलेहने कभी भी जायदाद मरहूना पर कब्जा नहीं लिया और न उसका लगान और मुनाफाही वसूल किया।

५ यहकि मुकद्दमा मय खर्च के खारिज किया जाय और खर्चा मेरा दिलाया जाय   [तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१४ नालिश बाबत बेदखली

[फरीकनकी तफसील वगैरा जैसा न० १ है]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखा निवेदन है —

१ मुद्दाअलेह मुद्दईकी जमीन अहाता वाके   पर जिसकी ब्योरेवार तफसील सूची (अ) म जोकि अर्जीदावाके साथम नत्थी है, बतलाई गई है, बहैसियत रैय्यत, सालाना मुद्दत रैय्यतीके ऊपर काबिज था।

२ यह कि तारीख   माह   सन्   ई० को मुद्दाअलेहने उक्त हाते की जमीनको १०) रु० सालाना लगानके ऊपर उस पर मकान बनानेके लिए लेलिया जिसमें वह वादम रहना चाहता था और उनका इस्तेमाल करना चाहता था।

३ मुद्दईने १५ भाद्र-सन् १३१९ फसलीको मुद्दाअलेहको एक लिखित नोटिस इस आशयकी दी कि वह ३० चैत्र सन् १३१९ फसली तक उक्त जमीनको खाली करदे यह नोटिस एक रजिस्ट्री हुए लिफाफाम बजरिये डाक भेजी गई थी। मुद्दाअलेहने यह नोटिस नहीं ली और वह इस अर्जीदावाके साथ नत्थीकी जाती है बाद्म मुद्दईने एक ऐसीही नोटिस उस हाताकी जमीनके ऊपर भी तामील कराई लेकिन मुद्दाअलेने अभी तक उस परसे अपना कब्जा नहीं छोड़ा है।

४ इस नालिशकी बिना मुखासमत बमुकाम   जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है तारीख   बैसाखकी प्रतिपदा सन् १३२० फसली अर्थात नोटिसम दिये गए समयकी मुद्दत गुजर जानेके बादकी तारीखको पैदा हुई

५ जैसाकि अर्जीदावा न० २ के पैरा ८ में है।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) मुद्दाअलेहको बेदखल करके जमीन मुतनाजा के ऊपर कब्जा के लिये मुद्दईके हकमें डिगरी दीजानी चाहिये।

(ख) यह कि खर्चे की बाबत मुद्दाअलेह के ऊपर डिगरीदीजाय।

(ग) ऐसी कोई दूसरी और दादरसी दिलाई जाये जो इस मुकद्दमे की ऐसी हालतमें जरूरी मालूम होवे।

सूची (अ)—[तफसील जमीन]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

[फरीकैन मुकद्दमा वगैरा की तफसील देखो न० १]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दई के पास मुद्दाअलेहके ऊपर नालिश दायर करने का कोई हक व कारण नहीं है।

२ मुद्दई ने मुद्दाअलेह पर कोई नोटिस जमीन खाली कर देने के निस्बत तामील नहीं की जैसा कि अर्जीदावा के पैरा ३ में बतलाया जाता है।

३ यह कि मुद्दई का सहोदर (सगा) भाई जायदाद मुतनाजा में आठ आनेका हिस्सेदार है और चूंकि वह भाई इस मुकद्दमें में फरीक नहीं बनाया गया है इस लिये उसके फरीक न बनाये जानेके कारण मुकद्दमा नहीं चल सकता है।

४ मुद्दाअलेह को जमीन मुतनाजा के ऊपर पक्की इमारत बनाने में करीब १०,०००) रु० खर्च करना पड़ता है और इसलिये उसका निवेदन यह है कि अगर मुद्दई के हक में कब्जा की डिगरी दे दीजाय तो मुद्दाअलेह को अपनी इमारत का खर्चा दिला मिलेगा।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१५ कानून दादरसी खासकी दफा ६ के अनुसार नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा वगैराकी तफसील देखो न० १]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यहकि मुद्दई मौजा में वाके जमीनका मालिक है जिसकी ब्योरेवार तफसील सूची (अ) में जो कि अर्जीदावा के साथ नत्थी है और यह कि वह बारह साल से उक्त जमीन पर काबिज रहा है और उसे बजरिये अपने नौकरों के जोतता रहा है।

२ यह कि यह इस नालिश के दायर होने के छः महीने पहिले से उस जायदाद पर काबिज था और यह कि तारीख़ माह सन् ई० को मुद्दाअलेह ने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे जोतने, खादने व बोने लगा और इस तरह पर मुद्दई को उस जमीन पर से क़ब्जा उठा दिया।

३ यहकि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत बमुक़ाम जो कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है तारीख़ को (जिस तारीख़ को कि मुद्दई का क़ब्जा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

४ जैसा कि अर्जीदावा न० २ के पैरा न० ८ म बतलाया गया है।

५ मुद्दई प्रार्थी है कि—

(क) मुद्दईके हक़में एक डिकरी बाबत दिलापाने कब्जा जायदाद मुतनाजा पर दीजाय।

(ख) यह कि एक डिकरी मुद्दाअलेहके ऊपर इस मुक़दमके खर्चके बाबत दीजाय।

सूची (अ) [तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमे जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है.—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दई यह नालिश दायर होनेके पहले महीनेके भीतर या इससे कभी पहले जायदाद मुतनाजाके ऊपर काबिज नहीं था। मुद्दईके मुकद्दमेकी मियाद खारिज होगई है।

३ मुद्दाअलेहने जायदाद मुतनाजाको तारीख "माह" "सन्" ई० को खरीदा था और उस पर अपने असामियोंके जरिये करीब १२ सालसे क़ाबिज है।

या यह कि मुद्दाअलेहने उस जायदाद परबमूजिब उस रेहननामा दखली के कब्जा कर लिया जो मुद्दईने उसके हक़में ५०) रु० के कर्जके बदलेमें लिख दिया था।

४ कब्जा करलेने और कब्जासे अलग कर देनेके सम्बन्धमे मुद्दईने अपने अर्जीदावाके पैरा १ और २ म जो बातें कही हैं वे बिलकुल झूठी हैं। मुद्दाअलेह या उसके असामियों, किसीने भी मुद्दईको जमीन मुतनाजासे बेदखल नहीं किया।

५ यहकि मुक़द्दमा मय खर्चके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

१६ नालिश बाबत दिलापाने उस रुपयेके, जो किसी शख्सको उसके हकके अनुसार मिलना चाहिये था

[तफसील फरीकैन मुकद्दमा वगैरा नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई एक मुस्तकिल कब्जा आराजीका, जोकि मौजा ··· मे वाकै है और जिसकी ब्योरेवार तफसील इस अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाई गई है, कब्जेदार है। उसको उक्त कब्जा आराजीकी निस्बत) रु० सालाना बाबत लगानके श्री " को देने पड़ते है।

२ मुद्दाअलेह उक्त कब्जे आराजीमें आठ आनाका हिस्सेदार है। चूकि मुद्दाअलेहने उक्त आराजीके जमीन्दारको लगानके अपने हिस्सेको अदा नहीं किया है, इसलिए उसने मुद्दई और मुद्दाअलेह दोनोंके ऊपर बकाया लगानकी बाबत एक नालिश दायर की। उस नालिशकी तारीख " को डिकरी दे दीगई और उक्त डिकरीकी इजरामें जमीन्दारने उक्त आराजीको तारीख को नीलाम पर चढ़वा दिया। उस आराजीमें अपने हिस्सेको बचानेकी गरजसे मुद्दईने तारीख "को मय खर्चा डिकरीका रुपया अदालतमें जमा कर दिया और इस तरह पर उस आराजीको इजरामें नीलाम होनेसे बचा लिया। इस तरह पर डिकरीका रुपया अदा कर दिए जानेसे मुद्दाअलेहको फायदा पहुँचा और इसलिए वह उसका आधा हिस्सा मुद्दईको देनेके लिए बाध्य है। उपरोक्त डिकरीकी एक तस्दीकशुदा नकल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

३ मुद्दई मुद्दाअलेहके ऊपर १२) रु० सैकड़ा सालाना ब्याजके साथ उस रुपयेके आधेकी जोकि अदालतमें जमा किया गया है, डिकरी दिलापानेका हकदार है।

४ इस नालिशकी बिनाय मुखासमत बमुकाम " " ", जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख को (जिस तारीखको कि डिकरीका रुपया अदालतमें जमा किया गया था) पैदा हुई।

५ जैसा कि अर्जीदावा नं० २ के पैरा ८ में बतलाया गया है।

६ मुद्दईकी प्रार्थना है कि—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर मय ब्याज " रु० की (जैसा कि अर्जीदावाकी सूची (अ) में बतलाया गया है) और मुकद्दमेके खर्चेकी डिकरी दे दीजाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जो मुकद्दमेकी ऐसी हालत में जरूरी मालूम हो।

सूची (अ) [हिसाब]

सूची (ब) [आराजी]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न ४ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेहने उस आराजीके लगानका अथवा हिस्सा जमीन्दारको अदा कर दिया और लगानकी इस नालिशके दायर होनेक पहले उसे उसकी रसीदभी मिलगई थी। इसलिए मुद्दई मुद्दाअलेहसे कोइ भी रकम बावत हिस्सा लगानके दिलापानेका हकदार नहीं है।

३ चूंकि मुद्दईने लगानकी डिकरी और इसके अनुसार होवे वाली कुर्की और नीलामके पहले डिकरीका कुल रुपया अदालतमें जमा कर दिया था, इसलिए उसका यह अदा करना अपनी इच्छासे अदा करना है और इसलिए वह मुद्दाअलेह से मुआविजा पानेका हकदार नहीं है।

४ यह नालिश फरीकैनमें तनाजा होनेकी वजहसे दायर कीगई है।

५ यह नालिश मय खर्चके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाए।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१७ नालिश वास्ते बटवारा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बके आदमी है और उस जायदाद पर, जिसकी ब्योरेवार तफसील इस अर्जीदावाके साथ नत्थी सूचीमें दीगई है, उनका सम्मिलित अधिकार (मुश्तरका कब्जा) है।

२ यह कि उक्त जायदादमें मुद्दई और मुद्दाअलेहके हिस्से बराबर हैं।

३ यह कि उक्त जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच झगड़ा होने तथा बहुतसे कौटुम्बिक झगड़ोंके कारण उस जायदाद पर मुद्दई और मुद्दाअलेहका सम्मिलित अधिकार (कब्जा मुश्तरका) बना रहना अब बिलकुल असम्भव नहीं है।

४ यह कि मुद्दईने तारीख . . . को मुद्दाअलेहके सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि उनके (फरीकैनके) बीच शांतिके साथ आपसमें उक्त जायदादका बटवारा होजाय, लेकिन मुद्दाअलेहने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया।

५ इस नालिशकी बिनाय मुखासमत, बमुकाम . . . जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख . . . को (जिस तारीखको मुद्दाअलेहने बटवारा करनेसे इनकार कर दिया था) पैदा हुई।

६ जैसा कि अर्जीदावा न० २ पैरा ८ में है।

७ मुद्दईका दावा है कि —

(१) फरीकैनके हिस्सोंके बमूजिब उक्त जायदादके बटवारेकी डिक्री दे दी जाय और यह कि अदालतकी ओरसे यह बटवारा करनेके लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाय।

(२) मुकदमेका खर्च दिलाया जावे।

[जायदादकी सूची]

(तस्दीक और दस्तखत).

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार मार्थी है —

१ यह मुकद्दमा नाक़िस है क्योंकि इसमें कुछ आदमी फरीक नहीं बनाए गए हैं और ऐसी दशामें वह अपनी मौजूदा सूरतमें सम्मिलित किये जानेके काबिल नहीं है, क्योंकि ˙˙ ˙˙ जो कि उस जायदादमें मुश्तर्का कब्जा रखता है, इस मुकद्दमेमें फरीक नहीं बनाया गया है।

२ अर्जीदावाके पैराग्राफ २ में बतलाई बातें सही नहीं है, क्योंकि उस जायदादमें मुद्दाअलेहका हिस्सा सिर्फ दो आना है।

३ यह कि अर्जीदावाके साथ नत्थी फेहरिस्तमें बतलाया हुआ किता नं० ५ मुद्दाअलेहकी खुद पैदा की हुई जायदाद है और इसलिये उसका बटवारा फरीकैनके बीच नहीं हो सकता है।

४ यह कि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूचीमें बतलाई गई जायदाद मुश्तर्काकी फेहरिस्त पूरी नहीं है और यह कि मुद्दईकी नालिश, जो कि एक हिस्सा जायदादके बटवाराकी निस्बत कीगई है, काबिल कायम रहनेके नहीं है।

५ अर्जीदावाके पैरा० में मुद्दईका यह कहना, कि उसने मुद्दाअलेहसे जायदाद मुश्तर्काका आपसमें बटवारा कर लेनेकी दरख्वास्त की, सही नहीं है।

६ यहकि मुकद्दमा मय खर्चके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

१८ मय वासिलात जायदाद पर कब्जा दिलापानेकी बाबत हकीयतकी नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा वगैराकी तफसील नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है,—

१ मुद्दईका चचा ˙˙ ˙ ˙ साकिन ˙˙ ˙ ˙˙ रियासत ˙˙ ˙˙ वाकैमौजा ___ ˙˙ ˙˙ ___ का मालिक था और ˙ ___ ˙ ˙) के बाबत माह-

जारीके सरकारको अदा करता था। उक्त जायदादकी ब्योरेवार तफ़सील सूची (अ) में दी हुई है जो कि इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि तारीख़" ' माह ' सन् ' ' ' ई० को मुद्दाअलेहने ासामियाते रग.नकी तहसील वसूल करके, उसके मुख्तारको उसकी कचहरीसे निकालकर और सूचीमें बतलाये गये किता नं० ५ में उसकी पैदा की हुई ानकी फसलको बेजा तौरसे सफ करके उस जायदाद परसे मुद्दईका कब्जा ठा दिया।

३ यह कि मुद्दईका चचा तारीख़" के एक वसीयतनामाके जरिये पनी कुल जायदाद मनकूला और गैर मनकूला मुद्दईके हकमें छोड़कर इस सीयतनामाके लिखनेके एक साल बाद मर गया।

४ यह कि मुद्दाअलेह अब भी उक्त रियासत पर अपना बेजा कब्जा बनाये ए है और इसलिये मुद्दई मुद्दाअलेहसे मुबलिग ') रु० बाबत वासिलात उस मुद्दतके, जिसमें कि मुद्दईके चचाको दखल नहीं रहा है [जैसा कि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाया गया है] दिला पानेका हक़दार है।

५ इस नालिशकी बिनाय मुखासमत बमुकाम"' जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, तारीख़ को (जब कि कब्जा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

६ मुक़द्दमेकी मालियत, अख्तियार समाअत और कोर्ट फीसके वास्ते ' रु० है।

७ मुद्दई प्रार्थी है कि—

(क) उसकी निस्बत मुद्दईकी हक़ीयतका इज़हार करनेके बाद सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद पर कब्जेकी डिकरी दी जाय।

(ख) मुबलिग " रु० की डिकरी बाबत वासिलातके दी जाय।

(ग) मुक़द्दमेके खर्चकी बाबत डिकरी दी जाय।

(घ) उसे वासिलात आयन्दाकी निस्बत नालिश करनेका अधिकार दिया जाय।

(ङ) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जिसके पानेका वह हक़दार हो।

सूची (अ) [जायदाद]

सूची (ब) [वासिलातका हिसाब]

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

हिसाब किताब किये जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरी के दौरान मे वसूल किया है मुद्दई की नौकरी छोड दी है।

३ वास्तव मे मुद्दाअलेह ने नौकरी छोडने के छ महिने पहिले अपने इस इरादे की मुद्दई को लिखित सूचना दी थी, चुकि मुद्दई उसकी तनख्वाह बराबर ठीक समय पर नही देसका इसलिये मुद्दई की नौकरी मे रहना असम्भव था मुद्दई की नौकरी छोड़ते समय उसने उस कुल रुपये का जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरीके दौरानमे वसूल किया था पूरापूरा हिसाब देदिया था और तहसील वसूल के कुल कागजात मुद्दई के नाम व " के हवाले कर दिये थे। वह उक्त नायब की मार्फत कुल रुपया जिसे वह उक्त मौजों से वसूल करता था बराबर मुद्दई के पास भेजदिया था और उसकी रसीद ले लिया करताथा। वे रसीदइसके साथ नथी है। उनसे यह मालूम होगा कि उसके ऊपर मुद्दईका कुछ भी बाकी नही।

४ मुद्दई, मुद्दाअलेह से खर्चा दिलापाने का दावा नही करसकता जो कि हिसाब तैयार करनेके लिये जरूरी है और यह कि उसके लिये जिस रुपये का दावा वह करता है वह हर हालत मे उचित से अधिक है।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३ १४

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने

२० कुर्क किए हुए मालकी निस्बत दावा

व अदालत जनाब सब जज साहब बहादुर

नम्बर मुकद्दमा सन् १९ ई०

सायल बनाम फरीकसानी

डिकरीदार न०१

मदियून डिकरी न० २

सायल साकिन का विनय निवेदन है—

१ कि डिकरीदार (फरीकसानी न० १) ने इस अदालतकी डिक्री न० १० सन् १९२७ ई० की, जोकि मदियून डिकरी (फरीकसानी न० २) के ऊपर तारीख को दीगई थी, इजराय सायलकी जायदाद जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी फेहरिस्तमे बतलाई गई है कुर्क करली है।

२ यह कि मदियून, डिकरीको कभीभी उक्त जायदादकी निस्बत कोई हक या हकीयत हासिल नही था। सायल को यह जायदाद उसके बापसे मिली है और वह १२ सालसे ज्यादा उस पर काबिज है और उसका उपभोग करता है।

३ ऐसी दशामें सायलकी प्रार्थना है कि अदालतमें, मुनासिब शहादतके ऊपर उस जायदादकी निस्बत सायलकी दखीयत और कब्जाके बारेमें इतमीनान करलेनेके बाद फेहरिस्तमें बतलाई गई जायदादको कुर्कीसे बरी किए जाने का हुक्म देदेवे।

सायल आपका चिरकृतज्ञ रहेगा।

[उस जायदादकी फेहरिस्त जोकि कुर्क कर लीगई है]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

---

२१ प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्जी

ब अदालत जनाब जिला जज साहब

प्रोबेटका मुकदमा नं० सन् १९ ई०

प्रोबेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टके अनुसार (या सक्सेशन ऐक्ट अर्थात् उत्तराधिकारके कानूनके अनुसार) मुतौफी की वसीयतकी नकल (प्रोबेट) के लिए की अर्जी।

१ सायल जमीन्दार है और मौजा का रहनेवाला है।

२ उपरोक्त श्रीयुत् की तारीख माह सन ई० को स्थान मे, जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है और जो उनके रहनेका नियत स्थान है, [या जहा पर कि वह अस्थायी रूपसे रहते थे, क्योंकि उनके रहनेका स्थान था जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, या, जबकि दरख्वास्त किसी जिला जजके यहा दीगई हो तो, इसके साथ नत्थी फेहरिस्तमें बतलाई गई जायदादको छोड़,] इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है, [या जब दरख्वास्त सक्सेशन ऐक्टके अनुसार किसी डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट (जिला प्रतिनिधि) को दीगई हो तो, जहा पर वह उस समय रह रहा था।]

३ जो तहरीर इसके साथ नत्थी है और जो मुझे दिखलाई गई है और जिस पर 'क' अक्षरका चिन्ह है, वह उक्त का आखिरी वसीयत नामा है और उसने उन गवाहोंके सामने, जिनके नाम उस वसीयत नामाके नीचे हाशिये पर दिए हुए हैं, उसकी बाकायदा तौर पर तकमील की थी।

४ मैंही उक्त वसीयत नामामें बतलाया हुआ वसी हूँ [या दरख्वास्त वसीयतनामाके साथ लगे हुए प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए हो तो फार्म नं० २२ के पैरा ३ और ४ और शामिल कर देना चाहिए]।

५ माल मतरूका की रकम, जोकि मेरे हाथमें आनेवाली है, कुल मिलाकर रु० से अधिक नहीं है जिसका हिसाब सूची (अ) में दिया हुआ

है और यह कि जो कुछभी देना है उसकी रकम रु० से अधिक नहीं है जिसकी कि तफसील हलफनामाकी सूची (ब) में दीगई है और यह कि उक्त माल मतरूका की कुल रकम उन तमाम मदोंका रुपया निकाल देनेके बाद जिनको निकाल देनेका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है, मु० रु० की मालियतके अन्दर है।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उक्त स्वर्गवासीकी सम्पत्ति और भरण पोषण आदिका उचित प्रबन्ध करूंगा और उसकी एकसही औरपूरी सूची (खर्रा) तैयार करूंगा और प्रोबेट या प्रबन्धसम्बन्धी पत्र मिलजाने की तारीखसे छः महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूंगा और उक्त तारीखसे एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाबभी इस अदालतमें पेश करूंगा।

७ यह कि जहां तक मैं जानता हूँ अभी तक किसी शख्सने किसी दूसरी अदालतको उक्त वसीयतनामाके प्रोबेट या उक्त सम्पत्ति (जायदाद) के प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दरख्वास्त नहीं दीहै।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उसे उक्त वसीयतनामाको सामान्य रीतिसे साबित करनेकी इजाजत दीजाय और यह कि उसको प्रोबेट [या उक्त वसीयतनामाके साथ उक्त मुतोफीकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र] जो बराबर अमलमें आते रहेंगे उसे दिलाया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दिलाई जाय जोकि अदालतको उचित जानपड़े।

सूची (अ) सूची (ब)

[दस्तखत वकील] [दस्तखत सायल]

मैं जिसने उपरोक्त दरख्वास्त पेशकी है, इसके जरिये यह एलान करता हूँ कि उसमें जो कुछभी लिखा है वह, जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है। देखो पेज १३ । १४

गवाह [दस्तखत सायल]

मैं कि साकिन

जोकि के आखिरी वसीयतनामाके, जिसका जिक्र उपरोक्त प्रार्थना पत्र (अर्जी) में किया गया है, गवाहोंमेंसे एक हूँ, यह इजहार करता हूँ कि मैं उस जगह पर मौजूद था और मैंने उसे उक्त वसीयतनामाके ऊपर, जोकि अब मुझे दिखलाया गया है और जिस पर "(क)" निशान डाला गया है अपना हस्ताक्षर करते (या निशान बनाते) हुए देखा [या यह कि उक्त मवसीने उपरोक्त अर्जीके साथ नत्थी तहरीरको, जोकि अब मुझे दिखलाई गई है और जिस पर "क" निशान डाला गया है, मेरे सामने अपनी आखिरी वसीयत स्वीकार किया है.] (हस्ताक्षर)

२२ प्रवन्ध सम्वन्धी पत्रके वास्ते नालिश

[शीर्षक मुकद्दमा]

जसा कि फार्म नं० २१के पैरा नं० १ और २ में है

३ उक्त "अ आ" नीचे लिखे अपने सम्बन्धियोंको जीवित छोड़ कर मर गये हैं —

(१) क ख (जो सायल और लड़का है)

(२) ग घ (वकालत और वासियत वगैरा) जो उसके लड़के हैं,

(३) ङ च धर्म पत्नी श्री साकिन जोकि उसकी लड़की है,

(४) छ ज साकिन जोकि उसकी स्त्री है,

(५) झ ञ साकिन जोकि उसकी अविवाहिता कन्याएं हैं,

(६) ट ठ साकिन और ड ढ साकिन जोकि उसके भाई हैं जिनमसे टठ की तारीख को मृत्यु होगई है और जिसके कोई या दूसरे रिश्तेदार नहीं हैं।

४ उक्त बिना कोई वसीयत लिखे मरगए हैं और सायल बहैसियत उसके बड़े लड़केके उसकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए दावेदार है।

५ जो माल मतरूका मेरे हाथमें आनेवाला है वह कुल मिलाकर मुबलिग रु० से कम नहीं है जिसका ब्योरेवार हिसाब सूची (अ) में दिया हुआ है और यह कि जो कुछ देना है उसकी रकम रु० है जिसकी तफसील हलफनामाके साथ नत्थी सूची (ब) में दीगई है, और यह कि उक्त माल मतरूका की कुल रकमकी, उन तमाम मदोंको अलग करके जिनको अलग करनेका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है, मालियत रु० के भीतर है।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वर्गवासी 'अ आ' की सम्पत्ति और ऋण आदिका उचित प्रबन्ध करूंगा और उसकी एक सही और पूरी सूची (खर्रा) तैयार करूंगा और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके पाजाने की तारीखसे छ महीनेकेभीतर उसे इस अदालतमें पेश करूंगा और उक्त तारीख से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाब भी इस अदालतमें पेश करूंगा।

७ यह कि जहा तक सायलको मालूम है, अभी तक किसी दूसरे शख्सने उपरोक्त स्वर्गवासी की सम्पत्तिके प्रबंध सम्बन्धी पत्रके लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उक्त स्वर्गवासी • की सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र जोकि के भीतर बराबर अमलमें आते रहेंगे, उसे दिलाए जाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दीजाय जिसे अदालत उचित समझे।

[दस्तखत वकील] [दस्तखत सायल]

सूची (अ) और (ब) तस्दीक वगैरा जैसा कि पेज १३।१४ है।

---

२३ प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दीगई अर्जीकी नोटिस

सेवामें श्रीमान् कलक्टर इस तहरीरके जरिए यह नोटिस दीजाती है कि स्थान के जिला जज [या प्रतिनिधि] के इजलासमें स्वर्गवासी (वल्दियत कौमियत और सकूनत) के, जिनका तारीख माह सन् को स्थान में बैकुण्ठ वास होगया है, वसीयतनामा [और उस वसीयतनामाके अनुबन्ध (तितिम्मा)] के, जो [क्रमशः] तारीख माह सन् ई० [और तारीख माह सन् ई०] के हैं, प्रोबेट [या सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र या तारीख माह के वसीयतनामाके साथ नत्थी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र,] श्री (वाल्दियत, कौमियत और सकूनत) को, जोकि उक्त वसीयतनामामें बतलाए गए वसी लोगोमेंसे एक है [या उक्त स्वर्गवासी के भाई और निकटस्थ कुटुम्बीहै या जैसा कुछ हो।] दिलानेके लिए दरख्वास्त दीगई है।

["जब यह नोटिस कलक्टरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिके पास भेजी जानेको हो तो"] और यह कि तारीख माह सन् ई०को उक्त अर्जीकी समाअतकी तारीख मुकर्ररकी गई है और यह कि अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उक्त अदालतमें उज्रदारी दाखिल करें।

उस जायदादकी कुल मालियत मुबलिग रु० और असली मालियत रु० है।

आज तारीख माह सन ई०।

वकील जजके दस्तखत

---

२४ वली मुकर्रर किए जानेके लिए अर्जी

[थापक जैसा न० २१ मे है]

ब अदालत जनाब जिला जज साहब मुकाम—

प्रारम्भिक दरख्वास्त न०   सन   ई०

बमुकद्दमा   नाबालिग

सायल

(गार्जियन एण्ड वार्डस ऐक्ट सन १८९० ई० के अनुसार दरख्वास्त)

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१   सायल एक जमीन्दार और मौजा ... का रहने वाला और उपरोक्त   नाबालिगका बडा भाई है।

२ यह कि सायलकी यह दरख्वास्त है कि वह नाबालिग   वल्द —   के जिस्म और जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

३ कानूनके अनुसार जिन बातोंकी जरूरत है, वे नीचे दी जाती हैं —

(क) १ नाबालिगका नाम

२ मर्द या औरत   मर्द।

३ धर्म (मजहब)   हिन्दू।

४ जन्म तिथि   ३ मार्च सन १९२७ ई०।

५ विवाहित या अविवाहित   अविवाहित।

६ नाबालिग की आम सकूनत मौजा   जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रम है।

[अगर नाबालिग विवाहित है तो,और यदि वह स्त्री जाति है तो,उसके पति का नाम अवस्था (उम्र) और पता लिखना चाहिए, और यदि वह पुरुष है तो इतना लिख देना चाहिए कि वह विवाहित है।]

(ख) नाबालिग बहैसियत अपने बाप श्री   के दो जीवित लडकोंमेंसे एक लडका, बशिराकत सायलके और बपाबन्दी हकूक गुजारा व सकूनत अपनी मा मुसम्मात   के इस अर्जीके साथ नत्थी सूची (अ) म बतलाई हुई जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके, जो करीब करीब उक्त सूची के खाना ३ म बतलाई गई मालियतकी है, और सायलके कब्जेम है अविभक्त (गैर मुकिसमा) बराबरके आधे हिस्सेके लिए हकदार है।

(ग) नाबालिगके जो सम्बन्धी अब जीवित हैं वे ये ह —

१ सायल जोकि उसका बडा भाई है।

२ उसकी मा मुसम्मात   जो   मे रहती है।

३ उसकी बहन मुसम्मात   धम पत्नी   जो   म रहती है।

४ उसका चचा   जो   मे रहता है।

नाबालिगके बाप   की मृत्यु तारीख   माह   सन् ई० को या उसके करीब हुई थी।

(घ) अदालतने किसी शख्सको नाबालिगके जिस्म और जायदादका कोई वली मुकर्रर नहीं किया है, और इस नाबालिगके जिस्म या जायदादकी रक्षायतकी निस्बत अभी तक इस अदालतमें कोई दरख्वास्त नहीं दीगई है।

(ङ) जो शख्स वली तजवीज किया गया, वह जमीन्दार है और वि च विद्यालयकी शिक्षा प्राप्त किए हुए है तथा बी० ए० पास है। वह पुरुष श्रेणीमें नाबालिगका सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है और उसके चार बच्चे हैं और अपने परिवारके साथ स्थान में रहता है। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, क्योंकि उसकी रु० वार्षिक की आय है, तथा उसका आचरण अच्छा है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका व्यापारी स्वभाव है, और वह नाबालिगके जिस्म और जायदादका वली मुकर्रर किए जानेके लिए बिल्कुल योग्य व्यक्ति है।

४ इसलिए सायलकी प्रार्थना है —

(क) कि वह उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

(ख) यह कि वली की ओरसे दीजाने वाली जमानतकी रकम रु० निश्चित की जाय, और यह कि और उसके जमानतदार स्वीकार किए जायं।

(ग) यह कि मुबलिग रु० की रकम वास्ते नाबालिगके गुजाराके मुकर्रर की जाय।

(घ) दूसरी और भी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ)

मैं कि , जोकि ऊपर बतलाया गया सायल हूँ, इस तहरीरके जरिये यह इजहार करता हूँ कि पैरा में लिखी गई बातोंको मैं नहीं जानता हूँ और पैरा में लिखी गई बातोंको अपनी सूचना और विश्वासके अनुसार सही मानता हूँ (देखो पेज १३ । १४)

मैं इस तहरीरके जरिये उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका वली होना स्वीकार करता हूँ, बशर्ते कि अदालत मुझे मुकर्रर करना मुनासिब समझे।

उक्त ने श्रीयुत (वल्दियत और सकूनत) और श्रीयुत (वल्दियत और सकूनत) के सामने दस्तखत किया।

दस्तखत (सायल)
तारीख सन्

२५ वरासतके सार्टीफिकटके लिए दरख्वास्त

(शीर्षक जैसा कि नं० २१ म है)

बअदालत •   ...

सक्सेशन सार्टीफिकट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार   की अर्जी।

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१   सायल एक जमीन्दार और स्थान   का रहने वाला है।

२ उपरोक्त   की तारीख   माह   सन्   ई० को स्थान   में जोकि, इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है और जहां पर कि उस समय, वह आमतौर पर रहा करता था [या स्थान   में जो कि उस समय उसके रहनेका कोई निश्चित नहीं था] मृत्यु होगई और वह इसके साथ नत्थी सूची (अ) में बतलाई गई जायदादको इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें छोड़ गया है।

३ यह कि मुतौफीके नीचे लिखे सम्बन्धी जीवित बचे हैं —

१ मा	वल्दियत, कौमियत और सकूनत।	यहां पर परिवार या सम्बन्धियोंका पूरा ब्योरा पूरे नाम और पता सहित और इस बातके सहित कि उनमसे हर एक के साथ मुतौफीका क्या सम्बन्ध है लिखना चाहिए।
२ लड़की	"	
३ विधवा स्त्री	"	
४ भाई	"	
५ नाबालिग लड़का	"	
६ लड़का	(सायल)	

४ यह कि मुतौफीका बड़ा लड़का होनेकी हैसियतसे सायल इस ऐक्टके नियमानुसार सार्टीफिकट दिला पानेके लिए दावेदार है।

५ उक्त मुतौफी मजहबका सुन्नी फिर्केका मुसलमान था और उस पर सक्सेशन ऐक्ट (कानून वरासत) सन् १८६५ ई० के नियम लागू नहीं होते हैं और वह बिना कोई वसीयत लिखेही मर गया।

६ जहांतक मैं जानता हूँ अदालतमें अभी तक कोई भी दरख्वास्त सक्सेशन सार्टीफिकट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार किसी सार्टीफिकटके लिए, या उक्त   के कर्ज, जमानत और रियासतके सम्बन्धमें प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए नहीं दीगई है और न ऐसा सार्टीफिकट, प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र दिया गया है, और दफा १ (८) के अनुसार, या उक्त ऐक्ट अथवा किसी दूसरे कानूनके अनुसार उस सार्टीफिकटके देनेमें जिसके लिए कि दरख्वास्त कीगई है [या, अगर अदालत उसे दे दिया है तो, उसके जारी होनेमें] कोई रुकावट नहीं है।

७ उन कर्जों और जमानतों इत्यादिकी जिनके सम्बन्धमें सार्टीफिकट तलब किया गया है, तफसील सूची (ब) में दीगई है जोकि इसके साथ नत्थी है।

८ सायलने अदालतमें सार्टीफिकटके सम्बन्धमें दीजाने वाली स्टाम्पि फीस अदा करदी है।

९ [किसी भी शख़्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नहीं है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लाज़ (क) का सम्बन्ध है]

१० इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ में बतलाया गया है [और यह कि उसमें बतलाए हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सकसेशन सार्टीफिकट ऐक्टके अनुसार उसे सार्टीफिकट ऐसा दिया जाय, जिससे उसको, कर्जेके रुपये की तहसील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई जमानतोंके ऊपर ब्याज और मुनाफ़ाका हिस्सा लेने तथा उन्हें बेच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ) मुतौफाकी जायदाद जो अदालतके अधिकार क्षेत्रके भीतर है।

सूची (ब) वह कर्जा जोकि मुतौफीकी जायदादपर वाजिब है जिसके सम्बन्धमें सार्टीफिकटके लिए दरख़्वास्त है।

(दस्तख़त) (दस्तख़त) सायल
वकील

मैं इस तहरीरके जरिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहा तक मैं जानता हूँ सही हैं, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई हैं, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही हैं।

(देखो पेज १३। १४

(दस्तख़त-सायल)

---

२६ किसी पागलका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त

व अदालत जनाब जिला-जज साहब

पागलका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त।

सायल वल्द साकिन का यह विनम्र निवेदन है कि —

१ सायल इस हुक्मके लिए यह दरख़्वास्त देता है कि इस बातको तय करने के लिए जाच कीजाय कि क्या सायलके भाई का दिमाग सही नहीं है और इसलिए वह अपने जिस्म और मालकी हिफ़ाजत कर सकनेके नाक़ाबिल है ?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि यह उक्त पागलके जिस्म और माल का वली मुकर्रर किया जाय।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु .. वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुर्दगीम है उसके मकानमें जो वाके है जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रम है।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ उस पागलके दो नजदीकी रिश्तेदार हैं।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई वली मुकर्रर नहीं किया है।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई महीना सन् १९ ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इन्तजाम करनेके नाक़ाबिल है।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद जिस किस्मकी है, वह कहां पर वाके है और उसकी तख़मीना मालियत क्या है, ये बातें सूची (फ़ेहरिस्त) म दी गई है जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम जरूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े।

[तस्दीक और दस्तखत [फ़ेहरिस्त जायदाद]

देखो पेज १३।१४

---

२७ ऋणीकी दरख्वास्त वास्ते दीवालिया करार दिए जानेके

बअदालत जनाब

. . सायल

१ मैं (यहां पर नाम, वल्दियत, सकूनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुक़ाम में रहता हूँ (या अपना व्यापार करता हूँ या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूँ) (अदालतका नाम और उस डिकरीकी तफसील जिसके सम्बन्धम हुक्म दिया गया है या रुकावट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्कीका हुक्म दिया गया है) के हुक्मके अनुसार अपना कर्जा अदा कर सकनेम असमर्थ होकर, यह दरख्वास्त देता हूँ कि मैं दीवालिया करार दिया जाऊं।

९ [किसी भी शख्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नहीं है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लाज (क) का सम्बन्ध है]

१० इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील • पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ में बतलाया गया है [और यह कि उसमें बतलाए हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सक्सेशन सार्टीफिकट ऐक्टके अनुसार उसे सार्टीफिकट ऐसा दिया जाय, जिससे उसको, कर्जेके रुपये की तहसील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई जमानतोंके ऊपर ब्याज और मुनाफाका हिस्सा लेने तथा उन्हें बच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ) मुतौफीकी जायदाद जो अदालतके अधिकार क्षेत्रके भीतर है।

सूची (ब) वह कर्जा जोकि मुतौफीकी जायदादपर वाजिब है जिसके सम्बन्धमें सार्टीफिकटके लिए दरख्वास्त है।

(दस्तखत) (दस्तखत) सायल

वकील ••

मैं इस तहरीरके जरिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहां तक मैं जानता हूँ सही हैं, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई हैं, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही हैं।

(देखो पेज १३। १४

(दस्तखत-सायल)

---

२६ किसी पागलका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त

ब अदालत जनाब जिला-जज साहब

पागलका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त।

सायल वल्द साकिन का यह विनम्र निवेदन है कि —

१ सायल इस हुक्मके लिए यह दरख्वास्त देता है कि इस बातको तय करने के लिए जांच कीजाय कि क्या सायलके भाई का दिमाग सही नहीं है और इसलिए वह अपने जिस्म और मालकी हिफाजत कर सकनेके नाकाबिल है ?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि वह उक्त पागलके जिस्म और माल का वली मुकर्रर किया जाय।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुर्दगीमें है उसके मकानमें जो वाके है जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ उस पागलके दो नजदीकी रिश्तेदार हैं।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई वली मुकर्रर नहीं किया है।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई महीना सन् १९ ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इन्तजाम करनेके नाकाबिल है।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद किस किस्मकी है, वह कहां पर वाके है और उसकी तखमीना मालियत क्या है, ये बातें सूची (फ़हरिस्त) में दीगई हैं जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी हैं।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम जरूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका वली मुकर्रर किया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े।

[तस्दीक और दस्तखत [फ़हरिस्त जायदाद]
देखो पेज १३।१४

---

२७ ऋणीकी दरख्वास्त वास्ते दीवालिया करार दिए जानेके

बअदालत जनाब

सायल

१ मैं (यहां पर नाम, वल्दियत, सकूनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुक़ीम में रहता हूं (या अपना व्यापार करता हूं या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूं) (अदालतका नाम और उन डिक्रीयों तफ़सील जिसके सम्बन्धमें हुक्म दिया गया है या रुकावट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्कीका हुक्म दिया गया है) के हुक्मके अनुसार अपना कर्जा अदा करनेमें असमर्थ होकर, यह दरख्वास्त देता हूं कि मैं दीवालिया करार दिया जाऊं।

२ मेरे ऊपर कर्जेकी रकमोंका जो कुछभी दावा है वह रु० है (यहां पर यह लिखना चाहिए कि किसी कर्जमें कोई जमानत है और अगर है तो कैसी है) जैसा कि सूची (अ) में बतलाया गया है जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है और जिसमें मेरे कुल महाजनोंके नाम और पता, जहां तक मैं उन्हें जानता हू या पता लगा सका हू, लिखे हुए हैं।

३ मेरी सारी जायदादकी तादाद और तफसील सूची (ब) में, जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है, और मेरी कुल जायदादकी, जिसमें रुपया शामिल नहीं है, और उस स्थान या उन स्थानोंकी तफसीलके, जहां पर कि यह जायदाद है, दीगई है और मैं इस तहरीरके जरिये यह इजहार करता हू कि मैं अपनी कुल ऐसी जायदाद अदालतके हवाले कर देनेके लिए तैयार हूं सिवाय उनके जिनमें ऐसी चीजें शामिल हैं (और मेरी हिसाबकी किताबें नहीं हैं) जो कानूनके अनुसार किसी डिकरीकी इजरामें कुर्क और नीलाम किए जानेसे मुस्तस्ना हैं।

४ मैंने इससे पहिले कभी भी दीवालिया करार दिए जानेके लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, या, मैं सूची (स) में दीवालिया करार दिए जानेके सम्बन्धमें दीगई दरख्वास्त या दरख्वास्तोंका ब्योरा देता हूं [यहां पर लिखी जानेवाली बातोंके सम्बन्धमें देखो दीवालिया ऐक्टकी दफा १३ (१) एफ (१) (२)।

सूची (अ) सूची (ब), सूची (स),

(तस्दीक और दस्तखत)
देखो पेज १३।१४

---

२८ जब्ती आराजीके मामलेमें दावा (बंगाल)

[शीर्षक जैसा नं० १ में है]

सेवामें

श्रीमान् डिपुटी कलक्टर साहब स्थान .. . ...

मुकद्दमा नं० सन् ई०

सायल ' वल्द साकिन '' का विनम्र निवेदन है कि—

१ सायल उक्त ... खेत नं० का दखीलकार काश्तकार है और उक्त आराजीकी बाबत उसे रु० फी बीघाके हिसाबसे श्रीयुत .. जमीन्दारको लगान अदा करना पड़ता है।

२ यह कि उक्त खेतोंका क्षेत्र फल (रकबा) बीघा ' कट्ठा और ' वर्ग फीट है और उनकी इस समय बाजारू दाम ... रु० फी बीघा है, यह कि उक्त आराजीकी कीमतमें जमीन्दार उस जमीनके साढ़ा।

मैं इस बातकी तस्दीक करता हूं कि मैंने इस मुकद्दमके कागजातकी जाचकी है और यह कि मेरी रायमें ऊपर बतलाई हुई वजहें इस अपीलके लिए अच्छी वजहें हैं और उसे तैयार कर चुकने पर मैं अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हूं।

(दस्तखत वकील)

---

३१ आम मुख्तार नामा

सर्व साधारणको विदित हो कि मैं वल्द उमर कौम हिन्दू, पेशा जमीन्दार, साकिन हाल परगना तहसील जिला ने श्री वल्द कौम साकिन को मेरी जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए अपना सच्चा और कानूनी मुख्तार नामजद किया, बनाया और नियत किया है और इस तहरीरके जरिये नामजद करता हूं, बनाता और मुकर्रर करता हूं और अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूं और अपना अधिकार देता हूं कि वह जैसा कि उक्त मुख्तारको मुनासिब और मेरे मतलब और फायदेके लिए जान पड़े, नीचे लिखे कुल कामोंको करे —

किसी न्यायालयमें किसी प्रकारके कर्ज या रुपये, अधिकार, हकीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीजको दिलापानेके लिए जोकि मुझे मिलना है या वाजिबुल वसूल है या मिलनेको या वाजिबुल वसूल होनेको हो या और किसी तरह मेरी मिल्कियत हो या उसी मुकद्दम या कारवाई तथा उन तमाम मुकद्दमों या कारवाइयोंमें मेरी तरफसे हर अङ्गरेजी व रियासती अदालतोंमें हाजिर हो और मेरी तरफसे पैरवी करे, अदालतमें दाखिल होने वाले कागजों पर मेरा नाम बकलम अपने लिखे और तस्दीक कराये। अदालतों व सरकारी मोहकमोंसे अपनी रसीद दाखिल करके मेरा पाफ्तनी रुपया उठावे और उस रसीदकी तस्दीक करे। और जो कुछ कि कारवाई किसी भी मुकद्दम या मामलेमें जरूरी होवे पंच मुकर्रर करे और मेरी तरफसे बयान लिखाय इजहारद और अपनी तरफसे कोई वकील आदि या मुख्तार खास किसी मामलेमें नियत करे। जो कुछ कि कारवाई मेरे उक्त मुख्तार आमके द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी कि उसे मैंने खुदकी है और उसका मैं पूरा पाबन्द हूंगा इसलिए यह आम मुख्तार नामा लिख दिया कि सनद रहे तारीख माह सन् १०

(दस्तखत)

रजिस्ट्री

---

३ यह कि किता जमीन न०   पर वाके इमारतकी कीमतकी बाबत असामी सिर्फ   रु० ही पानेका हकदार है और सायल मुआविजेका बाकी कुल रुपया पानेका हकदार है और यह कि चूंकि असामी सायलके मातहत सिर्फ एक माफ़ीदार है इसलिए वह उस जमीनका हिस्सा पानेका हकदार नहीं है।

(दस्तखत व तस्दीक़)
देखो पेज १३।१४

---

३० याददाश्त अपील

[शीर्षक वगैरा जैसा नं० १ में है]

बअदालत जनाब जिला-जज साहब   .

अपील   नं०   सन्   ई०

...   .   मुद्दई अपीलाण्ट

बनाम

मुद्दाअलेह रेस्पाण्डेण्ट

उपरोक्त मुद्दई, उस डिकरीसे असन्तुष्ट होकर जो   के मुन्सिफ़ साहबने तारीख़ .. को मुक़द्दमा न०   में दी है, उक्त डिकरीके विरुद्ध यह अपील पेश करना चाहता है जिसकी दूसरी वजहोंमेसे कुछ वजहें ये हैं.—

१ यह कि नीचेकी अदालतने यह तय करनेमें, कि मुक़द्दमेकी मियाद खारिज होगई है, कानूनी गलतीकी है।

२ यह कि नीचेकी अदालतको यह तय करना चाहिए था कि मुद्दई यह मुक़द्दमा दायर किए जानेकी तारीखसे बारह सालके भीतर आराजी मुतनाजाके ऊपर क़ाबिज था।

३ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था कि जो 'किबाला' मुद्दाअलेहने दाखिल किया है वह फ़रेबसे हासिल किया गया था और वह बिलकुलही सही दस्तावेज नहीं था।

४ यह कि अदालतने उस 'किबाला' को इस मुक़द्दमेकी शहादतमें लेकर बड़ी भारी कानूनी गलती की है।

५ यह कि नीचेकी अदालतको नहीं चाहिए था कि वह तहसील-वसूलके कागजों और पैदावारके ऊपर जोकि मुद्दईकी ओरसे दाखिल किए गए थे, विश्वास नकरे।

६ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था जैसा कि अर्जीदावामें बतलाया गया था।

७ यह कि नीचेकी अदालतका फैसला मुक़द्दमेमें दीगई शहादतके प्रभावके विरुद्ध है और यह कि यह न्याय, इन्साफ और शुद्ध अन्तःकरणके विरुद्ध है।

मैं इस वातकी तस्दीक करता हूं कि मैंने इस मुकद्दमेके कागजातकी जाचकी है और यह कि मेरी रायमे ऊपर बतलाई हुई वजह इस अपीलके लिए अच्छी वजह है और उसे तैयार कर चुकने पर मै अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हू।

(दस्तखत वकील)

---

२१ आम मुख्तार नामा

सर्व साधारणको विदित हो कि मै वल्द उमर कौम हिन्दू, पेशा जमीन्दार, साकिन हाल परगना तहसील जिला ने श्री वल्द कौम साकिन को मेरी जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए अपना सच्चा और कानूनी मुख्तार नामजद किया, बनाया और नियत किया है और इस तहरीरके जरिये नामजद करता हूं, बनाता और मुकर्रर करता हू और अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूँ और अपना अधिकार देता हूं कि वह जैसा कि उक्त मुख्तारको मुनासिब और मेरे मतलब और फायदेके लिए जान पड़े, नीचे लिखे कुल कामोंको करे —

किसी न्यायालयमे किसी प्रकारके कर्जे या रुपये, अधिकार, हकीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीजको दिलापानेके लिए जोकि मुझे मिलना है या वाजिबुल वसूल है या मिलनेको या वाजिबुल वसूल होनेको हो या और किसी तरह मेरी मिल्कियत हो या उसी मुकद्दमे या कार्रवाई तथा उन तमाम मुकद्दमों या कार्रवाइयोंमे मेरी तरफसे हर अङ्गरेजी व रियासती अदालतोंमे हाजिर हो और मेरी तरफसे पैरवी करे, अदालतमे दाखिल होने वाले कागजों पर मेरा नाम बकलम अपने लिखे और तस्दीक करावे। अदालतों व सरकारी मोहकमोंसे अपनी रसीद दाखिल करके मेरा याफ्तनी रुपया उठावे और उस रसीदकी तस्दीक करे। और जो कुछ कि कार्रवाई किसी भी मुकद्दमे या मामलेमे जरूरी होकर पंच मुकर्रर करे और मेरी तरफसे बयान लिखावे इजहार दे और अपनी तरफसे कोई वकील आदि या मुख्तार खास किसी मामलेमे नियत करे। जो कुछ कि कारवाई मेरे उक्त मुख्तार आमके द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी कि उसे मैने खुदकी है और उसका मै पूरा पाबन्द हूंगा इसलिए यह आम मुख्तार नामा लिख दिया कि सनद रहे तारीख माह सन् ई०

(दस्तखत)

रजिस्ट्री

---

३२ मुख्तारनामा खास

[किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्रीके लिए]

सर्व साधारणको विदित हो कि मैं . . . . वल्द साकिन कौम पेशा साकिन जिला का हूं। चूंकि मैंने एक दस्तावेज व हक वल्द कौम साकिन के लिए दिया है और चूंकि उक्त दस्तावेजकी तकमील को स्वीकार करनेके लिए मैं रजिस्टरिङ्ग अफसर स्थान के सामने स्वयं हाजिर होसकनेमें असमर्थ हूं इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक होगया है कि उपरोक्त तकमील और तस्दीक करनेके लिए मैं किसी शख्सको अपना मुख्तार मुकर्रर करूं। और इसलिए मैं उक्त दस्तावेजकी रजिस्ट्री कराने के लिए और उस दस्तावेजकी तकमीलको मंजूर करनेके लिए श्रीयुत वल्द कौम साकिन पेशा को अपना मुख्तार मुकर्रर किया है, कि वह मेरे नामसे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेजको मुनासिब रजिस्टरिङ्ग अफसर मुकाम के सामने रजिस्ट्रीके वास्ते पेश करे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेज की तकमीलको तस्लीम करें।

तारीख (दस्तखत)

नोट—ऐसे मुख्तारनामेका रजिस्ट्री होना चाहिये।

३३ पट्टा (बंगाल)

आज तारीख माह सन् १९ ई० को श्री (जोकि इसमें आगे चल कर पट्टा देहन्दाके नामसे सम्बोधित किए गए हैं) तथा श्री (जोकि आगे चल कर पट्टादार कहे गए हैं) के बीच इकरारनामा हुआ। जिसके जरियेसे पट्टा देहिन्दाने वह कुल ईटसे बना हुआ पक्का मकान या हवेली मय उन कुछ बाहरी मकानों, गोदामों, अस्तबलों, गाड़ी खानों तथा तमाम दूसरी उनसे सम्बन्ध रखने वाली चीजों और तमाम हकूक, हकूक अनायत और रिआयतोंको, जोकि उनसे सम्बन्ध रखती हैं और जो " " पर शहर के अन्दर वाके हैं [यहां रकबा और हदूद लिखना चाहिए,] तारीख माह सन् १९ ई० से सालाना मियाद पट्टेदारी पर और रु० सालानाके किरायेपर जोकि सिर्फ हर महीनेकी पांचवीं तारीखको या उससे पहिले अदा किया जायगा उठा देने का इकरार किया और पट्टेदारने उसे लेनेका इकरार किया, और पट्टेदार इस तहरीरके जरिये पट्टा देहन्दाके लिये नीचे लिखा इकरार करता हूं—

१ यह कि ऊपर बतलाए हुए दिनों और तरीके पर उक्त लगान (किराया) और रकम अदा करता रहूंगा।

२ उक्त मकान और जगहमें एक ठीक और ऐसे तरीके से रहने रहन और

उसको इस्तेमाल करते रहेंगे कि वह काबिल सकूनतबना रहे।

३ पट्टादारी के दौरानमें उक्त मकान वगैरा के लगाये गये रेट, महसूल और अबवाबको अदा करता रहेगा।

४ यह कि उक्त जगहके ऊपर कोई भी व्यापार या कारबार नहीं किया जायगा बल्कि उक्त मकान और जगह सिर्फ रहने वगैराके कामके लिए इस्तेमाल किए जायगा।

५ यह कि पट्टेदार इस इकरारनामाके अनुसार उक्त इकरारनामामें अपने हक को किसीके नाम मुन्तकिल नहीं करेगा और न बिना तहरीरी रजामन्दी उस जमीन्दारके उसर या उसके किसी हिस्सेके कब्जेको छोड़ सकेगा और न उसे किसी शख्सको शिकमी उठा सकेगा।

६ यह कि पट्टा देहन्दा और उसके कारिन्दा या मुख्तारको कानूनन यह अधिकार होगा कि वह उसकी हालतकी देख भाल करनेके लिए इस मियाद पट्टेदारीके दौरानमें तमाम मुनासिब मोकोंके ऊपर उक्त मकान और हाता के अन्दर जासकें। लेकिन इसके साथ यह शर्त हमेशा लगी रहेगी कि अगर कोई भी किराया उन तारीखों पर जोकि इसकी अदायगीके लिए इसके बादमें मुकरर की जायेंगी अदा न किया जायगा, चाहे वह जाब्तेसे तलब किया गया हो या न किया गया हो या अगर पट्टेदार दीवालिया होजायगा या अपने महाजनोंके साथ कोई राजीनामा (सुल्हनामा) कर लेगा या अगर पट्टेदार इस इकरार-नामाके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल नहीं करेगा तो पट्टा देहन्दा उसके वारिस कुनिन्दा, प्रबन्धकों या मुन्तकिल अलहोंको कानूनन यह अधिकार होगा कि वे उक्त मकान और जगहके ऊपर फिर कब्जा करले और उसमसे कुल आदमियोंको निकाल दें और हटा दें और जो पट्टा इस तहरीरसे पैदा होता है वह खतम होजायगा।

और पट्टा देहन्दा पट्टेदारके साथ नीचे लिखा इकरारनामा करता है—

१ यह कि पट्टेकी मियादके दौरानमें उस मकानके बाहरी हिस्सेकी मरम्मत करवाता रहेगा।

२ यह कि उक्त कियायाको अदा करते हुए और इस इकरारनामाके अनुसार कार्य करते हुए पट्टेदार पट्टा देहन्दा, या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे जोकि उसके लिए या उसके जरियेसे दावेदार है उसके द्वारा बिना किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप किए हुए शान्तिके साथ उस मकानमें रह सकता है और उस जगहको इस्तेमाल कर सकता है।

इसके सबूतके लिए इस इकरारनामाके फरीकैनने आज तारीख माह सन को उस पर अपने अपने दस्तखत किए और अपनी अपनी मोहर लगादी।

३४ हिबानामा (दानपत्र)

मै कि ... वल्द • कौम • ...
साकिन ... ... जिला .. ... • • का हूँ। चूंकि
मुसम्मी • ... • को मैने परवरिश किया था और उसने अपने समस्त जीवन कालमे बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी तथा शुभचिन्तकताके साथ मेरी सेवा की और मुझे हरप्रकारसे खुश रखा। तीन वर्ष व्यतीत हुए, जब कि उसका देहान्त होगया था। उसका पुत्र मुसम्मी भी बहुतही सच्चाई और नेकनीयतीके साथ मेरी खिदमत करता है। अतएव मै इस विचारसे कि मुसम्मी मेरे परवरिश किये हुए, एक निहायत ईमानदार नौकरका पुत्र है और स्वयं भी अपने पिताके समान ही, मेरी सेवा करता रहा है, मै अपनी स्वतन्त्र इच्छासे, खुशीके साथ, ठीक होसहवास मे प्रतिज्ञा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि कुल जायदाद स्थावर तथा जङ्गम वगैरा मुफ़स्सिल जैल उसको हिबा करदी, और आजसे उस रियासतसे अपना अधिकार निकालकर, उसका कब्जा मालिकाना करा दिया और अपने समान अधिकार दे दिया।

भविष्यमे मुझे अपने जीवनकालमें तथा मेरे वारिसोंको मेरी मृत्युके पश्चात उक्त जायदाद पर कोई अधिकार या दावा न होगा।

तफ़सील जायदाद जो हिबा कीगई
स्थावर • • • • •• कीमती •• •• ...
जङ्गम • • •• वाके • ••

ता० माह सन्
दस्तखत हिबा करने वाले के वल्द ... ••
कौम •• .....साकिन गवाह •
गवाह ... •

---

३५ बयनामा

मैं कि • •• ... वल्द •• कौम •• ...
उमर साकिन •• जिला • •• का हूँ जोकि
एक मंजिल हवेली पुख़्ता जिसकी लम्बाई • गज चौड़ाई •
गज रकबा, •• जिसके अन्दर पूरबकी ओर • • पश्चिम
की ओर • • • उत्तर की ओर •• • दक्षिण की
ओर •• • है जिसकी चौहद्दी पूर्वमे • पश्चिम
... उत्तरमे ... •• दक्षिणमे • है
न० वाके • • •• • • मे है जो कि मेरी मौरूसी जायदाद है और मेरे पूर्वजों द्वारा खरीदी और बनवाई गई है उसमे विना किसीकी शिरकत उसपर काबिज हूँ अब मैंने उक्त हवेलीको, अपनी स्वस्थ

अवस्थामें, स्वतन्त्र इच्छा, ठीक होशहवासके साथ, बिना किसी प्रकारके प्रलोभन या दबावके, बएवज हजार रुपये सिक्के चेहरेदार प्रचलित, जिसके आधे ... हजार होते हैं श्रीमान् वल्द कौम साकिन जिला के हाथ बेच दिया, तथा बय सम्बन्धी समस्त रुपया उक्त खरीदारसे प्राप्त कर लिया और आज ता० माह सन् से उक्त हवेली तथा तत्सम्बन्धी जमीनपर खरीदारको अपने समान अधिकार तथा कब्जा दे दिया। अब मुझको या मेरे वारिसोंको रेहन या बयके विषयमें कोई अधिकार बाकी न रहा। यदि कोई हिस्सेदार या शरीक उक्त हवेलीपर किसी प्रकार का दावा करे, तो उसका उत्तरदायित्व मुझ बय करनेवाले पर होगा, और यदि किसी कारणसे उक्त हवेलीका कुछ हिस्सा या कुछ भाग निकल जावे, तो खरीदारको यह अधिकार होगा, कि वह अपनी बय सम्बन्धी रकम मय सूद फीसदीके हिसाबसे मुझ बेचनेवाले की स्थावर तथा जङ्गम जायदादसे नियमानुसार वसूल करले। अतएव यह बयनामा मय गवाहान् हाशिया के लिए दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे। इसके अतिरिक्त एक किता दस्तावेज जो मेरे पूर्वजों के समय की मेरे पास थी खरीदारको दे दिया। ता० माह सन्

दस्तखत बय करनेवाले के वल्द साकिन

गा० १ गा० २ गा० ३ ...

---

३६ रेहननामा

मैं कि वल्द कौम साकिन जिला का हूँ। जोकि मौजा परगना जिला के हिस्सेका अधिकारी हूँ और मैं बिना किसीकी शिरकत, व दखलके काबिज हूँ तथा उसकी आमदनीसे लाभ उठाता हूँ अब बिना किसीके दबाव, अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ठीक होशहवासमें उक्त अपने अधिकार जमीदारीको मय समस्त अधिकार दाखिली व खारजी अर्थात् आराजी मजरूआ व गैर मजरूआ बंजर व ऊसर, पोम्बर व तालाब व कुयेंपक्के व कच्चे व बागात व वृक्ष खुदरा व आबादी, जङ्गल व ढाक व रक्मात सवाई तथा उक्त जमीदारी सम्बन्धी हरप्रकार की आमदनीके बएवज हजार जिसके आधे हजार सिक्के प्रचलित इस समय होते हैं पास श्रीमान् वल्द कौम साकिन परगना जिला के रेहन किया व गिरवी रखा तथा तमाम रेहननामा सम्बन्धी रुपया मुरतहिनसे नकद रकमुश्त

प्राप्त कर, उक्त जमींदारी को अपने अधिकारसे निकल कर ता० माह सन् से मुरतहिनके अधिकार व कब्जेमें मुरतहिनको विभाग द्वारा दे दिया और अपनी मिल्कजात कायमसुकाम बना दिया आजसे मेरी मिल्कजातके उक्त रेहनशुदा जमींदारीके बाबत मुरतहिन को हर प्रकारका अधिकार हासिल है, जिस प्रकार चाहे उससे लाभ उठाये। उक्त रेहनशुदा जमींदारीकी आमदनी, रकम रेहनके सूदमें मोजरा होती रहेगा। अतएव न मुझ राहिन को मुनाफा पैदावार जमींदारी और न मुरतहिनको जर रेहनके सूदका इस रेहननामेके अस्तित्व तक दावा होगा, जब चाहूँ जररेहन एकमुश्त अदा करके इनफिकाक रेहन करवा लू, किन्तु विना जररेहन एकमुश्त अदा किये हुए इनफिकाक रेहन न होगा, और जबतक कुल रकम न अदा हो जायगी रेहन शुदा जायदाद को किसी दूसरी जगह परिवर्तित करनेका अधिकार न होगा, और यदि कीजायगी, तो वह परिवर्तन नाजायज समझा जायगा। मैं इस जायदादका दाखिल खारिज करवा दूंगा, यदि दाखिल खारिज न करवाऊं, या जायदाद मरहूना कुल, या उसका कुछ हिस्सा किसी वजहसे मेरे या मेरे वारिसोंके अधिकारसे निकल जाय, तो मुरतहिनको अधिकार रहे कि वह अपना कुल रुपया मय सूद दर के हिसाबसे मेरी कुल दूसरी जायदाद स्थावर व जङ्गमसे नियमानुसार वसूल करले। यदि रेहन शुदा जायदादके सम्बन्धमें कोई सहीम या शरीक किसी प्रकारका दावा करे तो मैं उसकाउत्तरदायी हूंगा। अतएव यह रेहननामा दस्तखत लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे।

ता० माह सन्

दस्तखत राहिनके वल्द कौम साकिन

ग० ग० २ ग० ३

---

२७ इक़रारनामा

मैं कि वल्द कौम साकिन जिला का हूं जो कि रुपये जिसके आधे होते हैं पास श्रीमान् वल्द कौम साकिन से नकद पेशगी लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि तीन माहके अन्दर चार खेमे मय सब सामान तय्यार करके का खेमा रुपयेके हिसाबसे देदूंगा। यदि नियत समयके अन्दर इक़रारनामेके अनुसार खेमे तय्यार करके न दे दूं तो उक्त रकम मय दो रुपये सैकड़े सूद माहानाके, विना किसी उज्र या हीला हवालाके अदा करूंगा यदि खेमे मय कुल सामानके नियत समयके अन्दर तय्यार करके दे दूंगा तो शेष रकम

प्रतिमास • को तम्बू ले लूँगा। अतएव, यह इक़रारनामा बराहाइत गवा हान् लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आये।

• ता० माह • सन •••

दस्तख़त इक़रारनामा लिखनेवाले के

गा० गा० गा०

---

३८ वसीयतनामा

मैं कि वल्द • साकिन जिला व वजह अपनी तन्दुरुस्ती एराव हार्न कि अपनी मौतके बाद अपनी जायदादके लिये यह आखिरी वसीयतनामा लिखता हूं। मैं इस वसीयतनामेके जरिये इस तौर वसीयत करता हूं —

१ मैं अपने पुत्र •• जो अपने वसीयतनामेका तामील कुनिन्दा और ट्रस्टी मुकर्रर करता हूँ। और एलान करता हूँ कि वह तमाम हुक्म और अधिकार जो कि मेरे इन तामील कुनिन्दाओं और ट्रस्टियों को प्राप्त है उनके वारिसों और दस्तवारिसों को हासिल होती रहेगी।

२ मैं अपने तामील कुनिन्दा और ट्रस्टियों को हुक्म देता हूं कि वे मेरी जायदादसे सबसे पहिले मेरे वाजिबुल अदा कर्ज और वसीयतनामेके मुताल्लिक अखराजात अदा करें और • रुपया मेरी अन्त्येष्टि क्रिया और श्राद्धमें खर्च किये जाय।

३ मैं अपनी प्यारी पत्नी श्रीमती को साढ़े तीन फी सदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट कीमती रुपये के देता हूँ व मेरी मौतके छ महीनेके अन्दर बिल्कुल अदा कर दिये जाय। मैं अपनी उक्त पत्नी श्रीमती को अपना मकान सकूनती न० सड़क शहर बम्बई को सिर्फ उसकी जिन्दगी भरके लिये देता हूं। मैं उसे वह तमाम जवाहिरात और सोने तथा चांदीके जेवरात भी जिसे वह इस्तैमाल करती रही है वसीयत करता हूं।

४ मैं इस वसीयतनामेके द्वारा अपना व्यवसाय जो के नामसे चलता रहा है और जिसका मैं पूर्ण अधिकारी हूँ अ ब स द और य पुत्रोंको जो मेरे प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुत्र हैं समान हिस्से पर देता हूं। उक्त पांचो पुत्रोंको मैं अपनी तमाम पैतृक जायदाद और मेरी स्वयं उपार्जित रियासत, जो कि जिला और में वाके है और चार फीसदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट भी कीमती रुपये तथा समस्त मेरी गृहस्थी सम्बन्धी वस्तुएं, सामान और समस्त स्थावर तथा जङ्गम जायदाद, जिसका कि मैं मालिक हूँ या जो मेरे अधिकार में है वसीयत करता हूँ।

५ मै इस वसीयतनामेके द्वारा अपनी दो पुत्रियों श्रीमती और श्रीमती को पांच हजार रुपये नकद देता हूँ, वे उन को मेरी मृत्युके दो महीनेके अन्दर देदिये जाय।

६ मै अपने तामील कुनिन्दोको हुक्म देता हूँ कि वे मेरी उक्त पत्नी श्रीमती को उन तमाम चीजोंके अतिरिक्त जो मने उसे इस वसीयतनामेके द्वारा दिया है चालीस रुपया मासिक उसके व्यक्तिगत खर्चके लिये ताहयात देते रहे।

७ मै अपने तामील कुनिन्दोको यह भी हुक्म देता हूँ, कि वे तीन फीसदी सूदके मेरे गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट, कीमती हजार अलाहिदा करदे और उसके सूदसे दुर्गापूजाका सालाना खर्च चलायें, तथा अपने इष्ट देव श्रीशङ्करजी की दैनिक सेवाका प्रबन्ध रक्खे।

(वसीयत कर्ताके दस्तखत)

निम्न सज्जनोंकी उपस्थितमे तस्दीक किया गया —

१ }
२ } गवाह
३ }

---

३९ तकसीमनामा

हम कि व वल्द कौम पेशा साकिन परगना जिला के है जो कि मौजा के मय बागात व मकानात वगैरा, जो इस मौजेमे वाके है बिला किसीकी शरकत व अधिकारके हम काबिज व पूर्ण अधिकारी है अब हमने अपनी रजामन्दी, निश्चित सम्मति तथा ठीक होस हवासम समयानुसार भविष्यके लिये यह उचित समझा है कि उक्त मौजेकी जमाबन्दी व खसरा बदोबस्तके अनुसार दो मुहाल करलें तथा स्थावर व जङ्गम सम्पत्तिको दो समान भागोंमे विभाजित कर, हम दोनों नीचेकी सूचियोंके अनुसार बाट लिया और अपने अपने भागा पर अधिकार कर लिया है। आगामी वर्ष सन् से सरकारी आमदनी-अलग अलग अदा किया करेंगे, और इस बटवारेकी एक एक फर्द हम दोनोंके पास मौजूद रहेगी। इस बटवारेके अनुसार कलक्टरी विभागमे अर्जी देकर, दोनों मुहालोंकी पृथक खेवटें तय्यार करा कर,

जमाबन्दी अलग अलग करादी जायगी। भविष्यमें हमें या हमारे वारिसोंको इस तकसीमनामेके विरुद्ध किसी प्रकारकी शिकायत न होगी, और न इसकी शर्तोंके विरुद्ध किसी प्रकारकी समाअत होसकेगी। अतएव यह तकसीमनामा मय शहादत गवाहान हाशिया, इसलिये मुरत्तिब हुआ कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दस्तखत तकसीम कुनिन्दा

गः गः

---

४० खास किस्मका बयनामा

जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक पैदा हो जाय और वह निर्धनताके कारण अदालतमें नालिश न कर सके और अपने हकका कोई हिस्सा किसीको इस मतलबसे बय करदे कि वह मुकद्दमेके खर्चके बदले जीतने पर उतना हिस्सा ले लें ऐसा बयनामा बहुत मुश्किल होता है और बहुत समझ बूझ कर लिखा जाता है। हम नीचे ऐसेही एक बयनामेकी नकल देते हैं जिसे नामी और गम्भीर एवं धुरंधर वकीलोंने श्रीमान् सेठ जगन्नाथ चिरंजीलाल गोइन्दकाके हकमें लिखा था। आपको इससे अपने मामलेमें बहुत मदद मिलेगी

हम कि छन्नू व रामचरन व भैय्यालाल पिसरान फकीरे चौधरी व रामसेवक पिसर तुलसीदास नबीरा फकीरे अकवाम वैश्य साकिनान जैतपुर परगना कुल पहाड़ जि० हमीरपुर बजरिये इस तहरीरके हस्ब जैल इकरार करते हैं और लिखे देते हैं।

१ यह कि अयोध्या प्रसाद हम मुकिरानका रिश्तेदार करीबी हस्ब शिजरा जैल था। अयोध्या प्रसाद मजकूरने फौत हुआ कि जायदाद मालियती कसीर छोड़कर वफात पाई। अयोध्या प्रसाद मजकूर अपने भाई भवानी प्रसाद और उसकी औलादसे अलहदा और मुन्किसम थे, और जुड़ावन तीसरा भाई अयोध्या प्रसादका लावल्द बहयात अयोध्या प्रसाद फौत हो चुका था।

२ यह कि अयोध्या प्रसादने ब वक्त वफात अपने, अलावा दीगर जायदादके जायदाद जिमींदरी कसीर उल मालियत छोड़ी। तमाम जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर व नीज जायदाद जमींदारी मजकूर उसकी बेवा मुसम्मात

साई बरासतन मालिक व क़ाबिज़ हीन हयाती व अख़्तियारात महदूद हुई। मुसम्मात साई भी एक ज़माना हुआ फौत होगई और उसकी वफ़ात पर मुसम्मात ललता बाई दुख्तर अयोध्या प्रसाद मौसूफ़ बरासतन मालिक व क़ाबिज़ हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद की व शमूल जायदाद जिमींदारी मज़कूरके व अख़्तियारात महदूद हुई और जिस क़दर कर्जा बाफ़्तनी अयोध्या प्रसाद बन्द हिस्सा जिमींदारी मुसम्मात ललता बाईने खरीद किये वह भी जुज़ जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद होगये।

३ यह कि अयोध्या प्रसादके एक लड़का मुसम्मी कल्लू था जो कि बहयात अपने बाप अयोध्या प्रसादके फौत होगया। कल्लूने व वक्त वफ़ात अपने दो बेवगान यानी मुसम्मातान लाडली और सलोनी और एक लड़का नथ्थू छोड़ा। बादहू नथ्थू भी बहयात अयोध्या प्रसादके लावल्द फौत होगया और कुछ अर्से बाद मुसम्मात लाडली बेवा कल्लू फौत हुई मुसम्मात सलोनी बेवा कल्लूको व वजह इसके कि उसका शौहर बहयात उसकी सुसरके फौत होगया था कोई हक़ जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसादमें नहीं पहुंचा। अयोध्या प्रसाद ने बाद वफ़ात कल्लू महज़ बगरज़ दिलजोई, बेवा कल्लू का नाम चन्द मवाजियात पर दर्ज करा दिया था लेकिन फ़िलवाक़े मालिक वा क़ाबिज़ कुल जायदादका तनहा अयोध्या प्रसाद रहा और बाद उसकी वफ़ातके मुसम्मात साई और बाद हू मुसम्मात ललता बाई व हक़ हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद व शमूल उस जायदादके जो अयोध्या प्रसादके मतरूकासे खरीदी गई थी क़ाबिज़ रही।

४ यह कि बाद वफ़ात मुसम्मात साईके, जब कि ललता बाई जायदाद पिदरी पर हीन हयाती व अख़्तियारात महदूद बरासतन मालिक व क़ाबिज़ थी, मु० सलोनी व ललता बाई दुख्तर अयोध्या प्रसादने व साज़िश तातिया प्रसाद दामाद मु० ललता बाईके, यह ज़ाहिर किया कि मु० सलोनी बेवा कल्लूने मुसम्मी श्यामी प्रसाद पिसर तातिया प्रसादको हस्ब इजाज़त शौहरी गोद लिया। और यह क़िस्सा गोदका औलाद भवानी प्रसादको, जो कि वारिस माबाद वाले थे महरूम करनेकी गरज़से अफ़ना किया गया और इस मामलेमें मुसम्मी फ़क़ीरे को भी शामिल इस तरीक़ेसे कर लिया कि एक पञ्चायतनामा फ़र्ज़ी व साज़िशी तहरीर कराया गया जिसकी रूसे मिन् जुमले जायदाद जिमींदारी मतरूका अयोध्याप्रसाद के जमींदारी मुन्दर्जे फ़ेहरिस्त (अलिफ) व (बे) मुन्दर्जे जैल में बक़दर एक सुलसके फ़क़ीरे को दिलाया गया और बक़ीया दो सुलस जायदाद मज़कूरका मालिक श्यामीप्रसाद क़रार दिया गया। और जो जायदाद फ़ेहरिस्त नम्बर (जीम) में दर्ज है और जो बज़रिये दो क़िता हेबा नाम जात मोरख़ा ता० २७ अगस्त सन् १८९० ई० और दोयमी मोरख़ा ता० ११ सितम्बर १८९० ई० के मुसम्मात सलोनी ने बहक़ तातियाप्रसाद हिबा करदी थी उसकी निस्बत यह क़रार पाया कि वह जायदाद बदस्तूर मौहूब अलैह मौसूफ़ के क़ब्ज़ेमें रहेगी।

(५) यह कि रिस्सा तवनियत स्वामीप्रसादका महज गलत और बे बुनियाद था और फिलवाके स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनीने कभी अपने शौहर मुसम्मी फत्तूके लिये गोद नहीं लिया और अगर ब फर्ज मुहाल स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनी अपने शौहर मुसम्मी फत्तूके लिये गोद लेती तो तवनियत मजकूर शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती। लेकिन बावजूद इन तमाम उमूरके मामलेमें रंगत देनेकी गरजसे एक गोदनामा भी फर्जी ता० १३ मई सन् १९०९ ई० यानी जिस रोज पंचायतनामा लिखा गया तहरीर करा लिया गया।

(६) यह कि मुसम्मी भगवानदास पिसर फत्तूने नालिश नम्बरी ३०३ सन् १९१० ई० व अदालत सबजज बहादुर जिला बांदा बाबत इस्तकरार इन उमूरके दायरकी कि यह करार दिया जावे —

(अलिफ) स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनीने कभी गोद नहीं लिया और तवनियत जिनका जिक्र तवनियतनामा मौरुखे १३ मई सन् १९०९ ई० में है, फिलवाके कभी अमलमें नहीं आई और अगर इस किस्मकी तवनियत फिलवाके अमलमें आती, तो वह शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती और स्वामीप्रसाद मजकूरको कोई हक मतरूका अयोध्याप्रसाद मुन्दर्ज फेहरिस्त (अलिफ) व (बे) में नहीं पहुँचा।

(बे) तवनियतनामा व फैसला सालिसी मौरुखे १३ मई सन् १९०९ ई० बमुकाबिले जायदाद मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) (बे) व (जीम) बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके नाजायज व गैर मुअस्सर करार दी जावे और इस्तकरार इस अम्रका फरमाया जावे कि स्वामीप्रसाद व तातियाप्रसादका कोई हक जायदाद मजकूरे बालामें बजरिये दस्तावेजात मजकूरेनके नहीं है। नालिश मजकूर अदालत इब्तदाइस कानूनी बुनियाद पर खारिज हो गई जिसकी अपील अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट इलाहाबादमें मिन्जानिब भगवानदास मौसूफ दायर हुई और अदालतुल आलिया हाईकोर्टसे फैसला अदालत मातहतका मसूख होकर दावी भगवानदास जिस इस्तदुआय दादरसीके साथ दायर हुआ था डिकरी होगया। यानी हरदो दादरसी हाय इस्तकरारया मजकूरे बालाकी डिकरी सादिर होगई।

(७) यह कि ब नाराजी फैसला अदालत हाईकोर्टके अपील मिन्जानिब स्वामीप्रसाद व तातियाप्रसाद व अदालत प्रिवीकौंसिलमें दायर हुआ और वहांसे फैसला अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबाद बहाल रहा सिर्फ इस कदर तरमीम फैसला हाईकोर्ट मजकूरमें अदालत प्रिवीकौंसिलने की कि जो डिकरी इस्तकरारिया अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबादने सादिरकी है उसका निफाज दरमियान मुद्दई और मुद्दाअलेहम न० ८ लगायत १२ के एक जानिब व दीगर मुद्दाअलेहमके दूसरी जानिब महदूद रहेगा। और इन दीगर मुद्दाअलेहमके हुकूक वाहमी पर इस डिकरीका कोई असर न होगा।

(८) यह कि किस्सा तवनियत अदालत आखिरी यानी प्रिवीकौंसिलसे गलत करार पा चुका है तवनियतनामा व पंचायतनामा मजकूरे बाला भी

नाजायज और गैरमुअस्सर व मुकाबिले हकूक हममुकिरानके करार पाचुके हैं और यह तय हो चुका है कि स्वामीप्रसाद या तातियाप्रसादका कोई हक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद मजकूरे बालामे नहीं है।

(९) यह कि मुसम्मात ललताबाईने बतारीख ३ नवम्बर सन् १९१८ ई० मुताबिक कातिक बदी अमावस्या सम्वत् १९७५ वि० वफात पाई। उसकी वफात पर मुसम्मी फकीरे जो कि उस वक्त हयात था बहैसियत करीबतरी वारिसमाबाद अयोध्याप्रसादके मालिक व काबिज कुल जायदाद जमीदारी मतरूका अयोध्याप्रसादका हुआ।

(१०) यह कि फकीरे करीब एक साल बाद वफात ललताबाईके फौत होगया। और उसकी वफात पर उसके पिसरान् मुसम्मियान छन्नू व रामचरन व भैयालाल व तुलसीदास व बराबत अपने बापके मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादके हुए और हैं। बादहू मुसम्मी तुलसीदासने अपने पिसर रामसेवकको छोड़कर वफात पाई अब हम मुकिरान नम्बर १ लगायत ४ मालिक जायदाद मजकूरके हैं।

(११) यह कि बवजह इसके कि जिस वक्त पचायतनामा तहरीर हुआ मुसम्मी फकीरे मजकूरको कोई हक फिलवाके जायदाद मजकूरमे हासिल नहीं हुआ था बल्कि उसको महज कान्टनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) बहैसियत रिवर्जनर (Reversioner) के हासिल था जो कि कानूनन् मुतकिल किसी दिगरके नहीं हो सकता था न उस कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) से दस्तबरदारी शास्त्रन् व कानूनन् हो सकती थी। चुनाचे फकीरे मजकूरके पचायतनामामे शरीक होने या किसी जुज कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) के दस्तबरदार होनेसे किसी किस्मका जवाल उसके उन हुकूक वरासतको शास्त्रन् व कानूनन् नहीं पहुचा जो कि बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके उसको बहैसियत करीबतरी वारिस मावाद अयोध्याप्रसादके हासिल हुआ यानी शास्त्रन् व कानूनन् वही मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादका बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके हुआ।

(१२) यह कि जायदाद मजकूर पर मुसम्मी स्वामीप्रसाद व तातियाप्रसाद बिला किसी इस्तहकाकके नाजायज तौर पर काबिज हैं और हम मुकिरानका हक तस्लीम नहीं करते हैं और न बावजूद मुतवातिर तकाजाके जायदाद पर कब्जा हम मुकिरानको देने पर रजामन्द होते हैं।

लिहाजा हम मुकिरानको बजुज अदालतमे नालिश दायर करनेके और कोई चाराकार अपनी हकरसी और जायदाद पर मालिकाना कब्जा हासिल करनेके लिये नजर नहीं आता। मगर बदकिस्मतीसे हम मुकिरानको इस कदर इस्तेताअत नहीं है कि अदालती तसर्रुफात बरदाश्त कर सकें और न हम मुकिरानमे कोई ऐसा शख्स है जो पैरवी माकूल मुकदमाकी कर सके, चुनाचे हम मुकिरान इस तलाशमे रहे कि कोई ऐसा शख्स मिल जावे जो रुपया देने पर आमादा हो जाय चुनाचे हम मुकिरानने अकसर लोगोंसे दरख्वास्त इमदादकी

मगर कोई शख्स कर्जा देने पर आमादा नहीं हुआ। अखराजात मुक़दमेके लिये एक हजार रुपये दरकार होंगे और इस क़दर मिलना हम मुक़िरानको गैर मुमकिन है मगर हम मुक़िरानकी मिहनत और समाअत करनेपर और हम लोगोंकी बेकसी और दिक़्क़तोंका पर लिहाज करके कि हम अशखास मुस्तहक़ की जायदादको गैरमुस्तहक़ लोग लिये लेते हैं और अगर इस तरीक़ेसे चन्द साल और गुजर गये तो हम मुक़िरानका हक़ क़तई जायल हो जायेगा और जायदादके अशखास गैर मुस्तहक़ मालिक हो जायेंगे सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मल क़ौम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द हरपालपुर साकिन हाल हरपालपुर बुन्देलखण्ड एजेन्सी हमारा दस्त दुआको मंजूर करके कि सिर्फ जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद जिस पर इस वक्त बिला इस्तहक़ाक़ स्वामी प्रसाद और सालिग्राम प्रसाद क़ाबिज हैं हम मुक़िरान उसके हक़में बय करके खर्च अपनी नालिशका करें और अपनी बक़ीया जायदादको हासिल करें उन्होंने सिर्फ जायदादका बय लेना मंजूर कर लिया है चुनांचे यह तय पाया कि हक़ीयत जमाशरा मुन्दर्जे मुसर्रह जैल बएवज मुबलिग दस हजार रुपये (१०००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद मौसूफ़ हम मुक़िरान बय करदेंगे और चूंकि सेठ साहब मौसूफको जायदाद मुतदैयाकी बाबत खुद भी चारा जोई अदालती करना होगी इसलिए अलावा जर समन मजकूरके, उन्होंने हम मुक़िरान की तरफसे भी पैरवी व कोशिश करना हम मुक़िरानकी दस्त दुआ पर मंजूर कर लिया है। चूंकि यह बेहतरीन तरीक़ा व बहवार हम मुक़िरानकी हक़ रसीकी है लिहाजा व खुशी होश व हवास अपने बदुरुस्ती व खातिर व बरजा व रगबत खुद हम मुक़िरानने बजरिये दस्तावेज हाजा हक़ीयत जिमीदारी हाय मुन्दर्ज व मुसर्रह जैल ममलूका अपनेको मय आराजी सीर व खुद काश्त व बागात व मकानात व जमा ताल्लुक़ात बिला इस्तसनाय किसी शय व हक़के बएवज़ मुबलिग दस हजार रुपये (१००००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मलजी क़ौम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द साकिन हाल हरपालपुरके बस्व शरायत जैल बय क़तई कर दिया और बेच डाला।

१ यह कि जर समन तमाम व कमाल दस्त तफसील जैल मुश्तरी मौसूफ से वसूल पालिया हाजत तहरीर रसीद अलहदा नहीं है। अगर्चे यह जर समन बैनामा हाजा पूरी क़ीमत बाजारीसे कम है लेकिन चूंकि हम मुक़िरान जायदाद मुतदैया पर गैर क़ाबिज हैं और कोई शख्स बाजारमें इस क़दर क़ीमत पर भी बय लेने पर तय्यार नहीं हो सकता और न है और चूंकि हम मुक़िरानके मुक़दमेमें मुश्तरीकी पैरवी व कोशिश व तकलीफका मावजा भी शामिल है लिहाजा व लिहाज इन जुमला हालात मजकूर शरायत दस्तावेज हाजाके हम बायान कुल मामला बखूबी समझ कर इस क़दर जर समन व तायून व पाबन्दी शरायत दस्तावेज हाजाका भी मुआविजा नकदी व क़ीमत वाजवी जायदाद

मुवैट्या व रखुगी व खातिर मंजूर किया है। आइन्दा बाबत तादाद जर सम्मन या वसूल पाने जर सम्मनके हम मुकिरान या बरखाय या कायम मुकामान हम मुकिरान किसी किस्मका उज्रया हुज्जत करे तो बातिल और नाम स्मूअ होगा।

२ यह कि मिन जुमले जर सम्मन दस्तावेज हाजा मुबलिग दस हजार रुपये (१००००) मुश्तरी मौसूफके पास वास्ते अखराजात नालिश हम मुकिरान छोड़ा गया है जिसमेंसे हम मुकिरान वक्तन् फवक्तन बाबत खर्चा नालिश अज अदालत इब्तदायी ता अदालतुल आलिया प्रिवी काउन्सिल व सीगे नम्बरी या इजराय डिकरी या हुसूल दखल और कार्रवाई इन्दराज नाम अदालत माल हम मुकिरानको जरूरत होगी, इससे खर्चा स्टाम्प व अदाय मेहनताना वकलाय व बेरिस्टरान व खर्चा शहादत व तनख्वाह मुख्तार व पेरोकारान दीगर अखराजात मुताअल्लिक मुकद्दमा बजरिये मुश्तरी मौसूफ करते रहेंगे, और जो रुपया बाबत खर्चाके मुश्तरी मौसूफसे खर्च करायेंगे या जो खर्चा बगैर हाजिरी हम मुकिरान जरूरत आये, नालिश या अपीलकी किसी पैरवीके मुताअल्लिक वसे मुश्तरी खुद करेंगे और करते रहेंगे वह जुमला अखराजात ख्वाह मुश्तरीने रसीद हासिलकी हो या न की हो जायज व काबिल मुजराई होंगे और हम मुकिरान-या बरखाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको कोई उज्र किसी किस्मका या कोई हीलाव हुज्जत अदाय अखराजातके मुताल्लिक जायज व काबिल समाअत न होगा।

३ यह कि जिस कदर रुपया वास्ते अखराजात मुकद्दमाके मुश्तरीके पास छोड़ा गया है उसमेंसे सिवाय अखराजात मुकद्दमा जिसको मुश्तरी मुनासिब समझेंगे और किसी जाती खर्च या अखराजातके लिए किसी जुजके लेनेका हम मुकिरानको अख्तयार न होगा और अगर बाद अखराजात मुकद्दमाके मिन जुमले जर मजकूरके कुछ पसदाज होगा, तो जब तक मुकद्दमा प्रिवी कौन्सिल से कतई तौर पर मुआफिक हम मुकिरानके फैसल न हो जावेगा और मुश्तरीको दखल जायदाद मुबैया पर न मिल जावेगा और उसका नाम दाखिल कागजात मालमें न हो जायगा, उस रकमके वापिस पाने या तलब करनेका हम मुकिरान या बरखाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको अख्तयार न होगा। अगर अखराजात मुकद्दमा उस रकमसे ज्यादह हो जो हम मुकिराननें मुश्तरीके पास छोड़ी है तो यह बात मुश्तरी पर मबनी होगी कि ज्यादह खर्च जिस कदर जरूरी हो अदा करें और जो खर्चा फरीकसानीस वसूल हो उसमेंसे आधा हिस्सा मुश्तरी और आधा हिस्सा हम मुकिरान ले लेंगे। और मुश्तरी मौसूफको यह भी अख्तयार होगा कि हम मुकिरान अगर बगरज मुराफा, अदालत इब्तदाई से या अदालतुल आलिया हाईकोर्टसे ना कामयाब हों तो जब तक उन वकलाओं व पैरोकारके जिन्होंने हमारी तरफसे पैरवी की हो व मशवरे लायक वकलाय यह राय न हो कि मुकद्दमा काबिल अपील हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिलके है, जैसीकि सूरत हो, और उम्मेद सर सब्जीकी न हो, तो महज हमारी दरखास्त पर खर्चा अपील अदालत हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिल न करें और ऐसी सूरतमें हम

मुकिरान मुस्तदक तलबी या आयन्दी किसी जुज बाकी मांदा रकम खर्चा, मजकूरव जो मुश्तरी के पास छोड़ा है न होगे।

(४) यह कि चूंकि हम मुकिरान इस वक्त दखल जायदाद मुबैयआ पर मुश्तरी को देने से कासिर है और मुश्तरी को बिदू नालिश दखल जायदाद मुबैयआ पर नहीं मिलेगा इसलिये मुबलिग दस हजार रुपया (१००००) बाबत खर्चा नालिशात दखलयाबी ता अखीर अदालत मराफिया आला व इजराय डिगरी व दाखिल खारिज मुश्तरी के जर सम्मन में मुजरा दिया गया है और मुश्तरी को, अख्तयार है कि जिस तरीके पर चाहे उसको सर्फ करे हम मुकिरान को कोई हक उनके मुतअल्लिक हिसाब समझने या वापस पाने का न होगा। और शर्त यह है कि मिनजुमले इस रकम के जो बाबत खर्चा नालिश मुश्तरी के मुजरा दीगई है मुश्तरी को बाबत खर्चा नालिश मजकूर के बजरिये अदालत फरीकसानी से वसूल होगा उस रकम से आधा मुश्तरी और आधा हम मुकिरान बाद कतई फैसला मुकद्दमा अदालत आखीर और बाद दखल याबी जायदाद मुबैय्या के जब्ती सूरत आखीर बांट लेंगे।

५ यह कि बाबत खर्चा नालिश मुश्तरी अगर उस रकम से जायद खर्चा हो जो रकम हस्ब शर्त चहारुम जर सम्मन से मुजरा की गई है तो उस रकम जायद की बाबत जिम्मेदारी हम मुकिरान पर न होगा। उसको मुश्तरी बरदाश्त करेगा।

६ यह कि अगर हम मुकिरान और मुश्तरी की नालिश जुदागाना हो और दोनों एक ही नालिश में मुद्दई हों तो भी मुश्तरी जिम्मेदार रसदी खर्चा का होगा और वह रसदा खर्चा उस रकम से जो हस्ब शर्त चहारुम मुजरा दीगई है अदा की जायगी, और बकीया खर्चा उस रकम से जो बाबत खर्चा नालिश हम मुकिरान हस्ब शर्त दोयम मुश्तरी के पास छोड़ा गया है अदा होगा। और जो खर्चा फरीकसानी से वसूल होगा वह आधा मुश्तरी और आधा हम मुकिरान लेंगे।

७ यह कि बरतक्दीरे मुहाल अगर हम मुकिरान या मुश्तरी अपनी नालिश या नालिशात में अदालत मराफिया आला से नाकाम याब हो या बद नाकामयाबी अदालत इब्तदायी या अदालतुल आलिया हाईकोर्ट या प्रिवी कौंसिल में हस्ब मंशा, बिदे मुकलाय अपील न किया जाना करार दिया जाय तो हम मुकिरान मुस्तहक पाने किसी जुज बाकी मांदा खर्चा के हस्ब शरायत मजकूरेबाला न होंगे और न मुश्तरी मुस्तहक वापसी किसी जुज जर सम्मन अदा शुदा या पाने किसी, हरजाका हम मुकिरान से होगा। और हर सूरत नाकामयाबी मुकद्दमा खर्चा फरीकसानी जो हम मुकिरान के जिम्मे हो मुश्तरी के जिम्मे रहेगा।

८ यह कि अगर ऐसी सूरत पेश आवे कि हम मुकिरान अपनी नालिश में कामयाब हों और मुश्तरी किसी नुक्स कानूनी या वाकयाती की वजेह से नाकामयाब रहे तो हम मुकिरान देने के जिम्मेदार, अपनी जायदाद जायदाद से कुल खर्चा हस्ब शरायत मुन्दर्जे बाला, जो कुछ कि उस वक्त तक हो चुका हो मुश्तरी के होंगे और अगर हम मुकिरान में से किसी एक या जियादा के जरिये से व वजेह गफलत या तसाफिया या साजिश या फरेब या गलत बयानी मुश्तरी मौसूफ को नुकसान पहुंचे या वह मुकद्दमे से नाकामयाब रहे तो अव्वल तो हम

या जिनके जरिये से ऐसा हुआ हो अपनी जात और जायदाद से कुल खर्चा ह
शरायत मुन्दर्ज बाला जो कुछ उस वक्त तक हो चुका हो मुश्तरी के देने
जिम्मेदार होंगे।

९ यह कि हम मुकिरान पैरवी अपने मुकदमे की मुश्तरी की सलाह व म
विरा से करेंगे हम मुकिरान को यह अख्त्यार न होगा कि फरीक सानी से
तस्फीया या राजीनामा या दस्तबरदारी बिला मशविरे व सलाह और इजा
रजामन्दी सराही मुश्तरी के करें। दर सूरत खिलाफ वर्जी इस शर्त के जो कु
नुकसान या खर्चा वगैरा मुश्तरी को पहुंचे तो उस कुल हरजा व नुकसा
वगैरा के हम मुकिरान जिम्मेदार देनेके होंगे और मुश्तरी भी बिला हम मुकिरा
के कोई तस्फीया या राजीनामा या दस्तबरदारी मुकदमा व हक हम मुकिरा
न कर सकेगा।

१० यह कि हम मुकिरान मालिक कतई जायदाद मुबैय्या के हैं और हम
मुकिरान को हर तरह का अख्त्यार इन्तकाल उसकी बाबत हासिल है
और सिवाय हम मुकिरान के कोई शरीक या हिस्सेदार जायदाद में नहीं है आज
की तारीख से जुमला हुकूक मालिकाना बाबत जायदाद मुबैय्या मिनजानिब
हम मुकिरान बहक मुश्तरी मुन्तकिल हो गये और मुश्तरी मिस्ल हमारे जाय
दाद मुबैय्या का मालिक कामिल बिला शरीक गैरे हो गया और उसको
अख्त्यार है कि बइस्तहकाक मिलकियत अपने कब्जा जायदाद मुबैय्या पर
हासिल करे और अपना नाम मालिकाना दर्ज कराये और उसका मुनाफा और
महासिल से मुतमत्तअ होवे और जुमला अफआल व अखराजात मालिकाना
मिस्ल मालिक मुतलक के अमल में लावे और हम मुकिरान मुश्तरी के हुसूल दखल
जायदाद मुबैय्या व हुसूल मुनाफा या वासलात में हर तरह की कोशिश व
इम्दाद करेंगे और जो जो दस्तावेज या तहरीर या दरख्वास्त किसी किस्म की
तहरीर या तकमील या पेश करना या बयान करना लिखाना या कागजात या
दस्तावेज पेश करना और जो कार्रवाई कि कानूनन् वास्ते तकमील हकहक हुकूक
मिल्कियत मुश्तरी बहुसूल कब्जा जायदाद मुबैय्या या हुसूल मुनाफा या
वासलात जायदाद मुबैय्या व मुतालिक दाखिल खारिज वगैरा के मिनजा
निब हम मुकिरान को करना जरूरी होगा वह सब कार्रवाई हम मुकिरान
बिला किसी उज्र हुज्जत के अमल में लाते और लाते रहेंगे।

११ यह कि व पाबन्दी जुमला शरायत दस्तावेज हाजा की हम मुकिरान व
वरसाय व कायम मुकामान व मुन्तकिल अलेह हम मुकिरान और मुश्तरी व उसके
वरसाय व कायम मुकामान् व मुन्तकिल अलेह पर होगी। इस लिये यह बयनामा
व इस्तसनाय उस जायदाद के जो फकीर को मिल चुकी है और जिस पर उसकी
औलाद काबिज व दखील है बाकी जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद व शमूल
उस जायदाद जो अयोध्याप्रसाद के मरने के बाद उसके मतरूके से खरीदी गई,
बकदर निस्फ हिस्सा व तरीक बयनामा का मि7के लिखदिया कि सनद रहे।
ता० ३ नवम्बर १९०४ई० बकलम शिजि [illegible] सम्मदानी रजिस्टरी और तस्दीक

कोर्ट फीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०

शिड्यूल नं० १

नोट—अदालतोंमें नालिश करनेके लिये कोर्टफीसकी शरह सन् १९२७ ई० में नीचे लिखे अनुसार है। यह सन्देह न कीजिये कि ऐक्ट सन् १८७० ई० का है और इस समय यह मन्सूख हो गया होगा। पहले प्रान्तीय सरकारोंने इस ऐक्टमें परिवर्तन किया था और शरह कोर्ट फीस कुछ बढ़ा दी थी पर कुछ ही समयके बाद मन्सूख कर दी।

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इससे ज्यादा न हो।	कोर्टफीस लगेगा	जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इससे ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा।
रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
	५	० ६	८५	९०	६ १२
५	१०	० १२	९०	९५	७ २
१०	१५	१ ०	९५	१००	७ ८
१५	२०	१ ८	१००	११०	८ ४
२०	२५	१ १४	११०	१२०	९ ०
२५	३०	२ ४	१२०	१३०	९ १२
३०	३५	२ १०	१३०	१४०	१० ८
३५	४०	३ ०	१४०	१५०	११ ४
४०	४५	३ ६	१५०	१६०	१२ ०
४५	५०	३ १२	१६०	१७०	१२ १२
५०	५५	४ २	१७०	१८०	१३ ८
५५	६०	४ ८	१८०	१९०	१४ ४
६०	६५	४ १४	१९०	२००	१५
६५	७०	५ ४	२००	२१०	१५ १२
७०	७५	५ १०	२१०	२२०	१६ ८
७५	८०	६ ०	२२०	२३०	१७ ४
८०	८५	६ ६	२३०	२४०	१८ ०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इससे ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा
रु०	रु०	रु० आ०
२४०	२५०	१८ १२
२५०	२६०	१९ ८
२६०	२७०	२० ४
२७०	२८०	२१ ०
२८०	२९०	२१ १२
२९०	३००	२२ ८
३००	३१०	२३ ४
३१०	३२०	२४ ०
३२०	३३०	२४ १२
३३०	३४०	२५ ८
३४०	३५०	२६ ४
३५०	३६०	२७ ०
३६०	३७०	२७ १२
३७०	३८०	२८ ८
३८०	३९०	२९ ४
३९०	४००	३० ०
४००	४१०	३० १२
४१०	४२०	३१ ८
४२०	४३०	३२ ४
४३०	४४०	३३ ०
४४०	४५०	३३ १२
४५०	४६०	३४ ८
४६०	४७०	३५ ४
४७०	४८०	३६ ०
४८०	४९०	३६ १२
४९०	५००	३७ ८
५००	५१०	३८ ४
५१०	५२०	३९ ०
५२०	५३०	३९ १२
५३०	५४०	४० ८
५४०	५५०	४१ ४
५५०	५६०	४२ ०
५६०	५७०	४२ १२
५७०	५८०	४३ ८
५८०	५९०	४४ ४
५९०	६००	४५ ०
६००	६१०	४५ १२
६१०	६२०	४६ ८
६२०	६३०	४७ ४
६३०	६४०	४८ ०
६४०	६५०	४८ १२
६५०	६६०	४९ ८
६६०	६७०	५० ४
६७०	६८०	५१ ०
६८०	६९०	५१ १२
६९०	७००	५२ ८
७००	७१०	५३ ४
७१०	७२०	५४ ०
७२०	७३०	५४ १२
७३०	७४०	५५ ८
७४०	७५०	५६ ४
७५०	७६०	५७ ०
७६०	७७०	५७ १२
७७०	७८०	५८ ८
७८०	७९०	५९ ४
७९०	८[illegible]	६० [illegible]
८००	८१०	६० १२
८१०	८२०	६१ ८
८२०	८३०	६२ ४
८३०	८४०	६३ ०
८४०	८५०	६३ १२

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी
रु०	रु०	रु० आ०
८५०	८६०	६४ ८
८६०	८७०	६५ ४
८७०	८८०	६६ ०
८८०	८९०	६६ १२
८९०	९००	६७ ८
९००	९१०	६८ ४
९१०	९२०	६९ ०
९२०	९३०	६९ १२
९३०	९४०	७० ८
९४०	९५०	७१ ४
९५०	९६०	७२ ०
९६०	९७०	७२ १२
९७०	९८०	७३ ८
९८०	९९०	७४ ४
९९०	१,०००	७५ ०
१,०००	१,१००	८० ०
१,१००	१,२००	८५ ०
१,२००	१,३००	९० ०
१,३००	१,४००	९५ ०
१,४००	१,५००	१०० ०
१,५००	१,६००	१०५ ०
१,६००	१,७००	११० ०
१,७००	१,८००	११५ ०
१,८००	१,९००	१२० ०
१,९००	२,०००	१२५ ०
२,०००	२,१००	१३० ०
२,१००	२,२००	१३५ ०
२,२००	२,३००	१४० ०
२,३००	२,४००	१४५ ०
२,४००	२,५००	१५० ०
२,५००	२,६००	१५५ ०
२,६००	२,७००	१६० ०
२,७००	२,८००	१६५ ०
२,८००	२,९००	१७० ०
२,९००	३,०००	१७५ ०
३,०००	३,१००	१८० ०
३,१००	३,२००	१८५ ०
३,२००	३,३००	१९० ०
३,३००	३,४००	१९५ ०
३,४००	३,५००	२०० ०
३,५००	३,६००	२०५ ०
३,६००	३,७००	२१० ०
३,७००	३,८००	२१५ ०
३,८००	३,९००	२२० ०
३,९००	४,०००	२२५ ०
४,०००	४,१००	२३० ०
४,१००	४,२००	२३५ ०
४,२००	४,३००	२४० ०
४,३००	४,४००	२४५ ०
४,४००	४,५००	२५० ०
४,५००	४,६००	२५५ ०
४,६००	४,७००	२६० ०
४,७००	४,८००	२६५ ०
४,८००	४,९००	२७० ०
४,९००	५,०००	२७५ ०
५,०००	५,२५०	२८५ ०
५,२५०	५,५००	२९५ ०
५,५००	५,७५०	३०५ ०
५,७५०	६,०००	३१५ ०
६,०००	६,२५०	३२५ ०
६,२५०	६,५००	३३५ ०
६,५००	६,७५०	३४५ ०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
६,७५०	७,०००	३५५	०
७,०००	७,२५०	३६५	०
७,२५०	७,५००	३७५	०
७,५००	७,७५०	३८५	०
७,७५०	८,०००	३९५	०
८,०००	८,२५०	४०५	०
८,२५०	८,५००	४१५	०
८,५००	८,७५०	४२५	०
८,७५०	९,०००	४३५	०
९,०००	९,२५०	४४५	०
९,२५०	९,५००	४५५	०
९,५००	९,७५०	४६५	०
९,७५०	१०,०००	४७५	०
१०,०००	१०,५००	४९०	०
१०,५००	११,०००	५०५	०
११,०००	११,५००	५२०	०
११,५००	१२,०००	५३५	०
१२,०००	१२,५००	५५०	०
१२,५००	१३,०००	५६५	०
१३,०००	१३,५००	५८०	०
१३,५००	१४,०००	५९५	०
१४,०००	१४,५००	६१०	०
१४,५००	१५,०००	६२५	०
१५,०००	१५,५००	६४०	०
१५,५००	१६,०००	६५५	०
१६,०००	१६,५००	६७०	०
१६,५००	१७,०००	६८५	०
१७,०००	१७,५००	७००	०
१७,५००	१८,०००	७१५	०
१८,०००	१८,५००	७३०	०

जब कि तादाद या कीमत नालिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
१८,५००	१९,०००	७४५	०
१९,०००	१९,५००	७६०	०
१९,५००	२०,०००	७७५	०
२०,०००	२१,०००	७९५	०
२१,०००	२२,०००	८१५	०
२२,०००	२३,०००	८३५	०
२३,०००	२४,०००	८५५	०
२४,०००	२५,०००	८७५	०
२५,०००	२६,०००	८९५	०
२६,०००	२७,०००	९१५	०
२७,०००	२८,०००	९३५	०
२८,०००	२९,०००	९५५	०
२९,०००	३०,०००	९७५	०
३०,०००	३२,०००	९९५	०
३२,०००	३४,०००	१,०१५	०
३४,०००	३६,०००	१,०३५	०
३६,०००	३८,०००	१,०५५	०
३८,०००	४०,०००	१,०७५	०
४०,०००	४२,०००	१,०९५	०
४२,०००	४४,०००	१,११५	०
४४,०००	४६,०००	१,१३५	०
४६,०००	४८,०००	१,१५५	०
४८,०००	५०,०००	१,१७५	०
५०,०००	५५,०००	१,२००	०
५५,०००	६०,०००	१,२२५	०
६०,०००	६५,०००	१,२५०	०
६५,०००	७०,०००	१,२७५	०
७०,०००	७५,०००	१,३००	०
७५,०००	८०,०००	१,३२५	०
८०,०००	८५,०००	१,३५०	०
८५,०००	९०,०००	१,३७५	०

जब कि तादाद या कीमत ना-लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
९०,०००	९५,०००	१,४००	०
९५,०००	१,००,०००	१,४२५	०
१,००,०००	१,०५,०००	१,४५०	०
१,०५,०००	१,१०,०००	१,४७५	०
१,१०,०००	१,१५,०००	१,५००	०
१,१५,०००	१,२०,०००	१,५२५	०
१,२०,०००	१,२५,०००	१,५५०	०
१,२५,०००	१,३०,०००	१,५७५	०
१,३०,०००	१,३५,०००	१,६००	०
१,३५,०००	१,४०,०००	१,६२५	०
१,४०,०००	१,४५,०००	१,६५०	०
१,४५,०००	१,५०,०००	१,६७५	०
१,५०,०००	१,५५,०००	१,७००	०
१,५५,०००	१,६०,०००	१,७२५	०
१,६०,०००	१,६५,०००	१,७५०	०
१,६५,०००	१,७०,०००	१,७७५	०
१,७०,०००	१,७५,०००	१,८००	०
१,७५,०००	१,८०,०००	१,८२५	०
१,८०,०००	१,८५,०००	१,८५०	०
१,८५,०००	१,९०,०००	१,८७५	०
१,९०,०००	१,९५,०००	१,९००	०
१,९५,०००	२,००,०००	१,९२५	०
२,००,०००	२,०५,०००	१,९५०	०
२,०५,०००	२,१०,०००	१,९७५	०
२,१०,०००	२,१५,०००	२,०००	०
२,१५,०००	२,२०,०००	२,०२५	०
२,२०,०००	२,२५,०००	२,०५०	०
२,२५,०००	२,३०,०००	२,०७५	०
२,३०,०००	२,३५,०००	२,१००	०
२,३५,०००	२,४०,०००	२,१२५	०
२,४०,०००	२,४५,०००	२,१५०	०
२,४५,०००	२,५०,०००	२,१७५	०
२,५०,०००	२,५५,०००	२,२००	०

जब कि तादाद या कीमत ना-लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	
रु०	रु०	रु०	आ०
२,५५,०००	२,६०,०००	२,२२५	०
२,६०,०००	२,६५,०००	२,२५०	०
२,६५,०००	२,७०,०००	२,२७५	०
२,७०,०००	२,७५,०००	२,३००	०
२,७५,०००	२,८०,०००	२,३२५	०
२,८०,०००	२,८५,०००	२,३५०	०
२,८५,०००	२,९०,०००	२,३७५	०
२,९०,०००	२,९५,०००	२,४००	०
२,९५,०००	३,००,०००	२,४२५	०
३,००,०००	३,०५,०००	२,४५०	०
३,०५,०००	३,१०,०००	२,४७५	०
३,१०,०००	३,१५,०००	२,५००	०
३,१५,०००	३,२०,०००	२,५२५	०
३,२०,०००	३,२५,०००	२,५५०	०
३,२५,०००	३,३०,०००	२,५७५	०
३,३०,०००	३,३५,०००	२,६००	०
३,३५,०००	३,४०,०००	२,६२५	०
३,४०,०००	३,४५,०००	२,६५०	०
३,४५,०००	३,५०,०००	२,६७५	०
३,५०,०००	३,५५,०००	२,७००	०
३,५५,०००	३,६०,०००	२,७२५	०
३,६०,०००	३,६५,०००	२,७५०	०
३,६५,०००	३,७०,०००	२,७७५	०
३,७०,०००	३,७५,०००	२,८००	०
३,७५,०००	३,८०,०००	२,८२५	०
३,८०,०००	३,८५,०००	२,८५०	०
३,८५,०००	३,९०,०००	२,८७५	०
३,९०,०००	३,९५,०००	२,९००	०
३,९५,०००	४,००,०००	२,९२५	०
४,००,०००	४,०५,०००	२,९५०	०
४,०५,०००	४,१०,०००	२,९७५	०
४,१०,०००		३,०००	०

इंदुल्तलब रुक्का

मे कि ' उमर अन्दाजन ' '''वर्ष वल्द' '' कौम '' पेशा साकिनहाल '' का हूं।

विदित रहे कि मैनेमुबलिग अकन जिसके आधे अकन होतेहैं, सिक्का अङ्गरेजी चलन बाजार अपनी जरूरतके लिये श्रीमान'' वल्द कौम साकिनहाल से नकद कर्ज लिये। इसरुपयेको . रुपया सैकड़ा माहवारी सूद सहित उपरोक्त श्रीमानजीको याजिसे वे इसरुक्काका रुपयालेनेका अधिकारदे देंगे, उसे इन्दुल्तलब अर्थात मागने पर, विना कोई हीला व हवाला किये अदा व बेबाक कर दूगा। और जो रुपया मै इस रुक्काके बारेमें असल या सूद्म अदा करूगा उसकी रसीद बाजाब्ता बराबर ले लिया करूगा। मैने इस रुक्केका कुल मतालिबा नकद उपरोक्त श्रीमान्‌जीसे वसूल पालिया।अब मेरा कोई रुपया बाबत मतालिया या उसके किसी हिस्सेमे बाकी नहीं रहा इस लिये यह रुक्का खूब समझ बूझकर होश व हवासमें बाजाब्ता बतरीक इन्दुल्तलब टिकट लगा कर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दस्तखत लिखनेवाला। दस्तखत———

मकान खाली करापानेका नोटिस

नोट—यह ध्यान रहे कि ऐसा नोटिस, नोटिस पाने वालेके पास कमसे कम १५ दिन पहिले पहुँच जाना जरूरी है अर्थात नोटिस जिसे दिया गया हो और जिस तारीखको उसे मिला हो उसके बाद १५ दिनकी मियाद उसका महीना खतम होनेमें हो।

नोटिस मिनजानिब ' वल्द' साकिन मारफत साकिन

बनाम

'वल्द ' 'साकिन'' वाजै हो कि आप मकान नम्बरी वाकै मैं ' रुपये माहवारके किरायेदार है। आपका किराया तारीखः' से ता० तक महीना पूरा होता है। आपको अब मकानमें -किराये पर रखना बहुत सी बातोंके सबबसे मजूर नहीं है इसलिये आपको यह नोटिस दिया जाता है कि आप ता० ' तक मकानमे रहकर मकान खाली कर दें और कुल किराया उस वक्त तकका जो आपके जिम्मे बाकी हो अदा कर दें। ऐसा न करने पर आप पर नालिश अदालत मजाजमे की जावेगी और आप खर्चेके देनेके जिम्मेदार होंगे।

द० ———

ता० ———

संयुक्त प्रान्तकी दीवानी अदालतोंमें नकल और तलबाना आदिमें लगनेवाली फीसें।

सिविल जनरलरूल्स ता० ३१ जनवरी सन १९२७ ई० तक संशोधित

नकलोंकी फीसें

कागजकी किस्म जिसकी नकल लेना है	हाईकोर्टमें		जज खफीफाकी अदालतमें		अन्य सब अदालतोंमें	
	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली
डिकरी	३)	१॥)	१॥)	॥।)	२॥)	१)
तजवीज़ या अन्य कागज	४)	२)	१॥)	॥।)	२॥)	१)

तलबाना आदिकी फीसें

किस्म फीस	अदालत जजी और सब जजी	मुन्सफी व खफीफा जब कि २०००) रु० से मालियत ज्यादा न हो	मुन्सफी व खफीफा जब कि मालियत ५०) रु० से ज्यादा न हो	हाईकोर्ट
१ तलबाना मुद्दाअलेह	चार तक २॥) जायद फी मुद्दाअलेह ॥=) मजमूई १२॥)	चार तक १।) जायद फी मुद्दाअलेह ।-) मजमूई ६।)	दो तक ॥=) जायद फी मुद्दाअलेह ≡) मजमूई ४)	चार तक ३) जायद फी मुद्दाअलेह ॥) मजमूई १५)
२ तलबाना ग्वाहदान	चार तक २॥) जायद फी ग्वाह ॥=)	चार तक १।) जायद फी ग्वाह ।-)	फी ग्वाह ।-)	चार ग्वाह तक ३) जायद फी ग्वाह ॥) मजमूयी ८)
३ हुक्म कुर्की	१।)	१)	॥=)	+
४ फीस कुर्की	एक मौजा के लिये ९) जायद फी मौजा २) मजमूई १५)	एक मौजा के लिये ४) जायद फी मौजा १) मजमूई ७)	एक मौजा के लिये २) जायद फी मौजा ॥) मजमूयी ३)	+
५ वारण्ट गिरफ्तारी	३॥।) फी मदयून । जब मदयून हिरासतमें हो तो ।=) फी चपरासी	२॥) फी मदयून	१।) फी मदयून	५) फी मदयून
६ नीलामके सम्बन्धमें हक़ मरज़ार	६।) फी सदी	६।) फी सदी	६।) फीसदी	+
७ हुक्म नीलाम	१।)	१)	॥=)	+
८ दख़लकी फीस	जैसा कि न०८ की फीस है	जैसा कि न०४की फीस है	जैसा कि न०४ की फीस है	×
९ तलबाना इश्तहार	जैसा कि न०१ की फीस है	जैसा कि न०१की फीस है	जैसा कि न०१की फीस है	चार कापी तक ३) जायद फी कापी ॥) मजमूयी १५)
१० तलबाना जरूरी	१।)	१)	॥=)	+

दस्तावेजों पर स्टाम्प

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन् १८९९ ई०
के अनुसार छपनेके समय तकके
संशोधनों सहित

आवश्यक दस्तावेजोंका खुलासा	स्टाम्प
१ कर्ज स्वीकार करने वाला दस्तावेज जब रकम बीस रुपयेसे अधिक हो, लिखा गया हो या सही किया गया हो, या किसी दूसरेकी मारफत हो या कर्जदार द्वारा इस प्रकारके कर्जकी शहादतके लिये किसी किताबमें (जो बैंकर्स पास बुकके अतिरिक्त हो) या किसी अलाहिदा कागज पर जब इस प्रकारका कागज या किताब महाजनके अधिकारमें रहती हो, नियम यह है कि इस प्रकारकी स्वीकृतिमें कर्ज अदा करनेकी किसी प्रकारकी प्रतिज्ञा, या सूद अदा करनेकी कोई शर्त, या कोई माल या अन्य जायदाद देनेकी बात न हो। नोट—इकरारनामा इसके लिये देखो नं० ५१	एक आना
२ एहतमाम तकैद (Administration Bond) इसमें इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट १८६५ की दफा २५६ के अनुसार बाण्ड गवर्नमेण्ट सेविंग बैंक्स ऐक्ट १८७३ की दफा ६ के अनुसार बाण्ड, प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट १८८१ की दफा ७८ के अनुसार बाण्ड और सक्सेशन सार्टिफिकेट ऐक्ट १८८९ की दफा ९ या १० के अनुसार बाण्ड शामिल हैं।	
(ए) जब कि रकम १०००) से अधिक न हो	वही स्टाम्प जो बाण्ड नं० १५ में इसी रकम पर लगता है।
(बी) किसी अन्य सूरतमें	पांच रुपये
३ दत्तक पत्र (Adoption deed) यानी कोई दस्तावेज (वसीयतनामेके अतिरिक्त) जो गोदके सम्बन्धमें लिखा गया हो या जिसके द्वारा गोद लेनेका अधिकार दिया गया है या अधिकार देनेकी इच्छा प्रगट की गई हो।	दस रुपये
४ हलफनामा	एक रुपया

जिसमें कि ऐसे व्यक्तियोंकी स्वीकृति या घोषणा भी शामिल है जो कानून द्वारा बजाय हलफ लेनेके स्वीकार करने या घोषणा करनेके अधिकारी हैं।

अपवाद

जब तहरीरी हलफनामा या घोषणापत्र लिखा गया हो—

(ए) इण्डियन आर्टिकिल्स आफ वारके अनुसार बतौर भर्तीके शर्तके

(बी) फौरन ही फायल करनेके निमित्त या किसी अदालतमें इस्तैमाल किये जानेके निमित्त या किसी अदालतके सामने पेश किये जानेके लिये या

(सी) किसी आदमीको किसी पेंशन या खैराती एलाउन्सके पानेके अभिप्रायके लिये।

५ इकरारनामा या याददाश्त इकरारनामा

(ए) यदि हुण्डीकी बिक्रीका वर्णन हो	दो आना
(बी) यदि गवर्नमेण्ट सेक्युरिटी या किसी इनकार पोरेटेड कम्पनी या अन्य कारपोरेट संस्थाके हिस्सोंकी बिक्रीका वर्णन हो	सेक्युरिटीया हिस्सेके प्रत्येक १००००)या उसके अंशोंपर एक आना,और अधिकसेअधिक दस रुपय।
(सी) जिनके लिये कोई अन्य नियम न हो	आठ आना।

अपवाद

इकरारनामा या याददाश्त इकरारनामा

(ए) केवल माल या तिजारती सामानकी बिक्रीके लिये या उसके वर्णनके सम्बन्धमें, किंतु ऐसे रुक्के या याददाश्त न हो, जिनपर आर्टिकिल ४३ के अनुसार स्टाम्प लगना चाहिये।

(बी) गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके पास टेण्डरकी सूरतमें किसी कर्जके लिये या उसके सम्बन्धमें पेश किये गये हों

(सी) यूरोपियन वेगोंसी ऐक्ट १८७४ की दफा १७ के अनुसार लिखे हुए।

अधिकार पत्र (Titledeed) के जमा करने या गिरवी रखनेके सम्बन्धमें इकरारनामा।

(ए) यदि वह रकम तलब करने पर या दस्तावेजके तीन माह के बाद अदाकी जाती हो	वही स्टाम्प जो हुंडीके लिये रम (न० १३बी) में है प्राप्त हुई रकम पर
(बी) यदि वह रकम दस्तावजके तीन माहके अन्दर अदाकी जाती हो।	उस रकमका आधा जो हुंडी (न० १३बी) में है प्राप्त हुई रकम पर
७ किसी अधिकारकी तामील पर नियुक्ति चाहे ट्रस्टीजकी हो या स्थावर या जङ्गम जायदादकी, जब तहरीर द्वारा, जो वसीयतनामा न हो, की गई हो।	१५ रुपये
८ तखमीना कीमतकी कूत किसी मुकदमेके दौरानमें किसी अदालतके हुक्मके अतिरिक्त	
(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो	वही स्टाम्प जो बाण्ड(न०१५) में इस रकमके लिये नियत है।
(बी) अन्य सूरतमें	पांच रुपया

अपवाद

(ए) जब तखमीना केवल एक फरीकके लिये किया गया हो, और फरीकोंके लिये उसके माननेकी किसी प्रकार विवशता न हो

(बी) फसलका अन्दाज जमींदारको लगान देनेके निमित्त

९ दस्तावेज उम्मीदवारी	पांच रुपया
१० आर्टिकिल आफ एसोसियेशन आफ ए कम्पनी	पच्चीस रुपया
११ आर्टिकिल आफ पार्टनरशिप	दो सौ पचास रुपया
१२ फैसला सालिसी	
(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो	वही स्टाम्प जो बाण्ड(न०१५) रकमके लिये नियत है।
(बी) अन्य सूरतमें	पांच रुपये

अपवाद

बम्बई डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपेल ऐक्ट १८७३की दफ़ा८१ के अनुसार फैसला सालिशी या बम्बई हियरडिटेरी आफिस ऐक्ट १८७४ की दफा १८ के अनुसार फैसला सालिशी।

१३ हुण्डी (Bill of exchange) [जिस प्रकार दफा २ (२) और (३) में बताई गई है) जो कि बान्ड, बैंक नोट या करेंसी नोट न हो

(ए) जब तलब किये जानेपर इन्दुल तलब (On demand) एक आना अदाकी जानेको हो

(बी) जब तलबी पर अदाई (यानी आनडेमाण्ड) से अन्य हो, किंतु तारीख या मिलनेसे एकसाल से अधिक की न हो	यदि अकेली लिखी गई हो	यदि दो सटोंमें लिखी गई हो तो सेटके प्रत्येक भागके लिये	यदि तीन सेटम लिखी गई है तो सेटकेप्रत्येक भागके लिये
	रु०	रु०	रु०
जब हुण्डी या नोटकी रकम अधिक न हो २००) से	≈)	=)	-)
जब वह रु० २००) से अधिक हो किंतु अधिक न हो ४००) से	।≈)	≈)	=)
,, ४००) ,, ६००) से	॥-)	।-)	≈)
,, ६००) ,, ८००) से	॥।)	।=)	।)
,, ८००) ,, १०००) से	॥।≈)	॥)	।-)
,, १०००) ,, १२००) से	१=)	॥-)	।≈)
,, १२००) ,, १६००) से	१॥)	॥।)	॥)
,, १६००) ,, २५००) से	२।)	१=)	॥।)
,, २५००) ,, ५०००) से	४॥)	२।)	१॥)
,, ५०००) ,, ७५००) से	६॥।)	३।=)	२।)
,, ७५००) ,, १००००) से	९)	४॥)	३)
,, १००००) ,, १५०००) से	१३॥)	६॥।)	४॥)
,, १५०००) ,, २०००० से	१८)	९)	६)
,, २००००) ,, २५०००) से	२२॥)	११।)	७॥)
,, २५०००) ,, ३००००) से	२७)	१३॥)	९)
३००००) के ऊपर हर १००००) या उसके किसी भाग पर	९)	४॥)	३)

(सी) जब तारीख या मिलनेके एक साल बाद अदाकरनाहो वही स्टाम्पजो बाण्ड (नं० १५) में उसरकमपर लगता है।

१४ जहाजके मालकी बिल्टी		चार आना
१५ दस्तावेज़ (Bond) तमस्सुक		
जब रकम जो ली गई है १०) से अधिक न हो		दो आना
जबवह १०) से अधिक हो किन्तु अधिक न हो	५०) से	चार आना
,, ५०) ,,	१००)से	आठ आना
,, १००) ,,	२००)से	एक रुपया
,, २००) ,,	३००)से	१रु० ८आ०
,, ३००) ,,	४००)से	दो रुपये
,, ४००) ,,	५००)से	२रु० ८आ०
,, ५००) ,,	६००)से	तीन रुपये
,, ६००) ,,	७००)से	३रु० ८आ०
,, ७००) ,,	८००)से	चार रुपये
,, ८००) ,,	९००)से	४रु० ८ आ०
,, ९००) ,,	१०००)	पांच रुपये

१०००)रुपयेके ऊपर प्रत्येक ५००)रुपये या उसके किसी भागकेलिये, २रु० ८ आने

देखो—इक़रारनामा पहतमाम तरका (Administration Bond) (नं० २), बाटमरी बाण्ड (नं० १६), कस्टम बाण्ड (नं० २६) इण्डेमेन्टी बाण्ड (नं० ३४) रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड (नं० ५६) जमानतनामा (नं० ५७) सक्यूरिटी बाण्ड ।

अपवाद

दस्तावेज़ जब कि लिया गया हो

(ए) मुखिया द्वारा, जो कि बंगाल म्यूनिसिपल ऐक्ट १८७६ की दफा ९९ के अनुसार मुखियाके उचित कर्तव्योंके पूर्ण करनेके लिये नियत किया हो ।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा बगरज गारण्टी इस बाबत कि स्थानीय आमदनी जो कि प्राइवेट चन्दे द्वारा, किसी धर्माथ दवाखाने या अस्पताल या सार्वजनिक कामके किसी अन्य तात्पर्यके लिये हो, वर्णित रकमसे प्रति मास कम न होगी ।

१६ बोटामरी बाण्ड — वही स्टाम्प जो बाण्ड नं० १५ में नियत है

१७ दस्तावेज़ इन्ताल (Cancellation) जिनके द्वारा पहिले, पांच रुपये के दस्तावेज़ बातिल किये जाय ।

और भी देखो दस्तावेज़ दस्तबरदारी (नं० ५५) (Release) रैवोकेशन आफ़ सेटेलमेण्ट (नं० ५८ बी) और वापसी पट्टा (नं० ६१) और रैवोकेशन आफ़ ट्रस्ट (नं० ६४ बी)

१८ सार्टीफिकेट आफ़ सल—(हर चीज़के लिये जो अलाहिदा नीलाम की गई है) जो किसी ऐसी जायदादके खरीददारको, जो

किसी दीवानी या मालकी अदालत या कलेक्टर या अन्य मालके हाकिमके हुक्मसे, आम नीलाममें बेची गई हो, स्वीकृत की गई हो।

(ए) जब कीमत खरीद १०रु० से अधिक न हो — दो आना

(बी) जब कीमत खरीद १० से अधिक हो किन्तु २५) से अधिक न हो — चारआना

(सी) अन्य सूरतोंमें — न० २३ के अनुसार

१९ सार्टीफिकेट या अन्य दस्तावेज किसी कम्पनी या कारपोरेट सस्थाके हिस्से आदिके सम्बन्धमें — एक आना

२० चार्टर पार्टी—जहाज या उसका कोई हिस्सा किराये पर देना। — एक रुपया

२१ चेक [जैसा दफा २ (७) में बयान किया गया है] — एक रुपया

२२ काम्पोजीशन डीड-यानी कोई दस्तावेज जो कर्जदार द्वारा लिखा जाय, जिसके द्वारा वह अपनी जायदादको महाजनके लाभके लिये मुन्तकिल करे या जिसके द्वारा कर्ज पर काम्पोजीशन या डिवीडेण्डकी अदाई महाजनके लिये सुरक्षित करे, या जिसके द्वारा कर्जदारके व्यवसायके आरम्भ रहनेकी, इन्स्पेक्टरोंके प्रबन्धके मातहत या महाजनके फायदेके लिये लायसेन्सके पत्रके अनुसार व्यवस्था की गई हो। — दस रुपये

२३ बयनामा—(दफा २ (१०) की परिभाषाके अनुसार) जो वह इन्तकालनामा न हो जिस पर (न० ६२) के अनुसार महसूल लगाया जाता हो या माफ कर दिया गया हो।

जब रकम बयनामा ५० रु० से अधिक न हो।				आठ आना
जब वह रु० ५० से अधिक हो किन्तु अधिक न हो रु० १००)से				एक रुपया
१००	,,	,,	२००	दो रुपये
२००	,,	,,	३००	तीन रुपये
३००	,,	,,	४००	चार रुपये
४००	,,	,,	५००	पाच रुपये
५००	,,	,,	६००	छ: रुपये
६००	,,	,,	७००	सात रुपये
७००	,,	,,	८००	आठ रुपये
८००	,,	,,	९००	नौ रुपये
९००	,,	,,	१०००	दस रुपये

१०००) के ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी भाग पर। — पाच रुपये

अपवाद

कापी राइटका इन्तकाल, जो कि भारतीय कापी राइट ऐक्ट १८४७ की दफा ५ के अनुसार दाखिले द्वारा किया जाय। —

को पारटेनरशिप डीड—देखो पार्टनेरशिप न० ४६।

२४ नकल या उद्धरण किसी कागजका, जिस पर किसी सरकारी पदाधिकारीके हुक्मके अनुसार या उसके हाथसे उस नकल या उद्धरणका सही होना तस्दीक किया गया हो और जिसके सम्बन्धमें प्रचरित कानूनके अनुसार कोर्टफीस वाजिबुल अदा न हो।

(१) यदि असल दस्तावेज महसूल लगाये जानेके काबिल न हो या वह महसूल जो इस पर लगाया जानेको हो, एक रुपयेसे अधिक न हो। — आठ आना

(२) अन्य सूरतमें ... ... — एक रुपया

अपवाद

(ए) किसी कागजकी नकल, जिसके बनाने या सरकारी दफ्तरमें रखने या किसी अन्य सरकारी कार्यके लिये रखनेका हुक्म हो।

(बी) नकल या उद्धरण, किसी रजिस्टरकी, जो पैदायश या बैपतिस्मा या नाम या समर्पण, या शादी [त्याग, मौत, और अन्तिम संस्कार] सम्बन्धी हो।

२५ मुसन्ना या डुप्लीकेट।

(ए) यदि महसूल एक रुपयेसे अधिक न हो। — वही महसूल—जो असलपर देना हो

(बी) अन्य सूरतमें — एक रुपया

अपवाद

किसी पट्टेका मुसन्ना जब (ए) वह किसी काश्तकारको दिया गया हो और वह पट्टा महसूलसे बरी हो।

२६ कस्टम बाण्ड (इकरारनामा चुंगी)

(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो। — बाण्ड न० १५ के अनुसार

(बी) अन्य सूरतमें — पांच रुपये

२७ डेबेञ्चर (चाहे रेहननामेका डेबेञ्चर हो या न हो) जो एक किफालतनामा काबिल खरीद व फरोख्त हो, और जिसका इन्तकाल—

(ए) दस्तखतों या इन्तकालके अलाहिदा दस्तावेज द्वारा होसके — न० १५ के बाण्डके अनुसार

(बी) बजरिये हवालगी हो सके — न० २२ के बाण्डके अनुसार

व्याख्या—शब्द 'डेबेञ्चर' में सूदका प्रत्येक कूपन जो उसके साथ लगा हो शामिल है, किन्तु इन कूपनोंकी रकम महसूलके तखमीना करनेमें शुमार न किया जायगा।

अपवाद

कोई ऐसा डेबेञ्चर, जो किसी कम्पनी या सनद प्राप्त संस्थाकी ओरसे बतौर एक रजिस्ट्रीशुदा रेहननामेके जारी किया जाय और बशर्ते कि उनपर उन डेबेञ्चरोंकी पूरी तादादके बाबत, जो उसकी रूसे जारी किये जाय, स्टाम्प लगा हो, तो उसकी बिनापर कम्पनी या उक्त संस्था जो कर्ज लेना चाहती हो, अपनी जायदाद डेबेञ्चर के अधिकारियों के लाभके लिये समस्त या उसका कुछ अन्श ट्रस्टियोंके हवाले करदे। किन्तु यह नियम है कि जो डेबेञ्चर इस प्रकार जारी किये जाय,उनका बतौर रेहननामा मजकूरके जारी होना पाया जाता हो।

और भी देखो बाण्ड (नं० १५) और दफायें ८ और ५५

डेक्लेरेशन आफ एनी ट्रस्ट—देखो ट्रस्ट नं० ६४

२८ माल सम्बन्धी डेलेवरी आर्डर, जब मालकी कीमत २०)से अधिक हो — एक आना

डेपाजिट आफ टाइटिल डीड्स (देखो नं० ६) हिस्सेदारीकी अलाहिदगी—(देखो नं० ४६)

२९ त्याग या तलाक, यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी शादीका सम्बन्ध तोडता है — एक रुपया

३० किसी हाईकोर्टके रोलमें, किसी एडवोकेट, वकील या अटार्नी का दाखिला

(ए) एडवोकेट या वकीलकी सूरतमें — ५००)रुपये
(बी) अटार्नीकी सूरतमें — २५०)रुपये

अपवाद

किसी एडवोकेट, वकील या एटार्नीका हाईकोर्टके रोलमें दाखिला, जब वह हाईकोर्टके रोलमें पहिले दाखिल किया जाचुका हो।

३१ तबादिला जायदाद (Exchange of Property) — वही महसूल—जो बयनामा (न०२३ ए) निरत है। जिसकी रकम मवाजा जया दादकी मालियतके बराबर हो, जो इस तफसील दस्तावेज मजकूर सबसे ज्यादा मालियतका हो

३२ दस्तावेज मावजा मजीद (Further change) यानी वह दस्तावेज जो रेहननामेकी जायदाद पर और अधिक मावजा कायम करे

(ए) जब असली रेहननामा उस किस्ममेंसे हो, जिनका वर्णन आर्टिकिल के क्लाज (ए) में आया है (यानी मय कब्जा) — वही महसूल जो बयनामा—(न०२३)में है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा लगाये हुए अधिक मावजे के बराबर हो

(बी) जब ऐसा रेहननामा उस किस्ममेंसे हो जिसका वर्णन आर्टिकिल ४० के क्लाज (बी) में है (यानी बिला कब्जा)

१ यदि अधिक मावजेके दस्तावेजके तामीलके समय, जायदादका कब्जा दे दिया गया है, या उस दस्तावेजके अनुसार कब्जा देनेका मुआहिदा कर लिया गया है। — वही महसूल जो बयनामा (न०२३) में है—

—उस रकमपर जो उस कुल रकमके बराबर हो (रेहनकी रकम और अधिक मावजे के सहित) उस महसूलको निकालकर जो असल रेहन और अधिक मावजे पर पहिले उठा दिया गया हो

२ यदि उस प्रकार कब्जा न दिया गया हो वही महसूल—

— जो बाण्ड नं० १५में नियत है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा बतौर अधिक मावजे के लिया गया हो

३३ हिब नामा अर्थात् दानपत्र—जो सेटेलमेण्ट (नं० ६८) या वसीयतनामा या इन्तकाल (नं० ६२) के अतिरिक्त हो महसूल बयनामा (नं० २३) के अनुसार—उस रकम मावजे पर जो दस्तावेजमें वर्णित जायदादकी कीमतके बराबर हो

३४ इबरायननामा अर्थात् हरजाना नुकसान दिलाया जाना वही महसूल जो—(Indemnity Bond) —जमानतनामा (नं०५७) में उस रकम पर नियत है।

३५ पट्टा—जिसमें कोई पट्टा जिमनी या कोई पट्टा शिकमी या कोई इकरार तहरीर पट्टा या पट्टा शिकमी दाखिल है।

(ए) जब इस पट्टे द्वारा रकम लगान नियत हो जाय, किन्तु कोई नजराना अदा या हवाला न किया जाय।

(१) जब पट्टेके मजमूनसे एक सालसे कम मियादके लिये पाया जाय। वही महसूल—जो बाण्ड (नं० १५) में है उस तमाम रकमपर जो इस पट्टेके अनुसार वाजिबुल्अदा या हवालगीके है

(२) जब पट्टेके मजमूनमें यह पाया जाये कि वह एक बरससे अधिक किन्तु तीन बरससे अधिक नहीं है वही महसूल—जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकम पर जो सालाना औसत लगानके बराबर हो।

(३) जब पट्टेसे यह विदित होकि वह तीनसालसे अधिक मियादके लिये है। वही महसूल—जो इन्तकाल (नं० २३) में नियत है, उस रकम पर जो निश्चित लगान के सालाना औसत लगानके बराबर हो।

(४) जब पट्टेसे यह विदित हो कि वह किसी निश्चित मियादके लिये नहीं है। वही महसूल—जो इन्तकाल (नं०२३) में नियत है उस रकम पर जो उस सालाना औसत लगान के बराबर हो जो अदाकी जायगी प्रथम दस बरस यदिपट्टा उतने दिन तक जारी रहे।

(५) जब पट्टेके मजमूनसे यह विदित हो कि पट्टा सदाके लिये है वही महसूल—जो इन्तकाल (नं०२३) में नियत है, उस मवाजे परजो उस रकमके पांचवें हिस्से के बराबर हो, जो उस पट्टे के अनुसार प्रथम ५० साल में बतौर लगान अदा करना होगी।

(बी) जब कोई पट्टा किसी जुर्माने या नजराने या रकम पेशगीपर दिया गयाहो और कोई लगान निश्चित न किया गया हो वही महसूल जो इन्तकाल—(नं०२३) में नियत है उस मवाजे पर, जो उस रकम के बराबर हो, जो पट्टेमें बतौर जुर्माना नजराना या रकम पेशगी का वर्णन किया गया हो

(सी) जब कोई पट्टा किसी जुर्माने या नजराने या रकम वो महसूल पेशगीपर दियागया हो और इनके अतिरिक्त लगान भी निश्चित जो उस रकमके लिये— किया गया हो। —(न० २३) में नियत है उस मात्रनेपर जो पट्टेमें वर्णित जुर्माने, नजराने या रकम पेशगीके बराबर हो, मय उस महसूलके जो उस पट्टे पर लगाया जाता यदि उस पर कोई जुर्माना नजराना, या पेशगी रकम न आयद की गई होती। नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर पट्टेपर स्टाम्प रसीद (यानी एडीवेलोरम्) जो पट्टेके लिये नियत है लगाया जाय सिवा उस इकरारके पट्टा बादको लिखा जाय तो ऐसे पट्टका महसूल ॥) से अधिक न होगा।

अपवाद

(ए) पट्टा, जो किसी काश्तकारके हकमें लिखा गया हो और वह पट्टा काश्तकारीके निमित्त हो (जिसमें ऐसे पोधोंका पट्टा भी शामिल है जिनसे खाने या पीनेकी चीजें पैदा हो) बिना किसी जुर्माने या नजरानेकी अदाईके, और जब कि निश्चित मियाद नियत कर दी गई हो, जो एक वर्षसे अधिक न हो या जब कि निश्चित किया हुआ सालाना लगान १००) से अधिक न हो।

(बी) मछलीके शिकारके पट्टे, जो बरमा फिशरीज १८७५ या अपरबरमा लैण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन १८८९ के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।

३६ हिस्सोंकी नियुक्तिका पत्र — एक आना

३७ चिट्ठी सिफारिसी (Letter of credit) — एक आना

३८ दस्तावेज परवानगी (Letter of License) यानी ऋणी और महाजनके मध्यका इकरारनामा, जिसके अनुसार महाजन ऋणी को कुछ समयके लिये व्यवसाय करनेकी आज्ञा दे। — दस रुपया

३९ याददाश्त शराकत कम्पनी (Memorandum of Association of Company)

(ए) यदि उसके साथ इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ की दफा ३७ के अनुसार आर्टिकिल आफ एसोसियेशन शामिल हो — पन्द्रह रुपये

(बी) यदि वह शामिल न हो — चालीस रुपये

अपवाद

किसी कम्पनीकी याददाश्त, जो फायदेके लिये न लिखी गई हो, और इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ के अनुसार जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो

४० रेहननामा—जो अधिकार पत्रके जमा कर देने या गिरवीके सम्बन्धमें इकरारनामा (न० ६) बोटोमरी बाण्ड (न० १६), रेहननामा फसल (न० ४) रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड (न० ५६) या जमानतनामा (न० ५७) न हो

(ए) जब रेहननामेमें दी हुई जायदादका कब्जा या उसके वही महसूल ...ती भागका कब्जा मुर्तहिन द्वारा दे दिया गया हो या देनेका जो इस्तफाल ...ाहिदा कर लिया गया हो। —(नं० २३) में नियत है

उस मवाजिपर जो उस रकमके बराबर हो जो उस दस्तावेज द्वारा ली गई हो।

(बी) जब ऊपर बताये अनुसार कब्जा न दिया गया हो वही महसूल देनेका मुआहिदा न कियागया हो। (अथात् व्याजू रेहनमें) जो बाण्ड(नं० १५)— —में नियत है उस दस्तावेज द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम पर

व्याख्या—जब कोई मुर्तहिन, राहिनको लगान वसूल करनेका ...धकार बजरिये मुख्तारनामा दे देता है या रेहननामे की जायदाद ...उसके किसी हिस्से का पट्टा कर देता है, तो इस आर्टिकिलके अर्थ ...नुसार यह माना जाता है कि उसने जायदादका कब्जा दे दिया है।

(सी) जब रेहननामा एक जिमनी या ताईदी, या मजीद या ...दल जमानतनामा हो या उपरोक्त अभिप्रायके लिये बतौर एक ...रक जमानतनामेके हो यदि असली या प्रारम्भिक जमानतनामे पर ...चत स्टाम्प लगा हो—हर एक दस्तावेज द्वारा प्राप्त की हुई रकमके ...। जो १०००) से अधिक न हो आठ आना

या १०००) के ऊपर प्रत्येक १०००) या उसके किसी भाग पर आठ आना

अपवाद

(१) उन व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेजात, जो लैण्ड ...्रूमेण्ट लोन्स ऐक्ट१८८४के अनुसार रकम पेशगी चाहते हों या उनके ...ानतदारों द्वारा उस रकम पेशगीके अदा कर देनेके सम्बन्धमें ...ए गये हों।

(२) गिरवीपत्र मय हुंडी (Bill of exchange) के साथ ...४१ रेहननामा फस्ल-जिसमें कोई ऐसा दस्तावेज शहादत शामिल ...ो किसी ऐसे कर्जके वसुलयाबी के इकरारनामेके सम्बन्धमें हो जो ...वी रेहननामे फस्ल पर लिया गया हो चाहे रेहननामेके समय ...जका अस्तित्व हो या न हो।

(ए) जब दस्तावेजकी तारीखसे कर्ज तीन माहसे अधिक एक आना ...यम देय न हो-प्रत्येक रकमके लिये,जो प्राप्त कीगई है औरजो२००) ...अधिक न हो प्रत्येक २००) और उसके ऊपर उसके किसी भाग पर एक आना

(बी) जब कर्ज दस्तावेजकी तारीखसे तीन माहके बाद देय किन्तु १८ माहकेबाद देय न हो।

प्रत्येक रकमके लिये जो १००) से अधिक न हो दो आने

प्रत्येक १००) और उसके ऊपर १००) या उसके किसी हिस्से दो आने के लिये ।

४२ नोटेरियल ऐक्ट-कोई दस्तावेज या सही या नोट या तस्दीक या सार्टीफिकेट या दाखिला सिवाय प्रोटेस्ट (नं० ५० के, जो किसी नोटेरी पब्लिक द्वारा, अपने आफिसके कर्तव्यकी तामीलमें या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कानूनन बतौर नोटेरी पब्लिक कामकर रहा हो लिखा या सही किया गया हो । — एक रुपया

४३ नोट या याददाश्त, जो कोई दलाल या कारिन्दा अपने मालिक के पास व इत्तला इस अमरके भेजे, कि मालिक मजकूरकी तरफसे हस्व जैल खरीद व फरोख्त किया गया है ।

(ए) कोई माल जिसकी कीमत २०) से अधिक हो — दो आना

(बी) कोई सरमाया या जमानतनामा काबिल खरीद या फरोख्त जिसकी मालियत २०)से अधिक हो । — बा पाबन्दी इन्तहायी मिक्दार १०) के, सरमाये या जमानतनामेकी मालियतकी हर दस हजारकी रकम पर या उसके किसी हिस्से पर ।

४४ जहाजके मास्टर द्वारा प्रतिवादकी तहरीर — आठ आना

४५ दस्तावेज बटवारा—(दफा २ (१५)) की परिभाषाके अनुसार वही—महसूल जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकम पर, जो अलाहिदा लिए हुए हिस्सेकी या जायदादके हिस्सेकी कीमत के बराबर हो ।

नोट—सबसे बड़ा हिस्सा, जो जायदादके तकसीम होजाने के बाद (या यदि दो या अधिक हिस्से बराबर मिल्कियतके हों, दूसरे हिस्सोंमेंसे किसीसे कम न हों, तो ऐसे बराबर हिस्सोंमेंसे कोई एक) वह समझा जायगा, जिससे दूसरे हिस्से अलग कर दिये गये हैं ।

किन्तु सदा यह नियम है कि —

(ए) जब कोई तक्सीमनामा जिसमें यह इकरार हो कि जायदाद अलाहिदा अलाहिदा हिस्सोंमें तक्सीम कर दीजायगी, तकमील पाये, और इस इकरारके अनुसार बटवारा किया जाय, तो जो महसूल इस दस्तावेज पर लगाया जाना चाहिये था कि जिसके जरिये से सब बटवारा किया जाय उससे वह महसूल निकाल दिया जायगा, जो दस्तावेज अव्वल में अदा किया गया हो, किंतु वह आठ आनेसे कम न होगा ।

(बी) जब जमीन बन्दोबस्त मालगुजारी पर इतनी मुद्दतके लिये, जो तीस वर्षसे अधिक न हो लीजाय, और कुल मालगुजारी अदा करदी जाया करे, तो महसूल लगाने के लिये, जो रकम शुमारकी जायगी वह सालाना मालगुजारीके पांच गुनासे अधिक न होगी ।

(सी) जब बटवारेके अन्तिम हुक्म पर जो किसी हाकिम माल या किसी अदालत दीवानीने दिया हो या किसी सालिसके फैसलेपर जिसम बटवारेका हुक्म हो, ऐसा स्टाम्प लगा हो, जो दस्तावेज बटवारामें लगता है और एक दस्तावेज बटवारा उसी हुक्म या फैसलेके अनुसार बाद तहमील पायाहो तो उस दस्तावेजपर महसूल आठ आनेसे अधिक न होगा।

४६ दस्तावेज शराकत

(ए) दस्तावेज शराकत

(१) जब शरकतका सरमाया ५००) से अधिक न हो	दो रुपये आठ आने
(२) अन्य सूरतोंमें	दस रुपया
(बी) दस्तावेज अलाहिदिगी शराकत	पाच रुपया

४७ बीमा (Policy of Insurance)	यदि अकेले लीगई हो	यदि डुप्लाकेट में लागई हो तो प्रत्येक भाग के लिय
ए—समुद्री बीमा (देखो दफा ७)		
(१) किसी जहाजी सफरके लिये या सफर पर		
(ए) जब प्रेमियम बीमाकी हुई रकमके आठवें हिस्सेसे अधिक न अदा की गई हो	एक आना	आध आना
(बी) अन्य सूरतमें एक हजार रुपयेपर या उसके किसी भारपर	दो आना	एक आना
(२) वक्त के लिये		
(सी) एक हजार या उसके किसी भागके लिये		
जब बीमा ६ माहसे अधिक का न हो	दो आना	एक आना
जब बीमा ६ माहसे अधिक किन्तु १२ माहसे अधिक न हो	चार आना	दो आना

बी—अग्निका बीमा

(१) असली पालिसीके सम्बन्धमें	
(ए) जब बीमेकी रकम ५०००) से अधिक न हो .	आठ आना
(बी) अन्य सूरतमें	एक रुपया

(२) असली बीमेके नये होनेपर किसी प्रेमियम की अदाई की प्रत्येक रसीदा के सम्बन्धमें —असली बीमेका सूरतमें दिये जानेवाले महसूलका आधा महसूल पर रकमके, जिसपर न०५२ के अनुसार महसूल लगाये जानेके योग्य हो।

(सी) दुर्घटना तथा बीमारीका बीमा

(ए) रेलवे यात्राका बीमा–जो केवल एक यात्राके लिये जायज है	एक आना

अपवाद

जब किसी रेलवेके तीसरे या ड्योढ़े दर्जेमें सफर करनेवाले यात्री के सम्बन्धमें जारी किया गया हो

(सी) अन्य सूरतमें-जब रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) या उसके भागके लिये — दो आ

(डी) जिन्दगीका बीमा या अन्य बीमा जब बीमेकी रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) पर या उसके किसी भागपर

(१) यदि अकेला लिया गया हो — छ आने

(२) यदि डुप्लीकेटमें लिया गया हो तो प्रत्येक भागके लिये — तीन आने

अपवाद

जीवनके बीमे, जो भारतीय पोस्ट आफिसके डाइरेक्टर जनरल उन नियमोंके अनुसार जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके अधिकार पर पोस्टल लाइफ इन्स्यूरेंसके लिये जारी किये गये हैं, मंजूर किये गये हों।

ई—किसी इन्स्यूरेंस कम्पनी द्वारा दुबारा बीमा, जिसने किसी सामुद्रिक या अग्नि सम्बन्धी बीमाको स्वीकार किया हो, किसी दूसरी कम्पनीके साथ, घतरीक हानि देने या गारण्टी देनेके, बाबत किसी असली बीमे या उसके किसी भाग की रकमकी अदाई के, जिसका बीमा किया गया हो —असली बीमेके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले महसूलका एक चौथाई, किन्तु एक आनेसे कम नहीं या एक रुपयेसे अधिक नहीं।

४८ मुख्तारनामा—(दफा २ (२१) की परिभाषाके अनुसार) जो प्रोक्सी (नं० ५२) न हो।

(ए) जब किसी एक मामलेके सम्बन्धमें, एक या दो दस्तावेजों की रजिस्ट्री करानेके लिये या एक या अधिक ऐसे दस्तावेजोंकी तामील स्वीकार करनेके लिये किया गया हो। — आठ आना

(बी) जब प्रेसीडेन्सी स्माल काज कोर्ट ऐक्टकी दफा १८८२ के अनुसार किसी नालिश या कार्यवाहीमें आवश्यक हो — आठ आना

(सी) जब, एक मामलेमें, जो उस मामलेके अतिरिक्त हो, जिसका बयान क्लाज (ए) में किया गया है, एक आदमी या अधिकको कार्यवाही करनेका अधिकार दिया जाय — एक रुपया

(डी) जब पांचसे अधिक आदमियोंको अधिकार न दिया गया हो, एक साथ या अलाहिदा अलाहिदा कारगुजारी करनेके लिये एकसे अधिक मामलेमें या आमतौर पर। — पांच रुपया

(ई) जब पांचसे अधिक किन्तु दससे कम मनुष्योंको, एकसे अधिक मामलेमें या आमतौरपर, एक साथ या पृथक पृथक कारगुजारी करनेका अधिकार दिया गया हो। — दस रुपया

(एफ़) जब किसी मुख़्तारको किसी स्थावर जायदादके बेचनेका अधिकार दिया गया हो — वही महसूल जो बयनामा (नं० २३) में नियत है मालजोरी रक़मपर

(जी) अन्य किसी सूरतमें — एक रुपया, प्रत्येक अधिकृत मनुष्यके लिये

व्याख्या—इस आर्टिकिलके अभिप्रायके लिये एक से अधिक मनुष्य, जिनका सम्बन्ध एक ही फ़र्मसे होगा, एक ही मनुष्य समझे जायगे नोट—शब्द—'रजिस्ट्रेशन' में वे तमाम काम जो रजिस्ट्रीके लिये इण्डियन रजिस्ट्रेशन—ऐक्ट १८७७ के अनुसार आवश्यक हैं, शामिल हैं।

४९ प्रामिजरी नोट (दफ़ा २ (२२)) की परिभाषा के अनुसार — वही महसूल—जो बिल आफ़ इक्सचेन्ज (नं० १३) में नियत है इतुल तलबपर अदाई है या उससे अन्य है, उस लिहाजसे जसी सूरत हो

नोट—यह मियादी नोट होता है या किसी शर्तपर निर्भर होता है

प्रामेसरी नोट या रुक्का इ हुलतलब, अर्थात् मांगनेपर फ़ौरन अदा करनेकी शर्त समझी जाय — २५०—तक —) और २५० से १०००) तक =) ऊपर ।) यह रसूम ता० १ अक्टूबर सन् १९२३ से गवर्नमेण्टके आडरसे जारी हुआ है

५० प्रोटेस्ट बिल या नोट यानी कोई लिखित घोषणा, जो किसी नोटेरी पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस पर काम करता हो, किसी बिल आफ़ इक्सचेन्ज या प्रामिजरी नोटकी गैर अदाईपर तस्दीक़ करते हुए, की जाय — एक रुपया

५१ जहाजके मास्टरका प्रतिवाद — एक रुपया

५२ राय देनेका अधिकार (Proxy) किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड, या किसी सनदयाफ्ता कम्पनी या स्थानीय अधिकारियों या किसी संस्थाके फण्डके पदाधिकारियोंके चुनाव में राय देनेका अधिकार। — एक आना

५३—रसीद (दफ़ा २ (२३) की परिभाषाके अनुसार) किसी रकम या जायदादके लिये, जिसकी तादाद या कीमत बीस रुपयेसे अधिक हो — एक आना

अपवाद

रसीद

(ए) किसी उचित स्टाम्पसे युक्त दस्तावेजमें दर्ज या नियम ३ के अनुसार बरी किये हुए (दस्तावेज, जो सरकारकी ओरसे लिखे गये हों) दस्तावेज़में बताई हुई रकमकी रसीद, या किसी मूलधन या सूद या किस्त या अन्य सामयिक अदाईकी रसीद जो उनके द्वारा प्राप्त की गई हो।

(बी) बिना मवाजेके अदाकी हुई किसी रकमकी रसीद

(सी) किसी काश्तकार द्वारा, किसी लगानकी अदाईकी रसीद, जो उस जमीन पर दिया गया हो, जिस पर सरकारी मालगुजारी लगाई गई हो, या (फोर्ट सेण्ट जार्ज और बम्बई प्रेसीडेन्सीमें) इनाम आराजीकी रसीद

(डी) नान कमीशण्ड आफिसर या सम्राटकी फौजके सिपाही या सम्राटकी भारतीय फौज, जब उस हैसियत पर काम कर रही हो या घुड़सवार पुलिस कान्स्टेबिलों द्वारा तनख्वाह या एलाउन्स पर दी हुई रसीद

(ई) खानदानी सार्टीफिकेट रखने वालों द्वारा दी हुई रसीद, उन सूरतोंमें जब कि वह व्यक्ति, जिसकी तनख्वाह या एलाउन्ससे रसीदकी रकम पूरी हुई हो, वह कोई नान-कमीशण्ड आफिसर या उपरोक्त फौजोंमें किसी एकका सिपाही हो, या उस हैसियतसे काम करता हो।

(एफ) पेन्शन या एलाउन्सेजके लिये रसीद, उन मनुष्यों द्वारा जिन्होंने इस प्रकारकी पेन्शन या एलाउन्स, किसी नानकमीशन या फौजी सिपाहीकी हैसियतसे काम करते हुए प्राप्त किया हो किन्तु किसी अन्य हैसियतसे नहीं

(जी) किसी मुखिया या लम्बरदार द्वारा लगान या महसूल की वसूलयाबी पर दी हुई रसीद

(एच) उस रकम या उस रकमकी सेक्यूरिटीज जो किसी बैंकके पास जमाकी गई हो, की रसीद

नियम-यह है कि यदि वह बेंकर से अन्य किसीके पास जमाकी गई हो तो उस पर विचार न किया जायगा।

यह भी नियम है कि यह अपवाद उस सूरतमें काम न आयेगा जब कि कोई रकम जमाकी गई हो या दी गई हो, किसी हिस्सेके एलाटमेण्टमें या हिस्सेके किसी हुक्म पर या किसी सनदयाफ्ता संस्थामें या किसी ऐसी ही अन्य संस्थामें या किसी ऐसे डेबेञ्चरके सम्बन्धमें जो खरीद फरोख्तके काबिल हो,

५४ दस्तावेज वापसी जायदाद मरहूना — वही महसूल

(ए) अगर मायज़ा रेहननामा १०००) से अधिक न हो — जो बयनामा नं० २३ में नियत है जितनी तादाद मायजा दस्तावेज वापसीके बराबर हो।

(बी) किसी अन्य सूरतमें — दस रुपये

५५ दस्तावेज दस्तबरदारी—यानी वह दस्तावेज दस्तबरदारी जिसका जिक्र दफा २३ (ए) में किया गया है न हो, जिसके द्वारा

कोई व्यक्ति अपना दावा त्याग दे जो उसको किसी अन्य व्यक्ति या किसी जायदाद खास पर प्राप्त हो

(ए) अगर तादाद या मालियत दावा १०००) से अधिक न हो वही महसूल—जो बाण्ड (न० १५) में नियत है उस रकमके लिये जो दस्तावेज दस्तबरदारीमें दर्ज रकमके बराबर हो।

(बी) किसी अन्य सूरतमें — पांच रुपये

५६ रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड—यानी कोई दस्तावेज जिसके द्वारा किसी ऐसे माल पर जो जहाजमें लादा गया हो या लादा जानेवाला हो कर्ज लिया जाय और उसमें यह शर्त हो कि वह कर्ज उस वक्त अदा किया जायगा, जब कि माल अभीष्ट बन्दरगाह पर पहुंचे। — वही महसूल जो बाण्ड (न० १५) में नियत है, प्राप्त की हुई रकम पर।

५७ जमानतनामा या रेहननामा—जो किसी ओहदेके उचित पालन, या किसी रकम या अन्य जायदादका हिसाब देनेके, जो उस ओहदे पर प्राप्त हो, या किसी ठेकेके उचित रीति पर पूर्ण करनेके सम्बन्धमें बतौर जमानतनामेके लिखा गया हो

(ए) जब प्राप्तकी हुई रकम १०००) से अधिक न हो — वही महसूल जो—बाण्ड (न० १५) में नियत है प्राप्त किये हुए धनके बराबर धन पर।

(बी) किसी अन्य सूरतमें — पांचरुपया

अपवाद

बाण्ड या दूसरा दस्तावेज जब कि तकमील पाये

(ए) मुखियों द्वारा, जो कि बंगाल ऐक्ट आबकारी १८७८ की दफा९९के अनुसार बनाये हुए नियमोंपर नामजद किये गये हों,और उस ऐक्टके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करनेके लिये, लिखे गये हों।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, इस बातकी गारण्टी देनेके लिये कि स्थानीय आमदनी जो खानगी चन्दा द्वारा प्राप्त होती है, किसी धमार्थ दवाखाने, अस्पताल, या किसी अन्य जनताके लाभके लिये, पद नियत मासिक रकमसे कम न होगी।

(सी) बम्बई आबकारी ऐक्ट १८७९ की दफा ७० के अनुसार गवर्नर बम्बई सपरिषद् द्वारा बनाये हुए नियमोंमेंसे न०३-एके अनुसार

(डी) उन व्यक्तियों द्वारा,जो तरक्की आराजी कर्ज ऐक्ट १८८३ या कृषक ऋण ऐक्ट १८८४ के अनुसार तकावी लेते हैं या जामिनोंकी तरफसे, जो तकावीकी अदाइके इतमीनानके लिये होवे हैं

(सी) दस्तावेज बीमाका

(डी) गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाकी सेक्यूरिटीज

६३ इन्तकाल पट्टा-जो बतौर इन्तकाल हो न कि शिकमी पट्टे की तरह हो। वही महसूल जो बयनामा (न० २३) के लिये नियत है जिसका मावजा इन्तकालके मावजेके बराबर हो।

अपवाद

इन्तकाल किसी ऐसे पट्टेका जो खुद महसूलसे बरी हो।

६४ अमानत (Trust)

(ए) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज इस्तकरारिया जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो वसीयतनामा न हो। वही महसूल जो बाण्ड (न० १५) में नियत है, जिसकी रकम- जायदाद मुफस्सिलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके बराबर हो, किन्तु १५) से अधिक न हो।

(बी) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज तनसीख अमानत वही महसूल जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो वसीयतनामा न हो। जो बाण्ड—(न० १५) में नियत है जिसकी रकम जायदाद मुफस्सिलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके बराबर हो किन्तु १०)सेअधिक न हो।

६५ मालका वारण्ट—यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी व्यक्तिके, जिसका नाम उसमें लिखा हो या उसके प्रतिनिधियोंके, या उस व्यक्तिके, जो वारण्टका अधिकारी हो, अधिकारकी शहादत हो, जो किसी ऐसे मालके सम्बन्धमें हो जो किसी डाक (Dock) या मालगोदाम या माल उतरनेके घाट पर मौजूद हो। ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओरसे जिसकी संरक्षामें वह माल हो तस्दीक या सनद किया हुआ होना चाहिये। चार आना

नोट—हमने भाइयोंके सुभीतेके लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्टका पहला शिड्यूल इसलिये दे दिया है कि उनकी स्टाम्प जानने सम्बन्धी असुविधाएं दूर हो जांय यदि अधिक जाननेकी इच्छा हो तो 'हिन्दी-लॉ जरनल' तथा इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट भिन्न रूपसे देखिये। अब हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि पाठकोंको हमारे इस कार्यसे सहायता प्राप्त होगी।

इति।